अष्टम माला, खंड 15, अंक 26

बुधवार, 2 अप्रैल, 1986
12 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवां-सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 15 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 15, पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 26, बुधवार, 2 अप्रैल, 1986/12 चैत्र, 1908 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1-21
* तारांकित प्रश्न संख्या :	514, 515, 517 से 519 521, 522 और 524	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर		21-182
तारांकित प्रश्न संख्या :	516, 520, 523, 525 526 और 528 से 534	21-30
अतारांकित प्रश्न संख्या :	4840 से 4967, 4969 से 5017, 5019 से 5022, 5024, 5025, 5027 से 5046, 5048 से 5052 और 5054 से 5060	30-182
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		182-183
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		183-184
सोलहवां प्रतिवेदन		
भोपाल गैस-पीड़ितों के मुआवजे के दावों को न्यायालय से बाहर निपटाने के लिए यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन की कथित योजनाओं के बारे में वक्तव्य		184-185
श्री नारायण दत्त तिवारी		184
नियम 377 के अधीन मामले		185-189
(एक) महानगरों को प्रदूषण के संकट से बचाने के लिये उपयुक्त कानून बनाकर उपाय करने की आवश्यकता		
श्री अनूपचन्द शाह		185
(दो) स्वर्गीय गोदावरीश मिश्र सहित देश के जन आंदोलन के महान नेताओं की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी करने की आवश्यकता		
श्री बृज मोहन महन्ती		186

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(तीन) आन्ध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले के तम्बाकू उत्पादकों को तत्काल राहत देने की आवश्यकता	
श्री श्रीहरि राव	186
(चार) रेल डाक सेवा कार्यालयों तथा शाखा डाकघरों को बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता	
श्री चिन्तामणि जेना	187
(पांच) बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में लोगों को पेय जल की आपूर्ति करने की योजनाएं प्रारम्भ करने के लिए राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	187
(छह) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हरिजनों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, आवास स्थल आवंटित करने तथा स्व-रोजगार योजनाओं के लिए उन्हें पर्याप्त धनराशि देने की आवश्यकता	
श्री बीरबल	188
(सात) केरल में इलैक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री के० मोहनदास	189
अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1986-87	189-247
इस्पात और खान मंत्रालय (जारी)	
श्री पूर्णचन्द्र मलिक	189
श्री मनकूराम सोढी	191
श्री पी०आर० कुमारमंगलम	193
श्री एस० जयपाल रेड्डी	195
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	203
श्री हरिहर सोरन	206
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	208
डा० एस० जगतरक्षकन	211
श्री विष्णु मोदी	214
श्री मोहम्मद अयूब खान	218
श्री नारायण चौबे	221

विषय	पृष्ठ
श्री जैनुल बशर	224
श्री विजय एन० पाटिल	226
श्री अब्दुल रशीद काबुली	228
श्री राज कुमार राय	237
श्री गिरधारी लाल व्यास	239
श्री दत्ता सामन्त	243
श्री दामोदर पांडे	245
1986 के बजट प्रस्तावों में कतिपय संशोधनों के बारे में वक्तव्य	247-249
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	247
अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1986-87	249-252
इस्पात और खान मंत्रालय-(जारी)	
श्री अप्पालानरसिंहम	249
आतंकवाद के बढ़ते हुए खतरे और उसके परिणामों के बारे में चर्चा (समाप्त)	252-350
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	254
प्रो० के० के० तिवारी	257
श्री अरुण नेहरू	262
श्री सैफुद्दीन चौधरी	265
श्री चिरंजी लाल शर्मा	270
प्रो० मधु दंडवते	275
श्री अर्जुन सिंह	281
श्री पी० कुलनदईवेलू	285
श्री बूटा सिंह	286
श्री श्याम लाल यादव	293
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	295
श्री कमल चौधरी	301
डा० जी०एस० ढिल्लों	305
श्री दिनेश गोस्वामी	310
श्री सुनील दत्त	313
श्री इन्द्रजीत गुप्त	315
श्री राम निवास मिर्धा	322
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव	325
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	328
श्री अब्दुल रशीद काबुली	330
श्री सी० जंगा रेड्डी	344
डा० दत्ता सामन्त	346
श्री पी०वी० नरसिंहराव	347

लोक सभा

बुधवार, 2 अप्रैल, 1986/12 चैत्र 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[**अनुवाद**]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं आपकी बोन की शुभ यात्रा की कामना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। फिर तो मुझे पूरी सफलता मिलेगी।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[**अनुवाद**]

विदेशों से प्रतिभावान भारतीयों को भारत में आकर्षित करने की नई योजना

*514. **श्रीमती माधुरी सिंह** :

श्री टी० बशीर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के उन प्रतिभावान भारतीयों को, जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपने बेहतर भविष्य के लिए अन्य देशों में चले गये थे, भारत में आकर्षित करने की सरकार की कोई नई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और विदेशों में रहने वाले हमारे वैज्ञानिकों और तकनीशनों की इसके संबंध में क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय प्रतिभाओं को, जो पिछले कुछ वर्षों से अन्य देशों में चले गये थे, आकर्षित करने के लिए सरकार एक नयी योजना बनाने का प्रयास कर रही है।

(ख) चूंकि इस योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है, इसलिए विदेशों में रह रहे हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों से इसके बारे में प्रतिक्रिया का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

अतीत में, विदेशों में बसे भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकिविदों को इस देश में वापिस आने के लिए आकर्षित करने के लिए अनेक उपाय किये गये थे। इनमें से कुछ उपाय निम्न-लिखित हैं :—

1. ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गये, जिनके जरिए देश में (वैज्ञानिकों के "महत्वपूर्ण") दल बनाए जाते हैं जिनके पास विज्ञान के नये और सीमांत क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाएं होती हैं।

2. वैज्ञानिकों के पूल की स्कीम के अंतर्गत वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की अस्थायी नियुक्ति का प्रावधान है।

3. अधिसंख्यक पदों के सृजन का प्रावधान भी किया गया है।

4. विदेशों से लौटने वाले वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को उपकरण आयात करने की सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।

5. देश में औद्योगिक ईकाइयां स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीयों को अपने आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से उद्योग मंत्रालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है।

6. वैज्ञानिकों की कार्य की दशाओं में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक संस्थाओं को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है।

7. जैव प्रौद्योगिकी, महासागर विकास, पर्यावरण, गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत, टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र, विभागों आदि जैसे नये वैज्ञानिक विभाग/संगठन स्थापित किए गए हैं और इनमें से कुछ उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हैं। इनके वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को उत्साहपूर्ण अवसर प्रदान करने की और उन्हें देश में आकर्षित करने की संभावनाएं हैं।

8. अगामी पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए कुल परिव्यय में वृद्धि की गयी है।

1-1-86 तक "विदेशों में भारतीयों के बारे में रजिस्टर" में 25000 भारतीय वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीविद, इंजीनियर और डाक्टर रजिस्टर थे। इनमें से 11900 से अधिक के भारत लौट/आने की सूचना है। भारतीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद छोटी, बड़ी संख्या में अन्य संस्थाओं संगठनों, निजी और सार्वजनिक उद्योगों में भी लौटे हैं, जिनकी सही संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती माधुरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को देश में ही काम करने के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की है, लेकिन प्रतिभा पलायन देश की एक प्रमुख समस्या यह है कि कई विदेशी कम्पनियां वैज्ञानिकों को, डाक्टरों को जो देश में शिक्षित हैं, सभी को ऊंची तनख्वाह देकर विदेशों में जाने के लिए आकर्षित करती हैं। क्या सरकार प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए यह अनिवार्य करेगी कि कुछ समय तक वैज्ञानिकों, डाक्टरों और टेकनिशियन्स को भारत में ही काम करना पड़ेगा क्योंकि देश का बहुत सा पैसा उनकी शिक्षा-दीक्षा पर खर्च होता है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन्, इस प्रकार की व्यवस्था पहले ही भारत में है। हमने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे नये-नये काम शुरू किए हैं जैसे बायो-टेक्नॉलाजी, इलेक्ट्रानिक्स स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और अन्य क्षेत्रों में भी काम चालू है। हमें ऐसा लगता है कि उन क्षेत्रों में हमारे

यहां के रहने वाले साइंटिस्ट पूरा हिस्सा लेकर काम करेंगे। इसके अलावा दूसरी भी सुविधायें देने का प्रयोजन किया है।

श्रीमती माधुरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगी कि गल्फ कंट्रीज, मिडिल-ईस्ट, यू० के० और फ्रांस में कई डाक्टर और टेकनिशियन्स कार्यरत हैं। वहां की ऑर्डनन्स फैक्ट्रीज में भी वह कार्य कर रहे हैं। क्या उन्होंने देश में आने की इच्छा जाहिर की है यदि हां तो उन्होंने प्रमुख रूप से कौन सी सुविधायें प्राप्त करने की मांग की है, क्या सरकार ने उन्हें वह सुविधायें देने का आश्वासन भी दिया है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन, दूसरे देशों में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको यहां हमारे देश में क्या हो रहा है, उसके बारे में अधिक प्रमाण पर मालूमात कराये हैं। उन्होंने यहां आने की इच्छा भी प्रकट की है। हमने उनको यहां आने पर सुविधाएं देने की भी व्यवस्था की है। उन्हें यह बताया गया है कि अगर वह यहां आयेंगे और कोआपरेटिव बेसिज पर इंजीनियर या अन्य कोई फैक्ट्री लगाना चाहेंगे तो एक उन्होंने खर्च किया तो तीन गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा यानि कि 1:3 प्रपोशन पर कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अन्य सुविधायें जैसे जगह का कम किराया लेना, आक्टराय से उनको सहूलियत देना, सेल्स टैक्स से सहूलियत देना आदि यह सब देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री टी० बशीर।

श्री टी० बशीर : महोदय, हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में रह रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री 21 वीं सदी के भारत के बारे में सोचते हैं। जब विपक्ष सत्ता में था, वह देश को पीछे ले जा रहा था।

(व्यवधान)

जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो उन्हें बडा गुस्सा आता है। राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को सर्वाधिक महत्ता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आयोजन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जनशक्ति के अर्थव्यवस्था के विकास में उपयोग में अन्तर है। प्रतिभा-पलायन इसका एक प्रमुख उदाहरण है।

अध्यक्ष महोदय : कल ही मैंने बताया था और फिर आज पुनः आप वही तरीका अपना रहे हैं।

श्री टी० बशीर : यह स्पष्ट उदाहरण है। आश्रितों का प्रतिशत, विशेषतया कंप्यूटर विज्ञान जैसे क्षेत्रों में, काफी अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : बशीर जी यदि आप प्रश्न नहीं पूछ रहे तो मैं आप को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री टी० बशीर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं.........

एक माननीय सदस्य : प्रतिभा पलायन

(व्यवधान)

श्री टी० बशीर : क्या सरकार का उन वैज्ञानिकों द्वारा जो विदेश जाना चाहते हैं, एक निर्धारित अवधि के लिए, अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा किए जाने का प्रस्ताव है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह प्रस्ताव किया गया था। लेकिन इस समस्या के प्रति हम काफी जागरुक हैं और इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट किया था। हम यह चाहते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीकार विदेशों में हैं, वह ज्ञान प्राप्त करें और स्वदेश लौट आएं। उनका बहुत अधिक स्वागत किया जाएगा। अगर वह वापिस आएंगे तो हम उन्हें समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ वैज्ञानिक और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं और संसार में हो रही नई घटनाओं से परिचित होना चाहते हैं तो प्रश्न यह है कि क्या हमें उन्हें इसके लिए विदेश जाने से रोकना चाहिए। हमें इन दोनों ही के बीच संतुलन रखना है और इसी संतुलन के द्वारा हमने उन्हें जाने दिया है और साथ ही हम ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वह वापिस आएं।

श्री तम्पन थामस : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सरकार की जानकारी में है कि सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष होने के कारण प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिनका खासा नाम है, जैसे कि बी० ए० आर० सी० के निदेशक, वह प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त राष्ट्र संघ जाते हैं और वहां से किसी अन्य देश में चले जाते हैं। इस संदर्भ में मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह इन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के मामले में, सेवा-निवृत्ति की आयु में छूट देंगे जिससे कि वह देश में सेवा कर सकें।

श्री शिवराज वी० पाटिल : वास्तव में तो हम वैज्ञानिकों को न केवल 58 वर्ष की आयु तक अपितु इसके बाद भी सेवा करने की अनुमति दे रहे हैं तथा उन द्वारा 56 साल की उम्र में नौकरी छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि 56 की उम्र में नौकरी छोड़कर वह किसी दूसरे देश में चले जाते हैं। अगर ऐसा कोई एकाध मामला होगा तो हम उसे देखेंगे। हमारी मंशा यही है कि इन वैज्ञानिकों को सबसे ऊपर रखा जाए और युवा वैज्ञानिकों को भी लिया जाए। चूंकि युवा वैज्ञानिक नई बातों से भली भांति परिचित हो जाते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में वह काफी सहायक होते हैं। हमारा दृष्टिकोण यह है कि उन वैज्ञानिकों को लिया जाए जो अभी युवा हैं और साथ ही उन वैज्ञानिकों को भी रखा जाए जिनमें असाधारण प्रतिभा है, एक निश्चित आयु के पश्चात् उन्हें निकाल बाहर न किया जाए।

डा० चिंता मोहन : माननीय प्रधान मंत्री ने, 15 जून को, अमरीका की इंडियन नेशनल कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था "हम आप को प्रोत्साहित करेंगे और देश वापिस ले जाएंगे।" इस समय, मैं प्रधानमंत्री की जानकारी में यह लाना चाहूंगा कि आन्ध्र प्रदेश के एक युवा वैज्ञानिक जिसने कम्प्यूटर के सिलीकान चिप के लिए "थर्ड आई" का आविष्कार किया था, को मिचिगान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरगण परेशान कर रहे हैं। वह प्रधानमंत्री से मिलने आये थे, लेकिन उनसे मिल नहीं सके।

मैं यह अनुरोध करता हूं कि वह इसमें हस्तक्षेप करें और इस युवा वैज्ञानिक के लिए कुछ करें।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह एक व्यक्ति विशेष का मामला है और अगर हमें इसके विवरण दिए जाते हैं तो हम इसकी जांच करेंगे।

लहसुन का चिकित्सकीय महत्व

* 5'5. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन, अमरीका आदि जैसे पश्चिमी देशों में फंगस (फफूंद) और अन्य प्रकार के रोगों के उपचार के लिए लहसुन को महत्व दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पांचवें दशक में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की लाहौर में स्थित प्रयोगशाला ने सर्वप्रथम लहसुन का चिकित्सकीय महत्व स्थापित किया था और प्रतिजीवी (एंटिबायोटिक) सम्मिश्रण पृथक किया था;

(ग) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्/भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा इसके संबंध में नियंत्रित क्षेत्र-परीक्षण करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है ।

विवरण

(क) जी हां, इस संबंध में समाचार पत्र में सूचनाएं हैं ।

(ख) चौथे दशक में, सी० एस० आइ० आर० के० एस० सिद्धकी, एन० एल० दत्ता और ए० कृष्णमाचारी ने लहसुन का सुव्यवस्थित अन्वेषण किया था और प्रभाजन और विभाजन द्वारा सक्रिय नियम अलग किए गए थे । दो विशेष सक्रिय पदार्थ एक स्टाफी लोकोक्कस और बी० कोली के विरुद्ध समान सक्रिय और दूसरा स्टाफी लोकोक्कस के विरुद्ध अधिक सक्रिय अलग किए गए थे ।

(ग) जी, हां ।

(घ) उठाए गए चरण हैं :—

(1) वर्ष 1957, 1958 और 1960 में लहसुन के जीवाणु रोधी और फफूंद रोधी गुणों और इसके नियमों पर सी० एफ० टी० आर० आइ० (सी० एस० आइ० आर०) में अन्वेषण किया गया था। लहसुन के सक्रिय नियम ग्रैम ग्राही, ग्रैम अग्राही और अम्ल स्थायी (एसिड फास्ट) जीवों (ओरगेनिजमों) और खमीरों और फफूंदी (मोल्डस) के विकास में भी अंतरानिरोधी है । लहसुन के अन्य गुण हैं—अनेकों उपापचयी एन्जाइम नियंत्रण हाइपोग्लाइसीमिक सक्रियता ब्लड कैल्सियम संवृद्धि प्रति सन्धिशोध सक्रियता प्राणी प्रयोगों के बाद लहसुन के बहुत सारे प्रभावों का पता चला है परन्तु अन्तिम मिर्णय लेने के लिए अभी और अधिक जांच पड़ताल की आवश्यकता है ।

(2) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू (सी० एस० आइ० आर०) द्वारा कोलेस्टेरॉल अवनमन सक्रियता हेतु लहसुन के उपयोग पर अध्ययन किया गया । इन परीक्षणों के परिणाम स्वरूप एक भारतीय औषध निर्माता को इसकी तकनीकी जानकारी दी गई है ।

(3) आइ० सी० एम० आर० द्वारा किए गए अध्ययन ने यह बताया कि रोगजनक फन्गी के 25 पौधों पर लहसुन प्रतिफफूंद सक्रियता दर्शाती है ।

(4) आइ० सी० एम० आर० द्वारा मनुष्यों पर किए गए चिकित्सीय अध्ययन से यह जानकारी प्राप्त हुई कि 10 से 20 दिन तक फंगसविक्षत त्वचा पर लहसुन से निकाले गए पानी का दो बार स्थानतः प्रयोग करने से त्वचा विक्षति समाप्त हो जाती है ।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : अध्यक्ष महोदय, लहसुन नामक इस अद्‌भुत जड़ी में ···(**व्यवधान**)···

श्री चटर्जी लहसुन पसंद नहीं करते ।

इस अद्‌भुत जड़ी के गुण एकदम स्पष्ट हैं जैसा कि उत्तर में भी बताया गया है । लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उपयोग औषधिके रूप में कोलेस्ट्रल के लिए ही किया जाता है जो कि उच्च वर्ग की समस्या है न कि बहुसंख्यक जनता की । अगर इसका उपयोग वास्तव में औषधि के रूप में विशेषतया मोटेबोलिक एंजारम्स, हाइपोग्लाइसिमिक एक्टीविटी, रक्त केल्शियम में वृद्धि करने आदि समस्याओं के लिए किया जाए जिसका सामना हमारे देश की जनता कर रही है तो कैसा रहेगा ।

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह कब लहसुन का सही रूप से, बहुत सी बड़ी बीमारियों के लिए उपयोग करने जा रहे हैं अथवा क्या इसका उपयोग केवल अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं तक ही सीमित रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्या लहसुन का इस्तेमाल कुछ गलत रूप से भी हो सकता है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : जो लोग गांवों में रहते हैं और गरीब हैं, वह लहसुन के गुण अच्छी तरह जानते हैं । सामान्यतः वह प्याज और लहसुन का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार वह इसका प्रयोग पेट की बीमारियों और अन्य रोगों के लिए करते हैं । लहसुन में जो गुण विद्यमान हैं उनसे पेट के रोगों में कुछ राहत मिलती है और जहां तक संभव होगा हम इसे लोगों तक ले जाएंगे ।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि वह ऐसा कब करेंगे क्या यह एलोपेथिक के अन्तर्गत किया जाएगा अथवा आयुर्वेदिक के । मंत्री जी ने पहले पूरक प्रश्न के उत्तर में शायद आयुर्वेदिक कहा है परंतु मूल विवरण में एलोपैथिक कहा गया है । उनका तात्पर्य किस बात से है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : बात एक ही है, कुछ भी कह लो । लहसुन के गुण तो वही रहेंगे । इस समय इसका उपयोग एलोपैथिक की जगह आयुर्वेदिक दवा के रूप में किया जा रहा है ।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : हमारे देश में लहसुन का कुल कितना उत्पादन होता है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको इसकी कमी है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं कृषि विभाग से इस बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा ।

श्री सी० पी० ठाकुर : महोदय, आयुर्वेद में लहसुन के बहुत से गुण बताए गए हैं लेकिन अब तक वैज्ञानिक रूप से कोई जांच नहीं की गई । किसी भी औषधि के बाजार में आने से पहले इसकी कई चरणों में जांच की जाती है । क्या मंत्री महोदय लहसुन पर प्रयोग किए जाने के आदेश देंगे ? जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, बाजार में औषधि के रूप में आने से पूर्व

इस पर विभिन्न चरणों में प्रयोग किए जायेंगे। क्या आयुर्वेदिक दवा में बताए गए कुछ गुणों के अनुसार इसका बाजार में बेचा जाना उपयुक्त है? इसकी विभिन्न चरणों में जांच की जानी चाहिए। क्या मंत्री महोदय इस प्रकार चरणों में जांच कराएंगे जिससे कि लहसुन दवा के रूप में बाजार में लाई जा सके।

श्री शिवराज वी० पाटिल : किसी भी दवा को बाजार में लाने के लिए अलग-अलग मानदंड हैं। एलोपैथिक दवा के बाजार में आने के मानदंड कुछ कड़े हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के मानदंड कुछ अलग इसलिए हैं चूंकि सामान्यतः वह जड़ी-बूटियों से बनाई जाती हैं। जहां तक इस दवा का संबंध है, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू कश्मीर में इस बारे में कुछ प्रयोग किए गए हैं और उन्होंने लहसुन की गोलियों के बारे में टेक्नालोजी प्रस्तुत की है। उन्होंने इसे 'गार्लिक पर्ल्स' नाम दिया है और यह बाजार में आयुर्वेदिक दवा के रूप में बेची जाती हैं। लेकिन, ऐसा करने से पहले उन्होंने इस दवा पर इस प्रकार से प्रयोग किए हैं जैसे कि किए जाने चाहिएं।

[हिन्दी]

आदिवासी उप-योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए तंत्र

* 517 **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ किए गए आदिवासी उप-योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत किए गए कार्यों का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उसके लिए केवल धन उपलब्ध कराने की बजाय आदिवासी उप-योजना के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए एक पृथक तंत्र स्थापित करने का सरकार का विचार है?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित कार्य दल ने छठी योजना के कार्यक्रमों की समीक्षा की थी। इसने कहा था कि योजना अवधि के दौरान अन्य कार्यक्रमों के साथ गरीबी की दशा से ऊपर उठने के लिए परिवाराभिमुखी कार्यक्रमों, संरक्षणात्मक और शोषण विरोधी कानूनों के कार्यान्वयन, जन जातीय क्षेत्र के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था किए जाने पर बेहतर ध्यान दिया गया है। इसके द्वारा देखी गई महत्वपूर्ण खामियों में प्रति परिवार दी गयी सहायता की अपर्याप्त मात्रा थी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधी-साधी भाषा में था। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता था, 38 सालों की आजादी के बाद भी, काफी रुपया खर्च करने के बाद भी अगर ज्यादा लोग पिछड़े हुए हैं, तो आदिवासी ही पिछड़े हुए हैं। गरीबी की रेखा से नीचे हैं, तो सबसे ज्यादा आदिवासी ही लोग हैं। अगर कोई एजेंसी में या ठेकेदार के यहां काम करता है, वहां शोषण होता है, तो आदिवासियों का होता है। उनको बन्धक बनाकर रखा जाता है। बैंकों में ऋण की बात है, तो आदिवासियों के नाम पर ऋण ले लिया जाता है, उनका अंगूठा लगाया जाता है। इतना रुपया खर्च करने के बाद भी जो परिणाम हम चाहते थे,

आदिवासियों की तरक्की के लिए, वे हम प्राप्त नहीं कर पाए। इसके अलावा सरकार ने माना है कि विकास से संबंधित कार्यदल ने कार्यक्रमों की समीक्षा की और उसमें पाया कि खामी है। अगर खामी है, तो सरकार क्यों एजेंसी बनाकर इसको दूर करने की कोशिश नहीं करती ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : अध्यक्ष जी, जहां तक अलग से मशीनरी बनाने का सवाल है, तो छठी पंचवर्षीय योजना में टी०एस०पी० बनाया गया था, जिसको ट्राइबल सब-प्लान कहते हैं। इसके अन्तर्गत ट्राइबल डवेलपमेंट ब्लाक्स में अलग से प्रोजेक्ट आफिसर्स हैं, उनका छोटा आफिस होता है, जो ब्लाकवाइज सारे कामों को देखता है, जिसके द्वारा ट्राइबल एरियाज के डवेलपमेंट का काम होता है। इसमें दो तरह के ब्लाक्स हैं, एक तो वे जहां ज्यादा इकठ्ठे लोग रहते हैं और दूसरे मोडिफाइड एरिया डवेलपमेंट एप्रोच जिसमें कुछ पाकेट्स होते हैं। ऐसे 245 क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके अन्दर अभी प्रोग्राम होना है। इसके अतिरिक्त स्पेशल एसिस्टेंस की बात है। सरकार समय-समय पर फाइनेंशियल इन्स्टीच्यूट्स के माध्यम से ट्राइबल एरियाज में मदद करती है। इसलिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करके मशीनरी बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। अलग से ध्यान देने की बात तो है, लेकिन अलग से कोई मशीनरी बनाने की बात नहीं है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने बताया है कि ट्राइबल सब-प्लान बनाया है, लेकिन सारा का सारा काम राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया है। कोई ट्राइबल अथारिटी बनी, जो आफिसर काम नहीं करता है, उसको वहां पोस्ट कर दिया। इस प्रकार ट्राइबल डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा शोषण का माध्यम बना हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि जो दिल से सेवा करना चाहते हैं, उनको वहां पोस्ट करना चाहिए। ऐसी एजेंसी नहीं बनेगी तो ट्राइबल कैसे आगे बढ़ेंगे ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : अध्यक्ष जी, काम जहां पर भी होगा स्टेट में होगा और ट्राइबल पाकेट्स में ही होगा। यदि किसी के माध्यम से किया जाएगा, तो यह प्रश्न उठाया जा सकता है। दिल से कौन काम करता है, कौन नहीं करता है, यह सब देखने के लिए हमारे यहां मौनेटरिंग सैल है। वह समय-समय पर मौनेटरिंग करता रहता है। जहां पर कन्सैन्ट्रेटेड ट्राइबल हैं, हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। कहीं-कहीं पर ट्राइबल मिनिस्टर इंचार्ज हैं। वे इस कमेटी के माध्यम से इन सब कामों को देखते हैं, जो कि ट्राइबल एरियाज में होने चाहिए। यदि कहीं पर ढिलाई है, काम नहीं हो रहा है या ट्राइबल क्षेत्र के लिए जो पैसा दिया गया है, उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो इस सब चीजों को एडवाइजरी कमेटी देखे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उपयोजना कार्यक्रम केवल एकीकृत आदिवासी विकास खंडों (आई०टी०डी०) या एकीकृत आदिवासी विकास खण्ड गांवों (आई०टी०डी०बी०) में ही कार्यान्वित किए गये हैं, एकीकृत आदिवासी विकास खण्डों में केवल 45 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या है और 55 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या इससे वंचित रह गई है। उन्हें इस कार्यक्रम का लाभ नहीं मिला है। देश में सभी आदिवासियों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए क्या

सरकार का विचार एकीकृत आदिवासी विकास खंड क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी यह कार्यक्रम लागू करने का है।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : सरकार इसे पहले ही लागू कर चुकी है और जैसाकि मैंने पहले कहा था कि 240 'मोडिफाइड एरिया डवैलपमेंट एप्रोच' पॉकेटों का पता लगाया गया है। इसके अतिरिक्त 20 नई मूल आदिम जातियों का पता लगाया गया है। एकीकृत आदिवासी विकास खंडों और 'मोडिफाइड एरिया डवेलपमेंट एप्रोच' क्षेत्र द्वारा 65-75 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनसंख्या को सीधे लाभ मिलेगा। मैं पहले भी कह चुकी हूं कि जहां आदिवासी छितरे हुए बसे हैं उन्हें भी इसके अन्तर्गत लाया जाएगा।

श्री शरत देव : आदिवासियों के लिए उपलब्ध की गई विशेष धनराशि के अतिरिक्त राज्यों की वार्षिक योजनाओं से भी कुछ धनराशि आदिवासियों के विकास पर खर्च की जा रही है, मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में विभिन्न राज्यों में इस बात का पता लगाने के लिए क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है कि आदिवासियों के उत्थान पर इतनी भारी धनराशि खर्च करने के बावजूद भी छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य के स्तर पर वे क्यों नहीं पहुंच पाए हैं।

दूसरे क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के लिए दी गई धनराशि को राज्यों द्वारा अन्य कार्यों पर खर्च किया जा रहा है और इसके लिए केन्द्रीय सरकार की उपयुक्त मंजूरी भी नहीं ली जाती है? इस संबंध में मैं विशेषकर उड़ीसा के बारे में जानना चाहता हूं।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : समय-समय पर विभिन्न सर्वेक्षण किए गए हैं। हमारे निगरानी कक्ष के अतिरिक्त राज्य सरकारें भी इन सब बातों पर नजर रखती हैं। यदि माननीय सदस्य छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययनों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको यह बताती हूं कि विभिन्न राज्यों में, जिनमें उड़ीसा भी शामिल है, आदिवासी कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर 4-5 समितियां नियुक्त की गई थीं।

(व्यवधान)

श्री शरत देव : मैं विशेषकर उड़ीसा राज्य में अन्य कार्यों पर धनराशि खर्च करने के बारे में जानना चाहता हूं।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

बंगलादेश के साथ की सीमा पर बाड़ लगाना

*518. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए बंगलादेश के साथ लगने वाली सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इसके संबंध में किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) सड़क आदि के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य शीघ्र ही पुनः शुरू किया जाना है।

(ख) कोई समस्यायें सामने नहीं आई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : असम समझौते में कटीले तारों की बाड़ लगाने की व्यवस्था है। कई महीने गुजरने के बाद भी इस संबंध में कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई है? इसके अतिरिक्त क्या यह सच नहीं है कि मार्च, 1984 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कंटीले तारों की बाड़ लगाने संबंधी सर्वेक्षण और निर्माण कार्य शुरू किया था और बाद में इसे बंद कर दिया गया? यह कार्य अब तक पुनः शुरू क्यों नहीं हुआ है और इसके क्या कारण हैं।

श्री अरुण नेहरू : माननीय सदस्य को गलत सूचना मिली है। काफी बड़े पैमाने पर कार्यवाही की गई है। दो महीने पहले हमने असम के मुख्यमंत्री से विस्तृत रूप से बातचीत की थी, जिसमें इस बात का संकेत दिया गया था कि यदि हमें घुसपैठ को प्रभावशाली ढंग से रोकना है तो केवल कंटीले तारों की बाड़ से ही काम नहीं चलेगा। यदि हमें घुसपैठ को रोकना है तो बेहतर निगरानी रखने के लिए हमें असम की सीमा पर सड़कों का निर्माण और आवश्यक मूलभूत व्यवस्था करनी पड़ेगी।

जो हमने कहा उसे असम के मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया। हमने एक शक्तिशाली समिति गठित की है। हमने कार्यक्रम तैयार कर लिया है और गृह मंत्रालय का एक दल इसी महीने कुछ ही दिनों में इस मामले में असम सरकार से आगे बातचीत करने के लिए असम जा रहा है। हम इसी महीने सड़कों के बारे में सर्वेक्षण कार्य शुरू कर देंगे। जब हम सड़कों का सर्वेक्षण कार्य शुरू करेंगे तब असम सरकार से 202 कि०मी० लम्बी सीमा पर विभिन्न किस्म की बाड़ों के बारे में बातचीत करेंगे।

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : असम समझौते की मद 9 (एक) में कंटीले तारों की बाड़ लगाने की व्यवस्था है। मद 9 (2) में सड़क निर्माण की व्यवस्था है। और ये दोनों बातें असम समझौते में निहित हैं। अतः मन्त्री महोदय द्वारा यह कोई नया प्रस्ताव नहीं रखा गया है जिसके बारे में असम के मुख्यमंत्री से बातचीत की जा रही है। जब यह समझौते में दिया हुआ है जो 15 अगस्त, 1985 को हुआ था, तो कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं? क्या यह सच नहीं है कि वर्ष 1985-86 के बजट में लगभग 2.5 करोड़ रुपए सड़क बनाने और 2.5 करोड़ रुपए कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए आवंटित किए गये थे? अब तक यह क्यों नहीं बनाई गई है? क्या इस वर्ष इस प्रयोजन के लिये कोई धनराशि आवंटित की गई है।

श्री अरुण नेहरू : माननीय सदस्य इस बात को पुनः दोहरा रहे हैं कि असम समझौता हुआ है और उसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। मैं पुनः यह कहता हूं कि यह वक्तव्य बिल्कुल गलत है। हमने पर्याप्त कार्यवाही की है। सड़क और बाड़ के अतिरिक्त सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा निगरानी बढ़ाने की भी हमने योजना बनाई है; हमने सीमा चौकियों की संख्या बढ़ाई हैं, बटालियनों की संख्या बढ़ाई है और इसके लिए एक व्यापक योजना बनाई है। अब आप यह नहीं कह सकते कि 15 तारीख को आपने यह किया था और 20 तारीख को यह किया जाना चाहिए। इन सब कार्यों में कुछ समय लगेगा। जब हम यह कह रहे हैं कि इस महीने हम यह

कार्य शुरू कर रहे हैं तो मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं। धनराशि की कोई कमी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई सर्वेक्षण किया जा चुका है। भारत और बंगलादेश के बीच सीमा पर कुछ राज्य विहीन भूमि है और कुछ गांव इससे प्रभावित हो सकते हैं। यदि गांव प्रभावित होते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन गांवों के लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री अरुण नेहरू : प्रश्न पूरी तरह से मेरी समझ में नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : वे कह रहे हैं कि कुछ गांवों के मामले में कुछ समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं। इन गांवों के बारे में क्या विचार है ?

श्री अरुण नेहरू : इस मामले पर असम के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। हमने सीमा विकास कोष बनाया है। इस संबंध में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। वास्तव में, जब हमारा दल गुवाहाटी जाएगा तो हम अपेक्षित क्षेत्र के लिए भूमि अर्जन के बारे में भी बातचीत करेंगे।

श्री जी०जी० स्वैल : महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि केवल बाड़ लगाना ही इसका समाधान नहीं है। नदी मार्ग भी हैं जहां बाड़ नहीं लगाई जा सकती। ये बाड़ और खम्बों को उखाड़ देगी। उस वन क्षेत्र में पेशेवर चोर इस बाड़ को काट देंगे। अतः इन बातों को ध्यान में रखकर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय अनेक लोगों के इस दृष्टिकोण पर विचार किया है कि पूरी योजना निरर्थक साबित होगी।

श्री अरुण नेहरू : बाड़ के बारे में हमने अपनी आशंका व्यक्त कर दी है और बाड़ लगाने से ही वहां समाधान नहीं, हो जाएगा। जब तक सुरक्षा सेनाएं वहां नहीं पहुंचतीं, उस क्षेत्र पर निरन्तर निगरानी नहीं रखी जाती, यहां निगरानी चौकियां नहीं बनाई जातीं, उस क्षेत्र की निगरानी के लिए सीमा चौकियां नहीं बनाई जाती, तब तक केवल बाड़ लगाने से इस समस्या का ममाधान नहीं होगा। इसलिए हमने असम मेघालय सीमा के साथ बाड़ लगाने के लिए बड़ी योजना तैयार की है। परन्तु इसके लिए हमें पहले मूलभूत व्यवस्था करनी होगी। यदि हम सीमा सुरक्षा बल द्वारा निगरानी रखे जाने के लिये सड़क बनाने से पहले बाड़ लगा देते हैं तो कोई भी व्यक्ति अन्दर आ सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : अनुपूरक प्रश्न चाहे कोई भी हो, उसका उत्तर एक ही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह रामबाण है।

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि पिछले बजट में बाड़ के लिये आवंटित की गई धनराशि अब तक खर्च क्यों नहीं की गई और क्या यह सच है कि असम के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के दौरान इस बात की स्वीकृति प्रदान की गई थी कि असम लोक निर्माण विभाग सर्वेक्षण कार्य कर सकता है, परन्तु बाद में केन्द्रीय सरकार ने उस अनुमति को वापस ले लिया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, क्योंकि इसकी वजह से असम

के लोगों में अनेक आशकायें इस प्रकार की उत्पन्न हुई हैं कि सरकार बाड़ या सड़क निर्माण को गम्भीर रूप से नहीं ले रही है।

श्री अरुण नेहरू : हमने असम सरकार से अनुरोध किया है और वास्तव में हमने उनसे कहा है कि जैसे ही हम अनुमति देते हैं हम यह कार्य असम लोक निर्माण विभाग को सौंप देंगे। यह कायम रहेगा। परन्तु वास्तव में हुआ यह है कि हमारे से सूचना भेजने से पहले ही असम सरकार ने सर्वेक्षण शुरू कर दिया था। हमने उन्हें सूचित नहीं किया था क्योंकि इस मामले पर हम बांगलादेश के अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे थे। परन्तु अब एक दल जाएगा और जब भी कार्य शुरू होगा यह असम लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। माननीय सदस्य ने पूछा है कि आवंटित धनराशि को पहले क्यों नहीं खर्च किया गया।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर देने से बच रहे हैं।

श्री अरुण नेहरू : ऐसा नहीं है, मैं प्रश्न का उत्तर देने से नहीं बच रहा हूं; मैं यह कह रहा हूं कि काम शुरू होगा। प्रश्न का उत्तर देने से मैं किस प्रकार बच रहा हूं ?

श्री अमल दत्त : वर्ष 1984 में एक समस्या उत्पन्न हुई थी। क्या उसका समाधान कर दिया गया है ?

श्री अरुण नेहरू : एक समस्या थी और इसी वजह से हम बांग्लादेश अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। हम इसका समाधान करेंगे।

श्री विनेश गोस्वामी : आप इस बात का उत्तर दे रहे थे कि धनराशि क्यों नहीं खर्च की गई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की योजना

*519. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 वर्षों की सेवा के पश्चात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के संबंध में कोई योजना तैयार की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वी०एस० विजयराघवन : मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अन्तर्गत कितने कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए हैं और क्या सरकार ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के परिणामस्वरूप हुई बचत का कोई आकलन किया है ?

श्री पी० चिदम्बरम : विभिन्न संवर्ग नियंत्रक अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का अधिकार दिया गया है। इस बारे में पहले प्रश्न का नोटिस दीजिए। मुझे सेवा निवृत्त हुए व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र करनी पड़ेगी।

श्री वी०एस० विजयराघवन : मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का विचार वर्तमान योजना को बेहतर बनाने का है ताकि सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति अधिक आकर्षक बन जाए; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

श्री पी० चिदम्बरम : यह नई योजना अगस्त, 1977 में शुरू की गई थी। योजना शुरू होने के बाद इसे और उदार बनाया गया और अब हम अनुमति अथवा बिना अनुमति के सेवा निवृत होने वाले कर्मचारी को पांच वर्ष की अधिक सेवा का लाभ दे रहे हैं। योजना को उदार बनाया गया है। यह योजना 9 वर्षों से चल रही है। इसे और अधिक उदार बनाने का अब कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री के०एस० राव : आम तौर पर यह देखा गया है कि अधिकांश व्यक्ति जो शिक्षा संस्थानों से निकलकर आते हैं अथवा स्नातकोत्तर डाक्टरेट हैं अथवा कुछ और हैं, उनमें अपनी प्रतिभा के आधार पर जीवन-यापन करने का विश्वास नहीं है। इसलिए ऐसे अधिकारियों को प्रोत्साहन देना बेहतर होगा जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होते हैं। निश्चित रूप से उन्हें केन्द्रीय सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसलिए क्या सरकार उन्हें उद्योग लगाने अथवा अपने स्वय के उद्यम स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय सहायता अथवा कुछ रियायतें प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ अतिरिक्त सुविधायें अथवा कुछ प्रोत्साहन देने के बारे में सोच रही है ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मेरे विचार से मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

"अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह का विकास"

*521. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में वनों की सफाई के बारे में पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्तमान नीति के कारण अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के विकास और गरीबी-निवारण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में रुकावट आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस बारे में क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मनोरंजन भक्त : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय प्रधान मंत्री का रुख हमारे प्रति अनुग्रहपूर्ण नहीं हैं। मुझे उनसे रुचिकर उत्तर की अपेक्षा थी। प्रश्न यह है कि द्वीप समूह क्षेत्र की समस्याएं भिन्न प्रकार की हैं, वे देश के अन्य भागों की समस्याओं से भिन्न हैं। इस द्वीप समूह में 86 प्रतिशत भूमि वन क्षेत्र है जबकि पूरे देश में लगभग 22 प्रतिशत भूमि वन क्षेत्र है।

एक माननीय सदस्य : 13 प्रतिशत भूमि ही वन क्षेत्र है।

श्री मनोरंजन भक्त : यह मनगढ़न्त आंकड़े हैं। यदि आप अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वन और पर्यावरण मंत्रालय के इस रवैये के कारण हमारे सारे विकास कार्यक्रम में बाधा पहुंच रही है। अभी-अभी मंत्री महोदय ने कहा कि प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

मैं उनसे एक बहुत आसान सवाल पूछता हूं। क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण अंदमान में मिलेतिलक नाम का एक गांव है जहां राजस्व अधिकारियों ने ग्रामवासियों को भूमि आवंटित की थी तथा ग्रामवासियों को भूमि काश्तकारी नियमों के अंतर्गत उक्त भूमि पर कब्जा मिला था ? परन्तु इसके बाद वन विभाग ने दावा किया कि यह भूमि उनकी है और वन के लिए आरक्षित है। और ग्रामवासियों को उस भूमि से बेदखल होना पड़ा। इसलिए कोई गरीबी-निवारण योजना लागू नहीं की जा सकी।

श्री शिवराज वी० पाटिल : सरकार द्वारा दिया गया उत्तर बिल्कुल सही है और मैं कहूंगा काफी रुचिकर है क्योंकि विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से द्वीप समूह के विकास में कोई बाधा नहीं पहुंच रही है। जहां तक कुछ द्वीप समूहों में कुछ व्यक्तियों के पुनर्वास का सम्बन्ध है, तो मैं यह जानकारी दे सकता हूं कि विभाग के ध्यान में लाए गए चार मामलों में से तीन मामलों को पहले ही निपटा दिया गया है। जहां तक इस विशेष मामले का प्रश्न है, तो इस बारे में मैं जानकारी एकत्र करके आपको बताऊंगा। परन्तु इस प्रकार के मामलों के लिए पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा पीने के पानी, पुनर्वास, विकास तथा ऐसी सभी बातों के लिए स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है। परन्तु हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि अंदमान और निकोबार द्वीप समूह मूल्यवान वन सम्पदा से भरपूर हैं। और यदि हम उस मूल्यवान वन सम्पदा का प्रयोग करें तो ऐसा करने से वहां का विकास हो सकता है। परन्तु यदि हम बहुमूल्य वन सम्पदा को नष्ट करते हैं तो विकास नहीं हो सकता। हम उस क्षेत्र के विकास के लिए मत्स्य पालन जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : अभी-अभी जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हम वनों को नष्ट करने के पक्ष में नहीं हैं। परन्तु यदि हम वहां रहने वाले व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखें तो फिर मेरे विचार से वन का रख-रखाव जनता के लिए लाभदायक नहीं सिद्ध होगा। निर्धन वर्गों के लोगों को मकान बनाने के लिए स्थान प्रदान करने का कार्यक्रम है। परन्तु कुछ क्षेत्र में आवास-स्थलों के लिए कोई राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है। आवास स्थल प्रदान करने के लिए कुछ भूमि को अनारक्षित करना पड़ेगा। यदि मंत्री महोदय अब यह कहें कि उन लोगों को समुद्र में बसाया जाना है, तो यह बात तो असम्भव है। इसीलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री से एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि इस समय देश में मरुस्थल विकास सूखा प्रवण क्षेत्र विकास, पर्वतीय क्षेत्र विकास आदि के लिए अनेक कार्यक्रम हैं। क्या प्रधान मंत्री द्वीप वासियों की आवश्यकताओं को देखते हुए द्वीपसमूह के लिए एक विशेष विकास कार्यक्रम बनाने पर विचार करेंगे और यह देखेंगे कि इस नीति के कारण विकास में बाधा न पहुंचे ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : हम इस पर पहले ही विचार कर रहे हैं और ऐसा किए जाने वाला है।

श्री शांताराम नायक : यह ठीक है कि पर्यावरण की रक्षा करनी है और अपनी वन संपदा को भी बचाना है। परन्तु सिंचाई परियोजनाओं के मामलों तक में भी जहां वनों को काटना पड़ता है परन्तु परियोजना के कार्यान्वयन के बाद हरियाली लगा दी जाती है, आपका मंत्रालय

ऐसे वनों की कटाई पर आपत्ति कर रहा है। क्या आप इस नीति की, जहां तक कम से कम सिंचाई परियोजनाओं का सम्बन्ध है, पुनरीक्षा करेंगे ? गोवा में यह हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : भारत सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है। हमें इस बात का अहसास है कि वहां वन रहेंगे और साथ ही सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है। सरकार की नीति यह है कि यदि सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है तो सरकार उस स्थान पर अथवा उसके आस-पास अथवा उपलब्ध स्थान पर उतनी ही संख्या में अथवा उसके कुछ अधिक संख्या में पेड़ लगाएगी। ऐसा करने का हमारा उद्देश्य वनों का संरक्षण करना है। नहीं तो, यदि वन नहीं होंगे तो चाहे हम बांधों का निर्माण करें परन्तु वर्षा नहीं होगी और तालाब में पानी नहीं रहेगा। और वह सिंचाई प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। अंततः वर्षा का होना आवश्यक है। हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी।

भगवानपुर-नन्दीग्राम जल निकासी योजना

*522. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार से मिदनापुर जिले में भगवानपुर-नन्दीग्राम जल निकासी योजना के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ग) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के जरिए।

(ख) और (ग) योजना आयोग को गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से सूचना प्राप्त हुई है जिसमें यह बताया गया है कि राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने इस स्कीम का अनुमोदन कर दिया है, और उन्हें इस बारे में राज्य सरकार से 24 मार्च, 1986 को सूचना प्राप्त हुई थी।

डा० फूलरेणु गुहा : महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि पहली बार यह योजना कब तैयार की गई थी और इसे मंजूरी मिलने में कितना समय लगा। मैं यह भी जानना चाहूंगी कि इसमें विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार हैं तथा योजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है।

श्री ए० के० पंजा : महोदय, यह योजना तत्कालीन डा० सिद्धार्थ शंकर राय सरकार द्वारा अप्रैल 1976 में तैयार की गई लगती है परन्तु दुर्भाग्यवश राज्य सरकार को इसे अन्तिम मंजूरी देने में दस वर्षों की लम्बी अवधि लगी। प्रश्न के पहले भाग का उत्तर तो यह हो गया। दूसरे का उत्तर यह है कि यह योजना कुल 2.26 करोड़ रुपए की है।

डा० फूलरेणु गुहा : मेरा दूसरा प्रश्न यह है। यदि यह योजना 6 अथवा 7 वर्ष पहले स्वीकृत की गई थी तो स्वीकृत धनराशि से कितना कार्य किया जा सकता था तथा इतने वर्षों तक लोगों को हुए कष्टों के लिए कौन जिम्मेदार है··· (**व्यवधान**)

श्री ए० के० पंजा : महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक सांसद के प्रश्न के सम्बन्ध में संसद सचिवालय से नोटिस प्राप्त होने के बाद ही इस योजना को मंजूरी दी गई। योजना को मंजूरी राज्य सरकार द्वारा दी गई। हमने तुरंत पश्चिम बंगाल सरकार को हमें यह

सूचित करने के लिए है टेलैक्स भेजा कि उन्होंने योजना को मंजूरी देने के मामले में अभी तक क्या किया। इसके बाद ही 24 मार्च को हमें मंजूरी प्राप्त हुई। यदि योजना को पहले मंजूरी दे दी गई होती तो 1982 के मूल्य स्तर पर यह 2.26 करोड़ रुपए की होती। अब उन्होंने योजना को वापस कर दिया है··· (व्यवधान)। मैं आशा करता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार विकास कार्यों के लिए कुछ समय देगी ··· (व्यवधान)। राज्य सरकार द्वारा किए गए विलम्ब के कारण, अब हमारा अनुमान है कि इस पर दुगना खर्चा आएगा।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, भगवानपुर—नन्दीग्राम जल निकासी योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है तथा पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिला बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 1985-86 के दौरान कितनी धनराशि का आवंटन किया है।

श्री ए० के० पंजा : महोदय, जहां तक इस योजना का संबंध है, हमने पूरक पैड तैयार करने के प्रयोजन से राज्य सरकार से पूछा है कि उसने 1985-86 और 1986-87 के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है। ऐसा प्रतीत होता है कि मिदनापुर जिले को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है··· (व्यवधान) इसलिए यद्यपि 20 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदान की गई है··· (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हर बार वे केन्द्रीय सरकार का दोष निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार वहां बिल्कुल असफल रही है··· (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए। ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है। क्या इसमें कुछ असंसदीय है जिसका आप विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री ए० के० पंजा : महोदय, इससे लगता है कि दूसरी ओर बैठे सदस्य चाहते हैं कि विकास कार्य में हुए 10 वर्ष के विलम्ब को नजर अंदाज कर दिया जाए··· (व्यवधान)

मैं यह कह रहा हूं कि (व्यवधान) यद्यपि परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा विभिन्न बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, किन्तु वर्ष 1985-86 में मिदनापुर की परियोजना के लिए, जिसके अन्तर्गत लगभग 12000 हेक्टेयर क्षेत्र आता है, केवल 5 लाख रुपए की राशि ही रखी गई है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे राज्य सरकार की निन्दा कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे यह कैसे कह सकते हे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब लोग बैठ जाइये। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, योजना राज्य मंत्री ने बताया है कि वर्ष 1985-86 में इस योजना के लिए केवल 5 लाख रुपए ही रखे गए हैं।

मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1986-87 के लिए आबंटित राशि शून्य है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा क्यों ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये । आप इसका विरोध कीजिए । कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे हीन भावना से ग्रस्त हैं । इसीलिए बचकाना व्यवहार कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । आप इसका विरोध कर सकते हैं । मैं इसे बुरा नहीं मानता । आप तय कर लीजिए । यह आपका काम है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब लोग बैठ जाइये । मैं बोल रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी की भर्त्सना क्यों करूं ? आप अपना तर्क देकर इसका विरोध कर सकते हैं । आप स्वतंत्र हैं । कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आंकड़े आंकड़े ही हैं । मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां आंकड़े दिए गए हैं । मैं उन्हें नहीं बदल सकता ।

प्रो० मधु दण्डवते : एक मिनट । अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कुछ टिप्पणी की थी । आपने कहा, यदि उन्होंने किसी राज्य के बारे में कोई तर्क दिए हैं, तो आप उनके तर्कों का विरोध कर सकते हैं । आप राज्य संबंधी मामलों पर इस सभा में चर्चा को बढ़ावा ही दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रहा हूं । मेरा कहना यह नहीं है कि इस विषय पर वाद-विवाद किया जाए । वे अपनी ओर से प्रश्न पूछ सकते हैं । मैं उन प्रश्नों के लिए अनुमति दे सकता हूं । बस । वे जानकारी मांग सकते हैं और उन्हें अन्य बातों के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे ।

मैं उन्हें मना नहीं करूंगा । बात यह है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आंकड़े आंकड़े ही हैं ।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपने नियमों का स्वयं ही उल्लंघन किया है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : इस सभा में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है । वे पश्चिम बंगाल के हो सकते हैं, किन्तु वे पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं और इनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप बैठ जाइए । अब मुझे इस बात को स्पष्ट करना पड़ेगा । जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो मुझसे क्या उम्मीद की जा सकती है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं लगातार कह रहा हूं तो आप बैठ क्यों नहीं जाते ? अपना स्थान ग्रहण कीजिए । कुछ तौर तरीके सीखिए । मैं यह कहना चाहता हूं कि···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सभा में कोई प्रश्न पूछा जाता है, यदि मंत्री को उक्त प्रश्न के संबंध में अपेक्षित जानकारी है, तो उसे यह जानकारी देनी पड़ती है । किन्तु मैं किसी की भी बदनामी और निन्दा नहीं चाहता । मैं यह नहीं चाहता मैं केवल यह चाहता हूं । यदि विपक्ष में बैठे मेरे मित्र, किसी अन्य परियोजना के विकास के बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो उसे तत्संबंधी जानकारी देनी होगी । यह बहुत आसान बात है ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, किसी परियोजना विशेष के लिए अलग रखी गई आबंटित राशि के बारे में एक आसान प्रश्न पूछा गया था । जानकारी हमारे पास है यह मेरा विश्वास है कि यह जानकारी हमें राज्य सरकार द्वारा दी गई थी और यदि यह जानकारी हमारे पास है तथा यह राज्य सरकार द्वारा दी गई है, तो हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम यह जानकारी सभा को दें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ।

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं आगे यह कह सकता हूं··· **(व्यवधान)**

महोदय, मैं आपको बता दूं कि यह दलों, अथवा बंगाल अथवा किसी अन्य राज्य का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं उत्तर दूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

श्री राजीव गांधी : महोदय, लगता है कि रक्त चाप बहुत अधिक बढ़ रहा है । शायद हमें वह लहसन और प्याज मिलना चाहिए जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे ।

श्री बसुदेव आचार्य : आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। प्रधान मंत्री जी बोल रहे हैं। आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं ?

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि···

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप एक दल के नेता जैसा बर्ताव कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने जो जानकारी दी है उसके संबंध में कोई बात आपमान जनक नहीं है। (व्यवधान)। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। राष्ट्र के पास प्रत्येक राज्य के लिए योजना है। हमारे पास धनराशि है और हम जैसा आवश्यक समझते हैं उसके अनुसार हमें राशि आबंटित करनी होती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रत्येक राज्य के संबंध में यही स्थिति है।

श्री राजीव गांधी : अवश्य। निश्चय ही आप उसे महत्वपूर्ण नहीं समझते क्योंकि आपने राशि आबटित नहीं की। यह हमारा दोष नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके मंत्री व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गलत क्या है ? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बात गलत है।

श्री राजीव गांधी : महोदय, यदि किसी सरकार विशेष ने किसी परियोजना के लिए कोई भी धनराशि आबंटित नहीं की है, तो यह राज्य परियोजना को महत्वपूर्ण नहीं समझ सकता। (व्यवधान)। स्पष्टतः राज्य सरकार यह महसूस नहीं करती कि यह परियोजना महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम समर्थन नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं विवाद को नहीं समझ सका। कृपया बैठ जाइये। बैठिए। अब, हमें देखना है कि······

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें वहां जाकर लड़ने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? कृपया बैठ जाइये। अपनी सीट पर जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुमार मंगलम जी, यह बहुत बुरी बात है। बैठ जाइये। आप क्या कर रहे हैं ? बैठिए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : यदि वे जाना चाहते हैं, तो जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिए। क्या बैठने की कृपा करेंगे ? मुझे अपनी बात कहने दीजिए। चिल्लाइये मत। समस्या यह है कि आपको समझना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी, कृपया बैठ जाइये। मैं एक बात कहना चाहता हूं।

यदि किसी राज्य के बारे में, अर्थात् कांग्रेस-इ द्वारा शासित राज्य के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है और किसी परियोजना विशेष के बारे में उक्त प्रश्न यदि आपने पूछा है, तो उत्तर क्या होता ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे कोई उत्तर नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं देंगे ? यदि वे उत्तर नही देते हैं, तो यहां मैं हूं···आप मध्य प्रदेश के बारे में प्रश्न पूछिए; महाराष्ट्र के बारे में पूछिए; गुजरात के बारे में पूछिए। मैं आपको उनसे उत्तर दिलवा दूंगा। मैं इसे सभा पटल पर रखवा दूंगा। प्रिय मित्र, मैं आपको वही आजादी दूंगा। कोई समस्या नहीं। कोई भेदभाव नहीं। अमलदत्ता जी, मैं आपको अनुमति दूंगा। सोमनाथ जी, मैं आपको अनुमति दूंगा। मैं आपको अनुमति दूंगा। मुझे अवसर दीजिए। मैं इसे करवादूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

अब, अगला प्रश्न।

प्रौद्योगिकी विकास निधि

*524. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रायोगिक संयंत्र स्तर पर स्वदेशी अनुसंधान प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु प्रौद्योगिकी विकास निधि स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो पी० एल० 480 परियोजनाओं सहित, जिनमें से कुछ के पेटेन्ट वर्षों पहले लिए गये थे, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य प्रयोगशालाओं में पहले से विकसित ऐसी प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार ने प्रयोगशालाओं में विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक दोहन में मार्गदर्शक संयंत्रों, प्रक्रिया प्रदर्शन एककों एवं आदि प्ररूप विकास के महत्व को मान्यता दी है। टी० पी० आई० सी० ने राष्ट्रीय औद्योगिक अनुसंधान और विकास निधि स्थापित करने की आवश्यकता की जांच करने के लिए एक कार्य समूह गठित किया है। कार्य समूह की रिपोर्ट की टी० पी० आई० सी० द्वारा जांच की गई है। प्रस्तावित निधि में मार्गदर्शक संयंत्र के स्तर से स्वदेशी अनुसंधान प्रयासों के कोटि-उन्नयन के लिए सहायता की परिकल्पना है। सरकार ने इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस देश में प्रचालित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अनेक प्रयोगशालायें धन के अभाव से ग्रस्त

हैं और वे इस स्थिति में नहीं है कि वे पायलट स्केल में बेंच स्केल अथवा लैब स्केल प्रक्रियाओं को उन्नत बनाने के लिए अग्रगामी परियोजना की स्थापना कर सकें और पायलट स्केल में प्रक्रिया का परीक्षण किए बिना, इनमें से अनेक प्रयोगशालाएं उन उद्यमियों को प्रक्रियाओं को बता रहे हैं जो कि अपने पैसे से प्रक्रियाओं का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं और एन० आर० डी० सी० उनसे रायल्टी और तकनीकी ज्ञानशुल्क वसूल कर रहा है और वे उद्यमियों द्वारा व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने से इनकार करते हैं ? क्या यह भी सच है कि कार्यदल ने, जिसका वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा गठन किया गया है, यह सिफारिश की थी कि एन. आर० डी० सी० को पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए ताकि इस धनराशि का इस्तेमाल पायलट स्केल से संबंधित प्रक्रियाओं का विकास करने के लिए देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं में किया जा सके ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : प्रक्रियाओं तथा प्रौद्योगिकियों का विकास प्रयोगशालाओं में किया जाता है । किन्तु उन्हें प्राप्त किया जाना है और उन्हें वाणिज्यिक उपयोग के योग्य बनाना है । यदि हम प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक रुपया व्यय कर रहे हैं, तो संयंत्र प्रौद्योगिकी के स्तर का विकास करने के लिए दो रुपए व्यय करने होंगे और फिर तीन रुपए वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए व्यय करने होंगे । इस समय हम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में विकसित प्रौद्योगिकियों के पायलट स्तर और वाणिज्यिक स्तर का विकास करने के लिए भी कुछ धनराशि का व्यय कर रहे हैं । किन्तु सरकार ने बाहर से खरीदी गई मशीनरी और प्रौद्योगिकी के संबंध में सीमाशुल्क पर उपप्रभार लगाने और उस धन को स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है । इस तरीके से जो कुछ धन प्राप्त किया जाएगा वह उपलब्ध हो सकता है । अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है । किन्तु वर्तमान स्थिति के अनुसार हमने लगभग 1200 प्रौद्योगिकियां हासिल की हैं और वे शुरू की जा रही हैं ।

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार को इस बात की जानकारी है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

"वृक्षारोपण और उगे वृक्षों का आकलन"

*516. **श्रीमती डी०के० भंडारी** :

श्री सईद शाहबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान लगाये और वस्तुतः पनपे वृक्षों की संख्या का कोई स्वतंत्र अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) और (ख) विशेषकर छठी पंचवर्षीय योजना अवधि से आगे स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने के प्रयास किए गये हैं जो छुटपुट तथा पूर्ण रूप से नियमित नहीं हैं। यह महसूस किया गया है कि ये मूल्यांकन अपने क्षेत्र में सीमित हैं जिससे कोई विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं निकलते हैं।

पाकिस्तान के साथ की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को बन्द करना

*520. **श्री बी०वी० देसाई** :

श्री यशवंत राव गड़ाख पाटिल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को प्रभावी ढंग से बन्द करने हेतु तत्काल कदम उठाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है, ताकि विघटनकारी तत्वों की घातक गतिविधियों की जड़ को नष्ट किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और पाकिस्तान के साथ की सीमा को कब बन्द कर दिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) इस संबंध में भारत सरकार ने नवम्बर, 1985 में पंजाब में उग्रवादी तत्वों की गतिविधियों में बढ़ोतरी की तरफ पंजाब राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। इसके उत्तर में पंजाब सरकार ने भारत सरकार से सीमा को प्रभावी ढंग से बन्द करने का अनुरोध किया। इस सिलसिले में यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने पहले ही भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त कम्पनियां तैनात करके तथा गश्त आदि को गहन करके सीमा की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए पर्याप्त उपाय किए। इन बलों को और अधिक अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। यह मानना होगा कि सीमा की कारगर निगरानी का कार्य निरन्तर चलने वाला कार्य है।

सेना के लिए कम्बलों की खरीद

*523. **श्री के०डी० सुल्तानपुरी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना को ऊनी कम्बल सप्लाई करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा 1984 से अब तक कितनी फर्मों को क्रयादेश दिए गए;

(ख) इन कम्बलों की खरीद के लिए निर्धारित शर्तें क्या हैं; और

(ग) इन कम्बलों के निर्धारित मानकों और किस्मों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) रक्षा मंत्रालय ने 1985 में थलसेना के लिए बैरिक कम्बल टाइप "क" की सप्लाई का आदेश 25 फर्मों को दिया था। 1984 में ऐसे कोई आदेश नहीं दिए गए।

(ख) और (ग) कम्बलों के लिए निर्धारित शर्तों और निबंधनों तथा निर्धारित मानक और गुणवत्ता के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2532/86**]

"लुप्तप्राय पक्षियों की जातियां"

*525. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पक्षियों की, विशेशकर जीवक पक्षियों की, किन जातियों के लुप्त होने की आशंका है;

(ख) प्रत्येक जाति की अनुमानित संख्या पृथकत: कितनी है;

(ग) इनकी सुरक्षा करने तथा इनको पाल कर इनकी उत्पत्ति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) देश में गैर-सरकारी पक्षी पालकों को यदि कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो क्या ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) फीजेंट्स सहित पक्षियों की खतरे में पड़ी प्रजातियां जो कि वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में उल्लिखित हैं, संलग्न सूची विवरण-1 में दिखाई गई हैं।

(ख) खतरे में पड़ी पक्षियों की संख्या का कोई भी देशव्यापी विस्तृत सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया है। कुछ अत्यधिक खतरे में पड़ी प्रजातियों की संख्या का अनुमान लगाया गया है जो कि निम्नलिखित हैं :

सर्दियों में भारत में प्रवास करने वाले सफेद साईबेरियन सारस की इस वर्ष संख्या का अनुमान लगभग 37 है।

गर्मियों में लद्दाख में प्रवास करने वाले काली गर्दन वाले सारस का अनुमान 1983 में 7 है।

ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड—1000 से ऊपर।

(ग) एक विवरण संलग्न है (विवरण-II)।

(घ) फीजेंट्स की खतरे में पड़ी प्रजातियों के बन्दी अवस्था में प्रजनन के लिए उत्तर प्रदेश के एक मशहूर निजि फीजेंट्स प्रजननकर्ता को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

विवरण-1

वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1
की संशोधित सूची में सम्मिलित पक्षी

फीजेंट्स

1. ब्लड फीजेंट्स
2. चीर फीजेंट्स
3. ह्यूम बार बैंकूड फीजेंट्स
4. मोनल फीजेंट्स
5. पीकाक फीजेंट्स
6. ट्रैगोपान फीजेंट्स
7. व्हाईट ईअर फीजेंट्स

अन्य पक्षी

1. अंदमान टील
2. असम बैम्बू तीतर

3. बाज
4. बंगाल फ्लोरिकन
5. काली गर्दन वाला सारस
6. ईस्टर्न व्हाइट स्टार्क
7. फारेस्ट स्पाटड आऊलेट
8. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
9. ग्रेट इंडियन हार्नबिल
10. हाक
11. हुडेड सारस
12. हार्नबिल
13. होबरा बस्टर्ड
14. इंडियन पाईड हार्नबिल
15. जेर्डन कोर्जर
16. लैमरगीयर
17. लार्ज फाल्कन
18. लार्ज विसलिंग टील
19. पहाड़ी बटेर
20. नारकोण्डम हार्नबिल
21. निकोबार मेगापोड
22. निकोबार कबूतर
23. आसप्रे या मछली खाने वाला ईगल
24. पीले सिर वाली बत्तख
25. साइबेरिया का सफेद सारस
26. तिब्बत का सफेद कौआ
27. सफेद पेट वाला समुद्री ईगल
28. व्हाइट स्पून बिल
29. व्हाइट विंग वुड डक

विवरण-II

(1) वन प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसूची-I में पक्षियों की प्रजातियों और उनसे उत्पन्न वस्तु के व्यापार सहित उन्हें शिकार और व्यापार से पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(2) खतरे में पड़ी फीजेंट्स और अन्य पक्षियों की प्रजातियां पादप और वनस्पति की खतरे में पड़ी प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अभिसमय के परिशिष्ट-I में उल्लिखित है, जिसके अन्तर्गत उनके और उनसे उत्पन्न उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निषेध है या उसका सख्ती से नियंत्रण किया जाता है।

(3) देश वर्तमान निर्यात नीति भी इन पक्षियों की प्रजातियों के निर्यात की अनुमति नहीं देती ।

(4) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 किसी भी वन क्षेत्र के बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु दिक्परिवर्तन को रोकता है और इस तरह पक्षियों सहित वन पशुओं के वास-स्थलों को सुरक्षा प्रदान करता है, विशेषकर पारिस्थितिकीय तौर पर नाजुक जो कि अधिकतर खतरे में पड़ी हुई फीजेंट्स प्रजातियों का वास-स्थल है ।

(5) देश में 300 से ऊपर पार्क और अभयारण्य स्थापित किये गये हैं जिनमें पक्षियों सहित खतरे में पड़ी हुई प्रजातियों को और उनके वास-स्थलों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है । महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाये गये हैं । हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, नागालेंड में फीजेंट्स की सुरक्षा के लिए अभयारण्य बनाये गये हैं । साईबेरियन सफेद सारस को राजस्थान में सुरक्षा एवं आश्रय दिया जा रहा है क्योंकि देश में इस पक्षी का यही शरदकालीन आवास स्थल है । लद्दाख में सेना के सहयोग से काली गर्दन वाले सारस के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ।

(6) नेशनल पार्कों और अभयारण्यों के संरक्षण के लिए भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ।

(7) अधिक नेशनल पार्क, अभयारण्य और विशेष संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की दृष्टि से पक्षियों सहित खतरे में पड़ी प्रजातियों के वास-स्थलों का सर्वेक्षण प्रगति पर है ।

(8) पक्षियों की कुछ खतरे में पड़ी हुई प्रजातियों की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए बंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को अधिकृत किया गया है ।

(9) देश के विभिन्न चिड़ियाघरों में और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, नागालेंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में बन्दी अवस्था में प्रजनन केन्द्रों में बन्दी अवस्था में खतरे में पड़े पक्षियों के प्रजनन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में व्हाईट विंग वुड डक की बन्दी अवस्था में प्रजनन के लिए एक परि-योजना पर काम प्रगति पर है ।

भारत और फ्रांस की संयुक्त परियोजनाएं

*526 **श्री पी० एम० सईद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक नियंत्रकों और उपकरणों के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु भारत तथा फ्रांस के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी संयुक्त परियोजनाएं आरम्भ की जाने वाली हैं और कम्पनियों द्वारा चुने गये विभिन्न स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) कम्प्यूटर तथा इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में जिसमें औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण तथा यंत्रीकरण भी शामिल है, संयुक्त परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक भारत-फ्रांस कार्यकारी दल का गठन किया गया है। दिनांक 20 तथा 21 जनवरी 1986 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यकारी दल की तीसरी बैठक में औद्योगिक नियंत्रण तथा यंत्रीकरण के क्षेत्र में निम्नलिखित संयुक्त परियोजनाओं का पता लगाया गया :

1. वृहत् आंकड़ा अभिग्रहण प्रणाली
2. पराध्वनिक तथा स्तर-मापी
3. नियंत्रण वाल्व प्रौद्योगिकी
4. प्रत्यक्ष अंकीय नियंत्रण प्रणालियां
5. ऑन-बोर्ड वायुयान यंत्रीकरण
6. गैस में आर्द्रता का परिमापन
7. पाइप लाइनों के लिए मीटर लगाने की (मीटरिंग) प्रणाली

भारत फ्रांस कार्यकारी दल ने औद्योगिक नियंत्रण तथा यंत्रीकरण के क्षेत्र में तृतीय विश्व के देशों में संयुक्त रूप से संपादित की जाने वाली परियोजनाओं का भी पता लगाया है, जिसके अन्तर्गत हार्डवेयर प्रणाली इन्जीनियरी तथा साफ्टवेयर के क्षेत्र में प्रत्येक की शक्तियों परस्पर आधार पर सुदृढ़ किया जाएगा इस सम्बन्ध में विशिष्ट परियोजनाओं के चयन के प्रश्न पर दोनों पक्षों द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) क्रियान्वित की जाने वाली विशिष्ट परियोजनाओं को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि भारत और फ्रांस की कम्पनियों के बीच बातचीत हाल ही में शुरू की गई है। इसके परिणामस्वरूप स्थापना-स्थल, समय अवधि तथा क्रियान्वयन के ऐसे अन्य ब्यौरों को अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है।

राजस्थान में वन-क्षेत्र

*528. **श्री जुझार सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की वन नीति के अन्तर्गत अपेक्षित न्यूनतम वन क्षेत्र के मुकाबले में राजस्थान में कुल कितनी भूमि में वन क्षेत्र है;

(ख) कितने वन भूमि क्षेत्र में वास्तव में वन हैं और पिछले एक दशक के दौरान इस क्षेत्र में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक भूमि पर वन लगाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) सरकार द्वारा रखे जा रहे रिकार्ड के मुताबिक राजस्थान में 342271.13 वर्ग किलोमीटर के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन भूमि का कुल क्षेत्र 31150.69 वर्ग किलोमीटर है। जो कि राष्ट्रीय वन नीति में अनुबद्ध 33-1/3 प्रतिशत की तुलना में 9.1 प्रतिशत बनता है।

(ख) वर्ष 1980-82 के दौरान राष्ट्रीय दूरस्थ सम्बेदन एजेंसी द्वारा वास्तविक वन आवरण के अन्तर्गत क्षेत्र का मूल्यांकन किया गया जो कि 5972 वर्ग किलोमीटर है और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.75% है। 1972-75 के दौरान इस एजेंसी द्वारा लगाए गये पहले अनुमान के अनुसार वन आवरण 11,294 वर्ग किलोमीटर था जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.30% था। वन आवरण क्षेत्र में कमी आने का मुख्य कारण वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग था।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वन आवरण के अन्तर्गत क्षेत्र के विस्तार और सुधार की दृष्टि से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 70 करोड़ बाल वृक्षों को लगाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त वनों के संरक्षण और सुधार के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :

(I) गैर-वानिकी उपयोग के लिए वनों के अवचालन को कम से कम करने की दृष्टि से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का कड़ाई से लागू करना।

(II) वृक्षों की गैर-कानूनी कटाई रोकने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 और विभिन्न अन्य कानूनों कटाई रोकने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 और विभिन्न अन्य कानूनों को कड़ाई से लागू करना।

(III) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना के जरिए वन संपदा के विकास और सुधार के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करना।

बालियापाल (उड़ीसा) में रक्षा उद्योग

*529. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय का विचार "नेशनल टेस्ट रेंज प्रोजेक्ट" के कारण बेदखल हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उड़ीसा के बालियापाल क्षेत्र में बड़ा कोई रक्षा उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) उड़ीसा उन राज्यों में से एक है जहां नए रक्षा उद्योग स्थापित करने के बारे में विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए कुछ स्थान सुझाए हैं।

नेशनल रेंज की स्थापना के परिणामस्वरूप विस्थापित होने वाले लोगों को बसाने के लिए उड़ीसा सरकार ने कई औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इन परियोजनाओं में प्रति विस्थापित परिवार के लगभग एक सदस्य को रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना है। केन्द्रीय सरकार इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रारंभिक निवेश के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय दूतावासों की सुरक्षा

*530. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री सरफराज अहमद : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में आतंकवादियों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वहां पर स्थित भारतीय दूतावासों की सुरक्षा के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय दूतावासों पर हमले किए जाने की कितनी घटनाएं हुई और उनके परिणाम स्वरूप किस प्रकार की और कितनी हानि हुई ?

विदेश मंत्री (श्री बी०आर० भगत) : (क) (1) विदेशों में हमारे मिशनों और कर्मिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यतया मेजबान सरकार की होती है।

(2) विदेशों में जब भी हमारे मिशनों को कोई खतरा होता है तो हम उसकी सूचना स्थानीय प्राधिकारियों को देते हैं और उनसे विशेष संरक्षण देने का अनुरोध करते हैं जिसे मेजवान सरकारें आमतौर पर उपलब्ध करा देती हैं। कुछ संवेदनशील मिशनों में जहां पर कि खतरा बराबर बना रहता है, मेजबान सरकारों ने स्वयं अपने ही गार्ड नियमित आधार पर उपलब्ध कराए हुए हैं।

(3) हमने अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी तथा उपकरण उपलब्ध करके मिशनों में विभिन्न सुरक्षा उपायों को भी मजबूत बनाया है। सुरक्षा के विभिन्न उपायों की निरंतर समीक्षा की जाती है।

(ख) गत दो वर्ष के दौरान विदेशों में हमारे मिशनों पर हमले की 9 वारदातें हुई हैं। इनमें से दो वारदातों में हमारे सुरक्षा कर्मी जख्मी हुए थे और अन्य वारदातों में मिशनों के अहातों और सम्पत्ति को कमोबेश नुकसान पहुंचा था।

[अनुवाद]

जनता की कठिनाइयों के मामले जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाया जाना

*531. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार को रोकने, कार्यकुशलता के स्तर को बढ़ाने और लोक सम्पर्क में शिष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन को पुनर्गठित करने के बारे में कार्य योजना तथा दिशा निर्देशों में, सरकार ने वास्तविक परेशानियों, कठिनाइयों और अन्याय के मामलों, जो जन प्रतिनिधियों द्वारा सरकारी विभागों के साथ उठाए जाने चाहिए और सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत हितों से संबंधित मामलों, जो जन प्रतिनिधियों को सामान्यतः सरकारी विभागों द्वारा कार्यवाही के लिए छोड़ दिए जाने चाहिए, के बीच स्पष्ट विभाजन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है और क्या उनकी प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) प्रशासनिक सुधारों से संबंधित कार्य योजना और मार्गदर्शी सिद्धान्तों में मंत्रालयों/विभागों द्वारा जनता की शिकायतें दूर करने की आवश्यता पर बल दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जनता से वास्ता रखने वाले प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में लोक शिकायत तंत्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जहां तक सरकारी कर्मचारियों की अलग अलग शिकायतों का संबंध है इस संबंध में उन्हें शासित करने वाले संगत आचरण नियमों के अन्तर्गत, सरकारी कर्मचारियों पर सरकार के अधीन अपनी सेवा से संबंधित मामलों में अपने हित वर्द्धन के लिए

वरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनैतिक अथवा अन्य किस्म का प्रभाव डालने या ऐसा करने की कोशिश करने पर पाबन्दी है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित किस्म के कोई ऐसे अनुदेश/दिशानिर्देश मंत्रालयों/विभागों को जारी नहीं किए गए हैं जिनमें सुझाए अनुसार कोई विभाजन किया गया हो।

हरियाणा और पंजाब के बीच चण्डीगढ़ संबंधी विवाद

*532. **श्री चित्त महाता :**

श्री प्रकाश वी पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ को पंजाब और हरियाणा के बीच 80 तथा 20 के अनुपात में बांट कर क्षेत्रीय विवाद को समाप्त करने के लिए एक नये प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और क्या यह सच है कि दोनों राज्य सरकारें इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और हरियाणा तथा पंजाब के बीच सीमा-विवाद के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार किस अन्य प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पंजाब समझौते के अनुसार इन मामलों का समाधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना

*533. **श्री गुरदास कामत :**

श्री मुरली धर माने : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के काम को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र राज्य में इलेक्ट्रानिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को क्या रियायतें तथा अन्य सुविधाएं दी गई हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रानिक इकाइयों को स्थापित करने तथा सुविधाएं प्रदान करने के मामले में, सरकार की नीति सभी राज्यों के लिए एक समान है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य भी शामिल है। महाराष्ट्र राज्य में उपलब्ध कराई जा रही कतिपय सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं : इलेक्ट्रानिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला; क्षेत्रीय सुपर कम्प्यूटर, पुणे; इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, औरंगाबाद। एक सामान्य नीति के रूप में राज्य सरकारें उद्योगों की स्थापना करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास करती हैं। इलेक्ट्रानिकी विभाग आवश्यकता पड़ने पर उचित मार्गदर्शन करता है।

जिला स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना

*534. **श्री सुशील दत्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जिला अथवा खण्ड स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने का है, जिससे ग्रामीण विकास कार्य में कार्यरत अभिकरणों को नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इन केन्द्रों को स्थापित किए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी पाटिल) : (क) और (ख) विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक योजना है जिसके तहत ग्रामीण विकास के लिए संगत उपयुक्त प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचना प्रसारित की जा रही है। इस योजना के तहत, 19 ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों (आर० टी० डी० टी०) की स्थापना की जा चुकी है। तथापि इन केन्द्रों की स्थापना ब्लाक या जिला स्तर पर नहीं की गयी है अपितु विभिन्न राज्यों के इनके अंतर्गत आने की संभावना है।

[हिन्दी]

आसाम से विदेशियों का निर्वासन

4840. **डा० ए० के० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में उन विदेशियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें आसाम समझौते के अन्तर्गत वहां से निर्वासित किया जाना है; और

(ख) क्या इन विदेशियों को वापस बंगलादेश में भेजने का विचार है या इस बारे में कोई अन्य योजना है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) असम समझौते के तहत जो विदेशी असम में 25-3-1971 को अथवा उसके बाद आए थे, उनका अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 के अनुसार पता लगाया जाना है और उन्हें निष्कासित करना है। इससे कितने लोगों के प्रभावित होने की संभावना है, इसका कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

"विकास परियोजनाओं की मंजूरी"

4841. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना सोचे-समझे आरंभ की गई अनेक विकास परियोजनाओं का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है,

(ख) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सभी विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने से पूर्व उनके पर्यावरणीय पहलू पर ध्यान दिया जाता है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और

(ख) बिना सोचे-समझे बनाई गई प्रत्येक परियोजना का प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव होता है। परियोजना बनाते समय ही सुधारात्मक उपाय करने पड़ते हैं। निर्माण के बाद किए जाने वाले सुधारात्मक उपाय महंगे होते हैं तथा उनका कार्यक्षेत्र सीमित होता है।

(ग) इस समय जिन विकास परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है उनमें ये शामिल हैं :—

— छोटी एवं मझोली सिंचाई एवं पन-बिजली परियोजनायें

— बड़ी खनन परियोजनायें

— ताप बिजली परियोजनायें, तथा

— औद्योगिक परियोजनायें।

संवेदनशील क्षेत्रों में लगाये जाने के लिए प्रस्तावित कुछ विकास परियोजनाओं पर भी विचार किया जाता है।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुनाफा/घाटा

4842. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार के उपक्रमों द्वारा अर्जित मुनाफों तथा उनमें हुए घाटे के संबंध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) योजना आयोग ने, योजना तैयार करने के संबंध में उड़ीसा राज्य सरकार से राज्य सरकार के लोक उपक्रमों के बारे में सूचना मांगी थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपक्रमों में मुनाफे और घाटे की स्थिति भी शामिल थी। कुछ उपक्रमों के संबंध में ब्यौरे प्राप्त हुए और वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उपक्रमों में मुनाफा/घाटा

लाख रु०

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	(+) कर से पूर्व मुनाफा (—) घाटा 1984-85 अनंतिम	1985-86 अनुमान
1.	इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि०	(—) 11.41	(+) 19.00
2.	उड़ीसा स्टेट फाईनेनशियल कारपोरेशन	(—) 1094.30	(—) 1127.10

1	2	3	4
3.	इंडस्ट्रियल डिवलमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा	(+) 11.90	(+) 107.18
4.	उड़ीसा स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवलपमैंट कारपोरेशन	(+) 10.80	(—) 20.20
5.	उड़ीसा इंडस्ट्रियल इनेफेरानस्ट्रकचर डिवलपमेंट कारपोरेशन	(+) 1.95	(+) 20.06
6.	फिल्म डवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा	(—) 0.29	(—) 1.23

[हिन्दी]

छावनी बोर्डों का चुनाव

4843. **श्री अब्दुल हन्नान अन्सारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने छावनी बोर्ड हैं जिनमें जनवरी, 1980 से 22 फरवरी, 1986 तक की अवधि में चुनाव कराए गए और ऐसे कितने छावनी बोर्ड हैं जिनमें अभी चुनाव होने हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बनारस, दानापुर, दिल्ली, लखनऊ, सिकन्दराबाद, फिरोजपुर, जालन्धर, मेरठ, कानपुर और अम्बाला छावनी क्षेत्रों से चुने गए उन सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उर्दू में शपथ ग्रहण की थी ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जनवरी, 1980 से 22 फरवरी, 1986 की अवधि के दौरान 79 छावनी बोर्डों में चुनाव किए गए हैं। 13 छावनी बोर्डों के अभी चुनाव होने हैं।

(ख) दानापुर छावनी बोर्ड से चुने गए श्री मोइन अंसारी ने उर्दू में शपथ ली।

[अनुवाद]

असम में उपद्रवों के शिकार व्यक्तियों को राहत तथा उनका पुनर्वास

4844. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में वर्ष 1983 के उपद्रवों के शिकार व्यक्तियों को राहत तथा उनके पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ख) योजना अथवा उद्देश्य-वार उपर्युक्त राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक लाभार्थियों को वस्तुतः कितनी धनराशि दी गई है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा मदवार अनुमोदित व्यय तथा असम सरकार द्वारा किए गए खर्च का विवरण संलग्न है।

विवरण

मदें	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गयी धनराशियां	असम सरकार द्वारा किया गया खर्च की
1. निर्वाह अनुदान (6 महीने के लिए खाद्य आपूर्ति)	16,48,72,000-00	13,93,84,613.51
2. नकद दान	3, 4,40,000.00	3,15,88,236.50
3. बर्तन	21,50,000.00	21,99,337.16
4. कपड़े आदि	1,62,75,000.00	1,10,21,160.71
5. मकानों का निर्माण (पुनर्वास अनुदान)	25,99,00,000.00	25,44,65,519.57
6. सड़क तथा पुलों की मरम्मत	4,78,00,000.00	4,78,11,067.00
7. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,37,89,000.00	1,56,88,919.75
8. अस्थाई आवास	25,00,000.00	39,54,978.97
9. हल जोतने के बैल तथा दुधारू गायें	1,80,00,000.00	1,51,00,750.00
10. पुस्तकों के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों को सहायता	20,00,000.00	20,00,310.00
11. स्कूल तथा अन्य इमारतों का पुर्ननिर्माण	98,92,000.00	99,06,389.00
12. बीज तथा ट्रैक्टर	24,20,000.00	33,13,444.30
13. अनुग्रह-पूर्वक अदायगी	1,52,45,000.00	1,39,74,000.00
14. गैर कृषक परिवारों को सहायता	.55,00,000.00	14,48,050.00
15. उर्वरक	4,40,000.00	4,67,533.23
16. पोषण (बच्चों का भोजन तथा दूध का पाउडर)	30,00,000.00	7,84,101.64
17. शिविरों तथा गांवों में पेय जल आपूर्ति	34,80,000.00	—
18. पशु स्वास्थ्य की देख-भाल	11,00,000.00	—
जोड़	59,98,03,000.00	55,31,08,411.34

"पश्चिम बंगाल में चरनी नदी में प्रदूषण"

4845. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगला देश में दरसाना स्थित चीनी मिल द्वारा निस्सारित औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थों से पश्चिमी बंगाल में चरनी नदी प्रदूषित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मामला बंगाल देश के साथ राजनयिक माध्यमों से अथवा गंगा जल संबंधी बातचीत के दौरान अथवा अन्यथा रूप से उठाया गया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अपनी 2 वर्षीय योजना में चरनी नदी शुद्ध करने के लिये कोई सहायता देनी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। राजनयिक माध्यमों तथा भारत-बंगला देश संयुक्त आयोग के माध्यम से यह मामला उठाया गया है।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

उड़ीसा में आदिवासी परिवारों को विशेष केन्द्रीय सहायता

4846. **श्री के प्रधानी :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में विशेष रूप से सूखा प्रवण तथा आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी ढांचा बहुत कमजोर होने के कारण उड़ीसा सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 4.83 लाख शेष आदिवासी परिवारों को 40 रु० प्रति परिवार की दर से सहकारी व्यवस्था के अन्तर्गत लाने की दृष्टि से लगभग 1.87 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1986-87 के दौरान कितनी राशि स्वीकृत करने का है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) उड़ीसा सरकार ने सहकारी समितियों में 3.85 लाख अनुसूचित जन जातियों के परिवारों के नामांकन के लिए 154.00 लाख रुपए की सहायता अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

हिन्द महासागर में चीन का अड्डा

4847. **श्री आर० एम० भोये :**

श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सोवियत रूस तथा संयुक्त राज्य अमरीका की भांति चीन भी हिन्द महासागर में अड्डा स्थापित करना चाहता है;

(ख) क्या यह सच है कि अपनी योजना के दूसरे चरण में चीन का विचार अरब सागर में पनडुब्बियां लगाकर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग को अपना निशाना बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) इस बात का कोई विश्वसनीय संकेत नहीं है कि चीन की हिन्द महासागर में अपना बेस कायम करने या बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में पनडुब्बियां तैनात करने की कोई मंशा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[**अनुवाद**]

उड़ीसा के ढ़ेंकानाल जिले में तालचेर में भूकम्प और हलचल

4848. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के ढ़ेंकानाल जिले में तालेचर क्षेत्र में पिछले कुछ समय में बार-बार भूकम्प को हलचल की स्थिति बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन भूकम्पों के कारण हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञों ने इसका कारण जानने के लिए क्षेत्र का दौरा किया है और यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकाले हैं;

(घ) क्या प्राधिकारियों ने इन भूकम्पों के कारणों का निर्धारण करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का निर्णय किया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां । 19 जनवरी 1986 को माध्यम दर्जे/रीचर पैमाने पर 5 तक परिमाण का एक रिकार्ड किया गया । इसके बाद 19 जनवरी से 4 फरवरी की अवधि के दौरान हल्के दर्जे वेग के 16 झटके आये ।

(ख) और (ग) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के भूकम्प वैज्ञानिकों एवं भारतीय भू-सर्वेक्षण के भू-वैज्ञानिकों ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया । रिकार्ड किए गए प्रेक्षणों का आगे और विश्लेषण किया जा रहा है । ऐसा अनुमान है कि भूकम्प पूर्व-पश्चिम दिशा में अभिविन्यस्त भ्रंश के कारण आया था । किसी के मरने की सूचना नहीं मिली है । तथापि, कुछ भवनों को नुकसान हुआ है तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्र के कई पक्के व कच्चे मकानों में भूकम्प के कारण आई दरारों को देखा गया ।

(घ) जनवरी, 1986 की मुख्य घटना के अनुवर्ती झटकों को रिकार्ड करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में एक अति संवेदशील आधुनिक भूकम्पमापी लगाया गया है ।

पाकिस्तानी जेलों में युद्ध बन्दी

4949. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी बड़ी संख्या में भारतीय युद्ध बन्दी अब भी पाकिस्तानी जेलों में सड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी सख्या क्या है; और

(ग) उनकी शीघ्र वापसी या अदलाबदली के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं, तो वे क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) ऐसा विश्वास किया जाता है कि 43 लापता भारतीय रक्षा कार्मिक 1971 से पाकिस्तान की जेलों में हैं।

(ग) उनको भारत वापस लाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं।

छठे दशक के प्रारम्भ के वर्षों में बने अखिल भारतीय व्यावसायिक प्रबन्ध पूल का भंग करना

4850. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठे दशक के प्रारम्भ के वर्षों में अखिल भारतीय व्यवसायिक प्रबन्ध पूल का गठन किया गया था जिसे बाद में भंग कर दिया गया था; और

(ख) उक्त पूल को भंग करने के क्या कारण दिए गए थे और अब स्थिति में क्या परिवर्तन आ गया है जिसके कारण नया प्रबन्ध पूल बनाना पड़ा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रशासनिक पूल का 1957 में मुख्यतया इसलिए गठन किया गया था जिससे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना-अवधि के अन्त में जो 120 से अधिक पदों की रिक्तियां बच रहीं थीं और जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य फील्ड-सेवाओं के अधिकारियों में से सामान्य प्रतिनियुक्ति द्वारा नहीं भरा जा सकता था, उनकी कमी को पूरा किया जा सके। तथापि राज्य सरकारों ने इस योजना का समर्थन नहीं किया था। इस प्रकार हालांकि पूल का गठन 1957 में कर दिया गया था, तो भी राज्य सरकारों की आनिच्छा के कारण आगे भर्ती नहीं की जा सकी। इस योजना की 1972 में पुनरीक्षा करने पर यह पाया गया था कि जिन कारणों से पूल का गठन किया गया था वे कारण अब विद्यमान नहीं हैं और इसलिए केन्द्र में प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों के उपलब्ध न हो पाने की शंका का कोई आधार नहीं रह गया था, अतः इस पूल को बन्द करने का निर्णय लिया गया था और जिन अधिकारियों को पहले ही पूल में नियुक्त किया जा चुका था उन्हें कार्याविधि प्रणाली के अन्तर्गत ले लिया गया था।

चल रहे प्रशासनिक सुधारों के एक अंग के रूप में अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के केन्द्रीय और राज्य-दोनों संवर्गों में और साथ ही केन्द्रीय सेवाओं के संवर्गों में वरिष्ठ पदों के चयन के लिए समान और कठोर स्तर अपनाए जाएं। इस संदर्भ में एक एकीकृत प्रबन्ध पूल की स्थापना करने की व्यवहार्यता पर भी विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान में नियुक्तियां

4851. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** :

श्री गदाधर साहा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग संस्थान, दुर्गापुर में नियुक्तियां वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा केन्द्रीय सरकार विनियमों के निबंधनों अनुसार बनाए गए नियुक्ति नियमों के ढांचे के अनुरूप की जाती हैं;

(ख) क्या तकनीकी पदों पर गैर-तकनीकी व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी. एस. आई. आर.) विनियमों के नियमों की उपेक्षा कर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपग्रह संघटक उद्योगों की स्थापना

4852. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रहों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का इस देश में निर्माण किया जा रहा है अथवा उनका आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए उपग्रहों के आवश्यक उपस्करों तथा अन्य उत्पादों के निर्माण हेतु उद्योगों की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केरल में थुम्बा में अथवा उसके निकट ऐसा कोई उद्योग स्थापित किए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) उपग्रहों के लिए विस्तृत उप-प्रणाली डिजाइन सहित सम्पूर्ण प्रणाली डिजाइनों का कार्य देश में ही किया जाता है। विविध उप-समुच्चयों/उप-प्रणालियों, सम्पूर्ण उपग्रहों सहित, का विकास, संविचरन और जांच का कार्य देश में ही किया जाता है। अन्तरिक्ष गुण वाले इलेक्ट्रॉनिकी उपस्करों और कुछ साज-सामान का आयात किया जाता है।

(ख) अधिकांश जरूरी उपस्करों और साज-सामान के निर्माण के लिए भारतीय उद्योग में उपलब्ध क्षमताओं के उपयोग के अधिक से अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए किसी प्रकार के विशिष्ट उद्योग की स्थापना की परिकल्पना नहीं की गई है। विद्यमान अव-संरचना और विशेषज्ञता, जो देश में उपलब्ध है, का सर्वप्रथम उपयोग किया जायेगा, ताकि उत्पादों की प्राप्ति के लिए समय ढांचे को और निवेशों को न्यूनतम किया जा सके।

(ग) उपर्युक्त (ख) के प्रकाश में प्रश्न ही नहीं उठता।

दानापुर छावनी से सिविल क्षेत्र के वार्ड संख्या एक से चार को निकालना

4853. **डा० सुधीर राय** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दानापुर बोर्ड ने दिनांक 25 नवम्बर, 1985 के अपने पत्र संख्या 15/25/1309 के द्वारा सिविल क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 से 4 को छावनी बोर्ड के अधिकार

क्षेत्र से निकालने के लिए अन्तिम प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है और उन्हें निकट के नगर पालिका में शामिल करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या यह सच है कि यह मामला सरकार के पास वर्ष 1982 से लंबित पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं। छावनी बोर्ड के क्षेत्राधिकार से निकालने का प्रस्ताव मध्य कमान को भेजा जाना है। मध्य कमान ने परिवर्तन का सुझाव दिया था और छावनी बोर्ड के लिए संशोधित प्रस्ताव केवल 25 नवम्बर, 1985 को ही भेजे गए हैं। ये प्रस्ताव महानिदेशक, रक्षा संपदा के माध्यम से मध्य कमान द्वारा विचार के लिए मंत्रालय के पास भेजे जाने हैं।

तमिलनाडु के मछुआरों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

4854. **श्री एन० डेनिस** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु और अन्य तटवर्ती राज्यों के मछुआरों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों सहित तमिलनाडु तथा अन्य तटवर्ती राज्यों के मछुआरा समुदायों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची मे शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। आगे, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में कोई संशोधन सविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 34-(2) को ध्यान में रखते हुए, ससद में अधिनियम पारित करके ही किया जा सकता है।

उद्योगों के लिए इलेक्ट्रोनिक उपकरण

4855. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजीगत बुनियादी ढांचे के उद्योगों में विद्यमान मशीनों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उद्योगों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिये इनका प्रयोग करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो कैसे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) मूलसंरचनात्मक उद्योगों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए, जिसमें बर्तमान पूंजीगत स्टाक के मूलसंरचनात्मक उद्योग भी शामिल हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने दो प्रमुख परियोजनायें स्थापित की हैं। इन प्रयोजनों के लिए तीन योजनागत परियोजनायें विद्यमान हैं :—

(i) समुचित स्वचालन संवर्धन कार्यक्रम।

(ii) माइक्रोप्रोसेर (सूक्ष्म संसाधित्र) अनुप्रयोग संवर्धन कार्यक्रम।

(iii) खनन इलेक्ट्रॉनिकी के लिए आयोजना तथा प्रणाली इन्जीनियरी कक्ष।

उपर्युक्त योजनागत परियोजनाओं के तत्वाधान में निम्नलिखित कार्यकलाप या तो शुरू कर दिए गए हैं अथवा उनकी योजना को अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है;

(i) चीनी उद्योग में देश के 45 चीनी संयंत्रों में इलेक्ट्रानिक उपस्करों का समुचित अनुप्रयोग किया गया है।

(ii) खनन इलेक्ट्रानिकी के लिये गठित एक आयोजना तथा प्रणाली इंजीनियरी कक्ष खनन उद्योग में 60 कोयला खानों में प्रचालन की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रानिक उपस्कर लगाने के कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है।

(iii) समुचित स्वचालन संवर्धन कार्यक्रम द्वारा सहायता प्राप्त क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से, कार्यक्रम ने कार्डिंग तथा बुनाई की प्रक्रिया में सुधार लाने के उद्देश्य से वस्त्र उद्योग के लिए इलेक्ट्रानिक उपस्करों का अनुप्रयोग शुरू किया है और अब इसका क्रियान्वयन 10 से भी अधिक कपड़ा मिलों में किया जा रहा है।

(iv) मोटर नियंत्रण केन्द्रों, सामग्री संचालन प्रबंध तथा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए 10 से भी अधिक सीमेंट के संयंत्रों में इलेक्ट्रानिक उपस्करों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(v) समुचित स्वचालन संवर्धन केन्द्र अपने क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से उर्वरक संयंत्रों की कार्यकुशलता, खासकर उनकी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए, उन्हें इलेक्ट्रानिकी के अनुप्रयोगों का लाभ प्रदान करा रहा है।

(vi) समुचित स्वचालन संवर्धन कार्यक्रम केन्द्र भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए एकीकृत नियंत्रण प्रणाली की एक परियोजना को स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के परामर्श से चला रहा है। इसके अतिरिक्त, ऐसे भी इलेक्ट्रानिक उपस्कर हैं जिनका प्रयोग मशीनी औजारों के लिए, कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए किया जाता है, जैसे कि सी एन सी/एन सी।

लाइसेंस प्रदान करने की पद्यति के जरिए, इलेक्ट्रानिकी विभाग ने ऐसे उपस्करों का विनिर्माण स्वदेश में करने की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बढ़ावा दिया है ताकि पूंजीगत मूल संरचनात्मक उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इन प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रानिक उपस्करों का विनिर्माण करने की प्रक्रिया में लगभग 20 उद्योग जुटे हुए हैं। आधे दर्जन से भी अधिक कम्पनियां अपने स्वदेशी प्रयासों के माध्यम से उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इलेक्ट्रानिकी विभाग उद्योगों को यह सलाह देता है कि वे कार्यकुशलता के साथ ही अपनी उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उन्नत किस्म के इलेक्ट्रानिकी उपस्करों का प्रयोग करें। समुचित स्वचालन संवर्धन कार्यक्रम तथा माइक्रोप्रोसेसर (सूक्ष्म संसाधित्र) स्वचालन संवर्धन कार्यक्रम तथा उनके क्षेत्रीय केन्द्र, ये सब मिलकर उद्योगों को पूंजीगत मूलसंरचनात्मक उद्योग की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए सलाह देते हैं। तकनीकी विश्लेषण रिपोर्टों के माध्यम से इलेक्ट्रानिकी विभाग उत्पादकता, क्वालिटी, सुरक्षा में सुधार लाने के लिए तथा ऊर्जा की बचत के लिए इलेक्ट्रानिक उपस्करों को अपनाने के बारे में उद्योगों में जागरूकता पैदा करता है।

केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का कार्यकरण

4856. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा कितनी तकनीक जानकारी और पेटेन्ट विकसित किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि में इन पेटेन्टों और जानकारी से कितनी आय प्राप्त हुई है;

(ग) देश में कोयले पर आधारित उद्योग के विकास में इस संस्थान का क्या मुख्य योगदान है;

(घ) क्या यह संस्थान गिरावट की ओर जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की तीन वर्षों की अवधि में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी. एफ. आर. आई.), धनबाद द्वारा विकसित तकनीकी जानकारी और पेटेन्टों की कुल संख्या 15 है।

(ख) उक्त अवधि में इन पेटेन्टों और जानकारी से प्राप्त आय 11.50 लाख रुपए है।

(ग) सी. एफ. आर. आई. द्वारा कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं :

इस संस्थान ने कोकिंग कोयले के नए साधनों का पता लगाया है तथा विभिन्न औद्योगिक उपयोगों के लिए इनका वर्गीकरण किया गया। अधोवनीय कोयले के सी. एफ. आर. आई. द्वारा मज्जीकरण/परिष्करण अध्ययन पर आधारित 14 धोवनशालाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थापित किया गया है। यह इस्पात संयंत्र के लिए धुले हुए कोयले की आपूर्ति करेगा। सी. एफ. आर. आई. ने घटिया किस्म के कोयले का उपयोग कर कोकिंग कोयले का ऐसा संमिश्र तैयार किया है जिसके परिणामस्वरूप उन्नत किस्म के कोयले के संरक्षण में कटौती की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त सी. एफ. आर. आई. ने कोलतार से वीटानेफ्थॉल, एन्थ्रासीन महत्वपूर्ण रंजक मध्यवर्ती से नेफ्थालीन और एन्थ्राक्विनान, राखी से इमारती ईंट। कोकक्षोद (ब्रीज), धोवनशाला के बेकार से घरेलू व औद्योगिक उपयोग के लिए धुआं रहित ईंधन के रूप में मौसमरोधी ब्रिकेट और पेलेट कोक, उन्नत बीहाइव कोक ओवन धुआ रहित चूल्हा निम्नताप कार्बनीकरण आदि की निर्माण जानकारियों का विकास किया है। इनमें से कुछ का वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाओं की एक बटालियन बनाने का प्रस्ताव

4857. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आतंकवादियों सहित महिला अपराधियों से निपटने के लिए एक महिला बटालियन बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) आन्दोलनों में महिलाओं द्वारा भाग लेने मे उत्पन्न कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल एक महिला बटालियन गठित कर रहा है।

(ख) यह बटालियन गठित की जा रही है।

भारत की छवि प्रदर्शित करने के लिए अमरीकी प्रचार फर्म को किराए पर लेना

4858. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका में भारत की छवि प्रदर्शित करने के लिए अमरीकी प्रचार फर्म को किराए पर लिया है; और

(ख) उससे पहली प्रचार फर्म द्वारा किए गए जन संपर्क की सफलता के बारे में सरकार ने क्या मूल्यांकन किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीकी फर्म के साथ जो व्यवस्था की गई है वह मैसर्स पब्लिक रिलेशन्स एटेची इंटरनेशनल इन्क (पी. आर. ए. आई.) वाशिंगटन नामक फर्म के स्थान पर नहीं है। भारत का राजदूतावास (आर्थिक स्कन्ध), वाशिंगटन की इस फर्म से 1965 से संविदा चली आ रही है और यह अमरीकी कांग्रेस, अमरीकी सरकार के अधिकारियों तथा जनमत पर प्रभाव डालने वाले वर्गों के साथ विशेषकर द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में, सम्पर्क बनाए रखने में मिशन के प्रयासों में मदद करती है। मैसर्स पब्लिक रिलेशन्स एटेची इंटरनेशनल इन्क (पी. आर. ए. आई.) संतोषजनक कार्य कर रही है जो कि उपयोगी सिद्ध हुआ है।

"फोटोवोल्टेक पम्पस"

4859. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि सौर ऊर्जा को सिंचाई प्रयोजनों के लिए भूमिगत जल को पम्प द्वारा निकाले जाने सहित विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए विद्युत में बदला जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितने "फोटोवोल्टेक पम्प्स" मंगाए गए हैं और किस किस देश से;

(ग) क्या किसी देश ने यह पम्प निःशुल्क देने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई प्रयोग किया गया है;

(च) प्रत्येक राज्य को अभी तक कितने "फोटोवोल्टेक पम्प" वितरित किए गए हैं और वे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं; और

(छ) क्या उनका कार्य संतोषजनक पाया गया है और यदि हां, तो ऐसे और अधिक पम्प प्राप्त करने और उन्हें देश के पिछड़े क्षेत्रों में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, जहां सिंचाई की कम सुविधायें हैं, वितरित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां। सौर ऊर्जा को विद्युत शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इनमें सिंचाई और पीने के लिए भौम जल को पम्प करना, सड़कों पर और घरों में प्रकाश व्यवस्था, दूरदर्शन और रेडियो चलाना आदि सम्मिलित हैं। सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों से पैदा हुई विद्युत शक्ति का उपयोग विशेष रूप से, पर्वतीय, शुष्क और समुद्रतटीय क्षेत्रों और द्वीपीय क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीण समुदायों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद हैं, जहां पर पारम्परिक ग्रिड प्रणाली की विद्युत शक्ति सुविधापूर्वक एवं किफायती दरों पर उपलब्ध नहीं करायी जा सकती।

(ख) मार्च, 1986 के मध्य तक सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम, सैन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (सी. ई. एल.) ने 314 प्रकाश वोल्टीय पम्पन प्रणालियां तैयार कीं तथा उनकी आपूर्ति की। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य उपक्रम, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड (बी. एच. ई. एल.) ने अनुमानतः 45 ऐसे पम्पों की आपूर्ति की है। ये पम्प सम्पूर्ण देश में भेजे गए इनमें अधिकांशतः उत्तर पूर्व में लगाए गए।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) से (छ) सी. ई. एल. द्वारा सप्लाई किए गए 314 पम्पों का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण एक में तथा बी. एच. ई. एल. द्वारा सप्लाई किए गए पम्पों का ब्यौरा संलग्न विवरण दो में दर्शाया गया है। स्थापित की गई प्रणालियों के बारे में पिछले दो वर्षों में एकत्रित किए गए प्रमाणों से पता चलता है कि वे बहुत ही संतोषजनक ढंग से कर रहे हैं। इन प्रणालियों द्वारा प्रदत्त लाभों को प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थानीय सम्बद्धता तथा प्रभावी प्रशिक्षण की विशेष आवश्यकता है। भविष्य में प्राप्त होने वाली प्रणालियों के अधिक उपयोगिता प्राप्त करने के लिए सरकार उत्पादन की गति और प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर रही है। इन प्रणालियों की अधिक संख्या में वितरण की अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार विभिन्न सम्वर्द्धनात्मक उपायों पर भी विचार कर रही है।

विवरण एक

सी० आई० एल० द्वारा सप्लाई किए गए पम्प

क्र० सं० राज्य/संघ क्षेत्र	आपूरित जल पम्प प्रणालियों की सं०
1. आंध्र प्रदेश	33
2. अरुणाचल प्रदेश	2
3. असम	11
4. बिहार	14

5. चण्डीगढ़	1
6. दिल्ली	7
7. गोआ, दमण और दिवो	2
8. गुजरात	18
9. हरियाणा	2
10. हिमाचल प्रदेश	2
11. जम्मू और काश्मीर	1
12. कर्नाटक	2
13. केरल	2
14. मध्य प्रदेश	10
15. महाराष्ट्र	17
16. मणिपुर	2
17. मेघालय	11
18. मिज़ोरम	4
19. उड़ीसा	14
20. पंजाब	4
21. राजस्थान	6
22. तमिलनाडु	18
23. त्रिपुरा	37
24. उत्तर प्रदेश	83
25. प० बगाल	11
कुल :	314

विवरण दो

बी० एच० ई० एल० द्वारा आपूरित पम्प

क्र. सं० राज्य/संघ क्षेत्र	आपूरित जल पम्प प्रणालियों की संख्या
1. उत्तर प्रदेश	2
2. मध्य प्रदेश	1
3. उड़ीसा	1
4. बिहार	3
5. गुजरात	7
6. त्रिपुरा	25
7. कर्नाटक	2
8. आंध्र प्रदेश	1
9. असम	3
कुल :	45

भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव

4860. **श्री एस. पालाकोंड्रायुडू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में भारतीय समुद्री विज्ञान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना की प्रस्तावित तारीख क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस प्रस्ताव को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) समुद्री विज्ञान संस्थान स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) अभी नहीं।

[हिन्दी]

राजमहल पहाड़ियों में सीमा सुरक्षा बल का चांदमारी क्षेत्र

4861. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल ने बिहार के साहिबगंज जिले में राजमहल पहाड़ियों के विस्तृत क्षेत्र में अपना चांदमारी क्षेत्र बनाने का निर्णय किया है और इससे संथाल—-पहाड़िया आदिवासियों को खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या संथाल पहाड़िया आदिवासियों ने इस निर्णय को बदलने की मांग की है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में जनता की मांग को देखते हुए आदिवासियों के हितों में उपर्युक्त चांदमारी क्षेत्र बनाने संबंधी निर्णय को बदलने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय पारपत्रों की वैधता अवधि

4862. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये पारपत्र की वैधता की अवधि कितनी होती है;

(ख) समय सीमा रखे जाने के क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अमरीका, ब्रिटेन और अन्य देशों की तरह भारतीय पारपत्रों की वैधता की अवधि कुछ और अधिक समय तक बढ़ाने का है।

विदेश मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) पांच वर्ष।

(ख) पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है और वह कट-फट भी सकता है तथा वीसा आदि के लिए इसमें सीमित संख्या में ही पृष्ठ होते हैं। इसलिए इसकी वैधता के लिए एक समय-सीमा

होना जरूरी है । समय के साथ-साथ व्यक्ति के चेहरे में भी अन्तर आ जाता है । इन्हीं व्यावहारिक कारणों से हमने पासपोर्ट के लिए पांच वर्ष की वैधता निर्धारित की है जिसे अगले पांच वर्ष की वैधता निर्धारित की है जिसे अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है ।

(ग) जी नहीं । विश्व के अधिकांश देशों में पासपोर्टों की वैधता पांच वर्ष से 10 वर्ष तक की होती है ·

पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जन-जातीय क्षेत्रों को शामिल करना

4863. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग और केन्द्र सरकार को इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि ऐसे जनजातीय क्षेत्रों को, जो पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, छठी योजना के दौरान आरंभ किए गए पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है और विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान सरकारों ने अपने कुछ क्षेत्रों को जो आंशिक रूप में जन-जातीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव किया है । तथापि, उनके अनुरोध इस आधार पर नहीं थे कि प्रस्तावित क्षेत्र जन-जातीय क्षेत्र हैं बल्कि इस आधार पर थे कि वे पहाड़ी क्षेत्र हैं ।

(ख) और (ग) पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित कार्यकारी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इनके वर्तमान प्रचालन के बाहर वाले क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र की व्याप्ति के विस्तार का प्रश्न संघ सरकार के विचाराधीन है । तथापि, यह अभ्यास जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों से संबंधित नहीं है ।

जनसाधारण के लिए सस्ते टेलिविजन सैट और कम्प्यूटर

4864. **श्री सलीम आई० शेरवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार जन साधारण को सस्ते कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ख) क्या ड्राई बैटरियों से चलने वाले पोर्टेबल टेलीविजन सैट और छोटे कम्प्यूटरों का उत्पादन करने की कोई योजना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार ने एक नई कम्प्यूटर नीति की घोषणा की है, जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित समतुल्य कीमतों पर नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित कम्प्यूटरों का विनिर्माण देश में ही करने पर बल दिया गया है । किफायती आधार पर उत्पादन करने की दृष्टि से, सरकार ने उत्पादन क्षमता पर लगे प्रतिबंध को लगभग हटा दिया है तथा प्रौद्योगिकी का आयात उदारता पूर्वक करने की अनुमति प्रदान की है और साथ ही बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों (एल०एस०आई०) हाई रिजोल्यूशन

के कैथोड़ किरण ट्यूबों(सी०आर०टी०) तथा बहुस्तरीय(मल्टीलेयर) मुद्रित परिपथ बोर्डों (पी० सी०बी०)जैसे महत्वपूर्ण संघटक पुर्जों के आयात पर लगने वाले सीमा-शुल्क में 25% तक की कटौती की है। इसके अतिरिक्त, कम्प्यूटरों पर लगने वाले उत्पादन शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। ये सब कदम स्वदेश में ही विनिर्मित किए जाने वाले कम्प्यूटरों की कीमत में कमी लाने की दृष्टि से उठाए गए हैं ताकि उन्हें आम प्रयोगकर्ताओं की पहुंच के अन्तर्गत लाया जा सके। ऐसा करने से इनकी मांग बढ़ेगी।

(ख) इस समय सरकार की शुल्क सेल (ड्राई सेल) बैटरियों पर चलने वाले सुवाह्य दूरदर्शन सैटों का विनिर्माण करने की कोई विशिष्ट योजनाएं नहीं हैं। गत वर्षों म मिनी कम्प्यूटरों/माइक्रोप्रोसरों (सूक्ष्म संसाधित्र) पर आधारित प्रणालियों के क्षेत्र में 300 इकाइयों को अनुमोदित जारी किए गए हैं तथा इनमें से कुछ इकाइयों ने हाथ द्वारा प्रचालित किए जाने वाले किस्म के कम्प्यूटर का विनिर्माण करने की इच्छा जाहिर की है, जो शुष्क बैटरियों द्वारा चलाए जा सकेंगे।

[हिन्दी]

"उत्तरी-दक्षिणी ओर से गंगा में प्रदूषण"

4865. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी और दक्षिणी ओर से गंगा नदी में मिलने वाली नदियों के नाम क्या हैं और ये नदियां गंगा नदी में प्रदूषण के लिए किस सीमा तक उत्तरदायी हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) :

जल प्रवाह की मात्रा और सीधे गंगा में विसर्जित होने वाली (सौ क्यूबिक मीटर प्रति सैकण्ड से अधिक प्रवाह का वार्षिक माध्य) वाली नदियां निम्नलिखित हैं :—

नदी के बाएं किनारे से	(1) रामगंगा
	(2) गोमती
	(3) घाघरा
	(4) गण्डक
	(5) बूढ़ी गण्डक
	(6) कोसी
नदी के दाएं किनारे	(1) यमुना
	(2) टौंस
	(3) सोन
	(4) पुनपुन
	(5) अजय
	(6) रूपनारायण
	(7) दामोदर
	(8) हल्दी

यमुना नदी के ऊर्ध्वप्रवाह के कुछ हिस्सों में प्रदूषण की मात्रा को लेकर कुछ मूल्यांकन किया गया है लेकिन इन सभी नदियों द्वारा गंगा में पहुंचाए जाने वाले प्रदूषण की मात्रा का कोई मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

[अनुवाद]

भुवनेश्वर में "सुपर कम्प्यूटर" केन्द्र

4866. **श्री अनादिचरण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भुवनेश्वर में एक "सुपर कम्प्यूटर" केन्द्र स्थापित करने की परियोजना मंजूर और कार्यान्वित की है;

(ख) इस परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपरोक्त परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च/आवंटित की गई है और प्रशिक्षण और आंकड़े संकलन परियोजना कार्यक्रमों के बारे में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। भुवनेश्वर में एक बड़े मेनफ्रेम कम्प्यूटर की प्रतिष्ठापना की जा रही है जो इलैक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) की पूर्वीय क्षेत्रीय सुविधा के रूप में कार्य करेगा ।

(ख) राष्ट्रीय सूचना विकास केन्द्र (एन०आई०सी०) ने उड़ीसा सरकार से भुवनेश्वर में एक भवन खरीदा था । जून, 1986 तक इस कम्प्यूटर के चालू होने की आशा है । उड़ीसा सरकार के अधिकारियों के लिए दो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यक्रम चलाए गए। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) के मुख्यालय में विकसित यंत्रेतर-सामग्री (सापूरवेयर) में इस दृष्टि से परिवर्तन किया जा रहा है ताकि पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों के लिए भुवनेश्वर में लगे कम्प्यूटर में उनकी जरूरतों के अनुसार कार्यान्वित किया जा सके ।

(ग) भुवनेश्वर में कम्प्यूटर की प्रतिष्ठापना पर अब तक 709.45 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है । वर्ष 1986-87 के दौरान, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) के बजट में 236 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है, जो पूर्व क्षेत्र में कम्प्यूटर लगाने और उनका प्रचालन करने, यंत्रेतर-सामग्री (सॉफ्टवेयर) का विकास करने, तथा उक्त क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने एवं आंकड़ा प्रविष्टि संबंधी अनिवार्य सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा ।

राजाकास/चकलिस समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

4867. **श्री सी० के० कुप्पु स्वामी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजाकास/चकलिस समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का है;

(ख) क्या इन समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए किसी राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) राजाकास/चकलिस समुदायों को आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त टिप्पणियों को लोकहित में नहीं बताया जा सकता।

फिर भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की सूचियों में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों सहित उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। आगे, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) तथा 342 (2) को ध्यान में रखते हुए संसद में अधिनियम पारित करके ही किया जा सकता है।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को गए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के दल के निष्कर्ष

4868. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के विशेषज्ञों के एक दल ने जनवरी, 1986 में भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद का दौरा किया था;

(ख) उनके इस दौरे के क्या कारण थे;

(ग) क्या इस दल ने अपने कोई निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं;

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ये कर्मचारियों को उपलब्ध किये गये हैं; और

(च) प्रबन्धकों ने इन निष्कर्षों पर क्या कार्रवाई की है?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के विशेषज्ञों द्वारा सप्लायरों के आहातों में देशी लीड शील्डों को मजूर किए जाने और उपयोग के लिए उनको उपयुक्त प्रमाणित किए जाने के पश्चात् उनकी वास्तविक परिचालन स्थितियों की क्षमता का निरीक्षण करने के लिए इस दल ने भारत इलैक्ट्रानिक लिमिटेड का दौरा किया।

(ग) और (घ) इस दल ने इन लीड शील्डों को उपयोग के लिए उपयुक्त प्रमाणित किया है और परिचालन के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित होने के कारण इसकी स्थापना की मंजूरी दी है।

(ङ) जी हां। रिपोर्ट को कर्मचारियों के प्रतिनिधि को दिखाया गया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में पेड़ों का काटा जाना

4869. **श्री सुभाष यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में अन्धाधुन्ध पेड़ काटने और लगभग पांच एकड़ क्षेत्र को वृक्षहीन कर दिए जाने से उस राज्य के प्राकृतिक पर्यावरण और जलवायु में तब्दीली आयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पेड़ लगाने की नई परियोजनाएं आरम्भ करने का है ताकि मध्य प्रदेश राज्य की जलवायु की रक्षा और संवर्धन किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने या विदेशी सहायता से पूरा करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) मध्य प्रदेश में 1980-81 से 1984-85 के वर्षों के दौरान 8350.71 हैक्टेयर वन-भूमि को गैर-वानिकी उपयोग हेतु दिक्परिवर्तित किया गया । उपग्रह बिंबावली से पता चलता है कि 18353 वर्ग किलोमीटर से अधिक का वन-आच्छादित क्षेत्र 1972 से 1982 तक की अवधि के दौरान समाप्त हो गया था । इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इसके कारण पर्यावरण अथवा जलवायु में किसी हद तक तबदीली हुई है ।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में विभिन्न राज्य-योजना एवं योजना-भिन्न स्कीमों तथा केन्द्र व केन्द्र से प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत 80 करोड़ बाल-पौधों के लगाये जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

(घ) जी, नहीं । फिर से वृक्षारोपण करने वाली स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा होता है जिसके पास इस प्रकार के कार्य के लिए अवसंरचना होती हैं तथा जिसके अधिकार क्षेत्र में वन होते हैं ।

रंगीन टेलिविजन सैटों के डिजाइन

4870. **श्री श्री० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के एक प्रमुख यूनिट ने "आई० सी०" सहित अधिकाधिक स्वदेशी पुर्जों का उपयोग करके रंगीन टैलीविजन सैटों के डिजाइन तैयार किये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के एक अन्य यूनिट ने इसी अवधि के दौरान 2,00,000 से अधिक रंगीन टेलीविजन सैटों के लिए "आई० सी०" और अन्य पुर्जों का आयात किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड (बी ई एल) नामक भारत सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने रंगीन दूरदर्शन रिसीवर का एक डिजाइन तैयार किया है, जिसमें इसके द्वारा विकसित एकीकृत परिपथों तथा अन्य संघटक-पुर्जों के साथ ही स्वदेश में निर्मित अन्य संघटक पुर्जों का इस्तेमाल किया गया है ;

(ख) और (ग) इलेक्ट्रॉनिकी ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन (ई० टी० एण्ड टी०) नामक भारत सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने वर्ष 1985 के दौरान एकीकृत परिपथों के 2,00,000 सेटों तथा रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए कुछ अन्य विभिन्न संघटक पुर्जों की अपेक्षाकृत कम मात्रा का आयात करने के लिए क्रयादेश दिया है । इन संघटक पुर्जों का आयात रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए उनकी "सामग्री, प्रौद्योगिकी तथा ब्रांड नाम" (एम० टी० बी०) नामक योजना के अन्तर्गत ई० टी० एण्ड टी० द्वारा किया जा रहा है । भारत इलेक्ट्रोनिक्स

लिमिटेड द्वारा रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों का डिजाइन तैयार करने से काफी समय पहले ही ई० टी० एण्ड टी० ने रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए इस डिजाइन को अन्तिम रूप दिया था। भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा अपने डिजाइन की घोषणा करने से पूर्व ही ई० टी० एण्ड टी० ने इन क्रयादेशों को अन्तिम रूप दे दिया था। ई० टी० एण्ड टी० आयातित संघटक-पुर्जों के स्थान पर यथा व्यवहार्य स्वदेश में निर्मित पुर्जों को लगाकर अपने डिजाइन का क्रमिक रूप से स्वदेशीकरण कर रहा है। भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बी० ई० एल०) द्वारा तैयार किया गया डिजाइन भी ई० टी० एण्ड टी० के विचाराधीन है; तथा मूल्यांकन करने के बाद, यदि वह उपयुक्त पाया गया तो उसे सामग्री प्रौद्योगिकी तथा बांड नाम नामक योजना के जरिए अपनाने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

नेत्रहीन महिलाओं के लिए रोजगार और अन्य सहायता

4871. **श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांग और नेत्रहीन महिलाओं के लिए इस समय रोजगार और अन्य सहायता प्रदान करने की कौन सी योजनायें चल रही हैं; और

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी महिलाओं को राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की जा रही है और ऐसी महिलाओं की कुल संख्या कितनी है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों (जिनमें नेत्रहीन पुरुष और महिला शामिल हैं) के कल्याण और पुनर्वास की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। फिर भी, विकलांग व्यक्तियों, (नेत्रहीन महिलाओं सहित) के पुनर्वास के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दे रही है। विकलांग व्यक्तियों जिनमें नेत्रहीन महिलायें भी शामिल हैं के लाभ के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

रोजगार : केन्द्रीय सरकार और सरकारी उपक्रमों में ग्रुप 'ग' और 'घ' पदों में 3 प्रतिशत रिक्तियां विकलांगों के लिए आरक्षित की गई हैं जिनमें से नेत्रहीनों, मूक बधिरों तथा अस्थि विकलांगों के लिए एक-एक प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं। वर्ष 1984 के दौरान केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में ग्रुप 'ग' और 'घ' पदों में नियुक्त नेत्रहीनों की की संख्या जिनमें नेत्रहीन महिलायें भी शामिल हैं, निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मंत्रालय/विभाग		सरकारी उपक्रम	
	ग्रुप "ग"	ग्रुप "घ"	ग्रुप "ग"	ग्रुप "घ"
1984	49	78	54	15

(2) ऐसे कार्यों का पता लगाया गया है जो नेत्रहीन पुरुषों और महिलाओं द्वारा भली प्रकार किये जा सकते हों। विकलांगों के लिए कुल 1100 उपयुक्त श्रेणी व कार्यों में से नेत्रहीनों के लिए (जिनमें पुरुष और महिलायें शामिल हैं) 120 किस्म के विभिन्न कार्य निश्चित किये गये हैं।

(3) ग्रुप "ग" और "घ" के पदों पर नियुक्ति के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाती है।

(4) विकलांगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिनमें नेत्रहीन (पुरुष और महिलायें) भी शामिल है, देश में 22 विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए हैं। सामान्य रोजगार कार्यालयों में 36 विशेष सैल बनाए गए हैं जिनका कार्य केवल विकलांगों को जिनमें नेत्रहीन पुरुष और महिलायें शामिल हैं रजिस्टर्ड करके रोजगार उपलब्ध कराना है। वर्ष 1984 के दौरान नेत्रहीनों (पुरुष और महिला) सहित विकलांगों की संख्या नीचे दी गई है जिन्हें रोजगार कार्यालयों और विशेष सैलों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं :

वर्ष	नेत्रहीनों सहित विकलांगों की संख्या	नेत्रहीनों व्यक्तियों की संख्या जिनमें महिलायें भी शामिल हैं
1984	5730	24[illegible]

(5) विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट योग्यता का मूल्यांकन करने उन्हें प्रशिक्षण देने और नियमित रोजगार पर लगाने के लिए 14 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है। वर्ष 1984 के दौरान व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा पुनर्वास किये गये विकलांग व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	विकलांग व्यक्तियों की संख्या जिसमें नेत्रहीन शामिल है	नेत्रहीन की संख्या (महिला और पुरुष)
1984	4722	532

(6) विकलांग व्यक्तियों जिनमें नेत्रहीन महिलायें और पुरुष भी शामिल हैं, के रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार अत्यन्त कुशल कर्मचारियों और विकलांग व्यक्तियों के जिनमें नेत्रहीन पुरुष और महिलायें शामिल हैं उत्कृष्ट नियोक्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार देती है।

शिक्षा (छात्रवृत्ति की योजना)

(7) विकलांगों को जिनमें नेत्रहीन भी शामिल हैं को विशेष विद्यालयों और अन्य संस्थानों में शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें शैक्षिक शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण की सहायता प्रदान करने के लिए, नवीं कक्षा से आगे छात्रवृत्ति/वजीफे दिये जाते हैं। छात्रवृत्तियों के अलावा नेत्रहीनों छात्रों को जिनमें महिलायें भी शामिल हैं, रीडर्स भत्ते, भी दिए जाते हैं। 1984-85 के दौरान नेत्रहीनों सहित लाभ प्राप्त करने वाले विकलांगों की संख्या नीचे दी गई है जिन्हें छात्रवृत्तियां दी गई :—

वर्ष	लाभप्राप्त करने वालों की कुल संख्या	नेत्रहीन पुरुष और महिलायें
1984-85	13,560	1,515

(8) कल्याण मंत्रालय स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना चला रहा है ताकि स्वयंसेवी संगठन नेत्रहीनों सहित (दोनों पुरुष और महिलायें) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास और शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए अपने कार्यकलापों का विस्तार कर सके। पिछले वर्ष के दौरान नेत्रहीनों के लिए ऐसे संगठनों की संख्या नीचे दी गई है जिन्हें सहायता और अनुदान दिया गया है :

वर्ष	नेत्रहीन पुरुषों और महिलाओं के लिए संगठनों की संख्या	स्वीकृत अनुदान
1984-85	34	62.30 लाख

(9) सहायक यंत्र और उपकरण खरीदने और लगाने हेतु विकलांग व्यक्तियों की सहायता उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को जिनमें नेत्रहीन महिलायें और पुरुष भी शामिल हैं, विशेष सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत 25 से 1500 रुपए तक के सहायक उपकरण 750/- रुपए प्रतिमास से कम आय वाले व्यक्तियों के लिए निःशुल्क या 751/- रुपए से 1500/- रुपए प्रतिमास आय वाले विकलांग व्यक्तियों को आधी कीमत पर दिए जाते हैं। वर्ष 1984-85 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत जिनमें विकलांग व्यक्तियों और नेत्रहीनों को सहायता दी गई उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	लाभप्राप्त विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या	नेत्रहीन (पुरुष और महिलायें)
1984-85	26,981	959

अनन्य रूप से महिलाओं सम्बन्धी सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

तमिलों की दुर्दशा के बारे में अमरीकी प्रशासन से बातचीत

4872. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा के बारे में अमरीकी प्रशासन से कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अमरीकी प्रशासन की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। अमरीकी प्रशासन के साथ बातचीत में श्रीलंका की जातीय समस्या के सवाल पर भी विचार विमर्श किया गया है। अमरीकी पक्ष को यह बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच राजनैतिक समझौते कराने में सहायता करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कितना वक्त लगाया है और कितने व्यापक प्रयत्न किए हैं। अमरीकी प्रशासन को यह भी बताया गया कि समस्या का सैनिक समाधान ढूंढने के श्रीलंका के प्राधिकारियों के रवैये से सरकार को निराशा और चिन्ता हुई है।

(ख) अमरीकी सरकार ने यह संकेत दिया कि वह ऐसी राजनैतिक बातचीत कराने के भारत के प्रयासों और दृष्टिकोण का समर्थन करता है जिससे बातचीत के जरिए समझौता खोजा जा सके।

लोक शिकायत विभाग में विचाराधीन अपीलें

4873. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **प्रधान मंत्री** लोक शिकायत विभाग में विचाराधीन अपीलों के बारे में 4 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2459 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों को संबंधित विभागों में भेजने के बाद अपीलकर्ताओं को उनके मामलों की जानकारी देने के लिए सामान्यतः क्या कार्यवाही की जाती है; और

(ख) गत तीन महीनों के दौरान ऐसी और कितनी अपीलें प्राप्त हुई हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सरकारी कर्मचारियों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित अपीलों पर विचार करने के लिए समुचित माध्यम विद्यमान हैं तथा इन पर संबंधित संगठनों के सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। सेवा मामलों से संबंधित जो शिकायतें प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग को प्राप्त होती है और उस विभाग द्वारा समुचित प्राधिकारियों को भेजी जाती है उनके सम्बन्ध में यह आशा की जाती है कि उन पर ऊपर बनाए अनुसार कार्रवाई की जाएगी तथा अपील पर लिए गए निर्णय से शिकायत कर्ता को अवगत करा दिया जाएगा।

(ख) सेवा मामलों के संबंध में तीन मास (दिसम्बर, 1985 से फरवरी, 1986) के दौरान 28 शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

रक्षा सेनाओं द्वारा नियुक्त भारकों और टट्टुओं की मजूरी

4874. **श्री पी० नामग्याल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा सेनाओं द्वारा निदेशक रक्षा श्रम प्रायण के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में नियुक्त किए गए भारकों और टट्टुओं की मजूरी सिविलियन क्षेत्र में इसी काम के लिए मिलने वाली मजूरी से बहुत कम है;

(ख) रक्षा संस्थानों में भारकों और टट्टुओं की दैनिक मजूरी कितनी है और उक्त क्षेत्र में सिविलियन संस्थानों की तुलना में यह दैनिक मजूरी कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रख कर इस क्षेत्र में भारकों और टट्टुओं की मजूरी बढ़ाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) लद्दाख क्षेत्र में रक्षा स्थापनाओं द्वारा कुलियों को दी जा रही मजदूरी की दरें सिविल क्षेत्र में दी जाने वाली दरों के बराबर हैं। लेकिन टट्टुओं के लिए दरें सिविल स्थापनाओं द्वारा दी जाने वाली दरों से कम है ।

(ख) इन दरों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है :—

		रक्षा स्थापनाएं	सिविल स्थापनाएं
(I)	कुलियों को प्रतिदिन दी जाने वाली मजदूरी	18 रु०	18 रु०
(II)	चालक सहित टट्टू के लिए प्रतिदिन की दर	20 रु०	30 रु०
(III)	चालक रहित टट्टू के लिए प्रतिदिन की दर	17 रु०	22 रु०

(ग) और (घ) कुलियों और टट्टुओं के लिए मजदूरी 1 अप्रैल, 1986 से बढ़ाने का प्रस्ताव है। दरें निर्धारित करते समय आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखा जाएगा।

"वायुमंडल में हाइड्रो कार्बन के उत्सर्जन का प्रभाव"

4875. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में इस समय वायुमण्डल में अनुमानित कितने हाइड्रो कार्बन का उत्सर्जन होता है;

(ख) अगले दस वर्षों में इस उत्सर्जन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ग) क्या अगले पांच वर्षों में ताप विद्युत केन्द्रों से हानिकारक गैसों की निकासी को रोकने हेतु कोई उपाय करने की योजना है; और

(घ) कितने वर्ष बाद भारत में अम्ल की वर्षा एक वास्तविकता बन जाने का भय है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) देश भर में वायुमंडल में हाइड्रो कार्बन के उत्सर्जन के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 1983-84 तथा 1991-92 के लिए, कुछ महानगरों में मोटर-वाहनों के कारण हाइड्रो कार्बन उत्सर्जन निम्न प्रकार से है :—

मोटर वाहनों से हाइड्रो-कार्बन उत्सर्जन (मीटरी टन/वर्ष)

नगर	1983-84	1991-92
दिल्ली	28,094	57,232
बम्बई	21,795	37,502
कलकत्ता	7,701	13,219
मद्रास	7,953	15,990
बगलौर	10,675	22,039

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

— वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत, चिमनी की ऊंचाई, प्रमुख स्रोत से उत्सर्जन तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए मानकों का विनिर्धारण किया है।

— संवेदी क्षेत्रों में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए, चिमनी गैस डिसल्फ्यूराईजेशन एककों की अवस्थापना के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं।

— ताप विद्युत सयंत्रों के संबंध में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थानों के अनुमोदन के लिए प्रक्रियाओं को बनाया गया है।

— समय-समय पर परिवेशी वायु गुणवत्ता के निर्धारण के लिए एक प्रबोधन तंत्र स्थापित किया गया है।

(घ) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइ. एम. डी.) के अनुसार, देश में विभिन्न स्थानों पर एकत्रित आंकड़ों द्वारा पता लगता है कि भारत में अम्ल वर्षा का कोई प्रमाण नहीं है।

[हिन्दी]

समाज कल्याण योजनाओं के लिए नियत धनराशि का उपयोग

4876. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में समाज कल्याण कार्यों के लिए मद-वार कितना वित्तीय प्रावधान किया गया था;

(ख) क्या इस बात का पता लगाने हेतु कोई आकलन किया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक मद के लिए उपबन्धित राशि उस मद पर वास्तव में खर्च की गई; और

(ग) कुपोषण और खराब स्वास्थ्य का शिकार हुई कितनी महिलायें और बच्चे अब शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) क्योंकि धनराशि का किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(क) और (ख) समाज कल्याण योजनाओं के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के 150 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में योजना के दौरान 255.91 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था।

मद-वार परिव्यय और खर्च निम्न प्रकार है :—

क्रम सं० मद	छठी पंचवर्षीय योजना (रुपए करोड़ों में)	
	परिव्यय	खर्च
क. केन्द्रीय योजना		
1. बच्चों का कल्याण और विकास	18.26	46.68
2. महिलाओं का कल्याण और विकास	51.09	70.54
3. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	21.58	26.02
4. समाज रक्षा तथा अन्य	4.75	3.54
जोड़ (क)	95.68	146.78
ख. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
बच्चों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए (ख)	54.32	109.13
जोड़ (क+ख)	150.00	255.91

[अनुवाद]

तारापुर परमाणु बिजलीघर का कार्यकरण

4877. **श्री एच०एम० पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "भारत की पर्यावरण दशा" 1984-85, के संबंध में सैकंड सिटीजन्स रिपोर्ट पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो कमेटी के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या रिपोर्ट में बताया गया है कि तारापुर विश्व का सबसे खराब निष्पादित परमाणु बिजलीघर है और इसके विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित परमाणु ऊर्जा संयंत्र होने का अनुमान लगाया गया है;

(घ) इस संयंत्र के प्रथम 11 वर्षों के दौरान यह संयंत्र कितनी बार बन्द किया गया;

(ङ) क्या रिएक्टर लगातार विकिरण छोड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो संयंत्र कारगर कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (च) सरकार ने "भारत की पर्यावरण दशा" 1984-85, के संबंध में सैकंड सिटीजन्स रिपोर्ट देखी है किन्तु सरकार उस रिपोर्ट में तारापुर परमाणु बिजलीघर के बारे में कही गई बहुत सी बातों से सहमत नहीं है। यह बिजलीघर 16 वर्ष से भी अधिक समय तक वाणिज्यिक स्तर पर चलाया जा चुका है और इसमें दिसम्बर, 1985 तक 30,388 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हो चुकी थी। इस बिजलीघर का उपलब्धता-गुणक 16 वर्ष से भी लम्बी इस अवधि में 71 प्रतिशत रहा है। बिजलीघर के प्रचालन के आरंभिक 11 वर्षों में बिजलीघर के दोनों यूनिटों में से प्रत्येक यूनिट के बन्द होने की केवल 34 बड़ी घटनायें हुई थीं। बिजलीघर से निकले विकिरण की मात्रा उसके अनुमेय स्तर से काफी कम ही रही है।

दक्षिणी राज्यों द्वारा श्रीलंका से स्वदेश वापस आने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास

4878. **श्री के०बी० शंकरगौड़ा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका से स्वदेश वापस आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में चारों दक्षिणी राज्यों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने दक्षिणी राज्यों को श्रीलंका से अब तक लौटे सभी व्यक्तियों को पूरी तरह बसाने के निर्देश दिए हैं;

(ग) श्रीलंका से वापस आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए इन राज्यों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार को 2.61 लाख व्यक्तियों के स्वदेश लौटने की आशा है जो जल्दी ही भारत पहुंचेगे; और

(ङ) पहले भारत आ चुके और अब आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) श्रीलंका से स्वदेश वापस आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में चारों दक्षिणी राज्यों का कार्य निष्पादन कुल मिलाकर संतोषजनक है।

(ख) भारत सरकार पुनर्वास योजनाओं की गुणवत्ता तथा उनके कार्यान्वयन की गति को सुधारने की आवश्यकता पर बल देती रही है।

(ग) श्रीलंका से स्वदेश वापस आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पौधे लगाना, कृषि, उद्योग, व्यापार/लघु व्यवसाय जैसी अनेक योजनायें तथा रिपेट्रिएटस कोआपरेटिव फाइनेंस तथा डेवलपमैंट बैंक लिमिटेड की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। 30.11.1985 तक स्वदेश वापस आने वाले 89,865 परिवारों को तमिलनाडु में, 1,962 परिवारों को आंध्र प्रदेश में, 1,599 परिवारों को केरल में तथा 988 परिवारों को कर्नाटक में बसाया गया है।

(घ) 1964 तथा 1974 के समझौते के अनुसार स्वदेश वापस आने वाले 2.61 लाख व्यक्तियों को अपनी प्राकृतिक बढ़ोतरी के साथ भारत वापस आना है।

(ङ) इस समय कोई स्वदेश वापस आया हुआ व्यक्ति पुनर्वास के लाभों की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। फिर भी, पुनः बसाये गए व्यक्तियों की कुल संख्या के लगभग 20% को पूर्ण लाभ दिया जा रहा है। भविष्य में आने वाले व्यक्तियों को विद्यमान योजनाओं तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाओं द्वारा पुनः बसाया जायेगा।

पंजाब में सेना के लिए भर्ती

4879. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में जवानों की भर्ती करने के लिये जनवरी, 1986 में एक भर्ती दल संगरूर (पंजाब) भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा क्या कार्य किया गया;

(ग) क्या सरकार को इस दल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं के कारण भर्ती को रद्द करना पड़ा।

(ग) जी, हां।

(घ) इस शिकायत में भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत की जांच की जा रही है।

उड़ीसा में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां

4880. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने परिवार रहते हैं और उनमें से भूमि की अधिकतम सीमा नियम बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं; और

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने परिवारों को लाभ हुआ है?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) और (ख) 1981 की जनगणना के अनुसार, उड़ीसा राज्य में रह रहे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या क्रमशः 7,79,808 और 12,29,320 है और जो विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित हुये हैं उनकी संख्या निम्न प्रकार है :

योजना	लाभान्वित परिवार	
	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
i. अधिकतम भूमि सीमा कानून (मार्च, 1985 तक)	36,790	39,855
ii. बंधक मजदूर उन्मूलन अधिनियम (फरवरी, 1986 तक)	8,609	9,708
iii. जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की गई आई. आर. डी. पी. (छठी योजना 1980-85 के दौरान)	1,90,743	2,19,053
iv. 1984-85 के दौरान स्वरोजगार योजनाएं	33,646	57,760

विज्ञान सलाहकार परिषद के सदस्यों का ब्यौरा

4881. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री एन० डेनिस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद को पुनर्गठित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो नए सदस्यों के नाम और अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उनमें से दो विदेशी इक्विटी कंपनियों से हैं, और

(घ) यदि हां, तो उन्हें परिषद में शामिल करने का ब्यौरा और कारण क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी हां। प्रधान मंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलोर के निदेशक, प्रो० सी० एन० आर० राव···चेयरमैन।
2. टाटा इन्स्टूट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च, बम्बई, में खगोल भौतिकी के प्रो० श्री जे० वी० नरलीकर।
3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नयी दिल्ली, में तंत्रिका शल्य चिकित्सा के प्रो० डा० पी० एन० टंडन।
4. राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, बंगलोर के निदेशक प्रो० आर० नरसिंहा :
5. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई के चेयरमैन डा० ए० एस० गांगुली।
6. इन्डियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड, मद्रास के महाप्रबन्धक डा० शेखर राहा।
7. इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलोर में पारिस्थितिक अध्ययन केन्द्र के संयोजक, प्रो० एम० डी० गाडगिल।

(ग) जी हां, डा० ए० एस० गांगुली और डा० शेखर राहा क्रमशः हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड और इन्डियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड से सम्बद्ध हैं।

(घ) उन्हें परिषद् में उनकी विशेषता के कारण अपनी व्यैक्तिक हैसियत से शामिल किया गया है।

विदेश कार्यालय का पुनर्गठन

4882. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश कार्यालय के पुनर्गठन का काम शुरू कर दिया है;

(ख) क्या पुनर्गठन कार्य के लिए मार्गनिर्देशक के रूप में पिल्लई समिति की रिपोर्ट का उपयोग किया जाएगा;

(ग) क्या अप्रैल, 1984 में प्रस्तुत की गई सेन समिति की दूसरी रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया गया है;

(घ) क्या सेन समिति और पिल्लई समिति की मुख्य सिफारिशें क्रियान्वित की गयी हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) मंत्रालय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और इसके कामकाज को अधिक सुचारू और कारगर बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर सामान्य रूप में ही मंत्रालय के कार्य संचालन का पुनर्गठन किया जाता है।

(ख) जैसा नीचे (घ) में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) पिल्लै समिति की अधिकांश सिफारिशों पर जिन्हें सरकार ने स्वीकार किया था और जिन पर 1966 से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और बराबर चलती रही, इन सिफारिशों में शामिल हैं, मिशनों को और अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान करना, भारतीय विदेश सेवा के कार्मिकों के विदेशी भाषा ज्ञान में संवर्धन, आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्य पर अधिक जोर देते हुए विदेशों में प्रतिनिधित्व में विस्तार की योजना, कोंसली मामलों के संबंध में अनुदेशों की समीक्षा और सूचना एवं प्रचार कार्य को बढ़ाना आदि।

जहां तक सेन समिति की रिपोर्ट का सवाल है, इसकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अमरीका के प्रवक्ता के वक्तव्य पर सरकार की प्रतिक्रिया

4883. **श्री शान्ति धारीवाल :**

श्री विष्णु मोदी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी हाल की अमरीका की यात्रा के दौरान "यू०एस०ए० कांग्रेस सीनेट फारेन कमेटी" की एक बैठक में अमरीका के प्रवक्ता ने मतदान का मुद्दा उठाया था और आरोप लगाया गया था कि अधिकांश मामलों में भारत ने अमरीका के विरुद्ध मतदान किया; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सीनेट की विदेश संबंध समिति के साथ एक बैठक में सीनेटर डेनियल वी० मोइनिहान ने भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के खिलाफ मत देने का सवाल उठाया था।

(ख) इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए बैठक में उपस्थित सीनेटरों को यह बताया गया कि भारत संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में मतदान इस आधार पर देता है कि हमारे गुट-निरपेक्ष दर्जे और हमारी विदेश नीति के लक्ष्यों के संदर्भ में हम उस मसले के संबंध में क्या सोचते हैं।

[अनुवाद]

सैनिक बोर्ड संगठन को सुदृढ़ करना

4884. **श्री अजय मुशरान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि सैनिक बोर्ड संगठन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या जिला सैनिक बोर्ड के सचिवों का दर्जा द्वितीय श्रेणी से बढ़ाकर प्रथम श्रेणी का किया जाना था;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए कुछ भी नहीं किया गया है; और

(घ) इस निर्णय को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : सैनिक बोर्ड संगठन समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि जिला सैनिक बोर्डों के सचिव श्रेणी I के राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए। जिला सैनिक बोर्ड राज्य सरकारों के विभाग है इसलिए यह मामला उनके साथ उठाया गया था।

आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने जिला सैनिक बोर्डों के सचिवों का दर्जा श्रेणी I अधिकारी के रूप में बढ़ाने की सिफारिश मंजूर करके उसे कार्यान्वित कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जिला सैनिक बोर्डों के 1800 रुपये प्रति माह या उससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को श्रेणी I अधिकारी बना दिया गया है। सिक्किम और त्रिपुरा में जिला सैनिक बोर्ड नहीं है। शेष राज्यों में यह सिफारिश विचाराधीन है।

रक्षा मंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भेजे गए अपने पत्र में और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की बैठकों में राज्यों से विशेष तौर पर कहा है कि सैनिक बोर्ड संगठन को फिर से अधिक सुदृढ़ बनाने की जरूरत है।

"सफाला में बांध"

4885. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में पालघाट तालुका में कालवेला के निकट सफाला में बांध (जल) परियोजना को वन विभाग ने रोक दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर की प्रतिशतता

4886. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर की प्रतिशतता क्या थी और सातवीं योजना के दौरान यह दर कितनी होने की संभावना है और इसके वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं,

(ख) क्या सातवीं योजना में वृद्धि दर छठी योजनावधि से थोड़ी अधिक होगी, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) राष्ट्रीय आय के त्वरित अनुमानों और वित्त वर्ष 1984-85 के लिए संबंधित जोड़ के अनुसार, छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 की अवधि में वास्तविक राष्ट्रीय आय में औसत वार्षिक वृद्धि 5.2 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 5.3 प्रतिशत होती है। छठी योजना (1980-85) में विभिन्न वर्षों के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर, 1970-71 की कीमतों पर नीचे बताई गई है।

वर्ष	1970-71 की कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन की वार्षिक संवृद्धि दर
1980-81	7.5
1981-82	5.3
1982-83	2.6
1983-84	7.7
1984-85*	3.7

* केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के त्वरित अनुमान

सातवीं योजना 1985-90 का उद्देश्य 1984-85 की कीमत पर 5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना है।

(ख) सातवीं योजना में 5 प्रतिशत की लक्षित औसत वार्षिक वृद्धि दर, छठी योजना में वास्तव में प्राप्त 5.3 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से मामूली सी कम है।

(ग) यह इस वजह से है कि छठी योजना के लिए, आधार 1979-80 मे राष्ट्रीय आय सामान्य से काफी नीचे थी, जबकि सातवीं योजना के लिए आधार वर्ष 1984-85 एक सामान्य वर्ष है। यदि आधार 1979-80 का प्रवृत्ति मूल्य द्वारा समायोजन कर लिया जाए तो छठी योजना में प्राप्त सकल देशीय उत्पादन की वृद्धि दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से थोड़ी सी कम होती है।

मैसूर केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र का नागपुर से स्थानान्तरण

4887. **श्री मुकुल वासनिक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने मैसूर केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र को नागपुर से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

वियतनाम को सहायता

4888. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के लिए वियतनाम को बीस करोड़ रुपये की सहायता देगा;

(ख) भारत, पेट्रोलियम उत्पादों और कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त वियतनाम को अन्य किन-किन क्षेत्रों में सहायता करने वाला है; और

(ग) वियतनाम उनके बदले में तिलहनो और रबड़ के अलावा और कौन-कौन सी अन्य वस्तुएं भारत को निर्यात करेगा; और इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी नहीं। तथापि भारत के तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और मैसर्स पेट्रो-वियतनाम के बीच यह समझौता हुआ कि दक्षिण वियतनाम के तट के निकटवर्ती क्षेत्रों में तेल का पता लगाने में वे परस्पर सम्भावित सहयोग कर सकते हैं।

(ख) और (ग) नवम्बर, 1985 में संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान सरकार से सरकार के आधार पर 15 करोड़ रुपए का ऋण देने की एक नई व्यवस्था के सम्बन्ध में समझौता हुआ था। जिन क्षेत्रों में इस ऋण का उपयोग किया जाएगा उनका फैसला राजनयिक माध्यमों से वियतनाम के परामर्श से किया जाएगा। इस सहायता का लक्ष्य वियतनाम की उत्पादकता तथा निर्यात उद्यम को बढ़ाने में मदद करना है। इससे पहले के भारतीय ऋणों का उपयोग डीजल-विद्युत इंजनों, यात्री डिब्बों और वैगनों एवं कपड़ा मशीनरी की आपूर्ति के लिए किया गया है। वियतनाम से टिन, रबड़, कच्चे काजू और मूंग आयात करने का भी प्रस्ताव है। मात्रा तथा कीमतें आपसी बातचीत से तय की जाएंगी।

पुनर्वास बस्तियों में थड़ों/दुकानों का आवंटन

4889. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्वास बस्तियों में 8000 रुपए की दर पर थड़ों/दुकानों के आवंटन के लिए दिसम्बर, 1985 जनवरी, 1986 में बनाई गई योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्ति पंजीकृत हुए हैं और पूर्ण रूप से निर्मित एवं निर्माणाधीन थड़ों और दुकानों की क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकरण आमंत्रित करते समय अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना नाम पंजीकृत करवाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित निर्मित थड़ों/दुकानों का नमूना नहीं दिखाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी विकास मंत्रालय को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, थड़ों/दुकानों के आबंटन के लिए 10 फरवरी, 1986 तक पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या 25,881 थी।

थड़ों/दुकानों के निर्माण की योजना 1980 से चल रही है। चूंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विज्ञापनों में सभी आवश्यक ब्यौरे दिये जाते हैं तथा ये थड़े/दुकानें भिन्न-भिन्न कालोनियों में विद्यमान हैं, इसलिए अपना नाम पंजीकृत कराने के इच्छुक व्यक्तियों को इनका निरीक्षण करने और आवश्यक ब्यौरे प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

पहले से निर्मित और निर्माणाधीन थड़ों/दुकानों तथा स्टालों की कालोनीवार सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्र० सं०	कालोनी का नाम	निर्मित/थड़ों/दुकानों/स्टालों की कुल संख्या
1.	तिलक नगर	319
2.	किलोकरी	10
3.	मंगोलपुरी	1180
4.	मादीपुर	282
5.	सुल्तानपुरी	420
6.	नांगोली	118
7.	शकूरपुर	198
8.	रघुबीर नगर	259
9.	हस्तसाल	77
10.	जहांगीरपुरी	522
11.	नारायणा	45
12.	माता सुन्दरी रोड	39
13.	अरुणा कालोनी	87
14.	नंद नगरी	265
15.	त्रिलोकपुरी	512
16.	सनलाइट कालोनी	123
17.	सीमापुरी	210
18.	दक्षिणपुरी	104
19.	दक्षिणपुरी सिद्धार्थ मार्कीट	299
20.	सीलमपुर	160
21.	कल्याणपुरी	69
22.	संगम पार्क	51
23.	रंजीत नगर	35
24.	चन्द्रशेखर आजाद कालोनी	24
25.	ज्वालापुरी	50
26.	कालकाजी	60

निर्माणाधीन

क्र० सं०	कालोनी का नाम	थड़ों/दुकानों/स्टालों की कुल संख्या
1.	मंगोलपुरी	196
2.	गोकुलपुरी	50
3.	नन्द नगरी	44
4.	हिम्मतपुरी	200
5.	दक्षिणपुरी	257
6.	रघुबीर नगर	60
7.	सुल्तानपुरी	114

[अनुवाद]

'महाराष्ट्र में नीलगिरि में वृक्षारोपण"

4890. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि महाराष्ट्र राज्य में नीलगिरि में वृक्षारोपण का कार्य बड़े पैमाने पर हो रहा है जिसके लिए भूमिगत जल भी निकाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि राज्य सरकार ने सलाह दी है कि नीलगिरि में वृक्षारोपण को बढ़ावा न दिया जाए ताकि भूमिगत जल को बचाकर इसका प्रयोग पीने के लिए किया जा सके; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार का विचार नीलगिरि वृक्षारोपण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ताकि इसके परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सकें ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सरकार को जानकारी है कि महाराष्ट्र में राज्य में कुछ नीलगिरि (यूकलिप्टस) वृक्षारोपण का कार्य भूमिगत जल के प्रयोग पर आधारित है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार को नीलगिरि वृक्षारोपण को हतोत्साहित करने के लिए सलाह दी गई है। संभव उपायों में, सरकारी पौधशालाओं से नीलगिरि पौधों की आपूर्ति को रोकना तथा बड़े पैमाने पर नीलगिरि वृक्षारोपण के बुरे प्रभावों से लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना सम्मिलित है।

इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों के विकास के लिए ठेके और अनुदान

4891. **श्री डी०बी० पाटिल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिकी उत्पादों के अनुसंधान और विकास के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी हेतु ठेके/अनुदान देने की एक योजना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84—1984-85 और अप्रैल 1985 से दिसम्बर, 1985 में इलेक्ट्रानिकी उत्पादों के अनुसंधान और विकास के लिए प्रौद्योगिकीय जानकारी संबंधी कितने ठेके/अनुदान दिये गए हैं; और

(ग) इन ठेकों/अनुदानों के क्या परिणाम निकले ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) जो वित्तीय सहायता दी गई है, उसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

(लाख रुपए में)

	1983-84	1984-85	अप्रैल 85 से दिस. 86
अनुसंधान तथा विकास कार्य के के लिए सहायता प्रौद्योगिकी विकास परिषद/राष्ट्रीय रेडार परिषद	413	481	347

(ग) प्रौद्योगिकी विकास परिषद/राष्ट्रीय रेडार परिषद द्वारा दी गई सहायता से क्या परिणाम निकले उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से अनुसंधान तथा विकास के समूचे क्षेत्र में देश की क्षमता पर काफी प्रभाव पड़ा है । विशिष्ठ किस्म के हार्डवेयर तैयार करने के अलावा, इसके परिणामस्वरूप क्षमताओं के सुदृढ़ केन्द्र स्थापित हो सके हैं जिनका प्रयोग बाद में प्रमुख राष्ट्रीय परियोजनाओं को शुरू करने के लिए स्रोत के रूप में किया गया है और साथ ही ऐसी परियोजनाओं के लिए आवश्यक प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने के स्रोत के रूप में भी प्रयोग में लाया गया है । प्रौद्योगिकी विकास परिषद की परियोजनाओं द्वारा तेजी से चलाए जा रहे कुछ प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं :—

(i) राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र, बंबई ।

(ii) इलेक्ट्रानिकी डिजाइन प्रौद्योगिकी केन्द्र ।

(iii) प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रानिकी इन्जीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर), बम्बई ।

(iv) इलेक्ट्रानिकी स्विचन प्रणाली कार्यकलाप/टेलीमैटिक्स दिकास केन्द्र (सी०डाट)

(v) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, हैदराबाद में कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर से संबंधित कार्यकलाप ।

(vi) समुचित स्वचालन संवर्धन कार्यक्रम तथा माइक्रो प्रोसेसर अनुप्रयोग इन्जीनियरी कार्यक्रम ।

(vii) खनन इलेक्ट्रानिकी के लिए आयोजना तथा प्रणाली इन्जीनियरी कक्ष ।

प्रौद्योगिकी विकास परिषद के अन्तर्गत आने वाले कुछ कार्यकलाप जिनके फलस्वरूप या तो उत्पादन शुरू हो गया है अथवा जिनका वाणिज्यीकरण किया जाने वाला है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

काकपिट ध्वनि रिकार्डर, एक्सल काउन्टर, प्रतिदर्श ट्रांसरिसीवर, 150 मेगावाट्स दोलनदर्शी, वेव एण्ड ट्रेड गेज, स्वचालित परीक्षण उपस्कर, इलेक्ट्रानिक जल संलेखन उपस्कर, ई०ओ० टी० क्रेन के लिए थाईरिस्टर नियंत्रित उपस्क, ए०सी० तथा डी०सी० प्रणोद, इनपुट/आउटपुट लेखी, बायोसिगनल संसाधन तकनीक तथा हार्डवेयर, माइक्रो कम्प्यूटर, स्वचालित आंकड़ा संचालन प्रणाली, टी डी सी-332 तक की कम्प्यूटर प्रणाली, सूक्ष्मतरंग संचार प्रणालियां, अति उच्च आवृत्ति सचार प्रणालियां, सूक्ष्मतरंग एन्टीना, इन्टीग्रा सिरीज का प्रणाली एकीकरण, स्वायत्त प्रदर्श कंसोल, सतत स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, ई०एम०यू० के लिए चापर नियंत्रण उपस्कर विभिन्न बैंड की टी०आर० बैटरियां; तरल क्रिस्टल युक्तियां, तरल क्रिस्टल सामग्रियां, निवति संपर्क स्विच, सूक्ष्मतरंग ट्यूबें, विभिन्न किस्म की सामग्रियां, सरलरेखी ट्रिम्पाट, सी०आर० ट्यूबें लघु सत्रों संघटक-पुर्जे, घड़ी क्रिस्टल, चीनी उद्योग के लिए इलेक्ट्रानिकी यंत्रीकरण खनन उद्योग, कागज तथा लगदी, वस्त्र, देवनागरी कम्प्यूटर आदि। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की सहायता के जरिए आवरण डिजाइन केन्द, मोटी तथा पतली फिल्म सूक्ष्मपरिपथ प्रयोगशालायें, एल०एस० आई० का पूरा लाभ उठाने के लिए कम्प्यूटर पर आधारित डिजाइन आदि जैसी आधुनिक सुविधाएं स्थापित कर दी गई हैं। उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में जनशक्ति तैयार करने के अनेक कार्यक्रमों को भी सहायता दी गई है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, प्रकाशिकी इलेक्ट्रानिकी, अंकीय प्रतिबिम्ब संसाधन, विद्युत इलेक्ट्रानिकी, कम्प्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली के लिये उन्नत कार्यक्रम, माइक्रोप्रोसेसर अनुप्रयोग आदि।

प्रयोगिक अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय रेडार परिषद के वित्तपोषण के जरिए उच्च शक्ति सूक्ष्मतरंग ट्यूबों, वैद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण/वैद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण/वैद्युत चुम्बकीय सगतता अध्ययन, रेडार क्लटर परिमापन एवं माडलिंग अंकीय सिगनल संसाधन, चरणबद्ध ऐरे एन्टीना, फेज शिफ्टरों, काइटूनों का प्रयोग करते हुए रेडियो अपवर्तकांक रूपरेखा निर्माण, तंतु प्रकाशिकी प्रणालियां, समुद्रों के तटवर्ती क्षेत्र में ध्वनि संप्रेषण, अन्तर्जलीय इलेक्ट्रानिकी, अन्तर्जलीय ध्वनि विज्ञान, अन्तर्जलीय प्रतिबिम्बन तथा आई० आर० संसूचक सामग्रियों के लक्षण निरूपण के क्षेत्र में बहुमूल्य कार्य किए गए हैं। इन परियोजनाओं के फलस्वरूप देश में विशेषज्ञता तैयार करने में काफी सहायता मिली है तथा विभिन्न संस्थानों में प्रमुख अनुसंधान दल तैयार हो सके हैं।

जिन क्षेत्रों में विशिष्ट जनशक्ति प्रशिक्षण परियोजनायें शुरू की गई हैं, वे इस प्रकार हैं: सुक्ष्मतरंग प्रौद्योगिकी, अन्तर्जलीय इलेक्ट्रानिकी तथा नौवहन इलेक्ट्रानिकी। इस कार्यक्रम के माध्यम से 50 से भी अधिक छात्रों ने एम०टेक० की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें संबंधित क्षेत्र के विभिन्न संगठनों में रोजगार दिया गया है।

इस कार्यक्रम के जरिए जिन प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है, वे इस प्रकार हैं: सी०सी०डी० तथा एस०एस०डब्ल्यू० युक्तियां उच्च शक्ति के पी०आई०एन० फेज शिफ्टर, समुद्र के पानी द्वारा क्रियाशील बनाई जाने वाली टार्पेडो बैटरियां, एल०बैंड संगत रेडार ट्रांसमीटर, वाहनों पर अवस्थित अन्तर्जलीय दूरदर्शन प्रणालियां, अंकीय सोनार रिसीवर तथा आई०आई०टी० स्वरित युक्तियां। इसके परिणामस्वरूप अनेक तकनीकी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

इस कार्यक्रम के माध्यम से जिन उपस्करों का विकास किया गया है, वे इस प्रकार हैं : वायु दिशा सूचक रेडार, अति उच्च आवृत्ति ओम्नीरेंज, दूरी मापन उपस्कर, वायु मार्ग चौकसी रेडार, परिशुद्धता अभिगमन रेडार, स्वचालित परीक्षण उपस्कर तथा एक्स-बैंड रेडार बीकन। इन परियोजनाओं से अब तक प्राप्त उत्पादन का अनुमानित मूल्य लगभग 22 करोड़ रुपए है। प्रकाश गृहों तथा प्रकाश पोतों के लिए विकसित रेडार ट्रांसपोंडर बीकनों का क्षेत्रीय मूल्यांकन कर लिया गया है। प्रतिध्वनि गंभीरता मापी, वैद्युत चुम्बकीय शिप लाग, अवक्त डी०एम०ई० तथा एनालाग/अंकीय भूकम्पलेखी से संबंधित परियोजनायें लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा, एस-बैंड मैग्नेट्रान गैर-दिशा सूचक बीकनों, हवाई अड्डा चौकसी रेडार तथा एम०एस०टी० रेडार के विकास का कार्य चल रहा है।

दिल्ली प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा मामलों को निपटाया जाना

4892. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय के पास लंबित सरकारी कर्मचारियों के कितने मामलों को नवम्बर, 1985 में गठित प्रशासनिक न्यायाधिकरण को अंतरित कर दिया गया है;

(ख) क्या दिल्ली में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के माध्यम से शीघ्र न्याय दिलाने के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किए गए मामलों को निपटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली उच्च न्यायालय से मामलों के अंतरण के पश्चात प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने कितने मामलों पर निर्णय दिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) दिल्ली उच्च न्यायालय से फरवरी, 1986 के अन्त तक केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की दिल्ली न्यायपीठ के अन्तरित किए गए मामलों की संख्या 1641 है।

(ख) केन्द्रीय प्रशानिक अधिकरण की दिल्ली न्यायपीठ के लिए मंजूर किए गए कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त समझी गई है।

(ग) उपर्युक्त (क) पर उल्लिखित मामलों में से फरवरी, 1986 के अन्त तक 42 मामले निपटा दिए गए।

गोवा के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकारण पीठ

4893. **श्री शांताराम नायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार गोवा में एक केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण गठित करने का है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की गोवा में कोई न्याय पीठ स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सरकार को जब कभी किसी स्थान पर न्यायपीठ की आवश्यकता होगी तो और न्यायपीठें स्थापित करेगी या ऐसे स्थान पर न्यायपीठ की परिभ्रमण बैठक (सरकिट सिटिंग) की व्यवस्था करेगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद द्वारा आरम्भ की जाने वाली अनुसंधान परियोजनायें

4894. **प्रो० के० के० तिवारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ की जाने वाली नई अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पी० पाटिल) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन परियोजनाओं/क्षेत्रों में नई शुरूआत का प्रस्ताव है, की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। सातवीं योजना के लिए सी० एस० आई० आर० के कार्यकारी दल द्वारा बताये गए क्षेत्रों/परियोजनाओं को संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

विवरण

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद परियोजनाएं/क्षेत्र जहां सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान नई शुरूआत का प्रस्ताव है।

भौतिकी तथा मानक

— वायविकी उपग्रप (ऐरौनोमी सैटेलाइट)

— परिशुद्धि मापन तथा मूल नियत (प्रीसिशन मैंजरमेंट एण्ड फन्डामैंटल कोन्सटेन्ट)

— रेडियो तथा वायुमंडलीय (एटमोसफेरिक) विज्ञान: रेडियो तरगों का संचरण mm तथा सब mmप्रौद्योगिकी

— अंतर्जलीय ध्वानिकी

— गणितीय मार्डलिंग तथा यंत्रेतर (शाफ्टवेअर) सामग्री विकास

— संघनित पदार्थ भौतिकी (कन्डेन्स्ड मैंटर फिजिक्स)…सैद्धांतिक पहलू (थिऔरेटिकल आसपैक्टस)

इलैक्ट्रानिकी तथा इलैक्ट्रोनिक सामग्री

— PHT तथा खाद्य संसाधन संयंत्रों में सूक्ष्म संसाधित (प्रोसेसर) का अनुप्रयोग

— डाटा हाइवे का प्रयोग करके कलर ग्राफिक डिसप्ले सिस्टम सहित वितरित अंकीय प्रक्रम नियंत्रण

— मशीनों से ध्वनि संचार

— हाइ पावर ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स (× बैन्ड, 200 वाट)

उपकरणन

— प्रक्रम नियंत्रण (चाय, कागज, औषधियों तथा भेषजों, वस्त्र, रसायनों तथा पेट्रो रसायनों इत्यादि में) के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित इलैक्ट्रोनीय उपकरणन

— चिकित्सा उपकरणन तथा संचार में फाइबर आप्टिक्स

— होलोग्रोफीय प्रकाशीय आप्टिकल अवयवों का विकास

— समुद्री उपकरणन

— ध्वानिकी (एकॉस्टिक) टॉमोग्राफी

अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत

— सौर-ऊर्जा पर आधारित अवातानुकूलित भण्डारण प्रणाली।

भूभौतिकी

— समुद्री भूवैज्ञानिक अध्ययन

— भूकम्प विज्ञान के लिए साफ्टवेयर: अन्वेषण भूकम्प विज्ञान के लिए सूक्ष्मपरिष्कृत साफ्टवेयर। कम्प्यूटर वैज्ञानिकों का एक नया दल बनाने का प्रस्ताव है जिसे अन्वेषण विपरिवर्तन (इन्वर्सन) और सामान्य कम्प्यूटर मॉडलिंग में विशेषज्ञता सहित अन्य द्वारा सहायता का समर्थन मिलेगा।

— हिन्द महासागर की चुनी हुई असंगत भूपर्पटी विशेषताओं के समुद्री भूभौतिक अध्ययन।

समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी

— अपतट विकास से संबंधित समुद्र इंजीनियरी अध्ययन।

— हिन्द और बंगाल फंन की वृद्धि और भारत के पश्चिमी और पूर्वी द्वीपीय सिरों से उनका संबंध

— समुद्रों का सुदूर संवेदन (सेंसिग)

रसायन

— नवीन नाशकमारों की खोज के लिए आण्विक डिजाइन

— कार्बोनाइलेशन प्रौद्योगिकी

— प्राकृतिक निक्षेपों से पोटाश लवण

— पेट्रोरसायनों के लिए कंडन्सेट प्राकृतिक गैस तरलों का आक्सीकरण

— गर्भनिरोधक स्टीरोईडों/एस्टरों के लिए प्रक्रम प्रौद्योगिकी और उनका गठन, रिफैम्पिसीन, सैफैलोस्पोरिनस, निफेडिपिन, आयोडीनयुक्त तेल, पाईरावसीकैम, क्रीमोक्रिप्टिव और अन्य दूसरे उत्पाद जिनकी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आवश्यकता पड़ती है।

पेट्रोलियम

— मूलभूत और अनुप्रयुक्त घर्षण वैज्ञानिक अध्ययन

— गैर-न्यूटोनियन तरलों (फ्लूडस) की द्रवगति की और तेल क्षेत्रीय रसायनों का विकास

— पेट्रोलियम परिष्करण और उत्पाद विकास में मास स्पैक्ट्रोमीट्री का अनुप्रयोग

— संश्लेषित गैस का तरल ईंधन और रसायनों में परिवर्तन

पॉलिमर विज्ञान और इंजीनियरी

— संक्षारण प्रतिरोध के लिए विलेपन में उपयोग के लिए बहुलकें (पालिमर्स)

प्राकृतिक उत्पाद रासायनिकी

— जैविक रूप से सक्रिय समुद्री जीव-जन्तु और वनस्पति की रासायनिकी

तेल और वसा

— अखाद्य तेल की खली का उपयोग

विद्युत रासायनिकी

— मद्रास यूनिट में विद्युतरसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सलाहकार केन्द्र ।

फसलोपरांत प्रौद्योगिकी

— समुद्री खाद्यों का विकास

चमड़ा

— जूतों पर अनुसंधान

— चमड़े के परिधान

प्राकृतिक उत्पाद (खेती और संसाधन)

— हेटेरोसिस्ट अंतर का शरीर क्रिया विज्ञान और आनुवांशिकी नियमन नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नील-हरित शैवालों में अमोनिया उपपाचन

— खारी/क्षारीय मिट्टियों और खारी/क्षारीय जलीय सिंचित क्षेत्रों के लिए औषधीय और संगध फसलों पर अनुसंधान

— क्रोमोसोम और आनुवंशिक इंजीनियरी द्वारा औषधीय और संगध पौधों का उन्नयन

अनुप्रयुक्त जैविकी

— औधोगिक कीट विज्ञान :
खाद्य संरक्षण के लिए जैविक कीट नियंत्रक कारकों का विकास ।

— परजीवी जीवाण्वीय-(बैक्टीरियल), विषाणु (वाइरल) उष्णकटिबंधीय रोगों के निवारक टीके (वैक्सिन)

— उपापचयक असमर्थता जैसे मधुमेह, ऐथिरोरक्लेरोसिस (ऐथिरोकाठिन्य) और छाया पोषकों के जैसे कोलाइन, आइनोसिटाल लिपोइक, एसिड और टाराइन, के योगदान का अध्ययन

— चाय निर्माण में सम्मिलित एन्जाइमों का अभिलक्षणीकरण, नाइट्रोजन उपापचयन, कैलसेस के उपोत्पादों का उपयोग

— "समुद्री जैविकी सुन्दरबन क्षेत्रों से जैवसक्रिय पदार्थों का विलगन और अभिलक्षणीकरण केवल अकेले और संयुक्त (कम्बिनेशन) चिकित्सा में मात्र मैफ्लोक्वीन के क्लिनिकल परीक्षण

— ट्रांसमीशन ब्लॉकिंग और मेरोजोआइट वैक्सिनों (टीकों) का विकास

— हाईब्रीडोमा तकनीक द्वारा एंन्टअमीबा हिस्टोलिक प्रतिजनों (एंन्टीजनों) का शुद्धिकरण और अभिलक्षणीकरण

— टाक्स जीन की क्लोनिंग (एक पूंवंजिनित करना)

— मानवीय ल्यूकोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट और आनुवंशीकीय इंजीनियरीकृत इंटरफेरोन्स ।

जैव प्रोद्योगिकी

— मुख्य कार्यकलापों के अंतर्गत सूक्ष्मजीवियों का सन्निरीक्षण और प्रभावी वाणिज्यिकरण उपयोग के लिए प्रक्रम का विकास होगा ।

— मुक्त और निश्चलीकृत प्रणालियों का उपयोग कर नवीन पेनिसिलीनों माइक्रबियल/एन्जाईमैटिक संश्लेषण ।

— समुद्री शैवालों का अध्ययन
— निश्चलीकृत एन्जाईमों का उपयोग से नैदानिक स्ट्रिप्स ।
— लिग्नो सेलुलोस से एलकोहल का उत्पादन करने के लिए रिकोम्बीनेंट DNA तकनीकों का उपयोग ।
— आनुवंशिक इंजीनियरी के अनुसंधान में रिस्ट्रिक्शन एन्जाईमों और अन्य सूक्ष्म रसायनों का उत्पादन ।
— औद्योगिक व्यर्थ को मीथेन में ऊर्जा प्राप्ति के साथ-साथ बहिः स्राव निपटान के रूप में जैव रूपांतरण पर एक नई शुरूआत की जायेगी । यह आशा की जाती है कि यह कार्य आरंभिक संयंत्र स्तर पर प्रारंभ किया जायेगा ।

औषधि और भेषज

— नवीन CNS और CVS सक्रिय कारकों के अभिकल्पन के लिए कम्प्यूटर-ग्राफिक्स द्वारा अणु-प्रतिरूप (मालेक्लर माईलिंग) का उपयोग ।
— केन्द्रीय ओपायड ग्राहियों पर अध्ययन
— संश्लिष्ट पेप्टाईड वैक्सिन

भवन, संरचना और सड़क

— ट्रांसमीशन लाइन मीनारें—
मीनारों के विश्वसनीय और आर्थिक अभिकल्पन से इस्पात की समुचित बचत
— संरचना-इंजीनियरी समस्याओं में लेसर होलोग्राफी/स्पेक्ल इंटरफेरोमीट्री/फ्रेक्चर मैकेनिक्स तकनीकों का विकास और उन्नयन ।
— संरचनात्मक विश्लेषण में संभाव्य डिजाइन विधियों का उपयोग और अपतटीय संरचनाओं का अभिकल्पन
— जहाजों और निमग्नकों में दृढ़ खोलों की निपात शक्ति का निर्धारण ।
— जहाज के हल (पोत खोल) और समुद्री इंजन कपकों के गतिक अनुक्रिया का मानांकन

यांत्रिक इंजीनियरी और मशीनरी विकास

— विद्युत संयंत्रों की स्थिति की मानीटरी
— रोल्ड फुल्लिकाओं (ब्लूमस) बिल्लेटस/स्लैब्स पर स्टाम्पिग जैसे जोखिमपूर्ण कार्यों के लिए औद्योगिक रोबोटों का विकास
— धातु-पूर्ण उत्पादन और स्प्रे शुष्कन के लिए ध्वानिक प्रणालियों का विकास

धातुकर्म

— बहुधात्विक सल्फाईडों का अन्वेषण ।

खनन

— तांबा, सीसी और जिंक के जीवाणीय खनन का क्षेत्रीय परीक्षण
— कोयले का भूमि के अन्दर गैसीकरण ।

— स्थान जल-जोखिमों की जांच-पड़ताल और उपचारात्मक उपाय-(जल निर्मात और इसकी किस्म का मूल्यांकन, आदि)

पर्यावर्णीय प्रौद्योगिकी

— कम्प्यूटर की सहायता से अभिकल्प पर्यावर्णीय प्रणाली और माडलिंग प्रतिरूपण अध्ययन

— जलाशय भूकम्पीय अध्ययन

— रसायनों, एलरजिनों आदि के संदर्भ में पारस्थितिक—विषवैज्ञानिक अध्ययन।

कम्प्यूटर सहाय्य अध्ययन

— पोत (जलयानों), उष्मा-विनिमयकों आदि के लिए कम्प्यूटर सहाय्य अभिकल्प का विकास

— अतः कार्य विश्लेषण के लिए साफ्टवेयर पैकेजों का विकास और माइक्रो और मिनी कम्प्यूटरों के उपयुक्त R. C. संरचनाओं के लघु, मध्यम और बृहद स्तर की प्रणालियों का अभिकल्पन गतिक विश्लेषण।

पाकिस्तान और चीन के कब्जे में भारतीय राज्य क्षेत्र

4895. **श्री हरिहर सोरन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितना भारतीय राज्य क्षेत्र पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है;

(ख) उन क्षेत्रों को पाकिस्तान और चीन से वापिस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जम्मू व काश्मीर राज्य में पाकिस्तान के अवैध कब्जे में जो भारतीय क्षेत्र है उसका कुल क्षेत्रफल लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर (30,200) वग मील) है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने पाकिस्तानी अधिकृत काश्मीर में लगभग 5120 वर्ग किलोमीटर (2000 वर्ग मील) क्षेत्र को मार्च 1963 के चीन पाकिस्तान "करार" के तहत गैर कानूनी रूप से चीन को सौंप दिया था।

चीन के अवैध कब्जे में जो भारतीय क्षेत्र है उसका कुल क्षेत्रफल लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर (14,500 वर्ग मील) है।

(ख) और (ग) सरकार की यह नीति है कि जम्मू व काश्मीर के एक भाग पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे से उत्पन्न मसले को शिमला समझौते के अनुसार शांतिपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए।

जहां तक चीन का सवाल है भारत सरकार आपस में बातचीत करके शांति पूर्वक यह प्रयास करती रही है कि चीन ने जिस इलाके पर गैर कनूनी कब्जा कर लिया है उसे हासिल कर लिया जाए। सरकार ने चीन सरकार के साथ सीमा के सवाल पर आधिकारिक स्तर की बातचीत शुरू कर दी है।

ग्रामीणों में नशीली दवा खाने की लत

4896. **डा० टी० कल्पना देवी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय ग्रामीण सांस्कृतिक केन्द्र, दिल्ली द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि सामान्य ग्रामवासियों में नशीली दवाओं और अल्कोहल का सेवन करने की लत है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात और तमिलनाडू सहित देश के विभिन्न भागों में नशीली दवाओं के सेवन संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) और (ख) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय ग्रामीण सांस्कृतिक केन्द्र दिल्ली द्वारा स्थल पर ही (आन दी स्पाट) अध्ययन किया गया था जिसमें केवल दिल्ली और हरियाणा के 44 गांव शामिल थे। गुजरात और तमिलनाडु सहित दूसरे राज्यों के संबंध में उन द्वारा इस प्रकार का कोई भी अध्ययन नहीं किया गया था। उपरोक्त सर्वेक्षण के अनुसार 44 गांवों में 1,07,716 की कुल जनसंख्या की तुलना में शराब पीने के आदी व्यक्तियों की संख्या 7,691 (7.14 प्रतिशत) और नशीली दवाओं का सेवन करने वाले व्यक्तियों की संख्या 270 (3.9 प्रतिशत) पाई गई।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. सरकार मदिरापान की बुराइयों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जन संचार माध्यम के जरिए प्रचार करके लोगों को शिक्षित करने और शिक्षाप्रद प्रचार हेतु स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता देकर प्रोत्साहित करने के कार्य में निरन्तर प्रयत्नशील है।

2. समाज कल्याण कार्यक्रम के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए "नया सवेरा" नामक रेडियो प्रायोजित कार्यक्रम 14-11-1983 से शुरू किया गया है। इसमें मदिरापान और नशीली दवाओं का सेवन न करने के बारे में भी प्रचार किया जाता है।

3. छात्र समुदाय के लाभ के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर मंत्रालय द्वारा 1983-84 के दौरान नशीली दवाओं और मदिरापन निषेध पर निबन्ध और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

4. प्रचार को और अधिक रुचिकर बनाने के लिए 9 क्षेत्रीय टी०वी० केन्द्रों के साथ-साथ इस मंत्रालय द्वारा 1984-85 में विश्वविद्यालयों में टी०वी० नाटक प्रतियोगिताएं प्रायोजित की गई। प्रत्येक क्षेत्र में पहले तीन पुरस्कार विजेता दलों को क्रमशः 5,000/-रुपए, 3,000/-रुपए और 2,000/-रुपए के नकद पुरस्कार दिए गए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मेजबान विश्वविद्यालय को 5,000/-रुपए का सहायता अनुदान दिया गया।

5. राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से आग्रह किया गया है कि विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से अनुरोध करें कि वे विश्वविद्यालय कैम्पस/होस्टलों में मदिरापन और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर विशेष निगरानी रखें। आगे यह भी अनुरोध किया गया है कि शैक्षिक संस्थाओं में इन नशीली दवाओं के दुरुपयोग के संबंध में जब कभी कोई जानकारी मिले तो राज्य में कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों को तुरन्त सूचित किया जाये। राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि जिन शैक्षिक और प्रेरणा दायक कार्यक्रम शुरू करें ताकि लोगों को स्वापी नशीली दवाओं और साइकोट्रापिक सब्सटान्सिज के सेवन की आदत से छुटकारा दिलाया जा सके।

6. नशीली औषधियों के व्यसनियों के उपचार के लिए इस समय प्रर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में 3-1-86 को एक विशेषज्ञ समिति का

गठन किया है जो इस प्रश्न पर विचार करेगी और तीन मास के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। फिर भी, उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय ने 22-6-85 से 8-12-85 तक की अवधि के दौरान एक स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से पहले ही नशीली दवाइयों की आदत छुड़ाने के लिए 4 कैम्प लगाए थे। इस तरह का एक कैम्प जून-जुलाई, 1985 में दिल्ली में लगाया गया था। नशीली दवाओं के व्यसनी लगभग 202 व्यक्तियों को इससे लाभ हुआ। हाल ही में और ऐसे कैम्पों के लिए वित्तीय सहायता दी गई है।

7. हाल ही में 30-12-1985 को दिल्ली स्थित 4 स्वयंसेवी संगठनों को नशीली दवाओं के व्यसनियों के लिए 7 परामर्श केन्द्रों की स्वीकृति दी गई थी। ये परामर्श केन्द्र पुनर्वास की व्यवस्था, उपचार स्रोतों संबंधी जानकारी सप्लाई करने, अन्य पुनर्वास केन्द्रों के साथ समन्वय करने, आंकड़े एकत्रित करने, आंकड़ों का प्रचार करने, प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सम्पर्क करने तथा अलग-अलग और ग्रुप थैरापी आदि में सहायता करने जैसे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देंगे।

8. टी०टी० रंगानाथन किलिनिकल रिसर्च फाउन्डेशन मद्रास ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए 20 से 24 जनवरी, 1986 तक नशीली दवाइयों के दुरुपयोग से संबंधित पांच दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम का आयोजन किया था। यह एक निजी संस्था है और नशीली दवाओं के व्यसन उपचार और मदिरापान के क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रही है। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक धनराशि मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई थी। इस अनुस्थापन कार्यक्रम में दिल्ली से 19 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह अनुस्थापन कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक रहा है। ऐसा ही एक दूसरा कार्यक्रम अप्रैल, 1986 में आयोजित किया जा रहा है।

9. नशीली दवाओं के दुरुपयोग की स्थिति की समीक्षा और प्रबोधन करने तथा सुधारात्मक उपायों की सलाह देने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयी दल का गठन किया गया है। कल्याण मंत्रालय के सचिव इसके अध्यक्ष हैं और गृह, स्वास्थ्य, वित्त तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों तथा शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं।

10. नशीली दवाओं के दुरुपयोग के सम्बन्ध में सावधानी पूर्वक प्रचार अभियान नियोजन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक "न्यूक्लस ग्रुप" की स्थापना भी की गई है।

11. हाल ही में बनाए गए अधिनियम में, अर्थात् नारकोटिक ड्रग्स एंड साईकोट्रपिक सब्सटान्सिज एक्ट, 1985," जो देश में 14-11-85 से लागू किया गया, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है। उक्त अधिनियम के दंडात्मक उपबंधों के विज्ञापन के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रचार अभियान चलाने का कार्य भी करता है। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था वित्त मंत्रालय द्वारा की गई है।

कम्प्यूटर लगाना

4897. **श्री आर० अण्णानम्बी** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे, डाक-तार, बीमा इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया, कोयला और बैंकिंग जैसे विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में कम्प्यूटर लगाने से देश में रोजगार के अवसरों पर उनका प्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है कि इसका रोजगार के अवसरों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या इस प्रकार की कम्प्यूटर नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव है जिससे रोजगार के अवसरों की सुनिश्चितता के साथ-साथ कम्प्यूटरों के द्वारा आवश्यक आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार इस बात पर विश्वास नहीं करती है कि इन क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण लागू होने के परिणामस्वरूप, देश में रोजगार की स्थिति पर समग्र रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ख) प्रोफेसर दांडेकर की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने इस संबंध में अध्ययन किया है। इस सिलसिले में, इलेक्ट्रानिकी विभाग ने समय-समय पर श्रम मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा करके और आगे भी अध्ययन किया है।

(ग) नवम्बर, 1984 को सरकार द्वारा घोषित नई कम्प्यूटर नीति, तथा बाद में अद्यतन बनाए इसको रखने का अभिप्राय जिन क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है और इसके साथ ही कम्प्यूटरीकरण के कारण रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता उनमें समुचित आधुनिकीकरण लाने के लिए कम्प्यूटरीकरण के प्रयोग को बढ़ावा देना है। इलेक्ट्रानिकी विभाग कम्प्यूटरीकरण के प्रस्तावों की जांच करते समय अनुप्रयोगों की अनिवार्यता की विशेष रूप से जांच करता है। जिन अनुप्रयोगों के फलस्वरूप मात्र मानव श्रम शक्ति को स्वचालित बनाया जाता है और उससे श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाता। केवल ऐसे कार्य जिन्हें मानवीय प्रक्रिया से एक निश्चित समय-सीमा में नहीं किया जा सकता, अथवा ऐसे कार्य कलाप जहां कम्प्यूटरीकरण के जरिए प्रचालन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और जो प्रत्यक्ष रूप से आम जनता के लिए लाभकारी है उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रानिकी विभाग उत्पादन कर्ता संगठन को कम्प्यूटर प्रणालियों की खरीद करने के लिए अनुमति प्रदान करते समय उक्त आशय का आश्वासन प्राप्त करना है, ताकि इस बात का सुनिश्चय हो सके कि कम्प्यूटरीकरण का श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और कम्प्यूटरीकरण के लाभ उन्हें मिल सकें।

"एक्स-सी० आई०ए० एजेन्ट्स फर्म मेड राजीव्स इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4898. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मार्च, 1986 के "टाइम्स आफ इंडिया" "दिल्ली सस्करण" में "एक्स सी० आई० ए० एजेंटस फर्म मेड राजीव्स इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट में प्रकाशित यह जानकारी सही है कि जिस कंपनी ने राजीव्स इंडिया" फिल्म बनाई है, उसके मालिक भूतपूर्व सी० आई० ए० एजेंट श्री मैक्स हुगेल हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व सी०आई०ए० एजेंट और फिल्म निर्माण गतिविधियों के बीच इस प्रकार के निकट संपर्क से राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचेगा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) टेलीविजन वृत्तचित्र "राजीव का भारत" जैक एण्डरसन फाइल और इण्टरनेशनल सिण्डिकेशन्स इनकारपोरेटिड ने मिलकर बनाया था। यह सत्य है कि इण्टरनेशल सिण्डिकेशन्स इनकारपोरेटिड (आई० एस० आई०) के अध्यक्ष मैक्स ह्यूगल 21 जनवरी, 1981 से 14 14 जुलाई, 1981 तक सी० आई०ए० में एक अधिकारिक पद पर थे।

(ग) जी नहीं। भारत में किसी फिल्म निर्माता को फिल्म बनाने के लिए आने की अनुमति देने से पूर्व सरकार हमेशा ही राष्ट्रीय हितों की संरक्षा और सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं की दृष्टि से उपयुक्त प्राधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया अपनाती है। यह टेलीविजन टीम जब भारत आई थी उस समय प्रत्येक सुरक्षा सावधानी बरती गई थी।

थोरियम के भण्डार

4899. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन स्थानों में थोरियम के भंडारों का पता चला है; और

(ख) थोरियम के मंडारों को निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) थोरियम के मंडार निम्नलिखित क्षेत्रों में पाए गए हैं : उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु केरल तथा महाराष्ट्र के **तटवर्ती क्षेत्र** बिहार के रांची जिले, पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले, तमिलनाडु के कन्याकुमारी और तिरूनलवेलि जिलों के तथा केरल के अपतट और भीलों की सतहों के **आंतरिक भाग**

(ख) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में मानवलाकुरुचि में और उड़ीसा के गंजम जिले के छत्रपुर में स्थित उड़ीसा खनिज उद्योग समूह में लगे खनिज शोधन संयंत्रों की सहायता से थोरियम तथा अन्य भारी खनिज निकालता और अलग करता है। केरल राज्य सरकार का एक उपक्रम मैसर्स केरल मिनरल्स एंड मैटल्स लिमिटेड भी क्विलान जिले में चवारा में लगे अपने सयंत्रों में खनिज अलग करता है।

"वन भूमि की हानि"

4900. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान बांधों में गाद भरने, औद्योगिक एकक स्थापित होने, अधिक भूमि पर कृषि किये जाने, सड़कें बनाए जाने तथा अवैध रूप से वृक्षों के गिराए जाने के कारण राज्य-वार कितने लाख हेक्टेयर वन भूमि की हानि हुई; और

(ख) वन कटाई की वर्तमान वार्षिक दर कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जिआउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) वन क्षति अथवा वृक्षों की अवैधामिक कटाई से होने वाली वार्षिक क्षति के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 1980-81 से

1984-85 के दौरान वन-भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए प्रयोग को एक संलग्न विवरण में दिया गया है। समरूप गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के प्रयोग की वर्तमान सीमा प्रतिवर्ष लगभग 6500 हेक्टेयर है।

विवरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 1980-81 से 1984-85 के दौरान गैर-वानिकी उद्देश्यों में परिवर्तित की गई वनभूमि

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1.	आंध्र प्रदेश	711.878
2.	असम	534.250
3.	बिहार	664.273
4.	गुजरात	1670.120
5.	हरियाणा	1.200
6.	हिमाचल प्रदेश	197.306
7.	जम्मू और कश्मीर	—
8.	कर्नाटक	698.910
9.	केरल	511.596
10.	मध्य प्रदेश	8350.710
11.	महाराष्ट्र	3861.050
12.	मणिपुर	0.340
13.	मेघालय	169.120
14.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	5874.156
16.	पंजाब	2.650
17.	राजस्थान	3128.090
18.	सिक्किम	249.050
19.	तमिलनाडु	528.580
20.	त्रिपुरा	44.492
21.	उत्तर प्रदेश	704.760
22.	पश्चिम बंगाल	103.410
23.	अरुणाचल प्रदेश	378.980
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	196.900
25.	चण्डीगढ़	—
26.	दादरा और नागर हवेली	140.340
27.	दिल्ली	—
28.	गोआ, दमन एवं दीव	66.017
29.	मिजोरम	—
30.	पांडिचेरी	—
31.	लक्षद्वीप	—
	कुल :	28,788.178

[हिन्दी]

नेत्रहीनों के लिये हिन्दी आशुलिपि कोड

4901. **श्री केशव राव पारधी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल इन्स्टीट्यूट फार विजयुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून ने नेत्रहीनों के लिये हिन्दी आशुलिपि कोड तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कोड को तैयार करने में कितने आशुलिपि विशेषज्ञों की सहायता ली गई थी;

(ग) इस कोड का उपयोग करने वाले संस्थानों के नाम क्या हैं और इनके द्वारा नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार मिलने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी; और

(घ) इस हिन्दी आशुलिपि को अब तक कितने नेत्रहीन व्यक्ति चुके सीख हैं और उनमें से कितने लोगों को अब तक रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 10 आशुलिपि और ब्रैल विशेषज्ञों से परामर्श किया गया।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून और अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ ने इस कोड को प्रयोग में लाना शुरू किया है और 24 नेत्रहीन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया है। इनमें से 11 नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की और शाखायें

4902. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की और शाखाएं शीघ्र ही खोली जाएंगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की पांच न्याय पीठें, दिनांक 1-1-1985 को नई दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास तथा न्यू बंबई में स्थापित की गई थीं और अधिकरण की तीन और न्यायपीठें दिनांक 3-3-1986 को चण्डीगढ़, बंगलौर और गुवाहाटी में स्थापित की गई थीं। ऐसा प्रस्ताव है कि 30-6-1986 तक जोधपुर, जबलपुर, एर्नाकुलम, हैदराबाद, अहमदाबाद, पटना और कटक में सात और न्याय पीठें स्थापित की जायें।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा में वरिष्ठता क्रम का निर्धारण

4903. **डा० डी०एम० रेड्डी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीधे भर्ती किए गए और विभागीय तौर पर पदोन्नत अधिकारियों के वरिष्ठता क्रम के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा 11 फरवरी, 1986 को दिए गए निर्णय के अनुसार भारतीय सांख्यिकीय सेवा के श्रेणी एक के अधिकारियों का सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों के साथ वरिष्ठता क्रम निर्धारित करते समय अब उनकी स्थानापन्न सेवा अवधि को भी ध्यान में रखा जाएगा; और

(ख) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के आधार पर इसी प्रकार के अनेक मामलों पर निर्णय करने का है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) उच्चतम न्यायालय ने 11 फरवरी, 1986 को दिए गए अपने निर्णय में एक प्रक्रिया निर्धारित की है जिसके अनुसार भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-IV में अब तक पदोन्नत अधिकारियों का सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों के साथ वरिष्ठता क्रम, अन्य बातों के साथ-साथ सेवा में सम्मिलित पदों पर की गई निरन्तर स्थानापन्न सेवा को भी ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना है ।

(ख) निर्णय मामले से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों के विशेष संदर्भ में है । अतः उसमें दिये गए निर्देशों को अन्य इसी प्रकार के मामलों अथवा सेवाओं में लागू करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सीधे नियुक्त और विभागीय रूप से पदोन्नत कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करना

4904. **श्री सोमजी भाई डामोर : क्या प्रधान मंत्री** सीधे नियुक्त और विभागीय रूप से पदोन्नत कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने के सम्बन्ध में जारी किये गए अनुदेशों के बारे में 14 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2835 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ए० जनार्दन बनाम भारत सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अप्रैल, 1983 को दिये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए सीधे नियुक्त किये गये और विभागीय रूप से पदोन्नत कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने संबंधी अनुदेश जारी कर दिए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या; और

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की है कि सरकारी सेवा में सीधे नियुक्त एक कर्मचारी को वरिष्ठता के किसी भी सिद्धांत द्वारा उस पदोन्नत कर्मचारी से वरिष्ठ नहीं किया जा सकता जिसने अनेक वर्ष सेवा की है क्योंकि यह मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का उल्लंघन है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) जी हां । दिनांक 7 फरवरी, 1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35014/2/80 स्थापना (घ) की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2533/86]

खाड़ी के देशों में काम करने वाली महिलाओं के साथ दास जैसा व्यवहार

4905. **प्रो० के० वी० थामस : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि खाड़ी के देशों में घरों में नौकरों के रूप में काम करने वाली महिलाओं के साथ दास जैसा व्यवहार किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी, नहीं। हमें इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है कि महिला मजदूरों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। तथापि, खाड़ी देशों में स्थित हमारे कुछ मिशनों को समय समय पर ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं जो भारतीय महिला घरेलू नौकरों के साथ दुर्व्यवहार तथा अत्याचार, वेतन की अदायगी न करना या वेतन से कम भुगतान करना, अधिक काम लेने आदि से संबंधित होती हैं। इस प्रकार के मामलों को हमारे मिशन मामले को नियोक्ताओं के साथ उठाते हैं ताकि एक सौहार्दपूर्ण समझौता किया जा सके। यदि यह पाया जाता है कि किसी नियोक्ता का रवैया सहयोगपूर्ण नहीं है तो मामले को स्थानीय विदेश कार्यालय के साथ उठाया जाता है या शिकायतकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे श्रमिक न्यायालयों में जाएं।

खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी की उपयोगिता

4906. **प्रो० वाई० एस० महाजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विकसित की जा रही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से भूमि की क्षारता का पता लगाकर और उसके लिए उपचारात्मक कदम उठाकर खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने में कितनी मदद मिलेगी;

(ख) क्या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वृक्षहीन वन क्षेत्रों में वन लगाने में भी सहायक हो सकती है जिससे बाढ़ों की रोक-थाम होगी और वन सम्पदा बढ़ेगी; और

(ग) यदि हां, तो हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इन क्षेत्रों में कितनी सफलता प्राप्त की है और कितने खर्चे पर ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भू-तथ्य आंकड़ों के साथ-साथ उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन मानचित्रों, मृदा साहचर्य मानचित्रों, लवणता और क्षारीय मृदाओं, खड्ड श्रेणियों इत्यादि को निरूपित करने वाले मानचित्रों का निर्माण किया जा सकता है। भूमि की सिंचाई-योग्यता, जलाक्रान्त क्षेत्रों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों का भी निर्माण किया जा सकता है। कृषि फसल के अभिनिर्धारण और क्षेत्रफल (एकड़ों में) के आंकलन के लिए भी अध्ययन चल रहे हैं। इनमें से कई उपयोगों से महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है, जिससे कृषि की योजना बनाने में सहायता मिलती है। जबकि सुदूर संवेदन आधारित तकनीक ऐसी उपयोगी सूचना तीव्रता से तैयार करने में सहायक हो सकती है, समस्याओं को वास्तव में सुलझाने और उपचारी कदमों को उठाने का कार्य उपयुक्त कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किया जायेगा। आगामी वर्षों में कई महत्वपूर्ण कृषि संबंधी प्राचलों का पता लगाने के लिए कई और सुदूर संवेदन परीक्षणों को करने की भी योजना बनाई गई है।

(ख) अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी आवधिक रूप में वन क्षेत्रों के मानचित्रण में उपयोगी होगी। अन्तरिक्ष प्रतिबिम्बकियां अनाच्छादित क्षेत्रों के बारे में सही सूचना प्रदान कर सकती हैं और इस प्रकार वनरोपण के लिए क्षेत्रों के निर्धारण में और वनरोपण कार्यक्रम के मानीटरन में भी सहायता प्रदान कर सकती हैं।

(ग) अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी को भू-विज्ञान, वन मानचित्रण, बाढ़ मानचित्रण, जल संसाधन, कृषि फसलों, भूमि जल का पता लगाने इत्यादि से संबंधित कई क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा रहा है। कुछ उपयोग तो प्रचालनात्मक चरणों में पहुंच चुके हैं और इन्हें प्रयोक्ताओं द्वारा नियमित रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। कुछ और उपयोगों को प्रचालनात्मक प्रयोग में लाने की योजना बनाई गई है। ऐसे कुछ उन्नत परीक्षणों को भी आयोजित किया जा रहा है, जो कि अब अनुसंधान के स्तर पर हैं और उपयोगों के स्तर पर पहुंच सकते है। विविध एजेंसियों द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त की जा रही इस जटिल प्रौद्योगिकी में लागत पक्ष का आंकलन करना कठिन है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए वर्ष 1986-87 के लिए योजना प्रावधान

4907. **श्री हरीश रावत** : क्या **योजना मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना आयोग को राज्य के आठ पर्वतीय जिलों के लिए 1986-87 की प्रारूप वार्षिक योजना में कुल कितनी धनराशि का प्रास्ताव किया है;

(ख) क्या यह धनराशि योजना आयोग द्वारा स्वीकृत धनराशि से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो दोनों धनराशियों में कितना अन्तर है तथा वार्षिक योजना में कम परिव्यय राशि स्वीकृत करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या योजना आयोग वर्ष 1986-87 के लिए परिव्यय राशि में बृद्धि करने पर विचार कर रहा है?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पंजा): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की उप-योजना 1986-87 अभी राज्य सरकार से प्राप्त होनी है। लेकिन, वार्षिक योजना-1986-87 के दस्तावेज में, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की उपयोजना-1986-87 का आकार 222 करोड़ रु० बताया गया है; राज्य योजना से प्राप्ति और विशेष केन्द्रीय सहायता के बीच कोई वितरण नहीं बताया गया है। योजना आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को उनकी पर्वतीय क्षेत्र उप-योजना-1986-87 के लिए आवंटित की गई विशेष केन्द्रीय सहायता 120 करोड़ रु० है। पिछले वर्ष उक्त राशि 108.55 करोड़ रु० थी। इस प्रकार इसमें 11.45 करोड़ रु० की वृद्धि हुई है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए बंदी अथवा फरार प्रमाण पत्र जारी करना

4908. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान (स्वतंत्रता सेनानी) पेंशन के लिए आवेदन करने वाले लोगों के लिए बंदी अथवा फरार प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी नियमों में कोई परिवर्तन किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने बिहार के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इस प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी करने के अधिकार को वापस ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना 1972 के अन्तर्गत कोई स्वतंत्रता सेनानी जो गिरफ्तारी वारण्ट पर भूमिगत यातना का दावा करता हो, के लिए सरकारी अभिलेखों से दस्तावेजी साक्ष्य जैसे अदालती दस्तावेज अथवा उसको अपराधी घोषित करने वाले कार्यकारी आदेश प्रस्तुत करने आवश्यक थे। इस सम्बन्ध में 1-8-1980 से लागू स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत इस सीमा तक छूट दी गई थी कि यदि सरकारी अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं तो स्वतंत्रता सेनानी किसी प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी जिस ने स्वयं कम से कम 5 साल के कारावास की सजा भुगती हो, से उसके व्यक्तिगत ज्ञान से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिसे उसकी यातना के समर्थन में कम करके 2 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन सक्षम प्रमाणकर्ता द्वारा जारी किये गए प्रमाणपत्र केवल तभी स्वीकार्य हैं जबकि कार्य क्षेत्र अर्थात स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रमाणकर्ता तथा आवेदक का जिला एक ही हो।

2. जेल यातना पर आधारित दावों के सम्बन्ध में सरकार ने निर्णय किया है कि यदि सरकारी अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं तो स्वतंत्रता संघर्ष के सम्बन्ध में कम से कम एक वर्ष के कारावास की सजा काटने वाले किन्हीं दो केन्द्रीय पेंशन प्राप्त कर्ताओं जिन्होंने ताम्रपत्र प्राप्त किये हैं से सह-बन्दी प्रमाणपत्र स्वीकार्य होंगे। 1972 की योजना के अन्तर्गत ऐसे सह-बन्दी प्रमाण-पत्र केवल वर्तमान अथवा भूतपूर्व विधायकों से ही स्वीकार्य थे।

(ग) से (ङ) शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि कुछ राज्यों के कुछेक प्रमाणकर्ताओं ने फरार होने अथवा सह-बन्दी होने के प्रमाण-पत्र बगैर सोचे समझे दिये थे। सावधानी से जांच करने पर मालूम हुआ कि इनमें से कुछ ने ऐसे व्यक्तियों को भी प्रमाणपत्र दिए थे जिन्होंने मालूम होता है कि स्वतत्रता संघर्ष में भाग नहीं लिया था। इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि ऐसे प्रमाण-कर्ताओं द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्रों पर सम्मान पेंशन देने के लिये विश्वास न किया जाए।

[अनुवाद]

"डल झील, श्रीनगर के विकास के लिए धनराशि"

4909. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रीनगर (जम्मू तथा काश्मीर राज्य) में डल झील को राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में घोषित करेगी और इसे प्रदूषण तथा लुप्त होने से बचाने हेतु इसके विकास के लिये धनराशि उपलब्ध करेगी;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) से (ग) डल झील को एक राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार ने 64.00 करोड़ रुपए की कुल लागत से एक योजना तैयार की है जो तीन चरणों में

फैली हैं। राज्य सरकार के अनुसार, 1978 में चरण-I तथा 1983-84 में चरण II पर कार्य प्रारम्भ किया गया था, किन्तु निधियों के अभाव के कारण प्रगति धीमी रही है। राज्य सरकार ने, ने, एशिया विकास बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है।

रंगीन टेलीविजन सेट

4910. **श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रंगीन टेलीविजन सेटों की किस्म सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे; और

(ख) क्या इनके आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का कोई विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) स्वदेश में बने रंगीन दूरदर्शन सेटों की क्वालिटी को सुधारने/उसका इत्मीनान करने की दृष्टि से इलेक्ट्रानिकी विभाग ने जो विभिन्न कदम उठाए हैं, उनका ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :

1. उन विशिष्टियों का निर्माण, जो बाद में भारतीय मानक संस्थान (आई०एस०आई०) द्वारा अपनाई गईं।
2. प्रत्येक विनिर्माणकर्ता के पास कितने न्यूनतम परीक्षण उपस्कर होने चाहिए तथा उसकी न्यूनतम उत्पादन-क्षमता कितनी होनी चाहिए, इसका पता लगाना।
3. आरम्भत: दिल्ली तथा कलकत्ता स्थित इलेक्ट्रानिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना।
4. प्रत्येक विनिर्माता से 'एक सेट' के आधार पर सीमित अनुमोदन प्रदान करना।
5. विभिन्न विनिर्माण कर्ताओं को विकास-कार्य संबंधी सहायता प्रदान करना (एक या एक से अधिक मानदण्डों (पैरामीटरों के लिए) ताकि परीक्षण के परिमणामों के आधार पर उनके सेटों की क्वालिटी में सुधार लाया जा सके।
6. रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले कुछ संघटक-पुर्जों का परीक्षण करने के लिए सुविधायें प्रदान करना।
7. रंगीन दूरदर्शन सेटों की क्वालिटी में और सुधार लाने की दृष्टि से विभिन्न पहलुओं पर उद्योग को आवश्यक सूचना और जानकारी उपलब्ध कराना।

इस संबंध में निम्नलिखित और कदम उठाए जा रहे हैं :

1. एक प्रमाणीकरण योजना चालू करने की योजना बनाई जा रही है। प्रमाणीकरण योजना के चालू करने के आरम्भिक कदम के रूप में, प्रत्येक विनिर्माणकर्ता (जिसके अन्तर्गत रंगीन दूरदर्शन सेटों के लगभग 80 प्रतिशत उत्पादन को लाया जाएगा) से कोई भी तीन सेट चुने जाने से संबंधित कार्यकलाप शुरू किया जा रहा है। इन सेटों का भारतीय मानकों की संपूर्ण विशिष्टियों के अनुसार परीक्षण किया जाएगा।
2. बम्बई तथा बंगलौर में रंगीन दूरदर्शन रिसीवर सेटों का परीक्षण करने की दृष्टि से सुविधाएं जुटाई जा रही हैं।

3. महत्वपूर्ण एवं निर्णायक किस्म के संघटक-पुर्जों के लिए विशिष्टियां तैयार की जा रही हैं। उनको उद्यतन बनाया जा रहा है, ताकि इन संघटक-पुर्जों का परीक्षण करने के लिए परीक्षण की व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

(ख) जी, नहीं।

"आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों द्वारा पेड़ लगाना"

4911. **श्री टी० बाल गौड़ : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागज उद्योग और रेयन उद्योग को बांस, यूकेलिप्टस और दूसरे हल्की लकड़ी की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है जिसके कारण बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा जाता है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में ऐसे कितने उद्योग चल रहे हैं और सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत पेड़ लगाने के लिये उन उद्योगों को कितने ऋण दिए गए हैं;

(ग) योजना की क्रियान्विति के लिये इन उद्योगों को कितनी भूमि आवंटित की गई है; और

(घ) क्या ये उद्योग ऋण और सरकार से किये गये वादे के अनुसार पेड़ लगाने के कार्यक्रम को गंभीरता से ले रहे हैं; और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) यह सच है कि कागज एवं रेयन उद्योगों को वनों से यथेष्ट मात्रा में बांस, यूकेलिप्टस तथा अन्य नरम काष्ठ की आवश्यकता होती है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"फाइबर आपटिक्स प्रौद्योगिकी"

4912. **श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या प्रधान मन्त्री** यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इलेक्ट्रानिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में "फाइबर आप्टिक्स" प्रौद्योगिकी प्रयोग करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने "आप्टिकल फाइबर" की सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी और स्वदेशी उत्पाद तथा देश में उपलब्ध अन्य पद्यतियां प्राप्त करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) तंतु प्रकाशिकी प्रौद्योगिकी में एक और विकल्प उपलब्ध है, जिसके अन्तर्गत केबलों, रेडियो, सूक्ष्मतरंग (माइक्रोवेव) तथा उपग्रह का प्रयोग करके वर्तमान संचार नेटवर्क को कुछ और लाभप्रद बनाया जा सकता है। सातवीं योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले नेटवर्क के कुछ अंश का क्रियान्वयन, जहां कहीं वह लागत की दृष्टि से कम हो, तंतु प्रकाशिकी प्रौद्योगिकी के माध्यम से

करने की योजना है। विभिन्न परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने के पश्चात ब्यौरे तैयार किए जानें हैं।

(ग) और (घ) स्वदेशी उत्पादन का आधार स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश इलेक्ट्रानिकी विकास निगम नामक सार्वजनिक क्षेत्र की दो कम्पनियों ने टेंडर आमन्त्रित किए हैं। प्राप्त टेंडरों पर विभिन्न चरणों पर विचार किया जा रहा है।

मूल्य वृद्धि के कारण विभिन्न राज्यों के लिए धन के आवंटन में वृद्धि

4913. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी :** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, और फरवरी 1986 में घोषित मूल्यवृद्धि के कारण योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राज्य योजनाएं आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगी; और

(ख) क्या योजना आयोग राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं की राशि में समानुपातिक वृद्धि करने की अनुमति देगा ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) जी, नहीं। राज्यों द्वारा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के वास्तविक लक्ष्यों की, समग्र मूल्य नीति को ध्यान में रखकर, योजना आयोग के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिणी दिल्ली में हथियार बनाने के कारखाने का पकड़ा जाना

4914. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री एन० डेनिस :
श्री जगन्नाथ पटनायक :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
डा० गौरी शंकर राजहंस :
श्री सुभाष यादव :
श्री कमला प्रसाद सिंह :
प्रो० राम कृष्ण मोरे :
श्री सुरेश कुरूप : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मार्च, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 10 मार्च, 1986 को दक्षिणी दिल्ली में निश्चित निशाना मारने के प्रयोग में आने वाले मध्य श्रेणी के हथियारों के पुर्जे बनाने वाले एक आधुनिक हथियार बनाने का कारखाना पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई गिरफ्तारियां की गई हैं; और

(घ) मामले में किस प्रकार की कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 9-3-86 को दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली में सायदलजाब गांव में एक मकान पर छापा मारा और अनधिकृत हथियारों के चोरी छिपे बनाए जाने के कार्य का पता लगाया । भिन्न-भिन्न प्रकार के परिष्कृत रिवाल्वरों और पिस्तौलों के लिए प्रयोग में आने वाले हैण्डग्रिप्स के पूरे बने हुए 357 जोड़े बरामद किए गए । इसके अतिरिक्त 176 अपूर्ण बट, ड्रिल मशीनें, मोटर, ग्राइन्डर, वाइसिसि, गोल आरियां, कास्टिंग मोल्डस, तथा अमेरिका में बने 6 परिष्कृत मोल्डस बरामद किए गए।

(ग) मौके पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया । एक व्यक्ति को बाद में गिरफ्तार किया गया ।

(घ) शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27/29/30/54/59 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था । मामले की जांच-पड़ताल के दौरान थाना नांगलोई के अन्तर्गत गांव मुंडका में एक ऐसी ही इकाई का भी पता लगाया गया है जहाँ से पिस्तौल के बटों के पूरे बने हुए कुछ हैण्ड ग्रिप्स बरामद किए गए हैं । इस सम्बन्ध में दो और व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर इलैक्ट्रानिकी सामान

4915. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी सामानों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों अथवा यथा संभव उसके समकक्ष मूल्यों पर और अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के इलेक्ट्रानिकी सामान मुहैया कराना वर्तमान इलेक्ट्रानिकी नीति का घोषित लक्ष्य है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस लक्ष्य को किस हद तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) क्या इलेक्ट्रानिकी से संबंधित राजस्व संबंधी हाल के किए गए उपायों से इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इलेक्ट्रानिकी उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा इन उपायों के प्रभाव पर चिन्ता व्यक्त किए जाने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) इस दिशा में हासिल की गई प्रगति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) अच्छी क्वालिटी के स्वदेशी कम्प्यूटर अब अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से 2-3 गुना अधिक मूल्य पर उपलब्ध हैं जबकि पहले ये 4-5 गुना अधिक मूल्य पर उपलब्ध हुआ करते थे । इसके अलावा, जब स्वदेश में अधिक मात्रा में उत्पादन शुरू हो जाएगा तब कम्प्यूटरों के मूल्यों में और अधिक कमी आने की संभावना है ।

(2) शुल्कों तथा करों में छूट देने के फलस्वरूप हमारे कुछ किस्म के श्याम तथा श्वेत और रंगीन दूरदर्शन माडल, के कारखानागत मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क आधार पर आयातित रंगीन दूरदर्शन सेटों की तुलना में अधिक आकर्षक हो गए हैं। किन्तु हमारे दूरदर्शन सेटों की क्वालिटी तथा विश्वसनीयता में और सुधार लाने की जरूरत् है । इस दिशा में अन्य बातों के

साथ-साथ, इलेक्ट्रानिकी विभाग के मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत देशव्यापी परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण नेटवर्क के जरिए ध्यान दिया जा रहा है।

(ग) हाल के आर्थिक उपायों से कुछ मामलों में यथा स्थिति न्यूनाधिक मात्रा में पूर्ववत बनी हुई है; लेकिन रंगीन दूरदर्शन (36 सेमी० से अधिक आकार के पर्दे वाले) जैसे कुछ मामले ही अपवाद स्वरूप हैं, जहां उत्पादन शुल्क 600 रु० बढ़ा दिया गया है।

(घ) उत्पादन शुल्कों में वृद्धि होने के फलस्वरूप ऐसी वस्तुओं की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में उद्योग ने चिन्ता व्यक्त की है।

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के अस्थगित मामलों को पुनः चालू करना

4916. **श्री सुदर्शन दास :** क्या **गृह मन्त्री** असम में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के अस्थगित मामलों को पुनः चालू करने के बारे में 5 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1472 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के निरस्त किए गए 1774 मामलों में से अनेक लोगों के पास प्रमाणित पत्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में भी पेंशन बहाल न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने 526 मामलों में पेंशन अद्यतन बहाल करने की सिफारिश की है और इनमें से 521 मामलों में पेंशन बहाल कर दी गई है।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का विस्तार

4917. **श्री के० कुन्जम्बु :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

4918. **श्री चरनजीत सिंह वालिया :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग की चयन समिति ने उस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए पंजाब का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त पाए गए स्थानों के नाम क्या हैं;

(घ) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा पंजाब में इस योजना को कब और किस स्थान पर शुरू किया जाएगा; और

(ङ) उस परियोजना को शुरू करने में देरी के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु उर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1984 में।

(ग) से (ङ) उत्तरी विद्युत क्षेत्र के बारे में, जिसमें पंजाब भी शामिल है, स्थल-चयन समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

उड़ीसा में राकेट प्रक्षेपण केन्द्र

4919. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालियापल राकेट प्रक्षेपण केन्द्र के संबंध में रक्षा मन्त्रालय के अधिकारियों और उड़ीसा से प्रतिनिधियों के साथ कोई विचार विमर्श हुआ था; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना को कब शुरू करने का विचार है और यह कब तक पूरी हो जाएगी; और

(ग) क्या सरकार को वहां के लोगों द्वारा अपनी सुरक्षा की आशंका को लेकर व्यक्त किए गए भारी रोष की जानकारी है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) उड़ीसा में राष्ट्रीय रेंज परियोजना स्थापित करने के बारे में उड़ीसा के प्रमुख नागरिकों के साथ कई बार विचार-विमर्श हुआ है।

(ख) परियोजना काम शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है और इस योजना अवधि में परियोजना के बड़े भाग के पूरा हो जाने की सभावना है।

(ग) लांचिग एवं परीक्षणों के लिए रेंज सुरक्षा की आवश्यकताओं के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय रेंज सुविधा की योजना बना गई है। अतः नजदीकी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किसी खतरे की बात पूर्णतः निराधार है।

"वन रोपण कार्यक्रम"

4920. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वन रोपण के लिए राज्य वार कितने प्रतिशत हरित भूमि उपलब्ध है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी भूमि में वन रोपण किया गया;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित भूमि में वन रोपण करने संबंधी क्या प्रस्ताव है; और वन रोपण के लिए किस जाति के पौधे लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या हरित भूमि में वन रोपण के प्रयोजन हेतु पवन अवरोधक के रूप में रक्षा पट्टियां बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) कृषि सांख्यिकी (1980-81) लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर को स्थाई चारागाह तथा अन्य चराई की भूमि के रूप में दर्शाती है। हाल ही में इस तरह की भूमियों का कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इन भूमियों पर अनाधिकार कब्जा, निम्नीकरण आदि हो रहा है अतः देश में वन रोपण के लिए उपलब्ध चराहगाह भूमि का विस्तार और उसका राज्यवार प्रतिशत मालूम नहीं है।

(ख) वृक्षारोपण, बिजाई आदि से चरागाहों को दोबारा लगाना परती भूमि विकास प्रयत्नों का एक हिस्सा है। उपचार किया जाने वाला निर्धारित क्षेत्र तथा उनमें उगाई जाने वाली प्रजातियों का चयन स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी तथा उसे राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा हर साल निर्धारित किया जायेगा। (क) पत्ते के रूप में चारा प्रदान करने वाली नेजातियां जैसे-सबबूल, अन्जन, खेजरी, नीम, बबूल, सिस्सू आदि, (ख) सीवन, पौन्या, शेडा आदि जैसी अच्छे चारा देने वाली घास तथा (ग) चारे की फलियों, को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ग) और (घ) रक्षक पट्टियों का बनाया जाना सामाजिक वानिकी का एक हिस्सा है तथा यह स्थान विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

राज्यों द्वारा हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना

4921. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समूचे प्रशासन का कार्य अपनी राजभाषा में करने में क्या बाधाएं आ रही हैं;

(ख) सरकार ने सभी राज्यों द्वारा हिन्दो को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए हैं; और

(ग) भारत के कौन कौन से राज्य हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) संविधान की व्यवस्थाओं क अनुसार केन्द्रीय सरकार की राजभाषा हिन्दी है। केन्द्रीय सरकार के कार्य में हिन्दी का प्रयोग अधिक से अधिक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत बनाए नियम 8 (1) के अनुसार कर्मचारी को हिन्दी या अंग्रेजी में काम करने की स्वतंत्रता है।

(ख) और (ग) संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्यों को अपनी-अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार है। इसी प्रकार राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग तब तक स्वीकार किया गया है जब तक सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए संकल्प पारित नहीं कर देते।

कोचीन तथा कालीकट स्थित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयों में पासपोर्ट के लिए लम्बित पड़े आवेदन पत्र

4922. **श्री पी० एम० सईद** :

श्री सुरेश कुरुप : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन तथा कालीकट स्थित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयों में इस समय पासपोर्ट के लिए बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र अन्तिम कार्यवाही के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन पत्र विशेषकर लक्षद्वीप द्वीप समूह के आवेदकों के आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं और अंतिम कार्यवाही हेतु कब से लम्बित पड़े हैं;

(घ) कोचीन और कालीकट पारपत्र कार्यालय में पासपोर्ट जारी करने में होने वाले बिलम्ब को कम करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) वर्ष 1980 से 1983 तक की अवधि के दौरान कोचीन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि पुलिस की रिपोर्ट समय से प्राप्त नहीं होती। कुछ मामलों में पासपोर्ट आवेदक अधूरी सूचना दे देते हैं जिसे हासिल करने की वजह से देर हो जाती है।

(ग) 1 मार्च, 1986 को विचार के लिए शेष पासपोर्ट आवेदन-पत्र

पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन	— 12,327
पासपोर्ट कार्यालय, कालीकट	— 10,611
लक्षद्वीप समूह में विचारार्थ आवेदन पत्र	— 15

यह सभी मामले तीन महीने से विचारार्थ पड़े हैं।

(घ) पासपोर्ट आवेदनपत्र, पुलिस रिपोर्ट न मिलने के कारण या आवेदन-पत्रों में ही दी गई अधूरी सूचना के कारण विचारार्थ पड़े हैं। पासपोर्ट कार्यालय पुलिस प्राधिकारियों तथा पासपोर्ट आवेदकों को आवधिक रूप से स्मरण करा रहा है।

(ङ)

1980 —	72,104
1981 —	1,37,875
1982 —	1,49,043
1983 —	1,49,789

[हिन्दी]

शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4923. **श्री विष्णु मोदी** :

श्री शान्ति धारीवाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शरणार्थियों ने गुजरात, जम्मू और काश्मीर पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में आवासियों के लिए खोले गए शिविरों में शरण नहीं ली है और उनका पुनर्वास भी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पहले क्या निर्णय लिया था;

(ग) सरकार ने दण्डकारण्य परियोजना में शरणार्थियों और आदिवासियों को दी जा रही सहायता में असमानता दूर करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में रुचि नहीं ले रहे हैं और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा सरकार ने इस संबंध में क्या निर्देश जारी किये हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) सरकार की नीति के अनुसार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए नए आप्रवासी और विस्थापित व्यक्ति, जो 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारत आए थे और जिन्होंने राहत शिविरों में शरण ली थी, वे राहत और पुनर्वास सहायता के पात्र हैं।

(ग) दण्डकारण्य क्षेत्र में आदिवासियों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर गत समय में सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ और 1983 में प्रति परिवार को पहले दी जाने वाली 3,500 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 5,075 रुपये कर दिया गया है। यह राशि, एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त है।

(घ) शरणार्थियों का पुनर्वास करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें अनेक योजनाएं कार्यान्वित करती रही है। कुछ राज्यों में कतिपय योजनाओं को कार्यान्वित करने में की गई प्रगति आशा के अनुरूप नहीं रही। भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों पर, पुनर्वास कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए जोर देती रही है।

[अनुवाद]

भारत में रक्षा संबंधी व्यय

4924. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रक्षा पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय होता है;

(ख) इसकी तुलना में पाकिस्तान और चीन में प्रति व्यक्ति व्यय कितना है; और

(ग) क्या वर्तमान आवंटन करते समय रक्षा आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा गया है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) भारत में 1983-84 में रक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय लगभग 87 रुपये था।

(ख) 1985-86 के सैन्य संतुलन के अनुसार 1983 में पाकिस्तान में रक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय 22 अमरीकी डालर था। चीन के बारे में इसके सुनिश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सैन्य संतुलन 1984 के अनुसार चीन में रक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय 1982 के लिए 9 अमेरिकी डालर था जो 112 रु० बनता है।

(ग) रक्षा के लिए आबंटन करते समय सुरक्षा परिवेश और साधनों की कमी को ध्यान में रखा जाता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यकरण की समीक्षा

4925. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यकरण की समीक्षा करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यकरण की समीक्षा किस तरीके से की जाएगी; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है जिससे राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रभावी तरीके से कार्य कर सके ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) सरकार का राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यों की समीक्षा के लिए एक मूल्यांकन समिति स्थापित करने

का प्रस्ताव है । उस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर को अधिक कारगर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ।

कम्प्यूटरों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक आंकड़े

4926. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला स्तर से ही सामाजिक आर्थिक आंकड़े कम्प्यूटरों के माध्यम से एकत्र करने को बढ़ावा देने हेतु एक सूचना तंत्र विकसित करने की इलेक्ट्रानिकी विभाग का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उक्त कार्य कब से शुरू करने का है; और

(ग) यह किस प्रकार लाभदायक होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परिमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी हां । सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों के कम्प्यूटरीकरण को जिला स्तर से ही बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सूचना नेटवर्क विकसित करने के एक प्रस्ताव पर इलेक्ट्रोनिकी विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

सूचना प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने और उनका विकास करने में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इलेक्ट्रानिकी विभाग में राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र की स्थापना की है । इसके अनुसरण में, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र कम्प्यूटर विषयक आवश्यक हार्डवेयर प्रतिष्ठापित करता है, तथा उसके लिए आवश्यक साफ्टवेयर विकसित करता है, आंकड़ा बैंकों का विकास और अनुरक्षण करता है, आंकड़ों का कम्प्यूटर की सहायता से विश्लेषण करता है और सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कम्प्यूटर तथा प्रणाली विश्लेषण की पद्धतियों पर प्रशिक्षण देता है ।

अपने प्रथम चरण में, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने दिल्ली स्थित विभिन्न सरकारी भवनों में 25 कम्प्यूटर प्रतिष्ठापित किये हैं जिन्हें एक बड़े पोषक कम्प्यूटर के साथ नेटवर्क के रूप में जोड़ा है । इसने केन्द्रीय सरकार के विभागों के लिए 150 से भी अधिक आंकड़ा बैंकों का विकास किया है । दूसरे चरण में, "निकनेट" नामक इस नेटवर्क का विस्तार क्षेत्रीय स्तर पर किया जा रहा है और दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर तथा हैदराबाद में सुपर/बड़े मेनफ्रेम कम्प्यूटर लगाए जाएंगे । इसके अलावा, इस नेटवर्क के अन्तर्गत राज्यों की राजधानियों तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण नगरों में मिनी/सुपर मिनी कम्प्यूटर लगाए जाएंगे । इन कम्प्यूटरों को उपग्रह संचार प्रणालियों के जरिए एक-दूसरे के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है । जिला स्तर पर छोटे कम्प्यूटर प्रतिष्ठापित करने का भी प्रस्ताव है । आरम्भतः 100 जिलों को इसके अन्तर्गत लाया जाएगा जहां छोटे कम्प्यूटर लगाए जाएंगे और उन्हें सूक्ष्म (माइक्रो) भू-केन्द्रों के साथ जोड़ा जाएगा । इसका वितरण सारे देश में समान रूप से किया जाएगा । अन्य जिलों में भी आवश्यकतानुसार क्रमिक रूप से छोटे कम्प्यूटर लगाए जाएंगे । क्षेत्र स्तरीय तथा राज्य स्तरीय कम्प्यूटरों का प्रतिष्ठापन वर्ष 1986 के अन्त तक कर दिया जाएगा और जिला स्तरीय कम्प्यूटरों का प्रतिष्ठापन वर्ष 1987 के अन्त तक कर दिया जाएगा ।

(ग) जिला स्तरीय कम्प्यूटरों का प्रयोग निम्नलिखित सामाजिक एवं आर्थिक अनुप्रयोगों के लिए करने की योजना है :

(i) योजनागत परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी ।

(ii) ग्रामीण विकास सूचना प्रणाली ।

(iii) कृषि सूचना प्रणाली ।

(iv) जल तथा सिंचाई सूचना-प्रणाली ।

(v) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सूचना प्रणाली ।

(vi) भू-अभिलेख सूचना प्रणाली ।

(vii) उद्योग सूचना प्रणाली ।

उपर्युक्त अनुप्रयोगों से परियोजना के क्रियान्वयन में होने वाले विलम्ब को कम करने, साधन-स्रोतों के आबंटन का अनुकूलतन उपयोग करने, उत्पादकता बढ़ाने तथा जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय आयोजना में सहायता मिलेगी ।

गैर योजना परिव्यय

4927. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना और चालू वर्ष का गैर-योजना परिव्यय कितना है;

(ख) क्या इसमें लगातार वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) जी हां ।

(ग) योजनेतर व्यय में वृद्धि, मुख्यतः प्रशासकीय सेवाओं, ब्याज की अदायगियों, रक्षा, आर्थिक सहायता, पूरी हो चुकी योजना स्कीमों पर वचनबद्ध व्यय और सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि के कारण हुई है । सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के उपाय सातवीं योजना दस्तावेज में दिए गए हैं । वर्ष 1986-87 के लिए केन्द्रीय सरकार का बजट पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस दिशा में किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों के बारे में भी बताया ।

विवरण

विभिन्न योजना अवधियों के लिए केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का योजनेतर राजस्व व्यय ×

		(करोड़ रु०)
पहली पंचवर्षीय योजना	(1951-56)	4,277
दूसरी पंचवर्षीय योजना	(1956-61)	6,790
तीसरी पंचवर्षीय योजना	(1961-66)	13,367
तीन वार्षिक योजनाएं	(1966-69)	12,832
चौथी पचवर्षीय योजना	(1969-74)	34,499

पांचवीं पंचवर्षीय योजना	(1974-79)	67,926
वार्षिक योजना	(1979-80)	20,356
छठी पंचवर्षीय योजना	(1980-85)	171,791
वार्षिक योजना के अनुमान	(1985-86)	53,190

(× योजना लेखे से संबंधित वर्तमान परिव्यय शामिल है)।

[हिन्दी]

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां

4928. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान के एक मन्दिर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें भारत वापस लाने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जापान में राकोजी मन्दिर में रखी अस्थियों की प्रमाणिकता के बारे में निश्चित रूप से यह सिद्ध नहीं किया गया है कि वे नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की ही हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44

4929. **श्री अजय विश्वास** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 44 (असम-अगरतल्ला रोड) का वर्तमान विशिष्ट विवरण क्या है; और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग के मानक मानदण्ड क्या हैं; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के मामले में मानक मानदण्डों के अपनाने में क्या कठिनाई है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की वर्तमान विशिष्टियां जो एकल मार्गी राष्ट्रीय राजमार्ग के ही समान हैं, इस प्रकार हैं :—

(1) मैदानी एवं उतार-चढ़ाव वाले क्षेत्र में निर्माण की चौड़ाई 9 मीटर है और पहाड़ी क्षेत्र में 7.45/7.05 मीटर है जो सड़क के चट्टानी या अस्थिर भागों पर निर्भर है।

(2) वाहन मार्ग की चौड़ाई 3.75 मीटर है।

त्रिपुरा में 25 कि०मी० की लम्बाई के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की चौड़ाई 12 मीटर है और खड़ंजे की चौड़ाई 7 मीटर है और मेघालय में 61 कि०मी० की लम्बाई के लिए खड़ंजे की चौड़ाई 5.5 मीटर है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बख्तर-भेदी आर्म पीयसिंग "फिन्स" के विभिन्न माडलों का प्रदर्शन

4930. **श्री अमल दत्त** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 1984 और नेहरू केन्द्र—बम्बई, में बख्तर-भेदी "फिन्स" के विभिन्न माडल प्रदर्शित किए गए थे;

(ख) क्या यह उपकरण/तकनीकी विवरण गुप्त माने जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इन वस्तुओं को किस प्रकार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया और उनके बारे में जानकारी दी गई; और

(घ) सरकार ने शासकीय गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की है अथवा आरम्भ की है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) "आर्मर पीयर्सिग फिन्स" नामक कोई युद्धोपकरण नहीं है जैसा कि प्रश्न में बताया गया है।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) लागू नहीं होता।

एक इन्जन वाले हेलीकाप्टरों को दो इन्जन वाले हेलीकाप्टरों से बदलना

4931. **श्री के०एस० राव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भारत में एक इन्जन वाले अनेक हेलीकाप्टर प्रयोग किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि एक इन्जन वाले हेलीकाप्टर उतने सुरक्षित नहीं हैं जितने कि दो इन्जन वाले हेलीकाप्टर; और

(ग) एक इन्जन वाले हेलीकाप्टरों को धीरे-धीरे दो इन्जन वाले हेलीकाप्टरों से बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक इन्जन वाले हेलीकाप्टर पुराने समय के हैं और इनका उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में होता है और वहां काम आते हैं जहां दो इन्जन वाले हेलीकाप्टरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक इन्जन वाले हैलीकाप्टरों और दो इन्जन वाले हेलीकाप्टरों के बीच सुरक्षा की दृष्टि से तुलना करते समय इस वास्तविकता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस कारण भारतीय वायु सेना में एक इन्जन वाले हेलीकाप्टरों का प्रयोग जारी रहेगा। फिर भी, अन्तत: एक इन्जन वाले हेलीकाप्टरों को दो इन्जन वाले हेलीकाप्टरों से बदलने की योजना है जिनका निर्माण देश में होगा।

आयुध कारखानों द्वारा रक्षा उत्पादों का निर्माण

4932. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने आयुध कारखाने हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं तथा सरकारी क्षेत्र के उन एककों अथवा उपक्रमों की संख्या कितनी है जो कुल रक्षा उत्पादों का 60 प्रतिशत से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं,

(ख) क्या सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रक्षा सहायक उत्पादों के निर्माण और सप्लाई के लिए छोटे पैमाने के गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों को अधिक अवसर दिया जाएगा, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) देश में 34 आयुध निर्माणियां (परियोजना स्तर की निर्माणियों के अलावा) हैं। इन निर्माणियों का स्थान संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। सरकारी क्षेत्र के ऐसे रक्षा उपक्रमों की संख्या पांच है जिनमें 60 प्रतिशत से अधिक मूल्य का उत्पादन रक्षा मदों का किया जाता है।

(ख) और (ग) : आयुध निर्माणियों और सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों दोनों द्वारा छोटे पैमाने के गैर सरकारी क्षेत्र की यूनिटों को उत्पादन और रक्षा की सहायक मदों की सप्लाई के आर्डर देकर प्रोत्साहित किया जाता है बशर्ते कि वे गुणवत्ता की अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करें और माल समय पर सप्लाई करें। लेकिन आर्डर उनके द्वारा बताई गई प्रतियोगी दरों पर दिया जाता है। इस समय अपनाई जाने वाली यह नीति सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहेगी।

विवरण

1. अम्युनिशन फैक्टरी, किरकी (महाराष्ट्र)
2. कोरडाइट फैक्टरी, अरुवनकाडु (तमिलनाडु)
3. हाई एक्सप्लोसिव फ़ैक्टरी, किरकी (महाराष्ट्र)
4. आर्डनेंस फैक्टरी, भंडारा (महाराष्ट्र)
5. आर्डनेंस फैक्टरी, चांदा (महाराष्ट्र)
6. आर्डनेंस फैक्टरी, देहू रोड (महाराष्ट्र)
7. आर्डनेंस फैक्टरी, इटारसी (मध्य प्रदेश)
8. आर्डनेंस फैक्टरी, वारनगांव (महाराष्ट्र)
9. आर्डनेंस फैक्टरी, खमरिया (मध्य प्रदेश)
10. ग्रे आयरन फाउंड्री, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
11. मशीन टूल्स प्रोटोटाइप फैक्टरी, अम्बरनाथ (महाराष्ट्र)
12. मेटल एंड स्टील फैक्टरी, ईशापुर (पं० बंगाल)
13. आर्डनेंस फैक्टरी, अम्बाझरी (महाराष्ट्र)
14. आर्डनेंस फैक्टरी, अम्बरनाथ (महाराष्ट्र)
15. आर्डनेंस फैक्टरी, भूसवाल (महाराष्ट्र)
16. आर्डनेंस फैक्टरी, दम दम (पं० बंगाल)
17. आर्डनेंस केबल फैक्टरी, चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)
18. आर्डनेंस फैक्टरी, कटनी (मध्य प्रदेश)
19. आर्डनेंस फैक्टरी, देहरादून (उ०प्र०)
20. आर्डनेंस फैक्टरी, मुरादनगर (उ०प्र०)

21. गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर (म०प्र०)
22. फील्ड गन फैक्टरी, कानपुर (उ० प्र०)
23. गन एण्ड शैल फैक्टरी, कोसीपुर (पं० बंगाल)
24. आर्डनेंस फैक्टरी, कानपुर (उ० प्र०)
25. आर्डनेंस फैक्टरी, तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु)
26. राइफल फैक्टरी, ईशापुर (प० बंगाल)
27. स्माल आर्मस् फैक्टरी, कानपुर (उ० प्र०)
28. व्हीकल फैक्टरी, जबलपुर (म० प्र०)
29. हैवी व्हीकल फैक्टरी, आवडी (तमिलनाडु)
30. क्लोथिंग फैक्टरी, आवडी (तमिलनाडु)
31. आर्डनेंस क्लोथिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर (उ० प्र०)
32. आर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्टरी, कानपुर (उ० प्र०)
33. आर्डनेंस पैराशूट फैक्टरी, कानपुर (उ०प्र०)
34. आर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्टरी, हजरतपुर (उ० प्र०)

ओखला औद्योगिक क्षेत्र में चोरियां और डकैतियां

4933. **श्री कमल नाथ** : क्या **गृहमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओखला औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अधिक चोरियां और डकैतियाँ हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में कितने मामले दर्ज हुए हैं;

(ग) क्या किसी मामले में अपराधी पकड़े गए हैं; और

(घ) इन चोरियों और डकैतियों से प्रभावित युवा उद्यमियों में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) ओखला औद्योगिक क्षेत्र में चोरियों तथा डकैतियों में अवांछित वृद्धि नहीं हुई है। 1984 तथा 1985 के दौरान चोरी तथा डकैती के सूचित किए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है :

	1984	1985
1. चोरी	85	64
2. डकैती	2	2

(ग) वर्ष 1985 के दौरान चोरी और डकैती के मामलों में 13 व्यक्तियों को पकड़ा गया।

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा चोरियों और डकैतियों के शिकार युवा उद्यमियों में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) पुलिस सतर्कता बढ़ाना।
(2) पैदल तथा चलती फिरती कड़ी गश्त।

(3) वाकी-टाकी सैटों तथा वायरलैस से सुसज्जित मोटर साइकिलों पर सशस्त्र गश्त।

(4) होटलों अतिथि गृहों, पिकेटों, सामरिक महत्व के स्थानों तथा अपराधियों के छिपने के स्थानों की कड़ी जांच।

(5) सार्वजनिक सभाओं तथा सड़क वाहनों तथा सामान इत्यादि की जांच।

(6) जिला तथा अपराध शाखा द्वारा चलाए गए डकैती विरोधी अभियान।

(7) अपराधियों के विरुद्ध निवारक कार्यवाही तथा अपराध रोकने के लिए निष्कासन कार्रवाई तथा अन्तर्जिला तथा अन्तर्राज्यीय बैठकों को बढ़ाना।

(8) पुलिस को अपराधियों का पता लगाने तथा पकड़ने में सहायता देने के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति।

"आरक्षित वनों में अनधिकार कब्जा"

4934. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल तथा अन्य राज्यों में आरक्षित वनों पर कितना अनधिकार कब्जा किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने वन विकास तथा परिस्थितिकी के हित में आरक्षित वन भूमि पर से अनधिकार कब्जा करने वालों को हटाने हेतु राज्यों के लिए कोई योजना या मार्ग निर्देश तैयार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या अनधिकार कब्जा करने वालों को वहां से हटाने के बाद उनका पुनर्वास करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केरल ने सूचित किया है कि अनुमानित 20805 हेक्टेयर क्षेत्र अनधिकार-प्रवेश के अधीन आता है। सिक्किम एवं मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में वन आरक्षित भूमि के कुल क्षेत्र का 6,79,827 हेक्टेयर अनधिकार-प्रवेश के अन्तर्गत होने की सूचना है।

(ख) और (ग) सभी राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं ताकि ऐसे अनधिकार प्रदेशों के विस्तार का मूल्यांकन किया जाए और यह पता लगाया जाये कि इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।

(घ) जी, नहीं।

"उड़ीसा में हाथी अभयारण्य"

4935. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और उड़ीसा सरकार की संयुक्त सहायता से हाथी अभयारण्य बनाने के लिए भुवनेश्वर के पास 260 किलोमीटर का एक नया वन्य जीवन खण्ड बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संयुक्त परियोजना पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है और उसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा कितना-कितना होगा;

(ग) इस परियोजना पर अब तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इस परियोजना का पूर्ण ब्यौरा क्या है और अब तक कितना काम पूरा हुआ है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)

(क) उड़ीसा राज्य सरकार ने मुख्य रूप से हाथियों के संरक्षण के लिए भुवनेश्वर के पास चान्दका दाम्पडा अभयारण्य की स्थापना की है, जिसके लिए केन्द्र सरकार ने वित्तीय सहायता दी है।

(ख) राज्य सरकार ने इस अभयारण्य के लिए एक परियोजना तैयार की है जिसमें इसे 3वर्षों में पूरा किये जाने के लिए 5.08 करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय और 56.50 लाख रुपये का आवर्ती व्यय शामिल है। यद्यपि केन्द्र सरकार चुनिंदा वन्यप्राणी अभयारन्यों में अनावर्ती व्यय की कुछेक अनुमोदित मदों पर 50 प्रतिशत की सीमा तक वित्तीय सहायता सुलभ करती है और इसने इस अभयारण्य के लिए ऐसी सहायता दी है, फिर भी केन्द्र सरकार इस अभयारण्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की सीमा के लिए वचनबद्ध नहीं।

(ग) वित्तीय वर्ष 1984-85 में अनावर्ती व्यय की चुनिंदा मदों के लिए 16 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। इसमें केन्द्र सरकार का अंश आधा है। इसमें से, 31.1.1985 तक 9.79 लाख रुपये की धनराशि उपयोग में लायी गयी है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उद्देश्य :

जैवकीय हस्तक्षेप से चन्दका तथा दाम्पडा संरक्षित वन क्षेत्रों को सुरक्षित करने तथा इस क्षेत्र के अन्तर्गत 55 वन्य हाथियों तथा अन्य पशुओं के लिए उपयुक्त निवासों की व्यवस्था करना है। क्षेत्र को वन्यप्राणि पर्यटन परिसर में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

परियोजना की अनुमानित लागत

परियोजना की अनुमानित लागत 508.00 लाख रुपये अनावर्ती तथा 3 वर्ष से अधिक 59.50 लाख रुपये आवर्ती है।

परियोजना का स्थान

परियोजना क्षेत्र, पुरानी गंजम सड़क के पश्चिम के भुवनेश्वर से लगभग 15 कि. मी. दूरी पर चांदका तथा दाम्पडा के मध्य स्थित है। अन्य वन्य प्राणियों जैसे चीता, सांभर, काकड़ तथा अन्य छोटे प्राणियों के अतिरिक्त, इस क्षेत्र में अभी भी 55 जंगली हाथी हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्यों का विवरण

परियोजना में निम्नलिखित निर्माण कार्यों को सम्मिलित किया जायेगा।

(1) विशिष्ट वृक्ष प्रजातियों तथा घास का पौधरोपण।

(2) डीप-ऐलिवैन्ट-प्रूफ खाई।

(3) कंकरीट तथा मखरला ब्लाकों सहित उपर्युक्त को भरना।

(4) शुष्क रोड़ी दीवार पर आवरण चढ़ाना।

(5) विद्यमान नहरों तथा टैंकों के उत्खनन अवरोध बांधों द्वारा जल निकास का निर्माण।

(6) विद्यमान सड़कों के साथ जोड़ने के लिए भीतरी सड़कों का निर्माण।

(7) खाई की सुरक्षा के लिए खाई पर कांटेदार पट्टियों तथा अन्य प्रजातियों का रोपण।

(8) तेजी से उगने वाली खाद्य घासों के रोपण सहित चरागाहों का निर्माण।

राज्य सरकार के अनुसार पूरे किए गए निर्माण कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है :

मद	वर्ष 1984-85 के दौरानस्वीकृत राशि	31.1.86 तक उपयोग की गई राशि
1. विद्युत बाड़	3 लाख रुपये	3 लाख रुपये
2. निवास का विकास	2 लाख रुपये	199998.63 रुपये
3. सड़कों का मिर्माण	2.5 लाख रुपये	132555.35 रुपये
4. टैंकों की खुदाई	2 लाख रुपये	98100.17 रुपये
5. उपस्करों का क्रय	1 लाख रुपये	12358.74 रुपये
6. जीव, ट्रोली सहित ट्रैक्टरों का क्रय	2.5 लाख रुपये	236000.57 रुपये
7. भूमि अर्जन	3 लाख रुपये	कुछ नहीं
	16 लाख रुपये	9.79 लाख रुपये

[हिन्दी]

कुछ अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में विलम्ब

4936. **श्री नन्द लाल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य सेवा, भारतीय इन्जीनियरिंग सेवा और भारतीय शिक्षा सेवा जैसी कुछ अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन सेवाओं का कब तक गठन किए जाने की सम्भावना है

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) किसी नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के संबंध में निर्णय केवल राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद ही किया जा सकता है। चूंकि नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के प्रश्न पर राज्य सरकारों के बीच कोई मतैक्य नहीं है इसलिए इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। केन्द्रीय सरकार इस मामले में राज्य सरकारों के साथ अभी भी परामर्श करने में लगी हुई है।

प्रधान मन्त्री की विदेश यात्रा पर हुआ व्यय

4937. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **विदेश मंत्री** प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा पर हुए व्यय के बारे में 4 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2584 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 14 अक्तूबर, से 28 अक्तूबर, 1985 तक प्रधान मंत्री की पांच देशों की यात्रा पर विमान टिकटों, परिवहन, भोजन व्यवस्था, स्वागत, साहित्य आदि पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : प्रधान मंत्री की 14 से 28 अक्तूबर, 1985 तक की पांच देशों की यात्रा पर सरकार ने जो खर्च किया था वह इस प्रकार था :

हवाई जहाज के टिकट 1,52,73,966.90 रु० (जिसमें से 1,52,00,000 एयर इंडिया के चार्टर पर खर्च किया गया था); परिवहन 15,59,535.65 रु. भोजन और आवास व्यवस्था पर 29,05,681.70 रु. स्वागत समारोह 5,28,730.08 रु.; साहित्य 2,66,733.13 रु.; इसके अलावा हाट लाइन संचार लिंक पर 11,34,024.92 रु. खर्च किए गए थे। (इनमें वे कुछ बिल शामिल नहीं हैं जो अभी ए. टी. एण्ड टी कम्पनी न्यूयार्क से आने बाकी हैं) । विविध खर्चा 52,709.95 रु. का था।

[अनुवाद]

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रस्ताव

4938. **श्री पी०ए० एन्टनी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां। राज्य सरकार ने केरल में पश्चिमी घाट क्षेत्र का विकास करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

(ख) केरल सरकार ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इन प्रस्तावों में पौध-फसलों (रबड़ और इलायची), वन रोपण और भू-संरक्षण, लघु सिंचाई और सड़कों के विकास की स्कीमें शामिल हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र में अनुमोदित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए केरल की सातवीं योजना के लिए राज्य सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 23.80 करोड़ रु० की राशि अनुमोदित की गई है। इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं० क्षेत्रक	सातवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय (लाख रु०)
1. भू-संरक्षण सहित कृषि	936.00
2. रबड़ पौध सहित बागवानी और पौध फसलें	148.64
3. लघु सिंचाई	252.77
4. वन	733.79
5. सड़कें	236.50
6. जल पूर्ति	38.98
7. पश्चिमी घाट एकक	5.75
8. अध्ययन, सर्वेक्षण और मूल्यांकन	27.57
जोड़	2380.00

"कर्नाटक के बन्नरघट्टा सफारी पार्क में शेर"

4939. **श्री श्रीकान्तदत्त नरसिंहराज वाडियार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में बन्नरघट्टा लायन सफारी पार्क में कितने शेर हैं;

(ख) इस समय देश के अन्य लायन सफारी पार्कों में कितने शेर हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बन्नरघट्टा लायन सफारी पार्क का विस्तार करने का है;

(घ) गत तीन वर्षों में बन्नरघट्टा लायन सफारी पार्क के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ऋणी देशों द्वारा ऋण दाता बैंकों से ब्याज की दर कम करने का अनुरोध

4940. **श्री पी०आर० कुमार मंगलम** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारह लातीनी अमरीकी ऋणी देश अपनी अर्थव्यवस्था को अस्तव्यस्त होने से बचाने के उद्देश्य से ब्याज की दरें काफी और शीघ्र कम करने के लिए ऋणदाता बैंकों से अनुरोध करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन देशों को अपना नैतिक और अन्य समर्थन देने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) लातिन अमरीकी ऋणी देशों ने, जो कि "कार्टागीना" ग्रुप के सदस्य हैं इस बात का आह्वान किया है कि "ऋण संकट" का समाधान ढूंढने के लिए व्यापक उपाय किए जाएं जिसमें ब्याज की दरों में पर्याप्त रूप से कमी करना भी शामिल है उनके संदेश औद्योगीकृत देशों की सरकारों एवं वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को भेजे गए हैं ।

(ख) भारत ने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के आन्दोलन तथा 77 देशों के समूह जैसे मंचों पर इन देशों के साथ अपनी एकजुटना प्रदर्शित की है ।

वैज्ञानिक अनुसंधान विभागों का विलय

4941. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय चार अधिकारी, संस्थाएं आदि अर्थात प्रधान मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, प्रधान मंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद, महानिदेशक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान संबंधी नीति तैयार करती हैं तथा सरकार की प्राथमिकताएं निर्धारित करती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अनेक सरकारी मंत्रालय और विभाग भी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या इन विभिन्न विभागों आदि का एक विस्तृत वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग में विलय करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्रियाकलापों का विभाजन क्या है और उनके बीच तालमेल की क्या व्यवस्था है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं। इन संस्थाओं के नामत: प्रधान मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, प्रधान मंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के महानिदेशक तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, अलग-अलग कार्य और दायित्व हैं। यह बात सही नहीं है कि ये चारों संस्थाएं विज्ञान नीति बनाने तथा सरकार की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के कार्य में लगी हैं।

(ख) जी हां। वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष, कृषि, चिकित्सा, मूल विज्ञान तक, इत्यादि अनेक विषय आते हैं। अतः यह दायित्व सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों का है, जो कार्य आवंटन नियमों के अंतर्गत विशिष्ट विषयों के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग) अलग-अलग विभागों को वैज्ञानिक अनुसंधान के एक विभाग में मिला देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को आबंटित विषय उस विभाग का दायित्व है और विभाग द्वारा कार्य का निष्पादन निर्धारित सरकारी कार्यविधि के अनुसार किया जाता है, जिसमें सामान्यत: विभिन्न विभिगों, योजना आयोग, आदि के साथ परामर्श करना होता है। सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय भी, सचिवों की समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए मंत्रिमण्डल समिति इत्यादि जैसी विभिन्न क्रियाविधियों के जरिये सुनिश्चित किया जाता है।

भारतीय सांख्यिकीय सेवाओं के अधिकारियों की संख्या

4942. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सांख्यिकीय सेवा में इस समय ग्रेड-वार कितने अधिकारी हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : पीछे जब 9·1·1985 को संवर्ग में अधिकारियों की संख्या का पुनरीक्षण किया गया था उस समय भारतीय सांख्यिकीय सेवा में प्राधिकृत स्वीकृत अधिकारियों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से थी :—

(क) ग्रेड-I	21
(ख) ग्रेड-II	49
(ग) ग्रेड-III	175
(घ) ग्रेड-IV	333

भारत-दक्षिण कोरिया सहयोग समाचार

4943. **श्री आनन्द सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री के आगामी दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किये जाने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और दक्षिण कोरिया सहयोग संबंधी प्रोटोकॉल पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किन विशेष क्षेत्रों में सहयोग का आदान-प्रदान किया जाएगा; और

(ग) उक्त प्रोटोकॉल की मुख्य बातें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री के हाल ही के दौरे के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सहयोग की किसी उपसंधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। लेकिन, फरवरी, 1986 में दक्षिण कोरिया के एक प्रतिनिधिमंडल के भारत के दौरे के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपसी सहयोग पर विचार विमर्श किया गया था ।

(ख) और (ग) दोनों पक्षों के सामग्री विज्ञान, धातू चूर्ण विज्ञान, अध्वंसात्मक परीक्षण उच्च पोलिमर, रसायन-विज्ञान, भेषजीय रसायन-विज्ञान, इलैक्ट्रोनिक्स और दूर-संचार, ऊर्जा और संसाधनों के क्षेत्रों में संभव सहयोग पर विचार-विमर्श किया गया था। विशेषज्ञता और सूचना का आदान-प्रदान, वैज्ञानिकों द्वारा एक दूसरे के देशों के दौरे, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लेना तथा संयुक्त अनुसंधान दोनों पक्षों के बीच अन्योन्यक्रिया के संभव तरीके होंगे ।

"मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन"

4944. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन करके बौद्ध घाट परियोजना के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये 75 हेक्टेयर वन भूमि का दुरुपयोग करने पर अपनी गंभीर चिन्ता" व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि वनों को बेरोक-टोक नष्ट किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इसे किस प्रकार से रोकने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा पहले ही केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अनुमति दी गई थी तथा की गई कार्रवाई हालांकि कानूनी अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी फिर भी जनहित में थी जिससे जल-विद्युत परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन हो सके, अतः इसमें कोई दुर्भावना शामिल नहीं है ।

(ग) इस पर कोई सूचना नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों की भूमिका के बारे में जानकारी देना

4945. **डॉ० ए०के० पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अधिकांश लोगों को भले ही शिक्षित हों, आधुनिक विकास की जानकारी देने में मदद करने के लिए इलेक्ट्रानिक उपकरणों की भूमिका के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या लोगों को इनकी जानकारी देने के लिए इन उपकरणों को गांवों में पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के प्रयोग के संबंध में अधिकांश व्यक्तियों को आधुनिक विकास की जानकारी देने के उद्देश्य से जो उपाय किए गये हैं उनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

(i) ट्रांजिस्टर रेडियो को प्रयोग नगरों तथा ग्रामों में हो रहा है । दूरदर्शन सेटों का भी प्रयोग हो रहा है ।

(ii) इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई०टी० एण्ड टी०) नामक भारत सरकार के उपक्रम ने वीडियो कैसेट प्लेयरों तथा रंगीन दूरदर्शन सेटों के जरिए आम जागरूकता पैदा करने के लिए टेलीटीच नामक एक योजना आरंभ की है जिसमें श्रव्य-दृश्य (आडियोविजुअल) सहायक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है । ऐसे सेटों को परीक्षण के तौर पर कुछ ग्रामों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव है ।

(iii) इलेक्ट्रानिक दुग्ध विश्लेषकों का उत्पादन देश में हो रहा है और उनका प्रयोग अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है ।

(iv) ग्रामों में सामुदायिक दूरदर्शन सेटों तथा डायरेक्ट रिसीप्ट सेलस (डी०आर०एस०) को उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए गये हैं, ताकि ग्रामों में रहने वाले लोग शैक्षणिक कार्यक्रमों को देख सकें । विभिन्न राज्यों में लगभग 2000 डी०आर०एस० तथा 2000 वी०एच०एफ० सेट प्रतिष्ठापित किये गए हैं ।

जाली वीजा जारी करने वाले गिरोह का पकड़ा जाना

4946. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में जाली वीजा जारी करने वाले गिरोह पकड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसमें शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निवारक कार्यवाही की है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) जाली वीसा जारी करने वाले गिरोह के बारे में केन्द्र में कोई आंकड़े संकलित नहीं किए जाते है, क्योंकि इस प्रकार के अपराधों से संबधित कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी हैं । जहां तक दिल्ली का संबंध हैं, वर्ष 1984 और 1985 के दौरान दिल्ली पुलिस ने इस प्रकार के 16 मामले दर्ज किए हैं ।

इन मामलों के ब्यौरे जनहित में बताए नहीं जा सकते :

(ग) सरकार ने निम्नलिखित निवारात्मक उपाय किए हैं :

(i) इस प्रकार के अवैध कार्यों को रोकने के लिए श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली अन्तर्गत "आप्रवासियों का संरक्षण" का एक कार्यालय कार्य कर रहा है।

(ii) जैसे ही इस प्रकार के मामले पुलिस प्राधिकारियों के ध्यान में आते हैं अभियुक्त (अभियुक्तों) के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत तत्परता से कार्रवाई की जाती है।

(iii) इस प्रकार के मामलों का पता लगाने और जांच पड़ताल करने के लिए दिल्ली में, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के अन्तर्गत एक धोखाधड़ी-विरोधी एकक कार्य कर रहा है।

अंडमान समुद्र में नौकाएं और मत्स्य नौकाएं

4947. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अंडमान समुद्र में विदेशों की कितनी नौकाएं/मत्स्य नौकाएं पकड़ी गई हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार पकड़े गए प्रत्येक पोत का कैसे निपटान किया गया, और

(ख) उक्त पोतों में क्या सामान पाया गया और उस सामान का कैसे निपटान किया गया ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) अंडमान क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान तटरक्षक संगठन द्वारा निम्नलिखित विदेशी मत्स्य नौकाएं/ट्रालर पकड़े गए :—

वर्ष	पकड़ी गई मत्स्य नौकाओं की संख्या
1983-84	शून्य
1984-85	4
1985-86	15

अदालत द्वारा इन वाहनों को जब्त करने के लिए आदेश देने के बाद अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा उपकरणों सहित इन वाहनों का निपटान किया जाता है।

(ख) पकड़ी गई ऐसी नौकाओं में सामान्यतः पकड़ी गई मछलियां, फिशिंग गियर, अन्य उपकरण, सामान तथा कारगो की मदें थीं। मछलियों की कीमत का मूल्यांकन "भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण" के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और इन्हें अदालत के आदेशों के अधीन बेच दिया जाता है। जब अदालत आदेश देती है तो नौकाओं के साथ अन्य सामान (या उनकी बिक्री का लाभ) भी जब्त किया जाता है।

"अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राजस्व गांव से ग्रामवासियों को निकालना"

4948. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्व गांव, माइलतिलक में अंडमान और निकोबार भूमि सीमा विनियमन के अंतर्गत वर्गीकृत ग्रामवासियों जिन्हें कब्जे के अधिकार प्राप्त थे को अब वन विभाग द्वारा इस आधार पर खाली कराने की धमकी दी जा रही है कि उनके रिकार्ड के अनुसार यह आरक्षित वन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार में भर्ती केन्द्र

4949. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र में कितने सेना भर्ती कार्यालय हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1980 से इन केन्द्रों में प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति हर श्रेणी में भर्ती किए गए हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में और अधिक भर्ती केन्द्र खोलने का है,

(घ) यदि हां, तो कब तक, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) बिहार के छोटा नागपुर तथा संथाल परगना इलाके के लोगों की भर्ती के लिए गया, रांची तथा कटिहार में तीन शाखा भर्ती कार्यालय हैं।

(ख) इस सूचना को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) इस क्षेत्र के लोगों की भर्ती के लिए वर्तमान शाखा भर्ती कार्यालय पर्याप्त समझे जाते हैं।

बिहार में जनजातीय विकास के लिए धनराशि

4950, **श्री साइमन तिग्गा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में बिहार राज्य के जनजातीय विकास सम्बन्धी केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ख) जनजातीय विकास के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) बिहार सरकार को कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेरी विकास, ग्रामीण और लघु उद्योग और वानिकी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परिवारोन्मुख एवं आय उत्पन्न करने वाली योजनाओं के लिए जनजाति उपयोजना क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 1985-86 के लिए 1964-41 लाख रुपये की राशि दी गई। इसके अतिरिक्त, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विशेष योजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत रु० 204.34 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं नामतः मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति। (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए), पुस्तक बैंक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए) और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण (केवल

अनुसूचित जनजातियों के लिए) के अन्तर्गत इस मंत्रालय द्वारा 1985-86 के दौरान क्रमश: 95.15 लाख रु०, 3.50 लाख रु० और 1.90 लाख रु० की राशि दी गई।

(ख) वर्ष 1985-86 में रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द समिति, जमशेदपुर को 1.30 लाख रु० की धनराशि दी गई ताकि वह छात्र-गृह और तकनीकी कार्यशाला चला सके। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन तपेदिक सेनिटोरियम, रांची को पांच बिस्तरों का औषधालय चलाने के लिए 44, 719 रु० स्वीकृत किये गये।

"रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर" की स्थापना के लिए सहायता

4951. **श्री चिन्तामणी जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 के दौरान "रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर्स" की स्थापना के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा और इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : देश में कुछ शैक्षिक संस्थानों सहित कई केन्द्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा सुदूर संवेदन उपयोगों को किया जाता है। केन्द्रीय सहायता में मुख्यतया (क) वित्तीय सहायता (ख) सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करना, जिसमें कम्प्यूटर प्रणालियों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना भी शामिल है और (ग) सुदूर संवेदन तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अन्तरिक्ष विभाग तथा विविध केन्द्रीय सरकार के विभागों एवं एजेंसियों द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से पांच क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। कई केन्द्रीय एजेंसियों ने भी विविध सुदूर संवेदन उपयोग संबंधी क्रियाकलापों को निधि प्रदान की है।

देश में सांप्रदायिक दंगे

4952. **श्री चिंतामणि जेना** :
श्री मोहन भाई पटेल :
श्री जी. एम. बनातवाला :
श्री धर्मपाल सिंह मालिक :
श्री सुभाष यादव :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान देश में सांप्रदायिक दंगों की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में सांप्रदायिक दंगों में कितने लोग मारे गए; और

(ग) सरकार देश में सांप्रदायिक दंगों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या उपाय कर रही है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू): (क) और (ख) इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, वर्ष 1985 के दौरान देश में साम्प्रदायिक दंगों की 5 घटनाएं हुईं जिनमें 252 व्यक्तियों की जानें गयीं। इन हताहतों में से 237 गुजरात राज्य में

आरक्षण विरोधी आन्दोलन के संबंध में हुई साम्प्रदायिक घटनाओं से 10 आन्ध्र प्रदेश से और 5 उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं।

(ग) चूंकि कानून और व्यवस्था की जिम्मेवारी प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की है, अतः संबंधित राज्य सरकारों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कानून के अन्तर्गत उपयुक्त निवारक और दण्डात्मक उपाय किए हैं। केन्द्र सरकार सलाह और मार्ग दर्शन करती है और जब कभी मांग की जाती है तो केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल उपलब्ध कराती है। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में, साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने और नियंत्रित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को विस्तृत दिशा-निर्देश भी परिचालित किए हैं।

इस संदर्भ में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा-गांधी के 15 सूत्री कार्यक्रम की राज्य सरकारों को सिफारिश की गयी थी। हाल ही में, 19 फरवरी, 1986 को केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुनर्गठन किया, जो अन्य बातों के साथ-साथ देश में साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए तरीकों का सुझाव देगा।

पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता

4953. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने छठी योजना में पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों (सड़कों और पुल), नई रेलवे लाइनों सहित परिवहन की आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए कोई प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किस तरह की प्राथमिकता दी गई है और इस क्षेत्र में छठी योजना के दौरान कौन-कौन सी नई परियोजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है तथा निर्माण लागत आदि उन्हें पूरा करने की लक्षित अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सातवीं योजना के दौरान ऐसी चालू परियोजनाओं के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्राथमिकता दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) योजना और विकास के प्रयोजन के लिए, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों को एक पृथक भौतिकी-भौगोलिक स्वरूप में स्वीकार किया जाना है। उनके समग्र समन्वित विकास के लिए उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है जिसमें परिवहन आधार संरचना का प्रावधान शामिल है। तथापि, देश में ऐसे क्षेत्रों का विकास साथ वाले मैदानी इलाकों से अलग-थलग नहीं किया जा सकता। इन मैदानी इलाकों के साथ उनकी अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण संबंध है। इस प्रकार के क्षेत्रों के विकास की कार्यनीति छठी योजना के दस्तावेज के अध्याय 25 में बताई गई थी।

(ख) से (घ) : सातवीं योजना में यह परिकल्पना की गई है कि चल रही आवश्यक परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों के भीतर पहाड़ी क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में सड़क विकास को उपयुक्त प्राथमिकता दी जा रही

है। पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों को क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में आधार संरचना विकास से लाभ मिला है। छठी योजना में पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू की गई नई रेलवे लाइनों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

	लागत (करोड़ रु०)	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
1. जम्मूतवी-उधमपुर	68.68	8वीं योजना, संसाधनों की उपलब्धता के तहत
2. नांगल बांध-तलवाड़ा और मुकेरियन-तलवाड़ा साइडिंग आरंभ करना	37.68	—वही—
3. जोगीघोपा से गोहाटी तक एक बड़ी रेलवे लाइन के साथ ब्रह्मपुत्र पर जोगीघोपा में रेल व सड़क पुल का निर्माण	87.75	—वही—

जहां तक सड़क नेटवर्क का संबंध है, राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों से वर्तमान सड़क व्यवस्था के वर्गीकरण का पता चलता है। छठी योजना में 300 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से 2176 किलो मीटर दूरी के छः राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्वोत्तर क्षेत्र में शुरू किए गए। इनकी सूची नीचे दी गई है:—

1. इम्फाल-सिलचर-बदरपुर
2. सिलचर-एजावल-लुंगलेट
3. ईटानगर से सम्पर्क
4. उत्तरी मुख्य मार्ग (गोहाटी-पासी घाट-तेजू-सेकाघाट)
5. पैकन-तूरा-डालू
6. पार्श्व मार्ग (उत्तरी बंगाल और आसाम में आने वाले भाग)

सड़क निर्माण कार्य आम तौर पर चरणों में पूरे किए जाते हैं और इनमें मोटे तौर पर कमियों को दूर करने और/अथवा व्यवस्था के उन्नयन से संबंधित निर्माण कार्य शामिल होते हैं। ये निर्माण कार्य यातायात की आवश्यकताओं और धनराशियों की उपलब्धता के आधार पर शुरू किए जाते हैं। चूंकि ये निर्माण कार्य आम तौर पर सुपरिभाषित बड़ी परियोजनाओं के स्वरूप के नहीं होते हैं, इसलिए इन निर्माण कार्यों से संबंधित सूक्ष्म आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए तैयार करने की योजना

प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षामंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान देश के किसी नये जिले में भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए तैयार करने की योजना लागू की है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे जिलों के राज्यवार नाम क्या हैं, जहां यह योजना लागू की गई है तथा वहां यह किन-किन तारीखों से लागू की गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो उन जिलों के नाम क्या हैं जहां इस योजना को लागू किया जाना विचाराधीन है और इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा उन जिलों में जहां इस योजना के आरम्भ किये जाने से अब तक यह लागू की गई है इसके कार्यकरण का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान प्रत्येक राज्य के एक और जिले में इस योजना को लागू किया जा रहा है ये उन छः राज्यों में से वे पांच राज्य हैं जिनमें यह योजना पहले से ही चल रही है। इसी तरह 1986-87 के वित्तीय वर्ष से केरल, आंध्र प्रदेश और मणिपुर राज्य के एक-एक जिले में इस योजना को लागू किए जाने का प्रस्ताव है क्योंकि इन राज्यों ने इस योजना का विस्तार/उसे लागू करना स्वीकार कर लिया है और इन पर आने वाली लागत को भारत सरकार के साथ शेयर करना मान लिया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत हो रहे सेना कार्मिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में बसे भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि उनको रोजगार प्राप्त करने या अपने घरों के नजदीक स्व-रोजगार स्थापित करने के लिए तैयार किया जा सके। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह योजना बनाई गई थी उनकी पूर्ति के लिए यह पूरी तरह उपयुक्त पाई गई है।

विदेशों में बसे भारतीय राष्ट्रिकों का पंजीकरण

4955. **श्री संयद शाहबुद्दीन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पश्चिम एशियाई देशों में भारतीय दूतावासों द्वारा कितने भारतीय राष्ट्रिकों को पंजीकृत किया गया है;

(ख) प्रत्येक दूतावासों के कान्स्युलर अनुभाग में कितने व्यक्ति हैं;

(ग) उन भारतीय राष्ट्रिकों की अनुमानित प्रतिशत क्या है जिन्हें पंजीकृत किया गया है; और

(घ) क्या विदेशों में रह रहे भारतीय राष्ट्रिकों का पंजीकरण अनिवार्य करने का विचार है

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) : 31.3.86 तक की स्थिति के बारे में भारतीय मिशनों और विदेश स्थित केन्द्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सूचना एकत्र होते ही यथा शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(घ) जी नहीं।

आदिवासी क्षेत्रों में विकास योजनायें

4956. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी विकास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और भारी मात्रा में अन्य आदान उपलब्ध कराये जाने के बावजूद आशा से कहीं कम परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सभी पहलुओं की जांच करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए सरकार का विचार आदिवासी क्षेत्रों के संसद सदस्यों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति स्थापित करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) छठी योजना के दौरान 27.59 लाख जनजातीय परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लक्ष्य की तुलना में इस अवधि के दौरान 39.67 लाख जनजातीय परिवारों को सहायता दी गई। अनुसूचित जनजाति की जन-संख्या में साक्षरता की दर 1971 में 11.30% से बढ़कर 1981 में 16.35% हो गई। अनुसूचित जनजाति के मैट्रिकोत्तर छात्र वृद्धि के लाभ प्राप्त कर्त्ताओं की संख्या 1972-73 में 28200 से बढ़कर 1982-83 में 119480 हो गई। आई सी डी एस, सड़कों, लघु सिंचाई सहित स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार जैसे क्षेत्रों में किए गए निवेशों से जनजातीय क्षेत्रों में मूल संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार हुआ।

(ग) और (घ) जी नहीं श्रीमान्। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण के लिए पहले ही एक संसदीय समिति है, जो समय-समय पर जनजातीय विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का परीक्षण करती है। इसके अतिरिक्त जनजाति विकास कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करने के लिए मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जनजाति समुदायों के संसद सदस्यों की बैठकें भी की जाती हैं।

कम्प्यूटरों के लिए लाइसेंसशुदा क्षमता

4957. **श्री सलीम इकबाल शेरवानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्प्यूटरों के निर्माण हेतु कितनी क्षमता के लिए लाइसेंस दिए गए हैं और प्रत्येक निर्माता को किस-किस प्रकार के कम्प्यूटरों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिए गए हैं; और

(ख) आशय पत्रों/लाइसेंसों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) कम्प्यूटरों का विनिर्माण करने के लिए दिसम्बर, 1985 तक जारी किए गए आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे जो उत्पादन क्षमता को दर्शाते हैं सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं (ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2534/86) इसमें लघु क्षेत्र में इकाइयों को दिए गए अनुमोदन शामिल नहीं हैं।

(ख) 101 कम्पनियों में से 22इकायां उत्पादन कर रही हैं। शेष कम्पनियों को आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस देने के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई चल रही है।

केन्द्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता द्वारा विकसित नया विकल्प

4958. **श्री लक्ष्मण मलिक** :

डा० जी विजय रामाराव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या केन्द्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता के वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसे नए पदार्थ का विकास किया गया है जिसका इस्तेमाल लकड़ी के विकल्प के रूप में निर्माण और सजावटी कार्यों के लिए किया जा सकता है; और

(ख) इस नए पदार्थ के बाजार में कब तक तथा कितनी मात्रा में उपलब्ध होने की सम्भावना है तथा इससे कितनी लकड़ी की बचत होगी और इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। कांच प्रबलित जिप्सम (जी.आर.जी.) सम्मिश्रण एक नया पदार्थ है, जिसे केन्द्रीय कांच और सिरैमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता में विकसित किया गया है, जिसका उपयोग निर्माणात्मक और सजावटी पैनलों में लकड़ी के विस्थापक के रूप में किया जा सकता है।

(ख) जी. आर. जी. सम्मिश्रण की तकनीकी जानकारी के लिए हाल ही में एक उद्यमकर्त्ता (उद्यमी) को लाईसेंस दिया गया है, जिसने अभी वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना है। अन्य उद्यमियों को इसका लाईसेंस देने के प्रयास जारी हैं। विस्थापित लकड़ी की मात्रा लागत आर्थिक तथा जी. आर. जी. सम्मिश्रण की स्वीकार्यता पर निर्भर करेगी जिसे अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता।

त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स

4959. **श्री के० वी० शंकर गौडा** :

श्री सत्येन्द्र नारायणसिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स को मिजो नेशनल फ्रंट के समकक्ष दर्जा, प्रदान नहीं करना चाहती; और

(ख यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) सरकार ने मिजो नेशनल फ्रंट को ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया है।

विकलांगों के लिए देश में बनी ब्रेल आशुलिपि मशीन

4960. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रेल आशुलिपि मशीन का देश में विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे विकलांगों के लिए रोजगार में कितना सुधार होने की सम्भावना है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजनाविधि के दौरान इससे कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की सम्भावना है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) ब्रेल आशुलिपि मशीन से दृष्टिहीन व्यक्तियों को आशुलिपि सीखने में सहायता मिलेगी जिससे उन्हें आशुलिपिक के रूप में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।

(ग) व्यक्तियों की संख्या का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

भूतपूर्व-सैनिकों की चिकित्सा

4961. **श्री अजय मुशरान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को सेना के अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे अस्पताल उनके घरों से बहुत दूर स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों को सभी सरकारी अस्पतालों से निशुल्क चिकित्सा प्राप्त करने की कल्याण सुविधा का विस्तार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इन भूतपूर्व सैनिकों को कोई भी सरकारी अस्पताल निशुल्क सहायता देने से इन्कार नहीं करे; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) भूतपूर्व सैनिक पेंशनरों तथा उनके परिवार तथा जिन मृतक सेना कार्मिकों के परिवार परिवार-पेंशन प्राप्त करते हैं वे सेना अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा उपचार पाने के हकदार हैं। पुन: रोजगार पर लगे पेंशनर इस सुविधा के हकदार नहीं हैं।

(ख) कुछ क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों का सेना अस्पतालों से बहुत दूर निवास स्थान हो सकता है।

(ग) और (घ) राज्यों द्वारा प्रशासित सरकारी सिविल अस्पतालों में भूतपूर्व सैनिकों को उसी तरह की नि:शुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा प्राप्त है जिस तरह की सुविधा सामान्य आदमी को मिलती है। लेकिन कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों को विशेष सुविधायें प्रदान करने के लिए कुछ विशेष अनुदेश जारी किये हैं जो सामान्य आदमी को उपलब्ध सुविधा से अधिक होंगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास पुस्तिका (परिवार कार्ड) का प्रावधान

4962. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **कल्याण मन्त्री** विकास पुस्तिका (परिवार कार्ड) का प्रावधान करने के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी संसदीय समिति की सिफारिशों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास पुस्तिका (परिवार कार्ड) का प्रावधान करने का निर्णय किया है; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां सिफारिश कार्यान्वित की गई है तथा करने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) मई 1980 में अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभ प्राप्त कर्त्ताओं सहित सभी लाभ प्राप्त कर्ताओं पर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव के प्रबोधन के लिए एक विकास पत्रिका (पहचान-एवं-प्रबोधन कार्ड) निर्धारित की गई थी। छठी योजना के अन्त तक अधिकांश राज्यों ने विकास पत्रिका वितरित कर दी थी।

"मल्टी फंक्शनल डिजीटल टेलीविजन सैट्स"

4963. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **प्रधान मंत्री** "मल्टी फंक्शनल डिज़ीटल टेलीविजन सैट्स मेड बाई जापान" शीर्षक के बारे में 18 अप्रैल, 1984 के तारांकित प्रश्न सं. 722 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "डिजीटल टेलीविजन सैटों" के बारे में इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा गठित कार्यदल की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिए हैं कार्यवाही की है; और

(ग) देश में "मल्टी फंक्शनल डिजीटल टेलीविजन सैट्स" कब तक प्रारंभ/निर्माण किए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) चूंकि अंकीय दूरदर्शन एक उभरती हुई प्रौद्योगिकी है, अतः विदेशी विनिर्माणकर्ता इसके विभिन्न तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं पर जानकारी देने के लिए अनिच्छुक हैं। फलतः इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा गठित कार्यदल इस विषय में अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दे पाया है।

(ग) चूंकि इस समय एनालॉग रंगीन दूरदर्शन सेटों की मांग बढ़ गई है, अतः आवश्यवक संघटक-पुर्जों को स्वदेश में ही उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रयास किए जा रहे हैं। अतः अभी समय नहीं आया कि अंकीय दूरदर्शन के संवर्धन का कार्य किया जा सके।

टेलीविजन के मूल्य

4964. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 में बजट में प्रस्तावित वृद्धि के कारण रंगीन और ब्लैक एण्ड व्हाइट टी०वी० सैटों के मूल्य क्रमशः 1700 रुपए और 700 रुपए बढ़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या टी०वी० सैटों के मूल्यों में वृद्धि से सरकार का गरीब लोगों को संचार सुविधायें उपलब्ध कराने संबंधी कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार निर्माताओं को टी०वी० सैटों के मूल्य बढ़ाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है क्योंकि यह आम आदमी के लिए संचार का सबसे सस्ता साधन है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं। वर्ष 1986-87 के केन्द्रीय बजट के प्रस्तावों में, 36 से०मी० से अधिक बड़े पर्दे वाले रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के लिए उत्पाद-शुल्क में 600 रु० की वृद्धि की गई है। कीमतों की वृद्धि के विषय में शीघ्रता से किए गए सर्वेक्षण के बाद पता चला है कि दिल्ली में रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमतों में लगभग 660 रु० से 700 रु० तक की वृद्धि हुई है। बिक्री करों तथा अन्य स्थानीय करों की दरें हर राज्य में अलग-अलग हैं। अतः विभिन्न राज्यों में प्रचलित बाजार-भाव में वहां प्रचलित बिक्री-करों एवं स्थानीय करों के अनुसार घट-बढ़ होगी। जहां तक 36 से०मी० के पर्दे से अधिक बड़े आकार के श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों का प्रश्न है, इनमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसके अलावा 36 से०मी० पर्दे के आकार के श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों के मामले में उत्पाद शुल्क भी नहीं लगता (दूरदर्शन प्रसारण अभिग्रहण के लिये वार्षिक लाइसेंस शुल्क समाप्त करने के एवज में सभी दूर दर्शन सेटों पर 100 रु० का अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क अवश्य लगाया जाता है।)

(ख) जी, नहीं। क्योंकि श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों की कीमतों पर आमतौर पर कोई असर नहीं पड़ा है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में कोआपरेटिव बैंक का लूटा जाना

4965. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में हाल ही में कोआपरेटिव बैंक लूटे जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितनी धनराशि लूटी गई;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार बैंकों में खजांचियों के साथ सुरक्षा गार्ड तैनात करने का है?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सहकारी बैंक में कोई लूटपाट नहीं हुई थी, लेकिन वैश्य सहकारी बैंक, शकरपुर, दिल्ली के कोषाध्यक्ष, जिनके साथ सहायक कोषाध्यक्ष तथा चपरासी श्री ब्रिज किशोर थे, की देना बैंक, विजय चौक, शकरपुर में रु. 3,25,000/- जमा करने के लिए जाते समय तीन लड़कों द्वारा राहजनी की गई थी। ब्रिज किशोर को छुरा घोंपने के बाद लुटेरों ने वह ब्रीफकेस छीन लिया था, जिसमें उक्त धन था, और चम्पत हो गए।

(ख) कुल 3,25,000 रुपए की धन राशि लूटी गई थी।

(ग) पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और लूटा हुआ धन बरामद कर लिया गया है।

(घ) सरकार द्वारा बैंकों को पहले ही सलाह दी गई थी कि कोषाध्यक्षों द्वारा धन लाने ले जाने के समय, उनके साथ सशस्त्र गार्ड तैनात किए जायें। आगे जन-हित के बचाव के विचार से बैंकों और स्थानीय पुलिस के बीच लगातार विचार विमर्श किए जाते हैं।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा विकसित "लो एयर प्रेसर एटोमाइजिंग बर्नर"

4966. **श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून के वैज्ञानिकों ने एक उपयोगी "लो एयर प्रेसर एटोमाइजिंग बर्नर" का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस विकास का देश के भीतर तथा निर्यात के लिये किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिक और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) **क्षमता** : 100 कि०ग्रा०/घंटा दहन दर

ईंधन : एच वी ग्रेड फर्नेस तेल

वायुदाब : 400-700

टर्न डाउन अनुपात : 1 : 10

परीक्षणों के बीच ईंधन बचत : 10-25 प्रतिशत

सामग्री : बॉडी सी आइ, स्प्रे गन-एम एस/एस एस

(ग) यह जानकारी पेट्रोलियम कन्जरवेशन रिसर्च एसोसियेशन (पीसीआरए) के माध्यम से विमोचित की जा रही है। यह जानकारी एक पार्टी को पहले ही दी जा चुकी है और इस पार्टी ने उद्योग के लिए अब तक 1000 बर्नरों (ज्वालकों) की अदायगी की है। देश के अन्य भागों की पार्टियों को इस जानकारी का लाइसेंस देने के बारे में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इन ज्वालकों को भारत में तथा यू एस एस आर के व्यापार मेले में प्रदर्शित किया जा चुका है। पेटेन्ट देश में और विदेश यथा यू के और फिलिपीन में फाइल किए गए हैं। विदेश की कुछ पार्टियों ने इन बर्नरों में विशेष रूचित दर्शायी है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत नए क्षेत्र

4967. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत कुछ नए क्षेत्र लाए गए हैं या केवल वर्तमान आदिवासी उपयोजनाएं जारी रहेंगी, और

(ख) यदि आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत नए क्षेत्रों को लाया गया है, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जन-जाति उप-योजना के अन्तर्गत अब तक कोई नया क्षेत्र नहीं लाया गया है। राज्य सरकार को जनजाति बाहुल्य वाले समूहों का पता लगाने की सलाह दी गयी है, अर्थात 5,000 जनजाति जनसंख्या वाले क्षेत्र और जिसमें 50% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की हो। यदि राज्य सरकार पता लगाती है और इस प्रकार के सक्षम क्षेत्रों को जनजाति उप-योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करती है तो वर्तमान क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दी शार्टहैंड तथा टाईपिंग में प्रशिक्षित कर्मचारी

4969. **श्री केशवराव पारधी** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितने कर्मचारियों को हिन्दी शार्टहैंड तथा टाईपिंग में प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) उनमें कितने कर्मचारियों की सेवायें हिन्दी कार्य के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं;

(ग) उनमें से कुल कितने कर्मचारियों को 50 रुपये प्रति माह का विशेष वेतन दिया जा रहा है;

(घ) ऐसे स्टेनोग्राफर्स की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने हिन्दी माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण की है लेकिन उनकी सेवाएं अंग्रेजी कार्य के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं; और

(ङ) ऐसे स्टेनोग्राफर्स की संख्या कितनी है जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण की है और उनकी सेवाएं हिन्दी कार्य में उपयोग में लाई जा रही हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जब से हिन्दी शिक्षण योजना का प्रारम्भ हुआ है, उसके अन्तर्गत हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टाइपिंग में क्रमश: 7675 तथा 40853 अंग्रेजी आशुलिपिकों तथा अंग्रेजी टाइपिस्टों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(ख) से (ङ) हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत केवल अंग्रेजी जानने वाले स्टाफ को ही हिंदी आशुलिपि/टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है और इस प्रकार उनके दैनिक कार्य के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार समय-समय पर उनकी सेवाएं हिन्दी कार्य के लिए भी ली जाती हैं। मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में इस संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते। हिन्दी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को अंग्रेजी में प्रशिक्षित करने की कोई योजना नहीं है और उनके द्वारा अंग्रेजी में कार्य करने के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए योजना आवंटन में कटौती

4970 **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के उद्योग विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए 155 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे घटाकर 146 करोड़ रुपये कर दिया गया है,

(ख) यदि हां तो क्या यह कटौती मध्यम और बड़े उद्योगों के संबंध में की गई है, और

(ग) यह कटौती किस आधार पर की गई है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा "फास्ट ब्रीडर रिएक्टर" के लिए बड़े उपकरणों तथा संघटकों की पूर्ति

4971. **श्री वी० वी० देसाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बनाए जाने वाले प्रस्तावित 500 मेगावाट "प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर" के लिए बड़े उपकरणों और संघटकों का विकास करने तथा उनकी सप्लाई करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने यह पेशकश स्वीकार की है;

(ग) क्या यह सच है कि "भेल" ने 40 मेगावाट के "फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर" के लिए उपकरण बनाये थे;

(घ) यदि हां, तो 500 मेगावाट "प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर" कब तक बनाया जाएगा; और

(ङ) इस पर कुल कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अन्य पक्षों के अलावा

मैसर्स हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से भी सम्पर्क किया गया तथा उन्होंने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए अपेक्षित अभियांत्रिकी के विकास के प्रयास में शामिल होने में अपनी रुचि दिखाई है।

(ख) इस संबंध में निर्णय काम को पूरा करने के लिए बताए गए समय, लागत तथा अभियांत्रिकी-विकास कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक उद्योगों के पास उपलब्ध आधारभूत व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

(ग) जी हां। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने रिएक्टर पात्र, माध्यमिक ताप विनिमयक, वाष्प जनित्र तथा टर्बो आल्टरनेटर जैसे संघटक/उपस्कर दिए हैं।

(घ) ऐसी संभावना है कि 500 मेगावाट क्षमता के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण और प्रचालन का काम अगले दशाब्द के अन्त में लगभग पूरा कर दिया जाएगा।

(ङ) प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की पूंजीगत लागत (आरंभिक अनुमानों के अनुसार) लगभग सात सौ बीस करोड़ रुपए होगी। लागत का अनुमान लगाते समय 1982 के मूल्य-स्तर को आधार माना गया है तथा आयात की जाने वाली सामग्री पर देय सीमा शुल्क इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस अनुमानित लागत में ईंधन की लागत भी शामिल नहीं है।

सेना की वर्दियों के लिए कपड़े की खरीद

4972. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं जो सेना की वर्दियों के लिए कपड़ा सप्लाई कर रही हैं;

(ख) इस बारे में प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च होती है;

(ग) क्या गैर सरकारी कपड़ा मिलों से भी कोई खरीद की गई है; और

(घ) इस सप्लाई के लिए किस स्तर और किस्म का कपड़ा निश्चित किया गया है?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) सेना की वर्दियों के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़े की खरीद महानिदेशक पूर्ति एवं निपटान के माध्यम से की जाती है। जिन फर्मों ने महानिदेशक पूर्ति एवं निपटान के माध्यम से अपेक्षित कपड़े की पांच मुख्य किस्मों की सप्लाई की है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 198.-86 में महानिदेशक पूर्ति एवं निपटान के माध्यम से खरीदे गए कपड़े की पांच किस्मों पर लगभग 52.93 करोड़ रुपए का खर्च आया।

(ग) जी, हां।

(घ) इन पूर्तियों के लिए मानक एवं गुणवत्ता संलग्न विवरण में बताए गए संबंधित विनिर्देशों द्वारा निर्धारित की जाती है।

विवरण

कपड़े की किस्म और संबंधित विनिर्दिष्टियां

किस्म	विनिर्दिष्टि
1. शर्टिंग अंगोला ड्रेब	आई एस 8331—1976
2. सरज बैटल ड्रेस	आई एस 2319—1978

3. सिल्यूलर/ओ जी/खाकी जिरप्टिव शर्टिंग काटन	अपवाद में आर एस 1144/80 और डिसरप्टिव के लिए डी एम एस आर डी ई/टी एण्ड जी एस/81/270(बी)
4. ओ जी/खाकी/डिसरप्टिव ड्रिल काटन	अपवाद में आई एस 177-1977 और डिसरप्टिव के लिए डी एम एस आर डी ई/टी एण्ड जी एस/81/268 (बी)
5. ओ जी/खाकी/डिसरप्टिव काटन के वीव पोलीस्टर के सादे वस्त्र।	आई एन डी/टी सी/0042 (बी) और डिसरप्टिव के लिए डी एम एस आर डी ई/टी एण्ड जी एस/81/266(ए)

इन मिलों के नाम जो उपरोक्त कपड़े की पांच किस्मों की सप्लाई करते हैं

1. बी आई सी और उनकी यूनिटें/मिले।
2. एन टी सी और उनकी यूनिटें/मिले।
3. ओ सी एम, अमृतसर।
4. ओसवाल वूलन मिल, लुधियाना।
5. बिन्नी लिमिटेड, बंगलौर।
6. बाम्बे फाइन, थाणे।
7. बिन्नी लिमिटेड, मद्रास।
8. मोरारजी गोकुलदास, बम्बई।
9. स्वदेशी, बम्बई।
10. हुकम चंद मिल, इंदौर।
11. माधव काटन मिल, कलकत्ता।
12. जे० सी० टी० मिल, फगवाड़ा।
13. मफतलाल फाइन, बम्बई।
14. चन्द्रप्रभा टेक्सटाइल, देवास।
15. नवसारी काटन मिल, नवसारी।

[हिन्दी]

सामाजिक संगठनों द्वारा धन का दुरुपयोग

4973. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार को देश में कितने सामाजिक संगठनों के विरुद्ध धन के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) अखिल भारतीय मद्य निषेध समिति द्वारा धन के दुरुपयोग के बारे में कुछ आरोप सही पाए गए हैं। महिलाओं पर अत्याचार रोकने और मद्यनिषेध के लिए शिक्षा कार्यों हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सहायता योजना के अन्तर्गत अनुदान बन्द करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस संगठन के विरुद्ध कुछ गंभीर आरोपों की सूचना इस मंत्रालय को दी है। राज्य सरकार इस मामले की जांच कर रही है। कल्याण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस मामले में की गई कार्यवाही से मंत्रालय को अवगत कराए उनके उत्तर की प्रतिक्षा की जा रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान धन के दुरुपयोग की आम शिकायतें निम्नलिखित संगठनों के विरुद्ध प्राप्त हुई हैं जिन्हें, स्वयंसेवी संगठनों को संगठनात्मक सहायता की योजना के अन्तर्गत इस मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई :—

(1) नव जाग्रती विद्यालय संचालन समिति, श्री गंगानगर, राजस्थान।

(2) राष्ट्रीय महिला संस्थान, बी-7/2, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ।

(3) केन्द्रीय नेहरू स्मारक परिषद, लखनऊ

(4) कर्नाटक वेलफेयर सोसाइटी, कर्नाटक

(5) गांधी शांति प्रतिष्ठान, कलकत्ता

शिकायतों के अनुसरण में उपरोक्त सगठनों को आगे सहायता देना बन्द कर दिया गया है। एक संगठन से जिसके विरुद्ध विशेष रूप से शिकायत प्राप्त हुई थी, अनुदान सहायता की राशि वसूल भी कर ली गई है।

[अनुवाद]

आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

4974. **श्री राम स्वरूप राम : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई कानून बनाने का भी प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) से (ग) आय की अधिकतम सीमा लागू करने का अथवा इस प्रयोजन के लिए कोई कानून पेश करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"राज्य सरकारों को वन कटाई के लिए अनुमति"

4975. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि बहुत से राज्यों में नई सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वियन में विलम्ब वनों की कटाई के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अनुमति में देरी के कारण हो रही है;

(ख) क्या उन परियोजनाओं को शीघ्रता से स्वीकृति देने के लिए केन्द्रीय सरकार का विचार सम्बन्धित राज्य मुख्यालयों में अपने प्रतिनिधि भेजकर राज्य स्तर पर मामले पर विचार-विमर्श करके इन प्रस्तावों की मौके पर ही स्वीकृति देने की प्रक्रिया अपनाने का है; और

(ग) क्या नई उच्च तरंग (हाई टेंशन) लाइनें बिछाने के कार्य में भी इसी प्रकार की देरी हो रही है जिससे राज्यों में विद्युत की सप्लाई पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए विशेष मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत इस मामले में वनों की कटाई का अधिकार सम्बन्धित राज्य सरकारों को देने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यदि कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जिसमें आवश्यक सूचनायें समाविष्ट हों, तो निर्णय लेने में कोई विलम्ब नहीं होता है।

(ख) मामलों के शीघ्र निपटान के लिए केन्द्र सरकार सभी सम्भव सहायता देने के लिए इच्छुक है।

(ग) विलम्ब, मुख्यतः आवश्यक सूचना देर से प्रस्तुत करने के कारण होते हैं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत राज्य सरकार को शक्तियां प्रत्यायोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इससे अधिनियम का वास्तविक प्रयोजन निष्फल होगा।

[हिन्दी]

शादियों के अवसर पर शामियानों संबंधी सुरक्षा उपाय

4976. **श्री विलास मुत्तमेवार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन को शादियों के अवसरों पर लगाये जाने वाले शामियानों की सुरक्षा के बारे में दिल्ली अग्निशमन सेवा संगठन से कब सुझाव प्राप्त हुये थे,

(ख) क्या मुख्य सुझाव थे,

(ग) सरकार द्वारा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 10 फरवरी, 198 को दिल्ली में अम्बा सिनेमा, के पीछे लगे पंडाल में लगी आग के बाद दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने संबधित प्राधिकरणों जैसे दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली छावनी बोर्ड और दिल्ली नगर निगम को टेण्टों और पंडालों जैसे अस्थाई ढांचों में किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किये हैं। अस्थाई ढांचों को लगाने के लिए अनुमति देते समय इन निर्देशों का पालन किया जाना है।

(ख) इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार के ढाचों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री भूमि से ढांचे की छत तक ऊंचाई, गैर ज्वलनशील सामग्री से बनी दीवारों द्वारा रसोई घर को अलग रखने, आसानी से उपलब्ध जल व्यवस्था आदि निर्धारण किया गया है।

(ग) अस्थाई ढांचों के लिए स्वीकृति देते समय स्थानीय निकायों द्वारा इन प्रतिबन्धों का पालन किया जाएगा। ऐसा किया जा रहा है।

(घ) सरकार, चालू सत्र, में दिल्ली अग्नि निवारक और अग्नि सुरक्षा विधेयक 1986 के द्वारा संसदीय विधायन रखना चाहती है। इससे, अग्नि सुरक्षा विनियमनों का अनुपालन न करने के लिये सख्त दण्ड देने के लिये प्राधिकरणों को शक्ति प्राप्त होगी।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में दंगों के कारण जान-माल की हानि

4977. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

प्रो० मधु दण्डवते :

श्री सरफराज अहमद :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री कमल नाथ :

श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर के कुल कितने स्थानों पर दंगे भड़के और इसके कारण कितनी जान-माल की हानि हुई;

(ख) राज्य में राज्यपाल शासन लागू होने से पहले हुई साम्प्रदायिक गड़बड़, हिंसा और अत्याचारों की आवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार इस बारे में कोई जांच आयोग नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को यह पता है कि जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी सक्रिय हैं और वहां बिना पासपोर्ट के बहुत से व्यक्ति रह रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) : प्रश्न की विषय वस्तु प्राथमिक रूप से राज्य सरकार से संबंधित है।

(ग) और (घ) : जम्मू और कश्मीर सरकार जम्मू और कश्मीर जांच आयोग अधिनियम, 1962 के उपबंधों के तहत कानून और व्यवस्था की घटनाओं की जांच के आदेश देने के लिए सक्षम है।

(ङ) और (च) : राज्य सरकार को विदेशी नागरिकों का पता लगाने और अवैध प्रवेश के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सांविधिक शक्तियां पहले ही दी जा चुकी हैं।

कोचीन नौसैनिक अड्डे की परिवार कल्याण केन्द्र (फैमिली क्लिनिक) और एकीकृत बाल स्वास्थ्य योजना

4978. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) कोचीन नौसैनिक अड्डे के परिवार कल्याण केन्द्र (फैमिली क्लिनिक) और एकीकृत बाल स्वास्थ्य योजना में कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

(ख) क्या अन्य सरकारी परिवार कल्याण योजनाओं में काम आने वाले कर्मचारियों की तुलना में उनके वेतन आदि बहुत कम हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके वेतन आदि को अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों के बराबर स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण सिंह) : (क) इनकी संख्या आठ है।

(ख) और (ग) : इनके वेतन और भत्तों का भुगतान कमान कल्याण निधि से किया जाता है जो एक गैर सरकारी निधि है और जिसका उपयोग नौसेना कार्मिकों के कल्याण के लिए होता है। तदनुसार नियमित सरकारी सेवा में उनके समकक्ष श्रेणियों के कर्मचारियों से इनके वेतन और भत्ते कम हैं। लेकिन इनके कार्यभार एवं निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वेतन तथा भत्तों को समय-समय पर बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

"मध्य प्रदेश में बोधघाट पन-बिजली परियोजना का निर्माण"

4979. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बोधघाट पन-बिजली परियोजना जो अभी भी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, के लिए 75 हैक्टेयर भूमि में वन की कटाई की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को वनों की कटाई करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कारंवाई करने और वनों को और आगे न काटने के अनुदेश जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कारंवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधों ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा पहले ही केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अनुमति प्रदान की गई थी और की गई कारंवाई हालांकि कानूनी अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी, फिर भी जनहित में थी जिससे जल परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन हो सके, अत: इसमें कोई दुर्भावना शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

इण्डियन रिमोट सेंन्सिग उपग्रह उपयोग कार्यक्रम की उपयोजन परियोजनायें

4980. **श्री डी० बी० पाटिल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'इन्डियन रिमोट सेन्सिग उपग्रह' उपयोग कार्यक्रम (आई० यू० पी०) ने सम्बद्ध राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों के सहयोग से आठ उपयोजन परियोजनायें प्रारम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो वह कार्यक्रम किन राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर तैयार किया गया है और आठ उपयोजन परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(ग) इन आठ उपयोजन परियोजनाओं की अब तक की उपलब्धियां क्या हैं ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क)

(क) और (ख) 1.1 भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-उपयोग कार्यक्रम (आई०आर०एस० उ०का०) के अन्तर्गत 16 उपयोग परियोजनाएं हैं, जिन्हें विविध केन्द्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के सहयोग से अन्तरिक्ष विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है।

1.2 उपयोग परियोजनाएं निम्न प्रकार की हैं :—

(क) प्रचालनात्मक उपयोग परियोजनाएं (ओ०ए०पी०)

(ख) अर्ध-प्रचालनात्मक उपयोग परियोजनाएं (क्यू०ए०पी०)

(ग) प्रायोगिक उपयोग परियोजनाएं (ई०ए०पी०); और

(घ) तकनीक विकास परियोजनाएं (टी०ए०पी०)

इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार हैं :—

(i) **प्रचालनात्मक उपयोग परियोजनाएं** (ओ०ए०पी०)

1. बाढ़ मानचित्रण (एफ०एल०एम०)
2. क्षेत्रीय भौगोलिक मानचित्रण (आर० जी० एम०)
3. भूमि जल अन्वेषण अध्ययन (जी० डब्ल्यू० ई० एस०)

(ii) **अर्ध-प्रचालनात्मक उपयोग परियोजनाएं** (क्यू० ए० पी०)

1. भूमि उपयोग मानचित्रण (एल० यू० एम०)
2. मृदा मानचित्रण (एस० ओ० एम०)
3. भूमि निम्नीकरण अध्ययन (एल० डी० डी०)
4. हिम मानचित्रण (एस० एन० एम०)
5. सूखा मानीटरन (डी० आर० एम०)

(iii) **प्रयोगिक उपयोग परियोजनाएं** (ई० ए० पी०)

1. फसल उत्पादन भविष्यवाणी (सी० पी० एफ०)
2. वन मानचित्रण और क्षति संसूचन (एफ० एम० डी० डी०)
3. जल गुण मानीटरन (डब्ल्यू० क्यू० एम०)
4. जल विभाजक लक्षणचित्रण (डब्ल्यू० एस० सी०)
5. तटीय पर्यावरण का मानीटरन (एम० सी० ई०)
6. समुद्री मत्स्य-पालन (एम० ए० एफ०)

(iv) **तकनीक विकास परियोजनाएं** (टी० डी० पी०)

1. फसल प्रतिबल संसूचन (सी० एस० डी०)
2. फसल उत्पाद प्रतिरूपण (सी० वाई० एम०)

अन्तरिक्ष विभाग की राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन० आर० एस० ए०) प्रचालनात्मक उपयोग परियोजनाएं और अर्ध-प्रचालनात्मक उपयोग परियोजनाएं कर रही हैं तथा अन्तरिक्ष विभाग का अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र प्रायोगिक उपयोग परियोजनाओं और तकनीकी विकास परियोजनाओं को कर रहा है।

2. लगभग 70 प्रयोक्ता, जो कि आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, कर्णाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश पश्चिमी बंगाल इत्यादि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य/केन्द्रीय सरकार के विभागों और एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 16 उपयोग परियोजनाओं वाले भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह उपयोग कार्यक्रम को करने के लिए राष्ट्रीय सुदूर

संवेदन एजेंसी और अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के साथ सहयोग कर रहे हैं। अभी तक 50 से अधिक प्रयोक्ताओं ने अन्तरिक्ष विभाग के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, (विवरण संलग्न है)। इस प्रकार्यक्रम में अधिक प्रयोक्ता विभागों को शामिल करने के लिए कार्यवाई की जा रही है।

3.1 यह कार्यक्रम चल रहा है तथा इसके पूरा होने में कुछ समय लगेगा। सभी सोलह परियोजनाओं के लिए संबद्ध उपग्रह आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। इन आंकड़ों के विश्लेषण और अर्थनिर्वचन का कार्य प्रगति में है। प्रायोगिक उपयोग परियोजनाओं और तकनीक विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक गणितीय सूत्रों और मॉडलों का विकास किया जा रहा है। कुछ परियोजनाओं के लिए हवाई सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-उपयोग कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रयोक्ता विभागों के संसाधन वैज्ञानिकों को नियमित आधार पर सुदूर संवेदन में 7 सप्ताह और 12 सप्ताह की अवधि वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम क्रमशः राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन० आर० एस० ए०) और अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र में आयोजित किए जा रहे हैं।

3.2 उपयोग परियोजनाओं के अलावा, कम लागत के विविध अर्थनिर्वचन उपकरण और संवेदकों का विकास तथा भारतीय उद्योग को इनकी प्रौद्योगिकी का अन्तरण भी भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-उपयोग कार्यक्रम का भाग है। इनमें ज़ूम ट्रांसफरस्कोप, प्रकाशीय पेंटोग्राफ, उच्च आवर्धन प्रवर्धक इत्यादि शामिल हैं।

विवरण

भारतीय सुदूर संवेदन-उपयोग कार्यक्रम उपयोग परियोजनायें अन्तरिक्ष विभाग के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली एजेंसियों की सूची

परियोजना	सहयोगी एजेंसी	स्थिति
		(नवम्बर, 1985)
बाढ़ मानचित्रण	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	समझौता-ज्ञापन
(एफ०एल०एम०)	सिंचाई विभाग, बिहार ब्रह्मपुत्र बोर्ड,	हस्ताक्षरित।
	गोहाटी	,,
क्षेत्रीय भूविज्ञानीय मानचित्रण(आर०जी०एम०)	खान और भूविज्ञान विभान, राजस्थान	,,
	भूविज्ञान और खान निदेशालय, गुजरात	,,
	पेट्रोलियम खोज संस्थान,	,,
	ओ०एन०जी०सी०	,,
	खान निदेशालय, उड़ीसा	,,
भूमि जल अन्वेषण	भूमि जल विभाग, राजस्थान	,,
अध्ययन	भूमि जल विभाग, मध्यप्रदेश	,,
(जी०डब्ल्यू०ई०एस०)	भूमि जल विभाग, कर्नाटक	,,
भूमि उपयोग मानचित्रण	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान	,,

1	2	3
(एल०यू०एम०)	कृषि विभाग, त्रिपुरा	,,
	योजना विभाग, महाराष्ट्र	,,
मृदा मानचित्रण (एस०ओ०एम०)	उड़ीसा सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र	,,
	अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण	,,
	मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग आयोजना का राष्ट्रीय ब्यूरो	,,
भूमि निम्नीकरण अध्ययन (एल०डी०डी०)	कृषि विभाग, राजस्थान	,,
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	,,
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	,,
	अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण, नई दिल्ली	,,
	मृदा संरक्षण निदेशालय, मणिपुर	,,
	मृदा सरक्षण निदेशालय, त्रिपुरा	,,
	मृदा संरक्षण निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश	,,
हिम मानचित्रण (एस०एन०एम०)	पावर विकास विभाग, जम्मू तथा काश्मीर	,,
	राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश	,,
	हिम तथा हिमधाव अध्ययन संस्थान	,,
सूखा मानीटरन (डी०आर०एम०)	भारतीय मौसमविज्ञान विभाग, नई दिल्ली।	,,
	राहत आयुक्त, आंध्र प्रदेश	,,
फसल उत्पादन	चावल—उड़ीसा सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र	,,
भविष्यवाणी	गेहूं—पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	,,
(सी०पी०एफ०)	गेहूं—हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	,,
वन मानचित्रण और क्षति	वन विभाग, मध्य प्रदेश	,,
संसूचन	वन विभाग, कर्णाटक	,,
(एफ०एम०डी०डी०)	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की एम०पी० परिषद्	,,
	कर्णाटक सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी	,,
जल गुण मानीटरन (डब्ल्यू०क्यू०एम०)	उत्तर प्रदेश सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र	,,
	इन्कोर, आंध्र विश्वविद्यालय	,,
	जम्मू और काश्मीर सरकार	,,

1	2	3
जलविभाजक लक्षण चित्रण	अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि	
(डब्ल्यू०एस०सी०)	उपयोग सर्वेक्षण	,,
	उत्तर प्रदेश सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, लखनऊ	,,
	जे०एन० कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	,,
	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की एम०पी० परिषद्	,,
	सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, जम्मू और काश्मीर	,,
तटीय पर्यावरण का	कर्णाटक सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी	,,
मानीटरन (एम०सी०ई०)	विज्ञान की उन्नति के लिए कर्णाटक एसोसिएसन	,,
	कर्णाटक राज्य वायु और जल प्रदूषण बोर्ड	,,
समुद्रीमत्स्य पालन	भारतीय मत्स्यपालन सर्वेक्षण	,,
(एम०ए०एफ०)		
फसल प्रतिबल संसूचन	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय	,,
(सी०एस०डी०)	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	,,
	आई०ए०आर०आई०, दिल्ली	,,
फसल पैदावार प्रतिरूपण	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय	,,
(सी०वाई०एम०)	सी०आर०आर०आई०, कटक	,,
	आई०ए०आर०आई०, दिल्ली	,,

[हिन्दी]

"वन [संरक्षण] अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पिथौरागढ़ जिले में कालेज भवन के निर्माण की अनुमति"

4981. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने लोहाघाट, पिथौरागढ़ जिला में डिग्री कालेज भवन के निर्माण का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने के लिए उनके मंत्रालय को एक से अधिक बार भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ये प्रस्ताव उन्हें किन-किन तारीखों को प्राप्त हुए और प्रत्येक बार स्वीकृति प्रदान न करने के क्या कारण थे;

(ग) क्या यह सच है कि जिस स्थान पर यह भवन बनाने का विचार है, वहां एक भी पेड़ नहीं है।

(घ) क्या इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान न किये जाने के कारण स्थानीय लोगों में वन (संरक्षण) अधिनियम के विरुद्ध रोष है; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से 21.2.1985 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें पिथौरागढ़ जिले में लोहाघाट में एक राजकीय डिग्री कालेज के निर्माण के लिए 3.86 हेक्टेयर वन भूमि के दिवपरिवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन मांगा गया था। राज्य सरकार से 2.3.1985 को कुछेक अनिवार्य ब्यौरे तथा स्पष्टीकरण मांगे गये थे जो कि प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यह क्षेत्र वृक्ष-विहीन है।

(घ) और (ङ) इस मामले पर मांगी गयी अनिवार्य अतिरिक्त सूचना के प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

"वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति के लिए अनिर्णीत पड़ी योजनाएं"

4982. **श्री हरीश रावत** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विभिन्न राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के कारण नियोजित योजनाओं के निर्माण कार्य आरम्भ करने में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या वर्ष 1980-81 के दौरान मंत्रालय को विभिन्न राज्यों द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों के बारे में इस अधिनियम के नियमों के अंतर्गत आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य स्तर पर ऐसे प्रस्तावों को निपटारा करने के लिए एक समिति गठित करने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के लिए ब्रिटिश हथियार

4983. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री सुभाष यादव : क्या **विदेशमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मार्च, 1986 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान की ब्रिटेन से 420 मिलियन पौंड मूल्य के टैंक टरेट्स तथा हथियार खरीदने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सरकार ने भारतीय और ब्रिटिश समाचार पत्रों में इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) सरकार उन सभी घटनाओं पर बराबर निगरानी रखती है, जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता हो।

[हिन्दी]

भारत में पाकिस्तानी जासूसों की गतिविधियां

4984. **श्री मूलचन्द डगा** : क्या **गृहमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी जासूस धीरे-धीरे भारत में अपनी गतिविधियां तेज कर रहे हैं और इस समय भारतीय जेलों में कितने पाकिस्तानी जासूस बन्दी हैं;

(ख) पाकिस्तानी जासूसों के भारत में घुसपैठ के स्रोत क्या हैं और भारत में प्रवेश के लिए उनके द्वारा क्या तरीका अपनाया जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्यमंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी; और

(ग) सरकार इस संबंध में समय-समय पर उचित कार्यवाही करती है।

[अनुवाद]

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ग्रामीण समस्याओं सम्बन्धी लघु पाठ्यक्रम

4985. **श्री सोमनाथ रथ** :

श्री गुरुदास कामत : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से परिचित कराने के लिए लघु पाठ्यक्रम आयोजित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बे समय तक वास्तविक नियुक्तियां युक्ति-संगत हैं;

(ग) सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं से समुचित रूप से परिचित कराने के लिए उन्हें वहां नियुक्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री पी० चिदम्बरम्) :

(क) जी हां। यह मंत्रालय वरिष्ठता के सभी स्तरों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए एक सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन पाठ्यक्रमों में से कुछ पाठ्यक्रमों का सम्बन्ध ग्रामीण विकास की समस्याओं के साथ है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों के अधीन पदों पर नियुक्ति पूरी तरह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। फिर भी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीधी भर्ती के अधिकारियों के कॅरियर विकास के बारे में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए

हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ अधिकारियों को पर्याप्त फील्ड अनुभव प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है ताकि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं की समुचित जानकारी प्रदान की जा सके। केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कैरियर विकास की दृष्टि से, राज्यों में उनके स्थानन की पद्धति की समय-समय पर पुनरीक्षा करती है तथा जहां आवश्यक होता है समुचित सुझाव देती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति करते समय अधिकारियों द्वारा फील्ड नियुक्तियों में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखा जाता है। वस्तुतः भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी भी अधिकारी को निदेशक के स्तर तक की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए साधारणतः तब तक विचार नहीं किया जाता है जब तक उसके पास न्यूनतम फील्ड अनुभव न हो।

"प्रदूषण के कारण विभिन्न जीव जन्तुओं का विनाश"

4986. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जनवरी, 1986 के "दैनिक जागरण" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि देश में प्रदूषण के कारण विभिन्न नदियों में जीव-जन्तुओं का विनाश हो रहा है और गंगा, यमुना, टोंस तथा सासर खडेरी नदियों के किनारे बसे नगरों तथा शहरों में बढ़ती जनसंख्या में प्रदूषण स्तर बहुत बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउरहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार को इस मामले की छानबीन करने के लिए तथा उचित कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

(ग) देश में प्रदूषण को रोकने के लिए उठाये जा रहे कदमों में ये शामिल हैं :—

— उद्योगों को प्रदूषण नियन्त्रण के उपाय स्थापित करने के लिए राजी किया जा रहा है। 4054 बड़े एवं मझौले जल प्रदूषणकारी उद्योगों में से 2076 उद्योगों ने निस्सरण उपचार संयंत्र लगा लिए हैं।

— बड़े प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक निर्धारित किये गए हैं तथा उनके चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं।

— गुणवत्ता स्तर के मूल्यांकन के लिए देश की नदियों की जल गुणवत्ता का लगातार प्रबोधन किया जा रहा है।

— देश की सभी प्रमुख नदियों के बेसिन एवं सब-बेसिन अध्ययन किए गए हैं।

— निस्सरणों एवं उत्सर्जनों के मानक निर्धारित किये गये हैं तथा उद्योगों को निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

— दोषी उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है; तथा

— प्रदूषण नियंत्रण की प्रणालियों को लगाने तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से प्रदूषणकारी उद्योगों को स्थानान्तरित करने पर कर-प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

कलेक्टर के रूप में सफल कार्यकाल पूरा करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विशेष मान्यता

4987. **श्री सोमनाथ रथ** :

श्री गुरुदास कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलेक्टर के रूप में सफल कार्यकाल पूरा करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पदोन्नतियों के मामले में विशेष मान्यता देने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव को क्रियान्वित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) जी नहीं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नतियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पात्र अधिकारियों के रिकार्डों के समय मूल्यांकन के आधार पर की जाती हैं। कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नतियां सेवा की अवधि तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए उपयुक्तता के आधार पर और चयन ग्रेड तथा उससे ऊपर की पदोन्नतियां वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर चयन द्वारा की जाती हैं।

क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, दिल्ली में पारपत्र के लिए लंबित पड़े आवेदन

4988. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, दिल्ली में पारपत्र के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं; और

(ख) उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं !

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) 1 मार्च, 1986 को, पासपोर्टों के लिए लंबित आवेदन पत्रों की संख्या 12,335 थी।

(ख) पासपोर्ट आवेदन-पत्रों के लंबित होने का मुख्य कारण यह है कि संबंधित प्राधिकरण से पुलिस की स्वीकृति नहीं मिली है। कुछ मामलों में, आवेदन-पत्र अधूरे हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को समय-समय पर पुलिस प्राधिकरण और पासपोर्ट आवेदक को स्मरण कराने के निदेश दिए गए हैं।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्या

4989. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में असमानता, सेवानिवृत्ति के बाद विभिन्न सेवाओं में पार्श्विक प्रवेश, अपनी पैतृक भूमि प्राप्त करने अथवा किरायेदारों आदि से अपने मकानों को खाली करवाने में असफलता जैसी विभिन्न समस्याओं के कारण भूतपूर्व सैनिकों में व्याप्त भारी असंतोष के प्रति ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के संगठन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उनकी समस्याओं का संतोषजनक समाधान ढूढ़ने के लिए सरकार ने क्या निर्णय किए हैं और प्रत्येक निर्णय कब तक कार्यान्वित करने की संभावना है, और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और अपेक्षित निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) सरकार को भूतपूर्व सैनिकों की समस्या और पेंशन, पुनर्नियोजन किरायेदारों से उनके मकान तथा भूमि उन्हें वापस दिलाने जैसे मामलों में उनके दृष्टिकोण की जानकारी है ।

(ख) इस विषय में सरकार को कई अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं ।

(ग) और (घ) : इनमें से प्रत्येक समस्या के बारे में स्थिति नीचे दी गई है :—

(i) वर्तमान पेंशन नीति के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों को सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों द्वारा ली जाने वाली पेंशन की राशि में भिन्नता हो सकती है क्योंकि पेंशन सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली गणनीय परिसंपतियों तथा की गई सेवा के वर्षों की संख्या पर निर्भर करती है । लेकिन अब चतुर्थ वेतन आयोग पहले के पेंशन पाने वालों और भविष्य में पेंशन पर जाने वालों के पेंशन ढांचे पर विचार करेगा ।

(ii) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में उन मदों का पता लगाया जा रहा है जिनमें भूत-पूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजित किया जा सकता है :

(iii) सेना कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर उनके मकानों तथा भूमि की वापसी संबंधित राज्य के कानूनों के विषय-क्षेत्र में आती है । फिर भी, रक्षा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय का राज्य सरकारों के साथ इस बात के लिए पत्र व्यवहार चल रहा है कि वे भाड़ा नियंत्रण अधिनियमों और अभिघृति कानूनों में आवश्यक प्राव-धान करें ताकि सेवानिवृत्ति पर भूतपूर्व सैनिक अपने मकानों तथा भूमि को वापस ले सकें । अधिकांश राज्य सरकारों ने आवासीय संपति के बारे में अपने कानूनों में पहले ही आवश्यक प्रावधान कर दिए हैं ।

महाराष्ट्र के जिलों के लिए धनराशि

4990. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **योजना मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों को उनके प्रतिनिधित्व क्षेत्रों के विकास के लिए उसी प्रकार निर्धारित धनराशि आबंटित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जैसे महाराष्ट्र सरकार की जिला योजना विकास परिषद् द्वारा राज्य के जिलों के विकास के लिए दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिए जाने की संभावना है ।

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन साफ करना"

4991. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी परियोजनाओं के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि साफ करने के सम्बन्ध में हाल ही में राज्य सरकार को कुछ नये अनुदेश भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) 1985-86 को जारी किए गए परिपत्रों के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

(ग) राज्य सरकारों ने कोई प्रतिक्रिया सूचित नहीं की है ।

विवरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रस्तावों की स्वीकृति के सम्बन्ध में हाल ही में जारी किए गए परिपत्रों के ब्यौरे ।

क्र. सं.	परिपत्र संख्या एवं दिनांक	विषय
1.	सं० 8-98/85-एफ०सी० दिनांक 19.11.85	केन्द्रीय सरकार ऐसी किसी परियोजना को स्वीकृति प्रदान नहीं करेगी, जिस पर अधिनियम के तहत बिना पूर्व अनुमोदन के कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।
2.	सं. 2-2/85-एफ. सी. दिनांक 21-11-85	दिक-परिवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि के समतुल्य गैर-वन भूमि में प्रतिपूरक पौधरोपण की एक व्यापक योजना प्रस्ताव सहित प्रस्तुत की जानी चाहिए ।
3.	सं. 11-61/85-एफ. सी. दिनांक 13-1-86	प्रस्ताव के साथ एक लागत-लाभ विश्लेषण प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

"केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी मध्य प्रदेश की सिंचाई योजनायें"

4992. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों की छोटी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन काटने के कुछ प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास काफी समय से लंबित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कटाई के लिए प्राप्त प्रस्तावों को जो अपूर्ण होते हैं तथा जिनके बारे में राज्य सरकार तीन सप्ताह की अवधि के अन्दर जरूरी सूचना प्रस्तुत नहीं करती है, उन प्रस्तावों को समाप्त कर दिया जाता है । यदि बाद में जरूरी सूचना प्राप्त कर दी

जाती है तो उन पर फिर से विचार किया जाता है। रायसेन एवं सिहोर जिले से प्राप्त लघु तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव जिनको समाप्त कर दिया गया है उनका विस्तृत ब्यौरा लोक सभा पटल पर रखे विवरण में दर्शाया गया है। इस समय इन जिलों से आये हुए इस तरह का कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित नहीं हैं। विदिशा जिले से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

क्र.सं.	जिला	क्षेत्र	उद्देश्य	दिनांक जब से राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
1.	रायसेन	41.305 है.	पिपलाई जलाशय का निर्माण	30 अक्तूबर, 1984
2.	रायसेन	18.380 है.	नागरी जलाशय परियोजना का निर्माण	16 जनवरी, 1985
3.	रायसेन	47.438 है.	परसोरा जलाशय परियोजना का निर्माण	7 जनवरी, 1986
4.	रायसेन	17.980 है.	रामपुरा जलाशय परियोजना का निर्माण	7 मई, 1985
5.	रायसेन	32.535 है.	नन्दखो जलाशय परियोजना का निर्माण	25 नवम्बर, 1985
6.	रायसेन	20.00 है.	जुझारपुर जलाशय परियोजना का निर्माण	8 अगस्त, 1985
7.	रायसेन	79.027 है.	मांडिया-खेड़ा जलाशय परियोजना का निर्माण	-8 जनवरी, 1985
8.	रायसेन	20.36 है.	भीम-वाटिका जलाशय परियोजना का निर्माण	28 जनवरी, 1985
9.	सिहोर	45.31 है.	शामपुर जलाशय परियोजना का निर्माण	24 जनवरी 1985
10.	सिहोर	4.249 है.	मन्जीखेड़ी जलाशय परियोजना का निर्माण	16 मार्च, 1985
11.	सिहोर	37.81 है.	खण्डाबर जलाशय परियोजना का निर्माण	19 जून, 1985

इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए इलैक्ट्रोनिकी इन्जीनियर

4993. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में तीव्र विकास और विस्तार होने के कारण वर्ष 1990 तक इलेक्ट्रॉनिकी इन्जीनियरों और तकनीशियनों की कमी हो सकती है; और

(ख) यदि हां, तो उस समय तक तकनीकी लोगों तथा प्रशिक्षित और दक्ष जन शक्ति की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने जनशक्ति के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का पता लगाया है । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) इलेक्ट्रॉनिकी जनशक्ति विकास कार्यक्रम;

(ii) इलेक्ट्रॉनिकी के शिक्षण के अनुप्रयोगों से संबंधित कार्यक्रम; तथा

(iii) खासकर कम्प्यूटर तथा सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित जनशक्ति का विकास ।

जहां तक कम्प्यूटर जनशक्ति का संबंध है, इलेक्ट्रानिकी विभाग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय और रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के साथ संयुक्त रूप से अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं । मुख्य कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में एक वर्णीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (डी. सी. ए.)
2. कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में डेढ़ वर्षीय पालिटेकनिकोत्तर डिप्लोमा (डी. सी. ए.)
3. कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में हिन्दी माध्यम से डेढ़ वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोपा
4. बी. टेक
5. एम. टेक
6. कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोपा (एम. सी. ए.)
7. व्यवसाय उन्मुख पाठ्यक्रम

उपर्युक्त कार्यक्रमों को विभिन्न विश्वविद्यालयों, पॉलिटेकनिकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, आदि में पहले से ही चलाया जा रहा है और आगामी वर्षों में इसका विस्तार और अधिक केन्द्रों में किया जाएगा ।

उपर्युक्त के अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने सतत शिक्षण, कम्प्यूटर इन्जीनियरी/अनुरक्षण में डिप्लोपा तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की है ।

चूंकि आमतौर पर शिक्षा और खासतौर पर तकनीकी शिक्षा का दायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों का और कुछ हद तक केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय का है, अतः इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने उपर्युक्त कार्यक्रमों के बारे में 14 नवम्बर, 1985 को आयोजित बैठक में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों तथा संबद्ध केन्दीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के साथ चर्चा की । इस बैठक में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया कि वे जनशक्ति की आवश्यकता के क्षेत्र में उपलब्ध अन्तराल को दूर करने के लिए जोरदार कार्यक्रम तैयार करें ।

सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी

4994. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कुछ देशों ने सौर ऊर्जा प्रणाली के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में सिलिकोन बेस्ड फोटो वाल्टेयर प्रणालियों का विकास करने के लिए सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) कुछ विदेशी कम्पनियों ने हाल ही में गैर निवासी भारतीयों द्वारा शुरू की जाने वाली कम्पनियों को क्रिस्टेलाइन सिलिकान सौर प्रकाश वोल्टीय प्रौधोगिकी की पेशकश की है । पिछले कई वर्षों से सरकारी धन का उपयोग करके पहले ही देश में क्रिस्टेलाइन सिलिकान प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा चुका है और इन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के आधार पर सौर सैलों और मोड्यूलों का व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि० और राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एन्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लि० नामक तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में किया जा रहा है । इस पृष्ठ भूमि में और ऐसे उप्पादों के लिए अन्तर्देशीय बाजार के आकर को ध्यान में रखते हुए, सरकार विदेशी कंपनियों द्वारा की गई पेशकश की संवीक्षा कर रही है ।

मई, 1985 में सरकार ने अमोरफस सिलिकान सौर पैनलों के 100 कि. वा. और 500 कि. वा. प्रति वर्ष क्षमता वाले प्रयोगिक मंयंत्रों की आपूर्ति के लिए पेशकशों को आमंत्रित किया था । इसके उत्तर में कई विदेशी कंपनियों ने अपनी पेशकशें की हैं । इन पेशकशों पर सरकार विचार कर रही है ।

इस दौगन अपोरफस सिलिकान सौर सैलों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक अनुमोदन और विदेशी सहयोग के लिए एक गैर निवासी भारतीय द्वारा किए गये आवेदन पर अपनी प्रतिक्रिया के रूप में सरकार ने एक आशय पत्र जारी किया है और विदेशी सहयोग का अनुमोदन कर दिया है ।

अभियोजन निदेशालय का प्रस्ताव

4995. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या **गृहमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र में एक अभियोजन निदेशालय और क्षेत्रीय स्तर पर अभियोजन निदेशालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दायर किए गए अभियोगों की गृह मंत्रालय द्वारा निगरानी की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे निगरानी एककों के प्रभारी अधिकारियों के पदनाम क्या हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्यमंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में केन्द्र अथवा राज्य स्तर पर अभियोजन निदेशालय स्थापित करने का प्रावधान नहीं हैं । भारत संघ द्वारा दायर किये गये अभियोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम आदि के अन्तर्गत मामलों से संबंधित है । ये कानून सरकार के भिन्न-भिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा बनाये जाते हैं और विभिन्न कानूनों के तहत दायर किये गये अभियोगों के संबंध में प्रबोधन कार्य भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है । गृह मंत्रालय न ही अभियोजन निदेशालय को गठित करने और न ही भारत संघ द्वारा दायर किये गये अभियोगों का प्रबोधन करने से संबंधित है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठाता।

आयुध कारखानों के सहायक एकक खोलने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को प्रोत्साहन

4996. **श्री अजय मुशारान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयुध कारखानों के सहायक एकक खोलने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन बढ़ाने पर विचार कर रही है, और

(ख) अभिप्रेरित सहायक एकक स्थापित करने हेतु भूतपूर्व सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) (क) और (ख) : रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय की पहले ही यह योजना है कि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाई जा रही लघु उद्योग यूनिटों को आयुध निर्माणियों सहित रक्षा मंत्रालय या इसके संगठनों को सप्लाई की जाने वाली सामग्री/प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कुल मूल्य पर 10% मूल्य तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। भूतपूर्व सैनिकों की प्रत्येक यूनिट को प्रतिवर्ष अधिकतम 50,000 रु. तक की आर्थिक सहायता मंजूर की जाती है।

रक्षा सेनाओं और आयुध निर्माणियों के लिए अपेक्षित वस्तुओं का निर्माण एवं सप्लाई करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को प्रोत्साहन देने के अन्य उपायों का भी अध्ययन किया जा रहा है।

मैट्रिक पास भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियां

4997. **श्री अजय मुशरान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा सशस्त्र सेनाओं ने 10 वर्ष की सेवा और मैट्रिक पास भूतपूर्व सैनिकों को कालेज की डिग्री के अभाव में नौकरी देने से इन्कार न करने के 1977 में भेजे गए एक प्रस्ताव पर सरकार ने अभी निर्णय किया है, और

(ख) यदि नहीं, तो 8 वर्ष से अधिक का विलंब करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) (क) और (ख) : भूतपूर्व सैनिकों को अधिक से अधिक संख्या में नौकरियों में लगाने की दृष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ 1976 में केन्द्रीय सैनिक बोर्ड ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के विचार के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए थे :—

> "भूतपूर्व सैनिकों की सेवा, प्रशिक्षण एवं अनुभव को ध्यान में रखकर आयु तथा शैक्षणिक अर्हता में छूट दी जानी चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री निम्नलिखित को निर्धारित करते हुए निर्देश जारी करें :—

(iii) तृतीय श्रेणी के जिन आररिक्षत पदों के लिए डिग्री की अर्हता निर्धारित है उन पदों के लिए उस मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक को शैक्षणिक रूप से योग्य समझा जाए जिसने 10 वर्षों की सेवा कर ली है।"

इस मामले और भूतपूर्व सैनिकों को अधिक संख्या में नौकरी में लगाने के लिए शैक्षणिक अर्हताओं में सामान्यतः छूट देने पर राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जानी थी।

केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए अलग से दिनांक 15.12.1979 को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ज्ञापन संख्या 39016/10/79 स्थापना (सी) के द्वारा शैक्षणिक अर्हता में छूट निर्धारित की थी।

जो भूतपूर्व सैनिक मैट्रिक हैं (या जिनके पास सेना से विशेष प्रमाण-पत्र हैं) और जिन्होंने 15 वर्षों की सेवा की है उनके मामले में वर्ग "ग" पदों के लिए प्रवेश की अर्हता को स्नातक से हटाकर मैट्रिक करके हाल ही में इस आदेश को फिर से संशोधित किया गया है।

निर्णय लेने में विलम्ब के कारण

4998. **श्रीमती उषा चौधरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने हाल में की समीक्षा में यह कहा है कि प्रशासनिक सुधार के लिए कागजी कार्यवाही में कटौती व रिकार्ड आदि का जमा न करना आवश्यक है;

(ख) क्या निर्णय लेने में विलम्ब होने के कारणों का भी समीक्षा में पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो समीक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :

(क) से (ग) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा जनवरी, 1986 में आयोजित केन्द्रीय मंत्रालयों में संगठन एवं पद्धति कार्यों के प्रभारी वरिष्ठ अधिकारियों के एक सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया में गतिशीलता लाने के लिए, अन्य कदमों के साथ साथ कागजी कार्रवाई और रिकार्डों में कटौती करना आवश्यक है। निर्णय लेने में देरी पैदा करने वाले जिन अन्य कारणों का पता लगाया गया वे हैं; मामलों की जांच के स्तरों की बहुलता, फार्मों में मानकीकरण का अभाव और बहुत अधिक रिपोर्ट तथा विवरणियां। प्रशासनिक कार्य को सुचारु रूप देने तथा विलम्ब घटाने के लिए सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें निम्न प्रकार थीं :

— सरकारी कार्यालयों में निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण और स्तरोल्लंघन (लेवल जम्पिंग) का विस्तार किया जाना;

— मानकीकृत प्रक्रिया शीटों के इस्तेमाल से नेमी और साधारण मामलों में टिप्पण आलेखन की समाप्ति;

— मानकीकरण और युक्तियुक्तकरण के लिए प्रशासनिक प्रपत्रों की पुनरीक्षा;

— सभी रिपोर्टों और विवरणियों की पुनरीक्षा करना जिससे उनकी संख्या और आवधिकता घटाई जा सके और अपवाद मामलों में ही रिपोर्ट देने की प्रणाली लागू की जा सके;

— अधिकारी-उन्मुखी कार्य-प्रणाली का अधिकाधिक इस्तेमाल;

— रिकार्ड अवधारण समयसूचियों को एक मुकम्मल पुनरीक्षा के माध्यम से रिकार्डों की विभिन्न श्रेणियों के लिए परिरक्षण अवधियों में कमी लाना;

— इकट्ठे हुए रिकार्डों की पुनरीक्षा तथा छंटाई करने के लिए गहन प्रयास।

(घ) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अलग-अलग मंत्रालयों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

नशीली दवाओं के सेवन के आदी

4999. **श्री सुनील दत्त**

श्री जगन्नाथ पटनायक :

श्री सी० माधव रेड्डी :

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नशीली दवाओं का अवैध व्यापार बढ़ रहा है और अनेक लोग इन जान लेवा दवाओं के शिकार हो रहे हैं;

(ख) क्या नशीली दवाओं का सेवन करने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक एकत्रित किए गए आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस बुराई को रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ङ) नशीली दवाओं के सेवन के आदी व्यक्तियों के इलाज और इनके पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(च) इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :(क) से (ग) इस तरह का कोई मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है। फिर भी इस मंत्रालय ने देश के चार महानगरों और 5 अन्य उप-नगरों में छात्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की स्थिति का एक अध्ययन जनवरी, 1985 में किया था जिसके परिणाम 1986 के मध्य तक उपलब्ध होने की संभावना है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) : इस सम्बन्ध म स्थिति संलग्न विवरण के पैरा 6 और 7 में दर्शाई गई है।

विवरण

सरकार मदिरापान की बुराईयों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जनसंचार माध्यम के जरिए प्रचार करके लोगों को शिक्षित करने और शिक्षाप्रद प्रचार हेतु स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता देकर प्रोत्साहित करने के कार्य में निरन्तर प्रयत्नशील है।

2. सामज कल्याण कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए "नया सवेरा" नामक रेडियो प्रायोजित कार्यक्रम 14-11-1983 से शुरू किया गया है। इसमें मदिरापन और नशीली दवाओं का सेवन न करने के बारे में भी प्रचार किया जाता है।

3. छात्र समुदाय के लाभ के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर मंत्रालय द्वारा 1983-84 के दौरान नशीली दवाओं और मदिरापन निषेध पर निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

4. प्रचार को और अधिक रूचिकर बनाने के लिये 9 क्षेत्रीय टी० वी० केन्द्रों के साथ-साथ इस मंत्रालय द्वारा 1984-85 में विश्वविद्यालयों में टी० वी० नाटक प्रतियोगिताएं प्रायोजित की गई। प्रत्येक क्षेत्र में पहले तीन पुरस्कार विजेता दलों को क्रमश: 5,000/-रुपए 3000/- रु०,

और 2,000/- रुपए के नकद पुरस्कार दिये गए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मेजबान विश्वविद्यालय को 5,000/- रुपये की सहायता अनुदान दिया गया।

5. राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से आग्रह किया गया है कि विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से अनुरोध करें कि वे विश्वविद्यालय कैम्पस/होस्टलों में मदिरापान और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर विशेष निगरानी रखें। आगे यह भी अनुरोध किया गया है कि शैक्षिक संस्थाओं में इन नशीली दवाओं के दुरुपयोग के संबंध में जब कभी कोई जानकारी मिले जो राज्य में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तुरन्त सूचित किया जाये। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि जन शैक्षिक और प्रेरणा दायक कार्यक्रम शुरू करें ताकि लोगों को स्वापी नशीली दवाओं और साइकोट्रापिक सब्सटांसिज के सेवन की आदत से छुटकारा दिलाया जा सके।

6. नशीली औषधियों के व्यसनियों के उपचार के लिये इस समय प्रर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में 3-1-86 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो इस प्रश्न पर विचार करेगी और तीन मास के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। फिर भी, उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिये इस मंत्रालय ने 22-6-85 से 8-12-85 तक की अवधि के दौरान एक स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से पहले ही नशीली दवाईयों की आदत छुड़ाने के लिए 4 कैम्प लगाये थे। इस तरह का एक कैम्प जून-जुलाई, 1985 में दिल्ली में लगाया गया था। नशीली दवाओं के व्यसनी लगभग 202 व्यक्तियों को इससे लाभ हुआ। हाल ही में और ऐसे कैम्पों के लिए वित्तीय सहायता दी गई है।

7. हाल ही में 30-12-85 को दिल्ली स्थित 4 स्वयंसेवी संगठनों को नशीली दवाओं के व्यसनियों के लिए 7 परामर्श केन्द्रों की स्वीकृति दी गई थी : ये परामर्श केन्द्र पुनर्वास की व्यवस्था उपचार स्रोतों संबंधी जानकारी सप्लाई करने, अन्य पुनर्वास केन्द्रों के साथ समन्वय करने, आंकड़े एकत्रित करने, आंकड़ों का प्रचार करने, प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सम्पर्क करने तथा अलग-अलग और ग्रुप थैरापी आदि में सहायता करने जैसे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देंगे।

8. टी० टी० रंगानाथन किलिनिकल रिसर्च फाउन्डेशन मद्रास ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए 20 से 24 जनवरी, 1986 तक नशीली दवाईयों के दुरुपयोग से संबंधित 5 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम का आयोजन किया था। यह एक निजी संस्था है और नशीली दवाओं के व्यसन उपचार और मदिरापान के क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रही है। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक धनराशि मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई थी। इस अनुस्थापन कार्यक्रम में दिल्ली से 19 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह अनुस्थापन कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक रहा है। ऐसा ही एक दूसरा कार्यक्रम अप्रैल, 1986 में आयोजित किया जा रहा है।

9. नशीली दवाओं के दुरुपयोग की स्थिति की समीक्षा और प्रबोधन करने तथा सुधारात्मक उपायों की सलाह देने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयी दल का गठन किया गया है। कल्याण मंत्रालय के सचिव इसके अध्यक्ष हैं और गृह, स्वास्थ्य, वित्त तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों तथा शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं।

10. नशीली दवाओं के दुरुपयोग के सम्बन्ध में सावधानी पूर्वक प्रचार अभियान नियोजन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक—"न्यूक्लस ग्रुप" की स्थापना भी की गई है।

11. हाल ही में बनाए गए अधिनियम में अर्थात् "नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रपिक सब्सटान्जिस एक्ट, 1985", जो देश में 14-11-85 से लागू किया गया, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है। उक्त अधिनियम के दण्डात्मक उपबन्धों के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रचार अभियान चलाने का कार्य भी करता है। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था वित्त मंत्रालय द्वारा की गई है।

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के आस्थागित मामलों को पुनः चालू करना

5000. **श्री सुदर्शन दास :** क्या गृह मंत्री असम में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के आस्थगित मामलों को पुनः चालू करने के बारे में 5 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न सं० 1472 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम सरकार ने गृह मंत्रालय के आदेश पर वर्ष 1984 में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के बकाया निरस्त मामलों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने हेतु जांच कराई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि जांच रिपोर्ट पढ़ने के बाद स्वतंत्रता सेनानी संबंधी राय सलाहकार बोर्ड ने पहली किश्त के रूप में 61 मामलों में पेंशन चालू करने की सिफारिश की थी;

(ग) क्या सरकार द्वारा सिफारिश किये गये 61 मामलों से अब तक केवल 23 मामले मंजूर किए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो बकाया मामलों को मंजूर करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। राज्य सरकार ने पहली बार 498 तथा बात में अन्य 61 मामलों में स्वतंत्रता सम्मान पेंशन बहाल करने की सिफारिश की थी।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) राज्य सरकार ने मार्च, 1985 में उक्त 61 मामलों में से 33 में पेंशन रोकने और केवल 28 मामलों में पेंशन देने का सुझाव दिया था। 23 मामलों में 1985 में पेंशन बहाल कर दी गई थी। 5 मामलों में सह-बन्दी प्रमाण-पत्र में त्रुटियां होने के कारण पेंशन बहाल नहीं की गई थी।

इण्डियन रेयर अर्थ फैक्टरी का विस्तार

5001. **श्री एन० डेनिस :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी जिले में मनवलकुर्ची स्थित इण्डियन रेयर अर्थ फैक्टरी के विस्तार संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में उपलब्ध दुर्लभ भू-खनिजों से तैयार उत्पादों का निर्माण करने के लिए कारखाने स्थापित करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु उर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान में सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि इस क्षेत्र में मिलने वाले रेअर अर्थ्स खनिजों से परिष्कृत सामग्री का उत्पादन किया जाए। तथापि, जब भी ऐसा कोई प्रस्ताव सामने आएगा तब उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अमरीका द्वारा दियागो गार्सिया में नौसैनिक अड्डे का विकास

5002. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने डियागो गार्सिया में एक सम्पूर्ण नौसैनिक अड्डे का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यवाही से हमारी सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो हमारी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) समझा जाता है कि दियागो गार्सिया में अमरीका के हिन्द महासागर में स्थित बेस में टास्क फोर्स कैरियर की ओर तुरन्त सेनाएं तैनात करने की समुचित सुविधायें हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार देश की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर बराबर नजर रखती है ताकि समय-समय पर उचित जवाबी उपाय किए जा सकें और सदैव पूर्ण रक्षा तैयारी बनाई रखी जा सके। भावी खतरे की संभावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना को बराबर पुनः सज्जित, आधुनिकीकृत तथा विकसित किया जा रहा है।

पहचान पत्र प्रणाली के स्थान पर फोनेटिक कोड प्रणाली

5003. **श्री शांताराम नायक** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के एक भौतिकविद ने एक फोनेटिक कोड योजना विकसित की है, जिसे यदि सरकार स्वीकार कर लेती है तो उससे देश में सभी नागरिकों को पृथक कोड नाम देने में सहायता मिलेगी और जिसके परिणामस्वरूप फोटो वाली पहचान पत्र प्रणाली की आवश्यकता नहीं रहेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू): (क) और (ख) भाभा परमाणु अनुसंधान के एक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा विकसित फोनेटिक कोड योजना की सरकार को जानकारी है। इसको व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए इस पर और विचार करने की आवश्यकता होगी।

गोआ का दो राजस्व जिलों में विभाजन

5004. **श्री शांताराम नायक : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या गोआ, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में गोआ जिले को दो राजस्व जिलों में विभाजित करने का प्रस्ताव है;

यदि हां, तो क्या इस संबंध में संघ राज्य क्षेत्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) गोवा, दमन और दीव सरकार ने दिसम्बर, 1981 में वर्तमान गोवा जिले का द्विशाखन उत्तरी गोवा जिले तथा दक्षिणी गोवा जिले में करने के लिए प्रस्ताव भेजा । चूंकि प्रस्ताव में प्रर्याप्त कारण नहीं दिए गए थे तथा गैर योजना के तहत अत्यधिक असाधरण परिस्थितियों के अलावा पदों के सर्जन पर प्रतिबंध था, जो अब भी जारी है, इसलिए यह तय किया गया कि प्रस्ताव पर आगे विचार स्थगित कर दिया जाए ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए कम्प्यूटर नेटवर्क

5005. **श्री शांताराम नायक** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कार्यक्रम कार्यान्वयन का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने के लिए कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) यह मन्त्रालय इलेक्ट्रानिकी विभाग के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान (इनफार्मेटिक्स) केन्द्र द्वारा दी जा रही कम्प्यूटर सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग पहले से ही कर रहा है, इसकी योजना अधिकतम व्यवहार्य सीमा तक इन सुविधाओं का उपयोग करने की है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट के लिए नया प्रोफार्मा

5006. **श्री शांताराम नायक : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट लिखने के लिए नया प्रोफार्मा तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) (ख) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए निर्धारित गोपनीय रिपोर्टों के फार्मों को इस प्रकार संशोधित किया जा रहा है, जिससे कि कार्य निष्पादन के परिमाणात्मक और साथ ही गुणात्मक (लक्ष्य और उपलब्धियों आदि) पहलुओं पर बल देते हुए यथा सम्भव अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ ढंग से गोपनीय रिपोर्ट लिखना सुविधाजनक हो सके । अन्य केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों के फार्मों को भी यथा समय समुचित रूप से संशोधित कर दिया जाएगा :

येलवाला में "रेअर अर्थ" एकक

5007. **श्री. बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में येलवाला में परमाणु ऊर्जा आयोग का "रेअर अर्थ" एकक निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इसे पूरा करने के लिए कितनी और धनराशि की आवश्यकता है;

(घ) यह कब तक बनकर तैयार हो जायेगा; और

(ङ) उपरोक्त प्रस्तावित एकक किस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस संयत्र के भवनों पर लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। क्योंकि अभी अन्तिम रूप से यह तय नहीं किया गया है कि इस संयंत्र में कुल मिलाकर क्या-क्या सामान तैयार किया जाएगा इसलिए अभी यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि परियोजना पर कुल कितना खर्च होगा।

(घ) आशा है कि यह संयंत्र ढाई वर्ष में चालू कर दिया जाएगा।

(ङ) यह संयंत्र न्यूक्लियर ऊर्जा के विकास के लिए आवश्यक साम्रगी का उत्पादन करेगा, उदाहरणार्थ थर्मल रिएक्टरों में जल सकने वाले विष के रूप में आवश्यक गैडोलिनियम, रिएक्टरों में नियंत्रण के लिए आवश्यक बोरोन, फास्ट रिएक्टरों तथा विलयन संबंधी अनुसंधान के लिए आवश्यक लिथियम जैसी सामग्री। थर्मल और फास्ट रिएक्टरों के ईंधन का विकास करने के लिए कुछ सामग्री का उत्पादन भी इस संयंत्र में करने का विचार है ताकि उससे हैदराबाद स्थित नाभिकीय ईंधन समिश्र को और ट्राम्बे में किए जा रहे कार्यों में सहायता मिल सके।

बिना वीजा/पासपोर्ट के पाकिस्तानी नागरिकों का मल्लापुरम जाना

5008. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि पाकिस्तानी बिना पासपोर्ट या वीजा के केरल में मल्लापुरम जिले जा रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की प्रयोगशालाओं द्वारा व्यवहारिक आविष्कार

5009. **डा. जी विजय रामाराव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लकड़ी के नए विकल्प के अलावा केन्द्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् प्रयोगशालाओं द्वारा कौन-कौन से व्यवहारिक आविष्कार किए गए हैं तथा उनके इस्तेमाल से वास्तव में कितनी बचत होगी;

(ख) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रत्येक प्रयोगशाला का कोई पांच वर्षीय मूल्यकांन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या प्रमुख परिणाम निकले ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में (श्री शिवराज वी पाटिल)

(क) गत तीन वर्षों (1983-1985) में सी एस आई आर प्रयोगशालाओं द्वारा विशिष्ट प्रक्रमों का विकास किया गया तथा इनके उपयोग के परिणाम-स्वरूप हुई बचत इस प्रकार है :-

प्रयोगशाला	प्रक्रम/आविष्कार	संभावित बचत
1	2	3
सी जी सी आर आई	1. ली थर्मल मास सिरैमिक किल्न	कोयले की खपत में 30-50% बचत
	2. धान के छिलके की राख से निर्मित ताप प्रतिरोधी ईटें	कृषि-व्यर्थ पदार्थों के उपयोग से हुई बचत
	3. धान-छिलके राख से सोडियम सिलिकेट	,, ,,
सी ई सी आर आई	1. कैथोडी संरक्षण के लिए जिंक मैंगनेशियम के एनाड	जलमग्न संरचनाओं संक्षारण के बचाव से हुई बचत
	2. न्यूक्लियर उपस्कर के लिए विकिरण प्रतिरोधी लेप	विदेशी मुद्रा बचत 100% आयात प्रति-स्थापन
सी एम ई आर आई	1. धान की भूसी कम्बंसट्र सहित हीट एक्सचेंजर	ऊर्जा जनन के लिए कृषि व्यर्थ के उपयोग से बचत
आर आर एल, त्रिवेन्द्रम	मृत्तिका और नानियल जटा से निर्मित हल्की ईटें	कृषि-व्यर्थ का उपयोग
सी एफ टी आर आई	मिन्नी ग्रेन मिल्स	अनाज संसाधन में छीजन में कमी के कारण बचत
आई आई पी	1. निम्न वायु दबाव बर्नर	परम्परागत औद्योगिक बर्नर की तुलना में खपत में 20% से अधिक ईंधन तेल की बचत
	2. सुधरा हुआ बत्ती वाला स्टोव	ईंधन संरक्षण
एस ई आर सी	तंतु प्रबलित कंक्रीट मैनहोल ढक्कन	ढलुवां लोहा की खपत में बचत

प्रयोगशाला	प्रक्रम/आविष्कार	संभावित बचत
1	2	3
सी बी आर आई	सौर लकड़ी परिपक्वन भट्ठा	उन्नत उत्पादकता के साथ उर्जा दक्ष-भट्ठा
एन सी एल	पुनर्नवीनीकृत संसाधानों से आसजंक (एंडहेसिव)	विस्थापक पैट्रोलियम पर आधारित आसंजक
एन एम एल	1. जस्ते के व्यर्थ से जिंक आक्साइड	जस्ते के व्यर्थ के उपयोग से हुई बचत
	2. उच्च सामर्थ्य वाले एंलुमीनियम मिश्रधातु कन्डटर	रेल विद्युतीकरण के लिए तांबा के कन्डक्टर के स्थान पर एलुमीनियम के उपयोग से हुई बचत

(ख) और (ग) : सरकार द्वारा सी एस आइ आर की प्रत्येक प्रयोगशाला का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। फिर भी, सी एस आइ आर की प्रत्येक प्रयोगशाला के अनुसंधान कार्यक्रमों का अनुमोदन एवं इनका नियमित मूल्यांकन प्रत्येक की अनुसंधान सलाहकार परिषद् और कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाता है। इनका गठन सरकारी विभागों, उद्योगों, तथा विश्वविद्यालयों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों से किया गया है।

चीन से भारत को भारी जल

5010. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत को भारी जल दिया है जैसाकि अमरीकी निजी अध्ययन से पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चीन से और अधिक भारी जल की सप्लाई प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) क्या भारत के भारी जल में आत्म-निर्भर होने की संभावना है और यदि हां, तो कब तक ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परिमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत अपने न्यूक्लियर रिएक्टरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारी पानी का उत्पादन करने में प्रर्याप्त रूप से सक्षम है।

देश में अवैध हथियारों का निर्माण

5011. **श्री चिन्तामणि जैना** :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री मोहन भाई पटेल :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ भागों में बढ़ती हुई गैर-कानूनी और हिंसात्मक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए देश में अवैध हथियारों के निर्माण को रोकने के लिए कोई प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1984 से अब तक कितने छापे मारे गये और अवैध हथियार बनाने वाली कितनी यूनिटें पकड़ी गईं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में हथियारों की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) : केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को समय-समय पर विस्तृत अनुदेश दिये हैं कि बिना लाईसेंस के हथियारों के निर्माण, बिक्री तथा उनके रखने के संबंध में पता लगाने के लिए विशेष प्रयास किये जायें। राज्य सरकारों को अवैध हथियारों का पता लगाने के लिए विशेष कक्ष स्थापित करने की सिफारिश भी की गई है।

एक प्रभावकारी निवारक के रूप में कार्य करने के लिए बिना लाइसेंस के हथियारों का निर्माण, बिक्री और अवैध हथियारों को रखने से संबंधित अपराधों के लिए दण्ड में वृद्धि करने के लिए शस्त्र अधिनियम, 1959 को शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 1983 और शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 1955 द्वारा संशोधित किया गया।

(ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ शस्त्रों और गोला-बारूद की तस्करी की जांच के लिए सीमा पर सीमा सुरक्षा बल और पुलिस बल द्वारा सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार सीमा शुल्क और आसूचना एजेंसियां इस विषय में सतर्क रहती हैं।

विदेशी नौसैनिक अड्डों द्वारा हिन्द महासागर में समुद्रीय विकास गतिविधियों में बाधा डालना

5012. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पश्चिमी तट पर समुद्रीय विकास गतिविधियां शुरू करने संबंधी केन्द्रीय सरकार की क्या योजनाएं हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी नौसैनिक अड्डों की उपस्थिति हमारे समुद्रीय विकास गतिविधियों में बाधक हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या प्रभावी उपचारात्मक कदम उठाने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पश्चिमी तट पर समुद्रीय विकास की योजनाओं में प्रॉन्स, लॉब्स्टर्स और शैलफिश तथा समुद्री शैवाल जैसे सजीव संसाधनों; समुद्री जल से पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मेग्नेशिया, कैल्सियम सल्फेट आदि जैसे रसायन और तेल तथा गैस, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, मोनाजाइट आदि जैसे खनिजों का सर्वेक्षण, अन्वेषण और उपयोग सम्मिलित है।

(ख) अभी तक ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है जहां समुद्री विकास गतिविधियों को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने में बाधा आई हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अफगानिस्तान के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के परिणाम

5013. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सचिव ने अपनी हाल की काबुल यात्रा के दौरान अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ; और

(ग) विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले हैं;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : चर्चा के दौरान दोनों देशों के हित के मामलों पर विचार-विनियम हुआ। अफगान नेताओं ने अफगानिस्तान की स्थिति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए।

आयुध कारखानों में पूंजी निवेश

5014. **प्रो० पी० जे० कुरियन** :

श्री के० कुन्जम्बु : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयुध कारखानों अथवा अन्य उत्पादन एककों पर उनके मंत्रालय की पूंजी निवेश योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि केरल में कोई रक्षा उत्पादन एकक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में ऐसा कोई एकक स्थापित करने की योंजना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) (क) इस संबंध में ब्यौरे बताना लोकहित में नहीं समझा जाता।

(ख) जी हां।

(ग) इस समय केरल में रक्षा उत्पादन यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बड़े पैमाने पर ऋण

5015. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से बड़े पैमाने पर ऋण की संभावना के बारे में संशय व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पंजा) :

(क) जी, नहीं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में, संवृद्धि के लक्ष्य और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के संगत, केवल सहायता और गैर-सहायता संसाधनों की निवल प्राप्ति का संकेत है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा पर संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक की नियुक्ति

5016. **श्री आर० एम० भोये** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या भारत-पाक सीमा पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षक नियुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो वे सीमा के किन क्षेत्रों में नियुक्त हैं और कब से;

(ग) क्या भारत सरकार को इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को कुछ धनराशि देनी होती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी हां। संयुक्त राष्ट्र सैनिक पर्यवेक्षक दल विशेष रूप से पुरानी 1949 की युद्ध विराम रेखा के संदर्भ में गठित किया गया था जिसकी अब कोई वैधता नहीं है। जम्मू एवं काश्मीर में वर्तमान नियन्त्रण रेखा के संबंध में उन्हें कोई उत्तरदायित्व नहीं सौंपा गया है। अतः संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों की अब कोई भूमिका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक 1972 से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं यद्यपि वे नियन्त्रण रेखा के भारत की ओर उपस्थित हैं। नियन्त्रण रेखा के किसी उल्लंघन के बारे में विभिन्न स्तरों पर भारत और पाकिस्तान के सैनिक कमान्डरों के बीच बैठकों में द्विपक्षीय रूप से विचार-विमर्श किया जाता है।

(ग) और (घ) इन पर्यवेक्षकों के संबंध में भारत संयुक्त राष्ट्र को अंशदान की कोई विशिष्ट राशि नहीं देता।

[अनुवाद]

पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी वायुसेना का अड्डा

5017. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : (डा० बी० एल० शैलेश)** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर में वायु सेना का अड्डा बनाया है जैसाकि दिनांक 7 मार्च, 1986 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो यह अड्डा किस स्थान पर बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार को पाक-अधिकृत कश्मीर वायु सेना के अत्याधिक राडारों से सज्जित अड्डे का निर्माण करने पर, जो कि पाकिस्तान के उत्तरी सीमान्त क्षेत्रों में अपनी किस्म का पहला अड्डा है, कोई विरोध प्रकट किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पाकिस्तान ने अब तक वायु सेना के कितने अड्डे बनाए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रावलकोट।

(ग) से (ङ) इस विषय पर और ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

राजमार्ग संख्या 44 पर पुलों का निर्माण

5019 **श्री अजय विश्वास** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजमार्ग संख्या 44 (असम अगरतला रोड) पर भारी वाहन नहीं चल सकते क्योंकि सीमा सड़क संगठन द्वारा बड़े स्थायी पुलों का निर्माण नहीं किया गया है और उसके परिणामस्वरूप तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और राज्य सरकार की बहुत सी परियोजनाओं में रुकावट आ रही है,

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर कितने बड़े पुलों का निर्माण किया जाएगा और वर्ष 1971 में इस राजमार्ग के सीमा सड़क संगठन को सौंपे जाने के बाद अब तक कितने बड़े पुलों का निर्माण किया गया है.

(ग) राजमार्ग संख्या 44 पर बड़ी सड़कों के निर्माण में देरी के क्या कारण हैं, और

(घ) इस राजमार्ग पर बड़े स्थायी पुलों के निर्माण कार्य को पूरा करने की सीमा सड़क संगठन की क्या योजना है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (घ) 1971 में सीमा सड़क संगठन ने अगरतला रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44) को सुधार और मरम्मत के लिए अपने हाथ में ले लिया था। सड़क के विकास के चरण-1 में ये काम हैं—टूट-फूट की मरम्मत, राष्ट्रीय राजमार्ग के विनिर्देशों के अनुरूप एकल मार्ग के निर्माण को चौड़ा करना, प्रतिदिन 450 वाहनों तक के यातायात के लिए सड़क को मजबूत करना और स्थायी कार्य का निर्माण करना। ये कार्य 1983-84 तक लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत पर पूरे हुए थे।

चरण II में प्रतिदिन 1500 वाहनों के यातायात के लिए सड़क को मजबूत करना। अस्थायी पुलों को स्थायी पुलों में बदलना और निर्मित सड़क को चौड़ा करना है जो अप्रैल, 1984 में मंजूर किया गया था। इन कार्यों को चरणों में पूरा किया जा रहा है।

10 बड़े पुलों का स्थायी विनिर्देशों के अनुरूप निर्माण किया जाना है। सीमा सड़क संगठन ने इन पुलों के निर्माण के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के अनुसार दो बड़े पुलों पर कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है, अन्य चार बड़े पुलों पर 1986-87 में कार्य किया जाएगा, अन्य दो पुलों पर 1987-88 में कार्य किया जाएगा और शेष दो पुलों पर 1988-89 में कार्य होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने पुलों पर इस समय सामान्य दैनिक वाहनों का यातायात मंजूर है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने कुछ पुलों को मजबूत करने का सुझाव दिया है ताकि वे अपने साज-सामानों एवं भारी उपकरणों को त्रिपुरा ले जा सकें। सीमा सड़क संगठन द्वारा इस कार्य को "डिपोजिट वर्क" के रूप में लेने का प्रश्न विचाराधीन है।

भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

5020. **श्री बाला साहिब पाटिल :**

श्री काली प्रसाद पांडेय :

श्री विष्णु मोदी :

श्री सैफुद्दीन चौधरी :

श्री शांति धारीवाल : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांख्यिकी सेवा के श्रेणी एक के अधिकारियों ने उसी ग्रेड में अनेक वर्षों तक प्रगतिरोध से उत्पन्न कठिनाइयों, सेवा के बनने से लेकर अब तक संवर्ग की पुनरीक्षा न किए जाने और अखिल भारतीय सेवाओं की तुलना में पदोन्नति के अवसरों में असमानता होने के बारे में सरकार को एक ज्ञापन दिया है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इन शिकायतों पर समयबद्ध रूप से विचार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (घ) सांख्यिकी विभाग को भारतीय सांख्यिकीय सेवा संघ से 6 जनवरी, 1986 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संवर्ग की पुनरीक्षा के लिए भी कहा गया है। संघ ने इस संबंध में अपने स्वयं के प्रस्ताव दर्शाते हुए एक दस्तावेज भी भेजा है। चतुर्थ वेतन आयोग भी संवर्ग ढांचे के बारे में कुछ सम्बद्ध एवं संबंधित मामलों पर विचार कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय के परिणामस्वरूप भी संवर्ग ढांचे में कुछ प्रमुख परिवर्तन हुए हैं। अतः भारतीय सांख्यिकी सेवा के संवर्ग का पुनरीक्षण उच्चतम न्यायालय के निर्णय कार्यान्वित हो जाने तथा वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के पश्चात करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सेवाओं के ढांचे की पुनरीक्षा

5021. **श्री कमल नाथ : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सेवाओं को परिणामोन्मुखी बनाने और साथ ही सभी स्तरों पर जन शक्ति का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सेवाओं के वर्तमान ढांचे की पुनरीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अधिकारियों तथा सेवा संघों के विचार पूछे जा रहे हैं; और

(ग) इस प्रक्रिया में कितना समय लगने की संभावना है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) केन्द्रीय सेवाओं को और अधिक परिणामोन्मुखी बनाने तथा साथ ही जन शक्ति का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार में केन्द्रीय सेवाओं के ढांचे की पुनरीक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें, भर्ती, प्रशिक्षण, संवर्ग प्रबंध, संवर्ग पुनरीक्षा कैरियर योजना, चयन की प्रक्रिया, स्थानन नीति तथा अन्य संगत मामले आते हैं।

(ख) सरकार द्वारा जब कभी आवश्यक समझा जाता है, अधिकारियों तथा सेवा एसोसिएशनों के विचार मांग लिए जाते हैं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का क्षेत्र

5022. **डा. के. जी. आदियोडी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे देश में राज्य-वार राष्ट्रीय उद्यानों और खेल अभयारण्यों के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्र है तथा प्रत्येक राज्य के कुल वन क्षेत्र का वह कितने प्रतिशत है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	वन क्षेत्र (000हेक्टेयर में)	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के अंतर्गत क्षेत्र	कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	6,357.1	621.77	9.78
2.	असम	3,070.8	123.59	4.02
3.	बिहार	2,923.2	443.21	15.16
4.	गुजरात	1,964.8	796.03	40.51
5.	हरियाणा	169.7	0.12	0.07
6.	हिमाचल प्रदेश	2,114.2	406.68	19.24
7.	जम्मू एवं काश्मीर	2,188.6	155.64	7.10
8.	कर्नाटक	3,438.6	1,350.37	29.28
9.	केरल	1,125.1	223.50	19.87
10.	मध्य प्रदेश	15,541.4	3,314.29	21.33
11.	महाराष्ट्र	6,416.7	1,330.57	20.74
12.	मणिपुर	1,515.4	8.13	0.54
13.	मेघालय	851.0	3.42	0.39
14.	नागालैंड	289.9	20.77	7.19
15.	उड़ीसा	5,996.3	38.00	0.63
16.	पंजाब	259.2	54.29	20.96
17.	राजस्थान	3,034.9	614.01	20.17
18.	सिक्किम	282.0	86.90	30.82
19.	तमिलनाडु	2,201.4	262.78	11.93
20.	उत्तर प्रदेश	5,114.9	635.19	12.42
21.	पश्चिम बंगाल	1,183.0	330.46	27.93
22.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	714.4	55.58	7.78
23.	अरुणाचल प्रदेश	5,154.0	328.23	6.38
24.	चण्डीगढ़	—	2.54	—
25.	गोवा, दमन द्वियू	130.0	47.55	36.51
26.	मिजोरम	1,662.9	68.10	4.09

भारतीय पुलिस सेवा के नियमों में संशोधन

5024. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावतः**

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुलिस सेवा के नियमों में संशोधन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और

(घ) ये नियम किस वर्ष से लागू होंगे ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाले परिवीक्षार्थियों को प्रेरित करने तथा परिवीक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तु तथा उद्देश्य में सुधार करने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं। नियमों में संशोधन उचित प्रक्रियाओं के बाद किया जायेगा।

महाराष्ट्र के विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति

5025. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही मिलों में कार्यरत मजदूरों को मकान-किराये के भुगतान के बारे में महाराष्ट्र विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयक सरकार के पास राष्ट्रपति की अनुमति हेतु लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से लम्बित पड़ा है और इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) (क) और (ख) : महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा यथापारित महाराष्ट्र कामगार न्यूनतम गृह किराया भत्ता विधेयक, 1983 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए इस मंत्रालय में 11-5-1984 को प्राप्त हुआ था। संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विधेयक की जांच की गई और महाराष्ट्र सरकार को केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों/प्रतिष्ठानों को विधेयक के क्षेत्राधिकार से छूट देने पर सहमति देने के लिए लिखा गया था। राज्य सरकार से अन्तिम उत्तर प्राप्त होने पर आगे विचार किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में एक आयुध कारखाने की स्थापना

5027. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के समक्ष आन्ध्र प्रदेश के कोडूर तालुक में सिद्धार्थम में एक आयुध कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या तत्संबंधी सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं। (ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

गंगा के प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

5028. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी के कन्नोज-कानपुर-इलाहाबाद भाग को प्रदूषित करने वाले मुख्य स्रोतों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सर्वेक्षण कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(घ) यह सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था अथवा कराए जाने का विचार है; और

(ङ) इस सर्वेक्षण के बाद गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को कन्नोज-कानपुर-इलाहाबाद पट्टी में गंगा नदी को प्रदूषित करने वाले मुख्य स्रोत के रूप में पहचान की है।

(ख) यह अनुमान किया गया है कि जैव-रसायन आक्सीजन ह्रास के रूप में प्रदूषणीय भार, जो कि जल में विद्यमान जैव प्रदूषण का मापक है, निम्नलिखित है :—

(1977 की जनसंख्या के आधार पर)

कानपुर – 110,000 किलोग्राम/प्रतिदिन

इलाहाबाद—17,000 किलोग्राम/प्रतिदिन

कन्नौज में नदी में विसर्जित जैव-रसायन आक्सीजन ह्रास के अनुमान उपलब्ध नहीं है

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण किया गया था।

(ङ) गंगा कार्यकारी योजना के तहत कानपुर और इलाहाबाद में नदी में गिरने वाले घरेलू जलमल के विचलन और उसके उपचार की सुविधाएं प्रदान करने का विचार है।

गंगा जल के लिए परीक्षण केन्द्र

5029. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर गंगा जल का परीक्षण करने के लिए परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(ख) इन केन्द्रों के लिए कर्मचारियों आदि के प्रबन्धों सहित इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) गंगा जल के नमूनों के विश्लेषण के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल के राज्य प्रदूषण बोर्ड के क्रमश: लखनऊ, पटना और कलकत्ता स्थित प्रयोगशालाओं में जांच केन्द्र स्थित हैं।

नदी में 39 प्रबोधन केन्द्रों से नमूने एकत्रित किए जाते है और इन तीन प्रयोगशालाओं में इसका विश्लेषण किया जाता है। प्रबोधन केन्द्र इन जगहों पर स्थित है :—

— ऋषिकेष
— हरिद्वार
— गढ़ मुक्तेश्वर
— कछला पुल
— कन्नौज
— कानपुर (ऊर्ध्वप्रवाह)
— कानपुर (सरसैया घाट)
— कानपुर (भगवत दास घाट)
— कानपुर (अनुप्रवाह)
— डलमऊ
— इलाहाबाद ऊर्ध्वप्रवाह
— इलाहाबाद नागवासुकी मन्दिर
— इलाहाबाद शिवकुटी
— इलाहाबाद अनुप्रवाह
— मिर्जापुर
— वाराणसी ऊर्ध्वप्रवाह
— वाराणसी सिंधिया घाट
— वाराणसी अनुप्रवाह
— त्रिघाट
— बक्सर
— पटना ऊर्ध्वप्रवाह
— पटना दरभंगा घाट
— पटना पुल (पटना का अनुप्रवाह)
— सुल्तानपुर
— ब्रह्मानिया
— मुंगेर
— भागलपुर
— कोलगोंग
— राजमहल
— फरक्का
— बहरामपुर
— कटवा
— नवद्वीप

— कल्याणी

— पल्टा

— दक्षिनेश्वर

— उलूबेरिया

— डायमण्ड हारवर

(ख) 1979 से नमूनों को एकत्र करने व विश्लेषण का कार्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा और जारी है।

[अनुवाद]

"ब्रेल" पुस्तकों की कमी

5030. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम : क्या कल्याण मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में "ब्रेल" पुस्तकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार नेत्रहीनों को शिक्षित करने के लिए कैसेट जैसी और आधुनिक विधियां शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार सातवीं योजना के अन्तर्गत "ब्रेल" पुस्तकों के मुद्रण के लिए अधिक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करना सुनिश्चित करेगी ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) राष्ट्रीय दृष्टि-बाधितार्थ संस्थान ने यह पता लगाने के लिए प्रयास किये थे कि क्या देश में ब्रेल पुस्तकों की कोई कमी हैं परन्तु अन्ध विद्यालयों में विशेष उत्साह न मिलने के कारण इस कमी का कोई मूल्यांकन करना संभव नहीं पाया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) टाकिंग बुक्स नामक कैसटों से संबंधित तैयार की गई पुस्तकें राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ और अन्य निजी स्वयंसेवी संगठनों द्वारा, नेत्रहीन छात्रों को सप्लाई करने के लिए तैयार की जाती हैं। मंत्रालय इस प्रयोजन के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ङ) देश में ब्रेल प्रैसों की क्षमता और उपयोगिता की एक समीक्षा की गई है और यह पाया गया है कि देश में और अधिक प्रैसों की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु वर्तमान क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए।

त्रिवेन्द्रम स्थित पारपत्र कार्यालय

5031. **मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम में कोई पारपत्र/संपर्क कार्यालय है;

(ख) यदि हां तो यह कब स्थापित किया गया था;

(ग) वर्ष 1985 के दौरान त्रिवेन्द्रम स्थित पारपत्र/संपर्क कार्यालय से कितने पारपत्र जारी किए गए; और

(घ) वर्ष 1985 के दौरान उक्त कार्यालय को कितना राजस्व प्राप्त हुआ और कितना धन व्यय हुआ है;

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०आर० नारायणन) :(क) जी हां, वहां पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय है।

(ख) इसकी स्थापना 21-7-1984 को हुई थी।

(ग) पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय को नए पासपोर्ट जारी करने का अधिकार नहीं है यह केवल पासपोर्ट संबंधी विविध सेवायें ही प्रदान करता है । वर्ष 1985 के दौरान प्रदान की गई विविध सेवाओं की सख्या 14,584 है।

(घ) प्राप्त राजस्व—2, 9,105.00 रुपये

खर्च—1,28,244.70 रुपये

केरल के लिए जनजाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

5032. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल को 1686-87 के लिए जनजाति उपयोजना के लिए कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : केरल को 1986-87 के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में अस्थाई रूप से 75·32 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है।

सीमा पार से आसाम में अवैध प्रवेश

5033. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम समझौते के बाद बंगलादेश-आसाम सीमा से घुसपैठ को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि आसाम के मुख्यमंत्री और आंतरिक सुरक्षा मंत्री की 6 फरवरी 1986 को एक बैठक हुई थी और उसमें आसाम की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो किन समस्याओं पर चर्चा हुई थी और उनका क्या परिणाम निकला है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) केन्द्र सरकार ने विदेशियों का पता लगाने के लिए अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल और अतिरिक्त पुलिस कार्मिकों को तैनात करके भारत-बंगलादेश सीमा पर सतर्कता पहले ही गहन कर दी है।

हाल ही में केन्द्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करने, अतिरिक्त सीमा वाह्य चौकियां स्थापित करने, निगरानी चौकी बुर्जों के निर्माण आदि के लिए एक कार्यक्रम अनुमोदित किया है । सीमा गश्त में अधिक गतिशीलता लाने के लिए सीमा के साथ-साथ अग्रता के आधार पर सड़क का निर्माण करने का निर्णय भी किया गया है।

(ख) और (ग) परस्पर संतोषजनक व्यवस्थायें करने के विचार से सीमा के साथ-साथ सड़क आदि के निर्माण सहित असम समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।

अनिवासी भारतीयों की परियोजनायें और प्रौद्योगिकी पार्क

5034. **श्री अजित कुमार साहा :**

श्री हन्नाह मोल्लाह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों की परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी पार्कों का किस प्रकार तथा किसके द्वारा मूल्यांकन किया गया है । स्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा इन परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान के रूप में धनराशि देने की स्वीकृति दी है;

(ग) क्या यह सच है कि इन परियोजनाओं को नि: शुल्क भूमि, ब्याज मुक्त ऋण और सरकारी वित्तीय संस्थाओं से भी तुरन्त अनुदान दिये जा रहे हैं; और

(घ) अब तक ऐसी कितनी भूमि, ऋण और अनुदान स्वीकृत किये गये हैं और इन्हें प्राप्त करने वालों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीयों (एन० आर० आईज०) से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर औद्योगिक विकास विभाग (उद्योग मत्रालय) की विशेष अनुमोदन सीमित (एन० आर० आई०) के द्वारा विचार किया जाता है ।

(1) उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस हेतु;

(2) पूंजीगत माल के आयात हेतु, यदि एन० आर० आईज को ऐसी आवश्यकता हो और

(3) विदेशी सहयोग अनुमोदनों हेतु, यदि उनको ऐसी आवश्यकता हो ।

तथापि एन० आर० आईज से इलेक्ट्रानिकी से संबंधित 100 प्रतिशत निर्यातअभिमुखी प्रौद्योगिकी उद्यानों अथवा औद्योगिक परियोजनाओं को इलैक्ट्रानिकी विभाग भारत सरकार द्वारा मूल्यांकित और अनुमोदित किया जाता है ।

(ख) और (ग) जी नहीं !

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कतिपय अपराधों के लिए मृत्यु दण्ड देने संबंधी विधेयक

5035. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि राज्य सभा ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें 1980 के पूर्व भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में संशोधन किया गया है ताकि मृत्यु दण्ड को कतिपय श्रेणियों के अपराधों तक के लिए ही सीमित रखा जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उस समय पारित विधेयक लोक सभा के बाद में विघटित हो जाने के कारण व्यपगत हो गया;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त विधेयक को पुन: पुर:स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (च) : राज्य सभा द्वारा 23-11-1978 को पारित किये गये भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1978 के खण्ड 125 से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 को एक संशोधित धारा द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया था जिसमें व्यवस्था थी कि प्रस्तावित धारा 302 की उपधारा में विनिर्दिष्ट गंभीर किस्म के कतिपय हत्याओं के मामले में ही मृत्यु दण्ड आजीवन कारावास का विकल्प होगा। उक्त खण्ड 125 का उद्धरण सभा पटल पर रखा गया (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2535/86। विधेयक लोक सभा में लम्बित था जब 1979 में लोक सभा भंग हुई तथा इसलिए यह व्यपगत हो गया। यद्यपि व्यपगत विधेयक के आधार पर विधायन को कुछ परिवर्तनों के साथ पुनः पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, फिर भी इस स्थिति में यह कहना संभव नहीं होगा कि क्या गंभीर किस्म की कतिपय हत्याओं के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत मृत्यु दंड प्रतिबंधित करने के लिए सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन विधायन में शामिल किया जायेगा अथवा नहीं।

बंगला देश के साथ सीमा संघर्ष

5036. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान बंगलादेश के साथ कुछ सीमा संघर्ष की घटनाएं हुई हैं, यदि हां, तो इन संघर्षों के क्या कारण हैं और इनमें कितने व्यक्ति मारे गए;

(ख) क्या भारत ने बंगलादेश के साथ सभी विवाद शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच किस सीमा तक संबंधों में सुधार हुआ है; और

(घ) दोनों देशों के बीच किन-किन मुख्य मुद्दों पर कोई समझौता नहीं हो पाया है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) अधिकांशतः फसल काटने, मवेशी चुराने आदि के मामलों पर गत दो वर्षों में बंगलादेश राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल के बीच कुछ मामूली झड़पें हुई थीं। असम बंगलादेश सीमा पर तार की बाड़ लगाने के कार्य का सर्वेक्षण करते समय वर्ष 1984 में बंगलादेश राइफल्स द्वारा गोली चलाये जाने के कारण भारत के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एक मजदूर मारा गया था।

(ख) भारत ने बंगलादेश के साथ सभी विवादों को सदैव शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की इच्छा व्यक्त की है।

(ग) और (घ) : गत समय में बंगलादेश के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं और अब भी ऐसे ही हैं। बंगलादेश में उरिर चार में समुद्र तूफानग्रस्त निवासियों के प्रति हमदर्दी जताने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जून, 1985 में उस क्षेत्र का किया गया दौरा दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की दिशा में एक कदम है। ऐसा कोई मामला नहीं है, जिस पर यह कहा जा सके कि "कोई समझौता" नहीं हुआ है। कुछ मतभेद हैं, किन्तु उन पर दोनों सरकारों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है।

वायनाड जिले के आदिवासियों का पुनर्वास

5037. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वनों के कम होने और कठोर वन संरक्षण उपायों को लागू करने से आदिवासियों के लिए श्रम के अवसरों, जीवन यापन आय और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) केरल में वायनाड वनों के आदिवासियों के पुनर्वास हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) और (ख) केरल सरकार से अपेक्षित सूचना मांगी गई है। जैसे यह प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सातवीं योजना के दस्तावेज का मुद्रण

5038. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सातवीं योजना के दस्तावेज के डीलक्स संस्करण के मुद्रण पर जिस पर 48 रुपए प्रति दस्तावेज के बजाए 200 रुपए लागत आई, अपव्यय किये जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) भारत के पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में विश्व-व्यापी रुचि उत्पन्न हुई है और विश्व बैंक, एड इण्डिया कनसोरटियम, एशियाई विकास बैंक जैसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों और विदेश में अन्य आर्थिक मिशनों द्वारा इसकी लगातार मांग की जाती रही है। बड़ी संख्या में भारत में आने वाले विदेशी शिष्ट मण्डल प्रतिनिधियों, राजनयिक प्रतिनिधियों और उच्च गणमान्य व्यक्तियों को मानार्थ प्रतियां देनी होती हैं। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए डीलक्स संस्करण की केवल 100 प्रतियां छपवाई गई हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में भर्ती पर प्रतिबंध तथा योजना राशि के उपयोग पर उसका प्रभाव

5039. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा भर्ती पर लगाए गए प्रतिबंध के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा योजना धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने गृह मंत्रालय से भर्ती करने और पदों के सर्जन की अनुमति देने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस मामले में भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) अण्डमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के लिये

अनुमोदित योजना परिव्यय का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया था। फिर भी केन्द्रीय सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन से प्रतिबन्ध में ढील देकर 915 पद सृजित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधीन है।

बंगलादेश से अवैध आप्रवास को रोकना

5040. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि जैसा कि 13 फरवरी, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है (कि केन्द्रीय सरकार असम समझौते के दायरे से बाहर जाकर बंगलादेश से होने वाले अवैध आप्रवास को रोकने के लिए "पक्की त्रुटिरहित व्यवस्था" कर रही है।

(ख) यदि हां, तो की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल, बिहार तथा त्रिपुरा की सीमाओं पर भी इसी प्रकार की पक्की त्रुटिरहित व्यवस्था कर भारत में बंगलादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने का है?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) प्रधान मंत्री ने बंगलादेश से अवैध आप्रवास को रोकने के बारे में वक्तव्य दिया है।

(ख) और (ग) सरकार ने हाल में भारत-बंगलादेश सीमा पर निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए 5 वर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है जो 1986-87 से आरंभ होगा। कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल को सशक्त करना, अतिरिक्त सीमा बाह्य चौकियां स्थापित करना और अधिक निगरानी बुर्जों का निर्माण करना, सीमा पर गश्त को अधिक गतिशील बनाना और उन्हें अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करना शामिल हैं। बिहार की बंगला देश के साथ शामिलाती अन्तर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है परन्तु यह आशा की जाती है कि उक्त उपायों से पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार में घुसपैठ कारगर ढंग से रुक जाएगी।

दिल्ली में बहुमंजिले भवनों में आग

5041. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि वर्ष 1983 में गोपाल टावर में लगी आग के बाद सेवानिवृत मेजर जनरल श्री सिंघल की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने राजधानी में 200 ऐसे बहुमंजिले भवनों की सूची बनाई थी जिनमें आग लगने का खतरा था और सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं; यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं?

(ख) अब तक कितनी सिफारिशों को स्वीकृत और कार्यान्वित किया गया है और शेष से सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं;

(ग) उस समय कितने अवैध कब्जे खाली करवाए गए;

(घ) क्या जिन व्यक्तियों ने पुनः कब्जा कर लिया है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजधानी में गत तीन वर्षों के दौरान बहुमंजिले भवनों में आग लगने की कितनी घटनाएं हुई हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1983 में गोपाल टावर में आग लगने के बाद, मेजर जनरल सिंघल के नेतृत्व वाली अग्नि परामर्शदात्री समिति को दिल्ली में बहुमंजिले इमारतों में अग्नि सुरक्षा उपायों की सिफारिशें करने के उद्देश्य से 220 बहुमंजिली इमारतों की सूची दी गयी थी। समिति ने इमारतों का निरीक्षण किया और बहुमंजिली इमारतों के स्वामियों काबिजों द्वारा अपनाए जाने के लिए अनिवार्य अग्नि निवारक और अग्नि सुरक्षा पर्वोपायों की सिफारिशें की थी। इन सिफारिशों को सरकार को भी प्रस्तुत किया गया था।

(ख) सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं। बहुमंजिली इमारतों के स्वामियों काबिजों को, अपने अपने भवनों को अग्नि से बचाव को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह सिफारिश भी स्वीकार की गयी। शेष सिफारिशों को पूर्णत: कार्यान्वित करने के लिए सरकार अब एक विधायन पुर: स्थापित कर रही है।

(ग) और (घ) भवन नियम 1983, इसके अनिवार्य उपबन्धों के अनुपालन को लागू करने के लिए सांविधिक प्राधिकार प्रदान नहीं करता है। संसद के चालू सत्र के दौरान, अग्नि निवारक और अग्नि सुरक्षा पर एक विधायन पुर: स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे दिल्ली अग्नि शमन सेवा को, अग्नि से बचाव के प्रति असुरक्षित भवनों में अवैध कब्जे के विरुद्ध कारंवाई करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी।

(ङ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1983-85 के दौरान बहुमंजिली इमारतों से 357 मामले सूचित किए गए हैं।

"वनों का विदेशी सहायता से विकास"

5042. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भारतीय और विदेशी सहायता से वनों के विकास के लिए चलायी जा रही परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या विश्व बैंक ने भारत के वनों के विकास के लिए कोई वित्तीय और तकनीकी सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) विदेशी सहायता से वनों के विकास के लिए परियोजनाओं के नाम संलग्न विवरण एक में दिये गये हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण दो में दिये गये हैं।

विवरण एक

वानिकी क्षेत्र में विदेशी सहायता से वनों के विकास के लिए परियोजनाओं के नाम

1. धौलाधर रेंज में भू-क्षरण निवारण

2. ग्रामीण नर्सरियों तथा परती भूमि उपयोगिता के विकास के लिए रामकृष्ण मिशन, रांची को फोर्ड फाउन्डेशन अनुदान
3. सामुदायिक वानिकी में वानिकी विकास अध्ययनों/कार्यग्राही कार्यक्रमों की सहायता के लिए सामुदायिक वानिकी के लिए रांची संघ को फोर्ड फाउन्डेशन अनुदान।
4. सामाजिक वानिकी में अनुसंधान व प्रदर्शन के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय के फोर्ड फाउन्डेशन अनुदान
5. सामाजिक वानिकी तथा परती भूमि विकास के लिए सहायता औद्योगिक प्रति पूर्ति के लिए संस्था को फोर्ड फाउन्डेशन अनुदान।
6. केलेघई तथा मयूराक्षी नदियों के नदी आवाह् क्षेत्र में वनरोपण तथा मृद्रा संरक्षण
7. उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में वनरोपण, मृदा व जल संरक्षण
8. आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण
9. काष्ठनिष्काशन विकास संस्थान, देहरादून को एस०आई०डी०ए० सहायता।
10. भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना
11. मध्य प्रदेश सामाजिक वानिकी परियोजना
12. महाराष्ट्र सामाजिक वानिकी परियोजना
13. आंध्र प्रदेश सामाजिक वानिकी परियोजना
14. तमिलनाडू सामाजिक वानिकी परियोजना
15. उड़ीसा सामाजिक वानिकी परियोजना
16. बिहार सामाजिक वानिकी परियोजना
17. कृषि-वन वृक्ष विज्ञान तथा वन-मत्स्यपालन परियोजना, पश्चिमी बंगाल
18. उत्तर प्रदेश सामाजिक वानिकी (चरण 11) परियोजना
19. गुजरात सामुदायिक वानिकी (चरण 11) परियोजना
20. पश्चिमी बंगाल सामाजिक वानिकी परियोजना
21. हरियाणा सामाजिक वानिकी परियोजना
22. जम्मू व काश्मीर सामाजिक वानिकी परियोजना
23. कर्नाटक सामाजिक वानिकी परियोजना
24. केरल सामाजिक वानिकी परियोजना
25. राजस्थान सामाजिक वानिकी परियोजना
26. हिमाचल प्रदेश सामाजिक वानिकी परियोजना

विवरण दो

विश्व बैंक की सहायता से चल रही वन विकास परियोजना का विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	परियोजना अवधि	प्रभावी वर्ष	सहायता अभिकरण	कुल	परियोजना लागत स्थानीय सहायता	(मिलियन रु०) बाह्य सहायता	परियोजना के पौधरोपण क्रिया-कलाप का भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	उत्तर प्रदेश सामाजिक वानिकी परियोजना (चरण 11)	5 वर्ष	1985-86	विश्व बैंक/ संयुक्त राष्ट्र सहायता	1611.6	552.0	1059.6 (730.8)	161,950
2.	गुजरात सामुदायिक वानिकी परियोजना (चरण 11)	5 वर्ष	1985-86	—वही—	1296.5	188.5	1108.0 (740.5)	313,400
3.	राजस्थान सामाजिक वानिकी परियोजना	5 वर्ष	1985-86	—वही—	391.9	89.5	302.4 (199.2)	120,000
4.	हिमाचल प्रदेश सामाजिक वानिकी परियोजना	5 वर्ष	1985-86	—वही—	572.9	133.5	439.4 (291.7)	112,833
5.	हरियाणा सामाजिक वानिकी परियोजना	5 वर्ष	1982-83	विश्व बैंक/ डी.ए.एन. आई.डी.ए.	333.1	170.0	163.1 (146.6)	67,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	जम्मू व काश्मीर सामाजिक वानिकी परियोजना	5 वर्ष	1982-83	—वही—	237.3	119.9	117.35 (102.9)	44,000
7.	कर्नाटक सामाजिक वानिकी परियोजना	5 वर्ष	1983-84	विश्व बैंक/ ओ.डी.ए.	552.3	64.5	487.8 (263.5)	149,500
8.	केरल सामाजिक वानिकी परियोजना	6 वर्ष	1984-85	विश्व बैंक	599.5	249.7	349.8 (349.8)	85,300
9.	पश्चिमी बंगाल वानिकी परियोजना	6 वर्ष	1981-82	विश्व बैंक	348.5	116.5	232.0 (232.0)	93,000

टिप्पणी : कोष्टों में आंकड़े विश्व बैंक से सहायता को दर्शाते हैं।

देश में बधिरों की संख्या

5043. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बधिरों की अनुमानित जनसंख्या कितनी है;

(ख) उनके कल्याण में कार्यरत संस्थाओं तथा सामाजिक संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) (क) 1981 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण अनुसार देश में लगभग 30.2 लाख व्यक्ति बधिर हैं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संगठन	1984-85 के दौरान स्वीकृत सहायक अनुदान
1. अवैतनिक सचिव, के. एल. बधिर संस्थान, 51 विद्या नगर, भाव नगर, 364002	3,83,430
2. अध्यक्ष रोटरी कल्ब, नादयाद समाज सेवा, संशोधन ट्रस्ट, द्वारा जैयंत साहा हस्पताल नादयाद-387001	59,535
3. श्री डी. एस. पारिख, मूक एवं बधिर स्कूल, बरोड़गेंग स्टेशन के पास सुरिन्द्रर नगर-363011	1,75,300
4. सचिव, अन्ध, मूक बधिर एवं अपंग बच्चों के लिए स्कूल पो. ओ. मंडिवी जिला कच्च	8,697
5. अवैतनिक सचिव, श्री मंदरा और धमानी, बधिर संस्थान जामनगर	2,50,000
6. सचिव, श्री जे.बी. उपाध्याय, बधिर एवं मूक स्कूल टालुड, जिला दक्षिणा किनारा	17,000
7. सचिव, श्रीमती एवं श्री सी. एस. विरानी, बधिर एवं मूक स्कूल, धनबार रोड, राजकोट	14,638
8. सचिव, शिशु सेवा मंडल, बधिर एवं मूक विद्यालय, हिम्मत नगर, जिला साबरकांटा	1,50,000
9. सचिव, मूक बधिर विकास ट्रस्ट द्वारा हरगोबिन्द मोदी, 18 आरोग्य नगर, सूरत	10,000
10. सचिव मेडिकल केयर, सैन्टर ट्रस्ट, जलराम मार्ग, काराली बोग, बड़ोदा-390018	9,405
कर्नाटक	
1. निदेशक, वाणी एवं श्रवण संस्थान हनूर रोड, बंगलौर	5,55,584
2. सचिव, बधिर संघ, न्यू बम्बू बाजार रोड, आफिस हेंज रोड बंगलौर	4,12,895
केरल	
1. सचिव, आगा भवन, समाज केन्द्र- सैंट थोमस नगर, डा० ओलूर, जिला त्रिचूर	9,800
महाराष्ट्र	
1. निदेशक, आड़ियोलेजी शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र, 67 निप्पन सी रोड, बम्बई	37,753

2. सचिव, बधिर एवं मूक आद्यौगिक संस्थान, नार्थ अम्बा देवी रोड, नागपुर	5,000
3. सचिव, कामायनी उद्योग केन्द्र सोसायटी, 1187/64, शिवाजी नगर, पूना	1,00,000
4. अध्यक्ष, सुरहृद मंडल, 895, दमरती भंडारक रोड, शिवाजी नगर, पूना	1,52,290
5. सचिव, भारत मूक विद्यालय सोसायटी, गांधी बाग हैंडलूम मार्किट, नागपुर	1,00,000
पंजाब	
1. फौन्डर प्रस्टी तथा प्रशासक, डा० सत्यपाल खोसला, धर्मार्थ स्मारक न्या, शहीद उधम सिंह नगर लिंक रोड, जालन्धर	2,18,940
राजस्थान	
1. अध्यक्ष, बाधिक बाल विकास समिति, विकास नगर, अजमेर	०,000
2. अध्यक्ष, बाधिक बाल विकास केन्द्र, 132 स्टेशन रोड, कोटा	1,50,000
त्रिपुरा	
1. नार्थ त्रिपुरा बधिर एवं मूक स्कूल, कैलाशहर, नार्थ त्रिपुरा	50,144
उत्तर प्रदेश	
1. सचिव, प्रागनारायण मूक बधिर विद्यालय, सांसी गेट अलीगढ़	50,018
2. अध्यक्ष, यू० पी० बधिर एवं मूक संस्थान, 4, मालबिया रोड इलाहाबाद	56,112
3. प्रबन्धक, लखनऊ बधिर स्कूल, एस बाग, लखनऊ	1,85,936
4. अवैतनिक सचिव तथा प्रबन्धक, बधिरों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कालेज, एस. बाग. लखनऊ	84,321
5. प्रबन्धक, जयकृष्णा साकेत, बधिर एवं मूक स्कूल, अयोध्या, जिला फैजाबाद	1,57,836
6. प्रबन्धक, बधिर एवं मूक स्कूल, 221 अशोक पथ, वैस्ट एण्ड रोड मेरठ छावनी	1,67,402
7. बधिर एवं मूक स्कूल, डी-53/104, छोटी गेवी बाराणसी	2,15,265
8. सचिव, बाधिक बाल विकास समिति, अम्बारी, आजमगढ़,	52,470
पश्चिम बंगाल	
1. सचिव प्रतिबन्धी, कल्याण केन्द्र स्कूल, बधिर एवं मूक बच्चों के लिए शिक्षा प्रशिक्षण, अभिनाश मुखर्जी रोड, डा० व जिला हुगली	59,400
2. सचिव रामाकृष्णा मिशन सेवा, प्रतिष्ठान 99 सर्त बोस रोड कलकत्ता	29,613
3. सचिव, वाणी एवं श्रवण संस्थान, तथा अनुसंधान केन्द्र 1-वी, रितची रोड, कलकत्ता	29,205
दिल्ली	
1. अवैतनिक महासचिव, अखिल भारतीय बधिर संघ, 18 नार्थ एंड कम्पलैक्स, रामाकृष्णा आश्रम मार्ग, नई दिल्ली-110001	1,18,509
जोड़	41,35,458

चलती रेलगाड़ियों में चोरियों डकैतियों के सम्बन्ध में शिकायत

5044. **श्री टी० बालागौड** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलती गाड़ियों में डकैती/चोरियों के शिकार व्यक्तियों के लिए अगले स्टेशन पर शिकायत लिखाने की बजाय गाड़ी में ही शिकायत लिखाने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार "ट्रेन सुपरिन्टेडेंट" के पास शिकायत पुस्तिका उपलब्ध कराने का विचार है जो इन शिकायतों को शिकायतकर्ता को सूचना देने सहित उचित जांच एजेंसी को भेज देगा; और

(ग) क्या चोरी के ऐसे मामलों में जहाँ जांच एजेंसियां चोरी गई सम्पत्ति प्राप्त करने में असफल रहती हैं चोरी के शिकार हुए व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु कोई बीमा योजना प्रारम्भ करने का विचार है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) (क) और (ख) "लोक व्यवस्था" का विषय संविधान की आठवीं अनुसूची की राज्य सूची में है। इसी प्रकार "पुलिस" का विषय भी है। इस प्रकार पुलिस एजेंसियों के तंत्र के माध्यम से अपराधों की रोकथाम करना और पता लगाना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, जहां रेलवे लाइनें हैं, सलाह दी गई है कि चलती हुई गाड़ियों में चोरियों लूटपाट और डकैतियों के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने के लिए एक विशिष्ट प्रपत्र अपनायें। कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रकार के प्रपत्र अपना लिए हैं।

परिवहन मंत्रालय (रेलवे विभाग) ने भी क्षेत्रीय रेलवे को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं कि ट्रेन कन्डक्टरों, टी. टी. ई. और जी. आर. पी. रक्षा दलों को यात्रियों से इस प्रपत्र में लिखित शिकायतें स्वीकार करनी चाहिए और अगले रेलवे स्टेशन पर इसे सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन को सुपुर्द करना चाहिए।

(ग) चलती गाड़ियों में चोरी के शिकार व्यक्तियों को, यदि जांच पड़ताल द्वारा खोई गई सम्पत्ति बरामद करने में सफलता नहीं मिलती है तो मुआवजा देने के लिए किसी प्रकार का बीमा प्रारम्भ करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

वनों का काटना

5045. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जनवरी, 1986 के हिन्दू में "85 परसेंट आफ इन्डियन फोरेस्ट आलरेडी डिन्यूडेड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें उल्लिखित तथ्य सही है;

(ग) क्या यह सच है कि वन संरक्षण के लिए विद्यमान कानून आज भी पर्याप्त रूप से कठोर नहीं है और इस समय लागू अधिकांश कानून सामान्यतः ब्रिटिशकाल के हैं और इसके फलस्वरूप 300 कि०मी० वन क्षेत्र प्रतिदिन काटा जा रहा है;

(घ) क्या पर्यावरण की दृष्टि से वनों का विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हाल ही में प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है ताकि ग्रामीणों को जलाने के लिए लकड़ी और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराया जा सके; और

(ङ) समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और इसके कार्य क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय वन अधिनियम ब्रिटिश काल का है। बहरहाल वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में ही बनाया गया था तथा इसके प्रावधान काफी कड़े हैं। प्रतिदिन वृक्षहीन किए जा रहे वनों के वास्तविक क्षेत्र का पता नहीं है।

(घ) प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में सरकार ने एक राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं परती भूमि विकास परिषद् का गठन किया है।

(ङ) समिति की संरचना एवं कार्य इस प्रकार है:—

संरचना

(i)	प्रधान मंत्री	— अध्यक्ष
(ii)	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्री	— सदस्य
(iii)	निम्नलिखित केन्दीय मंत्रालयों/विभागों के मंत्री/राज्य मंत्री — वित्त — कृषि एवं ग्रामीण विकास — पर्यावरण एवं वन — सिंचाई — निर्माण एवं आवास — रेल — उद्योग — शिक्षा	— सदस्य
(iv)	उपाध्यक्ष, योजना आयोग	— सदस्य
(v)	अध्यक्ष, राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड	— सदस्य
(vi)	अध्यक्ष, राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड	— सदस्य

आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष किसी अन्य व्यक्ति को परिषद् के सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकता है। सरकार के वन एवं वन्यजीव विभाग तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग के सचिव परिषद् की सभी बैठकों में भाग लेंगे। परिषद् का सचिवालय प्रधान मन्त्री के कार्यालय में होगा तथा प्रधान मन्त्री के संयुक्त सचिव परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

भूमिका एवं कार्य.
परिषद् देश में स्वास्थ्य तथा भू-संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबन्ध के सभी मामलों के सम्बन्ध में शीर्षस्थ नीति-निर्धारण एवं समन्वयकारी अभिकरण होगा। यह राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड एवं राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड के कार्य पर निगरानी रखेगी। इन बोर्डों की सिफारिशें जिसमें नीति के वृहत् मामले सन्निहित हैं, परिषद् के समक्ष अन्तिम रूप देने के लिए रखी जायेगी।

[अनुवाद]

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

5046. **श्री सुनीलदत्त :**

श्रीमती ऊषा चौधरी : कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या देश में विभिन्न रूप से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की कोई गणना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ग) उनके कल्याण और पुनर्वास की कितनी योजनाएं कार्यान्वियनाधीन हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने एक सर्वेक्षण किया है।

(ख) दो विवरण सदन के पटल पर रखे गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2536/86]

[हिन्दी]

रंगीन टेलीविजन सैटों के मूल्य

5048. **श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री** इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा टी० वी० की रंगीन पिक्चर ट्यूबों के निर्माण के लिए सहयोग के बारे में 18 दिसम्बर, 1985 के तारांकित प्रश्न सं० 436 तथा उसके अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : उन टी० वी० सैटों के नाम तथा माडल क्या हैं, जो 5,500 रुपये के मूल्य पर उपलब्ध हैं और विभिन्न राज्यों में उन विक्रय एजेन्टों के नाम व पते क्या हैं, जहां से लोग उन्हें इस मूल्य पर खरीद सकते हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : 51 सेमी० आकार वाले ई० टी० एण्ड टी० की प्रौद्योगिकी एवं ब्रांड नाम से बने रंगीन दूरदर्शन सेट परीक्षण के तौर पर विपणन के लिए ई० टी० एण्ड टी० (इलेक्ट्रोनिकी विभाग का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम) के पास बिक्री के लिए उनके निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध हैं :—

नई दिल्ली	ई० टी० एण्ड टी० डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 15/48, मालचा मार्ग, नई दिल्ली-110021
बम्बई	ई० टी० एण्ड टी० डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, एयर इण्डिया बिल्डिंग, 8वीं मंजिल, नरीमान प्वाइंट, बम्बई-400021

दिनांक 28 फरवरी, 1986 को वर्ष 1986-87 के बजट के प्रस्तावों की घोषणा होने से पहले, प्रति सेट की कीमत 5150 रु० थी तथा इस पर स्थानीय कर अलग लगते थे। वर्ष 1986-87 के बजट प्रस्तावों की घोषणा के बाद उक्त रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमत अब 5750 रु० होगी, जिसमें स्थानीय कर अलग से लगेंगे।

जिन विनिर्माताओं ने ई० टी० एण्ड टी० के साथ अपना पंजीकरण करा रखा है, (सूची संलग्न विवरण में दी गई है), उनके द्वारा 'ई० टी० एण्ड टी०' की प्रौद्योगिकी एवं ब्रांड नाम से विनिर्मित तथा विनिर्माता द्वारा विपणन के लिए प्रस्तुत अपने ब्रांड नाम के रंगीन दूरदर्शन सेटों की विनिर्माताओं के माध्यम से शीघ्र ही उपलब्ध होने की संभावना है।

विवरण

1. मेसर्स कैपिटल इलेक्ट्रोनिक्स
   पी-161, बी० आई० पी० रोड, स्कीम एम
   कलकत्ता-700054,
2. मेसर्स माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स,
   5/5 क्लाइव रोड (तीसरी मंजिल)
   कमरा नं० 14,
   कलकत्ता-700001
3. मेसर्स विलंच इलेक्ट्रानिक्स,
   101,. रोयापेटा हाइ रोड,
   मद्रास-600004,
4. मेसर्स वारणा इलेक्ट्रानिक्स,
   वारणा नगर, तालुक-पन्हाला,
   जिला-कोल्हापुर-416003
5. मेसर्स मिशी बिशी इलेक्ट्रानिक्स,
   47, एम० आई० ई०,
   बहादुरगढ़ (हरियाणा)
6. मेसर्स एम० ई० सी० (इण्डिया) प्राइवेट लि०,
   ए-30, सेक्टर-!11,
   नोएडा (उत्तर प्रदेश)
7. मेसर्स सुधीर इलेक्ट्रोनिक्स
   7, मयूर बिल्डिंग, हिल रोड,
   राम नगर स्क्वायर,
   नागपुर-440010,
8. मेसर्स आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रांनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०,
   8वीं मंजिल, परिश्रम भवन,
   बशीर बाग,
   हैदराबाद-500029,

9. मेसर्स दामोदर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कंट्रोल्स,
XXXVIII/1351, एम. जी. रोड, एरनाकुलम,
कोचिन-682035

10. मेसर्स मार्शल रेडियोज,
27 एफ तथा 28 एफ, सेक्टर-9,
नोएडा (उ० प्र०)

11. मेसर्स एन्फील्ड इण्डिया लि0,
29, एल्डाम रोड,
मद्रास-600018

12. मेसर्स बेल्ट्रांन टेलीविजन
नं० 1 सर्कुलर रोड
पो० आ० दानापुर कैंट,
पटना-80 1503

[अनुवाद]

जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलाबारी

5049. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :(क) क्या यह सच है कि जम्मू क्षेत्र में पुंछ के सीमावर्ती गांवों में मार्च 1986 में जब पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई गोलाबारी से अनेक भारतीय नागरिक घायल हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पहला मौका है जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय नागरिकों पर गोलीबारी की,

(ग) क्या मार्च 1986 के पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने बहुत भारी गोलाबारी की, और

(घ) यदि हां, तो कितनी बार गोलाबारी की गई और कुल कितने नागरिक इन गोलाबारीयों में मारे गए ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा जम्मू तथा कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ लगे इलाकों में हमारे सिविलियनों पर अकारण गोलीबारी किया जाना कोई नई बात नहीं है। इस साल मार्च के पहले सप्ताह में जम्मू तथा कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में की गई इस तरह की गोलीबारी से हमारा एक सिविलियन गोली से जख्मी हुआ।

(ग) और (घ) इस साल मार्च के पहले दो सप्ताहों के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा जम्मू तथा कश्मीर में नियन्त्रण रेखा के पार से अकारण गोलीबारी किए जाने के कुछ मामले हुए हैं। ब्यौरे देना उचित नहीं होगा। गोलीबारी की इन घटनाओं से किसी सिविलियन की मृत्यु नहीं हुई है।

बंजर क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी

5050. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने देश के विशाल बंजर क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वित करने का निर्णय किया है :

(ख) क्या परती भूमि विकास निगम को सामाजिक वानिकी के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है; और

(ग) परती भूमि विकास निगम के अतिरिक्त किन अन्य एजेंसियों को सामाजिक वानिकी के इस कार्यक्रम के क्रियान्बयन में शामिल करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड, सामाजिक वानिकी के लिए एक प्रमुख (नोडल) अभिकरण है। राज्य वानिकी विभागों तथा ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा वास्तविक रूप से क्रियान्वयन किया जाता है।

(ग) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल अन्य अभिकरण ये हैं— वनों के प्रभारी विभाग, ग्रामीण विकास और कृषि (मृदा संरक्षण सहित), तथा स्वैच्छिक संगठन तथा युवा और महिला दल।

अग्रता अधिपत्र में रक्षा सेवाओं के अधिकारियों का पदक्रम

5051 **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अग्रता अधिपत्र में रक्षा सेवाओं के अधिकारियों के पदक्रम के मामले का विश्लेषण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) कुछ सुझाव विचाराधीन हैं।

केन्द्रीय भण्डारों की विशेष लेखा परीक्षा

5052 **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** केन्द्रीय भण्डारों की विशेष लेखा परीक्षा के बारे में 7 और 21 अगस्त, 1985 के क्रमश: अतारांकित प्रश्न संख्या 2489 और 4437 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मामले की जांच की गई है और वित्तीय औचित्य और प्रक्रिया का अनुपालन न करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया गया गया है कि सरकारी कार्यालयों के लिये केवल प्रामाणिक माल ही खरीदा और सप्लाई किया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) : मामले की जांच अभी भी चल रही है ।

(ग) सरकारी कार्यालयों के लिए केवल प्रामाणिक माल की खरीद तथा सप्लाई के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं ।

वीडियो कैसेट रिकार्डरों के निर्माताओं को लाइसेंस देने संबंधी नीति

5054. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वीडियो कैसेट रिकार्डरों के निर्माताओं को लाइसेंस/मंजूरी देने के संबंध में सरकार द्वारा वर्ष 1980 से अब तक समय-समय पर लिए गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि नीति में बार-बार परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक निजी कम्पनी वीडियो कैसेट रिकार्डरों की एकमात्र लाइसेंस शुदा निर्माता कम्पनी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : वी० सी० आर० के उत्पादन के लिए वर्ष 1980-82 के दौरान संगठित तथा लघु उद्योग, दोनों ही क्षेत्रों की अनेक पार्टियों को औद्योगिक अनुमोदन जारी किए गए थे और प्रत्येक के लिए प्रतिवर्ष 500 वी. सी. आर. की उत्पादन-क्षमता अनुमोदित की गई थी । सरकार द्वारा दिनांक 21 मार्च, 1985 को इलेक्ट्रानिकी नीति से संबंधित जिन एकीकृत उपायों की घोषणा की गई थी, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रस्ताव किया गया था कि इलेक्ट्रानिकी विभाग अथवा उसके द्वारा नामित अभिकरण वी. सी. आर./वी. सी. पी. के लिए प्रौद्योगिकी की खरीद करेगा, जिसमें टेप डेक मेकेनिज्म के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी भी शामिल है । मई, 1985 में सरकार और उद्योग के बीच आयोजित बैठक मे व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने केन्द्रीकृत रूप से खरीद करने का विचार छोड़ देने का निर्णय किया । इस आशय की घोषणा 17 सितम्बर, 1985 को कर दी गई । उसके बाद, 25 अक्तूबर, 1985 को सरकार ने एक प्रेस नोट के जरिए वी. सी. आर./वी. सी. पी. के विनिर्माण के इच्छुक उद्यमकर्ताओं से एकीकृत आवेदन-पत्र आमंत्रित किए (अर्थात् औद्योगिक लाइसेंस और विदेशी-सहयोग दोनों के लिए) जिसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि केवल ऐसी पार्टियों को बढ़ावा दिया जाएगा जो एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के समुचित संघटक-पुर्जों का विनिर्माण करने के लिए पर्याप्त पूंजी-निवेश करने के लिए तैयार हैं और साथ ही उनके पास एक द्रुत एवं गतिशील चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम हो तथा जिनके पास परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की आंतरिक क्षमता विद्यमान हो । इसके उत्तर में निर्धारित तारीख अर्थात 24 जनवरी, 1986 तक 65 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । इन आवेदन-पत्रों की जांच इस समय एक अन्तर्विभागीय कार्य-दल द्वारा की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों का विकिरण से अनारक्षित रहना

5055. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में रडार परीक्षण के दौरान भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी ई एल) गाजियाबाद के अनेक कर्मचारी एक्स-रे विकिरण से अनारक्षित थे;

(ख) यदि हां, तो एक्सरे विकिरण से कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के विदेशी सहयोगकर्ता फ्रांस के मैसर्स थामसन सी एस एफ ने रडार परीक्षण के दौरान एक्सरे विकिरण से बचाव के लिए किन्हीं सुरक्षा उपायों के सुझाव दिये थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाई की गई ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) इस प्रकार के दुष्प्रभाव के कोई प्रमाण नहीं हैं। भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा की गई चार कर्मचारियों की चिकित्सा-परीक्षा से पता चलता है कि उनका स्वास्थ्य सामान्य है। इस पर क्रोमोसोम विश्लेषण किए जाने पर ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं मिला है कि रेडिएशन से वे क्रोमोसोम प्रभावित हुए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) फ्रांस के मैसर्स थामसन सी एस एफ ने एक्स-रे विकिरण से बचाव से लिए उपस्कर डिजाइन के भाग के रूप में लीड शील्डों का एक सैट शामिल किया है। तकनीकी साहित्य में हाई पावर/हाई वोल्टेज क्लीस्ट्रान ट्यूब के प्रयोग के संबंध में एक सांविधिक चेतावनी दी गई है।

(ङ) मैनेजमेंट उसी पद्धति को अपना रही है जिसे सहयोगकर्ता फर्में अपना रही हैं।

उड़ीसा में "रीजनल प्लांट रिसोर्स सेंटर"

5056. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "रीजनल प्लांट रिसोर्स सेंटर" "एकाम्र कानून" की स्थापना के लिए केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि दी गई;

(ख) "रीजनल प्लांट रिसोर्स सेन्टर" की स्थापना के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई थी; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) "एकाम्र कानन", उड़ीसा में आंचलिक पौध संसाधन केन्द्र की स्थापना हेतु केन्द्र ने कोई धनराशि प्रदान नहीं की है। आंचलिक पौध संसाधन केन्द्र में विशेष अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 3 वर्ष की अवधि हेतु 13,99,400/- रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

(ख) और (ग) तीन वर्षों के लिए 136.50 लाख रुपये की धनराशि मांगी गयी है जो इस प्रकार है :—

मांगी गयी धनराशि

(1) गैर-आवर्ती

1. जमीन की प्राप्ति, सफाई, श्रेणीकरण, चारदीवारी 30.00 लाख रुपये

2. भवन, कार्यालय की आवश्यकताएं, वाहन 35.00 लाख रुपये

3, प्रकाश व्यवस्था, ग्राम्य घरों का निर्माण, झील का विकास 13.50 लाख रुपये

4. लान का विकास, हरित पट्टी, झाड़ी, पौधशाला, सिंचाई प्रणाली 37.50 लाख रुपये

(ii) वेतन, यात्रा, कार्यालय के आकस्मिक खर्च का पहले साल का आवर्ती व्यय 3.5 लाख रुपये है तथा दूसरे एवं तीसरे साल के लिए 8.5 लाख रुपये है।

जानकारी एकत्र करने की स्वतंत्रता संबंधी विधान

5057. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र करने की स्वतंत्रता संबंधी विधान बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का इस प्रस्ताव पर विचार करने हेतु एक आयोग नियुक्त करने का विचार है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) **और** (ग) :—प्रश्न ही नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए धनराशि की मांग

5058. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उद्योगों की स्थापना करने हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो स्थापित किए जाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है और उस राज्य को कितनी अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा)

(क) से (ग) योजना आयोग को प्रस्तुत सातवीं पंचवर्षीय योजना के अपने प्रस्तावों में, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य क्षेत्रक में बड़े और मझौले उद्योगों के लिए 30350 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया। इन प्रस्तावों पर योजना आयोग में विचार-विमर्श किया गया। उपलब्ध संसाधनों और विभिन्न क्षेत्रकों की पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, 16,210 लाख रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सूचित उपर्युक्त परिव्ययों का स्कीमवार वितरण संलग्न है।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा 7 वीं योजना के लिए बड़े और मझौले उद्योगों के लिए प्रस्तावित स्कीमवार परिव्यय और अनुमोदित 7 वीं योजना परिव्यय का स्कीमवार विवरण

(लाख रु० में) सातवीं पंचवर्षीय योजना

स्कीमें/परियोजनाएं	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय *
1. उद्योग आयुक्त	6372.00	5170.00
2. आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक संरचना निगम	2000.00	800.00
3. आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम	1950.00	1500.00
4. आन्ध्र प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (आन्ध्र प्रदेश बिजली विकास निगम सहित)	8000.00	4800.00
5. राज्य लोक उद्यम ब्यूरो	150.00	100.00
6. नागार्जुन उर्वरक और रसायन		
7. गोदावरी उर्वरक और रसायन		
8. अन्य सरकारी कम्पनियां	5500.00	750.00
9. निजाम चीनी मिल लि०	1020.00	600.00
10. आन्ध्र प्रदेश अप्रवासी भारतीय निवेश निगम	300.00	140.00
11. चीनी निदेशालय	3000.00	1300.00
12. नागरिक पूर्ति निदेशालय	58.00	50.00
13. आधारभूत संरचनात्मक और जल सुविधाओं के लिए प्रावधान		
(1) विशाखापत्तनम इस्पात सयंत्र		
(2) रेनीगुंटा में कैरिएज वर्कशाप (सवारी डिब्बा)	2000.00	1000.00
(3) आडनेन्स फैक्टरी, मेडक		
	30350.00	16210.00

*स्कीमवार वितरण, राज्य सरकार द्वारा दी गई संरचना के अनुसार है।

"वन संपदा का संरक्षण"

5059. **श्री अजित कुमार साहा :**

श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने वन संपदा के संरक्षण के लिए कुछ निर्णय किये हैं जैसे राजस्थान सहित वनों के आसपास बसे कस्बों में खाना पकाने की गैस सप्लाई करना तथा नकदी फसलों या अन्य ऐसी ही फसलों की खेती के लिए वन भूमि न देना और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री जियाउर्रहमान अंसारी)

केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने अपनी 21वीं बैठक में वनों पर मौजूदा दबाव को कम करने के लिए जलाने की लकड़ी की जगह पर, बायोगैस, सौर ऊर्जा, आरे का बुरादा, कृषि अवशिष्टों की छीजन आदि जैसे अन्य ऊर्जा के स्रोतों के प्रयोग की सिफारिश की थी। बोर्ड ने संरक्षण के उपाय के रूप में ईंधन कुशल "चूल्हे" के उपयोग की भी सिफारिश की थी।

केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने इस बैठक में चाय, काफी, रबड़, इलायची इत्यादि की बागानी फसलों की खेती के लिए वृक्षाच्छादन वाले क्षेत्रों के दिक्परिवर्तन के खिलाफ भी संकल्प लिया।

अपाहिज और वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन

5060. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों और श्रमिकों सहित अपाहिज और वृद्ध व्यक्तियों को, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को, पेंशन देने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजनाएं हैं; और

(ख) क्या देश में ऐसे लोगों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) : जी, नहीं।

(ख) : जी, नहीं।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं चाहता हूं कि कि एक महत्वपूर्ण विषय को प्राथमिकता दी जाये। आज देश भर में समाचारपत्रों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं क्योंकि वेतन बोर्ड द्वारा उन्हें कोई अंतरिम वेतन वृद्धि नहीं दी गई। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सम्बद्ध मंत्री महोदय को वक्तव्य देने को कहें। कल संसद की कार्यवाही समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होगी। यहां तक कि पंजाब पर हुआ महत्वपूर्ण वाद-विवाद भी समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होगा। उन्हें इस सम्बंध में वक्तव्य देना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप समाचारपत्रों के कर्मचारियों की आज की हड़ताल के बारे में मंत्री जी से वक्तव्य देने को कहें। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आप केवल अपना सिर हिला रहे हैं किन्तु जो कुछ मैंने कहा उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। मंत्री महोदय भी आपकी बात सुन रहे हैं। मैंने पहले ही उनसे आपकी भावनाओं से अवगत करा दिया है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : कृपया आप विदेश मंत्री के वक्तव्य से संबंधित हमारी सूचना को देखेंगे। ब्रिटिश विदेश मंत्री यहां आए थे। उनसे कई बार बातचीत हुई और इस बारे में समाचार पत्रों में भी कुछ प्रकाशित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : हम उनसे बाद में पूछ सकते हैं ।

प्रो० के० के० तिवारी : ब्रिटिश विदेश मंत्री ने कहा है कि उनका देश भारत सरकार के साथ किसी प्रकार की प्रर्त्यापन संधि करने के लिए तैयार नहीं है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । बिल्कुल नहीं । इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है । नहीं । यह कोई विषय ही नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते । आप मुझे यह लिख दीजिए ।

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : दो केन्द्रीय मंत्री श्री ए० बी०ए० गनी खान चौधरी तथा श्री राजेश पायलट एक ऐसे राजमार्ग की शिलान्यास करने के लिए पश्चिम बंगाल गये थे जिसके लिए धन का नियतन नहीं किया गया है । यह एक गम्भीर मामला है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिख करके दे दें ।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : मैंने नोटिस दिया है । यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात का पता लगाऊंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे लिख कर दे सकते हैं । मैं इसे देखूंगा ।

श्री सी० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : कोयम्बटूर में, हाल ही में 116 कपड़ा मिलें बंद कर दी गईं । उन मिलों के 1.25 लाख श्रमिक हड़ताल पर हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है ? क्या बात है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह से कार्य नहीं चला सकता । कुछ नहीं होगा ।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख करके दे दें । मैं इसका पता लागाऊंगा । आप इस तरह से क्यों हो-हल्ला कर रहे हैं । आप मुझे लिखकर दे दीजिए । कोई बात नहीं । आप इस सम्बन्ध में उत्तेजित मत होइये । कृपया शांत रहिये ।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : आज श्रमजीवी पत्रकार हड़ताल पर हैं । **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : समाचार पत्रों के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए ।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : मैंने एक विशेषाधिकार का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पहले ही देख लिया है तथा मैंने इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा है। इस सम्बन्ध में मैं पहले ही कार्यवाही कर चुका हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मैंने भी नोटिस दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों अर्थात बी० बी० जे० बर्न स्टेंडर्ड वैगन और जेसोप में 3700 श्रमिकों की छंटनी होने वाली है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप इस बारे में मुझे विवरण दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगाऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 3700 श्रमिकों की छंटनी करने का प्रस्ताव है। यह अत्यंत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत गम्भीर मामला है। आप इस पर चर्चा करने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा अथवा आप नियम 377 के अंतर्गत सूचना दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : 377 से क्या होगा।

[अनुवाद]

इससे भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पता तो करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैंने भी एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हमने इसे तथ्यों के लिए भेज दिया है। मैंने तथ्य मगवाए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें। आपस में बातचीत न करिए।

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : भारत इलैक्ट्रानिक्स के खिलाफ सुनियोजित ढंग से प्रचार किया जा रहा है······ **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : मेरे नोटिस का क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : हमें सूचना प्राप्त हो गई है।

श्री सी० पी० ठाकुर : भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० के खिलाफ सुनियोजित ढग से प्रचार किया जा रहा है। वहां काफी विकिरण हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे को उठाने के लिए यह मंच नहीं है।

श्री सी० पी० ठाकुर : इसकी जांच की जानी चाहिए। महोदय यह राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रो० मधु दण्डवते : समाचार पत्रों के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में, मंत्री जी आगे आकर इस संबंध में कुछ कहते क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : भगतजी प्रो० दण्डवते आपका ध्यान हड़ताल की ओर दिला रहे हैं। अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री पी० वी० नरसिंह राव।

12.06 म० प०

सभा–पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार एवं अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 198?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी नरसिंह राव) : मैं मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित नियम 1952 की धारा 11 की उप धारा (2) के अंतर्गत मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार एवं अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1986 जो प्रारूप अधिसूचना संख्या 10/4/85-एम० एड० जी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2346/86]

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): हमें सुनाई नहीं दे रहा कि मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : भगतजी, आपको कुछ कहना है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं कि सरकार ने एक आयोग नियुक्त करने का निर्णय लिया है तथा सरकार इस आयोग की सिफारिश की प्रतीक्षा कर रही है। सरकार ने हमेशा ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सरकार ने पत्रकारों की वास्तविक कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति दिखाई है और सरकार ने एक आयोग नियुक्त का निर्णय लिया है। बस मुझे इतना ही कहना है। हम इस आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने गलत जानकारी दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आयोग की नियुक्ति नहीं की गई बल्कि एक वेतन बोर्ड बनाया गया है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यह जानकारी वेतन बोर्ड के सम्बन्ध में है। एक गलत बात कार्यवाही वृतांत में शामिल की जायेगी। आयोग का तो सवाल ही नहीं उठता। एक वेतन बोर्ड बनाया गया है। कृपया सही वक्तव्य दें।

जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं वर्ष 1986-87 की जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2347/86]

रक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें;

रक्षा सेवा प्राक्कलन, 1986-87

रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) वर्ष 1986-87 की रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2348/86]

(दो) रक्षा सेवा प्राक्कलन, 1986-87 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2349/86]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कार्मिक तथा जन शिकायतें तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1986, की एक प्रति जो 22 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 216 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1986, जो 22 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 218 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2350/86]

— — — —

12.08 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सोलहवा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं मैं शीघ्र ही वह सुझाव सम्बन्धित मंत्री के ध्यान में लाऊंगा और जब भी मंत्री महोदय उचित समझेंगे वे इस बारे में कुछ कहेंगे।

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : महोदय, इसमें बहुत विलम्ब हो गया है।

श्री एच०के०एल० भगत : मंत्री महोदय जब उपयुक्त समझेंगे तो वह इस सम्बन्ध में कहेंगे।

12.09 म०प०

भोपाल गस पीड़ितों के मुआवजे के दावों को न्यायालय से बाहर निपटाने के लिए यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन की कथित योजनाओं के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : समाचार पत्रों में ऐसे समाचार छपे हैं जिनमें यह बताया गया है कि यूनियन कार्बाइड ने निजी दावेदारों के न्यायवादियों के साथ एक अनन्तिम समझौता कर लिया है। सरकार ने प्रेस में यथा सूचित किसी समझौते को अनुमोदित नहीं किया है। सरकार ऐसा कथित समझौता करने की निजी दावेदारों की सक्षमता को न तो मान्यता देती है न ही सरकार उससे बाध्य है। सरकार कथित समझौते की राशि को पर्याप्त या उचित या स्वीकार्य नहीं समझती। सरकार केवल उसी राशि के लिए समझौता कर सकती है जो सभी आहतों को पूर्ण तथा न्यायसंगत मुआवजा प्रदान करे तथा सम्पति और पर्यावरण के लिए क्षतिपूर्ति करे। इस बात पर जोर देना अनावश्यक है कि तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता जब तक कि सरकार उस में एक पक्षकार न हो और उस संबंध मे अपनी सहमति प्रदान न करे। केवल सरकार ही "पेरेन्स पेटराइ" की अपनी हैसियत में तथा भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों) की प्रक्रिया) अधिनियम, 1985 के अधीन सभी आहतों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इसके अतिरिक्त आहतों ने भोपाल गैस रिसाव मामले में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार के पक्ष में प्राधिकरण दिए हैं।

मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि आहतों तथा जनता के हितों की पूरी तरह रक्षा करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं और किए जाएंगे।

(श्री इन्द्रजीत गुप्त बसिरहाट) : क्या यह 21वीं सदी में होगा ? पहले ही एक से अधिक वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। आप जाइए और उन लोगों की दशा देखिए।

अध्यक्ष महोदय : इस पर बाद मे विचार किया जा सकता है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : यह भी बताया गया है कि यूनियन कार्बाइड अपनी परिसम्पति हस्तांतरित कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। वे भी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने उस दिन यही कहा था।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : यूनियन कार्बाइड अपनी परिसम्पत्ति हस्तांतरित कर रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यूनियन कार्बाइड किसी समझौते के लिए सहमत नहीं हुई, यह सच है। परन्तु कम्पनी टालमटोल करने का प्रयास कर रही है। उन्हें हमें यह बताना चाहिए कि वह क्या कदम उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने उस दिन सभा में बताया था कि वह उनके संरक्षण के लिए पूर्ण उपाय कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह हमें अमरीका के न्यायालयों तक ले गए हैं और अब कम्पनी टालमटोल करने का प्रयास कर रही है.........

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बात कर लें।

[अनुवाद]

आप बाद में भी विचार विमर्श कर सकते हैं।

श्री इंद्रजीत गुप्त : पहले ही सोलह महीने बीत गए हैं और किसी को भी कुछ नहीं मिला।

श्री सुरेश कुरूप : हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार अमरीका की न्यायालय में परिसंम्पत्ति के हस्तांतरण के विरोध में दावा कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, परिसमापन के प्रयास कौन से हैं, जिनके लिए वह कोशिश कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : हम अपने हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सभी सम्भव कानूनी कदम उठा रहे हैं।

———

12.11 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) महानगरों को प्रदूषण के संकट से बचाने के लिए उपयुक्त कानून बनाकर उपाय करने की आवश्यकता

श्री अनूपचंद शाह (बम्बई उत्तर) : बम्बई में बहुत सी औद्योगिक यूनिटें हैं, जिनसे आवासीय क्षेत्र में बहुत प्रदूषण होता है। वर्तमान कानून के अनुसार, राज्य सरकारों के लिए

ऐसी औद्योगिक यूनिटों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना कठिन है। भारत सरकार को इस मामले की गम्भीरता से जांच करनी चाहिए तथा सम्पूर्ण देश के लिए महानगरों को प्रदूषण से रोकने के लिए उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए। बम्बई में, गोरेगांव एक में टायरों की फैक्ट्री है, जिससे उस क्षेत्र में बहुत प्रदूषण होता है। लोगों के लिए उस क्षेत्र में रहना बहुत कठिन है। यदि सरकार ने कड़ी कार्यवाही नहीं की तो निकट भविष्य में इस फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।

मैं माननीय पर्यावरण मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की गम्भीरता से जांच करें और शीघ्र ही प्रभावी विधेयक पुरस्थापित करें तथा राज्य सरकारों को ऐसे औद्योगिक एककों के प्रति अधिक प्रभावी तथा कड़ी कार्यवाही करने के लिए आवश्यक अनुदेश दें।

(दो) स्वर्गीय गोदावरीश मिश्र सहित देश के जन आंदोलन के महान् नेताओं की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी करने की आवश्यकता

श्री बृजमोहन महंती (पुरी) : महोदय, स्वर्गीय गोदावरीश मिश्र तथा स्वर्गीय नीलकण्ठ दास स्वतन्त्रता आन्दोलन के अग्रणी नेता थे तथा उड़ीसा और देश में स्वतन्त्रता संग्राम में उनका योगदान प्रेरणादायक है। वे उड़िया आन्दोलन के मुखिया थे और उड़ीसा को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने उड़ीसा की सम्पन्न सांस्कृतिक परम्परा को नया रुप प्रदान किया तथा राज्य के सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पुनः अवलोकन किया। उन्होंने सामाजिक तथा धार्मिक सुधारवादी आन्दोलन आरम्भ किया जिससे उड़ीसा के लोगों में नई चेतना पैदा हुई। वह नवीन उड़ीसा के निर्माता थे। वह उस युग के विख्यात उड़िया लेखक थे। वह देश के उत्कृष्ट सांसद थे जिन्होने संसद तथा राज्य विधान मंडल में वाकपटुता का नया रिकार्ड कायम किया। वह राष्ट्र तथा सामान्य जनता के हितों के दृढ़ समर्थक थे।

स्वर्गीय गोदावरीश मिश्र की शताब्दी इस वर्ष मनायी जा रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार देश के जन आन्दोलन के महान नेताओं की स्मृति में डाक टिकट जारी करे।

12.14 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(तीन) आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले के तम्बाकू उत्पादकों को तत्काल राहत देने की आवश्यकता

श्री श्रीहरि राव (राजामुन्द्री) : आन्ध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले के तम्बाकू उत्पादकों को उनकी फसल नष्ट हो जाने से गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण तम्बाकू की पैदावार कम हो रही है। तथापि, वहां तम्बाकू की किस्म अच्छी होती है।

परन्तु भारत सरकार द्वारा तम्बाकू की खरीद का अधिकतम समर्थन मूल्य केवल 1250/ रुपए प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है। वास्तव में, किस्म की दृष्टि से, जैसा कि पहले था, यह 1800/- प्रति क्विंटल से कम नहीं होना चाहिए। परन्तु किसानों को नीलामी के दौरान खरीददारों की सांठ-गांठ के कारण 1250/- प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य भी प्राप्त नहीं होता। यह खरीददार अधिकतर विदेशों को तम्बाकू का निर्यात करते हैं जिसके लिए सरकार ने उन्हें निर्यात

क्रयादेश दिए हैं। किसानों को पूर्ण विनाश, भुखमरी तथा मृत्यु से बचाने के लिए ऐसे व्यापारियों तथा निर्यातकों के लाइसेंस तुरन्त रद्द कर दिए जाने चाहिए। किसानों ने पहले से ही हड़ताल की हुई है, जो अभी और बढ़ेगी तथा और समस्याएं उत्पन्नहोंगी।

तम्बाकू की बिक्री का एक स्थल तोरेडु है, जहां प्रतिदिन 25 लाख रुपए मूल्य के तम्बाक की नीलामी होती है। यह नीलामी 3 माह तक जारी रहती है, इस दौरान 20 करोड़ रुपए मूल्य का व्यापार होता है। किसानों ने, उन्हें होने वाले घाटे के कारण अपनी फसल बेचना बन्द कर दिया है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले की स्वयं जांच करें तथा आन्ध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले के तम्बाकू उत्पादकों को तत्काल राहत प्रदान करें।

(चार) रेल डाक सेवा कार्यालयों तथा शाखा डाकघरों को बन्द करने के निर्णय पर पुर्नविचार किये जाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : महोदय, देश भर में रेल डाक सेवा (आर०एम०एस०) बन्द करने के सरकार के हाल के निर्णय के कारण लाखों लोगों को डाक द्वारा भेजी गई अपनी डाक तथा वस्तुएं प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों तथा भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अकेले उड़ीसा डाक (पोस्टल) सर्किल में 1-3-86 से ऐसे पांच रेल डाक सेवा कार्यालय बन्द कर दिए गए हैं। ऐसा ही मामला शाखा डाक घरों का भी है। आमतौर पर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित ऐसे सैकड़ों शाखा डाक घरों को 10 से 50 हजार तक के न लौटाये जाने वाले अंशदानों (एन०आर०सी०) को 10 दिनों के अन्दर जमा करा देने के नोटिस जारी किए गए हैं, जिनके जमा न करने से इन डाक घरों को स्थायी रूप से बन्द कर दिया जाएगा, यद्यपि ऐसे अधिकांश शाखा डाकघर 30 वर्ष से भी ज्यादा समय मे सुचारु रूप से समय से कार्य कर रहे हैं। प्रारम्भ में 'न लौटाए जाने वाले ऐसे अंशदानों' को जमा कराने की ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई थीं रेल डाक सेवा कार्यालय बन्द करने के बाद यह अनुभव किया गया है कि 3 दिनों के भीतर प्राप्त डाक को वितरण करने में 7 से 8 दिन लगेंगे। इसके अलावा, डाक विभाग का यह निर्णय ग्राम उत्थान की सरकार की घोषित नीति को पूर्णतया त्याग देना है।

ऐसी परिस्थितियों में मैं माननीय संचार मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मालले पर पुनर्विचार करें और बन्द किए जा चुके रेल डाक सेवा कार्यालयों तथा शीघ्र बन्द किए जाने वाले शाखा डाकघरों को विगत की तरह कार्य करने की अनुमति दी जाए क्योंकि ऐसे सभी रेल डाक सेवा कार्यालय तथा शाखा डाक घर सभी विद्यमान मानदण्डों को पूरा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

(पांच) बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में लोगों को पेयजल की आपूर्ति करने की योजनाएं प्रारम्भ करने के लिए राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रान्त का मरु क्षेत्र पीने के पानी के भयंकर संकट से प्रभावित है। मरू क्षेत्र का भी थार क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर

एवं बीकानेर एवं नागौर में कम वर्षा होने के कारण पीने का पानी या तो बड़ा गहरा और खारा है, या बिल्कुल पीने का पानी नहीं है या बिल्कुल कम पानी है। सिर्फ बहुत कम क्षेत्र में नलकूप सफल हुए हैं जिनसे ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाए बनी हैं।

केन्द्र सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश के सभी नगरों एवं ग्रामों में पीने का पानी पहुंचाने का निर्णय लिया है, परन्तु इन मरू क्षेत्र में जब तक इन्दिरा गांधी नहर से पीने के पानी की योजना बनाकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं बीकानेर जिलों में लिफ्ट फ्लो केनाल से पानी नहीं पहुंचाया जाता तब तक स्थायी हल नहीं हो सकता।

इतना बड़ा कार्य केन्द्र सरकार की विशेष सहायता के बिना नहीं हो सकता।

अत: केन्द्र सरकार से निवेदन है कि राजस्थान सरकार को आग्रह करे कि वे तुरन्त इन्दिरा गांधी नहर के मेन केनाल पोकरण लिफ्ट केनाल, बाड़मेर लिफ्ट केनाल, फलोदी-कोलायत लिफ्ट केनाल एवं फ्लो केनाल सागरमल गोधा एवं बीरबल ब्रांच से पीने के पानी की योजनाएं बनायें ताकि जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पोकरण, फलोदी, बालोतरा, सिवाना आदि नगरों एवं सभी ग्रामों में पीने का पानी पहुंचा कर स्थायी हल किया जा सके और इन योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार शत-प्रतिशत सहायता प्रदान करे।

(छः] स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हरिजनों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, आवास स्थल आवंटित करने तथा स्व- रोजगार योजनाओं के लिए उन्हें पर्याप्त धनराशि देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष श्री गंगानगर जिले में हरिजनों के निमित्त बनाये गये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं का अमलीकरण ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा सही ढंग से नहीं किया जा रहा है।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत बेरोजगार हरिजन स्नातक एवं उत्तर स्नातकों एवं अन्य शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार के निमित बैंकों से ऋण नहीं दिया जाता है, न ठीक ढंग से अनुदान की व्यवस्था की जाती है। परिणामस्वरूप शिक्षित हरिजन बेरोजगारों में निराशा व्याप्त है। निराशा से अन्य हरिजन छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में उदासीनता उत्पन्न होती है। उदासीनताजन्य बातावरण सभी ग्रामीण हरिजनों के शिक्षा प्राप्त करने में बाधक हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों को आवासीय भूखण्ड कनई नहीं मिल पाने से एक भयंकर आवासीय समस्या खड़ी हो गई है। शहरी क्षेत्रों के आवासीय भूखण्ड आवंटन में जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण किया जाना अत्यन्त आवश्यक होगा।

राजस्थान सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार भी गरीब को छप्पर की योजना है जिसे ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। अत: मैं भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम हरिजनों को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से आवासीय भूखण्ड दिलवाने की व्यवस्था करावें। साथ ही बेरोजगार हरिजन शिक्षितों को सरकारी रोजगार के अतिरिक्त स्व-नियोजन के लिए समुचित धनराशियों की व्यवस्था स्पेशल कम्पोनेंट मे कराई जाये।

[अनुवाद]

(सात) केरल में इलैक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री के० मोहनदास (मुकन्दपुरम्) : उपाध्यक्ष महोदय, केरल, केन्द्र द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश न किए जाने के कारण औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा राज्य है। अतएव, राज्य में अपेक्षित औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया है। इससे केरल का आर्थिक विकास रुक गया है और बेरोजगारी को बढ़ावा मिला है। इस स्थिति में परिवर्तन किया जाना है।

केन्द्र सरकार के पास इलैक्ट्रानिक उद्योग को बढ़ावा देने की एक योजना है। इलैक्ट्रानिक उद्योग के लिए बजट में अनेक रियायतों की घोषणा की गई है। इलैक्ट्रानिक उद्योग के कई लाभ हैं, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पूर्णतः प्रदूषण रहित है। पर्याप्त संख्या में इलैक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने के लिए केरल बहुत ही उपयुक्त स्थान है। एक तरफ, इससे बेरोजगारी की समस्या सुलझेगी और दूसरी तरफ राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

अतएव, केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह केरल के लिए विशेष आवंटन स्वीकृत करे ताकि वह राज्य में इलैक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना कर सके।

12.22 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87 [जारी]

इस्पात और खान मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब इस्पात और खान मंत्रालय से सम्बद्ध अनुदान मांगों पर और आगे चर्चा तथा मतदान करेगी।

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक अपना भाषण जारी रखें।

* **श्री पूर्णचन्द्र मलिक (दुर्गापुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस्पात उद्योग पर अपनी चर्चा को फिर से प्रारम्भ कर रहा हूं। कल मैं सलेम इस्पात संयंत्र के प्रबंधकों के स्वेच्छाचारी रवैये के बारे में कह रहा था। यहां 'सीटू' समर्थित ट्रेड यूनियन काफी मजबूत है। 'कैन्टीन कमेटी' के पिछले चुनाव में 'सीटू' यूनियन' ने 70 प्रतिशत सीटें जीती थीं। उसी के कारण प्रबन्धकों ने श्रमिकों के प्रति असहयोग और आक्रामक रुख अपनाया है। सितम्बर, 1985 में श्रमिकों ने केवल एक दिन की हड़ताल की थी लेकिन प्रबन्धकों द्वारा इस कारण से उनका 8 दिन का वेतन काटा गया था। क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की ओर ध्यान देंगे कि प्रबन्धक अपने इस असहयोगपूर्ण रवैये को बदलें ? अन्यथा आगामी दिनों में उत्पादन में गम्भीर रुकावट आने की संभावना है।

महोदय, अब मैं इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। यह हमारे देश का एक बहुत ही पुराना इस्पात एकक है। इसकी स्थापना हमारे देश के आजाद होने से काफी पहले निजी उद्यमियों द्वारा की गई थी। केन्द्र सरकार ने 1972

* मूलतः बंगाल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

में एक रुग्ण उद्योग के रूप में इसका अभिग्रहण किया था। लेकिन आज भी यह एक रुग्ण उद्योग बना हुआ है। भारत सरकार इस एकक को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए अभी तक कोई स्पष्ट तथा सुपरिभाषित कदम नहीं उठा पाई है। विशेषज्ञों के कई दल कई बार इस एकक का दौरा कर चुके हैं और इस एकक के आधुनिकीकरण के लिए सरकार को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं। लेकिन अभी तक उनमें से कोई प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किया गया है। सम्भवतः सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसकी कोयले की भट्ठी के सुधार के लिए कुछ धन की व्यवस्था की गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कम से कम 'सिन्टारिंग' संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए ही तुरन्त कुछ निधियों का आवंटन करें। हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1973 में कर्नाटक के विजय नगर में एक नए इस्पात संयंत्र का शिलान्यास किया था। तब से 13 वर्ष गुजर चुके हैं लेकिन शिलान्यास वैसा का वैसा ही पढ़ा है। इस 13 वर्ष की लम्बी अवधि में आगे और कार्य-वाही नहीं की गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस संयंत्र के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। लेकिन यह उपहासास्पद-सा लगता है। मात्र 10 करोड़ रुपए से क्या हासिल हो सकता है। यह धनराशि इसकी संस्थापना लागत और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में खर्च हो जाएगी। इसका उपयोग आगामी चुनावों में केवल मत हासिल करने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में ही किया जा रहा है।

महोदय, हमारे खान उद्योग की स्थिति अभी भी काफी दयनीय बनी हुई है। हमारे देश में सभी खनिज जैसे लोहा, जस्ता, अभ्रक, तांबा, बाकसाइट, डोडामाइट अल्यूमिनियम, टीन, मेंगनीज आदि भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। इन खनिजों के पृथ्वी के गर्भ में पर्याप्त भण्डार मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि हमारी सरकार के पास उनकी खोज और दोहन के लिए कोई सुनिर्धारित तथा स्पष्ट योजनाएं नहीं हैं, हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं और 20वीं शती के अन्त में भी हम उनका अभी भी आयात कर रहे हैं। सातवीं योजना में भी इस उद्योग के विकास के लिए कोई नई परियोजनाएं अथवा योजनाएं नहीं हैं।

महोदय, हमारे देश में मोटे तौर पर 400 लाख मी० टन० लौह-अयस्क का उत्पादन होता होता है। इसमें से लगभग 220 लाख मी० टन अन्य देश को निर्यात कर दिया जाता है। हमारे कुल उत्पादन के आधे से भी कम का हमारे अपने इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। हमारे देश में उपलब्ध लौह-अयस्क अधिकांश अन्य देशों की तुलना में उत्कृष्ट श्रेणी का है। यदि इस कच्चे माल का उपयोग हमारे अपने देश में इस्पात उद्योग का निर्माण करने के लिए किया जाता तो भारत इस्पात के मामले में आत्म-निर्भर बन गया होता। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम लौह-अयस्क का निर्यात कर रहे हैं और अन्य देशों से तैयार इस्पात का आयात कर रहे हैं।

किसी भी देश की शक्ति और विकास का आकलन इसके द्वारा उत्पादित इस्पात के अनुसार किया जाता है। भारत में इस्पात का प्रति व्यक्ति उत्पादन 15 किलोग्राम से भी कम है, जबकि सोवियत यूनियन में इसका उत्पादन प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 200 कि० ग्राम से भी ज्यादा है।

चीन में भी जो हमसे दो वर्ष बाद आजाद हुआ और जिसकी जनसंख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा है, उस चीन ने पिछले वर्ष 470 लाख टन इस्पात का उत्पादन किया है। इसकी तुलना में भारत ने उसी अवधि में लगभग 110 लाख टन का उत्पादन किया। वर्तमान शताब्दी के पूरी होने पर जब भारत लगभग 220 लाख टन इस्पात का उत्पादन करेगा तब चीन लगभग 900 लाख टन इस्पात का उत्पादन करेगा। इस्पात के उत्पादन में हमारा पीछे रहने का कारण हमारी सरकार की आयातोन्मुखी औद्योगिक नीति है। पिछले वर्ष भी हमने 1200 करोड़ रुपए मूल्य के इस्पात का आयात किया। हमारे देश में जब तक आयात लाबी शक्तिशाली बनी रहेगी तब तक हम इस्पात के उत्पादन में कभी भी आत्म-निर्भरता प्राप्त नहीं कर सकते। समाजवादी देशों में इस आश्चर्यजनक प्रगति को कैसे संभव बनाया जा रहा है। समाजवादी देशों में उत्पादन के साथ-साथ वितरण प्रणाली का सामाजिक चरित्र को भी उनकी नीति में परिलक्षित होता है। उसके परिणामस्वरूप, वहां स्वचालन कम्पयूटरीकरण पंजीकरण, आधुनिकीकरण आदि के शुरू करने से वहां सुख-समृद्धि आ गई है न कि अभिशाप बन गया है जैसा कि हमारे देश में है। प्रौद्योगिकी के उन्नत होने तथा उत्पादन के आधुनिक तरीकों के शुरू करने से वहां कामगारों को फालतू घोषित नहीं किया जाता है और न ही वहां कामगारों की छटनी की जाती है जैसा कि हम अपने देश में देखते हैं। इसके बदले में कामगारों को लाभ मिलता है और तदनुसार उनके काम के घंटे कम कर दिए जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी आर्थिक नीति तथा औद्योगिक नीति हमारे औद्योगिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन है। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद और लाखों मजबूत हाथों के बावजूद हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है और बेरोजगार युवकों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

बहुराष्ट्रिकों, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि पर हमारे देश की निर्भरता के फलस्वरूप हमारी आर्थिक नीति वास्तव में दिन-प्रति-दिन साम्राज्यवादी शक्तियों पर निर्भर होती जा रही है। यहां तक कि आज भी भारत को विदेश ऋणों के ब्याज के रूप में करोड़ों रुपयों का भुगतान करना है। महोदय, पिछले 38 वर्षों में हमारे इस्पात और खान उद्योग का इतिहास यह है और इसी कारण से मैं इस्पात और खान मंत्रालय की मांगों का समर्थन नहीं कर सकता।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया।

[हिन्दी]

श्री मनकू राम सोढी (बस्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। हमारे देश में जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें सबसे अधिक खनिजों की अपार सम्पति है और ऐसे स्थानों में जहां पर ज्यादातर हमारे आदिवासी निवास करते हैं और उस जगह में आज इस सम्पत्ति की रक्षा में उन्होंने अपने जीवन का अब तक का जो भी समय था उसमें जो भी सम्पत्ति अर्जित की जिसको वे अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को यह मानकर देते कि यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है, उस धरोहररूपी सम्पत्ति से उनको लाभ मिलेगा, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज जो विकट परिस्थितियां इन कारखानों

से निर्मित हुई हैं, वे यह हैं कि इन स्थानों में जो लोग वर्षों से बैठे हुए हैं, उन लोगों को इन कारखानों को लगाते समय अन्य जगह पर विस्थापित कर दिया जाता है। लेकिन विस्थापित करते समय उन्हें उनकी जमीन का प्रापर मुआवजा नहीं मिलता है और उनकी जो पूर्वजों की बनाई गई सम्पत्ति है, उसका बहुत ही कम मुआवजा मिलता है जिसको लेकर वे अन्य जगह में बसते हैं। उन अन्य जगहों में उनके बसने के लायक स्थान न बनने से वे हमेशा के लिए दर-दर भटकने की स्थिति में हो जाते हैं और उस ढंग से उस सम्पत्ति से जो पैत्रक सम्पत्ति उनकी है और जिसे वे आने वाली अपनी जनरेशन को इस उद्देश्य से देते हैं कि वह उनके काम आएगी, वे उसको अपनी अगली पीढ़ी को नहीं दे पाते हैं, जिससे उनको बहुत दुख होता है उससे उनको सुख मिलने के बजाय हमेशा-हमेशा के लिए तकलीफ मिलती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की, मध्यप्रदेश के बसतर जिले की बैलाडीला खान के बारे में कहना चाहता हूं जहां से आइरन और दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। उस क्षेत्र में जो आदिवासी निवास करते थे और उनको अपने स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों में जाने को मजबूर होना पड़ा, उस जगह में आप देखेंगे कि उनकी जो सम्पत्ति है, जो उनके पूर्वजों ने अर्जित की थी, उसका जो भी मुआवजा बना, मिला वह बहुत ही कम रेट से मिला और कम रेट से मिलने के कारण वे आज तक अपना स्थान नहीं बना पाए हैं जबकि उन्हें विस्थाथित हुए पन्द्रह-बीस साल हो गए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी जगह में जहां पर ये खदान मिलती हैं, उन जगहों में कारखाना लगाने से पहले उस जगह का विकास करना चाहिए और उस जगह के आसपास का जितना भी क्षेत्र है, उसमें जो रहने वाले लोग हैं, उनको उस विकास से सुविधायें मिलनी चाहिएं ताकि कारखाना लगने के बाद आने वाले समय में जो भी परिस्थितियां पैदा हों, उनका वे मुकाबला कर सकें और उसमें सहभागी हो सकें। उस दृष्टि से उस क्षेत्र का विकास करना चाहिए। पहले विकास करके उसके बाद ही ऐसी खदानों और कारखानों का निर्माण करना चाहिए। ऐसी जगहों में जो सालों से आदिवासी रह रहे हैं उनकी दैनिक निस्तार की आवश्यकतायें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। मैं मध्यप्रदेश के बैलाडीला के किरंदुल कारखाने के बारे में कहना चाहता हूं वहां पर पानी से आइरन ओर साफ किया जाता है और उस पानी को नदी में बहा दिया जाता है जिसके कारण नदी के किनारे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको गंदा पानी मिलता है, लाल पानी मिलता है। वह पानी पीने के उपयोग में भी नहीं आता है और जानवरों के निस्तार के लिए नहीं होता है और न ही खेती की सिंचाई के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ऐसे स्थानों में जब भी खदान का काम आरम्भ किया जाता है उसी वक्त इन चीजों को देखना चाहिए जिससे वहां पर पीढ़ियों से रहने वाले आदिवासियों को ये खदानें उनके जीवन के निस्तार में दुखदाई न बन जायें। क्योंकि वहां पर जो भी कारखाने आरम्भ हुए और उनमें मजदूरी करने वाले हमारे आदिवासी लोग गए, उनका उपयोग इस ढंग से किया गया कि उस बारे में अनेक प्रकार की शिकायतें मिलीं। उन शिकायतों में सबसे दुखदायी शिकायत यह थी कि वहां के आदिवासी लोगों को नौकर के रूप में घरेलू काम के लिए रखा गया और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया कि जब उनके बच्चे और अविवाहित लड़कियां घर के काम के लिए जाते थे तो उनके साथ गलत व्यवहार हुआ और उन लड़कियों के साथ गलत सम्बन्ध किये, जिसकी वजह से उन

लड़कियों के परिवारों को उस इलाके में काफी परेशानी भुगतनी पड़ी और उन सैकड़ों नवयुवती लड़कियों के लिए इस ढंग का वातावरण बना जिसमें उनको अपनी जाति और समाज से दूर होना पड़ा। आज भी दन्तेवाड़ा के स्थान में निराश्रित आश्रम खोलकर ऐसी सैकड़ों लड़कियों को, जो कि समाज से बहिष्कृत हुई हैं, उसमें रखने की व्यवस्था की जा रही है।

मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर यह खदान खोदे जाते हैं, उससे पेश्तर उस एरिये में कुछ ऐसे विकास के कार्य करने चाहिये जिससे खदान का काम शुरू होने के बाद जो परिस्थितियां आयें, उस में लोगों को परेशानी न हो और सभी सहभागी हो सकें। उसमें वह भी मददगार बनें, इस ढंग से करना चाहिए।

इसके साथ ही हमारे बस्तर जिले में दन्तेवाड़ा और कोंटा तहसील में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहां पर कुछ तस्कर लोग हमारे आदिवासियों को काम के अभाव में टीन का स्मग्लिंग करने का व्यवसाय सिखा रहे हैं और हमारे आदिवासी लालच में आकर उस राष्ट्रीय सम्पत्ति को चोरी करने में शामिल हो रहे हैं।

मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि उस क्षेत्र में एक ऐसा कारखाना निर्मित करे जिसमें वह रा मैटीरियल को पहली स्टेज का और बनाकर निर्यात करने लायक बना सके। इस तरह से वहां जो रोज सकड़ों चोरी की वारदातें हो रही हैं, वह खत्म हो सकें और लोगों को उचित दाम मिल सकें जो कि रात-दिन वहां पर टोन की चोरी करने में लगे हुए हैं और उनकी नियत में राष्ट्रीय संपत्ति की चोरी की बात न आये। इस तरह से यह चोरी समाप्त होगी और वहां पर टीन का ठीक तरह से दोहन हो सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : प्रारम्भ में, मैं समझता हूं कि यह बताना एकदम प्रासंगिक है कि आज मेरे बहुत से साथियों ने बोलने को क्यों प्राथमिकता नहीं दी है इसका एक कारण पत्रकारों को अंतरिम सहायता देने में विलम्ब है और उनकी हड़ताल··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वे श्रमिकों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उसके अलावा, इस्पात और खान वह क्षेत्र है जिसके आधार पर हम प्रायः सरकारी क्षेत्र की शानदार प्रगति का उल्लेख करते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि सरकारी क्षेत्र का अर्थव्यवस्था पर वास्तव में कितना नियंत्रण है। वास्तव में, हमारी स्थिति यह है कि जहां यदि कोई व्यक्ति इस्पात की विद्यमान खपत का सामान्य आकलन करता है और इसे पांच साल आगे रख देता है और इस्पात के विकास की हमारी विद्यमान योजनाओं को देखता है, तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हम 1990 में लगभग 50 अरब डालर खर्च करेंगे······ **(व्यवधान)**

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : कितने रुपए ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : ठीक है, आप इस संख्या को 12 से गुणा कर सकते हैं। मैं समझता यह मानता हूं कि यह संख्या 12 ही है। मैंने रुपयों में इसलिए नहीं कहा क्योंकि रुपए का मूल्य पिछले पांच वर्षों में कई बार घटा बढ़ा है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता लेकिन कोई बात नहीं, मेरे द्वारा यह संख्या डालरों में देने का सामान्य-सा कारण यह है कि मैंने इसका

अनुमान 4000 डालर प्रति टन लगाया है, यह वह दर है जिस पर हम इसका आयात कर रहे हैं और जो मेरे अनुमान से पांच वर्षों के बाद 6000 डालर प्रति टन हो जाएगी और उस समय तक जिस ढंग से अर्थ व्यवस्था चल रही है उस ढंग से 19रुपए एक डालर के बराबर हो सकते हैं। लेकिन, निश्चित रूप से हम भुगतान शेष के कम होने की बात कर रहे हैं, जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है, हम बहुत ही खराब अड़चनों की बात कर रहे हैं। यह कैसे सम्भव हो सकता है कि हम इतनी मात्रा में इस्पात के आयात को टाल सकते हैं, जब तक हम इस्पात के क्षेत्र में काफी विकास नहीं कर लेते हैं। जब कभी हम किसी संयंत्र के विस्तार की बात करते हैं अथवा यहां तक कि विद्यमान परियोजनाओं की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि संसाधनों की कमी है। हमें लगातार यह बताया जाता है कि सरकारी क्षेत्र के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है और इसे धनराशि अपने क्षेत्र से ही जुटानी है। क्या यह सरकारी क्षेत्र के लिए सम्भव है कि वह ये धनराशि को जुटाए जब तक कि इसे वास्तविक रूप से कार्य करने की स्वायत्तता न दी जाए? यदि इस्पात और खान मंत्रालय में बैठे विभिन्न नौकरशाह सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के दिन-प्रति-दिन के कार्यकरण के बारे में बेकार की बातों पर अपनी टांग अड़ाएं तो क्या यह सम्भव होगा कि ये सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कभी काम कर सकेंगे? इसलिए, मैं इस विभाग के दोनों मंत्रियों से यह अपील करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रथमतया सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए तथा दूसरे इन्हें और अधिक जिम्मेदारी सौंपी जाए। आज नौकरशाहों के हस्तक्षेप के कारण उनकी जवावदेही भी घट रही है। वे स्थिति बदल सकते हैं और सरकारी क्षेत्र की संचालन करने वाले तकनीकी विदों से यह कह सकते हैं कि "जी, नहीं, हम जिम्मेदार नहीं हैं; हमें बहुत खेद है क्योंकि हमने यह प्रस्ताव पेश किया और मंत्रालय ने इसे वापस कर दिया, अथवा मंत्रालय ने इसे पांच वर्षों तक अथवा दस वर्षों तक लटका दिया"। वे यह कभी नहीं कहते कि कार्य को एक साल अथवा दो साल तक लटका दिया क्योंकि उनकी दृष्टि में कार्यों में पांच अथवा दस वर्षों तक ही जाती है।

महोदय, यह विभाग अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि यह राष्ट्र के आधारभूत ढांचे से सम्बन्धित कार्य करता है। यदि हमारे पास इस्पात नहीं है तो हम विकास की बात नहीं कर सकते हैं। केवल इलेक्ट्रानिक्स ही पर्याप्त नहीं हैं। जहां तक औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक क्षेत्रों का सम्बन्ध है, वास्तविक प्रगति केवल तभी संभव है, वहां जब निर्माण हो और गतिशीलता बनी रहे। हमें घर बनाने के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है, स्पष्ट रूप से निर्माण कार्यों के लिए, उद्योग के लिए, इस्पात की आवश्यकता होती है लेकिन अभी भी हमारे पास इस्पात नहीं है। अभी भी भारत में इसके मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बजार की तुलना में काफी अधिक हैं। मुझे पता है, एक समय था जब कुछ वर्ष पहले हम प्रतिस्पर्धा में थे, लेकिन आज हम काफी पीछे रह गए हैं और हमारे मूल्यों मेंवृद्धि हो गई है। उत्पादन की लागत में वृद्धि श्रम के कारण नहीं हुई है। श्रम की लागत लगभग स्थिर बनी रही है। यह विश्व भर में श्रम की लागत में सबसे कम है। लेकिन अपनाई गई तकनीकें, अपेक्षित निवेश देने में विलम्ब,नीतियों में विलम्ब, ये कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हमें हमारे द्वारा किए गए निवेश पर लाभ नहीं मिल पाया है।

कोई भी व्यक्ति भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में जो लाभ अथवा हानियां देखता है वे वास्तव में इस समय बहुत संगत नहीं हैं क्योंकि निवेश इतना अधिक है कि यदि कोई व्यक्ति लाभ की प्रतिशतता लेता है तो वह अल्पतम है बिल्कुल नहीं के बराबर। इन लाभों का मुख्य

कारण आपके द्वारा तुलन-पत्रों को संतुलित रखने की कला का उपयोग करना है । इसलिए आप कुछ राशि टूट-फूट पर दिखाते हैं और कुछ निवेश में छूट देते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे तुलन पत्र कहते हैं ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आप कुछ राशि टूट-फूट पर व्यय दिखाते हैं और कुछ निवेश में छूट देते हैं । तथा लाभ उत्पन्न करते हैं । लेकिन, महोदय, इससे एक छोटा-सा प्रश्न यह उत्पन्न होता है ।

क्या आप सरकारी क्षेत्र को जवाबदेह बनाएंगे ? क्या आप सरकारी क्षेत्र के निगमों के विभिन्न अध्यक्षों को बुलाएंगे और उन्हें यह बताएंगे कि आप सरकार के एक प्रमुख निवेशकर्ता हैं; हमने आपकी कई करोड़ रुपए परियोजना के लिए निवेश कर दिए ......

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : बशर्ते कि वे पूर्णकालिक अध्यक्ष (चेयरमैन) हों ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या आप मुझे बोलने देंगे ? इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जवाब देंगे । चिन्ता मत कीजिए ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : यदि आप चेयरमैन बनना चाहते हैं तो मैं आपकी सिफारिश कर सकता हूं । मुझे कोई आपत्ति नहीं है; आप कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए । **(व्यवधान)**

जैसा कि मैं कह रहा था, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जिम्मेवार ठहराना होगा । उनसे इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में आश्वासन लेकर ही नियुक्तियां की जानी चाहिए । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अन्य प्रमुख अधिकारियों को बुला कर यह कहा जाए : —

"यह हमारा निवेश है । यह हमारा लक्ष्य है, जो हमारे सामने है । आपको तारीख विशेष तक वह क्यों लक्ष्य प्राप्त करना है ? हम अपनी तरफ से यह कोशिश करेंगे कि सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं । अगर आप परिणाम नहीं दिखाएंगे तो आप की जवाबदेही होगी । कोई बहाना नही चलेगा । आपको इस बारे में निश्चिंत रहना है कि कोई भी अफसर अथवा संसद सदस्य आप के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा ।"

महोदय, अगर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सही और उचित रूप से और राष्ट्र के हित में और ईमानदारी से काम करते हैं तो मुझे विश्वास है कि इस सभा का प्रत्येक सदस्य इससे सहमत होगा । हमें उनसे कोई शिकायत नहीं होगी कोई उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा । महोदय, सरकार भूमि का अधिग्रहण कर लेती है । मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत से लोग बेरोजगार हैं । जब कोई ससद सदस्य सरकारी क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रोजगार के लिए कहता है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को देखते हुए, सामान्यतया उनका यही जवाब होता है, कोई रिक्ति नहीं है, आप उनसे पूछिए, आपने उनकी जमीन छीन ली है, अब उन्हें कुछ रोजगार तो दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे चुनाव क्षेत्र मे भी यही समस्या है ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : वह कहते हैं कि हमारे पास नौकरियां नहीं हैं। जबकि करोड़ों एकड़ भूमि पानी के भाव खरीद ली जाती है, इस्तेमाल में न लाए जाने के कारण वह सूखी और बंजर हो जाती है। सस्ती खरीदे जाने के बावजूद इस भूमि का उपयोग नहीं किया जाता मेरे चुनाव क्षेत्र में भी करोड़ों एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है परतु बेकार पड़ी है। यह मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं। अगर आप किसी सचिव अथवा संयुक्त सचिव अथवा अवर सचिव के पास जाते हैं और उन्हें मेरे चुनाव क्षेत्र से किसी व्यक्ति को रोजगार दिए जाने के लिए कहते हैं तो उसे रोजगार मिल जाता है। यह सर्व विदित है कि सार्वजनिक क्षेत्र पर अफसर शाही का खासा दबदबा है न कि राजनीतिज्ञों का जबकि हम पर निरंतर आरोप लगाए जाते हैं और आलोचना की जाती है। वे कहते हैं कि सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण में संसद सदस्य हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन हमने कभी हस्तक्षेप नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। अब, माननीय मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि मंत्रालयों में जनता के प्रतिनिधि कौन है, उन्हें अफसरों पर नियंत्रण करना चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि वह सिविल कर्मचारी हैं न कि नए 'राजा' और उन्हें सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

एक अन्य बात मैं सभा की जानकारी में लाना चाहूंगा। जब भी हम 'विजाग इस्पात संयंत्र' की बात करते हैं तो हमें यह बताया जाता है कि किस प्रकार अभी तक यह परियोजना संसाधनों की कमी के कारण रुकी पड़ी है। अब, मैं मंत्री महोदय से इस बारे में आश्वासन प्राप्त करना चाहूंगा कि यह परियोजना कब पूरी होगी ? क्या कोई अन्य नई परियोजना लगाए जाने के लिए 'विजाग इस्पात संयंत्र' का बहाना किया जाएगा ? सामान्यतया हमें यह बताया जाता है कि सलेम इस्पात संयंत्र के लिए कोई पैसा नहीं है। यहां तक कि विजाग संयंत्र के लिए भी इतना कम आवंटन किया गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि यह परियोजना कभी भी पूरी न हो। विजाग संयंत्र के लिए हर साल बहुत कम पैसा मिलता है। संसाधनों की कमी के नाम पर इस परियोजना में विलंब हो रहा है। इस विलंब से हर साल अगर हजारों करोड़ की नहीं तो कुछ करोड़ रु० की हानि तो होती ही है।

महोदय मेरा संक्षिप्त प्रश्न यह है। सलेम इस्पात संयंत्र अब भी पैसा बना रहा है यद्यपि यह एक अत्याधुनिक रोलिंग मिल ही है। इससे होने वाली आय पर्याप्त है। यह एक लाभकारी संयंत्र है जिसका संयंत्र सौभाग्य से अति आधुनिक प्रबंध तकनीकों और विधियों से किया जा रहा है और मैं यह कहूंगा कि हमने, सलेम तथा इसके आसपास और तमिलनाडु के संसद सदस्यों ने, इसके कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं किया है। सच्चाई तो यह है कि हम यहां के प्रबंधकों से कुछ लोगों को रोजगार दिए जाने के लिए कहते हुए डरते हैं कि हमारी यह कह कर आलोचना की जाएगी कि हमारी ही वजह से यह संयंत्र नहीं चल रहा। तथापि, इस संयंत्र से लाभ हुआ है। मेरा संक्षिप्त प्रश्न यह है कि यह इस्पात संयंत्र केवल कोल रोलिंग मिल ही नहीं होना चाहिए, जैसा कि यह इस समय है। यह केवल मात्र एक अत्याधुनिक 'कोल रोलिंग मिल' है जिसमें असाधारण आधारभूत सुविधाएं अंतर्निहित हैं। बुनियादी ढांचे पर जितनी राशि लगाई गई है, वह रोलिंग मिलों पर लगाई गई राशि से कम है। इस प्रकार अति आधुनिक तकनीक उपयोग में लाई गई है। मेरा संक्षिप्त प्रश्न यह है : क्या योजना तैयार करते समय सलेम स्टील प्लांट के

बारे में विचार किया गया था ? मुझे ध्यान है कि माननीय मंत्री जो इस समय इस्पात और खान मंत्री हैं, इस परियोजना के तैयार किए जाने के समय भी इस्पात और खान मंत्री थे और उन्हें इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी है और उन्हें यह भी मालूम है कि इस संयंत्र को कोल रोलिंग मिल नहीं होना चाहिए । दुर्भाग्य से यह कोयला रोलिंग मिल बन कर रह गई है और इसका यह पहलू भी……

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे बाद काफी निपुण इस्पात मंत्री आए थे ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो आप ज्यादा निपुण हैं ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अब आपको पुनः अवसर मिला है । अब संक्षिप्त प्रश्न यह है…… (**व्यवधान**) । मेरे बहुत से संक्षिप्त प्रश्न हैं । मैं मंत्री जी से लंबा प्रश्न नहीं पूछना चाहता । प्रश्न यह है कि क्या सलेम इस्पात संयंत्र में दूसरा सेंड जिमिर मिल होगा जिससे कि यह सही रूप में कोयला रोलिंग मिल हो सके ? और तीसरा प्रश्न यह है कि जहां तक सलेम…

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे कृपया बोलने दीजिए । यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है । मैं मेरे चुनाव क्षेत्र के दृष्टिकोण से……

उपाध्यक्ष महोदय : समय भी बहुत महत्वपूर्ण है । मैं क्या कर सकता हूं ? समय भी तो बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी (हावड़ा) : वह तो आपके राज्य के पक्ष में बोल रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए । मुझे अपने राज्य के साथ-साथ इस सभा को भी तो देखना है ।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : संक्षिप्त प्रश्न यह है—और श्री मुरला देवरा को कोई समय नहीं चाहिए । मैं तो विजाग के बारे में बोल रहा हूं अतः मुझे समय के रूप में उनसे कुछ कर्ज दे दीजिए । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : चिंता मत कीजिए । वह भी सलेम पर चर्चा करेंगे ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं यह जानना चाहता हूं कि वह समय कब आएगा ।

दूसरा प्रस्ताव सलेम स्टील प्लांट के बिस्तार के बारे में है और वह इस पिछड़ी परियोजना को उन्नत करने के बारे में है –

—जब आप इसे 'पिछड़ा' अथवा 'उन्नत' कहते हैं, जिससे कि कम से कम संयुक्त क्षेत्र में पिघलाने वाली भट्ठी, इलेक्ट्रिक ब्लास्ट फर्नेस लगाई जाये तो क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे क्योंकि उनकी प्रमुख शिकायत संसाधनों की कमी है ? अगर उनकी शिकायत संसाधनों की कमी है तो इसी स्थान पर कोई दूसरी कंपनी लगाना संभव नहीं है जिसमें कि संयुक्त क्षेत्र की कंपनी के साथ, बड़े बुनियादी ढांचे की भागीदारी हो और जो जनता से पैसा इकट्ठा कर सके तथा मैं मंत्री जी को यह आश्वासन दिला सकता हूं कि सलेम की जनता उस संयुक्त क्षेत्र की कंपनी के लिए कहीं अधिक ईक्विटी देगी और संभव है हम सलेम स्टील संयंत्र का विस्तार कर सकें । मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात सलेम इस्पात संयंत्र से सम्बद्ध न होकर इस्को-इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी से सम्बद्ध हैं। आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि इस कम्पनी में करोड़ों रु० लगे थे और इसे भारत सरकार ने केवल 9 करोड़ रु० का मुआवजा देकर प्राप्त कर लिया। इस विशाल कंपनी के लिए उन्होंने बहुत कम पैसा दिया। उन्हें इस संस्थान को आधुनिक करने के लिए पैसा लगाना था जो उन्होंने कभी नहीं किया केवल जो पैसा लगाया गया वह नकद हानि को पूरा करने के लिए लगाया गया। आज इस्को उन एककों में से एक माना जाता है जिसे उपकरणों के बहुत पुराने होने के कारण बंद करना होगा और इसे लाभप्रद बनाना संभव नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस पर विचार करना जरूरी है कि इस कंपनी में लगभग 50.000 कर्मचारी कार्यरत हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्र की इस प्रकार की कंपनी को बंद करते हैं तो आम जनता का सरकारी क्षेत्र की अवधारणा से विश्वास हट जाएगा चूंकि इस तरह तो सरकार और मारवाड़ियों में कोई फर्क ही नहीं रहेगा चूंकि दोनों एक ही तरह की शर्तें लागू करते दिखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा खानों की बात भी मुझे करनी है विशेषतया उनकी जो पहली अनुसूची के अंतर्गत नहीं आतीं और जो उन स्थानों पर हैं जो पूरी तरह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं। इन खानों में बहुत बार ऐसा होता है कि पट्टेदारी का नवीकरण नहीं किया जाता और ऐसा किसी उचित कारण से न करके दुराग्रह पूर्वक किया जाता है। अचानक यह देखने को मिलता है कि वह भूमि बिना कारण बताए राज्य सरकार के लिए आरक्षित कर दी जाती है जबकि खान अभी अर्ध विकसित स्थिति में होती है और इससे अभी काफी कुछ निकालना होता है और काफी पैसा लगाना होता है। कुछेक राज्य सरकारों की इस प्रकार की नीति से वास्तव में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मजदूरों को निकाल बाहर कर दिया जाता है, उत्पादकता कम हो जाती है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी एन पी) पर असर पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग इसे गम्भीरता पूर्वक ले रहा है और क्या वह यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ विधायी परिवर्तन लाए जाने के बारे में विचार कर रहा है जिससे कि राज्य सरकार खनन कार्यों को क्षति न पहुंचाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि आपको निजी रूप से यह जानकारी होगी कि बहुत से स्थानों पर आपके और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी, ऐसी बहुत-सी खानें हैं जिन्हें बन्द कर दिया गया है और जो प्रमुखतया केन्द्र और राज्य के खान विभाग की निष्क्रियता के कारण कार्य नहीं कर रही हैं। जहां अपेक्षित सहायता प्रदान करना जरूरी है वहां वे सहायता नहीं देते। इसके अलावा जब दोबारा राशि दी जानी होती है तो सालों इसमें देरी की जाती है और अक्सर नहीं दी जाती। मेरा संक्षिप्त प्रश्न यह है कि उन कर्मचारियों का क्या होगा जहां की खानें बन्द कर दी गई हैं। क्या उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाएगा? वास्तव में इस समय वे सड़कों पर हैं। उन्हें दिए जाने वाले उपदान और मुआवजे का क्या होना है? खान मालिक भाग जाते हैं और कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता क्योंकि उसको ढूंढना असम्भव है। उसके नाम न कोई धनराशि होती है और न ही कोई परिसम्पत्ति ही, वास्तव में उसकी पत्नी और बच्चों के नाम में चीजें होनी चाहिएं। अतः कहने का मतलब यह है कि क्या यह सरकार चुपचाप बैठी रहेगी और कहेगी कि दुर्भाग्यवश, हम मजबूर हैं। मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं यद्यपि मेरे मित्र इतने अल्प प्रश्नों से बहुत उत्तेजित हैं।

श्री एम रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : नहीं। नहीं हम प्रसन्न हैं।

(श्री कृष्णचन्द्र पंत) : वे इस बात को महसूस नहीं करते कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसके क्या अर्थ हैं। इसलिए वे कहते हैं कि हम प्रसन्न हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपकी सभी बातों का समर्थन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहते हुए अपना वकतव्य समाप्त करता हूं कि इस्पात और खान मंत्रालय को योजना आयोग द्वारा अधिक धन का आवंटन करना चाहिए। न केवल अधिक धन के आवंटन की आवश्यकता है बल्कि इस समय जो स्वायतता प्रदान की गई है उससे अधिक स्वायत्तता देने की आवश्यकता है, कम से कम वर्तमान एककों में लगाई गई धनराशि के पुन: पूंजी निवेश के मामले में अधिक स्वायतता अवश्य दी जानी चाहिए। जहां तक उस क्षेत्र का संबंध है कम से कम इसे स्वायतता दी जानी चाहिए और चारों तरफ से इसे दबाना नहीं नहीं चाहिए। यदि आगामी पांच वर्षों में यह क्षेत्र विकसित नहीं होता तो विदेशी मुद्रा पर अधिक दबाव पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था पर यह दबाव पेट्रोलियम मंत्रालय से अधिक तेज गति से होगा। वास्तव में आज से पांच वर्ष बाद इस्पात की तुलना में तेल की स्थिति बेहतर हो जाएगी, कम से कम वर्तमान योजना और विकास से।

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जहां तक वर्तमान संयंत्रों का सम्बन्ध है, सरकार को चाहिए कि वह धनराशि प्राप्त करके वर्तमान परियोजनाओं को पूरा करें। यदि सरकार के पास धनराशि नहीं है तो आप संयुक्त क्षेत्र से प्राप्त करें। जनता से प्राप्त करें और कागजों में दी गई इन योजनाओं को मूर्तरूप प्रदान करें। सलेम में सलेम इस्पात संयंत्र को पूरा किया जाए। धन्यवाद।

1.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जयपाल रेड्डी बोलेंगे, वे आपका समर्थन करना चाहते हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : वे हमारी तरफ आकर बैठ सकते हैं।

श्री जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) मैं कुछ और जानकारी देना चाहता हूं।

महोदय, हमारे आर्थिक कार्यों में इस्पात उन क्षेत्रों में से एक है जहा हम ऊचाई से गिरे हैं। इस्पात उद्योग हमारी सम्भावनाओं और आशाओं को समाप्त करने वाला सिद्ध हुआ है। यह हमारी अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करने का प्रतीक बन गया है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे योजना निर्माताओं ने सोचा था कि 2000 ई० तक हमें 750 लाख टन इस्पात की आवश्यकता पड़ेगी और इतने इस्पात का उत्पादन करना पड़ेगा। परन्तु वर्तमान अनुमान के अनुसार हमें केवल 225 लाख टन की आवश्यकता है। जबकि हम 172 लाख टन का उत्पादन कर पायेंगे। अत: 2000 ई० में 53 लाख टन इस्पात की कमी रहेगी।

प्रश्न यह है कि हमारी अनुमानित आवश्यकताओं में इतनी अधिक कमी क्यों आई है। इस प्रकार 2000 ई० के अन्त तक हमारी इस्पात की आवश्यकता अनुमान से एक तिहाई कम होगी।

यह कहना सच है कि इस्पात उत्पादन की विकास दर हमारे औद्योगिक विकास का सबसे विश्वसनीय सूचकांक है। इसका मतलब यह है कि हमने इस्पात उत्पादन में ही नहीं बल्कि औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य में भी कमी की है। यह कोई नहीं कह सकता कि हमारे देश को और अधिक इस्पात की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्ष 1982 में विश्व में 6440 लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ। जबकि भारत में विश्व इस्पात उत्पादन का केवल 2 प्रतिशत उत्पादन हुआ।

1.02 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 18 कि. ग्राम है जबकि जापान में 629 कि. ग्रा. पश्चिम जर्मनी में 549 कि. ग्रा., सोवियत संघ में 570 कि. ग्रा. और अमेरिका में 508 कि. ग्राम है। भारत में वर्ष 1948 में 13 लाख टन से इस्पात का उत्पादन शुरु हुआ जबकि जापान में 17 लाख टन से। वर्ष 1982 तक भारत का उत्पादन 110 लाख टन तक पहुंचा, जबकि जापान में यह 10 करोड़ टन तक पहुंचा। हमें इस बात की जांच करनी होगी कि इस्पात उत्पादन का हमारा स्वप्न कैसे टूट गया।

वर्ष 1960-69 तक हमारा इस्पात विश्व में सबसे सस्ता था। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे देश में औद्योगिक योजनाओं की आरंभिक सफलता हमारे इस सस्ते इस्पात के कारण हुई।

श्री कृष्णचन्द्र पंत : अतिशयोक्ति के दोषी नहीं हैं तो अतिरंजन के दोषी जरूर हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : औद्योगिक विकास दर में गिरावट आई है क्योंकि गत 15 वर्षों में इस्पात के मूल्य बढ़े हैं। यह कहना असंगत नहीं होगा कि जापान में इस्पात उत्पादों के मूल्य भारत की तुलना में औसतन 30 प्रतिशत कम है जबकि जापान को लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर जैसा सभी प्रकार का कच्चा माल समुद्रपार देशों से आयात करना पड़ता है। सौभाग्यवश लौह, अयस्क, कोयला और चूना पत्थर भारत में एक दूसरे के निकट उपलब्ध हैं।

गत वर्ष कांग्रेस (आई) के सदस्य इस्पात मंत्री को कोयले के इस्पात और खान के साथ मिलाने के लिए बधाई दे रहे थे। मुझे नहीं पता कि अब वे क्या कहेंगे, क्योंकि श्री वसन्त साठे के पास अब केवल कोयला विभाग है। कहने का मतलब यह है कि मंत्री के रूप में अब हमारे पास अनुभवी प्रशासक है और मुझे उम्मीद है कि इस्पात उद्योग को जो क्षति पहुंची है उनकी योग्य प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत उसमें सुधार होगा। जब उन्हें शिक्षा मंत्रालय से बदला गया था तो मुझे कुछ अप्रसन्नता हुई थी। शिक्षा विभाग को जो क्षति हुई है वह ही इस्पात विभाग का लाभ होगा। महोदय, इस्पात को नियंत्रण मुक्त करने से इसके मूल्यों में दो बार संशोधन किया गया। पहला संशोधन वर्ष 1984 में दूसरा वर्ष 1985 में किया गया। मंत्री महोदय द्वारा देश को आश्वासन दिया जा रहा है कि इस्पात के मूल्यों पर नियंत्रण पाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों सहित सभी प्रकार के उपाय किए जायेंगे। परन्तु हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि इस्पात के मूल्य बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। मंत्री महोदय कृपया इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दें। हमारे इस्पात उद्योग में अत्यधिक अकुशलता, इस्पात के मूल्यों में निरंतर वृद्धि का

मुख्य कारण है। क्षमता का कम उपयोग, पुरानी प्रौद्योगिकी और कम श्रम उत्पादकता इस अकुशलता के लिए जिम्मेदार हैं। क्षमता के कम उपयोग की कहानी बहुत ही निंदनीय है, सरकार ने क्षमता के उपयोग में सुधार के लिए स्वयं को बधाई दी है कि गत वर्ष भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में क्षमता का उपयोग 73 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है। परन्तु सरकार ने इस बात के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं किया कि क्षमता के उपयोग में वृद्धि पहले क्यों नहीं हुई। मैं इसके लिए कोई कारण नहीं बताना चाहता कि सरकार अतीत में ऊर्जा की बचत और कच्चे माल का बेहतर उपयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने में क्यों असफल रही। भारतीय इस्पात उद्योग में ऊर्जा की खपत 9 से बढ़कर 16 गेगा केलोरी टन है जबकि विश्व में यह 5 से 7 गेगा कलोरी/टन है। यही दुखद स्थिति धमन भट्टी के साथ है। धमन भट्टी की उत्पादकता विदेशों से 2 से तीन गुणा अधिक है। भारत में श्रम उत्पादकता प्रति व्यक्ति लगभग 68 इन्गाट टन है जबकि जापान में 400 इन्गाट टन और दक्षिण कोरिया में 600 इन्गाट टन है।

अब आवश्यकता इस्पात के मूल्यों में और वृद्धि के बजाय इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया की तकनीकी आर्थिक कुशलता में बड़े पैमाने पर सुधार की है। इस्पात के मूल्यों में वृद्धि का हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। पहले तो इससे औद्योगिक विकास कम हो जाएगा और दूसरे देश में इस्पात के अत्यधिक मूल्यों का देश में विद्यमान मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, इस्पात संयंत्र को चालू करने में अत्यधिक विलंब करना है। विशाखापत्तनम, इस्पात संयंत्र का उदाहरण लें। प्रारम्भ में इसकी अनुमानित लागत 2250 करोड़ रुपए थी। अब अनुमानित लागत बढ़कर 7400 करोड़ रुपए हो गई है। आप इस बात को समझते हैं कि जिस क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता उससे होने वाले घाटे को मूल्यों में वृद्धि करके ही पूरा किया जा सकता है। नई सरकार, सरकारी क्षेत्र के हक में है। मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वित्तीय आवंटन के भ्रष्ट तरीके के लिए कौन उत्तरदायी है।

आन्ध्र प्रदेश के लोगों को, जिन्होंने इस्पात संयंत्र को अपने खून से सींचा है, अब इस बात पर संदेह होने लगा है कि विशाखापत्तनम में इस्पात का उत्पादन कभी होगा भी कि नहीं। अब हमें बताया गया है कि संशोधित युक्ति संगत अवधारणा के अन्तर्गत संयंत्र में ढलवां लोहे का अधिक और इस्पात का कम उत्पादन होगा परन्तु उस तरीके से लागत 7400करोड़ रुपए से कम होकर 6000 करोड़ रुपए हो जाएगी। नई अवधारणा को वर्ष 1989-90 तक पूरा करना निश्चित किया गया है। इसके लिए अगले चार वर्षों में 4500 करोड़ रुपए का पूंजीनिवेश करना पड़ेगा परन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए केवल 2500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। मंत्री महोदय ने इस वर्ष केवल 700 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। और अधिक धनराशि की आवश्यकता है। इस वर्ष 1500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

महोदय, इस दौरान जिन व्यक्तियों ने इस संयंत्र के लिए, जो कभी नहीं बनना था, अपनी भूमि गंवाई है वे बहुत दुःख झेल रहे हैं। रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराने वाले कुल 9188 विस्थापित व्यक्तियों में से केवल 1418 व्यक्तियों की ही भर्ती की है और 7770 व्यक्ति शेष रह गए हैं। वे न केवल विजाग स्थित नए संयंत्र में समयोचित निवेश करने में असफल रहे हैं बल्कि वे पुराने संयंत्रों में भी प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाने के लिए उचित निवेश करने में बुरी तरह असफल रहे हैं। दुर्गापुर और राउरकेला के रख-रखाव अनुरक्षण पर कम निवेश किए जाने के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि क्षमता अनुसार उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक संयंत्र में 1000 करोड़ रुपए का निवेश अनिवार्य बन गया है।

अब यह मान लिया गया है कि ऊर्जा कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए और निरंतर निक्षेपण के लिए क्राफ्ट प्रौद्योगिकी अपरिहार्य बन गई हैं। परन्तु यदि आप सातवीं योजना को देखें तो आप पाएंगे कि उन प्रौद्योगिकियों को शुरू करने के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। जहां हम चालू वर्ष 1985-86 में अनेक अन्य चीजों के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बचा सके वहां हमने दक्षिण कोरिया और जापान से 15 लाख मीट्रिक टन इस्पात का आयात किया जबकि हमें केवल 5 लाख मीट्रिक टन इस्पात की ही आवश्यकता थी और इस प्रकार हमने 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा गंवाई।

महोदय, हमारे मित्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में बोले। हमारे लिए यह बड़े खेद की बात है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) जैसे बड़े संस्थान में भी स्थायी अध्यक्ष नहीं है। श्री कृष्णमूर्ति मारुति के पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं और वे 'सेल' का भी अतिरिक्त कार्य-भार संभाल रहे हैं। मुझे इसी मंत्रालय के एक अन्य निगम, मेटल्स स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन की भी जानकारी है जो गत दो वर्षों से बिना प्रमुख के रहा है जबकि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के चयन की सभी प्रक्रियाएं पहले ही पूरी कर ली गई थीं तथा जिस व्यक्ति को साक्षात्कार में नामंजूर कर दिया गया था उसे कार्यवाहक प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस मंत्रालय में सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम अभी भी बिना प्रमुखों के हैं।

महोदय, मैं खानों संबंधी प्रश्न पर भी कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मुझे पता चला है कि खनिज वाले क्षेत्रों का गैर-सरकारीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह पता करने के लिए लिखा है कि किन-किन क्षेत्रों को गैर-सरकारी खनन के लिए दिया जा सकता है? दूसरे, जैसाकि मंत्री महोदय को पूरी जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश में बाराइटस का भारी उत्पादन होता है। मुझे पता चला है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मंगमपेट क्षेत्र के बाराइटस के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की है परन्तु भारत सरकार इस प्रश्न पर चुप्पी साधे हुए है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बाराइटस खानों के राष्ट्रीयकरण के लिए इस लिए कहा है क्योंकि खनन नियमों का पालन नहीं किया गया। महोदय, राष्ट्रीयकरण किए जाने की मांग में उस समय मैं भी शामिल था जब मैं विधायक था तथा राज्य में कांग्रेस (इ) की सरकार थी।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी कोई राष्ट्रीय खनिज नीति नहीं है और अब समय आ गया है जब हमे कोई नीति बनानी चाहिए।

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) अध्यक्ष महोदय, इस्पात और खान मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अनेक माननीय सदस्य अपने मत व्यक्त कर चुके हैं। उनकी मूल्यवान टिप्पणियों के लिए हम आभारी हैं। मेरे विचार से इस चरण में मेरे बीच में बोलने से शायद चर्चा को दिशा मिलेगी ताकि जो अनुदान मांगें हम करना चाहते हैं, उनके बारे में सरकार इस सभा की बुद्धिमता से लाभान्वित होगी।

शायद खान विभाग की गतिविधियों के महत्व पर बल देना अनावश्यक है। इनमें खोज, खनिज संरक्षण, उपकारिता तथा अलौह धातुओं के उत्पादन और संरचना के कार्य शामिल हैं। मैं इन कार्यों से सम्बधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताना चाहती हूं ताकि हम अपने भावी लक्ष्यों के बारे में इस सभा को अवगत करा सकें।

खोज के क्षेत्र में हमारा मुख्य बल अपनी तकनीकों के आधुनिकीकरण का है। इसी लिए हमने भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग में न केवल विभिन्न प्रकार के विश्लेषणात्मक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध की हैं बल्कि तट-समीप भूगर्भीय सर्वेक्षणों के लिए तीन पोत प्रदान करके उसकी खोज क्षमताओं में भी विस्तार किया है। वर्ष 1986-87 में एक एयर बोर्न जियोफीजिकल प्रणाली शुरू की जाएगी। हमारा विचार विभिन्न प्रकार के अयस्कों का विश्लेशण करने के लिए एक आधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से भारतीय खान ब्यूरों को सुदृढ़ बनाने का भी है। हम अतिरिक्त ऊर्जा संसाधनों तथा टिन और टंगस्टन, पोटाश और निकल जैसे खनिजों पर, जिनमें हम पीछे हैं, अधिक बल देना चाहते हैं। देश में वर्ष 1900 में 14 खनिजों का उत्पादन हो रहा था और पांचवें दशक में यह संख्या बढ़कर 24 तक पहुंच गई। इस समय हम 64 से अधिक खनिज पदार्थ पैदा कर रहे हैं। हमारे हाल के प्रयासों से खनिज भण्डारों और खनिज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा कोयला, खनिज तांबा शीशा, जस्ता, अयस्क, बाक्साइट, आदि के भारी भण्डारों का पता चला है। सिद्धांत रूप से कोयले और लोह के भण्डार हमारे देश में अत्यधिक विकास दर होने की स्थिति में अगले 100 वर्षों तक के लिए पर्याप्त हैं।

उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भारतीय भू सर्वेक्षण संगठन, भारतीय खान ब्यूरो, खोज को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए कुल 87.25 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

खनिज भंडारों के बारे में, मैं सभा को बताना चाहूंगी कि हमारा ध्यान दो प्रमुख बातों पर है।

पहली, हम एक राष्ट्रीय खनिज नीति को अन्तिम रूप देने वाले हैं जो इतनी व्यापक होगी कि उसमें न केवल खनिजों के अवशिष्ट मंडार के सन्दर्भ खोज आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया है बल्कि ज्ञात खनिज संसाधनों के संरक्षण और उपयोग पर भी ध्यान दिया गया है। अभी तक खनिज नीति के बारे में कोई व्यापक दस्तावेज नहीं है यद्यपि स्वतन्त्रता के बाद समय-समय पर नीति सम्बन्धी अनेक निर्णय लिए गए जिनसे खनिज उद्योग के विकास में सहायता मिली।

सातवीं योजना की तैयारी के सम्बन्ध में विभिन्न विशेषज्ञ दलों द्वारा तैयार की गई खनिज विकास की रूपरेखा में बताया गया है कि भारत आर्थिक विकास की दिशा की ओर अग्र-

सर हो रहा है जिसके लिए मूलभूत उद्योगों में खनिजों की भारी खपत होने की सम्भावना है और इसलिए खनिज संसाधनों के प्रबन्ध के लिए नीति सम्बन्धी दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। खनिज नीति का मुख्य उद्देश्य है—खनिज संसाधनों को बढ़ाना, उनकी खोज और संरक्षण और खनिज संसाधनों से अधिक लाभ लेना, उद्योग के लिए खनिज/कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना, आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए समुचित निर्यात संवर्धन द्वारा धन अर्जित करना तथा जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण देना और शिक्षा कार्यक्रम चलाना।

नीति संबंधी निर्णय करते समय इन बातों को तथा अन्य व्यापक दिशा निर्देशों को पहले ही ध्यान में रखा गया है और इनका समावेश हमारी राष्ट्रीय खनिज नीति में किया जा रहा है जिसका प्रारूप, चर्चा के लिए और सदस्यों का सुविचारित मत जानने के लिए, इस्पात और खान मंत्रालय की सलाहकार समिति की आगामी बैठक में रखा जाएगा।

दूसरे, हम खान और खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करना चाहते हैं ताकि खान पट्टे देने और उनका नवीकरण, स्वीकृत खनन योजना के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से खनन करने तथा पर्यावरण के संरक्षण के बारे में विनियमों की अपेक्षाकृत अधिक जानकारी पूर्ण प्रणाली लागू की जा सके। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की सूची। में प्रविष्टि संख्या 54 के अंतर्गत बनाया गया खान और खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957 संघ के नियंत्रणाधीन नियमन और विकास हेतु खनिज तेल को छोड़कर बाकी सभी खनिजों पर लागू होता है। इसमें 1972 में एक व्यापक संशोधन किया गया था। तब के बाद से इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में विशेषकर, अवैध खनन कार्यों, गैर-वैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य करने तथा पर्यावरण के संरक्षण से सम्बन्धित मामलों में, अनेक समितियों, और खनिज सलाहकार परिषद् ने गहराई से जांच की है। इसलिए अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विस्तृत विधेयक लाने का विचार है। संशोधन विधेयक के प्रारूप को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है और मैं, यदि संभव हुआ तो, इस विधेयक को संसद के चालू सत्र में पुरःस्थापित करने की आशा रखती हूं।

खान विभाग के अंतर्गत उत्पादन कार्यों पर चर्चा करने से पहले मैं उन उपायों के बारे में बताना चाहूंगी जो हम तांबा, जस्ता, शीशा और अल्यूमीनियम के आयात पर देश की निर्भरता कम करने के लिए उठा रहे हैं। जैसाकि माननीय सांसदों को पता ही है, 'नाल्को' का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और स्मैलटर का पहला चरण इस वर्ष दिसम्बर से आरम्भ हो जाएगा। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 'नाल्को' ने अपनी बाक्साइट इकाई पहले ही नवम्बर, 1985 में और इसकी कास्टिक सोड़ा आयात सम्बन्धी सुविधाएं फरवरी, 1986 में शुरू कर दी हैं। इस परियोजना से आयातित अल्यूमिनयम पर हमारी निर्भरता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी तथा आने वाले वर्षों में निर्यात के लिए अल्यूमीनियम और अल्यूमीना का अतिरिक्त उत्पादन भी होगा।

जस्ता और शीशे के बारे में सदस्य यह जानकर खुश होंगे कि बजट में न केवल रामपुरा अगुचा खानों और राजस्थान में चन्देरिया में जस्ता-शीशा स्मैलटर के विकास हेतु 1986-87 में

ही पहला कदम उठाने का प्रावधान किया गया है बल्कि हिन्दुस्तान जिंक लि. में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है ताकि कुल उत्पादन में वृद्धि हो सके।

सीसे तथा जस्ते के खनन/परिष्करण तथा प्रदावण/शोधन का कार्य कर रहे हिन्दुस्तान जिंक लि० ने राजस्थान में रामपुर/अगूचा शीशा जस्ता खानों के समन्वित विकास के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं। अयस्क भण्डारों का अनुमान 603.5 लाख मी० टन लगाया गया है जिसमें 13.48 प्रतिशत जस्ता और 1.93 प्रतिशत शीशा होने का अनुमान है। सरकारी निवेश बोर्ड ने सुमेल परिष्करण सुविधाओं तथा 366·40 करोड़ रुपए, जिसमें 7वीं योजना में 329.19 करोड़ रुपए के खर्च के साथ निर्माण के दौरान ब्याज भी शामिल है, की लागत से चन्द्रिया में प्रति वर्ष 70,000 मी० टन जस्ते तथा प्रति वर्ष 35000 मी० टन सीसा प्रद्रावक की स्थापना करने के साथ रामपुरा-अगूचा स्तिथ-सीसा जस्ता खानों में प्रतिदिन 2500 मी० टन के कार्यान्वयन की सिफारिश की है। शेष को 8वीं योजना के लिए रख दिया जाएगा। सातवीं योजना में परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वर्ष 1986-87 के लिए परिव्यय 11 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के बारे में अंतिम निर्णय शीघ्र ही किए जाने की संभावना है।

ताम्बे के बारे में हम मलंज खण्ड के गहरे स्तरों का सक्रिय रूप से पता लगा रहे हैं जहां भविष्य में बड़े प्रद्रावक लगने की संभावना है। इस बीच विद्यमान प्रद्रावक तथा शोधन शालाओं का आधुनिकीकरण करके तथा खेतड़ी में एक गैस टर्बाइन की व्यवस्था करके हम उत्पादन के स्तर में सुधार कर रहे हैं।

यही समय है, मेरा तात्पर्य अगले वर्ष के लिए उत्पादन के कार्य-निष्पादन तथा लक्ष्यों से है।

जैसा कि मैंने बताया है, संयत्रों तथा प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण, संतुलन सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था तथा आरक्षित विद्युत व्यवस्था के माध्यम से विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना जैसे कुछ उपायों को अभी कार्यान्वित किया जा रहा है। इन सब बातों के बावजूद मुझे यह कहते हुए खुशी है कि वर्ष 1985-86 में ताम्बे, जस्ते, शीशे तथा अल्यूमीनियम का रिकार्ड उत्पादन हुआ था तथा खनिज अनुसंधान निगम लिमिटेड द्वारा भी 'ड्रिलिंग मीटरेज' का रिकार्ड रहा। हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा 52000 मी० टन बिक्री योग्यताम्बो का, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा 60,000 मी० टन जस्ते तथा 17,200 मी० टन शीशे का, एम० ई० सी० एल० द्वारा 3,20,000 मीटर ड्रिलिंग तथा 14,600 मीटर माईनिंग के अलावा 'नालको' द्वारा 1,00, 122 मी० टन अल्यूनिनयम का उत्पादन अब तक के उत्पादन के रिकार्ड से सबसे ज्यादा था। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि वर्ष 1986-87 के हमारे लक्ष्य भी इन सभी मामलों में अधिक हैं।

हमने प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने की आवश्यकता की अवहेलना नहीं की है। विशिष्ट परियोजनाओं, जिनके अन्तर्गत खनन, परिष्करण, मिश्रधातु बनाना आदि का एक व्यापक क्षेत्र आता है, का पता लगाने के अलावा हमारा विचार अल्यूमीनियम अनुसंधान डिजायन और विकास केन्द्र की स्थापना करने का है जो अन्य बातों के साथ-साथ अल्यूमीना/अल्यूमीनियम का उत्पादन करने वाली प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए होगा। खोज करने के मामले में माननीय सदस्यों

को, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की अन्टार्टिका की खोजयात्रा तथा बंगलौर में एक भू-केन्द्र, जो भू-विज्ञानों सम्बन्धी उपग्रह की बिम्बसृष्टि का अध्ययन करने में निष्ठापूर्वक लगा हुआ है, की स्थापना करने में सक्रिय योगदान की पहले ही जानकारी है। खनिज परिष्करण के मामले में हमारा प्रस्ताव खनिज इन्जीनियरिंग सम्बन्धी एक पाठ्यक्रम के लिए धन जुटाने का है जो इस देश में एक अग्रणी उद्यम बन जाएगा।

सम्भवत: माननीय सदस्य खनिजों की शुल्क दरों में संशोधन की नवीनतम स्थिति जानने के भी इच्छुक होंगे। इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने मुख्य खनिजों की शुल्क दरों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने तथा सरकार से सिफारिशें करने के लिए नवम्बर, 1984 में एक अध्ययन दल नियुक्त किया था। इस अध्ययन दल ने दिसम्बर, 1985 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अध्ययन दल की सिफारिशों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है और इस बारे में निर्णय शीघ्र लिया जाएगा।

महोदय, जैसाकि पहले बताया जा चुका है मेरा उद्देश्य इस सभा की बुद्धिमता से लाभ उठाने का है ताकि जो बल हम परिष्करण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, उत्पादन के तरीकों तथा हमारे द्वारा भूतकाल में किए गए निवेशों का संकलन करने पर दे रहे हैं वह अधिक प्रभावी रूप से दिया जा सके। मैं इस सभा के सुझावों की प्रतीक्षा करूंगा मुझे इस बात में सन्देह नहीं है कि उपलब्ध संसाधनों के ढांचे के अन्दर हमारी मांगें उपयुक्त हैं और हमारे उद्देश्य पूर्णतया न्यायोचित हैं। महोदय, मुझे इस बात में भी सन्देह नहीं है कि सभा अनुदान की मांगों का समर्थन करेगी।

धन्यवाद !

***श्री हरिहर सोरन (क्योंझर)** : सभापति महोदय, मैं इस्पात और खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यदि हम देश में इस्पात की मांग को ध्यान में रखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस्पात की मांग किसी अन्य वस्तु की मांग से कम नहीं है। आज इस्पात कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। यह दिन-प्रतिदिन के उपयोग की वस्तु है। आजादी प्राप्ति के बाद देश में अनेक इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। समय के अन्तराल में इस्पात संयंत्रों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया। उसके साथ-साथ इस्पात की मांग भी बढ़ रही है। इसलिए इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

हमारे देश में उड़ीसा में राऊरकेला में एक एकीकृत सरकारी क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है। यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के प्रबन्ध के अन्तर्गत है। राऊरकेला इस्पात सयंत्र का विस्तार करने के लिए हाल ही में कदम उठाए गए हैं। परन्तु इसका और विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे सातवीं योजनावधि में राऊरकेला इस्पात संयंत्र का और विस्तार करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इसके साथ-साथ उस इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। यहां मैं राऊरकेला इस्पात संयंत्र में भर्ती के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा। उस इस्पात संयंत्र में काफी संख्या में कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है। लेकिन उनमें स्थानीय

*मूलत: उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

लोगों की संख्या सूक्ष्मदर्शी यन्त्र से ढूंढने पर भी मुश्किल से ही मिलेगी। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे जब कभी उस इस्पात संयंत्र में और भर्ती की जाए तो अधिक से अधिक स्थानीय लोगों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान करें। वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के दैतारी में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव था। लेकिन उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए कोई विशिष्ट कदम नहीं उठाया गया है। इस्पात संयंत्र का प्रस्तावित स्थापना स्थल उड़ीसा के कटक, क्योंझर, धेनकनाल जिलों की सीमा पर एक त्रिभुजाकार भूमि पर है। उस क्षेत्र में पानी, कच्चामाल तथा मजदूर जैसी सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। वहा पानी की कोई कमी नहीं है। वहां का श्रमिक राज्य के कई अन्य स्थानों की अपेक्षा सस्ता है। लौह-अयस्क की खानें इस्पात संयंत्र के प्रस्तावित स्थापना स्थल के पास स्थित हैं। उन खानों में श्रेणी 'क' का लौह अयस्क उपलब्ध है। अतएव, वहां कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। वहां केवल उचित प्रयास किए जाने की कमी है। केन्द्र सरकार संसाधनों की दिक्कत का बहाना बनाकर इस्पात संयंत्र की स्थापना करने में देरी कर रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि आवश्यक हो, तो वह किसी विदेशी सहयोग से दैतारी में इस्पात संयंत्र स्थापित करे। इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने की सम्भावना का भी पता लगाया जाना चाहिए। भारत सरकार को इस्पात संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकीय परामर्श के लिए विदेशों से सम्पर्क करना चाहिए। मेरा माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में दूसरा इस्पात संयंत्र उड़ीसा के दैतारी में स्थापित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास करें।

महोदय, यदि मैं खानों के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा तो मैं अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं उड़ीसा के क्योंझर जिले का प्रतिनिधित्व करता है जो खनिज संसाधनों का भण्डार है। क्योंझर जिले में लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोम, अयस्क तथा बाक्साइट की खाने हैं। परन्तु यह खेद की बात है कि इन खनिजों का निर्यात बढ़ाने के लिए समुचित प्रयास न किए जाने के कारण कई खानें बन्द होने की स्थिति में हैं। अधिकांश लौह अयस्क की खानों में भारी अनिश्चितता विद्यमान है। अनिश्चितता के कारण ऐसे नहीं है जिनका पता न लगाया जा सके। लौह अयस्क का आयात करने वाले देश इस आधार पर आयात नहीं बढ़ा रहे हैं कि परादीप पत्तन एक लाख डी. डब्लू. डी. वाले बड़े पोतों का भार उठाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि पत्तन पर मल जमा हुआ है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह परादीप पत्तन को गहरा बनाने के लिए तुरन्त उपाय करने हेतु परिवहन मंत्री से सम्पर्क करें ताकि यह 1 लाख डी. डब्लू. टी. से भी ज्यादा वाले पोतों का भार वहन कर सके।

लौह-अयस्क खानों में अनिश्चितता की स्थिति होने का दूसरा कारण इस्पात संयंत्रों द्वारा बहुत कम मात्रा में लौह अयस्क उठाया जाना है निर्यात में कमी तथा इस्पात संयंत्रों द्वारा लौह अयस्क कम मात्रा में उठाए जाने के फलस्वरूप बनासपानी तथा कई अन्य स्थानों पर स्थित खानों के मुहानों पर ही लौह अयस्क के भंडार में वृद्धि हो रही है। इससे लौह-अयस्क के खनन पर भी

प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस संदर्भ में क्योंझर जिले में बारबिल के पास स्थित ठाकुरानी लौह-अयस्क खान का उदाहरण देना चाहूंगा। उस खान से इस्पात संयंत्रों द्वारा लौह-अयस्क के उठाने में भारी कमी करने के कारण वहां भारी अनिश्चितता की स्थिति विद्यमान है। इसमे खनन सम्बन्धी कार्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इसके फल-स्वरूप खानें बन्द हो सकती हैं जिसका अन्ततोगत्वा परिणाम यह होगा कि हजारों कामकारों की छटनी हो जाएगी। जिनमें से अधिकांश जनजातियों के हैं। अतएव, मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को ठाकुरानी खानों से लौह-अयस्क उठाने की मात्रा में वृद्धि करने के निदेश दें। मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह ठाकुरानी खानों को किसी भी इस्पात संयंत्र के साथ जोड़ दें। इसके लिए अधिक अच्छा यह होगा कि उसे राऊरकेला इस्पात संयंत्र के साथ जोड़ दें।

लौह-अयस्क की एक और खान है जो क्योंझर जिले के गुरुदा स्थान पर स्थित है। मैसर्ज सेर.जुद्दीन कम्पनी ने इस खान का पट्टा लिया था। अब पट्टे का समय समाप्त हो गया है और उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन (ओ. एम. सी.) को लौह अयस्क की उस खान पर कार्य करने का अस्थाई अधिकार दिया गया है। लेकिन ओ. एम. सी. इस खान के मजदूरों को मजदूरी के भुगतान के मामले में भिन्न रवैया अपना रहा है। ओ. एम. सी. के मजदूरों तथा गुरुदा खानों के मजदूरों के बीच मजदूरी मजदूरों के भुगतान में भेद-भाव बरता जाता है। इससे कामगारों में भारी असंतोष उत्पन्न हो गया है। मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगा कि वह गुरुदा लौह अयस्क खानों का नया पट्टा दें और मजदूरों के हितों की रक्षा करें। सभी अस्थाई मजदूरों की सेवायें नियमित की जानी चाहिए। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस पर उचित ध्यान दें।

इसके बाद मेरी मांग है कि गुमुदामर्दन बारबिल-बारजामदा क्षेत्र तथा दैतारी-टोनका क्षेत्र में स्थित लौह-अयस्क की खानों का आधुनिकीकरण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं तथा मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं,

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं इस्पात तथा खान मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री श्री पंत जी तथा श्रीमती राम दुलारी सिन्हा के कुशल मार्गदर्शन में इस्पात तथा खान मंत्रालय सातवीं आने वाले वर्षों में योजना में और प्रगति करेगा। हमारे सामने आई हुई कठिनाइयों के बावजूद यह सच है कि गत वर्षों में इस्पात तथा खान विभाग ने अच्छी प्रगति की है। मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में अपने राज्य उड़ीसा की कुछ विशेष समस्याएं ला सकूं।

राउरकेला इस्पात संयंत्र हमारे राज्य उड़ीसा में है। कभी-कभी उड़ीसा के लोगों के पास रक्षा मंत्रालय के पत्र जाते हैं, जिनमें यह लिखा होता है कि राउरकेला पश्चिम बंगाल में हैं। उनको यह सब अभी स्पष्ट नहीं है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : कौन कहता है यह ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : रक्षा मंत्रालय के पत्रों पर ऐसा ही लिखा होता है।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : उन्हें इसका अधिग्रहण करने की हिम्मत कैसे हुई ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हम कलकत्ता से रेल मुख्यालय तक तो स्थानान्तरित कर नहीं पाये हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : वे क्यों करें ? उड़ीसा क्यों न करे ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : उड़ीसा राज्य में बिजली की कमी के कारण, सम्पूर्ण राज्य में बिजली की लगभग 50% कटौती की गई है। दिसम्बर, 1985 से आज तक, शायद सभी मुख्य उद्योगों को बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है और इसका उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इसलिए सरकार ने राउरकेला के लिये अपना बिजली संयंत्र लगाना ही बेहतर समझा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की अपनी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने दिसम्बर 1981 में 79.99 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर 120 मैगावाट क्षमता के बिजली संयंत्र को मंजूरी दी थी।

हाल ही में एक उत्तर में यह बताया गया था कि 29 परियोजएं समय पर कैसे पूरी नहीं हो पाई और इनकी लागत बढ़कर कैसे 4,500 करोड़ हो गई और इससे सरकार तथा जनता को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस संयंत्र को 1981 में स्वीकृति दी गई थी तथा उस समय इसकी लागत 79·99 करोड़ रु० थी। अब यह लागत बढ़कर 213.60 करोड़ रु० हो गई है। इस बारे में कहा गया है कि भारत सरकार स्वीकृति देने के लिए इसपर कार्यवाही कर रही है, मैं आशा करता हूं कि उन्होंने यह कहा होगा कि इस पर सक्रिय रूपसे विचार हो रहा है जिसका अभिप्राय यह है कि इस सम्बन्ध में अभी कुछ प्रगति हुई है। यह वाक्य इस प्रकार है। "भारत सरकार स्वीकृति के लिए इस पर कार्यवाही कर रही है" इस प्राक्कलन की स्वीकृति में कितना समय लगेगा और यह बिजली संयंत्र कब तक बन पायेगा ?

यदि आप विभिन्न सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिए रखे गये परिव्यय पर दृष्टि डालें तो आपको देखेंगे कि प्रत्येक सरकारी इस्पात संयंत्र के खर्च में जो परिव्यय इसके लिये निर्धारित किया गया था, उसमें उससे अधिक खर्च हुआ है।

जहां तक राउरकेला इस्पात संयंत्र का संबंध है, छठी योजना में समस्त अनुमोदित परिव्यय 371.92 करोड़ में था परन्तु छठी योजना में वास्तविक व्यय 359.00 करोड़ रु० हुआ। बोकारो को ही लीजिये। इसके लिए छठी योजना में 782.81 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गयाथा और वास्तविक खर्च 966.86 करोड़ हुआ। अन्य इस्पात संयंत्रों की स्थिति भी ऐसी ही है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की नियत क्षमता 18 लाख टन है। हमारे देश में स्थापित संयंत्रों में यह सबसे पुराना संयंत्र है। आज इसका उत्पादन बढ़कर 13 लाख टन हो गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० ने सितम्बर, 1982 में हुई अपनी बैठक में इस संयंत्र के आधुनीकीकरण तथा विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया था। पुन: उन्होंने यह कहा है कि यह कार्य दो चरणों में होना चाहिए। पहले चरण में संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए अनुमानित लागत 503 करोड़ रु०

है और उत्पादन के 18 लाख टन की निर्धारित क्षमता के स्तर को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। आधुनिकीकरण के चरण दो में, इस संयंत्र की क्षमता 25 लाख टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव था। परन्तु अब जबकि चार वर्ष हो चुके हैं, उन्होंने चरण दो के अन्तर्गत इस संयंत्र के विस्तार को स्थगित करने का निर्णय लिया है। यहां तक कि चरण-एक की लागत को बढ़ा कर 842.10 करोड़ रु० कर दिया गया है और यह अभी भी विचाराधीन है। इस लागत की मंजूरी नहीं दी गई है। और फिर, चरण-एक को दो क्षेत्रों में बांटा गया है। वरीयता एक तथा वरीयता-दो क्षेत्र। और इस वरीयता-एक तथा वरीयता-दो को भी पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी है। इसके लिये 1986-87 के बजट में 1 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इससे पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र को कितना महत्व दिया जा रहा है मुझे इस संयंत्र को दिए गए महत्व को देखकर वास्तव में हैरानी होती है।

आप लोगों की बस्ती को ही देख लीजिये। सरकारी उद्यम कार्यालय के मार्गनिर्देशों के अनुसार 70% कर्मचारियों को आवास की सुविधा सुलभ होनी चाहिए। किन्तु राउरकेला इस्पात संयंत्र में केवल 60% कर्मचारियों को ही आवास सुविधा उपलब्ध है इस संयंत्र तथा बस्ती की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

एक अन्य महत्वपूर्ण संयंत्र नीलाचल इस्पात निगम है। यहां लगने वाला यह दूसरा इस्पात संयंत्र है। इसकी नींव 1982 में रखी गई थी। तब से केवल नीलाचल इस्पात निगम के नामपट वाली ट्रैक्कर ही भुवनेश्वर शहर में घूम रहा है। इसके लिए छठी योजना में 5 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय रखा गया था किन्तु वास्तव में 4.77 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सातवी पंचवर्षीय योजना में समस्त परिव्यय 1.5 करोड़ रुपए रखा गया है। ऐसी ही कुछ बातें हैं जिनसे लोगों में असंतोष पैदा होता है।

और (एम०ई०सी०ओ०एन०) को इस संयंत्र की जांच करने तथा अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था। इस नीलाचल इस्पात निगम को 1000 करोड़ रु० की शेयर पूंजी से 27 मार्च, 1982 को शुरू किया गया था। एम०ई०सी०ओ०एन० ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। परन्तु इसे दुबारा समीक्षा करने के लिए कहा गया। दूसरी बार समीक्षा करने पर उसने पूंजीगत लागत को कम करके 306 करोड़ रुपए कर दिया है। कर देने के बाद इसका औसत लाभ, 26.3 करोड़ रुपए होगा। इसके आंतरिक लाभ की दर 13.8 प्रतिशत है। इतनी अच्छी लाभ दर के बावजूद क्योंकि वहां लोहे के भण्डार तथा आदान है, यह दूसरा इस्पात संयंत्र शुरु नहीं हो रहा। मुझे आशा है कि कम से कम सातवीं पंचवर्षीय योजमा में सरकार इस ओर अधिक ध्यान देगी ताकि प्रारम्भिक कार्य में तेजी लाई जा सके और इसे केन्द्र सरकार से अधिक धन मिल सके।

एक अन्य बात जो मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा वह यह है कि लगभग सभी लौह अयस्क खानें बंद की जा रही हैं और जैसा कि मेरे मित्र ने भी बताया है कि लगभग दो से तीन लाख जनजाति मजदूर इस क्षेत्र में पहले ही बेरोजगार हो गए हैं। लौह अयस्क उड़ीसा के चार खान क्षेत्रों अर्थात क्योंझर जिले में बांसपानी-बारबिल, सुन्दरगढ़ जिले मे कोयरा, मयूरभंज जिले में गोरुमहिसानी बदामपहाड़ तथा और कटक तथा क्योंझर जिले में गंधा मरदम-दयोतारी-टोमका से निकाला जाता है और इसे उपभोग के लिए राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर तथा बोकारो को भेजा

जाता है। ये इस्पात संयंत्र प्रतिमास उन सुरक्षित खानों से 1.72 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन करते थे परन्तु आज क्योंकि इन्होंने अपनी सुरक्षित खानों को विकसित कर लिया है वे इतना लौह-अयस्क नहीं निकाल पा रहे और मांग कम होकर प्रतिमास एक लाख टन रह गई है।

इसी प्रकार खनिज तथा धातु व्यापार निगम जो कि पूरी तरह निर्यात के काम में लगा है इसका निर्यात 20 लाख टन से कम होकर केवल 17 लाख या 16 लाख टन रह गया है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उड़ीसा सरकार के साथ दक्षिण कोरिया सरकार के काम करने तथा लगभग 450 करोड़ की लागत से पारादीप पत्तन को विकसित करने तथा रेल लाइन बिछाने की योजना को स्वीकार करे। मैं आशा करता हूं कि दक्षिण कोरिया से 450 करोड़ रु. में से लगभग आधी राशि वित्तीय सहायता के रूप में मिलेगी। अन्य 250 करोड़ रुपए डोईतोरी-बांसपानी रेल सम्पर्क के लिए दिए जाने चाहिये ताकि इससे अंततः डोईतोरी में दूसरे इस्पात संयंत्र के बनने में मदद मिले। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार को दक्षिण कोरिया के प्रस्ताव को पूर्णतः स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि पारादीप पत्तन को और गहरा किया जा सके तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में आज हमारे सामने जो समस्याएं हैं उन्हें हमारे मन्त्री श्री के० सी० पन्त तथा श्रीमती रामदुलारी सिन्हा के कुशल मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन से हल किया जा सके। उन्होंने यह कहा है कि नेल्को की प्रगति अच्छी है। हां नेल्को अच्छी प्रगति कर रही है। हमें इस पर गर्व है और मुझे आशा है कि यह समय पर बन जायेगा।

इसलिये मैं आशा करता हूं कि सातवीं योजना में उड़ीसा में दूसरा इस्पात संयंत्र लग जायेगा, पारादीप पत्तन को और गहरा किया जायेगा तथा दक्षिण कोरिया के प्रस्ताव को सरकार पूर्णतः स्वीकार कर लेगी तथा 250 करोड़ रु० की अन्य राशि रेल मार्ग के लिए दी जायेगी जो कि सातवीं योजना में उड़ीसा की तस्वीर को पूर्णतः बदल देगा। मुझे आशा है कि हमें केन्द्र सरकार से यह सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

***डा० एस० जगतरक्षकन (चिंगलपट्टु)** : सभापति महोदय, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम दल की ओर से, मैं इस्पात और खान मंत्रालय की वर्ष 1986-87 की अनुदान की मांगों सम्बन्धी चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

यह निर्विवाद तथ्य है कि कोयला तथा इस्पात देश की अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र हैं तथा इनके विकास से देश के आर्थिक विकास की गति निश्चित होती है। राष्ट्र के भविष्य का विकास कोयले तथा इस्पात उद्योग पर निर्भर करता है। संयुक्त राज्य अमरीका, पश्चिम जर्मनी इत्यादि विकसित देशों में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 80 कि०ग्राम है। कम-खनिज वाले देश जापान में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 680 कि०ग्राम है। परन्तु भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत केवल 16 कि०ग्राम है। इससे इस्पात उद्योग के क्षेत्र में हुई हमारी नगण्य प्रगति का पता चलता है। सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात उद्योग की स्थापना का विचार अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना था। परन्तु हम अभी इस प्रशंसनीय उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाए। स्वभावतः इससे देश के औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वास्तविकता यह है कि हम आज भी

*मूल तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इस्पात का आयात करते हैं और इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि हम देश में ही इस्पात के उत्पादन द्वारा इस्पात की आवश्यकता पूरी करने में समर्थ नहीं हैं।

मुझे यह बताने में खुशी है कि नवेली लिगनाईट निगम के भूतपूर्व सभापति श्री जी०एल० टंडन को कोल इण्डिया लि० का सभापति नियुक्त किया गया है। श्री जी०एल० टंडन ने बहुत सफलतापूर्वक नवेली लिगनाइट निगम के कार्यों को संभाला है और अब उनकी अध्यक्षता में कोल इण्डिया लि० की स्थिति भी बदलेगी तथा कोल इण्डिया लि० को लाभ होगा। कार्यभार संभालने के शीघ्र बाद ही कपटता पूर्ण ढंग से 78 करोड़ रु० का घाटा दिखाए जाने का उन्होंने पता लगाया और इसके स्थान पर 13 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। इस कपटतापूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार वित्तीय सलाहकार को भी निलंबित कर दिया। कोल इण्डिया को कुल 1000 करोड़ रुपए का संचित घाटा बताया गया। श्री टंडन ने निजी क्षेत्र से कोल इण्डिया के लिए सलाहकार के रूप में प्रबन्ध में 24 योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया और मुझे विश्वास है कि कोल इण्डिया शीघ्र ही एक सक्षम संगठन बन जाएगा।

महोदय, 9.1.1986 को कोयले के मूल्य बढ़ गए थे। कोल इण्डिया के कोयले में 14.75 प्रतिशत औसतन वृद्धि हुई, सिंगरेनी कोयला खान के कोयले के मामले में 14.06% तथा लोहा और इस्पात उद्योगों द्वारा कोयले की खपत के मामले में औसतन 17.5 प्रतिशत वृद्धि हुई। जब कोयले के मूल्य में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक रूप से कोयले से चलने वाले थर्मल संयंत्रों की उत्पादन लागत भी बढ़ती है। बिजली की शुल्क-दर भी बढ़ती है। उदाहरण के लिये, तूतीकोरीन थर्मल पावर स्टेशन के लिए कोयला उत्तरी राज्यों से समुद्र के रास्ते से आता है। इस कोयले में इतनी अधिक राख होती है कि संस्थापित उत्पादन क्षमता का केवल 40 प्रतिशत ही उपयोग किया जा रहा है। इससे भी उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। इसलिए भारत सरकार ने तूतीकोरीन थर्मल पावर स्टेशन को सक्षम ढंग से चलाने के लिये आस्ट्रेलिया से उच्च कोटि का कोयला आयात करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है। तमिलनाडु में ताप बिजलीघरों की संस्थापित उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए इस प्रकार के उच्च कोटि के कोयले का नियमित रूप से आयात करने की अनुमति दी जानी चाहिए

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं अपने माननीय मित्र की बात में दखलंदाजी नहीं करना चाहता। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस अनुदान की मांग में कोयले पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। पहले इस मंत्रालय को कोयले, इस्पात तथा खानों का कार्य सौंपा गया था। इस समय हम केवल इस्पात और खानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु कोयले से सम्बन्धित इन सभी प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं दे सकता। इन प्रश्नों का उत्तर माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा दिया जाना है।

सभापति महोदय : जब इस्पात तथा खान सम्बन्धी अनुदान की मांगों की बात हो रही है तो कोयले के सम्बन्ध में बात करना अप्रासंगिक होगा।

डा० एस० जगतरक्षकन : महोदय, खानों में प्राथमिक सुरक्षा उपाय भी कार्यान्वित नहीं किये जा रहे हैं। अनेक समितियों द्वारा इस ओर ध्यान दिलाया गया है। मैं चाहता हूं कि खानों में उपयुक्त सुरक्षा उपायों को अपनाया जाना चाहिए।

कोयले के मूल्य में वृद्धि होने से स्वाभाविक रूप से इस्पात की उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों का मत है कि 9.1.1986 को कोयले के मूल्य में वृद्धि होने से, इस्पात की उत्पादन लागत में 191 रु० प्रति टन मूल्य वृद्धि होने की संभावना है। 1980 से 1985 तक के पिछले पांच वर्षों के दौरान, इस्पात के मूल्यों में 14 बार वृद्धि हुई है। आज भारत में इस्पात का मूल्य विश्व में सर्वाधिक है। स्वाभाविक रूप से इससे अन्य इन्जीनियरिंग वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। इस्पात मंत्री का कार्यभार सम्भालने के शीघ्र बाद श्री पन्त ने बताया था कि भारत में इस्पात की उत्पादन लागत सर्वाधिक है और इस्पात की उत्पादन लागत को कम कमने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिएं। मैं जानना चाहता हूं कि इस्पात की उत्पादन लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

क्योंकि दक्षिणी राज्यों की इस्पात आवश्यकताओं को उत्तरी राज्यों से इस्पात की सप्लाई द्वारा पूरा किया जाता है, सरकार ने मालभाड़ा समकरण निधि का क्रियान्वयन किया है ताकि दक्षिणी राज्यों में कोयले के मूल्य आकाश को न छूएं। अब यह अफवाह है कि मालभाड़ा सम-करण निधि को बन्द किए जाने की संभावना है। यदि ऐसा किया गया तो दक्षिणी राज्यों का औद्योगिक विकास रुक जाएगा। मैं इस्पात के लिए मालभाड़ा समीकरण योजना जारी रखने के लिए माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं।

पिछले दो वर्षों के दौरान 30 लाख टन के लगभग उत्पादन करने वाले 160 छोटे इस्पात संयंत्र बहुत सी समस्यायों का सामना कर रहे हैं। रद्दी लोहे पर आयात कर 15% से बढ़ा कर 25% कर दिया है। यहां तक कि इस मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले परामर्शदात्री संगठन 'मेकन' ने लघु इस्पात संयंत्रों की समस्याओं का अध्ययन किया और उन्हें चालू रखने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया। मैं चाहता हूं कि वित्तीय सहायता के इन सुझावों को स्वीकार किया जाए और इन लघु इस्पात संयंत्रों को चलाए रखने के लिए इनका क्रियान्वयन किया जाए।

भूतपूर्व इस्पात मंत्री श्री वसन्त साठे ने इस सभा में घोषणा की थी कि सलेम इस्पात संयंत्र की विकास परियोजना 45 करोड़ रुपए के निवेश से प्रारम्भ की जाएगी। हमें बताया गया था कि सलेम इस्पात संयंत्र की विस्तार परियोजना को स्वीकृति प्राप्त हो गई है। परन्तु मैंने देखा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में सलेम इस्पात संयंत्र के लिए 16.06 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई, जिसमें से 10 करोड़ रुपए सयंत्र की चालू परियोजनाओं के लिए, 5 करोड़ रुपए पुन: स्थापन तथा नवीनीकरण कार्यक्रम के लिए और एक करोड़ रुपए टाउनशिप परियोजना के लिए होंगे। इसका अर्थ है कि सलेम इस्पात संयंत्र की विस्तार परियोजना कार्य-क्रम का कार्यान्वियन सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी नहीं किया जाएगा। मेरा सुझाव है कि सलेम इस्पात संयंत्र को लोगों से धनराशि प्राप्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और विस्तार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 45 करोड़ रुपए के परिव्यय को बढ़ाया जाना चाहिए।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सस्थान ने तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में सोने के भण्डारों का पता लगाया है। कोलर सोना खानों में तीन खानों के बन्द हो जाने से, तमिलनाडु के कई सौ कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। इन लोगों को धर्मपुरी जिले में लाया जाना चाहिए और

धर्मपुरी जिले में उपलब्ध सोने की खोज करने के लिए इन लोगों की खानों में कार्य करने की योग्यता का उपयोग किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु में सैकड़ों कारखानों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उच्च किस्म का इस्पात नहीं मिल रहा है। हाल ही में मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में इस्पात उपभोक्ता परिषद का गठन हुआ है। मैं समझता हूं कि इस परिषद के सम्बन्ध में तमिलनाडु के फाउन्डरी उद्योग को कोई अभ्यावेदन नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इस परिषद में फाउन्डरी उद्योग को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ताकि तमिलनाडु में फाउन्डरी उद्योग के लिए उच्च कोटि के इस्पात की सप्लाई सुनिश्चित हो सके।

हाल ही में हमने 75 करोड़ रुपए मूल्य के सिक्कों का आयात किया है। हम इस प्रकार से अपनी विदेशी मुद्रा को व्यय नहीं कर सकते यह समझा जाता है कि जंगरोधी इस्पात के सिक्कों के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सलेम इस्पात संयंत्र में तैयार किया गया जंगरोधी इस्पात इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त बताया गया है। चेंगलपट्ट में 150 करोड़ रुपए के परिव्यय से टकसाल की स्थापना के प्रस्ताव का कार्यान्वियन किया जाना चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में तमिलनाडु में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में कोई प्रमुख उद्योग लगाने का निश्चय नहीं किया गया। मेरी इच्छा है कि चेंगलपट्ट में यह टकसाल लगाई जाए ताकि सलेम इस्पात संयंत्र में तैयार किया गया जंगरोधी इस्पात सिक्के बनाने के काम में उपयोग किया जा सके।

उत्तरी आर्कट में मन्मन्दूर में तांबा और अभ्रक के बड़े भण्डारों का पता लगाया गया है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम की सहायता से तांबे और अभ्रक का पता लगाया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए और माननीय मन्त्री महोदय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए।

महोदय, तमिलनाडु राज्य से प्राप्त होने वाले ग्रेनाइट पत्थरों की सम्पूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग है। तमिलनाडु से निर्यात किए जाने वाले ग्रेनाइट पत्थरों से अत्यधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तमिलनाडु में ग्रेनाइट पत्थरों की और खोज करने की अत्यधिक सम्भावना है। मेरी मांग है कि केन्द्रीय सरकार ग्रेनाइट पत्थर के निर्यात के लिए राज सहायता प्रदान करे ताकि हम और अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मिनिस्ट्री आफ स्टील एण्ड माइंस की डिमाण्ड्स को सपोर्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पन्त साहब जैसे और रामादुलारी जी जैसी मंत्रियों के इन महकमों में होने से जो डायनेमिज्म और गति स्टील और माइंस की मिलनी चाहिए, वह अवश्य मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में कृषि और खनिज सम्पदा ही दो बड़ी संपदायें हैं। किसी ने कहा है—

[अनुवाद]

"किसी देश की प्रगति और विकास का पता उस देश के सोने के भण्डार द्वारा नहीं अपितु उस देश द्वारा तैयार किए गए इस्पात और विद्युत शक्ति की मात्रा द्वारा लगाया जाता है।"

[हिन्दी]

हमारे देश ने आजादी के बाद में बहुत प्रगति की है। लेकिन जिस तेजी से जमाना बदलता जा रहा है, जिस तरह से टेक्नोलोजी बदलती जा रही है, उसके साथ हमें कदम से कदम मिला कर चलना है। स्टील के मामले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सेल जो 1981-82 में और पहले प्रोफिट में था वह अब आकर बहुत घाटे में चला गया है। मुझे करन्ट फिगर्स तो नहीं पता है, माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगे तो बतायेंगे कि आजकल सेल में घाटे की क्या स्थिति है।

माननीय सभापति जी, खनिज सम्पदा का दोहन जिस तरह से होना चाहिए, उस तरह से नहीं होता रहा है। इसका अन्दाजा आप इस बात से लगा सकते हैं खनिज सम्पदा देश की इतनी बड़ी सम्पदा होते हुए भी इस सम्पदा के दोहन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 13 प्रतिशत उत्पादन बढ़ाने का टार्गेट है। इसको हम बढ़ायेंगे. ऐसी मुझे आशा है।

खनिज सम्पदा के दोहन को, माइनिंग को आज तक इंडस्ट्री भी नहीं माना जाता रहा है। जब माइनिंग को इंडस्ट्री नहीं माना जाता है तो माइनिंग के विकास के लिए और दूसरी इंडस्ट्रीज को मिलने वाली सुविधाएं जैसे बैंक आदि से लोन जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल पातीं। माइनिंग जो देश की एक बहुत बड़ी सम्पदा है, वह आज तक इंडस्ट्री नहीं हो पाई है।

मुझे इस बात की खुशी है—जैसा कि रामदुलारी जी ने कहा कि हम एक नेशनल मिनरल पौलिसी बना रहे हैं। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कुछ जोनल कांफ्रेंसिज कराई, सब जगह स्टेटवाइज कांफ्रेंसिज भी हुई। नेशनल मिनरल पालिसी बनाने के बारे में जो ड्राफ्ट बना है, उसके बारे में मुझे जानकारी मिली है कि वह मात्र ब्योरोक्रेसी की विजडम और ह्विम्स के ऊपर बनकर रह गया है। माननीय मंत्री जी आप इस बात को देखें कि आपने जो कांफ्रेंस कराई, उनमें जो बातें उभर कर आईं क्या उनका समावेश आप जो नेशनल मिनरल पालिसी बना रहे हैं उसमें हो पाया है या नहीं हो पाया है।

2.00 म० प०

माननीय सभापति महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमारा खनिज संपदा का उत्पादन 13 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है और दूसरी तरफ एक बिल्कुल स्टैंड स्टिल स्टेज के ऊपर आकर हम खड़े हो गए हैं, फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट के कारण। मैं फारेस्ट के खिलाफ कोई बात नहीं कह रहा, एकालाजिकल बैलेंस और एन्वारमैंट उतना ही जरूरी है जितनी और चीजें, लेकिन हमें कोई इस तरह का फार्मूला इवाल्व करना होगा कि जहां वन नहीं है, जहां सिर्फ फारेस्ट दर्ज है, उसके बावजूद फारेस्ट उसके रास्ते में आ रहा है तो उसको देखना होगा और फारेस्ट के अन्दर माइनिंग के काम में लिया जाता है, उससे ज्यादा फारेस्ट लगवाया जा सकता है। गोवा के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि आजादी से पहले ब्रिटिश, हुकूमत के जमाने में जब माइनिंग के कारण फारेस्ट कटता था तो उससे ज्यादा फारेस्ट माइनिंग के लोगों को लगाना पड़ता था। फारेस्ट के

अन्दर जितने खनिज हैं, जो खानें कई वर्षों से चल रही हैं, लेकिन अब फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट के कारण उनको रिन्यूवल नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई फार्मूला इवाल्व करने की जरूरत है, ताकि फारेस्ट भी बढ़े और खनिज संपदा का दोहन भी आराम से होता रहे।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय पंत जी के डायनामिज्म से इस डिपार्टमेंट की जो तरक्की होने वाली थी वह माननीय विश्व प्रताप सिंह जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसने उसके ऊपर वज्रपात कर दिया है। उन्होंने माइनिंग इंडस्ट्रीज पर एक तरह का वज्रपात कर दिया है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं सिलिका सैंड के बारे में, यह एक खनिज है जो हर तरह की इंडस्ट्री के लिए बेसिक रा-मटीरियल है, बहुत सस्ता खनिज है, उसको अगर पानी से धोकर उसकी मिट्टी हटा दी जाए तो उस पर एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। चिप्स जो फ्लोरिंग के अन्दर फर्श में डाला जाता है, उसको मारबल की कैटेगरी में रख दिया गया है और उसको साढ़े सात लाख तक की भी छूट नहीं दी गई है, पहले टन से एक्साइज देना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा जी ने जो स्वरोजगार योजना बनाई थी, उसके तहत 25 हजार रुपये का लोन लेकर मेरे संसदीय क्षेत्र में, किशनगढ़ में क्रेजी और चिप्स बनाने के कारखाने लगा रखे हैं और पति-पत्नी साथ मिलकर उसको चला लेते हैं, वे कहां से एक्साइज ड्यूटी के कानून कायदे समझेंगे, इंस्पेक्टर राज के अन्दर उनकी क्या हालत होगी ?

2.03 म० प०

माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

मेरा यही निवेदन है कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह, वित्त मंत्री जी से कि एक तालमेल बैठाकर और जो एक वज्रपात उन्होंने किया है, जब फाइनेंस बिल आए तब आप उसको देखें, ताकि उनको कुछ राहत मिल सके : एक तरफ तो पैट्रोल बढ़ा, गैस बढ़ी, राजस्थान में बिजली बढ़ी और वहां के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अन्दर लैण्ड टैक्स लगा दिया खान के ऊपर, इससे मुझे लगता है कि खनिज के प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा और यह 50 प्रतिशत रह जाएगा।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : पावर रेट्स कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से कहिए।

श्री विष्णु मोदी : पावर रेट तो कम करा लीजिए, लेकिन रायल्टी तो आप बढ़ा दीजिए। हिन्दुस्तान जिंक और हिन्दुस्तान कापर की वर्षों से आपने रायल्टी नहीं बढ़ाई है, अभी एक, डेढ़ रुपया बढ़ाई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब्स्टेंशली बढ़ाइए।

श्री राम बहादुर सिंह : दाम ज्यादा बढ़ाएंगे।

श्री विष्णु मोदी : हां, दाम ज्यादा बढ़ायेंगे और रायल्टी एक रुपया बढ़ायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर और देश भर में स्टीलग्रेड लाइम-स्टोन के बहुत भारी डिपाजिट्स हैं और एक तरफ तो डेफिसिट बजट चल रहा है और दूसरी तरफ लाइम स्टोन इम्पोर्ट करने की इजाजत दी जा रही है। कम से कम इस तरह का खिलवाड़ न किया जाए और इस खनिज संपदा का दोहन किया जाए, जिससे कम से कम हमारा जो डैफिसिट बजट हो रहा है इम्पोर्ट होने के कारण, इस

तरह से फारेन एक्सचेंज के दुरुपयोग को बचाया जा सके और उस डेफिसिट कोकम किया जा सके । इसके साथ-साथ ढगस्टोन स्ट्रेटजिक मिनरल है और राजस्थान में इसके भारी डिपाजिट्स हैं, लेकिन उनका दोहन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दोहन ठीक प्रकार से होना चाहिए । अभी आपने कहा कि नेशनल मिनेरल पालिसी फार दी बेनीफिकेशन आफ ट्रांसफर टैक्नोलाजी के लिए बना रहे हैं, लेकिन आज वक्त इस बात का आ गया है कि ठीक तरह की टैक्नोलाजी माइनिंग इण्डस्ट्री के अन्दर ट्रांसफर हो और आगे आने वाले समय में जिस तरह की इण्डस्ट्री की रिक्वायरमेंट हो, वह उसको निभा सके । हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड खेतड़ी के बारे में कहना चाहता हूं । कापर के डिपाजिट राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में हैं लेकिन हैड आफिस कलकत्ता में है । कुछ समझ में नहीं आया कि हैड आफिस कलकत्ता में क्यों है, जबकि इसको राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश में होना चाहिए था ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : बहुत से राजस्थानियों का कलकत्ता में ही हैड आफिस है ।

श्री विष्णु मोदी : राजस्थान वालों के तो हैं लेकिन पता नहीं हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की तो नींव ही कैसी पड़ी है । प्रोजेक्ट जब कन्सीव किया गया, उसके जो रिजर्व एस्टीमेट थे, वह भी नहीं मिले और जितनी उसकी टारगेट कैपेसिटी थी, वह भी बदलती रही । मैंने पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी की इन्क्वायरी रिपोर्ट पढ़ी है । जो अप्रूवल केबीनेट कमेटी मे हुआ, उसकी भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है । मैंने यह भी उसमें पढ़ा कि 35 हजार टन ताम्बे की हमारे देश के बाजार में जो कीमत थी, उसके रिवट, वे यू० के० को बेच दिए गए और वह भी कम दामों पर । उसके बारे में क्या हुआ, इसके साथ ही कुछ कांट्रेक्ट जो कांटेक्टर्स ने पूरे नहीं किए थे और क्या वह इन्क्वायरी आज तक चली आ रही है या पूरी हो गई है । खेतड़ी का यह आलम था कि क्या प्रोजेक्ट बना, क्या लगा, क्या मशीनरी लगी और कितना डिले हुआ, लेकिन विश्व में एक महत्वपूर्ण डिपाजिट अगूचा-रामपुरा में है । आप चंदेरीया में प्लान्ट को लगाने की सोच रहे हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चंदेरिया वहां से 80 किलोमीटर दूर है…… **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो० निर्मला कुमारी शकतावत : चन्देरिया एक उपयुक्त स्थान है ।

श्री विष्णु मोदी : आप अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं । मुझे अपने विचार रखने की स्वतन्त्रता है ।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : आप चित्तोड़ से आती हैं इसीलिए आप चंदेरीया में लगवाइए । हमें तो हिन्दुस्तान की बहबूदी को देखना है । ………(व्यवधान) आपको जो रेकरींग लास होने वाला है, उसके बारे में सोचिए । खनिज सम्पदा तो देश की संपत्ति है । आप उस प्रोजेक्ट को अगुचा-रामपुरा में लगाइए । एकसपर्ट कमेटी से दोबारा जांच करवाइए नहीं तो खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट की तरह ही हालत होगी । वर्षों से वह घाटे में चला आ रहा है । जब वह लगा था तो यह आश्वासन दिया गया कि जिनकी जमीनें गई हैं, उनको कम्पनसेशन के साथ-साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जायेगी । ………(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह समस्या सब की है। उन्हें भूमि नहीं रोजगार चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : जिनकी लैण्ड गई है, उनके लिए यह कमीटमेंट था। आज तक उनको नौकरी नहीं दी गई है। मैंने पिछली बार भी इसी सदन में स्टील और माइन्स की ग्रांट्स पर जब चर्चा हुई थी तो हिन्दुस्तान कापर प्रोजेक्ट के पोल्यूशन के बारे में माननीय मंत्री श्री साठे साहब का ध्यान आकर्षित किया था। ऐसा पता लगा है कि श्रीमती रामदुलारी सिन्हा जी खेतड़ी पधारी थीं। लेकिन शायद अफसरों के घेरे के बाहर नहीं जा सकी थीं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैंने तो मजदूरों को और सभी लोगों एड्रेस किया था।

श्री विष्णु मोदी : वहां जाकर देखिए कि उन खेतों की क्या हालत है, जहां पर अच्छी फसलें पैदा होती थीं। आज वहां की जमीन बेकार हो गई है। पीने का पानी पोल्यूट हो चुका है। आज हालत यह है कि राजस्थान सरकार का जो पोल्यूशन बोर्ड है, उसने हिन्दुस्तान कापर को एक्सपेन्सन न करने की इजाजत बन्द कर रखी है। भारत सरकार का अंडर अंडरटेकिंग होने की वजह से पोल्यूशन बोर्ड के रूल्स एण्ड रेग्युलेशन्स को अबाइड न कर रहा हो। जब हालत यहां तक पहुंच गई हो कि पोल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन ने इस बात का नोटिस दिया हो कि आप ऐसा करिए नहीं तो आपका कारखाना बन्द कर दिया जाएगा, जब उन्होंने एक्सपेंशन की इजाजत मांगी तो उन्हें एक्सपेंशन की इजाजत नहीं दी गई, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जब उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है, उसकी नींव इतनी कमजोर हो गई है तो अब सिर्फ माननीय मंत्री जी और राज्य मंत्री जी से ही कुछ उम्मीद रह जाती है कि आप खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट की स्थिति को सुधारने की दिशा में पहल करें। कभी उसकी कैपेसिटी के बारे में 31 हजार टन कहा जाता है, कभी 25 हजार टन की कैपेसिटी की बात कही जाती है, कभी कुछ और बोला जाता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सही रूप से आप वहां के अफसरों और स्वार्थ परस्त लोगों के घेरे से निकलकर किसी दिन खेतड़ी पधारें और वहां के सांसद विधायक और ग्राम-प्रधानों से मिलकर स्थिति की गम्भीरता को देखें। आप वहां काश्तकारों से मिलकर पूछिए कि उस जमीन और शहर का क्या हश्र हो गया है। इस आशा और उम्मीद के साथ माननीय मंत्री जी और माननीय राज्य मंत्री जी के नेतृत्व में इस विभाग में हमें उत्तरोत्तर प्रगति देखने को मिलेगी, मैं इस मंत्रालय से सम्बद्ध अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यद्यपि आप उन लोगों को मुआवजा दे रहे हैं जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है परन्तु जब तक आप उन्हें रोजगार नहीं देते तब तक आप उनकी सहायता नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनू) : जनाबे सदर, मोहतरिम, मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एण्ड माइन्स की डिमाण्डस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्नेह और विश्वसनीयता हृदय से उत्पन्न होती है, बाजार से नहीं खरीदी जा सकती और न ही तलवार की नोक पर उसे

स्थापित किया जा सकता है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान का झुन्झुनू है जहां पर हिन्दुस्तान कौपर प्रोजैक्ट है और खेतड़ी मेरे निर्वाचन क्षेत्र का खास हिस्सा है। जिस समय वहां इस प्रोजैक्ट की स्थापना की जा रही थी, तो वहां के लोगों को एक आशा थी कि जो क्षेत्र सालों-साल अकाल से ग्रस्त होता रहा है, जहां हमेशा अकाल की स्थति बनी रहती है, जहां लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता, कुओं के जल का स्तर जहां सालाना 15 फीट के हिसाब से नीचे गिरता जा रहा था, लोगों के पास रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, फकत यही एक साधन बना था कि कौपर प्रोजैक्ट की स्थापना की जा रही थी तो इससे लोगों की हिम्मत बंधी, सांत्वना मिली कि अब यहां के गरीबों को कुछ सहारा मिलेगा। सन् 1967 से, जबसे यह प्रोजैक्ट अमल में आया, तब से लेकर आज तक उस इलाके की ऐसी दर्दनाक हालत हो गई है और प्रोजैक्ट के अधिकारियों की नौकरशाही इतनी अधिक बढ़ गई है कि वहां के लोगों में हाहाकार मच गया है। वहां लोगों की जमीनें तो ले ली गईं परन्तु उनको कोई मुआवजा आज तक नहीं मिला। मुआवजे की बात तो दरकिनार, जैसा यहां पर मोदी साहब ने कहा, उन परिवारों में से एक व्यक्ति को नौकरी में लिए जाने की बात चली थी- लेकिन पिछले एक साल से वहां किसी भी आदमी को नौकरी नहीं मिली। यदि उससे पहले दी गई हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले एक साल में एक भी आदमी को एनरोल नहीं किया गया। मैंने स्वयं एक व्यक्ति की सिफारिश की थी लेकिन आज उसको भी एक साल होने जा रहा है, अभी तक वह नौकरी पर नहीं लिया गया है। इससे आप स्थिति की गम्भीरता का स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। उस इलाके में चारों तरफ हाहाकार है। किसी भी गांव में शायद ही कहीं आपको पीने का पानी मिलेगा, वरना सब जगह बुरी तरह सूखा पड़ा है। कुछ तो कौपर की वजह से और कुछ बारिश न होने की वजह से स्थिति बहुत खराब है। दूसरी ओर कौपर प्रोजैक्ट में स्थिति यह है कि वहां इतनी अफसरशाही और घोटाला फैला है, यदि आप उसकी जांच करायें तो आपको कई राज पता चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे मन्त्री जी शीघ्र ही कौपर प्रोजैक्ट का स्वयं दौरा करना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप वहां के जन-प्रतिनिधि को अवश्य विश्वास में लें। क्योंकि जब भी हमारी राज्य मन्त्री जी उस तरफ गई हैं, हम एम०पी० या विधायकों को उनकी कोई सूचना नहीं मिलती। वे कब वहां जाती हैं और किस से बात करके आ जाती हैं, अफसोस की बात तो यह है कि वहां के मजदूरों और मजदूर-नेताओं की कोई नही सुनता, उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता और हम लोगों तक को पूछा नहीं जाता है। ऐसे लोगों को वहां प्रोत्साहन मिलता है जो लोग अफसरशाही से मिले हुए हैं या जब भी वहां सैक्रेटरीज वगैरह जाते हैं तो उनका स्वागत और सम्मान जोरों से किया जाता है। जब स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है तो वहां के लोगों को कैसे राहत मिल सकती है। मैं उम्मीद करूंगा और सवाल करूंगा कि वहां ई० डी० (एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर) मिश्र साहब थे, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि हिन्दुस्तान कॉपर के चेयरमैन वे किस तरह से बने। चेयरमैन का सिलेक्शन किस बिना पर होता है और किस बिना पर उनका सिलेक्शन हुआ ? जब उनका चेयरमैन के लिए सिलेक्शन हुआ, तो कितने लोग उनसे सीनियर निकले थे, यह भी मैं जानना चाहता हूं। वे अपने आप को शो करने के लिए क्या-क्या काम वहां करते रहे यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। वहां पर कॉपर कॉलेज की स्थापना होने वाली थी,

उसके लिए वहां चन्दा लोगों से वसूल करते रहे और वहां के जनप्रतिनिधि को पूछा भी नहीं जा रहा था। ऐसे लोगों से जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों में ही लगे रहते हैं, उनसे मजदूरों की बेहतरी और मजदूरों के कल्याण की आप क्या आशा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में, मैं मन्त्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि वे जब भी अपना वहां जाने का प्रोग्राम बनाएं, तब पार्लियामेंट के मैम्बर को भी अपने साथ लें, उनका जैसा स्वागत वहां अफसर करते हैं, उससे भी अच्छा स्वागत हम वहां पर कराएंगे लेकिन वे हमें सूचना तो दें, कि हम वहां जा रही हैं।

जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं वहां के लेबर की सुविधाओं के अभाव के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर उनके लिए न तो प्राइमरी स्कूल बना सका है न वहां उनके लिए कोई मैडिकल फेसिलिटीज हैं। अगर उस एरिया में इतना बड़ा प्रोजैक्ट लगा हुआ है, तो उस प्रोजैक्ट के हिसाब से वहां के लोगों को फायदा मिलना चाहिए, लेकिन वहां पर उन लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। इस प्रोजैक्ट के बनने से वहां के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें, थीं किन्तु उनकी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हो सकी है। वहां पर डाबरा से सिंघाना तक कापर का सामान ले जाने के लिए एक मालगाड़ी 1967 से चल रही है, किन्तु वह सिर्फ सामान ही ढोती है। क्या उसमें मालगाड़ी के डिब्बों के साथ-साथ कुछ सवारी डिब्बे नहीं लग सकते हैं जिनमें कि वहां के मजदूर बैठकर अपनी ड्यूटी पर जा सकें। इस बारे में मैं मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के लोगों ने ट्रेन की शक्ल ट्रेन में बैठकर नहीं देखी है। वहां के मजदूर बहुत खस्ता हालत में है। वे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए दस-दस और पन्द्रह पन्द्रह मील पैदल सफर करके आते हैं, लेकिन उनके लिए गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि इस गाड़ी में सवारी के बैठने के डिब्बे लगाए जाने के बारे में विचार किया जाए।

उनके लिए एक फेमिली वेलफेयर फण्ड वहां स्थापित किया गया था लेकिन उस फण्ड का फायदा वहां के आफिसरों की औरतों को ही मिलता है। वहां के जो गरीब मजदूर हैं उनकी औरतों को उसमें शामिल नहीं किया जाता है सिर्फ वहां के स्टाफ और अधिकारियों की औरतें ही उसमें शामिल होती हैं।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं वहां हाउसिंग प्रोब्लम के बारे में बताना चाहता हूं। यहां आप कहती हैं कि वहां इतने मकान बन गए, इतनी सुविधायें दे दी गईं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो मजदूर इस मुल्क के लिए दिन-रात मेहनत करता है, अपना खून पसीना एक करके मुल्क की वह खिदमत कर रहा है, लेकिन उसके रहने के लिए वहां कोई बंदोबस्त नहीं है। इसलिए मेरी मंत्री महोदय से गुजारिश है कि उनके रहने के लिए वहां पर कोई उचित बंदोबस्त कीजिए। उसके लिए आप कम से कम कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो इतना तो कीजिए कि कम्पनी से मकान बनाने के लिए लोन ही दिलवाइए ताकि वे उस लोन की मदद से अपना मकान बना सकें। वहां पर उनके बच्चों के लिए तालीम की व्यवस्था करिए ताकि वे गरीब मजदूर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकें। वहां के लोगों की इस प्रोजैक्ट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थीं किन्तु इस प्रोजैक्ट के बनने से वहां के लोगों को कुछ नहीं मिला है।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करते हुए गुजारिश करूंगा कि वहां जो कॉपर से गैस लीक होती है, उससे वहां की फसलें बर्बाद हो गई हैं, वहां के पानी का टेस्ट बदल गया है, इस तरफ वे ध्यान दें। मैं मंत्री जी से यह भी गुजारिश करूंगा कि

वहां पर कितने लोग उस इलाके के हैं और कितने लोग बाहर से आकर नौकरी कर रहे हैं। वहां पर अगर इनरोलमेंट ज्यादा हुआ है, तो वह किसके कहने से हुआ किस आदमी ने कहा था कि आप ज्यादा इनरोल कर लें, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं :

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि इस प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में किन-किन ठेकेदारों पर मुकदमा चला था और किन-किन को ठेका देने से अलग कर दिया था क्या ऐसा नहीं है कि अब उन्हीं ठेकेदारों को पुनः लाया जा रहा है और उनको ही ठेके दिए जा रहे हैं ? इसकी आप इन्क्वायरी कर लें कि किस-किस को चार्ज लगाकर पहले हटा दिया गया और अब उनको ही वापिस बुलाया गया है और ठेका दिया जा रहा है।

इसके बाद, मैं गुजारिश करूंगा कि किस-किस जमींदार की जमीन अभी तक उस कम्पनी के अन्दर है, उसका मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ? उस मुआवजे के मुकदमें की खातिर कितने स्टाफ ने एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टी. ए. और डी. ए. ले लिया ? अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो उस जमीन की कीमत से कई गुना ज्यादा पैसा इस मामले में उपलब्ध करा लिया गया है।

मेरी गुजारिश है कि उस क्षेत्र के लिए और उस प्रोजेक्ट की तरक्की के लिये जो काम कर रहे हैं, उसमें वहां के जो जन-प्रतिनिधि हैं, उनको भी साथ लिया जाए, उनको भी विश्वास में लीजिये ताकि वहां के लोगों को वह बता सकें कि हम आपकी खिदमत के लिये हैं, आपकी फैसेलिटीज दिलाने के लिये हैं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बार इस्पात मंत्रालय की रिपोर्ट में उत्पादन में सुधार दिखाया गया है। सरकारी क्षेत्र में वर्ष 1985-86 में गत वर्ष की तुलना में 75 लाख टन अधिक उत्पादन किया जाएगा। गत वर्ष की तुलना में यह 14 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष सरकारी क्षेत्र में 60 लाख टन उत्पादन किया जाएगा। अगले वर्ष इस्पात का उत्पादन 70 लाख टन के निर्धारित लक्ष्य पर पहुंच जाएगा और रिपोर्ट में बताया जाता है कि यह 16 प्रतिशत वृद्धि होगी।

रिपोर्ट के पृष्ठ 9 पर दिखाई गई इस प्रगति के बावजूद मांग और उपलब्धता में अन्तराल बढ़ रहा है। महोदय, वर्ष 1986-87 के लिए मांग 119 लाख टन है जबकि उपलब्धता 107 लाख टन है। और इसी प्रकार 12 लाख टन का अन्तर रह जाता है। यह अन्तर और बढ़ रहा है और रिपोर्ट के अनुसार 1999-2000 में मांग 222 लाख टन और इस्पात की उपलब्धता 172 लाख टन होगी और अन्तर बढ़ कर 53 लाख टन हो जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वे किस प्रकार इस अन्तर को पूरा करेंगे ? इस समय सरकारी क्षेत्र के किसी भी इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से विचार नहीं किया जा रहा है। अतः सरकार इस समय सरकारी क्षेत्र के किसी भी इस्पात संयंत्र के विस्तार पर विचार नहीं कर रही है। अतः अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार का प्रस्ताव क्या है। सरकार या तो आयात करेगी या किसी अन्य तरीके से उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेगी।

हम कह रहे हैं कि सरकार ने इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है कि उत्पादन किस प्रकार और किस ढंग से बढ़ाया जाएगा। हमें चिन्ता इस बात की है कि आयात पहले ही

काफी बढ़ चुका है। वर्ष 1984-85 में 647.2 हजार टन का आयात किया गया जिसका मूल्य 315.43 करोड़ रुपये था और निर्यात में गिरावट आई है, यह केवल 153.4 हजार टन है जिसका मूल्य केवल 17.72 करोड़ रु० है।

आमतौर पर देखने में आया है कि निर्यात में गिरावट आई है। इस मामले में भी निर्यात कम है और आयात अधिक है। अत: हमारा इस बात से चिन्तित होना स्वाभाविक है कि अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार का प्रस्ताव क्या है। वास्तव में सरकार कहती है कि जहां तक भारत का सम्बन्ध है बड़े पैमाने पर समन्वित इस्पात संयंत्र के लिए बी. ओ. एफ. प्रक्रिया उपयुक्त प्रौद्योगिकी,है जबकि लघु और मध्यम प्रतिवर्ष 10 लाख टन क्षमता वाले के श्रेणी के इस्पात संयंत्रों के लिए ई. ए. एफ. उप- युक्त हैं। अभी भी सरकार दुविधा में है। मैं पुन: सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अन्तर को किस प्रकार पूरा किया जाएगा।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि क्षमता के उपयोग में कुछ सुधार हुआ है। इस वर्ष औसतन. 74 प्रतिशत है। वर्ष 1984-85 में यह 68 प्रतिशत थी। हालांकि इस सम्बन्ध औसतन सुधार हुआ है परन्तु राउरकेला दुर्गापुर और इस्को में ऐसा सुधार नहीं हुआ है जैसाकि भिलाई और कुछ अन्य संयंत्रों में हुआ है। हमें बताया गया कि दुर्गापुर में एम. ई. सी. ओ. एन. ने आधुनिकीकरण के लिए 1200 करोड़ रुपये की एक परियोजना बनाई है परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार ने राउरकेला की तरह वर्ष 1986-87 के लिए केवल 35 करोड़ रु० निर्धारित किए हैं। यह स्वाभाविक है कि लागत बढ़ेगी और दुर्गापुर को क्षति होती रहेगी : कृपया दुर्गापुर के आधुनिकीकरण के लिए उपयुक्त कदम उठाएं। जहां तक इस्को की समस्याओं का सम्बन्ध है कुछ वर्ष पहले लोग सोचते थे कि शायद इस्को कभी भी कामयाब नहीं होगा परन्तु इस्को में भी विकास हो रहा है। हमें बताया गया है कि सरकार ने रूस को आमन्त्रित किया है और रूस ने इस्को के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी परन्तु अचानक हमें पता लगा कि जापान की कोई फर्म इस कार्य के लिए आगे आई है। सरकार कहती है कि :—

"जहां तक भारत का सम्बन्ध है बड़े समन्वित इस्पात संयंत्रों के लिए बी. ओ. एफ. प्रोसेस, ही उपयुक्त प्रौद्योगिकी रहेगी।"

हमने स्वयं देखा है कि भारत में सबसे अच्छी प्रबन्ध व्यवस्था भिलाई में है। इसके बाद बोकारो का नम्बर है। ये दो संयंत्र सोवियत संघ की सहायता से बनाए गए थे। यह हो सकता है कि वह प्रौद्योगिकी बदल रही है परन्तु जब तक पमारे पास पर्याप्त यात्रा में कोयला है रूस द्वारा दी गई प्रौद्योगिकी सबसे ज्यादा उपयुक्त है। अब अचानक सरकार को क्या हुआ जो उसने जापान को आमन्त्रित ि या है जबकि रूस ने इस्को के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बोकारो में उत्पादन में सुधार करने का बहुत अच्छा अवसर है। कुछ विस्तार किए गए हैं परन्तु हमें बताया गया है कि बोकारो में हम बढ़ाई गई गई क्षमता का लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि आक्सीजन संयंत्र पर्याप्त आक्सीजन सप्लाई करने में असमर्थ है। हमारे लिए यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। सरकार की आर्थिक नीति से हमें पता चलता है कि नीति को सरकारी क्षेत्र से गैर सरकार क्षेत्र में ले जाने के प्रयास किए जा रहे

हैं। 'सेल' के कार्यकरण में सुधार हुआ है परन्तु सरकार में ऐसे तत्व हैं जो इसे सरकारी क्षेत्र से गैर-सरकारी क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं।

महोदय, 21 फरवरी को राज्य सभा में प्रश्न उठाया गया था और यह कहा गया था कि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के सहयोग से इस्पात संमंत्रों के लिए 100 करोड़ रुपये के कंप्यूटीकरण कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है। अचानक ही आपने जापान को आमंत्रित कर लिया है। कंप्यूटीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। भिलाई के लिए हमें बताया गया कि आप एक परामर्शदाता की तलाश में हैं और वह परामर्शदाता मिल भी गया है और यह परामर्शदाता अमेरीका का है। जो प्रौद्योगिकी भारत के रूस जैसे मित्र देश से आती है और यदि हम अमेरीका जैसे देशों से परामर्शदाता लाते है -जिसके बारे में हम जानते है कि वे क्या हैं और वे क्या कर रहे हैं—तो यह स्वाभाविक है कि सोवियत रूस से सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है और अमरीकी परामर्शदाता द्वारा सब देख लिया जाता है तो अमेरीका से आए व्यक्ति को सब कुछ जानकरी मिल जाएगी। तब सभी जानकारी अमरीका को मिलती रहेगी। मेरे विचार से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ताकि इस सम्बन्ध में समुचित कदम उठाए जा सकें।

अब मैं महिला मंत्री महोदया का ध्यान लौह अयस्क के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। लौह अयस्क के मामले में तीन प्रकार की लौह अयस्क खाने हैं—रक्षित (केपटिव), सरकारी क्षेत्र की, और गैर-सरकारी क्षेत्र की उड़ीसा के मेरे मित्र ने बिहार और उड़ीसा की लौह अयस्क खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की बुरी स्थिति के बारे में पहले ही कह दिया है। उन खानों पर गैर-सरकारी एजेंटों, गैर-सरकारी पार्टियों का नियंत्रण है। सरकार द्वारा नियंत्रित लौह अयस्क खानों अथवा कैपटिव लौह अयस्क खानों में स्थिति बेहतर है क्योंकि उनमें काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति गैर-सरकारी क्षेत्र की खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की स्थिति से अच्छी है। खानों में कार्य करने वाले अधिकांश व्यक्ति जनजातियों के हैं। अधिकांश व्यक्ति क्यों? शत प्रतिशत श्रमिक जनजातियों के हैं। उन्हें पीने का पानी नहीं दिया जाता, उन्हें रहने के लिए मकान नहीं दिया जाता। मेरे विचार से उन्हें आवास और पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनसे उपकर राशि के रूप में कुछ धनराशि ली जाती है। मैं यह जानना चाहूंगा। कि उनसे उपकर राशि के रूप में कितनी धनराशि ली जाती है? उस धनराशि पर किसका नियंत्रण रहता है? वे यह धनराशि उस क्षेत्र के विकास के लिए, वहां के निर्धन श्रमिकों के लिए क्यों नहीं खर्च करते?

महोदय, यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि वे गैर-सरकारी रहना चाहते हैं, तो उन्हें गैर-सरकारी खानें रहने दिया जाए। परन्तु उन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए तथा जो धनराशि उपकर के रूप में एकत्र की जाती है वह उस क्षेत्र के विकास पर तथा जनजातियों के उन निर्धन व्यक्तियों के विकास पर खर्च करना चाहिए जिन्हें सरकार सभी लाभ प्रदान करना चाहती है। उन क्षेत्रों में श्रमिकों की स्थिति बड़ी भयावह है। वे बंधुआ मजदूरों की तरह हैं। उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं है। गैर-सरकारी खानों के स्वामियों ने उन्हें पीटने और बेइज्जत करने

के लिए गुंडे रखे हुए हैं। इन श्रमिकों के कल्याण की देख-रेख के लिए वे कोई यूनियन नहीं बना सकते। हमारे देश में खान क्षेत्रों में अभी भी जंगल का नियम लाग है। स्मटाओं और बिड़लाओं की यही नीति है।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों को एच. एस. सी. एल के कर्मचारियों की समिति के प्रतिवेदन के बारे में बताना चाहूंगा। भारत में इस्पात उद्योग के विकास की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। यह नई है तथा पक्ष-विपक्ष, दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि हमारे राष्ट्र का भविष्य इस्पात उद्योग के विकास पर निर्भर करता है और उसके लिए श्रमिकों के कल्याण का प्राथमिक महत्व है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री देश में इस्पात उद्योग के विकास के लिए अनेक देशों में गए। साम्राज्यवादी देश भारत में कोई इस्पात उद्योग देखना नहीं चानते थे। अंततः सोवियत संघ ने भिलाई में इस्पात संयंत्र लगाने के लिए हमारी सहायता की। हमारे इस्पात उद्योग के इतिहास में वह एक मोड़ था। अब यह 'इस्पात युग' है, 'लोह युग' है। सरकार ने एच० एस० सी० एल० कम्पनी की स्थापना 1. ,000 श्रमिकों तथा कर्मचारियों, अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ की थी। तब और अधिक इस्पात संयंत्रों की स्थापना की योजना थी। अब सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वह और अधिक इस्पात संयत्र स्थापित नहीं करेगी।

प्रो० एन० जी० रंगा : हम और अधिक इस्पात संयंत्र स्थापित करेंगे।

श्री नारायण चौबे : नहीं। यदि इस्पात संयंत्र के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि की आवश्यकता होती है तो सरकार केवल 1 करोड़ रुपए मंजूर करती है। अतः आप समझ गए कि कि किस प्रकार आप अधिक संयंत्र स्थापित करेंगे। इसलिए महोदय, सरकार ने सोचा कि यह कम्पनी बन्द हो जाए और सभी श्रमिकों की नौकरी चली जाए। परन्तु अब हम माननीय मन्त्री श्री पन्त के आभारी हैं। श्रमिकों ने 14 नवम्बर को उनसे भेंट की और एक ज्ञापन दिया ताकि कम्पनी को सक्षम बनाया जा सके और चूंकि हमें आज अथवा भविष्य में अधिक इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता है इसलिए सक्षम संयंत्रों की देख-रेख सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह बताने का अनुरोध करूंगा कि सक्षमता रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार का क्या मत है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या कम्पनी चलती रहेगी और श्रमिकों की छटनी नहीं की जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं अनना भाषण समाप्त करता हूं और यह आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस वाद-विवाद के उत्तर में उन मुद्दों को स्पष्ट करेंगे जो मैंने अपने भाषण के दौरान उठाए हैं।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। इस्पात मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं मन्त्री महोदय का, अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित मामले की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा। लगभग चार वर्ष पहले तत्कालीन इस्पात मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में दिलदार नगर में इस्पात ढलाई संयंत्र लगाने की घोषणा की थी। इसके लिए स्थान का चयन कर लिया गया था और परियोजना को मंजूरी दे दी गई थी। परन्तु परियोजना की मंजूरी के बाद इस्पात मंत्रालय के अधिकारी इस संयंत्र की स्थापना के प्रति उदासीन रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने और मैंने इस मामले को अनेक मन्त्रालयोंः वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री और तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती

इन्दिरा गांधी के साथ उठाया और एक संयुक्त बैठक बुलाई गई जिसमें 1984 में किसी समय माननीय वित्त मन्त्री, उद्योग मन्त्री, इस्पात मंत्री और योजना मंत्री मिले थे तथा परियोजना को अन्तिम रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी और इस परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। इस संयंत्र को आरम्भ करने की घोषणा उत्तर प्रदेश के विभिन्न मुख्य मंत्रियों ने जिनमें वर्तमान वित्त मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और वर्तमान उद्योग मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी भी शामिल हैं, स्वयं गाजीपुर में की थी। यहां तक की प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने भी इस संयंत्र को खोलने के बारे में गाजीपुर में घोषणा की है। गाजीपुर के लोग कार्य शुरू होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने भी माननीय श्री पंत जी के पूर्ववर्तियों को अनेक पत्र लिखे हैं और हाल ही में मुझे एक उत्तर प्राप्त हुआ है जो बहुत दुख पहुंचाने वाला है। माननीय पंत जी ने कहा है कि चूंकि वित्त मंत्रालय को आवंटित की गई धनराशि बहुत अपर्याप्त है इसलिए 7 वीं योजना के दौरान काय आरम्भ नहीं किया जा सकता। इससे मुझे और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को बहुत दु:ख पहुंचा है। मुझे पूरा विश्वास है कि सदन को इसे सुनकर दु:ख पहुंचेगा।

महोदय, जैसाकि मैंने कहा है, इसकी घोषणा की जा चुकी थी, स्थल का चयन किया जा चुका था और एक करोड़ रुपए की धनराशि भी आवटित की जा चुकी थी। इसकी घोषणा कई माननीय मंत्रियों द्वारा की गई थी। एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी और यह निर्णय किया गया था कि इस परियोजना पर कार्य आरम्भ किया जाएगा। अब माननीय पंत जी कहते हैं कि यह सातवीं योजना के दौरान आरम्भ नहीं की जा सकती।

अब क्या करें? संयंत्र की मंजूरी क्यों दी गई थी? इसकी घोषणा क्यों की गई थी? पहले इन बातों का पूर्वानुमान क्यों नहीं लगाया गया? क्यों अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे नेता, मंत्रीगण लोगों में जनता में घोषणाएं करते हैं। यह मेरा कार्य है और मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा, चाहे भले ही पंत जी मेरी बात सुनें अथवा नहीं सुनें मैं अपने मामले को उठाता रहूंगा।

मेरे विचार से इस्पात मंत्रालय में इस संयंत्र के विरुद्ध कोई लाबी कार्य कर रही है। मुझे नहीं पता क्यों? मुझे आशा है कि माननीय इस्पात मंत्री जी मुझे इस आरोप के लिए क्षमा करेंगे कि उनके मंत्रालय में एक उत्तर प्रदेश विरोधी लाबी है, क्योंकि ऐसा न केवल मेरे ही मामले में होता है बल्कि अन्य मामलों में भी होता है।

श्री राजकुमार राय (घोसी) : वे शत प्रतिशत सही कह रहे हैं।

श्री जैनुल बशर : इस संयंत्र के विरुद्ध एक लाबी कार्य कर रही है। यह कहते हुए मुझे अत्यन्त खेद है। किन्तु मुझे यह कहना पड़ा है।

(**श्री कृष्ण चन्द्र पंत**) : कम से कम इससे अन्य राज्य तो आश्वस्त हो गए हैं कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

श्री जैनुल बशर : सम्पूर्ण देश में सरकारी क्षेत्र पर खर्च की जाने वाली कुल धनराशि में उत्तर प्रदेश का हिस्सा केवल 4 प्रतिशत है। मात्र 4 प्रतिशत। कुछ कारण ऐसे हैं, जिनकी वजह से मैं बहुत सी बातें नहीं कह सकता। कुछ कारणों की वजह से लोग आंदोलन नहीं कर सकते। देश के हित में हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना होता है। मुझे आशा है कि मेरी भावनाओं

और मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता की भावनाओं को पंतजी अच्छी तरह से समझते होंगे। इस समय वे दिल्ली से चुनाव जीत कर आए है, किन्तु वे रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं अच्छी तरह जानता हूं।

श्री जैनुल बशर : मैं अधिक नहीं कहूंगा। मैं आपके जरिए यह अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करें ताकि संयंत्र संबंधी कार्य इस अवधि के दौरान शुरू हो जाए। मुझे यह नहीं पता कि कैसे होगा। यह देखना आपका काम है कि यह कैसे किया जा सकता है।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : उपाध्यक्ष जी, राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास के लिए इस्पात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार शरीर में अस्थियों का महत्व है उसी प्रकार राष्ट्रीय विकास तथा अर्थव्यवस्था के ढांचे में इस्पात का महत्व है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सन् 2000 ई० तक इस देश में लगभग 5,000 टन इस्पात की कमी हो जाएगी। इस संबंध में कतिपय निकायों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह अनुमान लगाया गया है। मैं समझता हूं कि यह अनुमान बहुत कम है क्योंकि इस्पात, लकड़ी का स्थान बहुत तेजी से ले रहा है। यहां तक कि मकानों के निर्माण में, दरवाजों की चौखटों तथा खिड़की की चौखटों में, लकड़ी के बजाय इस्पात का प्रयोग किया जा रहा है। यदि हम इस बात पर विचार करें तो मेरे विचार से मांग और आपूर्ति के बीच इस्पात की कमी सन् 2000 ई० तक बढ़कर 100 लाख टन तक पहुंच जाएगी। इस स्थिति में, हम क्या करने जा रहे हैं? जब कमी होती है तो कालाबाजारी की संभावना भी हमेशा बनी रहती है, और काले धन की बढ़ोत्तरी होती है तथा जन सामान्य को इस्पात प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सब बातों को देखते हुए, हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि पिछले तीन वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड घाटे में जा रहा है। राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भारी घाटा हुआ है। यह घाटा पिछले वर्ष से अर्थात् तीन वर्ष पहले से हो रहा है। हमने कीमतों में 15 प्रतिशत वृद्धि कर दी है, और इस वृद्धि से इन इकाइयों को कुछ सीमा तक न लाभ और न हानि अथवा आंशिक लाभ की स्थिति तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

हमारे संयंत्र बहुत पुराने हैं, ये छठे और सातवें दशक के हैं। मशीनें पुरानी पड़ चुकी हैं। बिजली की सप्लाई अनियमित है, और इसीलिए क्षमता से कम उपयोग हुआ है। अब इसमें वृद्धि हुई है। किंतु घाटे का एक मात्र कारण सिर्फ यही नहीं है। हमें यह पता लगा है कि इस्पात-निर्मित वस्तुएं, भारी मात्रा में अनावश्यक रूप से अस्वीकृत पड़ी हैं। कुछ वस्तुएं चोरी-छिपे बेच दी जाती हैं। जब अस्वीकृत माल को नीलाम किया जाता है, तो कुछ वस्तुएं भार में भी कम पाई जाती हैं। यह सब पुरानी पड़ चुकी मशीनों, बिजली की अनियमित सप्लाई तथा अन्य कारणों की वजह से होता है।

इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लागत में इतनी अधिक वृद्धि क्यों हो रही है? हमें बार-बार इस्पात की कीमतों में वृद्धि क्यों करनी पड़ती है? यह ऐसा मामला है जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जब हमें अपने देश में लाखों टन कच्चा लोह अयस्क और कोयला उपलब्ध है, तो हमें इस्पात की कीमत में अवश्य कमी कर देनी चाहिए।

यह अच्छी बात है कि कोयला विभाग को इस्पात और खान विभाग से अलग कर दिया गया है। किंतु इस्पात उद्योग में कोयले का महत्व बरकरार है। कोयले की खराब किस्म होने, और कोयला सप्लाई की लागत अत्यधिक होने के कारण इस्पात की कीमत में वृद्धि हो रही है।

इस्पात और ऐल्यूमिनियम जैसे अन्य खनिजों के उत्पादन में भी हमारी ऊर्जा की खपत दुगने से अधिक हो रही है, हमें इस स्थिति को सुधारना होगा। कुछ मामलों में हमारे अनुसंधान तथा विकास विभाग ने सुधार के उपायों की खोज की है, किन्तु इन्हें बड़े पैमाने पर नहीं अप-नाया जा रहा है; और इसीलिए ऊर्जा की खपत अधिक हो रही है।

ऐल्यूमिनियम के मामले में हम देखते हैं कि लागत का 40 प्रतिशत व्यय ऊर्जा पर होता है, जिसकी कि कच्चे ऐल्यूमिना से एल्यूमिनियम का उत्पादन करने में आवश्यकता होती है। एक टन ऐल्यूमिनियम तैयार करने के लिए लगभग 16,000 किलोवाट बिजली खर्च होती है। इस संबंध में, बिजली की खपत को कम करने के उपाय खोजने के प्रयास करने चाहिएं, ताकि हमारे ऐल्यूमिनियम तथा इस्पात के उत्पादों में लागत के अनुसार वृद्धि हो सके।

हमें बताया गया है कि इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाये जाने वाले प्रमुख कदमों में से एक कदम यह है कि मिनी इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए अधिक संख्या में लाइ-सेंस प्रदान किए जाएंगे। वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 110 पर दी गई जानकारी को पढ़कर मुझे आश्चर्य है—जो इस प्रकार है :

> "मिनी इस्पात संयंत्रों का उत्पादन वर्ष 1989-90 तक 28 लाख टन और 1994-95 तक 35 लाख टन तक हो जाने की संभावना है। अब तक 1196 मिनी इस्पात संयंत्रों को लाइसेंस दिए जा चुके हैं, जिसमें से 47 लाख टन की उत्पादन क्षमता वाले 159 संयंत्र पहले ही लगाए जा चुके हैं।"

यदि ये आंकड़े सही हैं, तो मैं मंत्री जी से एक विशेष प्रश्न करना चाहूंगा : यदि 159 इस्पात संयंत्र एक वर्ष में 47 लाख टन इस्पात का उत्पादन कर सकते हैं तो फिर 1196 इस्पात संयंत्र 400 लाख टन इस्पात का उत्पादन कर सकते हैं। क्या वार्षिक रिपोर्ट में गलत आंकड़े छपे हैं अथवा ये आंकड़े सही हैं? यदि ये सही आंकड़े हैं तो एक हजार से अधिक मिनी इस्पात संयंत्र आपके उत्पादन को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। मान लीजिए ये आंकड़े गलत हैं; ये वार्षिक रिपोर्टें मंत्रियों के हस्ताक्षरों से प्रमाणकित की जाती हैं। ये वार्षिक रिपोर्टें किसके द्वारा दी जानी चाहिए, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यदि आंकड़े गलत हैं, यदि ऐसे गलत आंकड़े संसद में दिए जाते हैं, तो फिर अन्य विभागों को किस तरह के आंकड़े भेजे जा सकते हैं? जब, अब तक 1196 मिनी इस्पात संयंत्रों को लाइसेंस दिए जा चुके हैं और केवल 159 संयंत्रों ने ही उत्पादन शुरू किया है, तो हम बाकी लगभग 900 इस्पात संयंत्रों को दिए गए लाइसेंसों के संबंध में पुनर्विचार कर सकते हैं। आप अन्य उद्यमियों को भी लाइसेंस दीजिए ताकि और अधिक इस्पात संयंत्रों की स्थापना की जा सके। अन्यथा, बड़े व्यापारियों और कुछ अन्य चालाक उद्यमियों की यह प्रवृति है कि वे सिर्फ लाइसेंस ले लेते हैं और इस्पात संयंत्रों तथा कारखानों, जिनके लिए लाइसेंस लिए जाते हैं, नहीं खोलते।

हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि हमने अंटार्टिका में भी खोज शुरू कर दी है। यदि हम अंटार्टिका जैसे महाद्वीप में खानों का पता लगा सकने में समर्थ हो गए तो इससे खनिजों की *उपलब्धि की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न* प्रकार के खनिज पदार्थों के लिए *समुद्र तल में तेजी से अन्वेषण करने की जरूरत है और समुद्र तल से प्राप्त हुए पिण्डों से हमें यह* पता चलता है कि समुद्र में भिन्न-भिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं और यदि हम उनकी तेजी से खोज करें और उन्हें बाहर निकाल लें तो इससे हमारे देश को लाभ होगा।

हमें लगता है कि कोलार सोना खानें अब समाप्त हो रही हैं और उनमें सोने का भण्डार कम होता जा रहा है बिहार में, जहां के हमारे राज्य मंत्री जी हैं, हमें पता चला है कि स्वर्णरेखा नदी की घाटी में सोना मिलने की सम्भावना है इसकी खोज की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र की बातों का समर्थन करता हूं जिन्होंने पहले कहा था कि कारखानों में स्थानीय लोगों को ही नियोजित किया जाना चाहिए। अन्यथा वरिष्ठ अधिकारियों की जहां कहीं भी वे जाते हैं उनकी प्रवृत्ति अपने राज्यों से लोगों को वहां लाने की होती है। यहां तक कि यह माना जाता है कि खानसामा उसके राज्य से ही लाया जा सकता है क्योंकि उसके खाने का स्वाद विशेष होगा। लेकिन बंगले में कार्यरत माली के बारे में क्या कहना, उसे भी राज्य के बाहर से ही लाया जाता है। खान के लिए जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है उन्हें फिर से रोजगार प्रदान नहीं किया जाता। इस बात के लिए भरसक प्रयास किये जाने चाहिए कि स्थानीय रोजगार कम-से-कम स्थानीय अर्ध-कुशल तथा कुशल लोगों को ही दिया जाए ताकि लोगों को उस क्षेत्र में लगाई गई यूनिट के प्रति कोई आक्रोश न हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस्पात तथा खान मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के मामले में जब भी हमने यह मसला उठाया कि हमारे यहां कोई हैवी इन्डस्ट्री नहीं लगी है तो उसका यह जवाब दिया गया कि जम्मू-कश्मीर में रा-मैटीरियल नहीं है। न वहां स्टील की खानें हैं, न किसी और चीज की खानें मिल रही हैं। इसका उत्तर मैं इस तरह से दे रहा हूं कि 1947 के बाद से जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से कभी कोई कोशिश ईमानदारी के साथ नहीं की गई। जितने आपके पास साधन हैं, जितनी आपके पास टेक्नोलाजी है, जितनी आपके पास जानकारी है उसको लेकर आप जम्मू कश्मीर में खुदाई कर सकते थे, एक्सप्लोरेशन कर सकते थे। इस चीज को ढूंढ सकते थे कि हमारे पास कितना रॉ-मैटीरियल हो सकता है, उसकी सरकार ने चिंता नहीं की, जिसकी बिना पर वे चीजें सामने नहीं आईं और यह सही है कि जम्मू-कश्मीर ही पूरे मुल्क में, पूरे देश में ऐसी रियासत है जहां कोई साधन नहीं हैं, हमारे पास ऐसा कोई प्रेशियस मटीरियल नहीं निकलता है, लेकिन मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि महाराजा हरिसिंह के वक्त जब हमारे यहां रजवाड़ाशाही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहां नहीं आने दिया। इसलिए उन्होंने कभी एक्सप्लोरेशन का रास्ता नहीं अपनाया। माइनिंग एण्ड जियालाजिकल सर्वे का काम इसलिए नहीं किया कि

ब्रिटिश सरकार की नजर वहां न पड़े और उनको पता न चले कि वहां पर तांबा, मैंगनीज, फास्फोरस, रूबी आदि कोई चीज मिल रही है या पैट्रोल मिल रहा है और कहीं स्टेट उनके हाथ से निकल न जाए, यह कारण था। यह हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैं बताना चाहता हूं, इसलिए महाराजा हरिसिंह के वक्त वहां पर एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ, जबकि पूरे हिन्दुस्तान में होता रहा, माइनिंग एण्ड जियालाजिकल सर्वे डिपार्टमेंट काम करता रहा, तलाश का काम करता रहा, उसकी तरक्की हुई, विकास हुआ, लेकिन हमारे यहां नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में पिछले दो-तीन सालों में रियासत की सरकार ने स्टेट माइनिंग एण्ड जियालाजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा तलाश का काम शुरू किया और कपवारह, कोतोवार डिस्ट्रिक्ट में मारबल निकला है। यह मारबल बहुत खूबसूरत है और कई रंगों में है, रेडिश कलर, ग्रीन कलर और बहुत सारे रंगों में, बिल्कुल इटूइटेलियन मारबल की तरह, उससे भी बेहतर मारबल मिला है। हमारे जो महदूद साधन थे, उनकी मदद लेकर सरकार ने यह तलाश किया। हमारे यहां अनंतनाग में देखें, वहां के पानी में लोगों को इतना विश्वास है कि उससे किसी भी किस्म की त्वचाकी बीमारी हो, वह दूर हो जाती है। चश्मों से बहते पानी से ये बीमारियां हट सकती हैं, मालूम हुआ कि वहां फासफोरस है, लेकिन फासफोरस की खानें कहां हैं, इसका कोई पता नहीं चल सका। मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दवारहं के पास हमारे यहां निजहामा एक विलेज है, वहां पर भारी संख्या में कोयला मिला है, रॉ-कोयला है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे यहां सरदी बहुत पड़ती है और अंगीठियों में उसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन उसे कोयले का इस्तेमाल नहीं किया जा सका। इसी तरह से मैं कारगिल गया, वहां पर मुझे जानकारी मिली कि कारगिल एरिया में जो पानी बह रहा है, उसमें कई नाले ऐसे हैं जिनके बारे में लोग आज भी कहते हैं कि सोने के जर्रात उनमें हैं, सोने के जर्रात कहां से निकलते हैं, इसका कोई पता नहीं है, इसकी कोई तहकीकात नहीं की गई। 1947 से पहले जब रियासत का कोई भाग पाकिस्तान के कब्जे में नहीं था, उस समय गिलगित के इलाके में, सिंधु दरिया में जो पानी बहता था, वहां के लोग भी दिनभर मेहनत करके सिंधु के पानी से सोना जमा करते थे। मैं यह इसलिए बताना चाहता हूं कि बाकी रियासतों की तरह जम्मू-कश्मीर का भी पूरा हक है कि साइन्स एण्ड टेक्नालाजी के सहारे वह भी पूरा विकास करे, जम्मू-कश्मीर को नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए। हमारी बैकवर्डनेस, हमारी गुरबत, हमारी पसमांदगी का कोई इलाज तो होना चाहिए। उसका इलाज सिर्फ टूरिज्म नहीं है, सिर्फ उससे काम नहीं होगा। आज के वक्त में जबकि हर रियासत चाहती है कि मुल्क आगे बढ़े, स्टील और दूसरी चीजें हैं, अगर ये कम तादाद में मिलती हैं तो तरक्की भी कम होगी।

2.59 म०प०

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं, मंत्री जी नोट करें, करगिल क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं, जम्मू-कश्मीर में जो हिन्दवारह के पास कपवारह डिस्ट्रिक्ट में मारबल निकलता है वह मारबल वहां की स्टेट सरकार ने बहुत कम दाम पर दो बड़े इण्डिस्ट्रियलिस्ट्स को दे दिया है और कराड़ों, लाखों टनों के हिसाब से वे लोग उसको काट-काट कर बहुत ही महंगे दामों में बेच रहे हैं।

3.00 म० प०

यह इनजस्टिस हो रहा है। वहां का मजदूर चंद रुपयों के लिए मर रहा है। उसको तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन दो-चार बड़े पूंजीपतियों को मिला है। मैं चाहता हूं कि आप उसमें मुदाखलत करें। वह एक्सप्लायटेशन नहीं होना चाहिए। उससे स्टेट को तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है और आपको भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। यह नहीं होना चाहिए। जहां पर हमारी कुदरती वसायल हैं और कोई चीज सामने आ जाए तो उस पर स्टेट और देश का हक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह मारबल के मामले में हो रहा है; कोयला भी हमारे यहां निकल रहा है। आपको मालूम होगा, काला कोट माइन जम्मू में है। हमारा थर्मल प्रोजेक्ट उससे चल रहा था। लेकिन एक्सप्लायटेशन की यह हद हो गई कि हमारे जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे श्री जी० एम० शाह, उनके बेटे ने एक नकली कंपनी फ्लोट कर रखी थी। ...... (व्यवधान) उस कंपनी के सहारे से उन्होंने लाखों-करोड़ों रुपए बना लिए और कंसेशनल रेट पर कोयला वहां से हासिल किया। जो कोल वहां से निकल रहा था, उसको मुल्क के किसी और हिस्से में बेच दिया और स्टेट का खसारा करा दिया और इसी तरह थर्मल प्रोजेक्ट का भी खसारा करा दिया। उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसमें कोई पोलिटिक्स नहीं है। कई बार हम गवर्नर की नोटिस में भी लाए हैं और यहां भी इस सदन में कहा है कि यह नहीं होना चाहिए। मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा। स्टील और कोल जो हमारे माइन्स में से निकल रहा है, उसका बेनीफिट स्टेट्स को मिलना चाहिए। मैं, बिहार का नहीं हूं लेकिन भारतवर्ष का एक नागरिक होने के नाते आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि बिहार में कोयले की बहुत खाने हैं और वह बहुत पिछड़ा हुआ भी है, मुझे यह नहीं मालूम कि हमारी केन्द्रीय सरकार उसमें से कितना हिस्सा उनको दे रही है। उसका हिस्सा बढ़ना चाहिए, वह बड़ा बैकवर्ड स्टेट है। यह एक वक्त में हमारे लिए मुसीबत बनेगा। एक बेदारी की लहर उठेगी कि यह एक्सप्लायटेशन क्यों हो रहा है। हम तो पूरे देश को दे रहे हैं लेकिन हमको क्या मिल रहा है। यह चीज नासूर बन सकती है। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जम्मू-काश्मीर, पंजाब, यू० पी०, बिहार, वैस्ट बंगाल, केरल या तमिलनाडु में जहां भी जो कुछ भी मिल रहा है, उसका बड़ा हिस्सा उन स्टेट्स को मिलना चाहिए। मैं आपसे यह भी गुजारिश करूंगा कि ऐसी कोशिश की जाए कि स्टेट्स में ही एम्पलायमेंट अपोरच्युनिटी मिल जाए। यह गिला शिकवा हमको बार-बार नहीं करना चाहिए। यह हमारा तजुर्बा है कि जम्मू काश्मीर में जब भी कोई बड़ा कार्य मरकजी सरकार ने हाथ में लिया है तो जम्मू-काश्मीर के वाशिन्दों को छोड़कर बाहर से लोगों को वहां लाया गया है। हम तो सब के बराबर हैं लेकिन इससे हार्ट-बरनिंग होती है, मुकामी लोगों को दुख होता है। वे कहते हैं कि क्यों हमको नजर-अन्दाज किया जा रहा है यह हमारे यहां इण्डस्ट्रीज, टूरिज्म और कई काम्पलेक्स बनाने के सिलसिले में हुआ। आपके विभाग का भी यह फर्ज है कि यह नहीं होना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : टूरीस्ट तो बाहर से ही आयेगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : टूरीस्ट की बात नहीं है। टूरीज्म के काम्पलेक्स वहां बने हैं। एम्पलायमेंट के लिए 90 परसेंट लोग बाहर से लिए गए। जो लोकल पढ़े-लिखे लोग थे उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। यह बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरफ आप मुतवज्जह हो जायेंगे खासतौर से जो मैंने जम्मू-काश्मीर के बारे में अर्ज किया और जो अपनी मुश्किलात बताई हैं उसके पेशे-नजर मैं यह चाहूंगा कि आपका मंत्रालय उसकी ओर खास तवज्जुह दे।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) ڈپٹی اسپیکر صاحب میں آپ کے مادھیم سے سرکار کے دھیان میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ جموں و کشمیر کے معاملے میں جب بھی ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ ہمارے یہاں کوئی ہیوی انڈسٹری نہیں لگی ہے تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ جموں کشمیر میں رامیٹرئیل نہیں ہے۔ وہ وہاں اسٹیل کی کانیں ہیں نہ کسی اور چیز کی کانیں مل رہی ہیں۔ اس کا اتر میں اس طرح سے دے رہا ہوں کہ ۱۹۴۷ء کے بعد سے جموں کشمیر کے تعلق سے کبھی کوئی کوشش ایمانداری کے ساتھ نہیں کی گئی۔ جتنے آپ کے پاس سادھن ہیں جتنی آپ کے پاس ٹیکنالاجی ہے جتنی آپ کے پاس جانکاری ہے اس کو لے کر آپ جموں کشمیر میں کھدائی کر سکتے۔ تھے۔ ایکسپلوریشن کر سکتے تھے۔ اس چیز کو ڈھونڈھ سکتے۔ تھے کہ ہمارے پاس کتنا رامیٹریل ہو سکتا ہے اس کی سرکار نے چنتا نہیں کی جس کی بنا پر وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں اور یہ صحیح ہے کہ جموں کشمیر ہی پورے ملک میں پورے دیش میں ایسی ریاست ہے جہاں کوئی سادھن نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایسا کوئی پریشیس میٹریل نہیں نکلتا ہے لیکن میں سرکار کو بتانا چاہتا ہوں کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے وقت جب ہمارے یہاں رجواڑا شاہی تھی برٹش گورنمنٹ کو وہاں نہیں آنے دیا۔ اس لئے انہوں نے کبھی ایکسپلوریشن کا راستہ نہیں اپنایا۔ مائننگ اینڈ جیالاجیکل سروے کا کام اس لئے نہیں کیا کہ برٹش سرکار کی نظر وہاں نہ پڑے اور ان کو پتہ نہ چلے کہ وہاں یہ تانبا میگنیز فاسفورس روبی یدی کوئی چیز وہاں مل رہی ہے یا پیٹرول مل رہا ہے اور کہیں اسٹیٹ ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے یہ کارن تھا۔ یہ ہسٹوریکل

پرسپیکٹو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس لئے مہاراجہ ہری سنگھ کے وقت وہاں پر ایکسپلوریشن نہیں ہوا جبکہ پورے ہندوستان میں ہوتا رہا۔ مائننگ اینڈ جیالوجیکل سروے ڈپارٹمنٹ کام کرتا رہا تلاش کا کام کرتا رہا۔ اس کی ترقی ہوئی وکاس ہوا لیکن ہمارے یہاں نہیں ہوا۔

اُپادھیکش مہودے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر میں پچھلے دو تین سالوں میں ریاست کی سرکار نے اسٹیٹ مائننگ اینڈ جیالاجیکل سروے ڈپارٹمنٹ کے دوارا تلاش کا کام شروع کیا اور کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں ماربل نکلا ہے۔ یہ ماربل بہت خوبصورت ہے اور کئی رنگوں میں ہے ریڈش کلر گرین کلر اور بہت سارے رنگوں میں بالکل اٹیلین ماربل کی طرح اس سے بھی بہتر ماربل ملا ہے۔ ہمارے جو محدود سادھن تھے ان کی مدد دے کر سرکار نے یہ تلاش کیا۔ ہمارے یہاں اننت ناگ میں دیکھیں وہاں کے پانی میں لوگوں کو اتنا وشواس ہے کہ اس سے کسی بھی قسم کی توچا کی بیماری ہو وہ دور ہو جاتی ہے۔ چشموں کے بہتے پانی سے یہ بیماریاں ہٹ سکتی ہیں معلوم ہوا کہ وہاں فاسفورس ہے لیکن فاسفورس ہے لیکن فاسفورس کی کھانیں کہاں ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہنگوار کے پاس ہمارے یہاں نچیاما ایک ویلی ہے۔ وہاں پر بھاری سنکھیا میں کوئلہ ملا ہے۔ راکوئلہ ہے۔ بہت اچھا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے سردی بہت پڑتی ہے اور انگیٹھیوں میں اس کا ستعمال ہو سکتا ہے لیکن اس کوئلے کا استعمال نہیں کیا جاسکا۔ اسی طرح سے میں کارگل گیا وہاں

232

پر مجھے جانکاری ملی کہ کارگل ایریا میں جو پانی بہہ رہا ہے۔ اس میں کئی نالے ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگ آج یہی کہتے ہیں کہ سونے کے ذرات ان میں ہیں۔ سونے کے ذرات ان میں ہیں سونے کے ذرات کہاں سے نکلتے ہیں۔ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کی کوئی تحقیق نہیں کی گئی۔ ۱۹۴۷ء سے پہلے جب ریاست کا ~~جب~~ بھاگ پاکستان کے قبضہ میں نہیں تھا اس سمے گلگت کے علاقے میں سندھو دریا میں جو پانی بہتا تھا۔ وہاں کے لوگ بھی دن بھر محنت کرتے سندھو کے پانی سے سونا جمع کرتے تھے۔ میں یہ اس لئے بتانا چاہتا ہوں کہ باقی ریاستوں کی طرح جموں کشمیر کا بھی پورا حق ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالاجی کے سہارے وہ بھی اپور وکاس کرے۔ جموں کشمیر کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیئے۔ ہماری　　　　ہماری پسماندگی کا کوئی علاج تو ہونا چاہیئے۔ اس کا علاج صرف ٹورازم نہیں ہے۔ صرف اس سے کام نہیں ہوگا آج کے وقت میں جبکہ ہر ریاست چاہتی ہے کہ ملک آگے بڑھے اسٹیل اور دوسری چیزیں ہیں۔ اگر یہ کم تعداد میں ملتی ہیں تو ترقی بھی کم ہوگی۔

(سبھاپتی مہودے شری وکم پوروشوتمن بیٹھا سین ہوئے)

دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں منتری جی نوٹ کریں کارگل شیتر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جموں کشمیر میں جو ہندواڑہ اور کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں ماربل نکلتا ہے۔ وہ ماربل وہاں کی اسٹیٹ سرکار نے بہت کم دام پر دو بڑے انڈسٹریلسٹس کو دے دیا ہے اور

233

کروڑوں لاکھوں کے حساب سے وہ لوگ اس کو کاٹ کاٹ کر بہت ہی مہنگے داموں میں بیچ رہے ہیں۔ یہ انجسٹس ہو رہا ہے۔ وہاں کا مزدور چند روپوں کے لئے مر رہا ہے اس کو تو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے ۔ اور آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہئے۔ جہاں پر ہمارے قدرتی وسائل ہیں اور کوئی چیز سامنے آجائے تو اس پر اسٹیٹ اور دیش کا حق ہے۔ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ماربل کے معاملے میں ہو رہا ہے کوئلہ بھی ہمارے یہاں نکل رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کالاکوٹ مائن جموں میں ہے۔ ہمارا تھرمل پراجیکٹ اس سے چل رہا تھا۔ لیکن ایکسپلائٹیشن کی یہ حد ہو گئی ۔ وہ ہمارے جو پچھلے چیف منسٹر تھے۔ شری جی ایم شاہ ان کے بیٹے نے ایک نقلی کمپنی فلوٹ کر رکھی تھی .... (انٹرپشنز) .... اس کمپنی کے سہارے سے انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے بنالئے اور کنسیشنل ریٹ پر کوئلہ وہاں سے حاصل کیا۔ جو کول وہاں سے نکل رہا تھا۔ اس کو ملک کے کسی اور حصہ میں بیچ دیا اور اسٹیٹ کا خسارہ کرا دیا۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہئے۔ اس میں کوئی پولٹیکس نہیں ہے۔ کئی بار ہم گورنر کے نوٹس میں بھی لائے ہیں اور یہاں بھی اس سدن میں کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہئے۔ میں یک بات اور عرض کرنا چاہوں گا۔ اسٹیل اور کول جو ہمارے مائنس میں سے نکل رہا ہے اور س کا بینیفٹ اسٹیٹس کو ملنا چاہئے۔ میں بہار کا نہیں ہوں لیکن بھارت ورش کا ایک ناگرک ہونے کے ناطے آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بہار میں کوئلے کی بہت سی کھانیں ہیں اور

وہ پچھڑا ہوا ابھی ہے ۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ ہماری کیندریہ سرکار اس میں سے کتنا حصہ ان کو دے رہی ہے۔ اس کا حصہ بڑھنا چاہیئے ۔ وہ بڑا بیک ورڈ اسٹیٹ ہے ۔ یہ ایک وقت میں ہمارے لئے مصیبت بنے گا ۔ ایک بیداری کی لہر اُٹھے گی کہ یہ ایکسپلائیٹیشن کیوں ہو رہا ہے ۔ ہم تو پورے دیش کو دے رہے ہیں لیکن ہم کو کیا مل رہا ہے ۔ یہ چیز ناسور بن سکتی ہے۔ میں منتری جی سے یہ کہنا چاہتاں گا کہ جموں کشمیر، پنجاب، یوپی، بہار، ویسٹ بنگال، کیرل یا تملناڈو میں، جہاں بھی جو کچھ بھی مل رہا ہے ۔ اس کا بڑا حصہ ان اسٹیٹس کو ملنا چاہیئے۔ میں آپ سے یہ بھی گذارش کروں گا۔ کہ ایسی کوشش کی جائے کہ اسٹیٹس میں ہی ایمپلائمنٹ اپارچونیٹیز مل جائیں ۔ یہ گلہ شکوہ ہم کو بار بار نہیں کرنا چاہیئے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے۔ کہ جموں کشمیر میں جب بھی کوئی بڑا کارے مرکزی سرکار نے ہاتھ میں لیا ہے تو جموں کشمیر کے باشندوں کو چھوڑ کر باہر سے لوگوں کو وہاں لایا گیا ہے۔ ہم تو سب کے برابر ہیں لیکن اس سے ہارٹ برننگ ہوتی ہے۔ مقامی لوگوں کو دکھ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ کیوں ہم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے ۔ یہ ہمارے یہاں انڈسٹریز ٹورزم اور کئی کمپلیکس بنانے کے سلسلے میں ہوا۔ آپ کے ویبھاگ کا بھی یہ فرض ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیئے ۔"

شری کرشن چندر پنت :- ٹورسٹ تو باہر سے ہی آئے گا ۔

شری عبدالرشید کابلی :- ٹورسٹ کی بات نہیں ہے۔ ٹورزم کے کامپلیکس وہاں

بنے ہیں۔ ایمپلائمنٹ کے لئے ۹۰ پرسینٹ لوگ باہر سے لئے گئے۔ جو لوکل پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بالکل اگنور کر دیا گیا۔ یہ بات میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ میری آپ سے گذارش ہے کہ وہ اس طرف آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ خاص طور سے جو میں نے جموں کشمیر کے بارے میں عرض کیا اور جو اپنی مشکلات بتائی ہیں اس کے پیش نظر میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا منسٹرالے اس کی اور خاص توجہ دے۔

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्टील एण्ड माइन्स मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मागों पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। यह बजट ऐसे मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिनकी सूझ-बूझ और अनुभव के प्रति कोई संदेह नहीं है और इसलिए मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ दो-तीन बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

किसी भी देश का विकास उस देश में होने वाले स्टील और सीमेंट के खपत से आंका जाता है और जब हमारा ध्यान अपने समकक्ष दूसरे देशों की ओर जाता है तो हम पाते हैं कि उन देशों की तुलना में हमारे देश में स्टील और सीमेंट की खपत बहुत ही कम है, जिससे कि देश सम्मानित आंका जाता है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम इस बात पर गम्भीरता से विचार करें कि आखिर ऐसा क्यों होता है।

मान्यवर, हमारे देश में पावर की भी कमी है। वैसे तो हमारे यहां कई योजनाएं चालू की गई हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में, हमने पावर के क्षेत्र में 10-15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का लक्ष्य रखा है लेकिन मैं समझता हूं कि वह भी हमारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। हमारे बोकारो, भिलाई, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला आदि कारखानों में स्टील का अच्छा उत्पादन हो रहा है लेकिन मैं जैसा अभी पढ़ रहा था कि हमने अपने सामने सन् 2001 तक जाते-जाते, अपने वर्तमान स्टील के उत्पादन 9.5 लाख टन को बढ़ाकर 1,70,000 टन करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन वर्तमान स्टील के उत्पादन को देखते हुए मुझे संदेह है कि यदि हम इसी गति से चलते रहे तो 2000 ईसवी तक उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। वैसे पंत जी जैसे मंत्री जिस विभाग में हों, उनसे काफी उम्मीद की जा सकती है कि वे स्थिति में सुधार लाने की दिशा में पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम रिक्वायर्ड टार्गेट को प्राप्त कर सकें। यदि हम उस लक्ष्य को भी पार कर जाएं तो निश्चित तौर पर वे बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, हमारे स्टील कारखाने आज पब्लिक सैक्टर में काम करते हैं और कई छोटे कारखाने विभिन्न जगहों पर स्थापित करने की बात भी होती रहती है। इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए, अभी जैसा हमारे पूर्ववक्ता जैनुल बशर साहब कह रहे थे, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आते हैं, हमारा और उनका क्षेत्र बहुत पिछड़ा है और हम लोग ऐसी जगह से आते हैं जहां उद्योग धंधों के नाम पर कुछ भी नहीं है। कभी-कभी हमारी सरकार की तरफ से शगूफा छोड़ दिया जाता है कि हम फलां जगह एक कारखाना स्थापित करने वाले हैं, वर्ष 1972-73 और 1974 में बलिया और आजमगढ़ के बीच एक छोटा कारखाना स्थापित करने की बात सरकार की ओर से कही गई और अभी उस क्षेत्र के लोग सोच ही रहे थे कि आगामी दो-चार या पांच वर्ष में वहां कारखाना स्थापित हो जाएगा, हमें एक छोटी यूनिट ही सही, कुछ तो मिलेगा जिससे लोगों को कारोबार मिलेगा, लोग अपनी जिन्दगी बेहतर तरीके से बिता सकेंगे, लेकिन बड़ा दुख होता है, जब कुछ समय बाद उस योजना में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। पांच वर्ष बाद सुनने में आता है कि वह कारखाना गाजीपुर के दिलदार नगर में लगेगा। आप हम लोगों की स्थिति का अंदाजा लगाईये, जब सरकार की तरफ से कोई घोषणा की जाती है और हम लोग

वहां जाकर लोगों को बताते हैं, उसके बाद यह सुनने में आता है कि इन वजूहात से वहां अब कारखाना नहीं लग सकेगा तो हम लोगों की कैसी हालत हो जाती है। इतना ही नहीं शासन की छवि भी धूमिल होती है और लोग हमें दुत्कारते हैं कि शासन पहले घोषणा करके बाद में पीछे हट जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इंदिरा जी के शासन काल में जो बलिया और आजमगढ़ के बीच कारखाना स्थापित करने की बात हुई थी, माननीय मंत्री जी उस क्षेत्र से वाकिफ हैं और उन्होंने बहुत नजदीक से उस इलाके को देखा है, वहां की आवश्यकताओं पर गौर किया है, उनकी लीडरशिप में हमें पूरा विश्वास है और वह हमारे उस इलाके की तरफ गौर करके एक कारखाना खोलकर हमारी आशाओं पर होने वाले तुषारापात से हमें बचायेंगे।

मान्यवर, जहां तक कारखाने स्थापित करने का सवाल है, मैं दो-तीन चीजें आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। अभी मैं राउरकेला के विषय में अपने एक साथी का पत्र पढ़ रहा था। उसमें बताया गया है कि जिस किस्म का कोयला वहां प्रयुक्त होना चाहिये, वैसा नहीं हो रहा है और ऐसे घटिया किस्म के कोयले का उत्पादन हो रहा है जिसमें राख काफी होती, भट्टी समय पर गर्म नहीं होती और जितने समय तक उसे गर्म रहना चाहिये, गर्म नहीं रहती।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस तरह के कोयले के बारे में आपकी पक्की मानिटरिंग हो, देखभाल हो और इस्पात के कारखानों में जो कोयला भेजा जा रहा है, यह देखा जाए कि उसकी किस्म और क्वालिटी वही है जो प्रेस्क्राइब्ड है। बिलो-क्वालिटी या सब-स्टेंडर्ड कोयला देकर अपने पब्लिक सैक्टर के कारखानों को इतना नहीं गिरा देना चाहिए कि उनका काम बहुत दिनों तक रुका रहे। यह अच्छी बात नहीं है, इस पर मंत्री महोदय का ध्यान मैं आकृष्ट कराना चाहता हूं।

कोयले की खदानों में लिफ्टें बहुत पुरानी हैं। हम 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं, कम्प्यूटर के युग में बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोयले की खदानों की लिफ्ट को देखें तो तरस आता है।

सबसे बड़ी बात यह है कि कोयला खदानों के आसपास, इस्पात खदानों के आस-पास माफिया गिरोह काम कर रहे हैं। काम कोई करे, पूंजी कोई लगाये, हक किसी का हो, लेकिन ये गिरोह मगरमच्छ की तरह इस तरह बैठे हुए हैं कि सब के हक को जोंक की तरह पी जाते हैं। श्रमिक ये देते हैं। तमाशा यह होता है कि वह श्रमिक कम मजदूरी पर काम करता है। अगर वह रोये तो उसे रोने नहीं दिया जाता है, उसके मुंह पर टेप लगा दिया जाता है। चाइल्ड लेबर बाण्डेड लेबर वहां प्रयुक्त होता है, कांट्रैक्टर लेबर वहां प्रयुक्त होता है, अगर वह बोले तो उसकी आवाज कहीं जा नहीं सकती है। सरकारी कर्मचारी भी आज ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। सरकारी कर्मचारी बड़ा चतुर हो रहा है। वह जानता है कि किस को कैसे ठीक किया जा सकता है इसलिए वह जनता की गाढ़ी कमाई को, राष्ट्र के इस अमूल्य धन को माफिया गिरोह की तरफ बढ़ा देता है और ये माफिया गिरोह उस सरकारी धन की लट करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। इस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई, जनता का सारा हक माफिया गिरोह की तरफ चला जाता है और सरकारी कर्मचारी भी उसमें हाथ मिलाकर मौज-मस्ती लूटते हैं। इस तरह से सरकार जहां सारी चीजें ले रही है, उसे देखना चाहिए कि यहां जंगल का राज्य नहीं है, यह कानून का देश है, यहां मजबूत सरकार काम कर रही है, एक मजबूत सेंटर है। सेंटर को देखना चाहिए

कि इस तरह के माफिया गिरोह की दूसरी सरकार वहां न चल सके और उनका साथ देने वालों को किसी किस्म का संरक्षण नहीं देना चाहिए। आखिर जो लम्बी तनख्वाहें लेते हैं, उन्हें देखना होगा कि जनता के हित में चाहे उन्हें जो भी भोगना पड़े, वह भोगें। ऐसा क्या है कि अपने धर्म से कन्नी काटकर वह इधर-उधर हट जायें और माफिया गिरोह हमें लूटे, हमें बर्बाद करे, हमारे साथ अन्याय करे और जनता हर जगह त्रस्त हो ?

हमारा थोड़ा बहुत वास्ता स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया (सेल) से है। उसने 1983-84 में 50 लाख 30 हजार टन की बिक्री की है जो कि अपने में एक रिकार्ड है। 1984-85 में भी हमारे उत्पादन की वृद्धि 13.4 प्रतिशत की थी, 1985-86 में जो हमारा 55 हजार टन का टारगैट था, वह क्यों नहीं पूरा हुआ ? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब सारी चीजें थीं और कोई बीच में दिक्कत नहीं आई तो हमारा टारगैट पूरा होना चाहिए था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है। उसकी सफलता ही, चाहे इस्पात के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में हो, हमारी सफलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमारी समाजवादी सरकार ने इस बात का हक दिया है कि वह क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करे, और रीजनल इमबैलेंस को खत्म करेंगे।

आप जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का हक बहुत ज्यादा है। वहां के लोगों ने इस्पात का एक भी कारखाना नहीं देखा है। आज वहां की 2-3 करोड़ की आबादी है। बलिया, आजमगढ़ और गाजीपुर के लोग, थाली लेकर आपके सामने बैठे हैं, और आप उनसे उनका ग्रास छीन रहे हैं। यह बहुत अन्याय होगा।

मैं पंत जी को बधाई देता हूं कि एक बहुत अच्छा बजट उन्होंने पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि वह उस गरीब-क्षेत्र की जनता का ख्याल रखते हुए, वहां की क्षेत्रीय विषमता का ख्याल रखते हुए और वहां के पिछड़ेपन का ख्याल रखते हुए कोई न कोई कारखाना वहां अवश्य लगायेंगे जिसके लिए वहां की जनता आपको धन्यवाद दे सके।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं स्टील और माइन्स की डिमांड्स का समर्थन करता हूं। अभी माननीय राज्य मंत्री ने रामपुर और अगुचा के सम्बन्ध में कुछ घोषणायें कीं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में रामपुर अगुचा की माइन्स चालू हो जायेंगी और उसका सुपर जिंक समैलटर प्लांट चंदेरिया में लगेगा। हालांकि देर बहुत हो गई है, यह कब का चालू हो जाना चाहिए था, मगर "देर आयद दुरुस्त आयद"। सातवीं पंचवर्षीय योजना में अगर इस काम को पूरा कर लिया जाये तो एक स्वागत योग्य कदम होगा।

अभी माननीय मोदी जी ने कहा कि रामपुर अगचा में 60 लाख मिलियन टन जिंक का भंडार डिपाजिट है और अभी तक सर्वे केवल 10-11 किलोमीटर का हुआ है। करीब 40-50 किलोमीटर दूर तक जिंक का डिपाजिट है। यह पूरा का पूरा मेरे क्षेत्र में है, इसलिए इसका पूरा सर्वे कराया जाये तो अच्छा होगा। आपको जानकारी मिली है कि केवल 11 किलोमीटर में ही जिंक का भंडार है, लेकिन इसका एक बार फिर से पूरा सर्वे करवाया जाये जिससे कि जिंक अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके।

आप सुपर जिंक समैलटर प्लांट रामपुर अगुचा में न लगाकर चंदेरिया में लगायेंगे। अगर आप रामपुर, अगुचा का और चंदेरिया के डिस्टेंस की जानकारी करें तो पता लगेगा कि रामपुर अगुचा से 11-12 मील है और गुलाबपुरा से 41 मील दूर भीलवाड़ा है और भीलवाड़ा से 40 मील के करीब चंदेरिया है। इस तरीके से 100 मील की दूरी पर यह कारखाना स्थापित होगा। इससे60 लाख मिलियन टन का रा-मैटिरियल बहुत बड़ी तादाद में आपको चंदेरिया लेकर जाना पड़ेगा। आपने कभी इस बात का अंदाज लगाया कि उसके ऊपर कितना अधिक खर्चा होगा। आपने जिन लोगों की एक्सपर्ट कमेटी मुकर्रर की और जिन्होंने सुझाव दिया कि चंदेरिया एक उपयुक्त स्थान है और वहां पानी बिजली का ठीक प्रकार से प्रबन्ध हो जायेगा। क्या उन्होंने इस खर्च का अन्दाज नहीं लगाया। इसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि रामपुर अगुचा के पास में कोठारी नदी है, उसमें बांध बनाकर और पाइप लाइन लगाकर रामपुर अगुचा में पानी सप्लाई किया जा सकता है। इस प्रकार थर्मल यूनिट लगाकर उस कारखाने को चालू किया जा सकता है। जो खर्चा इन दोनों कार्यों में लगेगा, उससे कहीं अधिक तादाद में खर्चा/सारा रा-मैटिरियल चंदेरिया तक ले जाने पर होगा। क्या आपके एक्सपर्ट के दिमाग में यह बात नहीं आई कि इससे कितना अधिक खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। जो चीजें, जो इन्फ्रा-स्ट्रक्चर यहां पर बनाने चाहिए उसके ऊपर कितना खर्चा होगा इसका अन्दाजा उन्होंने नहीं लगाया जिसकी वजह से उन्होंने चन्देरिया का स्थान नियत किया है। मैं पांच छः साल से लगातार इस बात के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसके ऊपर गंभीरता से आप पुनर्विचार करें कि चन्देरिया में अगर यह प्लान्ट लगता है तो इससे सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा और बहुत अधिक खर्चा करना होगा जिससे यह सुपर जिंक स्मेल्टर प्लान्ट नुकसान में जायेगा। आप उससे कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अगर यह सुपर जिंक स्मेल्टर प्लान्ट रामपुरा आगूचा में लगाते हैं जहां पर जमीन भी मुकर्रर की हुई है और सब प्रकार के साधन भी बने हुए हैं वहीं इसे लगाते हैं तो निश्चित तरीके से यह सरकार के लिए लाभदायक होगा और इससे हमारे देश को बहुत बड़ा फायदा होगा। तो इसके ऊपर मंत्री महोदय, आप पुनर्विचार कीजिए और चन्देरिया की आइडिया को जो बिलकुल गलत आइडिया है, पता नहीं किन लोगों ने किस इन्टरेस्ट की वजह से चन्देरिया को रेकमैंड किया है उसके सम्बन्ध में पुनः जांच करा कर ऐसा निर्णय कीजिए जिससे सरकार को भी लाभ हो और देश को भी लाभ हो और जल्दी से जल्दी उत्पादन हो सके जिसजे जो फारेन एक्सचेंज इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं वह फोरेन एक्सचेंज हम बचा सकें और देश को लाभ हो सके। इसलिए निश्चित तरीके से यह पुनर्विचार करने योग्य हैं।

मैं एक बात खास तौर से आप से निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा जो जिला है जिसके अन्दर यह डिपाजिट्स निकले हैं उसके अन्दर कोई भी भारत सरकार की योजना या भारत सरकार का कारखाना नहीं है जबकि चित्तौड़ के अन्दर पांच या छः सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने हैं और वहां पर दूसरी इंडस्ट्रीज भी हैं। भीलवाड़े में इस प्रकार की कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। तो जबकि आप रीजनल इम्बैलेंस मिटाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बैकवर्ड एरियाज को इस प्रकार के कारखाने दिए जायें तो हमारा हक मार कर दूसरे स्थान पर इस प्रकार के कारखाने स्थापित करें, इससे बड़ा अन्याय और कुछ नहीं हो सकता उस क्षेत्र के लोगों के साथ; इसलिए मैं

आप से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में आप कोई न कोई ऐसा निर्णय लीजिए जिससे वहां के क्षेत्र के लोगों को एम्पलायमेंठ भी मिल सके और एक ऐसा इन्फ्रा-स्ट्रक्चर तैयार हो सके जिससे भीलवाड़े को इंडस्ट्रियलाइज किया जा सके या" और भी जो उसकी ऐन्सिलियरी एंडस्ट्रीज हैं उनको वहां पर स्थापित किया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर की जानी चाहिए और इस प्रश्न को निश्चित तरीके से फिर से ओपेन करके इस पर पुनर्विचार करके रामपुरा आगूचा के अन्दर ही इस सुपर जिंक स्मेल्टर प्लान्ट की स्थापना की जानी चाहिए। यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है।

इस के साथ-साथ इस के लिए तो मैंने आप से कहा ही, मगर राजस्थान में जो अन्य प्रोजेक्ट्स हैं जैसे खेतरी का प्रोजेक्ट है कापर का जिस के बारे में अभी कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे और उन्होंने खास तौर से यह बात कही थी कि वहां के लोगों को एम्पलायमेंट नहीं मिला। अगर बिहार का कोई बड़ा अधिकारी आ जाता है तो बिहार के लोगों को ले आता है, यू. पी. का आ जाता है तो यू. पी. के लोगों को ले आता है और वहां के लोगों को एम्पलायमेंट नहीं मिल पाता है। तो जब आपने उनकी जमीन ली है, वहां पर कारखाना स्थापित किया है और उनसे वादा किया है कि उनको एम्पलायमेंट देंगे तो उनको एम्पलायमेंट प्राथमिकता के आधार पर मिलने चाहिए। उस के बजाय बाहर के लोगों को ला कर ये लोग इस प्रकार का काम करते हैं।

इस खेतरी प्रोजेक्ट के बारे में खास तौर से एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस के चेयरमैन का हेडक्वाटंर कलकत्ते में मुकर्रर कर रखा है जबकि या तो मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या आन्ध्र प्रदेश में या बिहार में भी हो सकता था, तो कलकत्ते में इसका हेड आफिस स्थापित करने का क्या औचित्य है, इसके सम्बन्ध में आप निर्णय कीजिए। पहला चेयरमैन क्योंकि वहां का रहने वाला था इसलिए उसने वहां कलकत्ते में इसका हेडक्वार्टर स्थापित कर दिया जो बहुत दूर पड़ता है। इसलिए इस व्यवस्था के ऊपर निश्चित तरीके से सोचने की जरूरत है और इसके हेडक्वार्टर को बदलने की जरूरत है ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी सम्पर्क किया जा सके और जो गड़बड़ घोटाला इस खेतरी प्रोजेक्ट में होता है उसको रोका जा सके।

सन् 77-78 की बात है जब जनता पार्टी का राज्य था, माननीय पन्त जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि जब 80 में मैं यहां पर पालियामेंट में पहली बार आया था तो इस प्रश्न को मैंने उठाया था कि 35 हजार मैट्रिक टन रिवट्स इंग्लैंड में ले जाकर के उन्होंने बेंचे जो कि 35 हजार रुपये टन में बिकना चाहिए था लेकिन उसको 21 हजार रुपये टन में बेचा गया। 14 हजार रुपये टन ये लोग बीच में खा गए और 21 करोड़ का घोटाला किया गया। इसके संबंध में सरकार की तरफ से जवाब मिला कि इसकी जांच करवा रहे हैं लेकिन उसके बाद आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई, कोई ऐक्शन भी नहीं लिया गया। 21 करोड़ रुपया एक अधिकारी खा जाए और कोई कार्यवाही न हो इस प्रकार के हालात देश में चल रहे हैं। इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह की गड़बड़ियां न होने पायें। सिर्फ कमीशन खाने के लिए करोड़ों रुपए की मशीनरी खरीद कर रखी हुई है जिसका कोई उपयोग नहीं है। हमारी राज्य मंत्री जी वहां पर गई हुई थीं, अगर वे मजदूरों से पूछतीं तो उन्हें मालूम होता कि 50-50 लाख की मशीनरी वहां पर पड़ी हुई जंग खा रही हैं जिनका कोई उपयोग नहीं

हो रहा है। ऐसे अधिकारी वहां पर बैठे रहते हैं जो कमीशन खाने के लिए यूसलेस मशीनरी खरीद कर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा: मैंने पहले ही कहा है कि मैं जहां भी जाती हूं वहां अफसरों से मीटिंग तो होती है लेकिन अलग-अलग टुकड़ों में बटे हुए मजदूर संगठनों से भी मैं बातचीत करती हूं और जनरल मीटिंग भी उनकी करती हूं। हर जगह जहां मैं गई हूं वहां से तीसरे दिन लौटी हूं। इसलिए माननीय सदस्य यह जो चार्ज लगा रहे हैं कि मैं मजदूरों से नहीं मिलती हूं—यह चार्ज सरासर गलत है।

श्री गिरधारी लाल व्यास: मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया है। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा था कि आप उन मजदूरों से जानकारी कीजिए तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से अधिकारी लोग गड़बड़ करते हैं। आप नाराज क्यों होती हैं—यह तो आपके डिपार्टमेंट के फायदे की बात है।

श्री रामदुलारी सिन्हा : मैं नाराज नहीं हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : हम आपके सामने कोई बात कह रहे हैं, आप नाराज हो जायें और कहें कि हम आप पर चार्ज लगा रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैं यह नहीं कहती कि सभी कुछ ठीक है। आप हमारे सामने कोई बात लायेंगे तभी हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आपने जो बातें कही हैं उन पर विचार करके सुधार जरूर किया जायेगा लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है कि हम जाते हैं तो अफसरों से मिलकर आते हैं, मजदूरों से मिलकर नहीं आते। यह सरासर गलत है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैंने यह नहीं कहा है कि आप सिर्फ अफसरों से मिलकर ही चली आती हैं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : राजस्थान के दो अन्य माननीय सदस्यों ने भी यह कहा था। इसलिए मुझे यह बताना पड़ा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैंने कहा है कि आपको गड़बड़ी के सम्बन्ध में मजदूरों से जानकारी करनी चाहिए। लाखों रुपये की मशीनरी खरीद कर रख ली गई जिसका कोई उपयोग नहीं किया गया। तो ऐसे अफसरों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि मजदूरों के साथ जिस प्रकार का अन्याय मेनेजमेंट कर रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत से लोगों की जमीनें एक्वायर कर ली गई लेकिन उनके कम्पेन्सेशन केसेज तय नहीं हुए। हाई कोर्ट, सुप्रीमकोर्ट तक जाने के बाद भी आज तक उनको कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया और न उनको कोई एम्पलायमेंट ही दिया गया। तो इस तरह की ज्यादतियां वहां के लोगों के साथ हो रही हैं जिनके ऊपर आपको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।

जिंक के सम्बन्ध में मेरा एक निवेदन और है कि वहां कारखाने की एक ट्रेड यूनियन, जिसका अध्यक्ष मैं ही हूं, उसके लोगों का विक्टिमाईजेशन वहां का मैनेजमेंट कर रहा है उस ट्रेड यूनियन के लोगों के डिसमिसल, सस्पेंशन तथा कई प्रकार की अन्य कार्यवाहियां उनके खिलाफ की

जा रही हैं । इसका कारण यह है कि मैनेजमेंट दूसरे लोगों के साथ मिला हुआ है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से उनका विक्टिमाईजेशन नहीं होना चाहिए । यदि उनका कोई कुसूर हो तो जरूर सजा दी जाए लेकिन केवल ट्रेड यूनियन के आधार पर लोगों को विक्टिमाइज करना— यह नितान्त अनुचित है । यह निश्चित तौर से गलत कदम है । इसको रोका जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत डिमाण्ड्स का समर्थन करता हूं ।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण-मध्य) : माननीय मंत्री जी सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा लोहे तथा अन्य खानों के श्रमिकों की समस्याओं के बारे में बताने से खुश नहीं हैं । मंत्री के लिए प्रश्न यह नहीं है कि वे श्रमिकों को देखें या अपने कुछ शीर्षस्थ नेताओं को देखें । यह श्रमिकों की स्थिति की ओर ध्यान देने का प्रश्न है । गैर-सरकारी खानों में अधिकांश मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे काम करने वाले ठेके के मजदूर हैं । हमारे द्वारा पास किये गये एक भी अधिनियम का लाभ उन तक नहीं पहुंचा है । हर जगह ठेकेदारों तथा माफिया गिरोह द्वारा कई बार उनका शोषण किया जाता है और मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर समस्या है । यदि इस सरकार के दिल में वास्तव में लौह अयस्क श्रमिकों के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति है तो आपको स्वयं वहां जाकर इनकी स्थिति देखनी होगी मैं मंत्री जी को ले जाकर यह दिखा सकता हूं कि इन श्रमिकों की क्या स्थिति है । जो कुछ श्री व्यास ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं । इसके विपरीत यह बहुत ही दयनीय स्थिति है जिसमें ये श्रमिक काम कर रहे हैं । भारत जैसे विकासशील देश के लिए इस्पात आधार है । भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत मुश्किल से 15 से 18 कि० ग्राम है । पश्चिमी या पूर्वी देशों में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 30 या 40 गुणा अधिक अर्थात 500 या 600 कि० ग्रा० है । इसलिए जब हम अपनी प्रति व्यक्ति खपत की तुलना पश्चिमी या पूर्वी देशों की खपत से करते हैं तो हमें पता चलता है कि या तो इस्पात के उत्पादन में अथवा अपने विकास के लिए इसके उपयोग के मामले में हम कितने पिछड़े हुये हैं वास्तव में यह दयनीय स्थिति है । सरकार को हमारे देश में इस्पात के इस विकास पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए । आप सभी पुरानी प्रौद्योगिकी तथा पुराने तरीकों से चलने वाले छोटे-छोटे इस्पात संयंत्र लगाने का समर्थन करते हैं । इसके लिए श्रमिक जिम्मेदार नहीं हैं । विगत 40 वर्षों से किसी ने भी उस नई प्रोद्योगिकी का उपयोग करने की ओर ध्यान नहीं दिया जिसका हमारे देश में इस्पात के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था । मैं यहां एक बात पूछना चाहूंगा कि विभिन्न उद्योगों को इस्पात का वितरण करने सम्बन्धी मापदण्ड क्या है । मैं समझता हूं कि विभिन्न उद्योगों को इस्पात का वितरण करते समय दो या तीन स्तरों पर काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है । बहुत से उद्योग लगे ही नहीं हैं । फिर भी ऐसे उद्योगों को इस्पात दिया जा रहा है । बहुत से लोगों ने अपना उद्योग बंद कर दिया है या तालाबंदी की घोषणा कर दी है परन्तु फिर भी अपना इस्पात का कोटा ले रहे हैं तथा उसे काले बाजार में बेच रहे हैं । सरकार बम्बई तथा महाराष्ट्र के अन्य भागों में स्थित बहुत से उद्योगों को इस्पात नहीं दे रही । मैंने वहां एक बात देखी है । ट्यूब उद्योग तथा गैस का उत्पादन करने वाले उद्योगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार इन लोगों के इस्पात के कोटे में कमी कर रही है । सरकार को निर्यातोन्मुखी उद्योगों का इस्पात का कोटा नहीं घटाना चाहिए ।

वर्ष 1985-86 में 15 लाख टन इस्पात का आयात किया गया। मेरे समझ में नहीं आता कि सरकार ने अचानक इतनी अधिक मात्रा में इस्पात का आयात क्यों किया जिसके फलस्वरूप सरकार को 500 करोड़ रुपए के कर का नुकसान हुआ। इस वर्ष व्यापार में अंतर आया है। कुछ अंतर ठीक कर लिया गया है। इसके लिये जो कुछ किया गया है उससे इस मामले में सुधार होने वाला नहीं है। इस सदन में बहुत सी बातों पर चर्चा हुई है। कुछ इस्पात संयंत्रों का शिलान्यास किया गया था किन्तु अभी भी उनको लगाने में विलम्ब हो रहा है। मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूं। विशाखापट्टनम् इस्पात संयंत्र को 1966 में मंजूरी दी गई थी इसका शिलान्यास भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा 1971 में किया गया था किन्तु इसका कार्य 1978 में शुरु किया गया था। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2935 करोड़ रु. थी। अब इसकी अनुमानित लागत 18000 करोड़ है।

मंत्री महोदय ने हाल ही में यह वक्तव्य दिया है कि सरकार ने इस्पात संयंत्र की क्षमता को 3.4 मिलियन टन से घटाकर 3 मिलियन टन करने का निश्चय किया है। यह कम करके 7000 करोड़ रुपए किया गया। परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार अब तक इस संयंत्र पर 2100 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं और यह पिछले 0 से 15 वर्षों से बेकार पड़ा है। बिना किसी योजना के हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसमें विलम्ब हो रहा है और इससे सरकार की धनराशि अनुत्पादक कार्यों में व्यर्थ लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हानि हो रही है। इसलिए, मैं बड़े संयंत्रों के बारे में घोषणा करने और परियोजनओं में विलम्ब करने के स्थान पर इस सभा में यह बात कहना चाहता हूं—जो भी आप कर सकते हैं, वह बड़ा कार्य हो या छोटा—उसे दो, तीन अथवा चार वर्षों मे पूरा करें। अन्यथा यह लम्बा मामला बन जाएगा। इससे बहुत सी समस्यायें उत्पन्न होंगी।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए आपने 12000 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की। आपने किसानों को मुश्किल से प्रति एकड़ 1,300 से 1500 रुपए का मुआवजा दिया है। अब 70 प्रतिशत भूमि खाली पड़ी है। कुछ लोग न्यायालय में गए और न्यायालय ने उन्हें 5000 से 6000 रुपए देने का आदेश दिया। सरकार उन्हें यह धनराशि देने के लिए तैयार नहीं है। भूमि उनसे पहले ही ले ली गई है। यहां तक कि 12,000 किसानों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा परन्तु पिछले 15 वर्षों के दौरान लगभग 1300 लोगों को ही रोजगार प्रदान किया गया है। यहां सरकारी तन्त्र बहुत ही लापरवाह है।

सरकार द्वारा अपने पास पंजीकृत किए गए इन सभी लोगों में से 8000 लोग ऐसे हैं जिनकी भूमि आपने 1400 रुपए में अधिग्रहीत की है। इनमें से आधे लोग इसकी प्रतीक्षा में मर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आप उन्हें कब रोजगार प्रदान करेंगे, सन 1990 में उनकी आयु 45 से 50 वर्ष हो जाएगी। इस देश के किसानों तथा श्रमिकों की क्या यह नियति है?

हम कुछ विकास के बारे में बात कर रहे हैं और 20 वर्षों से योजनाओं में देरी कर रहे हैं। हजारों किसानों तथा मजदूरों की उस भूमि का मूल्य अब लगभग एक लाख रुपए हो गया है जो आपने उनसे केवल 1500 रुपए में ली है। आप किसानों को जीने नहीं देते। आपने 20 वर्षों से बेकार ही भूमि ले रखी है और दूसरी ओर आप हजारों लोगों को रोजगार नहीं प्रदान करते।

बहुत सी इस्पात परियोजनाओं की भी यही दुखद स्थिति है। अतः अब समय आ गया है जब सरकार को ऐसी सभी इस्पात योजनाओं विशेषकर विशाखापत्तनम परियोजना जिसमें 2000 करोड़ लगाए गए हैं, के विकास के बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचना है।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : बिहार में भी यह शिकायत बहुत समय पहले से है।

डा० दत्ता सामंत : ऐसा सब जगह है। एक बहुत बड़ी घोषणा की गई थी। मैं सोचता हूं कि सभी इस्पात परियोजनाओं में हजारों करोड़ रुपया व्यर्थ लगाया गया है। इस धनराशि से उत्पादन कार्य नहीं होता। किसान तथा अन्य सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और देश को घाटा हो रहा है। मैं एक बार फिर इस सभा में उल्लेख करना चाहता हू कि खनिज लोहे की खानों तथा अन्य खानों में मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है। यदि आपको उनसे चिढ़ है तो भी आप इसे यूनियनों तथा मजदूरों पर नहीं छोड़ सकते। परन्तु कम से कम सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और मजदूरों के साथ किए जाने वाले अन्याय को रोकना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडे (हजारीबाग) : सभापति जी, मैं इस्पात और खान मंत्रालय की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे वरिष्ठ मंत्री के नेतृत्व में यह मंत्रालय काफी तरक्की कर रहा है और जो एक भावना व्याप्त हो गई थी कि इस्पात उद्योग में सुधार नहीं हो सकता, इस साल उन्होंने संभव करके दिखाया है कि इसमें सुधार हो सकता है, और भविष्य के बारे में जो हमारी परिकल्पना है, जो हम सोचना चाहते हैं, उसे पूरा करने की दिशा में हम कदम बढ़ाने को तैयार हैं लेकिन जो कुछ भी हुआ है, उससे हम संतुष्टि कर लें कि वह काफी है, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूं।

बहुत से भाइयों ने कहा है कि विदेशों में जो इस्पात की खपत है प्रति व्यक्ति हमारे देश में उसके मुकाबले में बहुत कम है और हम बहुत पिछड़े हुए हैं। यह नहीं कि भगवान ने हमको भगवान ने कुछ नहीं दिया। भगवान ने हमको इतना दिया है कि हम बहुत ज्यादा इस्पात बना सकते हैं। हमारे पास लोहे का विशाल भंडार है, लोहे की खदानें हमारे यहां हैं और हमारे पास कोयला है। हमारे पास इस्पात बनाने के जितने भी साधन हैं जैसे लाइमस्टोन है काई-नाइट है, वह प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन बदकिस्मती यह है कि सब कुछ होने के बावजूद हम बहुत पीछे हैं संसार में। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। हमारे नेताओं ने, जिन्होंने देश के विकास की आधारशिला रखी थी, परिकल्पना की थी कि प्रति वर्ष देश में एक मिलियन टन स्टील प्लांट एड किया जाएगा और इसीलिए हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन बनी थी और इसी लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया था। हिन्दुस्तान स्टील कन्सट्रक्शन कम्पनी इसी आधार पर बनाई गई थी कि अगले आने वाले वर्षों में हम हर वर्ष नया अध्याय जोड़ते जायेंगे और ज्यादा स्टील पैदा करेंगे लेकिन कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई और हम पिछड़ गये। अब हालत क्या है। हम यह परिकल्पना कर रहे हैं कि सन् 2000 वर्ष में हमारी जो स्टील की जरूरत होगी, हम उतना भी पैदा नहीं कर सकेंगे जबकि परिकल्पना यह थी कि हम इतना स्टील पैदा कर सकते हैं कि हम अपनी जरूरतों को भी पूरा कर लेंगे और उस के बाद दूसरों को भी दे सकेंगे।

इस कमी को दूर करने के लिए नये सिरे से प्रयास करना होगा। इसीलिए अब यह कहना कि हम इतना पैसा नहीं जुटा पायेंगे एक और स्टील प्लांट खड़े नहीं कर पायेंगे, हम समझते हैं, यह हमारे लिए शोभा की बात नहीं है।

हमारे देश में कोयला बहुत है लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमको आस्ट्रेलिया से कोयला मंगाना पड़ता है। यह नहीं कि उसकी आवश्यकता है। बिना आवश्यकता के भी हम कोयला मंगाते हैं क्योंकि हम यह कहते हैं कि वह कोयला बहुत अच्छा है। हम यह भूल जाते हैं कि कितनी कीमत पर वह कोयला हम मगाते हैं। उससे कम कीमत पर, उससे ज्यादा कोयला हमारे यहां उपलब्ध है। हम अपने यहां कोकिंग कोल को डबल वाश करके उपयोग में ला सकते हैं। इससे यहां के लोगों को एम्पलाएमेंट मिल सकता है, अपने साधनों का अपने यहां उपयोग हो सकता है। लेकिन हम लोग सीधे और आसान तरीके को अपनाने लगते हैं। इससे हमारे देश के विकास की दिशा में जो प्रयास होना चाहिए वह नहीं हो पाता। कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी रह जाती है।

हमारे यहां इतने मिनरल्स हैं कि कहा जाता है कि जब अंग्रेज इस देश में आए थे तो वे यहां से कच्चा माल ले जाते थे और अपने यहां से बना बनाया माल ला कर यहां बेचते थे। हमने भी अब वही शुरू कर दिया है। अब हम स्टील भी बाहर से इम्पोर्ट करने लगे हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती और जो थोड़ी-बहुत भी स्टील के सम्बन्ध में जानकारी रखता है उसको भी यह बात समझ में नहीं आयेगी। हम कोयले को बाहर से मंगाकर उपयोग करते हैं। माना कि हमारे यहां जो कोयला है, उसको उन्नत करने की जरूरत है। क्या हम अपनी टैक्नोलोजी को उन्नत करके उस कोयले का उपयोग नहीं कर सकते? हम बड़ी-बड़ी टेक्नोलोजी की बात करते हैं। क्या हम, हमारे यहां जो कोयला उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारे देश में इतना कोयला है दो सौ साल तक उसकी कमी नहीं होने वाली है, उस कोयले का टेक्नोलोजी को उन्नत करके उपयोग नहीं कर सकते? इसके लिए हमें टेक्नोलोजी को उन्नत बनाने की बात सोचनी चाहिए। अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारा काम चलने वाला नहीं है।

मिनरल के बारे में जो रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि मिनरल के दोहन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो उसका दोहन किया जाए, एक्सप्लोरेशन किया जाए, दूसरी तरफ जहां जहां उद्योग धंधे चलने शुरू होते हैं, वहां वे बंद होने भी शुरू हो जाते हैं। हमारे बिहार में पाईरेट निकला जिसके बारे में सुना जाता है कि बड़ी डिमाण्ड है। पहले आपने वहां खदाम खोदकर पाइरेट निकला लेकिन अब उसके बंद होने की नौबत हो रही है। एक तरफ आप खदानें खोदेंगे और दूसरी तरफ उन्हें बंद कर देंगे। इस तरह से काम कैसे चलेगा।

सारे देश में जितने खनिज साधन उपलब्ध हैं उसके एक तिहाई खनिज साधन बिहार में उपलब्ध हैं। शायद ही ऐसा कोई खनिज हो जो कि बिहार में उपलब्ध न हो। लेकिन किसी भी खनिज के आधार पर उद्योगों का जो विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। बिहार के लोग इतने दबे हुए हैं, इतने बेकार हैं। आखिर इसका कारण क्या है? वहां पर उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं क्योंकि वहां खेती बाड़ी नहीं हो सकती जितनी कि होनी चाहिए। इसका

कारण है कि जमीन के नीचे साधन उपलब्ध हैं, इसलिए जमीन के ऊपर पैदा नहीं होता क्योंकि ऊपर से जमीन कमजोर है। जमीन पर पानी बहता जा रहा है लेकिन वहां सिंचाई की सुविधा नहीं है। उस पानी का बिहार के लोग उपयोग नहीं कर सकते। अगर इन सारी बातों का प्रबंध वहां नहीं हो सकेगा तो वहां के लोग क्या कर सकेंगे। वहां लोहा उपलब्ध है, कोयला उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। बोकारो के बारे में सोचा गया था कि यह हिन्दुस्तान का सबसे आइडियल प्लांट है। अगर वहां दस मिलियन टन स्टील नहीं बनायेंगे तो बहुत अच्छी अवस्था नहीं होगी। लेकिन दस मिलियन टन तो दूर की बात रही, अभी जब पूछा जाता है तो बहुत मेहनत करके भी चार मिलियन टन स्टील बनाने को तैयार हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा।

मैं अपनी कांस्टीच्युएंसी की बात कहना चाहता हूं। इस विभाग ने वहां की एक कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया। वह के०डी० डवलपमैंट कम्पनी है। यह पहला मौका है कि किसी कम्पनी को राष्ट्रीयकरण करने के बाद, अपने हाथ में लेने के बाद, प्राइवेट सैक्टर को नीलाम किया गया हो। यह पहली दफा एक नयी बात हुई है हिन्दुस्तान में। पता नहीं क्यों इस तरह का काम हुआ ? मैं तो मंत्रीं जी से पूछना चाहता हूं कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि राष्ट्रीयकरण करने के बाद उस प्लांट को नीलाम किया गया प्राइवेट सैक्टर को ? जहां तक मुझे मालूम है कि केन्द्रीय सरकार के मैंनेजमैंट की बिहार सरकार ने लीज कैंसिल कर दी क्योंकि कम्पनी ने रायल्टी नहीं दिया था। ये जो माइनिंग्स चलानें वाले लोग हैं, माइन्स डिपार्टमैंट है, मैं समझता हूं कि असलियत से इनको कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ दिल्ली में बैठकर दिल्ली की बात सोचते हैं, ऐसा सोचने से काम चलने वाला नहीं है। कुछ तो असलियत होनी चाहिए, कुछ काम की बात सोचनी चाहिए। इतना लाइमस्टोन है जिसकी डिमांड है, सब लोग चाहते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप पहले ही काफी समय ले चुके हैं। अपना भाषण समाप्त कीजिए अब, वित्त मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पाण्डे : उनके बाद मुझे बोलने की इजाजत दी जाए। **(व्यवधान)**

———

3.46 म० प०

1986 के बजट प्रस्तावों में कतिपय संशोधनों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैंने 28 फरवरी, 1986 को जो बजट प्रस्ताव रखे थे उन पर व्यापक रूप से चर्चा हुई है। मैं संसद में हुई चर्चा तथा संसद से बाहर विभिन्न वर्गों के विशेष रूप से लघु उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा से लाभान्वित हुआ हूं।

इन विचार-विमर्शों को ध्यान में रखते हुए, मैं सभी लघु इकाइयों के लिए छूट सीमा 7.5 लाख रुपए के हमारे पूर्ववर्ती प्रस्ताव से 15 लाख रुपए की निकासी तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। इन लघु इकाइयों में वे इकाइयां भी शामिल हैं जिन्हें पहले 7.5 लाख रुपये छूट प्राप्त थी। जो इकाइयां विभिन्न टेरिफ शीर्षों के अन्तर्गत आने वाली एक से

अधिक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं उनके मामले में छूट सीमा 30 लाख रुपए तक जा सकती है। अन्य बातों के सम्बन्ध में (जैसे मांडवैट, 15 लाख रुपए तथा 75 लाख रुपए की निकासियों के बीच देय रियायती शुल्क की दर और पात्रता की 150 लाख रुपए की अधिकतम सीमा) पूर्ववर्ती स्कीम के लाभ अपरिवर्तित रहेंगे।

लघु उद्योग इकाइयों के लिए कार्यविधियों के सरलीकरण के उपाय के रूप में यह प्रस्ताव है कि :—

(क) उत्पादन शुल्क लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए कोई जटिल कार्यविधि नहीं होगी। लघु उद्योग इकाई के लिए, लाइसेन्स के आवेदन-पत्र की डाक प्राप्ति-सूचना ही उत्पादन शुल्क लाइसेन्स मान लिया जाएगा।

(ख) लघु उद्योग इकाइयों को 50 लाख रुपए तक की निकासियों के लिए स्वयं-शुल्क निर्धारण कार्यविधि की अनुमति होगी। दूसरे शब्दों में, इकाई द्वारा की गई उत्पादन शुल्क की घोषणा, बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकताओं के, साधारणतया स्वीकार की जाएगी।

(ग) ऐसे मामलों में उत्पादन शुल्क निरीक्षण सीमित किया जाएगा जो एक इकाई के लिए वर्ष में अधिक से अधिक एक बार होगा।

(घ) लघु उद्योग इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले उत्पादन शुल्क रिकार्ड को और अधिक सरल बनाया जाएगा।

हमने फुटकर काम (जाब वर्क) को उत्पादन शुल्क से छूट देने के लिए एक अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है। मॉडवैट स्कीम के अन्तर्गत आने वाली निविष्टियों के लिए कारखाने में ही होने वाली खपत पर तथा कुछ अन्य क्षेत्रों पर छूट देने का भी मैं प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त, यह छूट जिग, फिक्सचर, पैटर्न तथा कास्टिंग मोल्ड्स पर भी दी जा रही है। विशिष्ट उद्योगों के लाभ के लिए, जिनमें से कई लघु उद्योग क्षेत्र के हित के हैं, कतिपय अन्य रियायतों की घोषणा मैं कुछ दिन बाद करूंगा। मुझे विश्वास है कि जिन परिवर्तनों का मैंने अब प्रस्ताव किया है उन से लघु क्षेत्र और सुदृढ़ हो सकेगा।

जहां तक प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है मैं अपने मूल प्रस्तावों में निम्नलिखित संशोधन करना चाहता हूं :—

(1) सर्वेक्षण संकार्यों के लिए हमने आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 133 बी का प्रस्ताव किया है। मैं आयकर प्राधिकारियों की शक्तियों को केवल व्यापार परिसरों से निर्धारित सूचना इकट्ठी करने तक सीमित रखने का प्रस्ताव करता हूं। इस धारा के विषय क्षेत्र में आवासीय परिसर शामिल नहीं होंगे।

(2) वित्त विधेयक, 1986 के खण्ड 5 और 6 के अधीन अपने कब्जे की सम्पत्ति से होने वाली काल्पनिक आय के लिए कर से छूट प्राप्त थी। यह अभ्यावेदन किया गया है कि निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग में अनेक व्यक्ति मकान बनाने के लिए उधार लेते हैं और उस पर ब्याज अदा करते हैं और चूंकि कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी इसलिए इस प्रकार के व्यक्तियों की हालत और बुरी होगी। मैं ऐसे ब्याज पर प्रतिवर्ष अधिक से अधिक 5000/- रु० तक की कटौती की व्यवस्था का प्रस्ताव करता हूं।

(3) हमने, अन्तर-निगमति लाभांश के रूप में होने वाली आय के सम्बन्ध में कटौती से सम्बन्धित आयकर अधिनियम की धारा 80 एम को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। मैं इस प्रस्ताव को वापस लेने का सुझाव रखता हूं।

(4) 1985-86 के बजट में चाय उद्योग को एक निवेश जमा स्कीम की अनुमति दी गई थी। इस स्कीम को इस वर्ष के बजट में लागू किए गए निवेश जमा लेखा से सम्बन्धित नए उपबन्द के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव है।

(5) मूल्यांकन के बारे में धन-कर नियमों का मसौदा 31-3-86 को अधिसूचित कर दिया गया है।

जैसा कि सदन को विदित ही है, सरकार ने बजट बनाने सम्बन्धी प्रक्रिया में हमारी जनता के सभी वर्गों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है। इस खुली बहस से और माननीय सदस्यों तथा अन्यों द्वारा दिए गए सुझावों से मुझे बड़ा लाभ हुआ है। वित्त विधेयक तथा उत्पादन शुल्क अधिसूचनाओं में आवश्यक संशोधन बाद में किए जाएंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : घरों में अब और छापे नहीं मारे जाएंगे और अब वे अपने घरों में रिकार्ड रखेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इनसे निपटने के लिए अन्य उपबन्ध हैं। खण्ड 13: ख में से आवासीय परिसर को निकाला गया है।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।···

(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम संगमरमर चिप्स तथा 'कराजी' पर भी छूट दे रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री अप्पालानरसिंहम।

3.51 म. प.

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87

इस्पात और खान मंत्रालय [-जारी]

[अनुवाद]

***श्री पी० अप्पाला नरसिंहम (अनकापल्ली)** : अध्यक्ष महोदय हम कल से इस्पात और खान मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। सदन के दोनों पक्षों के अनेक माननीय संसद

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सदस्यों ने हमारे इस्पात कारखानों के, चाहे वह बोकारो हो अथवा राउरकेला, प्रभावहीन, कार्य निष्पादन के बारे में कहा है। वास्तव में हमारे इस्पात संयंत्रों की आयोजना और कार्यान्वियन के बारे में सरकार की नीति ही त्रुटिपूर्ण रही है। चर्चा के दौरान स्थिति में सुधार करने के लिए कई मूल्यवान सुझाव दिए गए हैं। विपक्ष के एक सदस्य ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के बारे में अनेक तथ्यों की जानकारी दी है और कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। चूंकि मेरे पास अधिक समय नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र से सम्बन्धित कुछ मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा।

दस्तूर एंड कम्पनी ने विशाखापतनम इस्पात संयंत्र के बारे में अपना प्रतिवेदन 1966-67 में प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन के अनुसार वी० एस० एल० के लिए 10 हजार एकड़ भूमि की आवश्यकता थी और इस पर 1800 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान था। इस्पात कारखाने का शिलान्यास 1971 में किया गया था। निर्माण कार्य 1979-80 के दौरान शुरू किया गया। निर्णय लेने और उसे कार्यान्वित करने में काफी समय बरबाद किया गया है। दस्तूर एंड कम्पनी के सुझावानुसार 10 हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के बजाए सरकार ने 26000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। अनेक गरीब लोगों को उनकी भूमि से वंचित कर दिया गया है। उनकी जीविका का साधन समाप्त हो गया। इन गरीब लोगों को, जिनसे भूमि का अधिग्रहण किया गया था, 1250 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मामूली सा मुआवजा दिया गया। मुआवजे की दर से निराश होकर उनमें से कुछ व्यक्ति न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय तक गए। उच्च न्यायालय ने मुआवजे की दर बढ़ाकर 4500 रुपए और 5000 रुपए की बीच करने का निर्णय दिया। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री एन० टी० रामाराव ने केन्द्र को उच्च न्यायालय का निर्णय स्वीकार करने और अधिग्रहीत भूमि का बाजार मूल्य देने के लिए लिखा था। परन्तु मुआवजा बढ़ाने के लिए दुर्भाग्यवश केन्द्र द्वारा कोई निर्णय नही किया गया।

3.55 म. प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वर्ष 1971 में इस्पात कारखाने का शिलान्यास करते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने सभी 12500 विस्थापित परिवारों को रोजगार देने का आश्वासन दिया था। इस आश्वासन को आज तक पूरा नहीं किया गया है। प्रति वर्ष 5000 परिवारों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए प्रबंधकों और विस्थापित व्यक्तियों के बीच 1984 में एक समझौता हुआ था। यहां तक कि उस समझौते को भी नही माना गया। विस्थापित परिवारों को इस मुद्दे पर आंदोलन करना पड़ा था। इन लोगों को आंदोलन करने से रोकने के लिए प्रबन्धक समय-समय पर कोई न कोई समझौता करते रहते हैं। परन्तु वे निर्णय को लागू करने की परवाह नहीं करते। ये विस्थापित व्यक्तियों के आंदोलन को खतम करने के षड़यंत्र हैं। प्रबन्धक इन असहाय लोगों के लिए केवल मगरमच्छी आंसू बहाते हैं। वर्ष 1982, 1984 और 1986 में अनेक आंदोलन हुए। अभी हाल ही में आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। स्थिति बहुत गंभीर है। सभी 12,500 विस्थापित परिवार सड़क पर हैं। वे भूखे

मर रहे हैं। देश की प्रगति के लिए हमें इस्पात और इस्पात कारखाने चाहिएं। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि हजारों विस्थापित परिवार भूखे मरें। प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का वायदा किया गया था। यह वायदा नहीं निभाया गया। इसके बाद प्रतिवर्ष 5000 विस्थापित परिवारों को रोजगार प्रदान करने का एक अन्य समझौता किया गया। उस समझौते का भी पालन नहीं किया गया। यह एक बहुत गम्भीर समस्या है जिसका तुरन्त हल निकालने की आवश्यकता है।

महोदय, विस्थापित परिवारों के लाभ के लिए निर्मित पुनर्वास कालोनियों में कोई सुविधाएं नहीं हैं। मकानों में कोई सुविधा नहीं है; मकान बहुत तंग हैं क्योंकि वे 107 वर्ग गज क्षेत्र में बने हुए हैं। दूसरी तरफ वी० एस० एल० में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए निर्मित कालोनियों में बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मैंने पुनर्वास कालोनियों की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाने के लिए माननीय मंत्री महोदय को चार महीने पहले एक पत्र लिखा था। मैंने उनसे कम से कम कुछ प्राथमिक सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया था। परन्तु मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार को अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने की बजाए पुनर्वास कालोनियों में कम से कम न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए। गृह कर और लाइसेंस शुल्क के रूप में एकत्र की गई धनराशि को ग्राम पंचायत को दिया जाना चाहिए। यह धनराशि नगर निगम को नहीं दी जानी चाहिए। यह परियोजना नगर निगम की सीमा से 15 से 20 कि० मी० की दूरी पर है। इसलिए यह धनराशि नगर निगम को दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। महोदय, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह कर से मिलने वाले राजस्व को ग्राम पचायत को दिए जाने के पक्ष में अपना निर्णय दें। ग्राम पंचायत इस धनराशि से पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले व्यक्तियों को अधिक सुविधाएं प्रदान कर सकती है। ग्राम पंचायत इस धनराशि से उनके विकास के लिए अनेक कदम उठा सकती है।

सरकार को विस्थापित लोगों के आन्दोलन के कारण भारी हानि हो रही है। अनुमान है कि आन्दोलन के कारण प्रति दिन एक करोड़ रुपए की हानि हो रही है। ये आंदोलन गत चार वर्षों से चल रहे हैं जिनके परिणाम स्वरूप भारी हानि हुई है। ऐसा लगता है कि सरकार घाटा उठाने को तैयार है परन्तु विस्थापितों की समस्या का समाधान करने के प्रयास करने के लिए तैयार नहीं है। अतः सरकार को इन लोगों के लिए तुरन्त 10 करोड़ रुपए की मंजूरी देनी चाहिए।

महोदय, दलित लोगों के विकास के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इस प्रयोजन के लिए अनेक निगम हैं। गरीब लोग देश का आधार हैं। वी एस एल क्षेत्र में विस्थापित व्यक्ति देश के अन्य लाखों गरीब लोगों में से ही हैं। इसलिए सरकार को उनके विकास की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और धनराशि की स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। इसी प्रकार सरकार को अधिगृहीत भूमि का मुआवजा बाजार भाव पर देने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री एन० टी० रामाराव द्वारा

किए गए अनुरोध को भी मान लेना चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन अनुरोधों को स्वीकार करके इन गरीब व्यक्तियों के साथ न्याय करेंगे।

महोदय, अन्त में मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह केवल एसे व्यक्ति को ही प्रबंध निदेशक नियुक्त करें जो तेलगू भाषा और स्थानीय स्थितियों को भली-भांति समझता हो। केवल ऐसा व्यक्ति ही काम चला सकता है।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अप्पाला नरसिंहम, अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करिये। मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे।

———

4.00 म. प.

आतंकवाद के बढ़ते हुए खतरे और उसके परिणामों के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करते है। श्री शोभनाद्रीश्वर राव और प्रो० के० के० तिवारी आतंकवाद के बढ़ते संकट और उसके परिणामों के बारे में चर्चा आरंभ करेंगे।

माननीय सदस्यों, इससे पहले कि आप चर्चा आरम्भ करें······

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, क्या आप अध्यपीठ से चर्चा आरंभ कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहब अनेक बार मैं आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करता हूं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : वे आतंककित कर रहे हैं······

प्रो० मधु दंडवते : ऐसा कुछ नहीं है। मेरे नाम से पता चलता है कि मैं आतंकवाद के लायक नहीं हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमारे अध्यक्ष इतने कमजोर नहीं हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : डंडा तो साथ में रखते हैं, लेकिन साथ में शहद लाकर रखते हैं।

मैं कहना चाहता था कि जो विषय आप ले रहे हैं, इस पर किसी एक पार्टी या एक व्यू-प्वाइन्ट से हमें नहीं सोचना है। यह विषय आप सब पर और सारे देश पर प्रभाव डालेगा और डाल रहा है।

मेरी सिर्फ एक अपील है, हार्दिक कामना है, एक पीड़ा है जो कभी-कभी निकलती है, मौका मिलता है तो दो शब्द कह देता हूं कि इसका इलाज सबको मिल कर ढूंढना है, अकेले नहीं। रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन निशाना हमारा एक है और उस निशाने के लिए आप सब मिलकर एकमत होकर प्रयत्न करें।

कारण तो कई हो सकते हैं, खासकर तब यह ज्यादा खतरनाक है कि हमने जो रास्ता प्रजातन्त्र का अपनाया है, वह बिल्कुल उसके विपरीत हो जाता है, जो आज हो रहा है, गोली वायोलेंस और प्रजातन्त्र दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यह बिल्कुल विरोधाभास है। भूखे

अब हमें सोचना होगा कि क्या इस हम बात की रक्षा कर पायेंगे कि जो प्रणाली हमने इसके लिए आज अपनाई है ? अगर बन्दूक की नाली से राज्य होगा तो न फिर मधु दंडवते होंगे, न तिवारी होंगे और न कोई स्पीकर यहां होगा । फिर तो डंडे से राज्य होगा, जिसकी लाठी, उसकी भैंस होगी ।

यह बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमारे शहीदों ने इतना कुछ कर-करा कर किया है । हम कैसे भुला सकते हैं उन महापुरुषों को, वीरों को जिन्होंने हंसते-हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डलवा लिया और जान दे दी । राजगुरु, सुखदेव, भगतसिंह, अश्फाक उल्ला, मदनलाल ढींगरा, राम सिंह, आजाद, किस-किस को आप याद करोगे, किस-किस को भलाओगे ? सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी ।

सबसे बड़ी बात यह है कि इस घिनावनेपन में जो आतंकवाद है, इसके साथ एक नई चीज पैदा हो रही है जो सबसे खतरनाक है । वह यह है कि इसमें लोग साम्प्रदायिकता की जड़ और बू डालने लग गए हैं और धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं । धर्म का नाम किसी चीज के लिए है कि आत्मा की शुद्धि हो, सहवास हो, मिलकर जीना हो, सब का कुछ करना हो ।

आप में से कुछ ने शायद देखा हो । आप दूर थे शायद इसलिए न देखा होगा, लेकिन मैंने इसका घिनावना रूप देखा है । इसीलिए मैंने आज दो शब्द कहने चाहे हैं, क्योंकि मैं उस जगह से आता हूं जहां सिर्फ 4 मील की हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की आपस में दूरी रहती है । मेरा घर वहां पर है । मैंने वह भयावह डरावना नजारा देखा है, जहां मैंने वह काफिले आते और जाते देखे हैं और उन काफिलों के लुटे हुए रूप देखे हैं । उन काफिलों में मैंने तड़पते हुए बच्चे देखे हैं, मरी हुई मां की छाती से दूध पीने की कोशिश करते हुए बच्चों को मैं उठाकर लाया हूं । मैंने मां की बेटे से और बेटे की बाप से जुदाई देखी है, बहिन का भाई बिछड़ते देखा है, अपनी बहिनों के सिन्दूर को उजड़ते हुए मैंने देखे हैं । मैं अन्दाजा नहीं कर सकता, कह नहीं सकता कि क्या-क्या हो सकता है । एक इनसान को वहशी बनते मैंने देखा है ।

आज फिर वह वहशत हमारे बीच में क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, मैं इसको सोच नहीं सकता हूं । एक दफे इतनी कीमत चुका देने के बाद आज फिर अगर हमें देश में कीमत देनी पड़े, तो यह एक ऐसी महान गलती होगी कि इनसान क्या कहेंगे कि यह सीख ही नहीं सकते ।

इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मिलकर एक बात करो, इसको जड़ से उखाड़कर फेंक दो ।

साम्प्रदायिकता और कमुनेलिज्म को रहना नहीं चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा जहर है जो कि रह नहीं सकता है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, या तो प्रजातन्त्र रह सकता है या सम्प्रदायवाद रह सकता है । हम सब हिन्दुस्तानी हैं । हमें सारे अधिकार और नैतिकता उसी हिसाब से प्राप्त हुए हैं जो विधान ने हम सबको दिए हैं, उसमें किसी के साथ डिफरेंसेशन नहीं होना चाहिए ।

यह ठीक है कि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शिक्षा के तौर पर हमें सारी नीतियां बनानी हैं । सबको समान अधिकार प्रदान करने है, लेकिन इसके पश्चात यह देखने की बात है कि हम जो भी काम करेंगे वह मिलकर करेंगे जिसको कि सब देखें कि ऐसी संसद थी,

जिसने वक्त के हिसाब से आवाज उठाई और सबने मिलकर देश की एकता को जो आंच आने वाली थी, वह नहीं आने दी। हम यह सब बातें याद करके रख लें।

मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह आप सबको शक्ति दे, आपकी वाणी में शक्ति और एकजुटता आ जाए। आप जो भी काम करें, डटकर और एकजुट होकर करें। बाकी सब बातें भुला दें। आप यह सोचें कि पहले हम भारतीय हैं, बाद में किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : चर्चा आरम्भ होने से पहले मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं जो सिर्फ सभा की मदद के लिए है। मुझे यह नहीं मालूम कि आपने संसदीय प्रक्रिया नियमों को ध्यान से पढ़ा है या नहीं जिसके अन्तर्गत आतंकवाद के बढ़ते खतरों और इसके परिणामों पर चर्चा हेतु कार्य सूची तैयार की गई है। कार्य मंत्रणा समिति में, हमने यह निर्णय लिया था कि पंजाब की स्थिति पर आतंकवाद के सन्दर्भ में चर्चा की जाए। आपने इस विषय को बहुत व्यापक बना दिया है। यद्यपि भगवान की कृपा से यह स्थिति विश्व में नहीं है; सिर्फ भारत तक ही सीमित है। **(व्यवधान)**

किन्तु आप देखेंगे कि यह चर्चा पंजाब की स्थिति से पूरी तरह अलग हटकर है; और जो अनुदेश आपने दिए है हम उनका अनुसरण करेंगे। मैं समझता हूं, इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, यह बिल्कुल, स्पष्ट है कि हमारा सम्बन्ध मूल रूप से पंजाब की स्थिति से ही है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा आरम्भ करने का अवसर दिया है जो हमारे देश में लाखों लोगों के विचारों को उत्तेजित कर रहा है। उस समय समूचा राष्ट्र बहुत ही प्रसन्न था जब हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और अकाली दल के अध्यक्ष स्वर्गीय लोंगोवाल ने 24 जुलाई, 1985 को पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कुछ ही लोगों कुछ ही संगठनों को छोड़कर, करीब-करीब हमारे देश के सभी वर्गों के लोगों ने इस ऐतिहासिक समझौते पर प्रसन्नता जाहिर की और उसका समर्थन किया; 'और हर व्यक्ति को यह आशा थी कि अब संघर्ष और अशान्ति समाप्त हो जाएगी तथा पंजाब में नए जीवन की शुरूआत होगी। लेकिन यह राष्ट्र के लिए और विशेषकर पंजाब के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने लोंगोवाल को खो दिया। उन्होंने बहुत ही अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया था।

वे जानते थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो समझौता नहीं चाहते, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पंजाब में शान्ति और खुशहाली नहीं चाहते, जो देश की एकता और अखंडता में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। इस बात को जानते हुए उन्होंने साहस से कार्य किया और उन्होंने जनमत, विशेषकर पंजाब की जनता का जनमत, तैयार करने का प्रयत्न किया ताकि पंजाब समझौते को पूर्ण निष्ठा से लागू किया जा सके। अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक उन्होंने यह कार्य किया, इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और यहां तक कि अपना जीवन भी बलिदान कर दिया। लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो महान चिन्ता का विषय है। दुर्भाग्यवश,

आतंकवादी गतिविधियों में कई गुणा वृद्धि हो गई है। वे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। केवल आतंक पैदा करने के लिए हत्या कर रहे हैं, अकाली नेताओं को मार रहे हैं, अकाली नेताओं के पुत्रों की हत्या कर रहे हैं और कुछ पुलिस अधिकारियों को भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। ये आतंकवादी हथियारों की लूट भी कर रहे हैं जैसा कि तरनतारन और फिरोजपुर स्थित रेलवे पुलिस मुख्यालयों में हुआ है। किन्तु अब तक बहुत थोड़े से आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं और बहुत थोड़े से ऐसे अपराधियों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया है जिनके इन आतंकवादी गतिविधियों से संबंध थे। इसके अतिरिक्त, देश की जनता इस विचित्र घटनाओं के बारे में अत्यधिक चिंतित है कि अमृतसर में पवित्र सिख तीर्थस्थल, अर्थात् स्वर्णमन्दिर में भी इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं और लोगों को ऐसी घटनाएं होते देखकर तब और अधिक आश्चर्य होता है जब राज्य में अकाली दल की सरकार है। यह बात अवश्य है कि वर्तमान स्थिति के लिए श्री बरनाला को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो पहले से होती रही हैं और अब वे अपनी चरम सीमा पर पहुच गई हैं। यदि हम आंकड़े उठकार देखें तो पता लगता है कि केवल तीन महीने में ही 80 से भी ज्यादा लोगों की जानें गई हैं और तीन पुलिस अधिकारी मारे गए हैं।

पंजाब में यह क्यों हो रहा है, जो ऐसी भूमि है जहां इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सबसे अधिक लोगों ने योगदान दिया है, जिसका इतिहास गौरवपूर्ण है! अपना बलिदान देने में वे सम्पूर्ण देश में सबसे आगे हैं तथा वे इस देश की एकता और अखडता बनाये रखने के साथ-साथ सीमाओं पर निगरानी रखने के कार्य में कष्ट झेल रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी पंजाब का अद्वितीय योगदान है, जैसा कि इस संबंध में सभा को पूरी-पूरी जानकारी है। जब पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध हुआ था, उस समय वहां के सीमावर्ती गांवों के लोगों ने हमारे जवानों को पूरा-पूरा सहयोग दिया था। किन्तु अब, जब ये आतंकवादी जिन्हें पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया जाता है, हथियार दिए जाते हैं, हमारे देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली को कमजोर करने के लिए धन दिया जाता है, जानबूझकर इधर-उधर भटक रहे हैं, फिर भी लोग चुप क्यों बैठे हैं। इस बात पर हम सभी को विचार करना चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि सिखों के मन को चोट पहुंची है। श्रीमती गांधी की हत्या के बाद जो अत्यन्त ही घृणित अपराध था, दुर्भाग्य वश, राजनैतिक दलों से निकट सम्पर्क रखने वाले लोगों ने, जो सत्ता के बहुत नजदीक हैं, कुछ लोगों को इस बात के लिए उकसाया कि वे हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री की हत्या का और उसके साथ-साथ बसों और रेलगाड़ियों में यात्रा कर रहे अनेक निर्दोष हिन्दुओं की हत्या का बदला लें। कई हजार सिखों को, जिनका श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या से अथवा आतंकवादी गतिविधियों से कोई वास्ता नहीं था मार दिया गया, उनकी सम्पति को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, उनकी समस्त चीजों, उनके पूरे जीवन की कमाई को आग की लपटों में बर्बाद कर दिया गया, और दुर्भाग्य की बात यह है कि इन घटनाओं का कुछ हद तक आम सिख की मनोदशा पर प्रभाव पड़ा। एशियाई खेलों के दौरान भी, जो कि एक महान अवसर था, दुर्भाग्यवश सिख लोग यद्यपि जबकि वे खेल देखने आ रहे थे, तो कुछ सरकारों ने अपने ऊपर अत्याधिक भार ले लिया और उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, सज्जन सिख व्यक्तियों की भावनाओं का अपमान करने का प्रयत्न किया और कुछ मामलों में तो सिखों पर पूरा क्रोध ही उतार दिया गया, जो सेना में कार्य कर रहे थे और जिन्होंने अपने पहचान-पत्र दिखाये थे उन्हें भी नहीं बख्शा गया। हमें ये बातें अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि

वहां अब यह स्थिति क्यों है। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि राष्ट्र के बेहतर हित को ध्यान में रखते हुए ये घटनायें पुन: नहीं होनी चाहिएं। हमें अपनी पिछली गलतियों से भी सबक लेना चाहिए।

[अनुवाद]

भिंडरावाले को 'हीरो' बनाने के लिए कौन जिम्मेवार है, जो कि उन दिनों कोई शक्ति नहीं था ?......... (व्यवधान)। मैं इस पर विस्तार से चर्चा करने नहीं जा रहा परन्तु हमें भविष्य में रंचमात्र राजनैतिक लाभ के लिए भी विध्वंसकारी शक्तियों, आतंकवादी शक्तियों को प्रोत्साहन देकर ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिएं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान हमारी सीमाओं के समीप प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है। पाकिस्तान द्वारा गोला-बारूद तथा परिष्कृत और नवीनतम हथियार सप्लाई किए जाते हैं। पाकिस्तान द्वारा विद्रोही क्रियाकलापों के लिए लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हमारी सरकार को सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की इन घृणित क्रियाकलापों की पोल खोलनी चाहिए और सभी देशों को इस बारे में बताया जाए तथा हमारे पक्ष में जनमत लाने का प्रयास किया जाए ताकि पाकिस्तान हमारे आंतरिक मामलों में और हमारे राष्ट्र की प्रगति में इस प्रकार का हस्तक्षेप करना छोड़ दे। इसमें देर होने से पहले ही केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। यह मेरा अनुरोध है। मेरा विचार है कि पहले ही कुछ अवसर हमारे हाथ से निकल गया है। परन्तु अभी भी बहुत गुंजाइश है। हमें वहां की राज्य सरकार, श्री बरनाला की सरकार को सुदृढ़ करना चाहिए। प्रधानमन्त्री तथा भारत सरकार को बरनाला सरकार को अपना पूरा समर्थन देना चाहिए, यदि आवश्यकता हुई तो भारत सरकार को इस प्रकार की आतंकवादी क्रियाकलापों को रोकने के लिए नवीनतम हथियार भी अवश्य भेजने चाहिएं। महोदय, पंजाब समझौते का क्रियान्वयन न होने से, कुछ हद तक बरनाला सरकार कमजोर हुई है तथा उन आतंकवादियों की स्थिति मजबूत हुई है जो निरन्तर सरकार विरोधी प्रचार कर रहे हैं। उन्हें कुछ सीमा तक लाभ प्राप्त हुआ है। अत: शीघ्र ही सम्भव समय में और बिना किसी विलम्ब के पंजाब समझौते का क्रियान्वयन अवश्य ही किया जाना चाहिए। मैं इस बारे में हमारे अकाली मित्रों से भी अपील करता हूं। पंजाब समझौते में यह बात खंड 7.2 में स्पष्ट रूप से कही गई है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमेशा यह कहा है कि जब चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा तो पंजाब के कुछ हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा को दिए जायेंगे। चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को दिए जाने वाले विशिष्ट हिन्दी भाषी क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। परन्तु क्या परिणाम निकले ? मैथ्यु आयोग इस एक शब्द 'समीपस्थ' (कान्टि-न्युटी) के कारण कोई निर्णय नहीं दे सका। यद्यपि मैथ्यु आयोग ने 83 गांवों तथा 2 शहरों (जो इस समय पंजाब में हैं परन्तु जहां अधिकतम हिन्दी भाषी क्षेत्र है) का पता लगाया, परन्तु आयोग ने कोई निर्णय नहीं दिया। कन्दुखेड़ा गांव का नाम उदाहरण के लिए दिया गया। परन्तु समीपस्थ शब्द बीच में आ गया। मैंने अकाली मित्रों से सहयोग देने की अपील की; मैंने उनसे इस समझौते के क्रियान्वयन में उस सच्ची भावना से पूर्ण रूप से सहयोग देने की अपील की, जिस सच्ची भावना से यह समझौता किया गया था। परस्पर बातचीत द्वारा इन सभी बातों को

यह किया जाना चाहिए था। यदि कोई निर्णय नहीं लिया जा सका तो कम से कम बिना समय नष्ट किए शीघ्र ही दूसरा आयोग नियुक्त किया जा सकता था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही अपनी सीमाएं तत्काल सील कर देनी चाहिएं। सरकार को इस बात की निगरानी रखने के लिए कि कोई भी व्यक्ति अथवा उग्रवादी सीमा पार करके इधर न आए, जितने सैनिक आवश्यक हों, तैनात करने चाहिएं। हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि पाकिस्तानी रक्षा कार्मिक उग्रवादियों के वेश में यहां आ रहे हैं और यह सब कार्य कर रहे हैं। अतः कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा जाए और इसके साथ ही सभी विदेशी राष्ट्रों जैसे इंगलैंड, संयुक्त राज्य अमरीका तथा विशेष रूप से कनाडा, जिन देशों के कुछ सिख हमारे देश के उग्रवादियों को सहायता प्रदान करते हैं; उन देशों से अनुरोध किया जाना चाहिए कि जब यह स्पष्ट हो जाए कि हमारे देश में उग्रवादियों के साथ इन लोगों का सम्बन्ध है तो उन लोगों को भारत में भेजने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही सभी देश आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समन्वयन समिति बनाने के लिए आगे आने चाहिएं क्योंकि आतंकवादी घटनाएं न केवल भारत में अपितु सभी देशों में भी होती हैं। परन्तु हम इसलिए अधिक चिंतित हैं क्योंकि यह गौतम बुद्धि की भूमि है, महात्मा गांधी की भूमि है, और सभी देशों को आतकवाद समाप्त करने के लिए इकट्ठे होना चाहिए और गुप्तचर विभाग में सुधार के लिए तथा इन क्रियाकलापों के विरुद्ध कानून बनाने के लिए व्यावहारिक उपाय करने चाहिएं और इस समस्या के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के लिए आतंकवाद के सम्बन्ध में नियमित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने चाहिएं। हम अपने दल की ओर से पंजाब समस्या के शान्तिपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए अपना पूरा सहयोग देंगे और हमें आशा है कि पंजाब समस्या का शीघ्र ही समाधान हो जाएगा और अपने दल की ओर से सभी आवश्यक प्रयास करने के लिए हम तैयार हैं।

इन शब्दों के साथ, मुझे यह अवसर प्रदान किए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद को जोशपुर्ण और तीव्र बनाने के लिए मैं आपका आभारी हूं और मुझे आशा है कि इस गम्भीर मामले को दल गत तर्क-वितर्कों से परे रखा जाएगा और इसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आने दी जाएगी क्योंकि हम चाहते हैं कि यह सभा राष्ट्र को तथा उन लोगों को जो आतंकवाद द्वारा देश को अस्त-व्यस्त करना चाहते हैं, सुसंगत संदेश दे। दुर्भाग्यवश, पिछले अध्यक्ष ने कुछ टिप्पणियां कीं, जो आज की उस स्थिति में प्रासांगिक नहीं हैं, जिसमें कि हम इस मामले पर विचार करना चाहते हैं। तथापि, मैं उनके साथ विवाद नहीं करना चाहता मैं इस मामले को उसी स्तर तक उठाना चाहता हूं, जितना कि उचित है तथा उपयुक्त ढंग से उत्तर देने की कोशिश करता हूं ताकि इस देश के लोग यह समझ सकें कि यह सभा जो भारतीय लोगों, भारत की देशभक्त जनता के निश्चय को व्यक्त करने के लिए उच्चतम संगठन है, मातृभूमि की अखण्डता, एकता तथा स्वतंत्रता के प्रश्न पर किसी प्रकार के विवाद की अनुमति नहीं दी जाती।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश को अस्त-व्यस्त करने, देश के विनाश के लिए आतंकवाद के क्रियाकलाप हमारे सामने हैं। निश्चय ही पंजाब इसका केन्द्र बिन्दु है परन्तु अन्य क्षेत्रों में भी आतंकवादी अपना भयानक सिर उठा रहा है और इससे इस समस्या के फैलाव का पता चलता

है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस सभा और देश को अब राष्ट्र की एकता के लिए प्रत्यक्ष खतरे की जानकारी है। महोदय, हाल ही में यह बताया गया कि त्रिपुरा में टी एन वी स्वयंसेवकों को चीन के बने हुए शस्त्र सप्लाई किए गए। यह शस्त्र हमारे अब तक के मित्र पड़ौसी देश बंगलादेश के जरिए सप्लाई किए गए। यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान के गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारी भी आतंकवादियों को यह हथियार उपलब्ध कराने में शामिल पाए गए हैं। अतः आज इस देश को आतंकवाद का खतरा एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह एक आक्रमण के रूप में है, मैं इसे आक्रमण समझता हूं चाहे यह आतंकवाद पंजाब में हो अथवा उत्तर पूर्व में हो। यह हमारे देश की एकता पर आक्रमण है और हमें इसका विरोध करने और इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करनी होगी। इस सम्बन्ध में, जो घटनाएं हो रही हैं और पंजाब में जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहिए। मैं किसी प्रकार का प्रत्यारोप नहीं कर रहा, आज के वाद-विवाद की यह भावना नहीं होनी चाहिए। परन्तु हमारे उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिएं। हमने सुना है कि सीमा पार उग्रवादियों के कैम्प हैं और अलग-अलग माध्यमों से तथा स्वयं पंजाब के मुख्य मंत्री से हमें यह सही जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसे कैम्प आयोजित करने वाले कौन लोग हैं, इन कैम्पों को धनराशि देने वाले तथा इन्हें चलाने वाले लोग कौन हैं? अब यह स्पष्ट हो गया है कि अस्थिरता पैदा करने वाली विदेशी शक्तियों और आतंकवादी शक्तियों द्वारा देश को अस्त-व्यस्त करने का खतरा बहुत बढ़ गया है इसलिए इसका उत्तर भी उतना ही सतर्कतापूर्ण और स्पष्ट होना चाहिए। हमारे पड़ौसी देशों में साम्राज्यवादी शक्तियां सक्रिय हैं और पंजाब में पंजाब को ही उन्होंने क्यों चुना? आपने जिस बात का उल्लेख किया है वह आज के वाद-विवाद से बहुत सम्बद्ध है। यह संदर्भ देश में किसी भी राजनैतिक दल की राजनीति पर धर्म को हावी होने की अनुमति देने के बारे में था। पजाब को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां कट्टरपंथी सिर उठाने लगे, धर्म युद्ध की घोषणा की गई और पुराने सभी असंगत प्रतीक और अतीत के सभी कष्टों को उछाला गया और आंदोलन शुरू किया गया। इसके बाद क्या हुआ! और वहां घृणास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई। इस संबंध में मैं विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

महोदय, जब हम देश की एकता के संदर्भ में पंजाब में आतंकवाद पर बातचीत करते हैं तो हमें बदले की भावना से विचार नहीं करना चाहिए परन्तु स्थिति को सुधारने के लिए हमें इस बात पर विचार करना है कि ये लोग कौन हैं, क्या ये देश के अन्दर ही हैं। क्योंकि अब यह स्पष्ट है और आधुनिक इतिहास के छात्र जानते हैं कि तृतीय विश्व के देशों में क्या हो रहा है। उन्हें इन बातों का विश्लेषण करना चाहिए। धार्मिक कट्टरतावादी शक्तियों, मैं इन्हें फिलिस्तीनवादी कहता हूं, फिलिस्तीनवादी शक्तियां, अराजकता फैलाने वाली शक्तियों और तोड़ फोड़ तथा हत्यायें करने वाली शक्तियां को धर्म के नाम पर खुला छोड़ दिया गया। देश के एक विशिष्ट भाग में पूरी तैयारी के साथ और विदेशी शक्तियों की सांठ-गांठ से झूठी और मनगढंत शिकायतें उठाई गईं। यह कार्य तीन वर्ष तक जारी रहा। श्रीमती इन्दिरा गांधी की जघन्य हत्या और इसके बाद जो कुछ हुआ उसका उल्लेख किया गया है। देश इस समय गंभीर संकट से गुजर रहा था। शायद यह संकट बहुत भयानक था पर पूरा देश एक हो गया। इसका श्रेय भारत के लोगों को जाता है

जिन्होंने विघटनकारी तत्वों को हस्तक्षेप नहीं करने दिया या उनकी बात नहीं मानी और हमारे दल को तथा देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री को अपना मत दिया और यह बात सबको स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : यह गैर-विघटनकारी कार्य है ।

प्रो० के०के० तिवारी : भारत के प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी—और मेरे मित्रों ने इसके बारे में कहा है—ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए एकता पर सबसे अधिक बल दिया है । ऐसा कहते हुए उन्होंने उन सभी बातों को छोड़ दिया है, जो एक राष्ट्रीय नेता या एक दल का नेता अपनी पार्टी की भलाई के लिए करता है । अनेक असंगत बातें कही गईं और लोगों ने चुनाव का विरोध किया, परन्तु श्री राजीव गांधी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया । सिंहावलोकन करने से पता चलता है कि यह निर्णय ऐतिहासिक है और उन्होंने इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक साहस दिखाया है । जब देश की एकता की बात हो तो देश के नेताओं को विघटनकारी विचारधाराओं को अनुमति नहीं देनी चाहिए । इसके बाद ऐतिहासिक समझौता हुआ । संत लोंगोवाल उनके मित्र श्री बरनाला और अन्य मित्रों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों तथा जो हाल ही में कुछ हुआ उस पर ध्यान न देते हुए वे दिल्ली आने के लिए सहमत हुए और बात चीत के एक दौर के बाद समझौता हो गया । इसके बाद क्या हुआ । जब कुछ क्षेत्रों में कुछ आवाज उठाई गई तो मुझे कुछ दुःख हुआ और मैं अचम्भित हुआ । पंजाब में तोड़फोड़, खून खराबा और बरोक टोक हत्याएं हो रही हैं, क्योंकि समझौता कार्यान्वित नहीं किया गया है । इससे अधिक निरर्थक, धोखा देने वाला और बेफकूफ बनाने वाला वक्तव्य क्या हो सकता है ? क्या हमें याद है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले एक व्यक्ति संत लोंगोवाल की प्रधानमन्त्री के साथ समझौता करने के कारण हत्या कर दी गई ? वे लोग जिन्होंने सत लोंगोवाल की हत्या की है, जिन्होंने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया है और वे लोग जिन्होंने कहा था कि संत लोंगोवाल और इस समझौते को करने वाला अकाली दल उन्हें स्वीकार्य नहीं है, वे लोग जो 26 जनवरी को सरबत खालसा की अनधिकृत बैठक में स्वर्ण मन्दिर में एकत्रित हुए और इस समझौते को अस्वीकृत किया, अब इस हिंसा में शामिल हैं ।

अत: मैं सदन से यह जानना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने यद्यपि क्रियान्वयन की उपेक्षा नहीं की गई है—और हिंसा में क्या सम्बन्ध है ? क्या अन्यत्र ऐसी स्थिति हो सकती जहां आतंकवादियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा उनकी मदद की जा रही और देश द्रोही न केवल निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं बल्कि देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये ताकतें अब पंजाब में सक्रिय हैं । पजाब का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव था । यह चुनाव उन लोगों के बीच एक लड़ाई थी जो शांति चाहते हैं, जो साम्प्रदायिक सौहार्द चाहते हैं, जो पंजाब में शांति चाहते हैं और जो वाशिंगटन, रावलपिंडी और इस देश में अस्थिरता के इच्छुक अन्य देशों में बैठे अपने आकाओं के आदेशों का पालन कर रहे हैं । अत: अकाली दल के लिए यह चुनाव ऐतिहासिक जनादेश है । लोग हममें दोषों को ढूंढने का प्रयास क्यों कर रहे हैं ? जो दल चुनाव में हार गया

है वह विपक्षी दल की विजय का स्वागत क्यों कर रहा है ? इससे यह सिद्ध होता है कि हम एक शताब्दी पुराने दल के रूप में जिसने इस देश को आजादी दिलाई, तथा आजादी की जड़ों को मजबूत किया, विघटनकारी विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होंगे और अकाली दल की विजय का हम स्वागत करते हैं—अकाली दल का नहीं परन्तु लोगों के अकलमन्दी से लिए गए इस निर्णय का स्वागत करते हैं कि उन्होंने आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है, उन्होंने साम्प्रदायिक वैमनस्य को स्वीकार नहीं किया और पंजाब को पुनः सही स्थिति में लाने और इस उपद्रव ग्रस्त राज्य में पुनः सौहार्द और शांति स्थापित करने के लिए अकाली दल को अपना मत दिया है। अब अकाली दल की यह जिम्मेदारी है कि वह चुनौती का सामना करे और वहां स्थिति को सुधारने के लिए कार्य करे। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, जबसे हमने चुनाव लड़ना शुरू किया है, और विभिन्न पद्धतियों के अन्तर्गत सरकारें बननी शुरू हुई हैं, भारत के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी दल का प्रधान मंत्री, जो देश का नेतृत्व करता है विपक्षी दल को पूरा समर्थन देता है और अकाली दल को बधाई देता है और यह कहता है कि वे जो भी सहायता मांगेंगे वही सहायता उन्हें दी जाएगी। कृपया जिन लोगों ने आपको चुना है उनके प्रति और राष्ट्र के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करें। संविधान के अन्दर भी कुछ सीमाएं होती हैं। राष्ट्र के धैर्य की भी कुछ सीमा है।

दुर्भाग्यवश बाद में बहुत कुछ हुआ है जो स्वागत करने योग्य नहीं है और मैं चाहता हूं कि सदन इसके विरुद्ध एक होकर खड़ा हो। हमें यह प्रयास नहीं करना चाहिए और मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं कभी भी इसका समर्थन नहीं करूंगा या इसका अनुचित लाभ उठाऊंगा। दुर्भाग्यवश अकाली दल के कुछ लोग इससे सहमत नहीं हुए। यह भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं कि अकाली अपने आपको सुव्यवस्थित करें क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह साधारण बात नहीं है। देश के अन्य भागों में भी सत्ता विपक्षी दलों के हाथ में है। परन्तु जो कुछ पंजाब में हो रहा है वह असामान्य है। देश के विभाजन का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए, हम यह कहना चाहते हैं कि संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए हम अकाली दल को मजबूत बनाने हेतु कुछ भी करने को तैयार हैं। परन्तु, दुर्भाग्यवश यह हो क्या रहा है ? पुनः मैं यह कहता हूं कि मैं पुरानी बातों को दोहरना नहीं चाहता। 3-4 वर्षों से आतंकवादी प्रयास कर रहे हैं। आतंकवादियों ने यही प्रयास किया है कि पंजाब में साम्प्रदायिकता फैले। परन्तु हिन्दू और सिखों के युगों पुराने संबंध नहीं टूटे और मैं यह कह सकता हूं कि प्रत्येक सिख आतंकवादी नहीं है। वह आतंकवाद से दूर है। सिखों की बहादुरी और देशभक्ति का इतिहास प्रत्येक व्यक्ति के सामने है। जो लोग अस्थिरता फैलाना चाहते हैं वे दोषी हैं। गत तीन वर्षों में उन्हें फूट डालने में सफलता नहीं मिली है।

बरनाला सरकार द्वारा सत्ता सभालने के बाद 3-4 महीने के दौरान दुर्भाग्यवश यह फूट दिखाई देने लगी। हिन्दू और सिखों के बीच ये झगड़े बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और इससे पता चलता है कि आतकवादियों की चुनौती का सामना करने के लिए किसी स्तर पर इच्छा और निश्चय का अभाव है, क्या हुआ ? स्वर्ण मन्दिर, जिसका हम सब सम्मान करते हैं, किस प्रकार अखिल भारतीय सिख छात्र संघ और दमदमी टकसाल के हाथों में चला गया। यह एक और

कहानी है, जिसे अकाली अच्छी तरह समझेंगे और समस्या का समाधान करेंगे, खालिस्तान का झंडा अभी तक स्वर्ण मन्दिर पर किस प्रकार फहरा रहा है ? मुझे बताया गया है कि स्वर्ण मन्दिर और भारत में अन्य स्थानों पर स्थित गुरुद्वारों पर नियंत्रण के बारे में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री कबूल सिंह और दमदमी टकसाल के बीच एक समझौता हुआ है। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि करोड़ों रुपए और अन्य सम्पत्ति आतंकवादियों को सौंप देना है, ताकि वे संगठित हो सकें और वे सम्मान प्राप्त कर सकें और सिखों को प्रभावित कर सकें। यह बहुत ही खतरनाक घटना है।

महोदय, अकाली दल ने सिखों की सबसे बड़ी सभा सरबत खालसा का आयोजन किया था। इस सरबत खालसा का आयोजन आनंदपुर साहिब में किया गया था और इस सरबत खालसा में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति को कुछ निर्देश दिए गए थे और अकाली दल को स्वर्ण मन्दिर से अनधिकृत और अधार्मिक कार्य करने वालों को निकालने के संबंध में कार्यवाही करने को कहा गया था। इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, कुछ भी नहीं किया गया है। वे अभी भी स्वर्ण मन्दिर में जमे हुए हैं और आप यह जानते हैं कि पंजाब में सर्वोच्च धार्मिक स्थान पर नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों को कितने अधिकार प्राप्त होते हैं। मैं इसे असफलता मानता हूं और हमें अकाली दल को सभी प्रकार की सद्भावनाएं देने के प्रयास करने चाहिएं—यद्यपि हम सभी प्रकार की सहायता दे रहे हैं परन्तु इससे समस्या के समाधान के लिए दल के दृढ़ निश्चय का पता नहीं चलता।

इसमें कुछ वाकछल और द्वैधवृत्ति है और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि वाकछल जारी रहता है··· **(व्यवधान)**

विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के पास गए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया।

(व्यवधान)

आपको बुलाया गया था। आपको बुलाया जाना चाहिए था। आपके वहां होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया था स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जी का साथ दिया और हमारे दल ने पंजाब में शांति के लिए अपील की और बरनाला सरकार और श्री बरनाला को अपनी इंकाइयों के माध्यम से सभी प्रकार की सहायता देने का निर्णय किया। इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ? अगले दिन बरनाला सरकार ने पंजाब विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि भारत संघ के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सभी व्यक्तियों को आम माफी प्रदान की जाए। जब बेंस समिति ने कुख्यात अपराधियो को रिहा करने की सिफारिश की···इसके परिणाम हम सबके सामने हैं।

हम श्री बरनाला और उनकी सरकार को सभी प्रकार का समर्थन और सहयोग केवल इसलिए नहीं दे रहे हैं कि श्री बरनाला एक दल के मुख्य मंत्री हैं, वरना इसलिए कि बरनाला असाधारण स्थिति का सामना कर रहे हैं और पंजाब की समस्या में देश की एकता निहित है। अतः हम दल के हितों की बजाय राष्ट्र की एकता को अधिक महत्व देते हैं। अतः मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं और अपने दिल से कहता हूं कि बरनाला सरकार को सभी प्रकार का समर्थन दिया

जाना चाहिए। परन्तु, श्री बरनाला; उनके दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति को चुनौती का सामना करने के प्रयास करने चाहिए और पंजाब के देशभक्त लोगों ने जो संवैधानिक दायित्व उनको सौंपा है उसे उन्हें निभाना चाहिए। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए इस सदन में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दलों के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है कि वे एकता बनाए रखें और बिना किसी भेदभाव के, अतीत की घटनाओं को भूलकर इस सदन द्वारा एक संयुक्त संदेश दिया जाना चाहिए। बहुत से गलत कार्य हुए हैं। अब हम नए सिरे से शुरू करें और भारत के लोगों से चुनौतियों का सामना करने के लिए एक संयुक्त अपील करें। देश का भविष्य अन्धकारमय होता जा रहा है। अतः सदन से मेरा अनुरोध है कि वे सयुक्त रूप से आवाज उठाएं, जिसकी देश में आवश्यकता है। ताकि राष्ट्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनका हम सामना कर सकें।

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं कुछ कहना चाहता हूं।

आतंकवाद का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री को पूरी सहायता देने के अपने निश्चय को मैं पुनः दोहराता हूं, यद्यपि गत तीन दिनों के दौरान बड़े उत्साहजनक परिणाम दिखाई दिए हैं परन्तु अभी यह कहना समय पूर्व होगा। मुख्यमत्री ने स्पष्ट अनुदेश जारी किए हैं कि कठोर कार्यवही की जाएगी।

प्रो० मधु दण्डवते : ये सब बातें आपको प्रो० तिवारी को पहले ही बता देनी चाहिए थीं।

श्री अरुण नेहरू : सच्चाई यह है कि चार आतंकवादियों को गोली से उड़ा दिया गया, तीन को गिरफ्तार किया गया और कल हमने काफी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। सीमा सुरक्षा बल और अर्द्ध सैनिक बलों ने सीमा पर लगभग 11 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी है जो कि गत कुछ दिनों के बीच एक अकेला मामला है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में हेरोइन पकड़ी गई है।

आप जानते हैं कि श्री रिबेरो, जो गृह मत्रालय में विशेष सचिव थे, को पंजाब पुलिस का महानिदेशक बनाया गया है। मुख्यमंत्री के अनुदेशों के अन्तर्गत पुलिस का पुनर्गठन करने और उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न योजनायें बनाई जा रही हैं और प्रारभिक कार्यवाही से पता चलता है कि वे ठीक कार्य कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि अच्छे भविष्य के लिए हमें श्री बरनाला, पंजाब पुलिस और उनकी सहायता कर रहे अर्द्ध सैनिक बलों को शुभ कामनायें देनी चाहिएं। उन्होंने संचार, अस्त्र-शस्त्र परिवहन से संबंधित विभिन्न उपकरणों के बारे में पर्याप्त खरीददारी की सूची भी दी है। यह कोई नई बात नहीं है, ऐसा विगत समय में भी होता रहा है। हम उन्हें जितनी सहायता दे सकते हैं, देने की कोशिश करेंगे।

सभा की जानकारी के लिए, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने गृह मंत्रालय में पिछले कुछ महीनों से श्री बरनाला के साथ जो कदम हमने उठाए हैं वह, भविष्य में भी जारी रखे जायेंगे। हमने श्री बरनाला से पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। मैं उसका ब्योरा नहीं दे सकता, किन्तु मैं स्पष्ट रूप से आपको यह अवश्य ही बता सकता हूं कि हमने दोनों ओर से किस प्रकार की कार्यवाही की है। हमने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उग्रवादी कौन सी रणनीति अपना

रहे है और उनके परामर्शदाता क्या चाहते हैं। पंजाब में अधिकांश गुरुद्वारों में विद्यमान स्थिति की हमने विस्तार से जानकारी दे दी है। यह अत्यन्त ही गंभीर चिन्ता का विषय है।

हमने आतंकवादियों के सूत्रों और उनके संभव ठिकानों की जानकारी दे दी है। पंजाब के अनेक गांवों में विभिन्न रागी और डागी लोग जो उत्तेजक और राष्ट्र विरोधी भाषण दे रहे हैं, उसे हम मुख्य मंत्री के ध्यान में लाए हैं। इससे साम्प्रदायिक भावनायें भड़क रही हैं और अनेक समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं।

हमने राज्य से अनुरोध किया है कि वह इस मामले पर गंभीरता से विचार करे। इसके अतिरिक्त, मैं किसी संगठन के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता, हमने तीन या चार विभिन्न राजनीतिक दलों अथवा राजनीतिक संगठनों का भी ब्यौरा दिया है, जो राष्ट्र विरोधी वक्तव्य देने में लिप्त हैं। हमने मुख्य मंत्री से संयुक्त पूछताछ करने के साथ-साथ सीमा पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों की चौकियां स्थापित किए जाने का भी अनुरोध किया हैं, जिसके लिए वे सहमत हो गए हैं। इस सम्बन्ध में अभी तक विचार विमर्श किया जा रहा है, किन्तु हमारा विचार है कि यह बहुत ही उपयुक्त कदम होगा।

महोदय, हमने मुख्य मंत्री से यह भी अनुरोध किया है कि वे पंजाब की जेलों में मौजूद विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के संबध में अत्यधिक सतर्कता बरतें। हम पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हमें इस सम्बन्ध में सूचना मिली है और हमने उनसे निश्चित रूप से अत्यधिक सतर्कता बरतने का अनुरोध किया है।

हमने राज्य से भी विशेष अनुरोध किया है, यह राज्य पर निर्भर है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और आतंकवाद विरोधी अधिनियम के उपबंधों को शातिर किस्म के अपराधियों पर लागू करे।

महोदय, सीमा की चौकसी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं सदस्यों को संक्षेप में यह बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष के अन्त में तथा इस वर्ष के प्रारम्भ में केन्द्र सरकार ने पश्चिम और पूर्वी दोनों सीमाओं के लिए बहुत बड़ी विस्तार योजनाओं की मंजूरी दी है। असल में हम अपनी वर्तमान क्षमता, अपनी सीमा चौकियों, निगरानी चौकियों में दुगनी वृद्धि करने जा रहे हैं और हमने वहां तैनात अपने जवानों को अत्याधुनिक उपकरणों से भी लैस कर दिया है। महोदय, इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा दे पाना मेरे लिए कठिन है। किन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि हमने पिछले ढाई महीनों में अपनी पश्चिमी सीमा पर लगभग 2200 लोगों को गिरफ्तार किया है 2050 लोगों को तो हमने वापस धकेल दिया है और 150 लोगों को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके कतिरिक्त, पिछले 45 दिनों में सीमा पर निगरानी में वृद्धि के साथ ही धर पकड़ में भी काफी मात्रा में वृद्धि हुई है। सीमा सुरक्षा बल ने ऐसी विभिन्न पार्टियों को ललकारा जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थीं और पिछले छह सप्ताहों के दौरान हमारे सुरक्षा बलों ने 43 व्यक्तियों को मार गिराया है।

हमने अन्तर्राज्यीय अपराधों को रोकने के लिए एक संयुक्त पूछताछ समिति का गठन किया है जिसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री सहमत हो गए हैं और इसकी हर महीने बैठक हो रही है। इसके अन्तर्गत पंजाब जम्मू-कश्मीर हरियाणा तथा दिल्ली को भी शामिल किया गया है। अब

पिछले छह महीनों में हमने लगभग 20-30 आतंकवादियों को पकड़ा है। मैं जानबूझकर उनकी सही संख्या नहीं बता रहा हूं और उनके पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध होने का स्पष्ट रूप से पता लग गया है।

कुछ माननीय सदस्य : बड़े ही शर्म की बात है।

श्री अरुण नेहरू : महोदय, मैं यह नहीं बता सकता कि वे कब पाकिस्तान गए और कब आए क्योंकि इससे केवल दूसरों को ही सहायता मिलेगी। लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि हमारे विदेश मंत्री ने उस बात को छोड़ दिया है हमने इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय को दे दी है जो कि इस मामले को पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ उठा रहा है। हमने शिविरों का ब्यौरा दे दिया है। हमने व्यक्तियों के नामों, ठिकानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पाकिस्तान द्वारा इन आतंकवादियों को दी गई हर प्रकार की सहायता का ब्यौरा दे दिया है। यह गंभीर चिन्ता का विषय है। हमने विदेश मंत्रालय को यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले को पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ यथा संभव सख्ती से उठाए।

श्री सी माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : यह शत्रुतापूर्ण कार्य है।

श्री अरुण नेहरू : महोदय, मैं पंजाब में दो दिन रहा हूं। हमारी मुख्यमंत्री से विस्तार से बातचीत हुई है। मैं यह बात सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं कि सर्वाधिक विक्षोभ की बात यह नहीं है कि यह सब कठोर कार्यवाही के कारण हो रहा है बल्कि विक्षोभ की बात उस समय होती है जब हम अनेक राजनीतिक दलों के समूहों, लोगों के अनेक समूहों तथा अनेक नागरिकों के अनेक समूहों से मिले। वे हमेशा सिख आत्मा की बात करते हैं। वे हिन्दुओं का पक्ष लेकर बात करते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो पंजाबी पक्ष की बात करते हैं।

एक माननीय सदस्य : भारत के मानस की बात कहां है ?

श्री अरुण नेहरू : मैं समझता हूं कि यदि हम सिख मानस और हिन्दू मानस के बजाए भारतीय मानस की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि इससे सम्पूर्ण मामले में साम्प्रदायिक मतभेद पैदा हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हम आज अर्ध सैनिक बलों को भेजने की बात कर रहे हैं, हम पंजाब में अस्त्र-शस्त्र के साथ अन्य चीजें भी भेजने की बात कर रहे हैं किन्तु इससे साम्प्रदायिक भेदभाव के अतिरिक्त कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हमने इस मामले पर विपक्षी नेताओं से भी चर्चा की है और मेरा विचार है कि हम सभी को एक साथ बैठकर एक संयुक्त रणनीति तैयार करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पंजाब का संयुक्त दौरा भी किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री ने जो कार्यवाही शुरू की है उससे आतंकवादियों की समस्या हल हो सकेगी किंतु हमें देखना है और मैं समझता हूं, यह हमारा प्रमुख उत्तरदायित्व है—कि इस बढ़ते जा रहे साम्प्रदायिक भेदभाव को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, क्या मैं इस अवस्था में एक स्पष्टीकरण की मांग कर सकता हूं ? मंत्री जी द्वारा कुछ बहुत ही आशंकापूर्ण मद्दे रखे गए हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है, मुझे विश्वास है, कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के गुप्तचर विभाग के अधिकारी एक-दूसरे के यहां जाकर बैठक करें···

कुछ माननीय सदस्य : नहीं । नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें ।

5.00 म० प०

एक माननीय सदस्य : हमें उनके गुप्तचर अधिकारियों को अपने यहां नहीं आने देना चाहिए । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे । आप उत्तर क्यों दे रहे हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, वे यह बात स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा प्रस्ताव है या नहीं, क्योंकि इससे हमें सहायता मिलेगी । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए । आप इस उत्तर की जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं । मंत्री जी उत्तर देने के लिए यहां हैं और वही उत्तर देंगें ।

श्री अरुण नेहरू : मेरी समझ में नहीं आता कि यदि वे अपने शिविरों में हमारे खिलाफ आतंकवादियों को प्रशिक्षण देना जारी रखे रहें तो गुप्तचर विभाग के अधिकारियों के एक दूसरे के यहां आने-जाने से किसी को क्या सहायता मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान सैफुद्दीन जी, आपके बोलने से पूर्व, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय कुछ कहें । आपने धार्मिक मंचों से किए जाने वाले उस प्रचार की ओर इशारा किया है जो लोगों के विचारों और भावनाओं को भड़काने का प्रयास करता है । लेकिन इस पर समूचे सदन द्वारा युद्ध स्तर पर विचार किया जाना चाहिए और इसे नियंत्रित करने के लिए कड़े उपाय किए जाने चाहिएं, चाहे ऐसा प्रचार धार्मिक स्थलों के भीतर से हो अथवा बाहर से, कैसी भी हैसियत से हो किसी भी स्थान से हो । अन्यथा हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में असफल होंगे । धार्मिक स्थलों पर उनका सम्बन्ध केवल धर्म से शान्ति प्रचार से और मैत्रीभाव से होना चाहिए । अन्यथा ऐसे स्थानों के भीतर से अथवा बाहर से होने वाले देशद्रोह पूर्ण कार्यों के खिलाफ आपको सख्ती से पेश आना होगा । इसमें आप जितना विलम्ब करेंगे, वह उतना ही घातक होगा ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, यद्यपि बढ़ते आतंकवाद और उसके परिणामों के नाम पर प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, फिर भी आपने ठीक कहा है कि हमने भी यह समझा है कि पंजाब समस्या पर वाद-विवाद किया जायेगा । महोदय, अब इसमें दो मत नहीं हैं कि पंजाब की स्थिति बहुत गंभीर है । पूरा देश इस भाग में कष्टकारी समय का सामना कर रहा है । ऐसी स्थिति में सभी को संयम, बुद्धिमत्ता और साहस से काम लेने की आवश्यकता है । महोदय, माननीय मंत्री, श्री अरुण नेहरू ने प्रशासन में सुधार करने की कुछ बात की है । इससे भी बढ़कर मैं लोगों को, विशेषकर पंजाब की जनता को संगठित करने की आवश्यकता पर बल देता हूं ताकि वे एक होकर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ सकें । पंजाब में लोगों की सक्रिय भागीदारी तथा पूरे देश की जनता के पूर्ण सहयोग के बिना यह समस्या हल करनी बहुत कठिन है । यह केवल प्रशासकीय समस्या नहीं है । मुझे यह सुनकर खुशी है कि कुछ उपाय किए गए हैं । ये बहुत आवश्यक हैं । मुख्यमंत्री को जिन्हें पंजाब में पुनः शान्ति कायम करने के लिए जनता ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने का अधिकार दिया है, यह सुनिश्चित करने का अधिकार दिया है कि पंजाब में फिर से शांति कायम हो । यदि इस कार्य के अलावा अन्य बातों की ओर ध्यान देना पड़े तो वह इस कार्य पर अपना

ध्यान नहीं लगा पायेंगे। परन्तु एक मामले में अपनी टिप्पणी सुरक्षित रखता हूं। वह पंजाब में राज्यपाल, मंत्री, श्री सिद्धार्थ शंकर राय की नियुक्ति के बारे में है। मैं यह कहूंगा कि यह समाचार हमारे लिए आश्चर्यजनक है।

प्रो० के० के० तिवारी : आप इस बारे में क्यों चिंतित हैं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं इसके बारे में बिलकुल चिंतित नहीं हूं। मुझे थोड़ी चिन्ता इस बात की है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के नागरिक स्वतंत्रता सैल का क्या होगा।

5.04 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : इस नियुक्ति के बारे में टिप्पणी करना आपका काम नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि आप यह कहते हैं कि मैं नागरिक स्वतत्रता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता। महोदय, हम आतंकवाद से लड़ने के लिए पंजाब और केन्द्रीय सरकार जो भी उपाय करेगी हम उसके प्रति पूरा समर्थन व्यक्त करते हैं। अपने दल की ओर से हम पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हैं।

दूसरी बात यह है कि अब किसी को यह दोष देने का कोई लाभ नहीं है कि पीछे क्या हुआ, परन्तु हमें इससे सबक सीखना चाहिए ताकि हम प्रभावी राजनीतिक कदम उठा सकें जिनसे पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। हमें बिना किसी का नाम लिए अथवा किसी को दोष दिए पीछे मुड़कर देखना होगा।

पंजाब में आतंकवाद की घटनाओं में हाल ही में हुई वृद्धि के अनेक कारण हैं, परन्तु मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण बातों की ही याद दिलाना चाहूंगा। इसकी शुरूआत अकाली मोर्चे के दौरान हुई जब अकालियों ने यह दिखाने के लिए, अपनी धार्मिक अपील को तेज दिया कि इसकी पहल भिंडराबाले के पास चली गई है। यह भिंडरावाले कौन था ? उसे किसने आश्रय दिया ? यदि मैं यह कहूं कि सत्ताधारी दल ने उसे आश्रय दिया है, तो आप लोग इस बात का विरोध करेंगे। परन्तु मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि यदि ऐसा हमारे दल ने किया है तो जनता को हमारे ऊपर थूकने का पूरा अधिकार है। यह कार्य देश के प्रति एक अपराध था। इस घटना से यह सबक लिया जाना चाहिए कि जब राजनीति को धर्म के साथ जोड़ा जाता है तो वह खतरनाक सिद्ध होता है और हमें इस बात से बचना चाहिए। मेरी उन अकाली नेताओं के साथ पूरी सहानुभूति है जो राजनीतिक स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग राष्ट्रवादी हैं, जिन्हें जलियांवाला बाग के शहीदों की याद है, गदर पार्टी और भगत सिंह की याद है, वे इस अवसर पर आगे आयेंगे तथा धर्म को राजनीति से अलग करने के लिए सही उपाय करेंगे।

मुझे 26 जनवरी की घटना का भी जिक्र करना चाहिए। खालिस्तान समर्थकों ने क्या किया और वहां क्या हुआ ? उन्होंने कहा कि भारत में सिख लोग दास हैं और वे एक स्वतन्त्र खालिस्तान चाहते हैं। एक खालिस्तान झंडा भी फहराया गया। यहां तक कि निर्वाचित निकाय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को चुनौतियां दी जा रही हैं। भिंडरांवाले के समय में इस प्रकार की चुनौतियाँ नहीं दी जाती थीं। इस पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

फिर, पहले शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति स्वर्ण मन्दिर में अपना सरबत खालसा आयोजित करना चाहती थी, परन्तु उसके बाद उन्हें धमकी दी गई और उन्होंने इसे आनन्दपुर साहिब में स्थानांतरित कर दिया। हमने इस बात को ज्यादा पसन्द नहीं किया परन्तु हमें बताया गया कि वह टकराव बचाना चाहते थे। हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने एक निर्वाचित निकाय के अधिकार का परित्याग कर दिया। उस सरबत खालसा में स्वर्ण मन्दिर को उग्रवादियों से खाली कराने का निर्णय लिया गया। परन्तु उस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया है। उनका यह कर्तव्य है कि वे यह कार्य शीघ्र करें अन्यथा स्थिति पुन: जटिल बन जाएगी।

एक बात और बहुत खतरनाक है। जहां उग्रवादी अपने आम तरीके अपना रहे हैं वहां उसके विरोध में शिव सेना के नाम से साम्प्रदायिकता भड़क रही है जो बहुत खतरनाक बात है। मैं एक अपील करना चाहता हूं। सभी राष्ट्रीय दलों का यह कर्तव्य है कि किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के संगठनों से किसी भी प्रकार अपने आपको सम्बद्ध न करें। यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। जब राजीव-लोंगोवाल समझौता हुआ तो हम सबने उसका समर्थन किया था। इस पर दल के अध्यक्ष और देश के प्रधानमन्त्री ने हस्ताक्षर किए थे। परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार है कि, यहां तक कि संसद में भी, उस दल ने भी, जिसने समझौते का स्वागत किया था, इस बारे में भिन्न मत व्यक्त किए। ऐसा कहा जा सकता है कि यह लोकतंत्र का प्रमाण है। मैं कहता हूं कि संसद किसी भी राजनीतिक दल का राजनीतिक सम्मेलन कक्ष नहीं है। सब बातें दल के भीतर तय करके संसद में एक आवाज से बोली जानी चाहिएं कि समझौते को लागू किया जाना है।

(व्यवधान)

फिर यह केवल कोई एक विशेष दल नहीं है। इन बातों के बारे में हम सभी को सचेत रहना चाहिए। हरियाणा में क्या हो रहा है? वहां 'समस्त हरियाणा' के नाम पर क्या चल रहा है। हम इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम इसके विरुद्ध हैं। हमें बुद्धिमानी दिखानी है।

(व्यवधान)

मैं किसी का नाम नहीं लेता। यह समय की पुकार है। हमें इसे समझना है और हमें उचित कार्यवाही करनी है।

अब, पंजाब में शान्ति स्थापित करने और आतंकवाद को कारगर ढंग से समाप्त करने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस सभा में, मैंने एक दिन सुना था कि समझौते का क्रियान्वयन न किया जाना और समझौते में होने वाला विलम्ब आतंकवाद बढ़ने के लिए जिम्मेवार नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा भी कह सकता है। परन्तु हम यह महसूस करते हैं कि इस समझौते में होने वाले विलम्ब के कारण आतंकवादियों को बढ़ावा मिलता है। जो व्यक्ति समझौते को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं, वे लोगों को यह कहने में समर्थ हैं कि चंडीगढ़ पंजाब को नहीं दिया जा रहा है। फिर, इसे तर्क के रूप में नहीं लिया जा सकता कि क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब को नहीं दिया जा रहा है इसलिए किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी बन जाना चाहिए। फिर आतंकवाद को बढ़ावा देने के क्या कारण हैं? हमें इस पहलू को समझना चाहिए। यहां बहुत से गलत कार्य हो रहे हैं। आप सब इसे जानते हैं और मैं इसकी गहराई में नहीं जाता। समझौते में,

'संसक्ति' गांव के आधार पर और फिर भाषा के आधार पर है, इसमें ये सब बातें हैं । परन्तु मैथ्यु आयोग में, अन्य कारण कैसे आ गए ? कोई भी व्यक्ति इसे समझ नहीं सका । प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह गलती है । परन्तु किसी ने भी इसे ठीक नहीं किया । जो कार्य हम कर रहे हैं क्या वह उत्तरदायित्वपूर्ण है ? मैं नहीं जानता क्या आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि यह उत्तर-दायित्वपूर्ण कार्य है ?

अब, हम अकालियों के बारे में भी बात करते हैं । कुछ अकालियो द्वारा सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर के सम्बन्ध में कुछ भ्रम पैदा किया गया है । इससे अन्य साम्प्रदायिक शक्तियों को भी बढ़ावा मिलता है । उन्हें अपने वायदे के बारे में भी काफी गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा और उन्हें यह देखना चाहिए कि सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए ।

अब चंडीगढ़ का प्रश्न आता है, मैथ्यु आयोग असफल रहा और इसे समाप्त कर दिया गया । अब बहुत समय बीत गया है । परन्तु आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं ? क्या आप समझौते के इस विशिष्ट पहलू को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं ? चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा और कुछ हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा को दिए जायेंगे । इस निर्णय का क्या हुआ ? लोगों के मन में यह विश्वास कैसे पैदा किया जा सकता है कि इस समझौते का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है । यह किस प्रकार किया जा सकता है ? हरियाणा की राजधानी बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं । यह बात भी महत्वपूर्ण है । यदि इस दिशा में कुछ प्रयास किए जाते तो लोग यह समझते कि समझौते का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

अब मैं दूसरे पहलू पर आता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है । यह विदेशों से सम्बन्ध के बारे में है । वे स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और यह बहुत चिन्ताजनक बात है । इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है । सरकार ने इस बारे में कभी समुचित कार्यवाही नहीं की । सरकार श्वेत पत्र क्यों नहीं प्रस्तुत करती ? यह किसके हाथ में है ? आपने बताया था कि बहुत से आतंकवादियों को पकड़ा गया है । उन आतंकवादियों का पाकिस्तान के साथ निश्चित रूप से सम्बन्ध है । श्री बरनाला ने कहा है कि पाकिस्तान इन आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है । इसमें विदेशी हाथ होने की जानकारी जन सामान्य को है । लोगों का विश्वास प्राप्त कीजिए । ये केवल सीधे सादे लोगों को आतंकवाद की गलत दिशा की ओर ले जाने वाला मामला नहीं है । आप लोगों को सच्चाई बताइए और आप साम्राज्यवाद के प्रति लड़ने की सच्ची भावना का प्रोत्साहन दें । लोगों के मन में देश भक्ति की भावना उत्पन्न करनी होगी । और आपका यह कर्तव्य है ।

विदेश सचिव श्री होवे आए हैं । क्या आपको उस देश में आतंकवादियों को दबाने तथा उनके प्रत्यर्पण के बारे में कोई वचन दिया गया है ? यह कहा गया है कि वे वहां कड़ी कार्यवाही करेंगे परन्तु आतंकवादियों को वापस नहीं भेजेंगे । वे कह सकते हैं कि वह अपने निश्चय में दृढ़ हैं, हो सकता है कि इसमें उनका कोई स्वार्थ हो, वे लोग उस पुराने माल को बेचने का प्रयास कर रहे हैं । हमें देखना है कि इसके पीछे कोई चाल है ।

पिछले अवसर पर, अर्थात् विदेश मंत्रालय के बारे में चर्चा के समय मैंने कहा था कि यह एक चाल है । हम पाकिस्तान की बात करते हैं । इसमें केवल पाकिस्तान ही शामिल नहीं है ।

इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है। पाकिस्तानी कर्नल द्वारा इसकी रूपरेखा बनाई गई है। मैंने 2 फरवरी को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट का उल्लेख किया है। मुझे आश्चर्य है कि इस दिशा में कार्य हो रहा है। उनका उद्देश्य आतंक फैलाना, स्वर्ण मन्दिर पर अधिकार करना लोगों की हत्या करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मारना, भिंडरांवाले को शक्ति प्रदान करना और हथियारों का प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये सब बातें एक सुविचारित ढंग से हो रही हैं।

फिर, ऐसा समय आएगा जब वे खालिस्तान को मान्यता प्रदान करेंगे और वे लोग हस्तक्षेप करेंगे। वे ऐसा करने का साहस किस प्रकार करते हैं? इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति के बिना वे ऐसा नहीं कह सकते। आपको इसे समझना होगा।

कोई ऐसा कह सकता है कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बातें कह रहा हूं। नहीं, मैं अतिशयोक्तिपूर्ण बातें नहीं कह रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने एक अन्य रिपोर्ट का उल्लेख किया है। सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? मैंने यह उल्लेख किया था कि सी० आई० ए० ने सिक्ख विभाग, मुस्लिम विभाग की स्थापना की है। मैं अन्य पहलुओं की बात नहीं कर रहा। आप हमें बताएं कि वास्तव में क्या हो रहा है।

ब्रिटेन में वे आतंकवादियों को काउंसिल हाउस में शरण दे रहे हैं। वे उन्हें सहायता दे रहे हैं। किन्हें सहायता देते हैं? हमारे उच्च आयोग द्वारा ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट को कुछ नामों की एक सूची प्रस्तुत की गई है कि जिसमें यह कहा गया है वे लोग शातिर अपराधी हैं। (**व्यवधान**) ब्रिटिश सरकार ने इन उग्रवादियों को हमारी सरकार के सुपुर्द नहीं किया। ब्रिटिश सरकार उन्हें सहायता देती है। ब्रिटिश सरकार हमारी कितनी अच्छी मित्र है?

हमें यह रिपोर्ट भी मिली है कि संयुक्त राज्य अमरीका में सरकारी क्षेत्र में खालिस्तानियों को वही स्थान प्राप्त है, जो कोन्टरा अफगानिस्तान के मुजाहीदीन और अंगोला तथा मोंजबिक के विरोधी क्रान्तिकारियों को प्राप्त है। मुझे डर है कि वह समय आएगा जैसा कि श्री रेगन ने कहा था कि मैं कोन्टरा हूं। कुछ दिन बाद वह ऐसा कह सकते हैं कि मैं खालिस्तानी भी हूं। मुझे आशा है कि वह दिन नहीं आएगा। आज मुझे विश्वास है कि सब ने स्टेटसमैन देखा होगा। वारेन अन्मा ने लिखा है कि रेगन सरकार ने इस वर्ष 4 फरवरी को अमरीकी कांग्रेस को क्या बात कही। उन्होंने कम्पूचिया, निकारागुआ और अफगानिस्तान सहित चार सरकारों को गिराने के लिए ही व्यवहारिक और आर्थिक सहायता के बारे में बताया। हम सब उनकी गुप्त कार्यवाहियों के बारे में जानते हैं। मैं व्यर्थ में ही किसी प्रकार की मनोवृत्ति पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा। परन्तु स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है इतनी गम्भीर कि जितनी हमने अभी तक नहीं समझी थी।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता मैं यह चाहता हूं कि आप हमें निश्चित रूप से बताएं कि आप चंडीगढ़ के बारे में और क्षेत्र के हस्तांतरण के बारे में क्या कर रहे हैं। यह पहली बात है। नदी सम्बन्धी विवाद भी है। वह विधेयक पारित हो गया है। इसके बाद सतलुज-यमुना संपर्क नहर का विवाद है। अकालियों को यह देखना है कि ये कार्य हो गए हैं। उसके बाद विदेशी

शक्तियों के साथ सम्बन्धों की समस्या है। क्या आप श्वेत-पत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं ? इसकी अत्यन्त आवश्यता है।

मैं पुनः सभी से अनुरोध करता हूं : हमें संयम से कार्य करना होगा। हमें पंजाब के लोगों के पास जाना होगा। हमारी पार्टी 5 अप्रैल से पंजाब में वामपक्षी दलों के साथ "पंजाब बचाओ, भारत बचाओ दिन" आन्दोलन का आयोजन कर रही है। यही एक मात्र उपाय है। यदि लोगों को देश की एकता और अखण्डता के समर्थन लिए तथा आतंकवाद के विरुद्ध प्रेरित किया जाए तो वास्तव में आतंकवाद समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए कोई और रास्ता नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहब, पंजाब में टैररइज्म के बारे में आज सदन के सामने बहस चल रही है। वह 5 दरियाओं का पंजाब, जिस पंजाब ने लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह और ऊधम सिंह जैसे आजादी के बड़े-बड़े परवाने पैदा किये, जो पजाब हिन्दुस्तान में अगवा माना जाता है, जिस पंजाब में सब्ज इन्कलाब आया, जो पंजाब हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा अनाज पैदा करता है और केन्द्र के फण्ड में देता है। जिस पंजाब में प्यार और मोहब्बत की मुरलियां बजती थीं, जिस पंजाब में बड़े-बड़े मन्दिर और गुरुद्वारे हैं, जिस पंजाब की हिन्दुस्तान में गाथा गाई जाया करती थी, आज बदकिस्मती से उस पंजाब में इन्तहा-पंसदी जोबन पर है और यह स्टेज यहां तक पहुंच चुकी है कि यह सदन मजबूर हुआ है कि उसके बारे में कुछ विचार करे, तबादले ख्यालात करे।

जाहिर है कि जब यह चीज इस सदन के सामने दरपेश है तो महज पंजाब तक महदूद नहीं है। यह टेरेरीज्म का मसला देश का मसला है। हमें वह वक्त भी है जब अरली फिफ्टीज में जब पेप्सू पंजाब में नहीं था, पंजाब में नक्सलाइटिस ने टेरर फैला रखा था उस वक्त भी सेन्टर से राव को भेजा गया था और उस राव ने उस ग्रुप का खात्मा किया, उस जुल्मो-सितम को खत्म किया जो वहां नक्सलाइटिस कर रहे थे।

आज भी बदकिस्मती से पंजाब में ऐसे हालात हुए हैं कि सेन्टर से पंजाब में डी० जी० पुलिस को भेजना पड़ा। आखिर वजह क्या है? अभी मैं अपोजिशन के एक माननीय सदस्य के विचार सुन रहा था। पहले भी उन्होंने यह ख्यालात सदन के सामने रखे थे और कहा था कि उग्रवाद का या इन्तहापंसदी या टेरेरीजम का क्या कारण है—नान इम्पलीमेंटेशन आफ राजीव-लोंगोवाल पैक्ट। (व्यवधान) यह चीज इसके बारे में वह पहले भी कह चुके हैं, मैं भी राष्ट्रपति के एड्रेस पर बोलते हुए काफी कह चुका हूं। रावी-व्यास पर जो बिल आया था उस पर काफी कह चुका हूं, अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता।

लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस राजीव-लोंगोवाल अकोर्ड के पहले क्या पंजाब में उग्रवादी नहीं थे, क्या इंतहापसंद नहीं थे, क्या उन्होंने वहां कहर नहीं बरपा किया हुआ था? क्या ये आतंकवादी, टेरोरिस्टस या उग्रवादी नहीं थे जिन्होंने कि इतनी बड़ी हस्ती लोंगोवाल जो कि इसके जन्मदाता और सिग्नेटरी थे की हत्या की ? ये लोग इसके खिलाफ थे और ये लोग नहीं चाहते थे कि पंजाब में शांति हो। अब यह कहना कि नान-इम्पलीमेंटेशन आफ अकार्ड इसका कारण है,

कहां तक दुरुस्त हो सकता है। इस अकार्ड में 11 मुद्दे थे। उनमें से 9 को अमलीजामा पहनाया जा चुका है। चण्डीगढ़ को पंजाब को 26 जनवरी को दिया जाना था। इसके लिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने मैथ्यु कमीशन नियुक्त किया। मैथ्यु कमीशन की ऐसी फाईडिंगस हुई कि चण्डीगढ़ पजाब को नहीं जा सकता जब तक कि हिन्दी स्पीकिंग विलेजिस हरियाणा को नहीं दिये जाएं। गवर्नमेंट आफ इंडिया चाहती है कि दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा आपस में बैठ कर इस समस्या का कोई हल निकल आए, मगर अब तक कोई हल नहीं निकल सका अब फिर कमीशन मुकर्रर करना पड़ेगा।

उसमें यह बात भी कही गई कि पंजाब 15 अगस्त तक यमुना सतलुज केनाल पूरी कर देगा। क्या ये दो बातें थीं जिनको लेकर उग्रवादी यह सारा ऊधम कर रहे हैं? क्या इसी के लिए पंजाब के उग्रवादियों ने साजिश कर रखी है? क्या इनके पीछे दुनिया की वो ताकतें, उनमें मैं अगर पाकिस्तान को भी कहूं या कुछ मगरीबी मुमालिक, वेस्टर्न कन्ट्रीज जिनके कि इरादे नापाक हैं—जो हिन्दुस्तान की कुलाहे इफ्ताखार को अर्शेबरी पर देखना नहीं चाहते, जो नहीं बरदाश्त करते कि हिन्दुस्तान तरक्की के रास्ते पर गाममजन हो, वे चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के खामोश समन्दर में आग लगाई जाए, हिन्दुस्तान के बढ़ते हुए पैरों को कैद कर दिया जाए और इसलिए वे शरारत कराते हैं। ये शरारत करने वाले कौन हैं, शरारत करने वाले हिन्दुस्तानी हैं। मैं सिख नहीं कहूंगा, सिक्ख कभी हिन्दू का खून नहीं करते, वे तो इन्साननुमा दरिंदे हैं, जिनमें इंसानियत खत्म हो चुकी है। ठीक है, बरनाला साहब ने अभी कहा था कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जा रही है, मैं इस चीज को दोहराना नहीं चाहता, यह हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अभी गृह मंत्री जी ने अपने विचार आपके सामने रखे थे, लेकिन इस पैक्ट के बाद बड़े आराम से इलेक्शन हुए और पापुलर गवर्नमेंट बनी। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें खुशी है कि पंजाब के अन्दर शांतिपूर्वक इलेक्शन हुए हैं, कोई अफसोस नहीं है कि अकाली पार्टी बरसरे इक्तदार आई, कांग्रेस हारी। अब पंजाब में अमन होगा, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या जुर्म किया था पंजाब के लोगों ने? पंजाब के लोगों ने इस चीज का जिंदा सुबूत दिया कि वह टेररिज्म के हक में नहीं हैं। इलेक्शन इस चीज का जिन्दा सबूत था कि पंजाब के लोगों ने टेररिस्ट्स के सामने झुक कर इलेक्शन में किसी किस्म की गड़बड़ी करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन ज्यों ही पापुलर गवर्नमेंट बनी, उसके बाद, उसके कुछ अरसे के बाद फिर शरारत शुरू हो गई। ज्योंही एक कदम आगे बढ़ता है, टेररिस्ट्स, उग्रवादी, इन्तहापसंद कुछ भी कहिए, वे शरारतपूर्ण हरकतें फिर शुरू कर देते हैं। यह एक सोची-समझी चाल है। बार-बार सिक्ख के सवाल का इस्तेमाल किया जाता है, हिन्दू और सिक्ख का सवाल नहीं है। हां, हिन्दू और सिख का सवाल पैदा करने की कोशिश की जाती है, मजहबी जुनून के नाम पर, रागीज, हैं, गुरुद्वारों में हैं, मंदिरों में हैं, मजहब के नाम पर जजबात को मुतहर्रिक किया जाता है, जजबात को भड़काया जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, सूखी हुई घास को आग लगाना आसान है, उसको बुझाना बड़ा मुश्किल है, मगर काठ की हंडिया ज्यादा देर नहीं पकती, कागज की नाव ज्यादा देर नहीं तैर सकती और न ही उग्रवादियों के इरादे, नापाक इरादे, कभी उनके सपने साकार नहीं हो सकते। इन्दिराजी के असेसिनेशन के बाद दो-चार जगह नाखुशगवार वाक्ये जरूर हुए, लेकिन हमारे

नौजवान प्रधानमन्त्री ने बड़ी दृढ़ता का, बड़ी दानिशमंदी का, बड़ी दूरंदेशीका, बड़ी दिलेरी का सुबूत दिया और 24 घंटे के अन्दर-अन्दर उस स्थिति को संभाल लिया। लोगों का खयाल था कि अब देश में क्या होगा, कुछ समझते थे कि इंदिरागांधी के बाद एक ऐसा अन्धकार पैदा हो जाएगा, एक सिविलवार खड़ी हो जाएगी, लेकिन हिन्दुस्तानियों ने अपनी सूझबूझ का सुबूत दिया और दिल्ली के हिन्दू सिक्ख की मदद को आए। यहां के सिखों ने इस चीज को माना है कि हमारे हिन्दू पड़ौसियों ने हमारी मदद की। इसलिए यह एक षडयन्त्र रचा जा रहा है कि इस देश में एक सिविल वार खड़ी हो जाए 'लेकिन यह कभी नहीं होगा। हिन्दुस्तान एक महान देश है, हिमालय जिसके सिर का ताज है, सोने की लंका जिसके कदमों का जेवर है, गंगा और जमुना जिसके गले का हार हैं, जिसमें भिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के मजहब हैं, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की ऋतुएं हैं, इस हिन्दुस्तान में वे चाहें कि हिंदू और सिक्ख का सवाल खड़ा कर दें, एक सिविल वार पैदा कर दी जाए, सिविल वार खड़ी कर जाए, वह कभी नहीं होगा।

अब सवाल पैदा होता है कि ऐसे हालात में हमारी सरकार का क्या दायित्व है, क्या फर्ज है, क्या जिम्मेदारी है। डिप्टी स्पीकर साहब, बरनाला साहब, सुरजीतसिंह बरनाला एक अच्छे समझदार वकील हैं, बड़े सब्र और सब्रोतहम्मुल से काम लेते हैं, मगर माफ करना राज कभी हाथ जोड़कर नहीं चलता। एक चोर को अगर किसी थाने का एस एच ओ बराबर में कुर्सी पर बिठाकर कहे कि आइए चोर साहब, क्या आपने चोरी की है, वह कहेगा कि नहीं जी मैंने चोरी नहीं की। एस एच ओ कहे कि अरे चोरी नहीं की, इनको 1-2 रसगुल्ले ला दीजिए, चाय की प्याली दीजिए चोर साहब को। इस तरह चोरी और डाके खत्म नहीं होंगे। बरनाला साहब का ख्याल था कि प्यार और मोहब्बत से दिल जीत लेंगे। उनका ख्याल था कि टेरोरीज्म को खत्म करने में कामयाब होंगे। लेकिन उनकी पालिसी कामयाब नहीं हुई। अभी हमारे गृहमन्त्री श्री अरुण नेहरू ने आंकड़े देकर बताया कि दो हजार बासठ केसेज विदड्रा किए और 1900 आदमियों को रिहा किया और डेजरट्र्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। कितनी इन्होंने फिराखदिली दिखाई और फिर मांग की जा रही है कि जोधपुर में जो डिटेंड हैं, उनको छोड़ा जाए जिन्होंने देश के खिलाफ बगावत की थी। इस तरह से टेरोरीज्म खत्म नहीं होगा। टेरोरीज्म डण्डे से खत्म होगा। हिन्दुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का इतिहास उठाकर आप देख लें। भारत सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। लॉ एण्ड आर्डर स्टेट का सबजेक्ट है। ज्यों ही किसी प्रांत के बारे में सवाल उठाना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि आप पंजाब को कुछ नहीं कह सकते. आप बंगाल को भी कुछ नही कुछ सकते आदि, आदि। लेकिन उसका राइट है कि भारत सरकार से चाहे तो वह मदद ले। बरनाला साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से मदद मांगी और गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने मदद दी। आज हमारी 200 कंपनियां पैरा-मिलिटरी फोर्सेज की पंजाब में टेरोरीज्म का मुकाबला करने के लिए मौजूद हैं। बरनाला साहब की हुकूमत को पूरा सहयोग देना चाहते हैं। उनका हाथ मजबूत करना चाहते हैं। गवर्नमेंट आफ इण्डिया यह फील करती है कि उनकी भी जिम्मेदारी है कि जब एक स्टेट गवर्नमेंट को सेन्टर से सहयोग की जरूरत है तो वह सहयोग देना चाहिए। दूसरे प्रांतों में जब भी इस तरह

की हालत होती रही है तो वहां भी इस तरह पैरा-मिलिटरी फोर्स भेजी जाती रही है। अभी श्री अरुणजी ने बताया कि 43 आदमी मारे गए। जो इन्ट्रयूडर्स, स्मगलर्स या टेरोरीस्ट थे, उनसे नाजायज असला भी बरामद हुआ है। इतने आदमियों का मारा जाना इस चीज का जिन्दा सबूत है कि एक शरारत चली आ रही है, उसका मुकाबला करने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए हमारी पैरा-मिलिटरी फोर्स के अलावा हमारी आरमी की मदद भी ली जाए. मैं समझता हूं, बार्डर को इस तरह से सील किया जाए जैसे बंगलादेश की ओर एक योजना बना रहे हैं ताकि वे लोग इस ओर न आ सकें।

इस टैरोरीज्म को खत्म करने के लिए महज कानून और डंडे का सहारा ही काफी नहीं लोगों के अन्दर प्यार मोहब्बत की भावना पैदा करना भी जरूरी है। हिन्दू और सिख के बीच में कोई दीवार नहीं है। पंजाब में इस तरह की प्राबलम आज तक नहीं हुई है। हिन्दू और सिख एक दरख्त की टहनी और पत्ते के समान हैं। बड़ा भाई दाढ़ीवाला है और छोटा भाई मोना है। साले और बहनोई आपस में हिन्दू तथा सिख हैं। हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि सिखों के बारे में एक गलत पिक्चर डेपिक्ट की जा रही है। हमारी सरकार की तरफ से न कोई ऐसी योजना है, न कोई ऐसी चीज की जाती है, न किसी प्रकार का सिख के साथ या सिख बिरादरी के साथ भेदभाव बरता जाता है, न तो हमारे कास्टीच्युशन में, और न प्रैक्टिकल वर्किंग के बारे में और न डे-टू-डे फंक्शनिंग के बारे में ऐसी कोई बात है। यह खुशी की बात है कि हमारे विरोधी दल के भाइयों ने भी पूरे सहयोग का आश्वासन दिलाया है।

काश शुरू से ही वे टैररिज्म के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो इस किस्म का वातावरण पैदा करते थे, उनकी हौसला-शिकनी करते, यह नहीं करते कि उनकी यह बात मानी जाए, वह बात मानी जाए। उन्होंने ऐसा वातावरण पैदा करके दिमाग ही खराब कर दिया था और पानी सर से गुजर चुका था। इस समय देश में जो हालात हैं, खासकर पंजाब में, उनका खात्मा भी होगा, जैसे नक्सलाइटस की समस्या का अंत हुआ, आनन्दमार्गियो का हुआ और जिस तरह आज आप देखते हैं कि आसाम में शान्ति है, मिजोरम में भी पहले इस किस्म का माहौल था दक्षिण में भी इसी किस्म के झगड़े हुए, इसलिए ऐसी चीजें हर जगह होती आई हैं कश्मीर में भी आप देखते हैं किस तरह से शरारतें कराई गई, शरारतें हुई वहां भी टेररिज्म सर उभार रहा है। पीछे वहां के जो मुख्यमंत्री श्री जी० एम० शाह थे जिनको कांग्रेस पार्टी ने पूरा सहयोग दिया था, मैं समझता हूं कि वे अपनी कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल करते हुए, वहां अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते थे और उन्होंने वहां ऐसे ऐलीमैंटस की हौसला-अफजाही की जो हिन्दुस्तान के खिलाफ थे, हिन्दुस्तान के हितों के खिलाफ काम कर रहे थे। उस हालत में हमारा क्या फर्ज था, हमारी क्या जिम्मेदारी थी, हमारा क्या दायित्व था, हिन्दुस्तानी नागरिक की हैसियत से, जैसा यहां अभी कल-परसों दिल्ली में हुआ, बंगला साहब में कुछ सिक्ख इक्ट्ठा हुए और हजारों की संख्या में उन्होंने एक खामोश जुलूस निकाला। मैं यह सुझाव देता हूं कि दिल्ली में ही नहीं, पंजाब के हर बड़े शहर में, चाहे लुधियाना हो, अमृतसर हो, जालंधर हो, गुरदासपुर हो, होशियारपुर हो, न सिर्फ, वहां सिक्खों के खामोश जुलूस निकाले जाएं बल्कि हिन्दुओं और सिक्खों के मिलकर, खामोश जुलूस निकलें। वहां ऐसा वातावरण पैदा किया जाए कि वहां जो आग लगी

हुई है, वह शांत हो जाए और उसका यही एक तरीका है। वहां कई लीडिंग परसोनैलिटीज हैं सभी बिरादरियों की, सभी मजहबों की और उन्हें आगे आना चाहिए। मैं यहां एक बात जरूर कहूंगा कि गुरुद्वारों का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सिर्फ अमृतसर के गुरुद्वारे की ही बात नहीं करता, सभी की बात करता हूं। वहां उग्रवादी शरारतें करते हैं, मारते हैं और गुरुद्वारों में घुस जाते हैं। यह बड़ी खतरनाक चीज है।

पिछले दिनों जब ब्ल्यू स्टार एक्शन हुआ था, उस वक्त जो चीज दबी पड़ी थी, वह नंगी हुई और आज फिर, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं, बड़े अदब के साथ, कि जिन गुरुद्वारों में पहले गुरु साहब की वाणी सुनाई जाती थी, गान गाये जाते थे और गुरुओं की वाणी से हमारे जीवन के अंधकार दूर करने में सहायका मिलती थी, जो सारी दुनिया का मार्ग-दर्शन करती थी, जो गुरुदारे रोशनी की मीनार थे, आज उन गुरुद्वारों में ऐसे लोगों को पनाह दी जाती है या वे सर छिपाने में कामयाब होते हैं जो बाहर तो खून की होली खेलते हैं, मासूम इन्सानों का खून करते हैं और फिर वहां आकर छिप जाते हैं। क्या कसूर करते हैं वे लोग जिनका खून किया जाता है। उनसे उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं। उनका तो बस एक ही उद्देश्य है कि चाहे किसी तरीके से हो, यहां अशांति पैदा की जाए, बद-अमनी पैदा की जाए ताकि देश के अन्दर उन बहरुनी ताकतों के जो एजेंट हैं और मैं इस सदन में स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कई बड़े मुल्कों के एजेन्ट सक्रिय हैं। मैं यहां उन मुल्कों के नाम नहीं लेना चाहता लेकिन खास तौर से वैस्टर्न पावर्स कुछ ऐसी हैं जो यहां काफी मात्रा में रुपया भेजते हैं, कुछ वह हैं जो वहां पर रहते हुए हिन्दुस्तान में रुपया भेजते हैं और यहां उस पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, नाजायज इस्तेमाल किया जाता है, हिन्दुस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ। इस तरफ भी हमारी सरकार को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : मुझे अपने मित्र को बीच में ही रोकना पड़ा। महोदय, आज हम राष्ट्रीय ताकतों को सुदृढ़ करने तथा आतंकवादियों को अलग-थलग करने पर चर्चा कर रहे हैं। उनको ये बात सभी गुरुद्वारों के बारे में नहीं कहनी चाहिए। आज हमारा उद्देश्य उन तत्वों को अलग थलग करना है जो देश के दुश्मन हैं और इसलिए हमें इस संबंध में बोलना है। कृपया सभी गुरुद्वारों को एक जैसा मत समझिए।

[हिन्दी]

यह कहना ठीक नही है कि गुरुद्वारों में पहले यह होता था, अब कुछ और होने लगा है। हो सकता है किन्हीं एक दो गुरुद्वारों में कुछ होता हो लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं एक चीज कहता है···(व्यवधान)···मैं सिर्फ बहरुनी ताकतों की बात कह रहा हूं जो बाहर से हिन्दुस्तान में पैसा भेजती हैं, यहां बाहर कई देशों से पैसा आ रहा है। मैंने यह तो नहीं कहा कि बाहर के गुरुद्वारे यहां पैसा भेजते हैं, मैंने सिर्फ फौरेन ताकतों के बारे में कहा है जो यहां पर रुपया भेजती हैं। और वह इसलिए रुपया भेजते हैं कि उस रुपये

को हिन्दुस्तान के इन्ट्रेस्ट के खिलाफ हमारे ही भाई इस्तेमाल करें और इस तरह की काली भेड़ें हर जगह मिलती हैं और ऐसी काली भेड़ें हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, वक्त कोता, किस्सा तुलानी। उर्दू-फारसी में क्या कहूं लेकिन वक्त थोड़ा है, किस्सा लम्बा है। मैं इसको और लम्बा कहकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता।

मैं इन हालात में यह सुझाव देना चाहता हूं कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सारी अपोजिशन को इन्वाइट किया, सारी अपोजिशन ने यह सोचा कि पंजाब के हालात पर विचार-विमर्श किया जाये ताकि उसका समाधान तलाश किया जाए। इस सदन से बड़ी चीज हमारे देश में नहीं है। हिन्दुस्तान के नागरिक की हैसियत से बिला-लिहाज मजहबो-मिल्लत, बिला-लिहाज जात-पांत, बिला-लिहाज ऊंच-नीच और बिला-लिहाज पार्टीबाजी हम कदम से कदम मिलाकर चलें और मैं कहता हूं कि यह टैरेरिज्म क्या, यह विरोधी दल... बहरूनी मुल्कों की ताकतें क्या,

(व्यवधान)

बात असल मुंह से निकल ही जाती है, तरकश से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता।

श्री मधु दण्डवते : जब तक विरोधी दल की बात नहीं करते, पेट साफ नहीं होता है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : बहरुनी, फारेन पावर्स की ताकतें तो क्या, समुन्दर के तूफान और आसमांन की बिजलियां हमारे सबके रास्ते में हायल नहीं हो सकती हैं और हम सब मिलकर टैररिज्म का खात्मा कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, अध्यक्ष महोदय ने अपनी आरम्भिक टिप्पणी में संयत होकर बोलने के लिए कहा है और इसलिए मुझे भी वही उच्च निष्पक्ष मानदण्ड को सामने रखना होगा जोकि मेरे सहयोगी प्रो० तिवारी ने स्थापित किया है इस पृष्ठभूमि में, मैं इस मामले पर विभिन्न राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहूंगा किन्तु उन समस्याओं का विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा जो पंजाब में तथा देश के किसी अन्य भाग में आतंकवाद के कारण उत्पन्न हुई हैं।

इसी सभा में, तीन बार मैंने पंजाब पर चर्चा शुरू की थी और मैं उन कुछ मुद्दों को फिर से नहीं दोहराऊंगा जिनका उल्लेख पिछले वाद-विवाद में हो चुका है।

मुझे यह आशा थी कि पंजाब में अकाली सरकार का गठन होने के बाद तनाव कम होगा, और एक नया माहौल बनेगा। महोदय, मैं यह मानता हूं कि पंजाब में चुनावों के फलस्वरूप दो बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। निस्संदेह, इस बारे में अलग-अलग मत था कि क्या उस समय चुनाव कराये जायें या उन्हें स्थगित कर दिया जाये किन्तु चुनाव करवाने का निर्णय लिए जाने के बाद, आतंकवादियों के अलावा किसी ने भी चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। मैंने भी चुनाव के दौरान चुनाव अभियान में सक्रिय भाग लिया था। मैंने लगभग सभी चुनाव क्षेत्रों का

दौरा किया था और मैंने चुनाव अभियान का माहौल भी महसूस किया था और चुनाव अभियान से दो बातें सामने आई थीं। यद्यपि इस संबंध में भी मतभेद था कि क्या उस तारीख विशेष को चुनाव कराए जायें, और अन्ततः जब चुनाव करवाये गये तो केवल आतंकवादियों ने ही चुनावों का बहिष्कार किया, चुनावों में बहुत से मतदाताओं के भाग लेने और चुनावों में अकाली दल की विजय ही पंजाब में मतदान के लोकतान्त्रिक तरीके द्वारा आतंकवादियों की पहली हार थी और मैं समझता हूं कि पंजाब में यह बहुत अच्छी बात थी।

यहां इनका एक अन्य पहलू है। मैंने पंजाब के प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के गठन का अध्ययन किया और यदि आप प्रत्येक चुनाव क्षेत्र शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र, में मतदाताओं को देखें और यदि पंजाब के चुनावों में हिंदू-सिख का गठजोड़ न होता तो अकाली दल को पंजाब में पूर्ण बहुमत कभी न मिलता। महोदय, मैं यह सब चुनाव-परिणामों के देखने के बाद नहीं कह रहा हूं। चुनाव से एक दिन पहले ट्रिब्यून ने मुखपृष्ठ पर मेरी इस बात को छापा था और मैंने यह बात पंजाब में विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के अपने अनुभव के आधार पर कही थी। मैं महसूस करता हूं कि हो सकता शहरी चुनाव क्षेत्रों में कुछ साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ हो। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग शान्ति चाहते हैं और लोग यह बात समझते हैं कि केवल हिन्दू-सिख मैत्री के द्वारा ही शान्ति प्राप्त की जा सकती है। बहुत से ग्रामीण चुनाव क्षेत्रों में सिखों और हिन्दुओं ने मिलकर अकाली दल को वोट दिए। अगर आप मतदाताओं के रुझान को देखते हैं, चूंकि अब विभिन्न बूथों में मतदान के रुख का पता लग गया है तो आपको चुनाव परिणामों की एक ओर खास बात पता चलेगी। विशेष रूप से पंजाब के ग्रामीण इलाकों में हिन्दुओं और सिखों दोनों ने ही अकाली दल को वोट दिए और अकाली दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इस प्रकार, यह न केवल आतंकवादियों की हार ही है अपितु इस चुनाव की एक बड़ी उपलब्धि रही हिन्दू-सिख एकता, विशेषतया पजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में और जो मेरे ख्याल में इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

मैं यह सोचता था कि शायद इस जीत के बाद आतकवादियों के पैर नहीं टिक पायेंगे और समस्त तनाव कम हो जाएगा एवं आतंकवाद पस्त हो जाएगा। लेकिन हम यह देखते हैं कि हिंसा हो रही है और अब हमारे सामने यह समस्या है कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। आतंकवाद एक व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। लुधियाना, जलंधर, अमृतसर चंडीगढ़ और आनन्दपुर साहेब में हिंसा हुई है और केवल एक उद्देश्य को लेकर हुई है। आतंकवादी नहीं चाहते कि अकाली दल सत्ता में आए, चूंकि अन्दर से तो वह यह मानते हैं कि अकाली दल की विजय उनकी हार है। इसीलिए आज वह आतंकित करना चाहते हैं और पंजाब में अकाली दल को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। आप यह देखेंगे कि वह हिन्दुओं पर हमला नहीं करते, वह अकाली दल के उदार नेताओं पर हमला कर रहे हैं। आनन्दपुर साहिब में उन्होंने अपना निशाना मुख्यमंत्री को बनाया। समझौते के बाद और चुनाव से पूर्व संत लोंगोवाल को उन्होंने निशाना बनाया। समझौते पर दस्तखत करने के बाद और अकाली दल का मुख्यमंत्री बनने के बाद वह अकाली दल सरकार के मुख्यमंत्री को अपना निशाना बनाना चाहते थे। लेकिन भाग्य से वह इसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन यह आतंक एक व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इसके दो पहलू हैं। एक यह है कि कुछ

आतंकवादी पंजाब से पाकिस्तान में जा रहे हैं और कुछ प्रशिक्षित आतंकवादी पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, पंजाब में आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बात है जो मेरे ख्याल में ज्यादा खतरनाक है। मैं यह नहीं बताना चाहता कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में क्या हुआ। लेकिन एक पहलू पर मैंने गृह मंत्री से परामर्श किया है और यह कोई गुप्त बात भी नहीं है। मैंने साफ-साफ यह पूछा; जब आप किसी आतंकवादी को पकड़ते हैं और जो हथियार आपने जब्त किए हैं, क्या वह निश्चित रूप से विदेशी थे ? मुझे गृह मंत्री ने यह बताया कि ऐसा देखा गया है कि बहुत से हथियार जो आतंकवादियों से जब्त किए गए, पंजाब पुलिस से छीने गए थे। यह बहुत ही खतरनाक बात है। मैं यह आरोप नहीं लगा रहा कि यह हथियार उन्हें पंजाब पुलिस ने दिए हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि भू-दान की तरह हथियार-दान हुआ है। मैं यह नहीं कह रहा। लेकिन जब भी किसी थाने पर हमला होता है, और जहां भी पुलिस पर काबू किया गया, उनकी वर्दी छीन ली गई। यह कितनी दुखद बात है। कुछ स्थानों में, जहां सी. पी. आई. नेता की हत्या और मारकाट की गई, कुछ आतंकवादी पुलिस की वर्दी में वहां गए और उन पर हमला किया। उनमें से दो व्यक्ति मारे गए। सी. पी. आई. नेता का अंगरक्षक भी मारा गया। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में अथवा किसी अन्य स्थान पर अगर वर्दी में कोई पुलिस कर्मी अथवा वैसा कथित पुलिस कर्मी हमारे घर आता है और हम दरवाजा खोल देते हैं तथा पता चलता है कि वह तो आतंकवादी है जो हम पर हमला करने के लिए आया है तो हम क्या सुरक्षा ले सकते हैं। अगर भीड़ आती है तो कम से कम दरवाजा बंद किया जा सकता है। पुलिस को बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी बेकसूर व्यक्ति के घर कोई आदमी पुलिस की वर्दी में जा कर उस पर धावा बोलता है उसकी हत्या कर देता है तो यह स्थिति बहुत ही खतरनाक है। यहां आसूचना विभाग को बहुत ही ध्यानपूर्वक कार्य करना होगा। इसलिए, मैं यह महसूस करता हूं कि जिस तरह का आतंकवाद फैल रहा है, हत्यायें और मारकाट हो रही हैं, यह चिन्ता का विषय है।

ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए मैंने अध्यक्ष महोदय की जानकारी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और खतरनाक पहलू से कराई है, जिस पर मैं आज प्रकाश डालना चाहूंगा।

एक हिन्दी समाचार पत्र में यह खबर छपी है और खासी चर्चित है कि एक अधिकारी जो भूतपूर्व आसूचना अधिकारी था और जो पाकिस्तानी दूतावास का भूतपूर्व अधिकारी था और दिल्ली में नियुक्त था, वह गुरुद्वारे में छिपा हुआ था। यह समाचार आया है। यह खबर गलत भी हो सकती है। लेकिन मैं, इस पर जोर देना चाहूंगा कि जब इस प्रकार की जानकारी दी जाती है और संसद सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना देता है, यद्यपि इस सभा में मेरी ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकार नहीं की गई, मुझे इसकी चिंता नहीं। लेकिन कम से कम गृहमंत्री हमें लिखकर यह बता तो सकते थे कि क्या इसके पीछे कोई तथ्य भी है अथवा नहीं। चूंकि अगर पाकिस्तान का एक भूतपूर्व आसूचना अधिकारी, जो पहले एक दूतावास अधिकारी के रूप में दिल्ली में नियुक्त था, उसे गुरुद्वारे में ठहराया गया है, वह इसका फायदा उठा रहा है, शायद अनजाने में ही, और अगर वह उस धार्मिक स्थल में जासूसी करने में लगा हुआ है, तो वह केवल देश को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा अपितु गुरुद्वारे की पवित्रता को भी नष्ट कर रहा है। मेरे ख्याल में इससे गुरुद्वारे की पवित्रता नष्ट हो जायेगी। उस दृष्टिकोण से भी इस पर विचार किया जाना

चाहिए और जब माननीय मंत्री इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे तो मैं यह चाहूंगा कि वह इस बात को स्पष्ट करें यद्यपि मेरी ध्यानाकर्षण सूचना उनके द्वारा स्वीकार नहीं की गई।

एक और पहलू है जिसका मुझे उल्लेख करना है और वह है भिंडरावाले मुद्दा। इस सारी घटना को अब भिंडरवाले कांड नाम दिया जा रहा है। इस भिंडरावाले मुद्दे के बारे में मैं इस सभा को, सत्ताधारी दल और विपक्ष तथा अकाली दल को, यह चेतावनी देना चाहूंगा, मुझे कहना नहीं आ रहा, इधर विपक्ष और उधर सत्ताधारी दल, हम किसी भी दल से संबद्ध क्यों न हों लेकिन कभी-कभी कुछेक बातों का हम राजनीतिक फायदा उठाते हैं। मैं किसी भी राजनीतिक दल की गलत रूप से आलोचना नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने इस सभा के समक्ष दो अवसरों पर यह कहा है, जिसका कि विरोध भी नहीं किया गया कि जब भी चुनाव हुए हैं चाहे वह 1980 के चुनाव हों अथवा 1979-80 के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव अथवा यह किसी ओर तरह के चुनाव हों या अकाली दल द्वारा किया गया आंदोलन, अलग-अलग लोगों ने भिंडरावाले की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और छोटे-मोटे फायदों के लिए इसका उपयोग किया। कभी-कभी हम भिंडरावाले अथवा इसी प्रकार के किसी व्यक्ति का फायदा उठाते हैं और बाद में जब वह अपने स्रष्टा के लिए खतरनाक हो जाते हैं और राज्य की स्थिरता को नष्ट करते हैं और भारत की एकता व अखंडता को नष्ट करते हैं तब हमें महसूस होता है कि हम संकीर्ण, सांप्रदायिक और निजी तुच्छ स्वार्थों के लिए किस प्रकार की ताकतों को प्रश्रय देते रहे हैं। बहुतों ने ऐसा किया है। मैं किसी भी राजनीतिक दल को यहां जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। लेकिन कुछ ने आंदोलन के लिए, कुछ ने संघर्ष के लिए, कुछ ने झूठे धार्मिक फायदों के लिए और कुछ ने राजनीति उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग किया है। यह भविष्य के लिए एक सबक है कि चाहे कुछ भी उदेश्य क्यों न हो, अगर आतंकवादियों का उपयोग संकीर्ण और निजी स्वार्थों के लिए किया जाता है तो निश्चय ही वह अपने स्रष्टाओं के लिए खतरनाक सिद्ध होंगे और उस ढांचे एवं व्यवस्था को नष्ट कर देंगे जिसमें कि हम कार्य कर रहे हैं।

जहां तक पंजाब की स्थिति है, आतंकवादियों ने इसे चिंताजनक बना दिया है। मैं यहां आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न समस्याओं, कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति, और राजनीतिक समस्याओं को जोड़ना नहीं चाहता। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहें कि चूंकि पंजाब समझौते को लागू करने में कुछेक समस्यायें उत्पन्न की गई हैं, आतंकवाद उसी का परिणाम है। नहीं। परन्तु जब आतंकवादी गतिविधियां जारी है और आतंकवादी गतिविधियां असंतोष के कारण पनपती हैं और यदि समझौते को उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाता और इसे निश्चित समय में लागू नहीं किया जाता, जो कि समझौते में निर्धारित किया गया है, तो पूरा आतंकवादी वर्ग भारत सरकार के विरुद्ध प्रचार करेगा और वे अकाली दल के उदार नेतृत्व के विरुद्ध प्रचार करेंगे और वे युवकों को बतायेंगे कि "हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बातचीत से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है।" वे कहेंगे कि समस्या का समाधान बंदूक की नोंक पर किया जा सकता है। वे युवकों को कह रहे हैं कि "हमने तुम्हें चेतावनी दी थी कि भारत के प्रधानमन्त्री के के साथ समझौते पर हस्ताक्षर मत करो। वह समस्या समाधान नहीं कर रहे हैं, अन्य विपक्षी दलों के जाल में मत फंसो। समझौते के लिए सहयोग देने का प्रयास न करें। यह केवल संघर्ष से

संभव है और संघर्ष भी हिंसात्मक हो तभी समस्या का समाधान हो सकता है, आतंकवादी पूरे पंजाब में युवकों को उक्त बातें कह रहे हैं, अखिल भारतीय सिख छात्र संघ पंजाब में यही कार्य कर रहा है और जब वास्तव में समझौते के कार्यान्वयन में अड़चनें उत्पन्न कर दी जाएंगी तो वे कहेंगे "हमने आपको पहले ही कहा था और तुम्हें चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी को चंडीगढ़ कभी भी आपको नहीं मिलेगा।" यदि चंडीगढ़ 26 जनवरी को दे दिया जाता तो आतंकवादी अहिंसक बन गए होते । परन्तु उन्होंने इसको एक बहाना बना लिया और वे पुन: आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो गए । मैं यह नहीं कहता कि पूरा आतंकवाद इसी मुद्दे के कारण पनपा है। परन्तु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि पंजाब समझौते के कार्यान्वियन में कोई ढील बरती जाती है तो समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं । इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं देशोन्माद वाला रुख नहीं अपना रहा । मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका सम्बन्ध केवल पंजाब से ही नहीं है बल्कि हरियाणा और राजस्थान से भी है, वे भी इसमें शामिल हैं । इसके अतिरिक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद प्रधानमन्त्री ने अनेक मंचों और संवाददाता सम्मेलनों में और सदन में यह घोषणा की है कि इस समझौते का कार्यान्वियन करते समय हम हरियाणा और राजस्थान के हितों का भी ध्यान रखेंगे, उन्होंने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है । वे कहते हैं कि जब नहर खोदी जाएगी और पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाएगा तो वितरण के मामले में कुछ विवाद हो सकता है और उस विवाद को दूर किया जा सकता है और हमारा विश्वास कीजिए और सद्भावना से हम जल वितरण के बारे में वर्तमान सूत्र के आधार पर या अन्तिम निर्णय के परिणामस्वरूप यदि कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं तो उन्हें दूर किया जा सकता है । मैं सरकार द्वारा अपनाए गए रुख और हरियाणा राजस्थान को दिए इस आश्वासन का स्वागत करता हूं कि यह केवल क्षेत्रीयता का प्रश्न नहीं परन्तु इसमें पानी का प्रश्न, पानी के उपयोग का प्रश्न भी शामिल है और इन प्रश्नों का हल निकालने में कुछ विवाद हो सकता है—जिसके होने की संभावना है—और असंतोष भी हो सकता है । अन्तोगत्वा हम एक ही देश के निवासी हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि हम उदार अकाली नेताओं के साथ बैठकर बातचीत करते हैं और यह बताने का प्रयास करते हैं कि इस सीमा के अन्तर्गत विवादों को हल करना है तो पंजाब समझौते का क्रियान्वयन संभव हो जायेगा । पानी के बंटवारे के बारे में हरियाणा और राजस्थान की आशाओं को भी ध्यान रखना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि भारत सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को सबकी सद्भावना प्राप्त हो जाए तो इसका कार्यान्वियन हो सकता है।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अनेक मांगें हैं। मुझे प्रसन्नता है कि दोनों ही पक्षों ने समझौते से पहले समझौते के दौरान और समझौते के बाद अनेक विवादों का समाधान किया है। राज्य केन्द्र सम्बन्ध तय हो चुके हैं। नदी जल विवाद एक न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है। आकाशवाणी के जलंधर केन्द्र से गुरुद्वारों में कीर्तन का प्रसारण होने लगा है। अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम केवल ऐतिहासिक गुरुद्वारों के मामले में और संबद्ध गुरुद्वारों की सहमति से एक संयुक्त कानून बनाया जाएगा। ऐसा समझौता हुआ है। दंगों की जांच संबंधी प्रश्न का समाधान हो गया है। अनुच्छेद 125 की व्याख्या—इस सदन में कुछ व्यक्तियों में से मैं भी एक था मैंने विधि मंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत किया था कि अनुच्छेद 125 की व्याख्या हम विधि

विशेषज्ञों और विभिन्न सिख संगठनों पर छोड़ रहे हैं। मैंने कहा था कि आप एक प्रतिभावान व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक सही कार्य को देर से किया है। यदि इसे पहले ही कर दिया गया होता तो आंदोलन शुरू नहीं होता अतः इस प्रश्न का भी समाधान हो गया है। सेना के भगोड़ों के प्रश्न का हल का देश की अखंडता और सेना के गौरव का ध्यान में रखते हुए कोई तरीका निकाला गया है और इसके बारे में समझौते में दिए गए आश्वासन को पूरा करने में समय लगेगा। मैं समझता हूं कि यदि इनका कार्यान्वयन किया जाता है तो कम से कम आतंकवादियों की जड़ें हिल जाएगी और इतना आतंकवाद नहीं रहेगा और इसलिए, यह भी किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त एक और बात है। यदि बरनाला सरकार कड़ा रुख नहीं अपनाती तो एक और रुकावट आने की संभावना है, जिसके बारे में मैं सदन को आगाह करना चाहता हूं। देश के लोगों का विचार है कि जब तक पंजाब में सेना या अर्द्ध सैनिक दस्ते नहीं भेजे जाते वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखना कठिन है और यदि ऐसा किया जाता है तो इससे पंजाब पुलिस का नैतिक पतन होगा। मैं समझता हूं कि यदि ऐसा किया जाता है तो पंजाब पुलिस का हौंसला टूट जाएगा। अतः पंजाब पुलिस का नैतिक बल और मनोबल बनाए रखना पड़ेगा और इसलिए सरकार और राज्य सरकार को पुलिस बल का हौंसला टूटने से रोकने के लिए असाधारण कार्य करना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि कल आतंकवादी किसी धार्मिक स्थान पर या किसी गुरुद्वारे पर या अकाली दल के कार्यालय पर हमला करते हैं और अकाली दल के रिकार्ड को जलाने का प्रयास करते हैं और ऐसे समय पुलिस को गोली चलानी पड़ती है और ऐसे समय में एक तरफ हम कहते हैं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं और यदि बरनाला सरकार कठोर कार्यवाही करती है और हम भी गोली चलाने की निंदा करते हैं और न्यायाधिक जांच करते हैं तो ऐसे मामले में पुलिस का मनोबल कभी भी बनाए नहीं रखा जा सकता। इसलिए हमें, जो विपक्ष में हैं और उन्हें, जो वहां बैठे हैं। यह सुनिश्चित करना है,

6.00 म० प०

क्योंकि वे भी पंजाब में विपक्ष में हैं और यहां हम सब विपक्ष में हैं, केन्द्र में सत्ताधारी और विपक्षी दोनों ही दल पंजाब में विपक्ष में हैं और हमें पुलिस की कारंवाई की निन्दा करने जैसा कार्य करके बरनाला सरकार को अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। इससे समस्या पैदा हो जाएगी।

अंत में, अर्ध-सैन्य बलों और राज्य पुलिस बल में तालमेल होना चाहिए। सांम्प्रदायिक दंगों के दौरान भी हमने देखा है जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को वहां लगाया गया और राज्य पुलिस भी वहां रही, तो दोनों के बीच झगड़ा होने के परिणामस्वरूप तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। अल्पसंख्यक लोग एक पुलिस बल के प्रति वफादार हैं तो बहुसंख्यक लोग दूसरे पुलिस बल के प्रति वफादार हैं, जिसके परिणामस्वरूप जटिल स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए वहां एक प्रकार का समन्वय होना चाहिए। मैं एक ठोस सुझाव देकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। हमें यह देखना चाहिए कि विपक्ष और सत्ताधारी दल की सहायता से कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम करने के लिए हमें इस कार्य में अकाली नेतृत्व की सहायता करनी चाहिए, यद्यपि, यह उनकी अन्दरूनी समस्या है, हमें

उन्हें भ्रातृ-सुलभ सहायता देनी चाहिए। जो लोग उग्रवादी नहीं हैं, वे कुछ कारणों से असंतुष्ट हैं। वे बादल जैसे लोग हो सकते हैं। मेरे विचार श्री तोहाड़ा से भिन्न हो सकते हैं। परन्तु तोहड़ा जैसे लोगों को और पंजाब के मुख्य मंत्री को एक साथ किया जाना चाहिए। उनके बीच के तनाव को समाप्त किया जाना चाहिए और श्री तोहड़ा, श्री बादल और श्री बरनाला को बताया जाना चाहिए; यदि आप एकमत नहीं हो सकते तो उग्रवादियों द्वारा आप लोगों को पृथक-पृथक मार दिए जाने की संभावना है। इसलिए पंजाब के हित में तथा भारत की एकता और अखंडता के हित में आपको एक साथ हो जाना चाहिए। पंजाब में केवल दो धड़े हैं—एक वे हैं जो आतंकवादी हैं और पंजाब में भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं दूसरी ओर वे लोग हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं। इस प्रकार व्यापक आधार पर एकजुट प्रयास किए जाने चाहिए।

इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि इस देश में हमने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में कुछ मूल्यों को ग्रहण किया है और अभी भी मेरा विचार है कि हमारे मूल्यों का इतना ह्रास नहीं हुआ है कि राष्ट्रीयता को चोट पहुंचे और इसलिए उन सभी मूल्यों के लिए जिन्हें हमने स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में अपनाया, पंजाब में सभी ताकतों बीच एकता पैदा करनी होगी और यह देखना होगा कि आतंकवाद समाप्त हो तथा एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके।

श्री अर्जुन सिंह (दक्षिण दिल्ली) : आज के पंजाब में आतंक से लड़ने के लिए उद्देश्य और कार्य की एकरूपता तथा राष्ट्रीय ताकतों की एकता के बारे में प्रो० दंडवते के मुख्य भाषण का स्वागत है। स्वयं अध्यक्ष महोदय ने चर्चा का रास्ता तय किया और उसके लिए हम उनके आभारी हैं। मैं सभा का ध्यान कुछ विगत की ओर ले जाना चाहूंगा। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा इरादा कोई राजनीतिक विवाद खड़ा करने का नहीं है क्योंकि यह अवसर ऐसा नहीं है। पिछली बातों की ओर ध्यान दिलाने का मेरा तात्पर्य केवल यह है कि हम राष्ट्र के सामने आये खतरे से अवगत हो सकें। यह हमारी एक गौरवपूर्ण परम्परा रही है कि अनेक अवसरों पर जब भी हमारे राष्ट्रीय राजतंत्र को चुनौती दी गई, तो इस प्रतिष्ठित सभा से एकजुट होकर मजबूती दिखाई है तथा उस चुनौती का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की। इसलिए, मैं यह कहना अपना कर्तव्य समझता हूं कि हम जो कुछ भी पंजाब में देख रहे हैं वह किसी एक घटना अथवा नीति सम्बन्धी किसी एक वक्तव्य अथवा यहां-वहां हुई किसी अकेली घटना से जुड़ा हुआ नहीं है। हम पंजाब में आज जो कुछ देख रहे हैं वह भारत को अस्थिर करने की एक बड़ी योजना है। आज जो कुछ हम पंजाब में देख रहे हैं वह एक योजना है जिसका उद्देश्य उन मूल्यों, उन सिद्धांतों को नष्ट करना है जिन पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। यह प्रयास छः महीने पहले, सात महीने पहले, एक वर्ष अथवा दो वर्ष पहले शुरू नहीं हुआ। इस सभा के अनेक वरिष्ठ सदस्य जो अधिक अनुभवी हैं इस बात की पुष्टि करेंगे; मैंने देखा है कि यह प्रयास बड़े जोर-शोर से 1980 में शुरू किया गया। हाल ही के पिछले कुछ समय में, यद्यपि यह अब इतिहास का एक हिस्सा है। हमने यह देखा है और उससे हम दशकों बाद सबक सीखते हैं जबकि हम स्वयं इतिहास का अंग बन जाते हैं।

महोदय, हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी इस खतरे की गंभीरता से पूरी तरह अवगत थीं। उन्होंने खतरे की गंभीरता के बारे में राष्ट्र को शिक्षित करने का पूरा प्रयास किया और साथ-साथ उन्होंने यह भी प्रयास किया कि देश के भीतर आपसी मतभेदों, समस्याओं, मुद्दों पर सहमति हो जाए ताकि किसी भी मामले का समाधान देश की व्यवस्था के अनुसार निपटाया जा सके।

जैसा कि मैंने कहा है, मैं राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करुंगा; परन्तु वास्तविकता यह है कि इस सम्बन्ध में हमारे निरंतर प्रयास किए जाने के बावजूद कुछ ताकतें, जो इस योजना को बल प्रदान कर रही हैं, पंजाब के महान और बहादुर लोगों को इस देश से पृथक होने के कगार तक पहुंचाने में लगभग सफल रही हैं। मैं इस बात को कम करके नहीं आंक रहा हूं कि किस प्रकार देश की रक्षा हुई। मैं जानता हूं कि की गई कार्रवाई कठोर थी, वह दुःखदायी थी, परन्तु जब एक राष्ट्र के लिए खतरा पैदा हो जाए, इसकी पवित्रता को खतरा पैदा हो जाए, जब हमारे मूल्यों को खतरा पैदा हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र जो भी कार्रवाई करता है वह उचित है और मैं जानता हूं कि हमें उस समय कितना दुःख पहुंचा जब हमारे महान नेता ने अपना जीवन बलिदान कर दिया।

उनकी हत्या के बाद, इस महान विपदा के बाद, ऐसे दुःख की घड़ी में राष्ट्र का भार हमारे युवा प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी पर आ पड़ा। घटना घट जाने के बाद बुद्धिमान होना बहुत आसान है। कभी-कभी सलाह देना भी बहुत आसान होता है। परन्तु यदि हम इस पर दृष्टिपात करें कि इस देश का प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद उन्होंने पंजाब में किन-स्थितियों का सामना किया है तो हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि जिस भारी भावनात्मक आघात से यह राष्ट्र गुजरा है, जिससे वह स्वय गुजरे हैं, उनके दिमाग से पूरी तरह से दूर नहीं हो सका। फिर भी, जनादेश प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहला वायदा यही किया कि उनकी पहली प्राथमिकता पंजाब समस्या को हल करना है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं ताकि यह प्रतिष्ठित सभा कुछ घटनाओं का रिकार्ड रखे जो इतिहास के गर्त में समा जाती हैं और जब हम इतिहास का अवलोकन कर रहे होते हैं तो उनके सही अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाते। मैं कहूंगा कि उनके सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से और जिस प्रकार से उन्होंने सारी समस्या को देखा है, और जिस ढंग से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं उससे विश्वास और सद्भाव के ऐसे पुलों का निर्माण होता है, जिन पर चलकर ही लोकतंत्र कायम रह सकता है। इसी कारण से संत लोंगोवाल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

महोदय, यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इन घटनाओं का साक्षी रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि हमारे राष्ट्र के इतिहास में बहुत कम क्षण ऐसे आए हैं जब आस्था और विश्वास का ऐसा समझौता हुआ है और जिसे इतनी निष्ठा और इतनी वचनबद्धता के साथ निभाया गया है। स्वर्गीय संत लोंगोवाल ने जो साहस दिखाया वह बहुत दुर्लभ है और ऐसे लोगों में बहुत ही दुर्लभ हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन दल प्रणाली अथवा उस व्यक्ति का विरोध करने में बिता दिया जिसके साथ वे राष्ट्रीय हित में एक बार बातचीत करने और एक ऐतिहासिक घटना को जन्म देने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसे हमारे उप-महाद्वीप के राष्ट्रों के इतिहास को एक नया मोड़ देने वाली घटना कहा जा सकता है।

इतना सब कुछ कहने के बाद यह जानना निश्चित तौर पर प्रासंगिक है कि हमसे गलती कहां और कैसे हुई ? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि उग्रवादी ही नहीं बल्कि कुछ अन्य लोग भी हैं जो हमें यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि यह समझौता करना एक भारी भूल थी; जो यह कहेंगे कि यह प्रयास निरर्थक था। मैं समझता हूं कि शायद इस समय यह कहने की आवश्यकता नहीं थी परन्तु मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसा कि प्रो० मधु दंडवते ने कहा है, बोलने वाले अन्य सदस्यों ने कहा है कि हम एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जिसमें पक्षपात, अवरोध तथा आस्था और विश्वास की कमी के लिए कोई स्थान न हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन बातों के बावजूद पंजाब के लोगों का पुन: विश्वास प्राप्त करने और उन्हें एक ऐसा भविष्य देने के लिए जिसके वे हकदार हैं, प्रधानमंत्री इसके बेहतर और कुछ नहीं कर सकते थे।

चुनाव कराए गए। मैं यह जानकर बहुत प्रसन्न हूं और मैं प्रो० दंडवते की उस बात के लिए प्रशंसा करता हूं जो उन्होंने चुनाव कराए जाने के बारे में अपना विरोध वापस लेते समय कही थी। प्रधानमंत्री ने उस समय कहा था कि इस चुनाव में इस बात का कोई महत्व नहीं है कि कौन सा दल जीतता है अथवा हारता है। सवाल यह है कि क्या भारत जीतता है या भारत हारता है; क्या भारतीय लोकतंत्र जीतता या हारता है और घटनाक्रम ने संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी···

प्रो० मधु दंडवते: हमारे उन साथियों से भी, जो पहले चुनाव कराए जाने का विरोध कर रहे थे, हमने कहा कि यदि चुनाव कराए जाते हैं तो हम उसमें भाग लेंगे।

श्री अर्जुन सिंह: आपकी इस बात का उल्लेख न करने का मुझे खेद है। कृपया मुझे क्षमा कीजिए। परन्तु जो कुछ आपने कहा है मैंने उसकी भावना को ले लिया है जो मेरे विचार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है मैंने यहां-वहां बीच में कोई शब्द छोड़ दिया हो। महोदय, चुनावों में सभी आशंकाएं मिथ्या सिद्ध हुईं और मैं यह कह सकता हूं कि इसका श्रेय कोई नहीं ले सकता, यह किसी प्रशासन की एकमात्र उपलब्धि नहीं है क्योंकि इस देश में कोई भी प्रशासन लोगों की अंतः प्रेरणा का स्थान नहीं ले सकता। ये लोग थे जिन्होंने यह महसूस किया कि उन्हें ऐसा अवसर मिला है जिसमें वह वर्षों से चल रही व्यर्थ और निरर्थक हिंसा को समाप्त कर सकते हैं, और यह दिखा सकते हैं कि इस देश में लोग समय आने पर लोकतांत्रिक विकल्प का रास्ता अपना सकते हैं। और यह वह विकल्प था जिसका पंजाब के लोगों ने स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया और अपनी पसंद की सरकार चुनी। हमारे संविधान के अनुसार प्रत्येक सरकार को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं और स्वाभाविक रूप से ये शक्तियां अकाली दल के हाथों में चली गईं जिसने इन चुनावों में सर्वाधिक स्थान प्राप्त किए थे। उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं केवल इतना ही कहूंगा कि शायद उस समय न केवल विजेताओं को बल्कि शायद पंजाब के आम नागरिक को भी एक प्रकार का आत्मसंतोष हुआ था। परन्तु लोगों की इच्छा शक्ति ने षडयंत्र को विफल कर दिया और जो अस्थायी तौर पर हार गए हैं, वे केवल अपना समय काट रहे हैं नवम्बर और दिसम्बर से हम देख रहे हैं कि पुन: हिंसा हुई है, राज्य की शांति भंग करने की कोशिश की गई है और यहां मैं यह कहूंगा कि किसी भी सरकार को, जो अपने आपको सरकार मानती है, यह कहने का अधिकार नहीं है कि राज्य में कानून व्यवस्था और शांति कायम करना किसी

अन्य बात पर निर्भर करता है। समझौते का इस प्रकार उल्लेख किया गया है जैसे इसके कार्यान्वयन में संदेह हो। सभा को मालूम है कि समझौते की 11 मदों में से 9 मदें कार्यान्वित की जा चुकी हैं, जैसाकि प्रो० मधु दंडवते ने स्वयं कहा है। अन्य 2 मदें भी कार्यान्वित की जाने वाली हैं। अभी दो दिन पहले ही ब्यास-सतलुज नदी जल विवाद संशोधन विधेयक पारित किया गया था, जो समझौते के एक अन्य मुद्दे को कार्यान्वित करने का प्रयास है जो अंतर्राज्यीय जल बंटवारे के बारे में है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए अधिनियम के अन्तर्गत जो आयोग स्थापित किया जाएगा वह निश्चित तौर पर पूरी स्थिति की सही पुनरीक्षा करेगा और सभी सम्बन्धित पक्षों के प्रति न्याय करेगा।

जहां तक चण्डीगढ़ के हस्तांतरण का प्रश्न है, गृह मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री इस बारे में एक प्रकार का द्विपक्षीय समझौता कराने का बार-बार प्रयास कर रहे हैं ताकि आपसी सहमति से हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढ सकें जो चंडीगढ़ के बारे में पंजाब की और भू क्षेत्र के बारे में हरियाणा की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें। समय आ गया है जब प्रधान मंत्री यह अनुभव कर रहे हैं कि समझौते के बारे में अब और आगे बात-चीत नहीं बढ़ायी जा सकती, और मुझे विश्वास है कि वे सही कदम उठाएंगे। समझौते के सम्पूर्ण कार्यान्वयन के प्रति प्रधान मंत्री की पूर्ण वचनबद्धता के बारे में हमें कोई संदेह भी नहीं है, इस सभा को संदेह भी नहीं होगा और मैं कहूंगा कि पंजाब में भी किसी को कोई संदेह नहीं होगा।

(व्यवधान)

जहां तक हिंसा के बढ़ने का सम्बन्ध है, तो यह एक समस्या है। यह आतंक के संतुलन की समस्या नहीं है और मैं यह कहना चाहूंगा कि कभी-कभी जब सरकार पूर्णतया राष्ट्रविरोधी ताकतों को दबाने के लिए आतंक का प्रयोग करती है, जो बिल्कुल उचित है, तो ऐसी स्थिति में भी लोकतंत्र को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ताकत का प्रयोगकरने की भीसीमा है। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में ताकत का अप्रतिबंधित और असिमित प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा भले ही वे युवकों, बेरोजगारों, पंजाब के लोगों के प्रतिदिन के जीवन, उनके कार्य, उनके आर्थिक क्रिया कलापों को प्रभावित करते हों। थीन बांध, जो कि उस क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है और '5-17 वर्ष जिसका निर्माण लटका हुआ था, इस स्थिति में पहुच गया है कि प्रधान मंत्री ने इसकी आधारशिला रखी है और यह आश्वासन दिया गया है कि इसका निर्माण कार्य 6 वर्ष में पूरा हो जाएगा, जबकि सामान्यतया इस कार्य में नौ वर्ष लगते।

कारखानों की स्थापना करके लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए हैं, भारत सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर मूल्य देकर कृषि क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था करने के प्रयास किए हैं, प्रत्येक क्षेत्र में प्रयास किए गए हैं ताकि पंजाब के लोग यह महसूस कर सकें कि देश और सरकार उनका उतना ही ध्यान रखते हैं जितना कि वे किसी अन्य राज्य और किसी भी राज्य के किसी व्यक्ति का रखा जाता है। परन्तु इस संबंध में प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही की जानी चाहिए परन्तु पंजाब जैसी हिंसा फैलाने के लिए इसे आधार नहीं माना जा सकता।

कुछ दिन पहले हमने पंजाब का दौरा किया था और मैं यह कहता हूं कि जैसी दुखद स्थिति पंजाब में देखने को मिली वैसी पहले कभी देखने को नहीं मिली। उपदेश देना बहुत आसान है, युक्ति संगत व्याख्या करना भी आसान है, परन्तु जो मामला भावनाओं से जुड़ा हुआ हो वहां हमदर्दी ही दिखाई जाती है और इसकी ओर सदन के सभी पक्षों को ध्यान देना चाहिए । यह हमारे इन सामूहिक विचारों से सिद्ध होगा कि पंजाब में जो लोग हिंसा या असहिष्णुता के शिकार हुए हैं उन्हें हमारी सहानुभूति और सहायता मिलेगी और उनके दुख में हम सब शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि इसके उस राज्य के लोगों पर बड़ा शमनकारी प्रभाव पड़ेगा । मेरा सुझाव है कि इस चर्चा को तुरन्त समाप्त किया जाए और एक ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें सदन का प्रत्येक पक्ष प्रत्यक्ष भागीदारी से पंजाब के लोगों को यह समझाने का प्रयास करे कि पूरा सदन उनकी सुरक्षा के लिए तैयार है और यह सदन, जो राष्ट्रीय इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, भाई-भाई में जो फूट डाली जा रही है और हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ों को हिलाया जा रहा, उसका दृढ़ता से मुकाबला करेगा और मुझे विश्वास है कि उन्हें सफलता मिलेगी ।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और अन्त में केवल इतना कहूंगा कि मेरे विचार में यह उचित समय है और मुझे विश्वास है कि, सदन के प्रत्येक सदस्य के विचारानुसार, भारतीय लोकतंत्र को दलगत नीति से ऊपर उठाया जाए, और लोकतन्त्र के समर्थक हम सब लोगों को अपने व्यक्तिगत आचरण से यह दिखाना है कि हम केवल गाल ही नहीं बजाते बल्कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हम बलिदान देने को भी तैयार हैं ताकि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रह सके, ताकि अस्थिरता पैदा करने वाली कुछ शक्तियों और तत्वों के इरादों को असफल किया जा सके ।

कुछ महाशक्तियों के आचरण से मुझे आश्चर्य हुआ है । ये शक्तियां अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को रोकने के नाम पर विश्व को युद्ध की ओर धकेलने में नहीं हिचकिचा रही हैं परन्तु अपने ही देश में अन्य देश के विरुद्ध आतंकवाद फैलाने वालों की ओर से आंख मूंदे हैं ।

6.25. म. प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) क्या यह सब चलने देना चाहिए ? या क्या हम सबको इसके विरुद्ध खड़े होकर यह आवाज उठानी चाहिए कि इसे अब आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा । भारत का भला चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह दिखाना होगा कि भारत अखंड है । भारत को अपने ऊपर गर्व है और भारत सभी दुश्मनों को रास्ते से हटाता हुआ सिर ऊंचा करके आगे बढ़ेगा । हमें यह देखना होगा कि इस देश के लोगों को उचित न्याय मिले और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हम अपने दायित्वों को इस प्रकार पूरा करें जिससे उनको यह कहने का अवसर न मिले कि एक ऐसा समय आया था कि लोग अपने संकीर्ण विचारों के कारण भारत को बचा नहीं सके । मुझे विश्वास है कि इस चर्चा में उस दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है और मुझे विश्वास है कि इससे पंजाब की समस्या सही ढंग से हल हो जाएगी और उपद्रव ग्रस्त राज्य में आशा और विश्वास की नई लहर उत्पन्न होगी ।

श्री पी० कुलनवई वेलू (गोबियेट्टि पालयम) : श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के 16 महीने बाद देश को एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में, पंजाब में आतंकवादियों और उग्रवादियों ने आग लगाई हुई है और साम्प्रदायिक स्थिति विस्फोटक बनी हुई है।

वे भावनात्मक रूप से अथवा अन्य प्रकार देश का बंटवारा करना चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि आतंकवादी और उग्रवादी हिन्दू-सिख झगड़े को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। इसमें पाकिस्तान बेरोजगार सिख युवकों को प्रशिक्षण देकर उनकी सहायता कर रहा है। वे सिख युवकों को रुपए पैसे की सहायता भी दे रहे हैं। और मुझे पता लगा है कि पाकिस्तान हमारे देश का विभाजन करने के लिए खालिस्तान आंदोलन की भी सहायता कर रहा है।

महोदय, मेरा कहना है कि कमजोर नींव पर बड़ी इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। हम यह अच्छी तरह जानते हैं। अतः नींव मजबूत होनी चाहिए। यदि नींव मजबूत करनी है तो सबसे पहले हमें एक होना होगा। हम एक होने पर किसी भी प्रकार के आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला कर सकते हैं। आतंकवादी और उग्रवादी इस सीमा तक पहुंच गए हैं कि वे मुख्यमंत्री श्री बरनाला को भी अपना निशाना बनाना चाहते थे। उन्हें मारने का उन्होंने प्रयास किया है। जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने यह समाचार सुना तो उन्होंने पंजाब में फैले आतंकवाद और उग्रवाद की निंदा की।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। देश इस जटिल समस्या का एक समन्वित समाधान चाहता है। पंजाब में जो स्थिति आज बनी हुई है वह अलग-अलग समय पर विभिन्न स्तरों पर आपाधापी की राजनीति की भयंकर गलतियों का परिणाम है। प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए कड़ी कार्यवाही करें।

कुछ मामलों में छोटे मोटे अपराधी और डाकू लोग भी आतंकवाद में कूद पड़े हैं। आतंकवाद के नाम पर तस्कर और अवैध शराब के निर्माता पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर सक्रिय है और पंजाब की स्थिति का पूर्ण लाभ उठा रहे हैं। नशीली वस्तुओं की तस्करी हो रही है और बड़े पैमाने पर बेरोजगार युवकों को आतंकवाद एक साहसिक और लाभ का काम लग रहा है। पंजाब की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे समय पर हम अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से पंजाब में आतंकवादियों और उग्रवादियों का मुकाबला करने और उन्हें अलग-अलग करने के लिए पंजाब के मुख्य मंत्री को पूरा सहयोग देते हैं।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : परमआदरणीय अध्यक्ष जी, आज सदन में हमारे देश के वर्तमान हालात पर और खास करके जो आतंकवाद और हिंसा फैलाकर देश के अमन और शांति को भंग करने के प्रयास हो रहे हैं, उसके बारे में बड़ी गम्भीर और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। यह सदन और राष्ट्र आपके आभारी हैं कि आपने आज की चर्चा का प्रारम्भ स्वयं किया और सभी माम्यवर सदस्यों के लिए इस तरह का एक मार्गदर्शन किया जिसके फलस्वरूप आज की चर्चा का जो स्तर है वह राष्ट्रीय हो गया है और उसमें कोई भी राजनीतिक विवाद नहीं आया। सभी माननीय सदस्यों ने, चाहे वे सामने के बैंचों की ओर से या इस ओर से बोले हैं, एक ही चीज को सामने रखा है, वह है देश की अखण्डता, देश की एकता, मजबूती और देश वासियों के आपस में प्यार की चर्चा हमारी जन्मभूमि पंजाब के ऊपर हुई है। जाहिर है, क्योंकि पिछले तीन-चार सालों से पंजाब के वातावरण में जो उथल-पुथल रही है और पंजाब में जो घटनाएं घटी हैं, वे पंजाब के इतिहास के अनुकूल नहीं हैं।

पंजाब, भारतवर्ष का "सिंह द्वार" है। पंजाब हमारे देश का एक ऐसा प्रान्त है जिसका नाम लेकर हमारा राष्ट्रीय-गीत शुरू होता है। "पंजाब सिंध, गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा" तो जहां पंजाब के नाम से भारत वर्ष की चर्चा चलती है वहां आज हम उस प्रदेश में देख रहे हैं कि ऐसे घिनौने वाक्यात हो रहे हैं जिनमें से हैवानियत की बू आती है, जिनमें न कोई धर्म की बात है, न कोई सदाचार की बात है और न इंसानियत की बात है। मासूम लोगों जिनका राजनीति के साथ, किसी गुटबाजी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, उनकी हत्या के समाचार जब हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, तो कुछ क्षण के लिए शर्मिन्दगी भी हमें होती है कि क्या यह वही देश है जिस देश के बारे में प्रो० पूरण सिंह ने कहा था :

"छोटे वड्डे रांझड़े दे वीर सारे,
पंजाब सारा जीऊंदा है गुरू दे सहारे।"

उन्होंने कहा था कि पंजाब में चाहे कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, नौजवान हो, वे सब रांझे के छोटे भाई हैं और पंजाब के लोग एक गुरू के सहारे पर जीवित हैं। इसका मतलब यह था कि पंजाब के लोगों में एक दूसरे के ऊपर न्यौछावर होने की भावना थी। पंजाब के लोगों में एक दूसरे के ऊपर न्यौछावर होने की भावना के साथ-साथ गुरु नानकदेव जी के उद्देश्य का सहारा था तथा उसमें कभी हिन्दू सिक्ख और मुसलमान की बू ही नहीं होती थी।

डा० इकबाल ने गुरू नानकदेव के बारे में इतना सुन्दर लिखा था कि :—

आ गई शमे हकीकी फिर मिजाजे रंग में
वुस अर्तें पैदा लगी होने जहाने तंग में।"

गुरू नानकदेव जी के आगमन से ऐसा लग रहा था कि तंग दिल संसार बहुत विशाल हो गया है, बहुत बढ़ गया है, क्योंकि गुरुनानक देव जी का मिशन प्यार का मिशन था। उन्होंने पूरी इंसानियत को, पूरी मानवता को प्यार में शामिल किया। उस गुरू नानक देव जी के धर्म को, जिसको हम सिक्ख धर्म कहते हैं, उसी सिक्ख धर्म का नाम लेकर आतंकवाद की चर्चा की जा रही है और कहा जा रहा है कि सिक्ख आतंकवादी हैं, सिक्खों के बारे में राष्ट्र के प्रति, जिस प्रकार की सूचनाएं विदेशों के पत्रों में छप रही हैं, हमारे यहां भी छप रही हैं उनको पढ़कर हमें याद आता है वह गुरूनानक देव, वह गुरू गोविंद सिंह, जो हमें प्यार के गीत सिखाकर गए—

"सांच कहूं सुन लेहु सभी
जिन प्रेम कियो
तिनही प्रभु पायो"

आज उस सिक्ख धर्म के नाम से जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार का प्रचार अध्यक्ष महोदय पंजाब में हो रहा है और इंसानियत का खून हो रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि वह लोग, जो सिखी, पन्थ और सिख धर्म के नाम पर लोगों के जजबात से खेल रहे हैं, वह न सिर्फ इन्सानियत से, धर्म से, बल्कि सिख धर्म के पवित्र उसूलों से मीलों दूर हैं, उनका सिख धर्म के साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं।

हम आज के इस भारत वर्ष में एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जब कि भारत वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना स्थान ग्रहण करने की ओर बढ़ रहा है। आज दुनिया जानती है कि भारत

वर्ष जो आज से 30, 35 वर्ष पहले एक गुलाम देश था, एक कालोनी था आज दुनिया में सक्षम देश है, आत्मनिर्भर है। आज हमारे कृषि विकास में भारत की चर्चा सारे संसार में हो रही है। दुनिया के विकसित देश हमसे सीखने के लिए आ रहे हैं कि थोड़े से समय में भारत ने कैसे इतनी उन्नति की। आज भारत वर्ष केवल अपने देशवासियों की भूख ही पूरी नहीं कर रहा है बल्कि अगर अफ्रीका में या किसी दूसरे मुल्क के किसी हिस्से में कहत या अकाल होता है तो वहां भी आज भारत के प्रधान मंत्री भारत के किसानों का पैदा किया हुआ अनाज भेजकर वहां के लोगों की भूख दूर कर रहे हैं। भारत की यह छवि और अस्तित्व दुनिया को अखर रहा है। इसलिए बहुत सी भारत विरोधी शक्तियां इस बात पर तुली हुई हैं कि पंजाब में जम्मू-काश्मीर में तो पहले ही, यह दुर्भाग्य की ही बात है कि सारी ऐसी गतिविधियां हमारी सरहदों पर हो रही हैं चाहे पूर्वांचल हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो। हमारी उत्तर की सरहदों पर काश्मीर, पंजाब है। इससे क्या सिद्ध होता है ?

इससे साबित होता है कि पंजाब एक अखाड़ा बनाया जा रहा है, देश के टुकड़े-टुकड़े करने के लिए केन्द्र बनाया जा रहा है और उसमें भी खासकर देश के उस कक्ष को, उन लोगों को लिया गया है जिन पर यह फख्र था, जो मान करते थे कि देश की आजादी में उनका सबसे ज्यादा हिस्सा है। यह सही है।

मुझे याद है, अकाली लहर का इतिहास है। अकाली लहर देश भक्ति की प्रेरणा से ओत-प्रोत लहर है। अकाली लहर का देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो जेहाद हुआ, उसमें उनका जो हिस्सा है, वह किसी से कम नहीं है। उस लहर में भी एक ऐसा माहौल आया, एक दौर आया जबकि 1923-24 में बब्बर अकाली नाम से एक लहर उठी थी। वह बड़ी शुद्ध भावना से उठी थी, मगर उनका रास्ता आतंकवाद का था।

अध्यक्ष महोदय, उस वक्त भी, उस वक्त के अकाली दल ने शिरोमणि कमेटी ने न सिर्फ रैज्यूलूशन पास किया बब्बर अकालियों के खिलाफ, बल्कि उन्हें वार्निंग दी। जो मेरे हाथ में पुस्तक है, यह ज्ञानी प्रताप सिंह की लिखी हुई है जो इस आतंकवाद का शिकार हुए, जो कि हमारे अकाल तख्त के जत्थेदार थे। उनका यह डाक्यूमैंट छपा है, उन्होंने लिखा है कि कैसे 1923-24 में शिरोमणि अकाली दल ने, और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने तमाम डिस्ट्रीक्ट यूनिट्स को वार्निंग लिखी थी कि हम मानते हैं कि अकाली बब्बर मूवमैंट की प्रेरणा शुद्ध है, मगर जो रास्ता इन्होंने इख्त्यार किया हुआ है वह रास्ता हम डिस्कार्ड करते हैं और उन्होंने अपनी अकाल यूनिट्स को, सबको कहा था कि कोई भी इनका साथ न दे। हालांकि वह जो देश-भक्तों के खिलाफ गवाही देते थे, देश भक्तों के बारे में सूचना देते थे, उनको मारते थे, लेकिन फिर भी अकाली पार्टी ने शिरोमणि कमेटी ने यह मुनासिब समझा कि क्योंकि यह सिख धर्म के उसूल के खिलाफ है, सिख धर्म के उसूल तशदुद नहीं सिखाते हैं, बल्कि गुरु नानक देव का कहना यह है कि—नानक हिंसा आदमी बद्धे जमपुर जाये। जो आदमी हिंसा करता है, उसको यमराज पकड़कर नर्क में गिरा देते हैं। यह गुरु नानकदेव का उपदेश है कि जो हिंसक है, उसके लिए मानवीय समाज में कोई स्थान नहीं है। उसको न केवल इस संसार में, बल्कि उसको दूसरे संसार में, परलोक में भी जगह नहीं मिलती है। कैसे वह लोग सिख हो सकते हैं जो उस गुरु नानक-

देव का नाम लेकर आज आतंकवाद की बात कर रहे हैं ? जिस गुरु नानक देव ने यह कहा था कि हिंसा की कोई जगह सिखी के मिशन में नहीं है, सिखी के प्रचार में नहीं है । उस वक्त के अकाली दल ने और शिरोमणि कमेटी ने अपने डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को वार्न किया था कि कोई भी आदमी ऐसे तत्वों को सहारा नहीं देगा । कोई पनाह न दे, कोई सहायता न करे । आज का जो शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी है, क्या वह इससे सबक सीखेगी । मैं किसी भावना से प्रेरित होकर नहीं कह रहा हूं क्योंकि जैसा कि हमने पिछले 3-4 महीनों में पंजाब के हालात को देखा है, उसे देखकर दुख होता है ।

जब पंजाब सितम्बर के महीने में इलेक्शन के दौर में जा रहा था उस वक्त हमारे राष्ट्र के नेता श्री राजीव गांधी जी ने लोगों के नाम जो एक संदेश दिया था, जिसका थोड़ा-सा उल्लेख श्री अर्जुन सिंह जी ने भी किया, मैं उसका थोड़ा टेक्स्ट पढ़कर बताना चाहता हूं । उनके मन में कितनी गहराई थी, खासकर पंजाब के लोगों के प्रति कितना विश्वास था, उससे इस बात का साफ पता चल जाता है । उनसे जब प्रश्न हुआ कि आप कैसे पंजाब में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं ।

[अनुवाद]

"या तो सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को शक्तिशाली बनाकर आतंकवाद की चुनौती का सामना करें अथवा वे पंजाब में आतंकवाद और उग्रवाद के सामने वे हार मान लें । अन्य सब सब बातें गौण हैं । अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रयासों का परिणाम नगण्य कैसे हो सकता है । कौन जीतता है अथवा कौन हारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । असली बात यह है कि प्रजातन्त्र का दीपक बुझे नहीं । असल बात भारत की विजय ही है ।"

[हिन्दी]

भारत की एकता, भारत का अस्तित्व उस वक्त सबके सामने था, जबकि प्रधान मंत्री ने यह शब्द कहे । खुशी की बात है कि पंजाब के लोग, जो कि पिछले 3-4 वर्षों से ऐसी गतिविधियों के नीचे पीस रहे थे और पंजाब जख्मों से भरा से भरा हुआ था, उस वक्त पंजाब के केवल सिखों ने ही नहीं बल्कि सारे पंजाब के लोगों ने एक जुबान होकर एक सरकार कायम की ।

अभी-अभी प्रोफेसर दंडवते साहब ने कहा कि बादल साहब, तोहड़ा साहब और बरनाला साहब को एक होना चाहिए था । यह उनकी पार्टी का अन्दरूनी मामला है । इसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते । यह उनका अपना काम था, मगर एक बात जरूर है कि सन्त लोंगोवाल जी ने जिस भावना से प्रेरित होकर राजीव जी के साथ समझौता किया, उस वक्त उनके मन में भी वही भावना थी जिसका उल्लेख प्रधान मंत्री जी ने अपने बयान में किया था । कुछ शक्तियों ने अकाली दल के अन्दर रहते हुए भी उस समझौते का विरोध किया । सन्त लोंगोवाल जी केवल अकाली पार्टी के प्रधान ही नहीं थे बल्कि वह उस वक्त अकाली पार्टी के डिक्टेटर माने हुए थे । इस बात को पार्टी ने स्वयं माना था । उस समय कोई वर्किंग कमेटी नहीं थी, कोई डिस्ट्रिक्ट यूनिट नहीं थी, वह सर्वेसर्वा थे और उनके किए हुए उस समझौते के ऊपर अकाली दल के बहुत बड़े-बड़े नेताओं ने ववशचन किया । इसका मायने यह था कि पार्टी का एक स्वर नहीं था । यदि पार्टी का एक स्वर नहीं था तो जो उनके उत्तराधिकारी हुए, जो पार्टी के सर्वेसर्वा बने, उनका फर्ज था कि या तो उन्हें साथ लेकर चलते या उन विचारों के लोगों को पंजाब निर्माण में, पंजाब के भविष्य के बारे में, जिन्होंने खुलेआम समझौते का विरोध

किया था, उनको सिंगल आउट करना चाहिए था ताकि पंजाब सरकार ने जो वातावरण अपने हाथ में लेना था, उसको पूरी तरह, पूरे अख्तियार से सम्भाल सकें। इसके बिल्कुल विपरीत हुआ, वैसे तो यह उनकी पार्टी का अन्दरूनी मामला था, न जाने कैसे इसका समाधान हुआ, टिकटें बंटी, सभी विचार के लोगों को टिकटें मिलीं और एक सरकार बनी। इस प्रकार उस सरकार का समर्थन होना चाहिए था, उस सरकार को पूरी तरह से शक्ति मिलनी चाहिए थी। वह सरकार एस. जी. पी. सी. में रूलिंग और पंजाब में भी रूलिंग पार्टी थी। होना यह चाहिए था कि जैसे ही पंजाब के अन्दर एक रूलिंग पार्टी हुई, एक ड्यूली कांस्टीच्यूटिड गवर्नमेंट हुई तो उनको ऐसे कदम उठाने चाहिए थे जिससे पंजाब के अन्दर जो वातावरण दुखित हो चुका था, उसमें सरलता कैसे आती। न कि शिरोमणी कमेटी के पहले ही यह पास कर दिया जाता कि फलां चीज को गिरा दो या अकाल तख्त को गिरा दो। यह उनका एक अन्दरूनी मामला है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, वह गिराना चाहते तो बड़ी खुशी से गिराते, लेकिन उसके लिए कोई प्रोसैस होना चाहिए ताकि लोगों के मन में एकता, शान्ति और प्यार आ जाए। उसके बाद जैसा जी चाहे करें, कोई रोक नहीं सकता था।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : आपके ये सब बातें क्यों कर रहे हैं ?

सरदार बूटा सिंह : तो फिर मैं बैठ जाऊं ? कम-से-कम हमें उन कुछ कारणों पर तो गौर करना ही चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है।

[हिन्दी]

तो उस वक्त चाहिए यह था कि इस तरह का वातावरण पैदा किया जाता। उसके बाद वह तो मालिक हैं, एस जी पी सी को कौन रोक सकता था और मेरी सूचना यह है कि पंजाब सरकार ने उस वक्त ऐडवाइस भी किया था कि let us go slow, मगर उनकी बात नहीं सुनी गई।

श्री चरनजीत सिंह वालिया (पटियाला) : सरदार जी, आप बोलिए, आपको को क्या करना चाहिए था ?

श्री सरदार बूटा सिंह : जो हमें करना चाहिए था वह सारी दुनिया जानती है। मेरा शुरू से एक मत रहा है और मैं इस मत का हूं कि सिख जैसा वफादार हिन्दुस्तानी कोई नहीं है। सिखों की सेवा चाहे वह आजादी में थी, चाहे वह देश के विकास में हो चाहे वह आज है, मैं ऐसा मानता हूं अपने भाइयों के मुकाबिले में वह सबसे आगे हैं…

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : किसी से कम नहीं हैं ऐसा बोलिए।

सरदार बूटा सिंह : किसी से कम नहीं हैं और मैंने इसी भावना से प्रेरित होकर जो कुछ भी किया है वह सेवा के लिए किया है। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे भाइयों ने इस भावना को धर्म के नाम से—राजनीति के नाम से किया होता तो मुझे कोई डर नहीं था, राजनीति सब का हक है, कर लें—मगर ऐसे ऐसे मासूम लोगों को इसमें फंसाया जिनको कुछ भी मालूम नहीं था कि पंजाब में कैसी सियासत चल रही है। जो प्रदेशों में बैठे हुए हैं, हमारे दूसरे प्रान्तों में बैठे हुए हैं उनको कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, खाली सिक्खी की भावना से प्रेरित होकर एक ऐसे माहौल में वह फंस गए जिससे उनको बड़ी मुसीबतें आईं जिसका सारा देश चाहे

उसमें अकली दल हो चाहे पार्टियां हों सारे आज उसका मुकाबिला कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो मतलब कहने का यह है कि हमें पंजाब में हालात ऐसे पैदा करने चाहिए थे जिससे अन्दरूनी मसले पंजाब सरकार भी हलकर सकती थी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी भी हल कर सकती थी। वह सक्षम थे। उनके सामने दूसरी कोई ताकत ही नहीं थी। मगर ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से जो उपद्रवी, उग्रवादी, देश-विरोधी, देश के दुश्मन तत्व थे उनको सहारा मिला। यह मेरा कहने का मतलब है। अगर शिरोमणि कमेटी और पंजाब की सरकार ऐसे तत्वों को आइसोलेट करती न कि उनको उसी तरह से सम्मेलन करने की इजाजत देती जबकि पूरी तरह से उनका कब्जा है पूरे प्रांगण के ऊपर, पूरे काम्पलेक्स के ऊपर और मालूम है कि यही वह तत्व हैं कि जिनकी वजह से परेशानी हुई, चाहे वह लोंगोवाल जी की हत्या हुई चाहे वह उग्रवादियों की दूसरी कार्यवाहियां हुई, जानते हुए भी जो इस तरह का वातावरण निरन्तर बढ़ते जाने की इजाजत दी गई उसके मैं खिलाफ हूं। पंजाब सरकार को, अकाली नेतृत्व को यह बात समझ लेनी चाहिए थी। यह बात समझने के लिए आप को कोई बहुत हादसा नहीं चाहिए था कि आनन्दपुर साहब में आप इकट्ठे हों और आप पर गोली चले। यह मेरे कहने का मतलब था। हमें सोच लेना चाहिए था कि जब हम पंजाब के अन्दर यह जिम्मेदारी ले कर चले थे, पंजाब का भविष्य हमें बनाना है तो उस वक्त बड़ी खुशी के साथ आप जो जी चाहे करते, आपका अन्दरूनी मसला था, कोई आपत्ति नहीं थी, मगर इन तत्वों को आपको आइसोलेट करना चाहिए था। मैं आज भी मानता हूं कि ये तत्व किसी भी प्रांत में हो सकते हैं और सबसे बुरी बात आतंकवाद में यह हुआ करती है कि उनका मुकाबिला गोली से नहीं किया जा सकता जब तक देशवासी उनको आइसोलेट नहीं करेंगे।

क्या बात है ? वही पंजाब है, जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही थी तो पाकिस्तान के घुसपैठिए छाताधारी पंजाब में उतरे थे, पैराशूट से उतरे थे, एक भी बचकर नहीं निकला था। पंजाब के लोगों ने एक-एक को पकड़कर मारा था। आज पंजाब के लोग नहीं समझ रहे हैं कि वही घुसपैठिए जो पाकिस्तानी थे, आज वे स्वयं छतरी से नहीं उतर रहे हैं, आज वे पंजाब के लोगों को गुमराह करके, पैसा देकर, हथियार देकर वही कुछ करवा रहे हैं जो खुद करना चाहते थे। इसलिए मैं मानता हूं कि देश के दुश्मनों को जिस पंजाब के लोगों ने उस वक्त पकड़ पकड़कर मारा था, एक भी पाकिस्तान का घुसपैठिया पंजाब में कोई काम नहीं कर पाया था आज वही पंजाब के लोग हैं, आज क्यों नहीं ऐसा होता है ? आज क्यों उनको सहारा मिल रहा है, छिपने के लिये जगह मिल रही है, उनके लिए रसद जाती है, उनके लिए सब कुछ सामान मिलता है। जिस दिन पंजाब के लोग और विशेपकर के मैं कहूंगा कि सब से बड़ी जिम्मेदारी अकाली नेतृत्व के ऊपर है, अकाली दल की लीडरशिप के ऊपर है क्योंकि उनके हाथ में पंजाब का पूरा शासन है और उनको चाहिए कि इस बात का लिहाज किए बगैर, आज जैसा, अर्जुन सिंह जी ने कहा उन्हें दुख हुआ कि पंजाब के अन्दर फिरकापरस्ती की भावना देखने को मिल रही है, सन1980 से चल रहा है पंजाब में यह माहौल। लेकिन यह बात आज तक कभी नहीं हुई थी, तब भी जबकि मोर्चा लगा था। मोर्चे में बहुत सी छुटपुट घटनायें हुई लेकिन कहीं भी हिन्दु सिख फसादात नहीं हुए। लेटेस्ट अब उग्रवादियों ने, देश के दुश्मनों ने एक नया मोर्चा खोला है हिन्दू और सिखों को लड़ाने

का। लेकिन मैं मानता हूं पंजाब के लोगों में सहनशीलता है, इस षडयन्त्र में पंजाब के लोग नहीं फसेंगे, पंजाब के लोग इस साजिश में हरगिज नहीं फसेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था चाहे हिन्दू हों, चाहे सिख हो चाहे मुसलमान हों सभी को गुरु के ऊपर भरोसा है, गुरू की वाणी को सारे लोग एक ही आदर के साथ, एक ही सत्कार के साथ पूजते हैं इसलिए पंजाब में यह बात होने वाली नहीं है। यह जो पंजाब में एक नया दौर चला है, हिन्दू और सिखों को लड़ाने का, यह दौर चल नहीं सकता है। कौन भूलेगा गुरु तेग बहादुर जब शहीद हुए थे तो उनके दाहिने और बायें शहीद होने वाले हिन्दू थे—भाई मतीदास जी और भाई सतीदास जी। इसलिए यह कैसे हो सकता है? इसलिए मैं विश्वास करता हूं पंजाब में शांति, ऐकता, एक दूसरे पर भरोसा, एक दूसरे पर न्योछावर होना—ये भावनायें गुरु महाराज की वाणी की वजह से कायम हैं। यह संसार नष्ट हो सकता है मगर गुरुवाणी नष्ट नहीं हो सकती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि पंजाब के लोग जिनका एक शानदार इतिहास है अब इस हालत में भी, जिस क्षेत्र की सेवा मैं कर रहा हूं कृषि की, उस क्षेत्र में भी मैं कह सकता हूं पंजाब के किसान ने पिछले 4-5 सालों में कृषि के विकास में जो अपना योगदान किया है जो उसका हिस्सा रहा है उस क्षेत्र में तो मैं कह ही सकता हूं कि वह सबसे आगे हैं। अनाज पैदा करने में पंजाब का किसान सबसे आगे है। उसका हमने पूरा-पूरा साथ दिया है। चाहे स्पेशल बोनस देने की बात उठी या उनकी फसलों को स्प्रे करने की बात उठी या वहां पर बाढ़ आई तो हमारे प्रधान मन्त्रीजी ने उनकी दिल खोलकर सहायता की। ये सारी चीजें साबित करती हैं कि पंजाब के लोगों के दिल की तह में देश की एकता, देश का प्यार है और देश की हिफाजत के लिए पंजाब के लोग हमेशा तैयार हैं। कोई भी शक्ति, कोई भी देश का दुश्मन पंजाब के लोगों को कमजोर नहीं कर सकता है।

इसलिए में उम्मीद करता हूं कि हमारी इस वक्त की पंजाब में रूलिंग पार्टी, हमारे अकाली भाई अपने इतिहास को स्वयं देखें और उस इतिहास में जो उन्होंने देश की एकता के लिए, देश की आजादी के लिए प्राप्तियां की हैं, जो उसकी सिद्धि है उसको याद करें और उसी तरह से पंजाब की सेवा करें जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुसाहबान ने, हमारे शहीदों ने, हमारे देशक्तों ने की है। मैं उम्मीद करता हूं जैसे इस सदन में आज एक स्वर होकर प्रधानमन्त्री जी ने पूरे राष्ट्र में बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ लेकर प्रेरणा दी है। आज यह सवाल केवल पंजाब का नहीं है, यह पंजाब के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वह पूरे देश के साथ हो रहा है, पंजाब कमजोर है तो देश कमजोर, इसलिए पंजाब को मजबूत करना प्रत्येक माननीय सदस्य का काम है, प्रत्येक राजनीतिक दल का काम है। और जैसा हमारे अरुण नेहरू जी ने कहा है केन्द्र की तरफ से पंजाब को, पंजाब के लोगों को पूरा-पूरा समर्थन है। केन्द्र की तरफ से, जैसा मैंने अभी अभी कृषि के क्षेत्र की बात की है, पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की समग्रता के लिए, पंजाब की मजबूती के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए हमेशा केन्द्र ने पहले भी और आइन्दा के लिए भी पंजाब की सहायता करेगा। पंजाब हमेशा केन्द्र से सहानुभूति लेगा, हमेशा केन्द्र से सहायता लेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जैसे एक स्वर होकर माननीय सदस्यों ने पंजाब के बारे में चिन्ता व्यक्त की है और पंजाब की एकता के बारे में, मैं मानता हूं पंजाब के लोग यह साबित करेंगे जैसा कि उन का इतिहास रहा है वैसे ही पंजाब में एकता, मोहब्बत और प्यार कायम रखेंगे। धन्यवाद।

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में व्याप्त आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध समूचा राष्ट्रचिन्तित है। आशा की जाती थी, विश्वास था जब प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी जी ने हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ सन्त लोंगोवाल के साथ समझौता किया था कि अब पंजाब में निर्वाचन के लिए तथा चुनी हुई सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। अकालियों के द्वारा प्रस्तुत बहुत सी मांगों को उन्होंने स्वीकार किया। आशा की जाती थी कि उस समझौते के बाद पंजाब में शांति स्थापित हो सकेगी, लेकिन उसके तुरन्त पश्चात् जिस प्रकार से संत लोंगोवाल की हत्या की गई, उससे यह बात स्पष्ट हो गई कि आतंकवाद अभी जड़मूल है, समाप्त नहीं हुआ है। हाल के चुनाव में पंजाब की जनता ने आतंकवाद का विरोध स्पष्ट कर दिया। चुनाव से यह भी जाहिर हुआ कि वहां की आम जनता इन नीतियों के विरुद्ध है। इन बातों के खिलाफ है या उन लोगों के विपरीत है, जो आतंकवाद या उग्रवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

नई सरकार बनने के बाद, जैसा कि इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने कहा और पंजाब के तत्कालिन राज्यपाल, श्री अर्जुन सिंह जी, ने भी विचार व्यक्त किए। उस समझौते में ग्यारह शर्तें थीं, लगभग सभी बातें पूरी कर दी गई हैं। अगर दो पूरी नहीं हुई तो उसमें भी इस बात की कमी नहीं थी कि भारत सरकार या प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी, ने कोई कसर बाकी रखी। उनकी तरफ से पूरा प्रयास हुआ, उनकी शर्तों को पूरा किया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से वे पूरी नहीं हो सकीं। उसमें एक शर्त चंडीगढ़ का तबादला, उसके साथ हरियाणा को हिन्दी क्षेत्र का तबादला होना था। जो कमीशन बना, वह कोई फैसले पर, नतीजे पर नहीं पहुंच सका, लेकिन उसके बाद हरियाणा में जो कुछ हो रहा है, अभी प्रो० दंडवते ने उसकी चर्चा की है। मैं समझता हूं कि हरियाणा में वातावरण बनाने का बहुत कुछ कार्य आज विरोधी दलों के हाथ में है। विशेष करके जिस प्रकार से एक दल ने "समस्त हरियाणा" का आयोजन किया, भावनाओं को भड़काने का काम किया, उससे आशंका उत्पन्न होती है कि हरियाणा में उस समझौते को लागू करने की आशंका है। हालांकि प्रधान मंत्री ने बराबर इस बात का विश्वास दिलाया है कि वे हरियाणा के हितों और राजस्थान के हितों की बराबर रक्षा करेंगे। वह आश्वासन मैं समझता हूं कि पर्याप्त है। अभी नदी जल-विवाद के बारे में भी हाल में यहां से संशोधन स्वीकार हुआ, लेकिन अगर उस समझौते में कोई कमजोरी दिखाई देती है, तो मुझे यह दिखाई देता है कि पंजाब की वर्तमान सरकार उस समझौते को पूरा करने के लिए तत्पर नहीं दिखाई देती है। समझौता अगर लागू होगा तो पूरे तौर से पूरा समझौता लागू होना चाहिए था। उसमें नदी जलविवाद के सिलसिले में जो सतलुज-जमुना लिंक नहर का निर्माण है, उस तरफ पंजाब की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, इस पर उन्हें विचार करना चाहिए।

मान्यवर, पंजाब में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी आतंकवाद को समाप्त करने की जिम्मेदारी, इसका दायित्व स्पष्टतया वहां की सरकार पर है। इसलिए वहां की सरकार इसको समाप्त करने के लिए कोई भी तरीका अख्तियार कर सकती है। मैं सरदार बूटा सिंह जी की इस बात से सहमत हूं और कदाचित समूचा राष्ट्र इस बात को बड़ी आशंका के साथ, चिंता के साथ देख रहा है कि पंजाब की सरकार दृढ़ता के साथ आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला जिस

प्रकार से करना चाहिए था, उस तरह से नहीं कर रही है। वह ढिलाई कर रही है जिस प्रकार से गुरुद्वारों में उग्रवादियों को घुस जाने दिया; उनका कब्जा हो जाने दिया और जिस प्रकार से गांव-गांव में, रागियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से आतंकवादी परिच्छन्न रूप से घूम रहे हैं और पुलिस कोई भी कदम उठाने से पीछे हट रही है, उठा नहीं पा रही है। ये बातें ऐसी हैं, जिनकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार के ऊपर है। भारत सरकार की तरफ से पूरा-पूरा समर्थन दिया जा रहा है। इसका विवरण अभी राज्य गृह मंत्री महोदय ने यहां पर रखा है, हम उसके लिए इनकी सराहना करते हैं। भारत सरकार जो कुछ कर सकती है, जिस प्रकार से साधन दे सकती है, चाहे अर्द्ध सैनिक बल के आधार पर अथवा कोई मैटिरियल दे सकती थी, कोई जानकारी दे सकती थी, वह सारे साधन उपस्थित कर रही है। लेकिन उन सिद्धांतों का उपयोग करना,

7.00 म. प.

उन सिद्धान्तों की सहायता से आतंकवाद का पर्दाफाश करना और उग्रवादियों को आइसोलेट करना यह पंजाब सरकार का कार्य है। एक तरफ तो राज्य अधिकार चाहते हैं जो उनके अधिकार-क्षेत्र में आते हैं और दूसरी तरफ अपने दायित्व को नहीं निभाते हैं। मैं समझता हूं कि पंजाब की सरकार को इस मामले में ढिलाई नहीं करनी चाहिए।

एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं। यह कहा गया और पंजाब के मुख्य मंत्री ने भी कहा कि विदेशी ताकतें आतंकवादियों का भरण-पोषण करती हैं और उग्रवादियों को ट्रेनिंग देते हैं और उनकी सहायता करती हैं और वहां से यहां भेजती हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि पंजाब की सरकार उग्रवादियों की घुसपैठ पर रोक क्यों नहीं लगाती। क्या उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि उग्रवादियों को पाकिस्तान से यहां न आने दे। यह दुनिया की राजनीति है कि हर देश दूसरे देश की कमजोरियों का फायदा उठाना चाहता है। इसको वह अपना अधिकार मानता है कि जो हमारा विरोधी देश है, उसको कमजोर करें और वहां पर कूटिनीतिक चालें चलें। जिस तरह से गुप्त एजेंसिन्यां दुनिया में काम कर रही हैं, उन गुप्त एजेन्सियों का मुकाबला करना, उन पर रोकथाम लगाना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं चाहूंगा और विशेष तौर से भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि वह पाकिस्तान और पंजाब की सीमा को इस प्रकार से सील करे, उसके लिए जो भी उन्हें प्रयास करना पड़े और जो कदम उठाने उठाने पड़ें, वह उठाए और इस तरह से सीमा को सील करें कि वहां से एक भी आदमी यहां घुसने न पाए। जो भी कीमत उसके लिए देनी पड़े, वह दे। पाकिस्तान से विरोध प्रकट करना और साम्राज्यवादियों की निंदा करना, जैसा कि कई मित्र रट लगाते रहत हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। हम को अपने बल पर खड़ा होना है और अपनी ताकत से रक्षा करनी है और उसका मुकाबला करना है और अगर हम नहीं कर सकते हैं, तो उनको दोष देने मात्र से काम नहीं चलेगा।

एक बात और कहना चाहता हूं। जो आतंकवाद में लीन हैं या जिन को पकड़ा जाता है, उनका मुकाबला, मैं समझता हूं, दो प्रकार से होना चाहिए। एक तो राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए। गांव-गांव में जिस प्रकार से चुनाव में प्रचार हुआ और जनमत को अपनी तरफ किया, वही बात होनी चाहिए। जनमत उनके विपरीत पैदा किया जाए और सारे प्रदेश में एक वातावरण बनाया जाए कि सब लोग जहां भी किसी आतंकवादी को देखे, उसको पकड़वाने के लिए

आगे आएं और सहयोग दें। दूसरी तरफ ताकत के बल पर आतंकवाद को रोका जा सकता। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। जब बंगाल में उग्रवाद, नक्सलवाद बढ़ रहा था, तो उस व्यक्ति ने, जिस को अब गवर्नर बनाया गया है, वहां पर उस समय ऐसा किया था। और ताकत के बल पर और जनमत को भी जागृत करके उसको दबाया था। आप अगर हथियार डाल देंगे, तो आतंकवादी हावी हो जाएंगे। मुझे आशा है कि आतंकवाद को समाप्त करने में ताकत पूरी तरह से इस्तेमाल होगी।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): आशा बंधी है।

एक माननीय सदस्य : खालिस्तान के संबंध में ?

[हिन्दी]

श्री श्याम लाल यादव : खालिस्तानी अगर इस तरह से उभरते होंगे, तो उनको दबाना पड़ेगा, और सख्ती के साथ दबाना पड़ेगा और जनमत को भी जगाना पड़ेगा और शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ेगा। मुझे आशा है और सारे देश को आशा है कि प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी इस में सफल होंगे। हम इस बात के विरोधी हैं कि वहां की सरकार को हटाया जाए। प्रधान मंत्री में शक्ति है और क्षमता है और पंजाब की सरकार को वे सहायता दे रहे हैं लेकिन मैं यह चाहूंगा कि वे उनको इस प्रकार से प्रेरित करेंगे और उन पर अपनी बातों का असर डालेंगे कि वे स्वयं आगे आ कर आतंकवाद का मुकाबला राजनीतिक स्तर पर भी करें और सामाजिक स्तर पर भी करें और ताकत के बल पर भी करें।

एक अन्तिम बात यह कहना चाहता हूं। किसी सज्जन ने कहा कि पंजाब में बेकारी की समस्या है। पंजाब की समस्या तो उसकी समृद्धि है। आज देश में सबसे अधिक आमदनी पंजाब में है। पंजाब में जितना उत्पादन है, जितनी नौकरियां हैं, उतनी कहीं नहीं हैं। विदेशों में रह कर जितना लोग अर्जित करते हैं उतना हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं करते। इसलिए अगर समृद्धि है, तो उससे उसको नुकसान भी है। मैं समझता हूं कि पंजाब में धर्म और राजनीति का सम्मिश्रण वहां की समृद्धि का अनिवार्य नतीजा है। इसलिए उस समृद्धि को ध्यान में रखकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाए और पंजाब का जो इतिहास गाया जाता है, उस इतिहास को वह स्मरण करें। पंजाब में बाहर से जाकर लोग काम करते हैं और वहां श्रम करने वाले नहीं हैं।

इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि प्रधान मन्त्री जी ने जिस हिम्मत और दिलेरी के साथ यह समझौता किया, उसी प्रकार से पंजाब से आतंकवाद को समाप्त करने में सफल होंगे और समूचा देश उनके इस प्रयास में उनके साथ होगा।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : स्पीकर साहब, आज हम बहुत गम्भीरता से, इस देश के सामने उत्पन्न, इतिहास की बहुत बड़ी चुनौती-उग्रवाद से देश को खतरा—पर विचार कर रहे हैं। यही नहीं, समस्त देश की नजरें आज इस हाऊस की तरफ हैं कि इस हाऊस के सदस्य देश के इन ऐतिहासिक क्षणों में क्या रुख अपनाते हैं।

अकाली दल हिस्ट्री हमेशा अहिंसा के लिए मर-मिटने, डिसीप्लीन में रहने, देश भक्ति और देश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने की रही है। इसीलिए पण्डित जवाहरलाल नेहरू अकाली दल के मोर्चे में भाग लेते हुए कैद हुए, पंडित मदनमोहन मालवीय, जब वे कांग्रेस के प्रेजीडेंट थे तो उन्होंने हिस्ट्री में लिखा था कि हर घर में से एक सिख होना चाहिए जो देश के लिए कुर्बानी करे। इसी तरह मौलाना आजाद जी ने और पट्टाभि सीतारमैय्या जी ने 1920 और 1922-23 में बड़ी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद देश की आजादी के लिए जो हमने काम किया उसकी तारीफ की और राष्ट्रपिता महात्मागांधी जी ने हमें एक टेलीग्राम भेजा था। वह वह टेलीग्राम अब शायद जल गया होगा, वह अकाली दल के रिकार्ड में था जिसमें उन्होंने लिखा था कि गुरुद्वारों की मूमेंट देश की आजादी का शुभ सगुन है, यह चीज महात्मा गांधी जी ने कही थी।

इसलिए मैं समझता हूं कि आज अकाली दल की गवर्नमेंट, गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज गुरु नानक जी महाराज, भगवान कृष्ण, भगवान राम, देश की गंगा, जमुना और भारत की पवित्र संस्कृति का विरसा साथ लेकर आज पंजाब में सेवा कर रही है। जितने भी यहां नेतागण, एम० पीज० बोले, सभी ने अकाली दल की ईमानदारी, वफादारी और संजीदगी की तारीफ की। हमारे साथ कुछ मजबूरियां रह सकती हैं। (व्यवधान) हमारी कुछ कमियां रह सकती हैं।

अभी मैं कह रहा था कि यह मुसीबत जिसमें हम सारे फंसे गए हैं, 1980 में शुरू हुई। हमने इसकी दूर करने की बहुत कोशिश की। मैं आपको बताऊं, पंजाब में अभी तो आपने किसी शहर में देखा, हमने ऐसा समय भी देखा जब तमाम पंजाब में कर्फ्यू लगा हुआ था, कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीफोन सब बंद था। कम्युनिकेशन के अलावा गांवों तक में कर्फ्यू लगा हुआ था। कोई चीज मूव नहीं कर सकती थी। रिक्षा और साइकिल तक नहीं चल सकती थी। फौज के हवाले पंजाब को कर दिया गया था। लेकिन मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की। यह क्यों हुआ? इसके लिए भी हमको सोचना है।

मैं आपको बताऊं कि देश की एकता और अखण्डता हमें भी उतनी ही प्यारी है जितनी कि किसी भी भाई को और प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर यहां बैठे हैं। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जब भी हमारी पार्टी के सदस्य यहां बहस में हिस्सा लेते हैं तो यही कोशिश करते हैं कि एक-एक लफ्ज ऐसा बोला जाए जिससे कि कोई दूसरा अन्दाजा न लगाया जाए। इसकी हमें फिक्र रहती है।

जब ब्लू स्टार आप्रेशन हुआ, तब मैं भी अन्दर था। पांच जून की शाम के 6 बजे मैं की लोंगोवाल जी के पास बैठा था। उस वक्त तीन आदमी सेल्फ लोडिंग राईफल्स लेकर लोंगोवाल जी के कमरे में घुस आये। उनके पास एक मैं था, यह बात कभी देश के सामने नहीं आई। उनके पास एक मशीन थी, छोटी सी मशीन जैसे कि ट्रांजिस्टर होता है, उन्होंने कहा लोंगोवाल जी को कि संत जी, खालिस्तान का ऐलान कीजिए। ये भारत की फौज आक्रमणकारी हो चुकी है, उस वक्त का माहौल मैं बता सकता हूं, गोलियां चल रही हैं, बम बरस रहे हैं, कम्युनिकेशन टूट चुका है, साथ कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं, लेकिन मैं दाद देता हूं संत जी की, संत लोंगोवाल ने कहा देखिए भाई, आप मुझे गोली मार सकते हैं, लेकिन खालिस्तान के ऐलान की बात मैं

नहीं करूंगा। यह बात उन्होंने तब भी कही। मैं जामिन हूं, मौजूद था और उस वक्त वे लोग हमारा कुछ भी कर सकते थे। इसलिए मैं देश को बताना चाहता हूं कि हमारे खून का आखिरी कतरा भी इस देश की एकता के लिए है और रहेगा और मैं यह भी कहता हूं जैसा अभी श्री अर्जुनसिंह जी ने कहा कि एक्सेसिव यूज आफ फोर्स शायद इलाज नहीं कर सकती। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ बातें सामने नहीं आ रहीं, कुछ चीजों को अच्छी तरह देखा जाए, कुछ अच्छे आस्पेक्ट्स भी हैं। पंजाब में 12800 गांव हैं और उनमें से 11000 गांवों में सिक्खों की आबादी 90 परसेंट है। गांव शहर से 10-10 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन उन गांवों में, अरुण नेहरू जी के पास डाटा होगा, आज भी उन गांवों में कम्युनल टेंशन नहीं है। पंजाब के हर गांव में हिन्दू भाई दुकानदारी करते हैं, 7-8-10 दुकानें हैं गांवों में छोटी-छोटी, लेकिन किसी पर गांव के लोग अटैक नहीं करते। अटैक आर्गनाइज्ड लोग करते हैं और अटैक करके चले जाते हैं, लेकिम शहरों में जहां सिक्ख माइनारटीज में हैं, वहां मालूम नहीं कैसे यह सब हो रहा है, इसको देखना होगा। मैं हर बात की गारंटी नहीं लेता, लेकिन हमें देखना होगा कि वहां क्यों गड़बड़ी होती है, जहां मेजारिटी हिन्दुओं की है मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देखिए कि वे चाहते क्या हैं, एक्स्ट्रीमिस्ट्स चाहते क्या हैं मैं कभी-कभी कहता हूं, इंटरवीन हम करते हैं, हमारी पार्टी करती है, एक्स्ट्रीमिस्ट्स चाहते क्या हैं यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। एक्स्ट्रीमिस्ट्स चाहते हैं कि इस देश के टुकड़े हो जायें। एकस्ट्रीमिस्ट्स चाहते हैं कि पड़ोस का कोई देश जो भारत का दोस्त नहीं है, उसका डिजाइन पूरा हो जाए बदला लेने का, एक्स्ट्रीमिस्ट्स चाहते हैं कि बरनाला गवर्नमेंट का कांटा निकल जाए और सिक्स वर्सेस हिन्दुस्तान एक झगड़ा चल पड़े, हिन्दुस्तान के लोग इस बात को समझ लें। इस झगड़े से वे लोग कह सकें कि लड़ाई सिक्स वर्सेस हिन्दू गवर्नमेंट है, ये उनके लफ्ज हैं, मेरे नहीं, वे यह चाहते हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि एक-एक कदम, एक-एक पांव, एक-एक बात देश के लिए सोचिए। मेरे मेहरबान, ऐसा न हो कि हमारा एक लफ्ज, हमारे कुछ शब्द उनके हाथ आ जाएं और उनके इरादे पूरे हो जायें, हम उनके हाथों में खेल जायें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आम आदमी यह चाहता है कि शांति हो, पंजाब में जो कत्ल हो रहे हैं वे देश के, माथे पर एक दाग हैं, निर्दोष लोगों के कत्ल, मगर कुछ उनको टाकिंग प्वाइन्ट मिले हैं, जिनका वे लोग इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में जो दंगे हुए वे भी देश के माथे पर दाग है, लेकिन रिकार्ड ठीक कर लेना चाहिए। ये टाकिंग प्वाइंट उनके पास हैं। एक्स्ट्रीमिस्ट्स बड़े बड़े दीवानों में मजलिसों में यह कहते हैं कि यहां हो रहे कत्लों में पंजाब की निन्दा होती है, लेकिन दिल्ली में हुए कत्लों की निन्दा पार्लियामेंट में क्यों नहीं की गई। अगर नहीं की गई तो हमें देख लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमेशा निन्दा की गई।

कई माननीय सदस्य : हमेशा की गई, डट कर निन्दा की गई है।

(व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : ठीक है की गई होगी तो उनको श्रद्धांजलि प्रदान नहीं की गई होगी, रह गई होगी, लेकिन वे इसको यूज करते हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि किसी के दिल में कोई ईमानदारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : बुरा काम हमेशा बुरा होता है । रामूवालिया जी, बुरा काम तो बुरा है, चाहे वह किसी के भी साथ हो रहा हो, हमारे साथ हो या हमारे भाई के साथ हो, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए । इसको हमेशा कंडेम करना चाहिए ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : अब मैं कहना चाहता हूं कि अब हमें करना क्या है अब मैं आखिर मैं आता हूं, कंडेम कर दिया । देश इस बात को मानता है और कुदरती तौर पर ज्यादा कहा जा रहा है कि अकाली दल का दायित्व है, यहां भी है और देश के बाहर भी है, लेकिन अब करना क्या है । बस यही दो-चार बातें मैं 3-4 मिनट में कह देना चाहता हूं । सबसे पहली बात यह है कि पोलिटिकल लीडर्स इररिस्पान्सिबल और भड़काऊ बात न करें जब पोलिटिकल लीडर बात करता है तो वह रेडियो, टी० वी० और अखबारों में आ जाती है । यहां एक मित्र ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वे किसी स्टेट के बहुत अच्छे और बहुत बड़े आदमी हैं । मेरा इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं है ।

[अनुवाद]

हरियाणा ने केन्द्र को स्पष्ट और निश्चित तौर पर यह कह दिया है कि चंडीगढ़ पंजाब को तब तक नहीं देने दिया जाएगा जब तक कि चंडीगढ़ के बदले में हरियाणा को पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं दे दिए जाते और रावी-ब्यास का जल सतलुज यमुना सम्पर्क नहर को देना शुरू न कर दिया जाए ।

[हिन्दी]

क्या अकार्ड में लिखा है कि पानी चलेगा तो तभी चंडीगढ़ आएगा । इसलिए मैं कहता हूं कि बड़े आदमियों को जरा डिसीप्लीन······ (व्यवधान) आगे नहीं कहूंगा । मैं एक विनती करना चाहता हूं कि सिखों में यह बात पहुंच गई है कि उनको रांगली पेंट किया जा रहा है । मैं आपसे दिल खोलकर बात कर रहा हूं । सौ बेवकूफ मिलकर और चार गेंग बनाकर विदेशों से कुछ लेकर कत्ल कर रहे हैं तो 99.9 परसेंट सिख रो रहे हैं कि यह क्या हो रहा है । आप सभी को तो गलत मत पेंट कीजिए

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं यह कह रहा हूं कि इसका इलाज कीजिए । मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता हूं । मैं तो केन्द्र का शुक्रगुजार हूं क्योंकि सीरियसली और आनेस्टली श्री अरुण नेहरू जी और श्री अर्जुन सिंह जी पंजाब गए । एक्सट्रीमिस्ट्स ने तो दीपावली कर ली थी कि अब काम बन गया क्योंकि दो आदमी आ रहे हैं इसलिए बरनाला साहब की सरकार टूटेगी । इन्होंने जाकर कहा कि यह देश की समस्या है, इसको हमें सपोर्ट करना है । अपोजिशन ने और सारे देश ने सपोर्ट दिया । मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं ।··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : वो भी पंजाब में अपोजिशन ही है ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : सिखों को रांगली पेंट न किया जाए । आपके माध्यम से और प्रधान मंत्री जी के सामने यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में बाहर से सिख जा रहे हैं । बहुत से लोग चले गए हैं । आप तो यह कहेंगे कि आप बुला रहे हैं । यह भी कह सकते हैं कि इन्सेन्टिव दे रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि प्रेशर में कुछ मजबूरी भी होती है । मैं, पोलिटिकली

नहीं बल्कि भाई के तौर पर बात कर रहा हूं। क्या आज तक एक भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट का मुख्य मंत्री चण्डीगढ़ गया और जिसने कहा हो कि चलो भाई घर, मैं नहीं रहने दूंगा, लेने नहीं जा रहे हैं, लेने जाना चाहिए। इस बारे में कुछ करना चाहिए। ···(**व्यवधान**) मैं गलत भी हो सकता हूं। होता क्या है कि एक अदमी यहां से चला गया, वह एक गांव में बैठ गया और सारे गांव में वह टेप-रिकार्ड लगाता है कि यह हो रहा है बीटरनेस, इसलिए इसका कुछ करना चाहिए। जोधपुर जेल में पांच सौ के करीब लोग हैं।··· (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री अरुण नेहरू (आंतरिक सुरक्षा राज्य मन्त्री) : मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। पंजाब सरकार भी इसका प्रचार करती रही है। हमने इसके बारे में चर्चा की है कि इस परम्परा को प्रोत्साहन न दिया जाए।

[**हिन्दी**]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं यह कहना चाहता हूं कि कल फाइनेंस मिनिस्टर ने पंजाब में बयान दिया है कि एक भी हिन्दू भाई अगर पंजाब से जाएगा तो हम लेने जायेंगे। मैं जोधपुर की बात कह रहा था।··· (**व्यवधान**)

श्रीमती सुखबन्स कौर : जो पंजाब छोड़कर गए हैं क्या आप उनको लेने गए हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : अगर गए हैं तो हम लेने जायेंगे। आप ऐलान करें कि आप भी लेने जायेंगे।··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : दोनों की राय एक ही है कि कोई नहीं जाना चाहिए और जो गए हैं उनको वापिस बुलाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : अगर किसी को टिकट भी दें तो रिटर्न टिकट होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मिलने-मिलाने भी आयें तो ठहरने के लिए नहीं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : ऐसे ही जोधपुर में कुछ औरतें हैं और कुछ शिरोमणी प्रबन्धक कमेटी के मुलाजिम हैं, जिनको पकड़ लिया गया है। मैं आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि आप इंक्वायरी करवा कर देख लीजिए, यदि कुछ मामला उनके खिलाफ हो तो आप बेशक रखें लेकिन अगर नहीं है तो उनके बारे में देख लें ; क्योंकि वे लोग और शिरोमणी प्रबन्धक कमेटी के मुलाजिम वहां गुरु अर्जुन सिंह जी महाराज का शहीदी दिवस मनाने के लिए, गुरु-पर्व मनाने के लिए गए हुए थे और वहां उन भोले-भाले लोगों को पकड़ लिया गया। उनके बारे में भी आप देख ले क्योंकि वे एज ए डैलीगेट गए थे। वैसे ही सिक्ख सोल्जर्स के बारे में भी है, जो बैरक छोड़ गए थे। उनमें से बहुत सारों को तो छोड़ दिया गया, मगर किसी तरह से वह रिकार्ड में आ जाए कि इतने चले गए, बाकी हैं तो उनको भी छोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि मैं यह बात बहुत तहमुल-मिजाजी से कहता हूं, इरीटेशन का प्वाइंट उनके हाथ में बहुत है, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि जो आम सिक्ख लोग हैं, पोलिटिकल लीडर्स के अलावा, साधु सन्तों के ऊपर तो शक किया ही नहीं जा सकता, फौजियों के बारे में वे कहते हैं कि इन्होंने तो सिर्फ धर्म के लिए किया तो माफी क्यों नहीं दिलाते। एक्सट्रीमिस्टस कहते हैं। कि आपके साथ धोखा हुआ है, अब भी धोखा होगा। वे चाहते हैं कि एकॉर्ड कामयाब

न हो लेकिन उसके बारे में हम बहुत दफा कह चुके हैं कि एकोर्ड कामयाब होना चाहिए और हम पूरी भावना के साथ आज भी वही कह रहे हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि सिक्ख सोल्जर्स के बारे में भी आपको ज्यादा तेजी से दिल खोल कर कुछ करना चाहिए। एकोर्ड इम्पलीमैंट होना चाहिए लेकिन फोरेन पावर्स के बारे में, जहां हमारे बोर्डर लूज हैं, जहां कमी है, वैसे हमारे अरुण नेहरू जी ने अभी कहा कि हमने बहुत कुछ इन्तजाम किया है लेकिन फिर भी लोग दूसरी तरफ से आ रहे हैं, अभी मैंने पढ़ा की राजस्थान के रास्ते से 6 लोग आये, कुछ लोग जम्मू कश्मीर के रास्ते से भी आये··· (**व्यवधान**) यदि पकड़े भी गए तो भी आ तो गए।

जिस समय यहां महाराजा रणजीत सिंह का राज खत्म हुआ··· (व्यवधान)···आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं, आप उसको कैसे लेते हैं, यह आप पर निर्भर है। मैंने आपसे कहा कि जो कुछ भी करें खुले दिल से करें। वैसे हमारे मोरार जी देसाई साहब की भी एक स्टेटमैंट है, जो कहा जाता है कि पंजाब के बारे में बहुत कुढ़ कर बोलते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वे कह गए कि इन भटके हुए युवकों को प्रेम और प्यार से समझाने-बुझाने की जरूरत है। थोड़ा-बहुत मैं भी बीच में रहा हूं, वहां, लेकिन उसमें सब नये-नये आते हैं, पुराने अनुभवी और समझदार लोग कभी वैसे काम नहीं करते। वे तो सारे 16 और 18 साल के नौजवानों को चुनते हैं और उनके कान में कुछ कहकर, उनको कोई टास्क देकर भेज दिया जाता है। अब फोरेन पावर्स टास्क देकर नौजवानों को यहां भेज रही हैं, पाकिस्तान टास्क देकर भेजता है कि फलां को मारना है, यह करना है, वह करना है। उस सबका इलाज हो रहा है और भी जोर से किया जाना चाहिए।

आखिर में, मैं महाराजा रणजीत सिंह की बात कहकर खत्म करता हूं। उनकी मौत के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे आपा-धापी बोलते हैं। अंग्रेज बहुत चालाक थे, जबकि हमारी गवर्नमैंट को चालाकी की कतई जरूरत नहीं है। अंग्रेजों ने सारे सिक्खों को किसी तरह से सारी सोसायटी को काबू में कर लिया। अपनी सरकार से मैं चालाकी की बात नहीं कहता बल्कि कहता हूं कि वह बहुत सीरियस है और उसको भी वैसा ही तरीका किसी न किसी तरीके से अपनाना चाहिए जो उनको छाती से लगा सके, उनको अपने नजदीक कर सके। क्योंकि जनरल अमनैस्टी जरूर होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि पंजाब के बाहर जितने एक्सट्रीमिस्टस हैं, दिल्ली, कानपुर, बोकारो आदि जगहों पर, वे चाहते हैं कि सिक्खों पर मार पड़े। वे चाहते हैं कि सिक्खों की दुकानें जलें। अभी ऊना में, अम्बाला में और जगाधारी में ऐसा ही देखने में आया है। इसलिए उनके इरादे ऐसे हैं कि यह हो। इसलिए मैं देश भर से अपील करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से इसके लिए प्रबन्ध किया जाए जिससे कि जो लोग दिल्ली के दंगों में जिन्होंने गड़बड़ की, वे आज भी घूम रहे हैं और कह रहे हैं।

[**अनुवाद**]

श्री अरुण नेहरू : मेरे विचार से हमने निर्णय किया था कि हम इन तमाम बातों की ओर नहीं जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : आप यह भी देख लेना कि देहरादून से हमारे पास रिपोर्ट आई है कि वहां चार सिक्खों पर कत्ल के मुकदमें हो गए हैं जिनके घरवाले मारे गए थे। इनको भी आप देख लें। मैं यहां किसी पर इल्जाम लगाने के उद्देश्य से कोई बात नहीं कहता, लेकिन आप जरूर देख लें कि कोई गलत न हो। इसलिए अंत में मैं आपसे अपील करता हूं कि लिबरल होकर मदद और सपोर्ट हमें दीजिए ताकि इस देश की रक्षा में पूरी ईमानदारी के साथ अकाली दल देश की अखण्डता और आतंकवाद के खिलाफ अपना फर्ज पूरा कर सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : महोदय, यह एक चमत्कार है। अध्यक्ष महोदय, आपको ही इसका श्रेय है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हर बार ऐसा किया जाता है। चिन्ता मत कीजिए।

श्री कमल चौधरी : इस सोमवार को मैंने प्रधानमंत्री जी से सम्पर्क किया और उन्हें एक पत्र दिया। वे मुस्करा दिए किन्तु मुझे यह अनुमति दी कि मैं नियम 193 के अधीन आपको सूचना दूं। इस तरह आज हमें वाद-विवाद का अवसर मिला है। यह है सभा की शक्ति। पंजाब जल रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी तरफ मत देखिए। आप मुझे संबोधित कीजिए। आपको सीखना पड़ेगा। आप भाषण नहीं दे सकते, आप दीर्घाओं की ओर नजर डालकर और उनका हवाला नहीं दे सकते। आपको मुझसे कहना चाहिए, दीर्घा में बैठे लोगों से नहीं।

(व्यवधान)

श्री कमल चौधरी : महोदय, मुझे खेद है। इस वाद-विवाद के दौरान कहने के लिए मैंने कुछ मुद्दे तैयार किए थे। चूंकि मुझे पता लग गया कि मैं वाद-विवाद शुरू नहीं करूंगा और सिर्फ 10 मिनट के करीब समय मिल सकता है, इसलिए मैंने आधे से भी ज्यादा मुद्दों को काट दिया है और मैं आपको आंकड़े बताकर उलझन में नहीं डालूंगा। **(व्यवधान)**

मैं वर्ष 1982 से बात शुरू करूंगा जब मैं एफ-16 लड़ाकू विमान से युद्ध करने के लिए एक विमान का प्रशिक्षण लेने के लिए सोवियत संघ में था। लाला जगत नारायण की गोली मार कर हत्या कर दी थी। मुझे पता लग गया कि पंजाब के बुरे दिन आ गए हैं।

वर्ष 1984 में जब पंजाब झुलसने वाली गर्मी से तप रहा था, मैं सियाचीन ग्लेसियर और चीन से लेकर पाकिस्तान तक की अपनी उत्तरी सीमाओं की रक्षा के लिए लेह में कार्यरत था, तब ही होशियार पुर में प्रिंसिपल ओम प्रकाश बग्गा, मेरे पिता के बहुत ही घनिष्ठ मित्र की हत्या कर दी गई और इसका मेरे पिता को बहुत आघात पहुंचा। किन्तु विपक्षी सदस्यों में से, यहां तक कि उस समय इनमें से कुछ सदस्य वहीं मौजूद थे, कोई भी होशियारपुर नहीं पहुंचा जब कि वे वर्षों से मेरे पिता के साथ रहे थे। वे शान्ति रैलियों में, समाचार-पत्रों के कालमों में खूब बोलते हैं किन्तु वहां जाने के लिए किसी के पास समय नहीं था। सेना बुलाई गई और आपरेशन ब्ल्यू स्टार हुआ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : अपने आंकड़े निकाल लीजिए।

श्री कमल चौधरी : मुझे आशा है कि आप सबको उसकी जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : कमल जी, हमें यथार्थवादी होना चाहिए और हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि वाद-विवाद के मुख्य मुद्दे को ही लें। कृपया उसी तक सीमित रहिए।

श्री कमल चौधरी : महोदय, लोगों को पता ही नहीं है कि पंजाब में क्या हो रहा है। इसलिए मैं यह सब बताना चाहता हूं। कुछ भी सही, जब पंजाब में सेना बुला ली गई, तो वहां पूर्ण शांति हो गई। उसके बाद वहां कोई खूनखराबा नहीं हुआ।

अब मैं सितम्बर, 1984 की स्थिति पर आता हूं। उन दिनों मैं एयरफोर्स स्टेशन, अमृतसर में था। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर मोर्चाबंदी कर ली थी। सीमा को सील कर दिया गया था। जब हम उड़ान पर थे, हमें तत्काल ही वापस बुलाया गया और विमान वापस उतारने को कहा गया। हमें दुखद समाचार मिला कि देश की प्रधानमंत्री को गोली मार दी गई है। तत्काल ही कुछ-कुछ ऐसी आशंका होने लगी कि जहां तक संभव है वे अब जीवित नहीं है। इसके बाद दंगे शुरू हो गए। मैं इसके बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहता। मैं लेकिन शिवपुरी में हुए एक ऐसे कांड का हवाला देता हूं जहां मेरे बहनोई के भाई, जो सिख थे, की हत्या कर दी गई; उन्हें जिन्दा ही जला दिया गया। यहां तक कि कोई उनकी राख भी नहीं देख पाया। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि यदि तुम्हें विश्वास है कि निहत्थे जा सकते हो तो शिवपुरी चले जाओ। मैं अपने एक मित्र के साथ शिवपुरी के लिए रवाना हो गया। जबकि हमें टेलीफोन पर उनसे बार-बार यही खबर मिल रही थी कि वहां कोई नहीं आया है। कनाडा से मेरी बहन बार-बार यह पूछ रही थी कि क्या वह यहां आ जाएं। मैंने उसे भारत आने के लिए कह दिया और उससे कहा कि मैं उसके हितों की रक्षा करूंगा और उनकी जिन्दगी बचाऊंगा। मैं शिवपुरी गया और वापस आ गया।

मैं आपको एक दूसरी घटना बताता हूं कि शिवपुरी में क्या हुआ। मारे गए लड़के के चाचा, जो 70 वर्ष के वृद्ध थे, अपने हाथ में तलवार लेकर बाहर आए। एक दूसरा आदमी उनके साथ तलवार की म्यान हाथ में लेकर आया और तीसरा लड़का हाथ में लाठी लेकर उनके साथ उस भीड़ का पीछा करने लगा जिसकी लोग सहायता कर रहे थे।

(व्यवधान)

कृपया मेरी बात सुनिए। थोड़ा धैर्य रखिए। पिछले कुछ ही महीनों में मेरा ढाई सौ ग्राम खून सूख गया है और मैं वही कह रहा हूं जो पंजाब में हो रहा है। इन तीन लोगों ने अपने घर बचा लिए। इससे प्रतीत होता है कि वे कितने बहादुर थे। ये आतंकवादी और उग्रवादी इन तीनों लोगों के साथ 'गदका' खेल रहे थे। वे इन लोगों से एक लाठी से लड़ रहे थे और ठीक यही स्थिति पंजाब में है। महोदय, मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि आप इन बहादुर लोगों को संरक्षण प्रदान करें।

महोदय, अब मैं स्वयं अपने परिवार की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। मेरी दादी सिख थीं, मेरी नानी भी सिख थीं। मेरी दो बहने हैं जो सिखों को ब्याही हैं। हिन्दू और सिखों के संबंध में जितना आप जानते हैं मैं उससे कहीं ज्यादा जानता हूं।

महोदय, उसके बाद मुझे अपनी प्यारी मां की अस्थि भस्म की अमरनाथ की अन्तिम यात्रा के समय नए प्रधान मंत्री को मार्ग में सुरक्षा के लिए दिल्ली बुलाया गया। मैंने मिग-23 विमान से उड़ान की और आपको बता दूं कि मेरे वही पिता जो जीवन भर इन्दिरा गांधी के विरुद्ध लड़े इस बात पर गर्व से फूल गए कि प्रधान मंत्री की रक्षा के लिए और देश में शत्रुओं के हमले से उन्हें बचाने के लिए मेरा चयन किया गया था। जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई थी, वह दिल्ली में थे। जब वह होशियारपुर वापस आए, वह बहुत गुस्से में थे और उन्होंने इस देश के कुछ लोगों के दिल्ली में मिठाई बांटने तथा वहां के कुछ इलाकों में दुकानें खुली रखने के शर्मनाक रवैये का भी जिक्र किया था। यह वही आदमी था जिसने स्वर्गीय प्रधानमंत्री का विरोध किया था। उसका चरित्र ऐसा था। इनकी हत्या पर आपको कम से कम मगरमच्छ के आंसू बहाने चाहिए थे।

अब 10 मार्च, 1985 का दिन आया। पंजाब में दंगे शुरू करवाने का होशियारपुर में प्रयास किया गया। मेरे पिता जी को सभी प्यार करते थे। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन 1937 में शुरू किया था जब वो 19-20 की आयु के थे। मैं मिग 23 एयरक्राफ्ट की सीट पर बैठा था और इस एयरक्राफ्ट को सुबह 550 बजे जगुआर के साथ अभ्यास के लिये उड़ान भरनी थी। उसी समय मेरे पिता जी की हत्या की गई। मैं उस शहर में अगले दो घंटों में पहुंच गया। उस समय तक लगभग साठ मकानों को जला दिया गया था और एक व्यक्ति की छुरा मारकर हत्या कर दी गई थी और एक अन्य व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया था। यह सब पहले एक घंटे में ही हुआ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया विषय पर बोलिए। मेरे पास बहुत कम समय है। सही विषय पर बोलिए ताकि हम मुख्य मुद्दे पर ध्यान दे सकें।

श्री कमल चौधरी : मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ कैसे किया गया। लोग यह नहीं जानते।

अध्यक्ष महोदय : वे जानते हैं। सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाये।

श्री कमल चौधरी : श्री अर्जुन सिंह तथा आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री पंजाब गये। मुझे खुशी है कि उन्होंने स्थिति को कम से कम अपनी आंखों से तो देखा। बेहतर होगा कि मैं आपको वहां जो कुछ हो रहा है इसके बारे बताऊं बजाए इसके कि वहां किसी अन्य व्यक्ति पर कोई मुसीबत आये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप यह सुझायें कि वहां क्या किया जाना चाहिये।

श्री कमल चौधरी : सुझाव, तो मैंने पहले ही दे दिया है मेरा सुझाव था।··· **(व्यवधान)**

अगली सुबह होशियारपुर में तनाव बढ़ रहा था। मैंने देखा कि वहां बिल्कुल तबाही होने वाली थी और शहर में एक भी सिख जिन्दा नहीं रहना था। मैंने राज्यपाल श्री अर्जुनसिंह जी को टेलीफोन किया लेकिन 15 मिनट में देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गये। 5000

लोगों की भीड़ ने देखते ही गोली मार देने के आदेश को चुनौति देते हुए अपने घरों से निकल आये और वे सभी मेरे इर्द-गिर्द इकट्ठे हो गए। अगले दो घंटों में मैंने प्रधान मंत्री को टेलीफोन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने राज्यपाल को टेलीफोन किया था, मैं उन्हें यह बताना चाह रहा था कि स्थिति बहुत गम्भीर है और वह मेरी सहायता करें क्योंकि मैं शहर को नहीं बचा सकता था। प्रधान मंत्री जी ने 10 मिनट तक टेलीफोन पर मेरी बातचीत को धैर्य से सुना। मैं भाग्यशाली था। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं राज्यपाल से ही बातचीत करूं······ (व्यवधान)। होशियारपुर से तत्काल कर्फ्यू उठा दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि इन शब्दों को कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कमल जी, मैं आपको फिर सचेत करता हूं। आप को कुछ ऐसे सुझाव देने चाहिएं जिनसे भविष्य में सार्थक मदद मिले। आप केवल पिछली बातें कह रहे हैं और आपने अपना पूरा समय ले लिया है।

श्री कमल चौधरी : पिछले कुछ महीनों से मैं हर व्यक्ति का दरवाजा खटखटा रहा हूं, मैं आपके पास प्रधान मंत्री तथा ग्रह मंत्री तथा बहुत से अन्य मंत्रियों के पास भी कई बार आया हूं······

अध्यक्ष महोदय : आप भूतकाल के सहारे नहीं रह सकते; आपको आगे बढ़ना है आपको भविष्य के बारे में सोचना है। इसका केवल यही एक मात्र उपाय है। जो कुछ हुआ उसके बारे में हम सभी जानते हैं। आपको जो क्षति हुई है उसके लिए हमारी सहानुभूति आपके साथ हैं, आपके पिता की मृत्यु के लिए हमारी सहानुभूति आपके साथ है। हम जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है किन्तु अब हमें भविष्य के बारे में सोचना है। और इस सभा की यही राय है।

श्री कमल चौधरी : शुक्र है कि अब सभा ने कम से कम यह महसूस किया है कि पंजाब समस्या क्या है।

मैंने कुछ सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव था······ (व्यवधान)।

आपके सुरक्षा कर्मचारी आज क्या कर रहे हैं? सीमा सुरक्षा बल का क्या कार्य है? हमने 1962 की लड़ाई कैसे जीती? क्या हमने हाथ पर हाथ रखे ही यह लड़ाई जीत ली? तो फिर हमने 1965 तथा 1971 की लड़ाई कैसे जीती? आज, आप अमरीका तथा पाकिस्तान पर दोष लगा रहे हैं। हम आतंकवादियों को किसी व्यक्ति को गोली मारने की अनुमति दे रहे हैं। वे गोली मारते हैं, स्कूटर छोड़कर भाग जाते हैं। यदि आप इस सम्बन्ध में आंकड़े मांगें तो मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं। अमुक व्यक्ति स्कूटर छोड़कर आराम से अंधेरे में अदृश्य हो जाता है। यह लज्जा की बात है। उनको ऐसा करने दिया जा रहा है। मैं यही सब कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री कमल चौधरी : यदि मैं मिग-23 चला सकता हूं······ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुझाव दीजिए।

श्री कमल चौधरी : इसके लिए सुझाव स्पष्ट तथा सरल हैं। आपको आतंकवादियों को ऐसे ही नहीं जाने देने चाहिए। आप ऐसा आदेश दीजिए कि जिस व्यक्ति के पास हथियार मिलेगा उसे गोली मार दी जायेगी। मैंने आपको बताया है कि मैंने होशियारपुर को कैसे बचाया। कर्फ्यू लगाने के बाद एक हत्या हुई थी। मैं आपको एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं और महोदय मैं माफी चाहूंगा कि मैं दो मिनट का समय और लूंगा। पिछले रविवार को मैंने होशियारपुर में एक युवा रैली का आयोजन किया था। कोई व्यक्ति उस संस्था को जलाने आया था जिसका मैं सभापति रहा हूं। रात्रि को 11.30 बजे मैं अपना रिवालवर लेकर उन आतंकवादियों की तलाश में निकल पड़ा। मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया··· (**व्यवधान**)।*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री कमल चौधरी : मैंने अपने साथियों को सचेत किया तथा शहर में घूमा। शहर में एक भी पुलिस कर्मचारी नहीं था। बस मुझे इतना ही कहना है। मैंने खून खराब होने से रोका।··· (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें। वह अब जो कुछ बोल रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाये।

(**व्यवधान**)

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं उस दुःख को समझ सकता हूं जिसे दुःखी मन से माननीय सदस्य श्री कमल चौधरी ने बोला है। मैं जानता हूं कि उन्होंने क्या-क्या देखा है। मैं वह सब समझता हूं। जब आप रिकार्ड देखें तो कृपया यह देखें कि जो बात नहीं कही जानी चाहिए थी उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कार्य पहले ही कर दिया है। श्री ढिल्लो।

डॉ० जी० एस० ढिल्लों (फिरोजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा में बड़े दुख के साथ भाग ले रहा हूं। मुझे इस बात का खेद है कि मुझसे पहले बोलने वाले सदस्य के भाषण ने मेरे विचारों को थोड़ा सा छितरा दिया है और मैं उन्हें पुनः एकत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे श्री कमल के साथ पूर्ण सहानुभूति है। इनके पिताजी वर्षों मेरे साथ विधायक और संसद सदस्य रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि उन्हें बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आज के भाषणों की मुख्य विशेषता श्री रामूवालिया की टिप्पणियां हैं। श्री तिवारी ने तथ्यों को बड़े विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है। प्रो० दंडवते ने यह मामला बड़ी सूझबूझ से प्रस्तुत किया है। इस समय मुझे यह देखकर अचंभा हो रहा है कि क्या ये वह रामूवालिया ही हैं जो स्वर्ण मंदिर में मंजी साहिब में भाषण देते थे। वास्तव में श्री रामूवालिया बधाई के पात्र हैं। उनमें हुए इस महान परिवर्तन के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री बूटा सिंह को भी बधाई दें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मेरा राजनैतिक जीवन 15 वर्ष पुराना है। सभी जानते हैं कि मैं अखिल भारतीय सिख संघ का अध्यक्ष रहा हूं। मैं एक राष्ट्रवादी था और मैं एक राष्ट्रवादी रहूंगा। मैं इन तत्वों से शुरू से ही लड़ रहा हूं। आप मेरा रिकार्ड देख सकते हैं।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

आपकी मर्जी है जो कहें लेकिन यह गलत है।

डॉ० जी० एस० ढिल्लों : मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैंने आपको बड़ी गरम-गरम तकरीरें करते हुए सुना है। मुझे खुशी है।

[अनुवाद]

मुझे खुशी है कि वह एक राष्ट्रवादी है।

प्रो० मधु दंडवते : उन दिनों आप काफी जवान थे।

डॉ० जी० एस० ढिल्लों : मैंने अपना सार्वजनिक जीवन कांग्रेस में शुरू किया था। (व्यवधान) आपकी बात सुनने के बाद पहली बार मुझे पता लगा है कि मुझे वह काम करना चाहिए जो मैंने पूरी जिन्दगी नहीं किया अर्थात् मैं आपके दल (व्यवधान) और आपके मुख्यमंत्री का समर्थन करूं, क्योंकि मसला ही ऐसा है, जैसा कि सभी दलों ने उदाहरण प्रस्तुत किया है, यह हमारा कर्त्तव्य है कि आपके हाथ मजबूत करें। यदि आपने पुराने ढंग से बात कही होती (व्यवधान) तो शायद हम ऐसा नहीं करते। ऐसा करने के लिए आपको धन्यवाद। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्य सूची में दिया गया विषय सामान्य है अर्थात् आतंकवाद पर चर्चा यह नहीं बताया गया है कि देश के किस भाग में आतंकवाद पर चर्चा होगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि पंजाब में सबसे अधिक आतंकवाद है। यह कहीं और भी हो सकता, (व्यवधान) जैसा कि कुछ वक्ताओं ने बताया है (व्यवधान) अर्थात् त्रिपुरा में और कुछ अन्य स्थानों में। परन्तु सबसे अधिक आतंकवाद पंजाब में है। मैं उन व्यक्तियों में से एक हूं जिसने उत्तरी अमेरीका में और यहां भी आतंकवाद फैलते देखा है, मैं उन व्यक्तियों में से एक हूं, शायद मैं अकेला ही हूं, जो शेर की मांद में रहता हूं अर्थात् अमृतसर में। मेरा घर अमृतसर में है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र उससे जुड़ा हुआ अगला जिला है अर्थात् फिरोजपुर। मैंने विदेश में, भारत में और पंजाब में इसकी विभिन्न शाखा-प्रशाखाएं देखी हैं। (व्यवधान) मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। (व्यवधान)

महोदय, वे बीच में दखलअन्दाजी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह असंसदीय है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं समझता हूं कि इसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका सुझाव स्वीकार कर लिया गया है।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं बोल रहा हूं, वे अपना गला साफ कर रहे हैं। मैंने इस बात का उचित और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन किया है कि यह कैसे हुआ, आतंकवाद किस प्रकार प्रकट हुआ। अनेक वर्षों से, बल्कि दशकों से, जब मैं पंजाब में और यहां था हमने अनेक मोर्चे रखे, यदि

एक मोर्चा रखा गया तो दूसरा मोर्चा रख दिया गया। दूसरा मोर्चा रखा गया, एक और आंदोलन शुरू हो गया, उदाहरणतया रास्ता रोको, सड़क रोको, स्टेशन रोको, रेल रोको आदि जिससे लोग आंदोलनकारी बन गए और कानून और व्यवस्था की परवाह करनी छोड़ दी और ऐसे आंदोलन बार-बार होने लगे शांतिपूर्वक आंदोलन लोकतंत्र का एक अंग है, शांतिपूर्वक आंदोलन लोकतंत्र में अनिवार्य हैं परंतु ये इतनी अधिक संख्या में नहीं होने चाहियें कि प्रत्येक छठे महीने या प्रति वर्ष आंदोलन होने शुरू हो जाएं। ऐसा करने से लोग कानून का पालन करना छोड़ देते हैं और आतंकवादी पैदा हो जाते हैं। धीरे-2 अराजकता और आतंकवाद फैल जाता है। किस प्रकार का आतंकवाद फैलता है ? वर्ष 1980 में मैं कनाडा में था, श्री नारायणन् वाशिंगटन में राजदूत थे। मैं ओटावा में था। अनजाने में वेंकवर में मेरा और काउंसिल जमरल का अपमान किया गया। बाद में हमें पता लगा कि ये लोग कौन थे। बाद में मुझे पता चला कि आगे चलकर भारत में आतंकवाद फैलाने वालों का एक मजबूत सेल है। मैंने उन लोगों की एक तस्वीर देखी जिन्होंने हम पर हमला किया था। तस्वीर 'रायटर' ने छापी थी और ये वही लोग थे जो पंजाब में आए और उन्होंने कुछ हत्याएं कीं, पुलिस अधिकारियों नागरिकों की हत्याएं कीं और फिर वेंकूवर वापस चले गए, क्योंकि ये उस देश के नागरिक थे। मैं भी वहां था श्री नारायणन ने न्यूयार्क में अस्टोनिया होटल में अकाल तख्त अजनोहा के जत्थेदार, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई, तोड़ा साहिब, दीदार सिंह बेंस और कुछ अन्य लोगों की बीच हुई गुप्त बैठक के बारे में मुझे सूचित किया। अतः हमने स्थिति का जायजा लिया और हमें पता चला कि खालिस्तान के समर्थन के बारे में निर्णय या प्रास्ताव पारितकिया गया है। मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं वह बिल्कुल सत्य है। किन्तु जब मैं एकस्वतंत्र नागरिक के रूप में बिना किसी पद के अपने जिले में वापस आया तो मैंने ऐसी परिस्थिति का सामना किया जो की पंजाब तथा मेरे जिला अमृतसर में बदतर है। वहां कुछ समय रुकना भी दूभर हो गया था। मैंने उस समय का उल्लेख किया है जब मैंने श्री रामूवालिया का भाषण सुना था। मुझे इस बात की इसलिए खुशी है कि उनका रुख बिलकुल बदल गया है। ये वही व्यक्ति हैं। श्री रामूवालिया जी मेरा मन चाहता है कि मैं आपको गले लगाऊं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आतंकवाद के बिना, वे खत्म हो जाएंगे ;

(हिन्दी)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : आप पुराने अकाली हैं। गले लगाने में हर्ज ही क्या है।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं कभी अकाली नहीं रहा।

अध्यक्ष महोदय : खैर, यह काम बगैर मेरी इजाजत के नहीं हो सकता है।

[अनुवाद]

डा० जी०एस० ढिल्लों : ब्रिटिश शासन के दौरान मैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का सदस्य था। मैं इतना युवा नहीं हूं जितना कि लगता हूं। हम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के सदस्य थे। इसका रिकार्ड है। मैंने इसका सदस्य बनना नहीं चाहा था। किन्तु जब मैं केन्द्रीय जेल लाहौर में था तो कुछ लोग आए और उन्होंने मेरे नाम भरने के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए थेमैं इसका सदस्य चुन लिया गया। मैंने नोगाकाके वाले कांग्रेसी ग्रुप को वोट दिया। मास्टर तारा सिंह तथा जत्थेदार उधम नागाकाके के बीच कई बार मुकाबला हुआ था। हम कांग्रेस में ही थे।

आप ऐसा मत सोचिए। श्री रामूवालिया आप तीन दशक बाद राजनीति में आए हैं। यह आपका सौभाग्य है कि आप मुझसे उमर में काफी कम हैं। समस्या यह है कि जो युवक आतंकवाद में संलग्न हैं वे सभी आतंकवादी नहीं हैं। आतंकवादी कुछ उदण्ड लोग हैं जैसाकि मैंने अपने अनुभव से देखा है क्योंकि मैं पिछले सप्ताह कुछ दिन पंजाब में रहा हूं। मेरा यह कहना है कि उनमें से अधिकांश युवक पथभ्रष्ट और बेरोजगार हैं और उनमें से अधिकांश युवक चोर और लुटेरे हैं। चोर तथा लुटेरों के मामले में मेरा यह विचार है कि पुलिस को उनके साथ वैसे पेश आना चाहिये जैसे चोर तथा लुटेरों के साथ पेश आते हैं न कि आतंकवादियों की तरह। बेरोजगार लोगों का मामला हम सबके लिए चिंता का विषय है। हमें इस मामले पर वास्तव में विचार करना चाहिये कि इन बेरोजगार युवकों में से अधिकांश युवकों को सरकारी क्षेत्र अथवा स्वरोजगार अथवा किसी अन्य तरीके के से रोजगार प्रदान किया जाना चाहिये। वे इस तरह से बेकार न रहें। लेकिन कुछ कट्टर लोग हैं जो न आपके हैं न हमारे, वे उनके हैं जो हमसे हजारों मील दूर हैं। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इन लोगों को निदेश विदेशों तथा हमारे पड़ोसी देशों से मिल रहे हैं। इसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी है। हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि उनसे कैसे निपटा जाये।

जब मैं मंजी साहब जोकि स्वर्ण मन्दिर में है, उसकी बात करता हूं, जहां से संत फतेहसिंह भाषण करते थे, मास्टर तारासिंह बोला करते थे, भिंडरावाले और आपकी पार्टी के लोग भी उसी मंच से कई बारे बोले हैं, अब उसी परिसर में आप स्वयं नहीं जा सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी होगी यदि आप उसी मंच पर जाकर एक बार फिर बोलें।

गुरुद्वारा अधिनियम जैसाकि हमने इसे तीसरे दशक के प्रारम्भ में बनाया था, उसमें कई बार संशोधन किया गया है और अब इसका स्वरूप पहले वाले गुरुद्वारा अधिनियम जैसा नहीं है। गुरुद्वारा अधिनियम प्रयोजन गुरुद्वारों तथा धार्मिक स्थानों का प्रशासन तथा प्रबन्ध चलाने तथा सिखवाद की शिक्षाओं, उनकी गुरुवाणी और अन्य उपदेशों का प्रसार करना था। अब मैं इस बात पर हैरान हूं कि वह सज्जन श्री तोहरा जिसे आपने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का 14 वर्ष के लिये अध्यक्ष चुना, मेरी यादास्त के अनुसार इतने समय के लिए कोई अध्यक्ष नहीं रहा, मैंने मास्टर तारा सिंह, कनुजी, जत्थेदार मोहन सिंह तथा सन्त चानन सिंह, उद्यम सिंह, ईशर सिंह मझियल, प्रेमसिंह लालपुर को देखा है। मैंने आपके आदमियों को देखा है इनमें से कोई भी दो-तीन साल से अधिक अध्यक्ष पद पर नहीं रहा। श्री तोहरा 14 वर्ष तक अध्यक्ष रहे, वे आपके शीर्षस्थ नेता थे। जब संकट आया तो वह अध्यक्षपद छोड़कर अकाल तख्त तथा उसका प्रबन्ध उन उग्रवादियों तथा आतंकवादियों के हाथ सौंप देते हैं और खुद अलग हो जाते हैं। यह आपका तथा हमारा भी कर्तव्य है कि आप उस पवित्र स्थान को अपने निर्वाचित व्यक्ति के हाथ में फिर से सौंपे दे। अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति कार्य नहीं कर रही है। यह मृतप्राय संस्था बन गई है। तो फिर गुरुद्वारा अधिनियम को निष्क्रय मियम क्यों न घोषित कर दें और कोई नया अधिनियम बनायें जो इन परिस्थितियों में अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त तथा व्यवहारिक हो बजाए इसके कि हम उसी पुराने निष्क्रय अधिनियम को चलाते रहें।

अमृतसर में बहुत से गुरुद्वारे तथा अन्य धार्मिक स्थान हैं जहां आप प्रवेश नहीं कर सकते। आपने हमें बहिष्कृत सा बना दिया है। आपने हमारा वहां प्रवेश असम्भव सा बना दिया

है। अब उन्होंने उसी प्रकार आपके प्रवेश को भी असम्भव बना दिया है। बेहतर यही होगा यदि हम सब मिलकर प्रयास करें।

सीमा पार से आये ये आतंकवादी कौन हैं ? आप यह सब पहले ही देख चुके हैं। आप लम्बे समय तक अव्यवस्था फैलाने में संलग्न रहे हैं और आपने उन लोगों को उकसाया है। जो अब आपसे बेकाबू हो गये हैं यही वजह है कि श्री कमल ने एक नये प्रस्ताव का उल्लेख किया है। मैं नहीं समझता कि मार्शल-ला से किसी समस्या का हल निकाला जा सकता है। मेरा यह भी मत है कि राष्ट्रपति शासन से भी इस संकट का समाधान नहीं हो सकता। इसका समाधान यह है कि जो मेरी अपनी इच्छा के खिलाफ है, कि आपके दल की मदद की जाये, आपके दल तथा सरकार को मजबूत किया जाये। यह बात आप पर निर्भर करती है कि आप हमारी सहायता किस प्रकार लेंगे। हम आप में साहस नहीं भर सकते। लेकिन हम आपकी सहायता कर सकत हैं।

हमारी आंतरिक स्थिति के बारे में तथा इससे कैसे निपटा जाये, इस सम्बन्ध में मुझे इस बात की खुशी है कि श्री अरुण नेहरू तथा श्री अर्जुन सिंह पंजाब गये थे।

मेरा केवल यही अनुरोध है कि वे विरोधी दलों को देखते रहे लेकिन हमें नहीं देखा। मैं अपने जिले अमृतसर में हर जगह गया। मैं उससे मिला। उसने केवल यही कहा, ठीक है, आप आ गए हैं। मैं समझता हूं जब वह दूसरे जिले, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, जो मेरा दूसरा घर है, फिरोजपुर में जायेगा तो मैं वहां भी उपस्थित हूंगा, क्योंकि जब आप किसी अन्य दल के लोगों से मिलते हैं तो यह आपका कर्त्तव्य है कि आप कांग्रेस के आदमियों से भी मिलें। वे (विपक्ष वाले) इस बात से खुश होंगें कि वे हमसे नहीं मिले··· (व्यवधान)।

8.00 म०प०

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : कम से कम मैं नाखुश हूं।

श्री जी० एस० ढिल्लों : इतने खुश नहीं हैं, क्योंकि आपके और हमारे बीच में काफी फासला नहीं है, कम से कम इस समय और यदि मैं आपको गले लगाता हूं, तो वह मिलाप थोड़ी देर के लिए नहीं होगा, यह थोड़ा अधिक समय के लिए होगा और हो सकता है कि वह कल के बाद भी बना रहे। अतएव, अब हमें आतंकवादी गतिविधियों की इस समस्या को बड़ी दृढ़ता से अपने विदेश मंत्रालय के स्तर पर उठाना चाहिए क्योंकि इसे विदेशों में बढ़ावा मिल रहा है, चाहे वह ब्रिटेन हो अथवा अमरीका। मैं आपको कई बातें बताना चाहता हूं लेकिन ऐसा एक राजनयिक के रूप में मेरे अनुभव के अनुरूप नहीं होगा। लेकिन उन्हें उन सरकारों के साथ निष्ठुरता से निपटना पड़ता है। एक तरफ वे हमारे आतंकवादियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वे उन्हें धन तथा प्रोत्साहन दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। मैंने मानव अधिकार आयोग में भाग लिया था। श्री रामूवालिया जैसे रंगीन पगड़ियों वाले पांच आदमी वहां उपस्थित हो गए थे। वे आयोग के सदस्य नहीं थे, वे किसी राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। वे अन्दर आ गए। मेरे साथ वहां राजदूत था। मैंने कहा, "आपका यहां कैसे आना हुआ ?" उन्होंने कहा :

[हिन्दी]

"तुम्हारे खिलाफ ढोल बजाने, तुम्हारे खिलाफ ढोल बजाने ।"

[अनुवाद]

यह सब बैठक के कमरे से बाहर था । और उनकी उपस्थिति को न्यायोचित बताने के लिए—मैं नहीं जानता, वे किस के पैसों से आए—जब वे वापस न्यूयार्क चले गए, तो उन्होंने प्रेस वक्तव्य जारी किया कि वे आयोग के सामने बोले थे । भारतीय प्रतिनिधि मण्डल को आश्चर्य हुआ था क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी, हमारे लिए कोई समस्या नहीं थी । परिणाम यह है कि पिछले सात या आठ दिनों में मुझे अनेक अश्लील पत्र प्राप्त हुए हैं । मैं इनकी परवाह नहीं करता क्योंकि वे तथ्यों के खिलाफ हैं और शायद वे आतंकवादी पृष्ठभूमि पर आधारित हैं । मुझे एक न एक दिन मरना ही है और यदि मैं एक अच्छे कार्य के लिए मरता हूं तो मैं अपने आपको अर्पित करने के लिए बहुत इच्छुक हूंगा । मुझे अनेक बातें कहनी हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धैर्य नहीं तोड़ना चाहता । मैं ये बातें किसी दूसरे दिन कहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : हमने इसका आनन्द लिया ।

श्री दिनेश गोस्वामी : (गुवाहाटी) : अध्यक्ष महोदय, आज यह सभा दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर पंजाब की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में अपनी वेदना व्यक्त कर रही है । मैं भी बड़ी बन्धुत्व की भावना के साथ इस वेदना में आपके साथ हूं । क्योंकि यह उसी राज्य से आ रही है जिससे मैं सम्बन्ध रखता हूं । हमारा राज्य तथा पंजाब दोनों काफी लम्बे समय से उपघाती अनुभवों से गुजर रहे थे । हमारे राज्य में आन्दोलन हुए, कठिन परिस्थितियां आईं जिनके बाद दो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक समझौते हुए । समझौते के बाद प्रजातांत्रिक चुनाव हुए थे और दोनों राज्यों में दो क्षेत्रीय दल सत्ता में आए हैं । हमारे राज्य में शांति तथा चैन स्थापित हुआ और मैं कामना करता हूं कि पंजाब में भी शांति तथा चैन स्थापित होना चाहिए और क्षेत्रीय दल, जिसे पंजाब में सत्ता सौंपी गई है, को सफलता मिलनी चाहिए । मेरा विश्वास है कि आज पंजाब की समस्या को दो मुख्य मोर्चों पर निपटने की आवश्यकता है । एक है इसे कानून और व्यवस्था की दृष्टि से देखें परन्तु मूलरूप से यह एक राजनीतिक समस्या है और इसका राजनैतिक हल होना चाहिए । जहां तक कानून और व्यवस्था की स्थिति का संबंध है, बरनाला सरकार को सभी प्रकार की ताकत दी जानी चाहिए क्योंकि इस विशेष क्षण में बरनाला सरकार को कमजोर करने से कानून और व्यवस्था का तंत्र कमजोर हो जाएगा, और मुझे यह जानकर खुशी है कि आन्तरिक सुरक्षा मंत्री ने वाद विवाद में हस्तक्षेप करते समय तथा बाहर यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि बरनाला सरकार को आतंकवादियों की समस्या से निपटने के लिए सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी । यह सभा भी एकमत से बरनाला सरकार को अपना पूर्ण समर्थन देती है, यद्यपि जैसाकि डा० ढिल्लों ने कहा है, कुछ लोग ऐसा समर्थन देंगे तो सही लेकिन कुछ अनमने ढंग से । किन्तु मेरा विश्वास है कि राजनीतिक पक्ष के प्रश्न के संबंध में, राजनीतिक समस्याएं निपटाई जानी हैं और एक बात जो जरूरी तौर पर की जानी है, वह यह है कि पंजाब समझौता अवश्य ही लागू किया जाना चाहिए । मैं यह बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यदि समझौता लागू हो जाता

है तो आतंकवादी अपनी गतिविधियाँ बंद कर देंगे। लेकिन सचाई यह है कि आतंकवाद से तभी निपटा जा सकता है जब इसे जन-समर्थन मिलना बंद हो जाए, क्योंकि ऐसा हो जाने से आतंकवादियों को अलग-अलग किया जा सकता है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। यदि आतंकवादियों को जनता का समर्थन मिलता है, यदि उनके पीछे जन-शक्ति है, यदि वहां नए-नए आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आतंकवाद से निपटना अत्यन्त कठिन कार्य हो जाता है। पंजाब की जनता के दिमाग में एक सही अथवा गलत भावना उभरकर आई है कि (जैसाकि रामूवालिया जी ने बताया है) समझौता लागू नहीं किया जा रहा है। एक विशिष्ट मुद्दा चंडीगढ़ के मामले का है। किंतु श्री अर्जुन सिंह ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि चंडीगढ़ को छोड़कर समझौते के अनेक मुद्दों को कार्यान्वित किया जा रहा है। ऐसे तीन मुद्दे हैं जिनको मैं यहां बताना चाहता हूं। पहला मुद्दा निर्दोष व्यक्तियों को मुआवजा दिए जाने के बारे में है। अभी तक यह नहीं मालूम हुआ कि समझौते के अन्तर्गत व्यक्तियों को मुआवजे की कितनी राशि दी गई है। यह पता है कितने निर्दोष व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है। हम इसे प्रकाशित क्यों नहीं करते और इसे लोगों को क्यों नहीं दिखाया जाता जिससे पंजाब के लोगों को यह पता चल सके कि वास्तव में बहुत से लोगों को मुआवजा दिया गया है ताकि लोग स्पष्ट रूप से यह महसूस कर सकें कि समझौता यदि पूरा, बहुत गहराई से और विस्तार से नहीं तो जहां तक मुद्दा एक का संबंध है, यह समझौता लागू किया गया है?

मद संख्या 4 सेना से सेवा निवृत्त किए गए आदमियों के पुनर्वास के बारे में है। स्पष्ट रूप से इनकी संख्या का पता है। क्या सेना से सेवा-निवृत्त हुए व्यक्तियों को पुनर्वासित कर दिया गया है? मंत्री महोदय ने यह नहीं कहा है कि उनका पुनर्वास कर दिया गया है। तब उस मामले में समझौता कार्यान्वित नहीं किया गया है। तब, उस मामले में मैं यह महसूस करता हूं कि पंजाब की जनता की शिकायत वास्तविक है। लेकिन यदि उन्हें पुनर्वासित कर दिया गया है तो अब मैं यह नहीं समझता कि हमें पंजाब की सिख जनता तथा समस्त देश को यह बताने में कोई कठिनाई है कि कितने लोगों का पुनर्वास कर दिया गया है और पंजाब की जनता और अकाली सरकार तथा बरनाला यह कह सकने की बेहतर स्थिति में हैं कि यह देखिए, जहां तक मद संख्या 4 का सम्बन्ध है पंजाब समझौता कार्यान्वित कर दिया गया है। उग्रवादियों द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है कि समझौता लागू नहीं किया जा रहा है, गलत प्रचार है। इस संदर्भ में मेरा विश्वास है कि पंजाब के बारे में प्रचार माध्यमों की समग्र नीति की भी समीक्षा की जानी चाहिए। प्रचार माध्यमों को पंजाब समझौते के कार्यान्वयन की सही स्थिति प्रस्तुत करनी चाहिए। आंकड़ों तथ्यात्मक स्थिति, इन सभी के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। मैं डा० ढिल्लों की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इस समस्या को केवल कानून और व्यवस्था की समस्या समझ कर ही नहीं निपटा जाना चाहिए। आखिरकार युवा पीढ़ी के साथ सम्वाद का माध्यम होना चाहिए क्योंकि मैं यह नहीं मानता कि आज उग्रवाद की ओर आकर्षित होने वाले सभी युवा उग्रवादी हैं। हमने अपने राज्य में युवा शक्ति के उभार को देखा है। मैं यह भी जानता हूं कि मेरे राज्य में जब वहां युवा आन्दोलन चला था तब हर तरफ युवाओं को दोषी ठहराया गया था कि वे सभी राष्ट्र-विरोधी हैं, वे अलगाववादी हैं आदि-आदि। इससे पृथक्कता की भावना पैदा

होती है और जो लोग इसकी मुख्य धारा में है इससे अलग हो गए हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि कट्टर उग्रवादियों को अलग-थलग करते समय हमें युवा लोगों के साथ राजनैतिक स्तर पर संवाद बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि, मेरा विश्वास है कि पंजाब की युवा जनता देश की शेष जनता की तरह उतने ही राष्ट्रवादी है जितने कि हम सब हैं। इसलिए, संवाद का वह माध्यम खोला जाना चाहिए। मैं समझता हूं, उस संदर्भ में प्रचार माध्यमों की नीति काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।

श्री रामूवालिया कह रहे थे कि पंजाब में 12,800 गांव हैं; उनमें से 90 प्रतिशत गांवों में सिख जनता का बाहुल्य है। और कम से कम इन गांवों में साम्प्रदायिक विभाजन उभरकर सामने नहीं आया है। सांप्रदायिक विभाजन नगरों में बहुत तेज है। लेकिन यदि हम आज प्रचार माध्यमों को देखते हैं तो इन हम माध्यमों में सकारात्मक प्रस्तुति नहीं देख पाते हैं। हमारे पास बिल्कुल सकारात्मक प्रस्तुति की प्रचार माध्यमों की वह नीति क्यों नहीं हो सकती, बावजूद इस तथ्य के कि इस देश में अस्थिरता पैदा करने के इच्छुक समुदाय विशेष तथा जनता के वर्ग विशेष द्वारा इस बात के भरसक प्रयास किए गए हैं। और ये लोग तथा वर्ग देश का सांप्रदायिक विभाजन करना चाहते हैं और वे सामान्य आदमी, निचले स्तर के आदमी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को छू नहीं पाए हैं। यह सिक्के का एक पहलू है जिसे कम से कम देश की शेष जनता को या तो आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन तथा अन्य तंत्र के जरिए जानना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रचार माध्यम नीति को पूर्णतया नई दिशा दी जानी चाहिए मैं अन्य वक्ताओं से इस बात पर पूर्णतया सहमत हूं कि विदेशी हाथ होने के प्रश्न पर, अब वह समय आ गया है जब हमें इस बारे में काफी कठोर रुख अपनाना चाहिए। हमें पाकिस्तान को यह बात साफ-साफ बता देनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों का प्रश्न इस प्रश्न से जुड़ा है। पाकिस्तान की भूमि पर उग्रवादियों का प्रशिक्षण एक शत्रुतापूर्ण कार्य है और संसद के विचार बिल्कुल साफ शब्दों में पाकिस्तान को भेजे जाने चाहिए। ब्रिटिश के विदेश सचिव आज यहां हैं और मेरा विश्वास है कि उन्होंने अपने वक्तव्यों में प्रत्यर्पण सन्धि तथा अन्य प्रश्नों को टाल दिया है। मुझे विश्वास है कि विदेश मंत्री महोदय द्वारा ब्रिटिश विदेश सचिव को इस सभा की भावनाओं से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अवगत करा देना चाहिए।

हमारे ऊपर दूसरी जिम्मेदारी आ पड़ी है और वह यह देखने की है कि यह साम्प्रदायिक बंटवारे की बात अन्य क्षेत्रों, पंजाब से पड़ोसी राज्यों में, देश के अन्य क्षेत्रों में न फैले क्योंकि उग्रवादी यह चाहेंगे कि सिखों की तरफ से हमला पंजाब के बाहर भी हो क्योंकि उस मामले में उन्हें साम्प्रदायिक विभाजन उत्पन्न करने अथवा स्वयं पंजाब में विभाजन करने के लिए और सहायता मिल जाएगी। तब हम न केवल बोलेंगे बल्कि यह भी देखेंगे कि अन्य साम्प्रदायिक तत्वों को पड़ोसी राज्यों में अथवा अन्य राज्यों में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाए और मुझे विश्वास है कि हमारी सबकी इस मंच से यह कहने की जिम्मेदारी है कि—मेरे, राज्य, कम से कम उस राज्य में जिससे सम्बन्ध रखता हूं, सरकार तथा हमारी यह जिम्मेदारी है कि जो स्थिति पंजाब में है वह किसी भी समय दूसरी दिशा में न पैदा हो जो उस राज्य में कठिनाइयां पैदा करे।

महोदय, मेरा विश्वास है कि इस सभा की इन भावनाओं से सही रूप में पंजाब को अवगत करा देना चाहिए और मुझे विश्वास है कि यह वाद-विवाद स्वयं पंजाब की कठिन परिस्थिति

को सुधारने में मदद कर सकता है क्योंकि आज पंजाब को मरहम की आवश्यकता है। महोदय, धन्यवाद।

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो दो मुद्दे उठाए हैं मैं उन्हें स्पष्ट कर सकता हूं, पंजाब समझौते की प्रथम मद को, जो मारे गए भोले-भाले व्यक्तियों के लिए मुआवजों से सम्बद्ध हैं, पूर्णतया लागू किया गया है।

पैरा 4 के बारे में, जो सेना से सेवा निवृत्त व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में है, उसे भी पूर्णतया लागू किया गया है। मैं यह केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने इसका जिक्र किया है।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं समझता हूं आप इसे और अच्छी प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री अरुण नेहरू : मुझे विश्वास है कि मद संख्या 1 के बारे में पंजाब सरकार उस पर कार्यवाही करेगी और मद संख्या 4 के बारे में हमने पहले ही तीन बार कार्यवाही की है, हम इस पर पुनः कार्यवाही करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : इसे शीघ्र प्रकाशित करें। 21वीं सदी का इन्तजार मत करिए।

श्री अरुण नेहरु : जी, नहीं हमने इसे 20वीं शताब्दी में प्रकाशित किया है।

[हिन्दी]

आप लोगों ने पढ़ा नहीं तो क्या करें।

श्री सुनील दत्त (बम्बई उत्तर पश्चिम) : स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इस महान सभा में मुझे पंजाब के ऊपर बोलने का मौका दिया है। इससे पहले मैं बहुत ही हमदर्दी का इजहार अपने साथी कमल चौधरी साहब से करता हूं क्योंकि इनके दिल पर जो जख्म लगे थे, उनका उन्होंने इजहार किया। ऐसे जख्म जो हैं इधर और उधर भी लगे हुए हैं। तो, इन जख्मों को ठण्डा करने के लिए ....(व्यवधान)

अध्यक्ष : महोदय : यह जिस्म तो एक ही है।

श्री सुनील दत्त : जी हां, जिस्म तो एक ही है। ऐसे जख्मों को ठण्डा करने के लिए हम यहां जमा हुए हैं और बात कर रहे हैं। मुझे कहा गया है कि मैं भी कुछ अपने ख्यालात आपके सामने पेश करूं और खासकर पंजाब के ऊपर। मैं यहां बैठा हुआ जब आप सब मोअजिज साथियों की बातें सुन रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपसे कौन से पंजाब की बात करूं। यह पंजाब जो पेशावर से यहां दिल्ली की सरहद तक था, वह पंजाब जिस जमीन पर गुरु नानक जी चले थे, वह पंजाब जहां हीर-रांझा और सोहनी-माहीवाल ने मोहब्बत के नगमे गाए थे, वह पंजाब जहां शहीद भगतसिंह शहीद हुए थे, वह पंजाब जहां लाला लाजपतराय ने अपने सर पर लाठियां खाई थीं वह पंजाब जहां सिखों ने अपने देश के लिए बड़ी-बड़ी कुर्बानियां दी थीं या वह पंजाव जहां अपने भाईयों को काटकर अपनी सर-जमी को उस पवित्र खून से सींच रहा है। ये सब बातें जब मैं सोच रहा था तो मुझे बड़ा गम हुआ। गम इसलिए हुआ कि मेरे अन्दर भी वह खून है और वह खून मुझे कभी ऐसा मजबूर नहीं करता कि मैं एक सिख, मुसलमान या हिन्दू को अलग समझूं। वह खून मेरे अन्दर एक हिन्दुस्तानी खून है, और एक हिन्दुस्तानी होने के नाते मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। जैसे कि कमल जी ने आपको एक कहानी अपनी जिन्दगी की सुनाई तो मैंने भी सोचा

कि मैं भी आपको कहानी सुनाऊं। मैं इतनी जोश से नहीं सुनाऊंगा जैसी उन्होंने सुनाई है, मैं होश में सुनाऊंगा ताकि होश में ही मेरी बात सुन सकें। मैं खुद पाकिस्तान के बंटवारे का शिकार हूं। जब पाकिस्तान बना तो मैंने और मेरे मां-बाप ने सोचा कि हमारा देश कौन सा है। हमने यह सोचा कि हमारा देश हिन्दुस्तान है और हम हिन्दुस्तान जायेंगे। इस तरह हम हिन्दुस्तान आ गए और हमने सोचा कि यह हमारा पूरा देश है। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक और कन्याकुमारी तक हमारा देश है। हम यहां चले आए। हमें अम्बाला के नजदीक जगाधरी में कुछ जमीन मिल गई थी क्योंकि हम जमींदार थे। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। अब समस्या आई कि मैं पढ़ने के लिए कहां जाऊं। मैंने निश्चय किया कि बम्बई पढ़ने के लिए चला जाए जो हमारे देश का एक हिस्सा है और मैं वहां चला गया। मैंने गवर्नमैंट से कोई कम्पैन्सेशन नहीं मांगा, बस मेहनत की, सड़कों पर रहा और पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने अपनी जिन्दगी में एक मुकाम बनाया। मगर मैंने अपने नेताओं से सीखा था, सुना था कि यह देश एक है और इस देश की एकता के लिए हमें लड़ना चाहिए। इस देश में सैक्यूलरिज्म है तो हममें हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख इसाई का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

बम्बई में पढ़ने के बाद मैं फिल्मों में आया और मुझे प्यार हो गया एक मुसलमान लड़की से। उस वक्त मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान का शिकार हूं और मेरे कई रिश्तेदार को मुसलमानों ने मार दिया था। अगर मैं वैसा सोचता तो फिर मैं मुसलमान लड़की से प्यार नहीं करता लेकिन हमारे नेताओं ने मेरे अन्दर एक जजबा पैदा कर दिया था, मेरे दिल में ऐसे ख्यालात पैदा कर दिए थे कि इस तरह के झगड़े वहशियाना झगड़े हैं, हैवानों के झगड़े हैं। मेरे अन्दर यह जजबा था कि कोई हिन्दू मुसलमान को नहीं काटेगा, कोई मुसलमान हिन्दू को नहीं काटेगा और इसीलिए मैंने एक मुसलमान लड़की से मुहब्बत की और उससे शादी की।

उसके बाद हमारे बच्चे हुए और वे महाराष्ट्र में पैदा हुए। क्योंकि जिस समय मैं बम्बई गया था तो उस वक्त महाराष्ट्र नहीं था। आज में कभी-कभी सोचता हूं कि मैं कौन हूं। वैसे मेरे नेताओं ने सिखाया था कि हम सब हिन्दुस्तानी हैं, उन्होंने सिखाया था कि हिन्दू, मुसलमान, सिख और इसाई में कोई फर्क नहीं है। मेरे नेताओं ने सिखाया कि तुम इस देश की एकता के लिए लड़ोगे लेकिन आज जब में सुनता हूं, जब कहा जाता है कि महाराष्ट्र में वही आदमी रह सकते हैं जो महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं तो में घबरा जाता हूं। सोचता हूं कि अगर ऐसा हो गया तो मेरे बच्चे तो महाराष्ट्र में रह जाएंगे लेकिन मैं कहां जाऊंगा। अगर मैं पंजाब में आऊंगा तो जिस वक्त मुझे पंजाब में जमीन मिली थी, उस वक्त हरियाणा नहीं था, इस लिए हरियाणा वाले कहेंगे कि तुमको तो पंजाब वालों ने जमीन दी है तुम हरियाणा में क्यों आ रहे हो. हम तुमको कहां रखेंगे। इसलिए मैं कभी-कभी सोचता हूं कि मैं कौन हूं। यदि मैं हिन्दुस्तानी हूं, मुझे हिन्दुस्तान देश से प्यार है तो मैं समझता हूं कि यहां पर मेरे लिए कोई एक जगह नहीं हैं। यदि मैं सीखा हूं कि हिन्दू हूं, मुसलमान हूं, महाराष्ट्रीयन हूं, गुजराती हूं तो यहां मेरे लिए सब जगह ही जगह है। यही एक चीज है, जो सारे मुल्क में हो रही है, सिर्फ पंजाब में ही नहीं, सारी जगह हो रही हैं। वैसे तो हम पंजाब की बात करते हैं लेकिन हमारे अन्दर नेशनलिज्म का वह जजबा, जो हमारे नेताओं ने हमारे अन्दर भरा था, वह कैसे हमारे दिलों से निकल गया, आज हम कैसे

सोच रहे हैं कि हम सिख हैं, कैसे एक सिख और एक हिन्दू आपस में लड़ सकते हैं, हम कैसे सोच सकते हैं कि हम महाराष्ट्रीयन हैं या हम गुजराती हैं, पंजाबी हैं या हरियाणा के हैं। आज हम जिन दरियाओं के लिए लड़ते हैं वे हिमालय से उतर कर हमारे देश की सारी सरजमीं को सींचती हैं। अभी उस दिन जब रावी और व्यास के पानी पर बात चल रही थी तो मेरे कुछ साथियों ने कहा कि आप गंगा मैया का पानी ले लो क्योंकि आपके यहां गंगा मैया बहती है। अब गंगा मैया और रावी व्यास में क्या फर्क है, वह मैं अभी तक समझ नहीं पाया। इसलिए ऐसी चीजें पैदा ही क्यों हों। आज के दिन मैं महसूस करता हूं कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। हमारा ऐकोर्ड क्या हुआ, मैं कहता हूं कि जैसा जख्म आपके दिल में हैं, वैसे ही जख्म हमारे दिल में भी है और हमारे नेता राजीव गांधी जी के दिल में भी हैं और इसके बावजूद भी उन्होंने एकोर्ड को कबूल किया, लिखा और अब उसको इम्पलीमेंट कर रहे हैं। भले हो इम्पलीमैंटेशन में थोड़ी देर हो सकती है मगर हमारे ख्यालात यह नहीं हो सकते क्योंकि एक नेशनलिस्ट ही अपने पर्सनल गमों को भुलाकर अपने देश की बेहतरी के लिए सोच सकता है। इसलिए मैं आपसे इल्तजा करूंगा कि हमें इस समस्या पर ठण्डे दिमाग से सोचना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम कौन हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सिख हैं, हम अकाली हैं या हम कांग्रेस वाले है क्योंकि जब देश का सवाल आता है तो हम सब एक हैं। देश में जब जब समस्याएं आईं, 1962 की जंग हुई उस वक्त भी हम सब एक हो गए,1965 की जंग में भी हम सब एक हो गए, उसके बाद 1971 की जंग में भी हम सब एक हो गए इसलिए आज जब नई जंग शुरू हुई और बाहर के मुल्कों को यह मालूम हो गया है, वे समझ गए हैं कि इस देश पर बाहरी हमला करके हम कामयाब नहीं हो सकते इसलिए उन्होंने देश अन्दर हमारे ऊपर हमला किया है। ये अन्दर से हमारे ऊपर हमला हो रहा है और हम खामख्वां पालिटिक्स की बातों में आकर अपने ही घरों को तबाह कर रहे हैं और हम हिन्दू और सिख को नहीं मार रहे हैं बल्कि हम अपने अंग-अंग को काट रहे हैं।

आप सब लोग इस देश को चलाने वाले हैं। आप समझदार और जहीन लोग हैं, आपके ऊपर हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपकी एक-एक आवाज में वह चीज है जो हमारे देश को आगे बढ़ाती है और उन्नति के लिए सोचती है। इसलिए मैं आपसे इल्तजा करूंगा कि हमारी जो इन्टरनलवार चल रही है, उसको खत्म करने में आप सबको एक साथ होकर मिलकर साथ देना चाहिए और जितने भी प्लान हुए हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं कोई कांग्रेस के प्लेटफार्म से यह बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं देश की सर्वोच्च सभा में बोल रहा हूं, जो भी मेरी गलती हो, मैं उसे स्वीकार करूंगा, लेकिन हमारी सरकार की इंटेंशन बहुत अच्छी है और जो अकार्ड हुआ है उससे देश में एकता और अखंडता पैदा हो, इसके लिए हम सब मिलकर साथ दें और देश को आगे बढ़ाने तथा एक-दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हम मदद करें। शुक्रिया।

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : "जिस देश में गंगा बहती है"

अध्यक्ष महोदय : इसमें सोचने की गुंजाइश ही मत रखिए, क्यों सोचते हैं, पक्के हिन्दुस्तानी बनिए। हमको दुनिया की कोई ताकत इस बात से अलग नहीं कर सकती है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, लगभग चार घण्टे से यह चर्चा चल रही है अनेक वक्ताओं ने बड़े उत्कृष्ट उद्‌गार व्यक्त किए हैं जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। दुर्भाग्यवश, इन उत्कृष्ट उद्‌गारों को प्रचारित नहीं किया जा सकेगा क्योंकि कल समाचार पत्रों

का प्रकाशन नहीं होगा। तथापि, यह सभा के कार्यवाही वृत्तांत में शामिल होंगे। परन्तु प्रश्न यह है कि इस समय शायद यह चर्चा नहीं हुई होती यदि हम सभी ने यह अनुभव नहीं किया होता कि स्थिति वास्तव में बहुत-बहुत गम्भीर बनती जा रही है। यदि अब हम समय पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो इन अच्छे-अच्छे शब्दों के बोलने से यह भयंकर विपत्ति नहीं टलेगी। मुझे अपने देश के महान इतिहास और परम्पराओं तथा समय-समय पर आने वाले संकटों की जानकारी है। ठीक है। यह वह चीज है जिसे हम अपनी पूंजी के रूप में देख सकते हैं। परन्तु केवल अच्छे-अच्छे शब्दों और भावनाओं को व्यक्त कर देने भर से देश को इस अभूतपूर्व संकट से नहीं बचाया जा सकता। पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर सीमावर्ती राज्य हैं और हम सभी जानते हैं कि उधर सीमा पार क्या है। ऐसे सीमावर्ती राज्यों में प्रशासन तथा कानून और व्यवस्था का ठप्प पड़ना एक ऐसी बात है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सहन नहीं किया जा सकता। मैं इन विशिष्ट उपायों के बारे में बोलना नहीं चाहता जिनके बारे में आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने यहां बताया है। उन्होंने इनमें से कुछ उपायों के बारे में हमें कल गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में बताया था क्योंकि हमारे लिए यह मूल्यांकन करना बहुत कठिन है कि वास्तव में ये उपाय कितने प्रभावी होंगे अथवा नहीं। जहां तक मैं समझता हूं पुलिस अब तक पूरी तरह से पंगु बन चुकी है। इसके बारे में सभी जानते हैं। समाचार पत्र इस प्रकार की खबरों से भरे पड़े हैं कि किस प्रकार पुलिस घटनाओं का समाचार मिलने पर थानों से बाहर नहीं निकलती। वे जाना नहीं चाहते। वे थानों में बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति वहां विद्यमान है। आप इसे मनोबल गिरना कह सकते हैं, मिलीभगत कह सकते हैं, घुसपैठ कह सकते हैं अथवा कोई दूसरा नाम दे सकते हैं।

लुधियाना में गत शुक्रवार को घटना घटी जिसमें आतंकवादियों ने एक स्थान पर दिन-दहाड़े करीब 12 अथवा 13 व्यक्तियों की हत्या कर दी। सभी समाचारों से यह पता चलता है कि पुलिस एस. एच. ओ. घटनास्थल पर एक घंटे के बाद तक भी नहीं पहुंचे। यह एक उदाहरण है जिससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि शेष राज्य में क्या हो रहा है। आपने वहां नया पुलिस महानिरीक्षक भेजा है जो अपनी कार्यकुशलता और कड़े उपायों के लिए प्रसिद्ध है, परन्तु जिस पुलिस बल के साथ उसने कार्य करना है, उसके मनोबल को पुर्नजीवित करने की आवश्यकता है और मेरे विचार से श्री रिबेरो के लिए भी यह कार्य इतना आसान नहीं है। मेरे विचार से तो केन्द्र द्वारा आवश्यक आधुनिक उपकरणों, शस्त्रों आदि की सप्लाई करने अथवा अर्ध सैनिक बलों को तैनात करने से भी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक प्रशासन दृढ़ता से और शीघ्रता से कार्य करने का इच्छुक न हो। मैं पहले ही कही गई इस बात को फिर से दोहराना नहीं चाहता कि ऐसे समय पर राज्य सरकार पर भारी जिम्मेदारी है। मेरे विचार से श्री बरनाला को सर्वाधिक अवांछनीय कार्य करना पड़ रहा है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। हो सकता है कि बहुत सख्त व्यक्ति नहीं हों। एक व्यक्ति के रूप में लोग उन्हें एक कमजोर परन्तु अच्छा व्यक्ति मानते हैं। वे अच्छे व्यक्ति हैं परन्तु एक कमजोर व्यक्ति हैं। परन्तु उनका स्थान कौन ले सकता है। वहां उनका स्थान लेने के लिए कोई नहीं है। उनका विकल्प उनसे भी अधिक कमजोर हो सकता है। इसीलिए पंजाब की जनता ने जिसने उनके दल को भारी बहुमत दिया, उन्हें नेता चुना है। इसीलिए, मेरा विचार है कि पंजाब में अकाली सरकार का मुख्य दायित्व

प्रशासन तथा कानून और व्यवस्था को चुस्त बनाना है, तथा पूरे साहस के साथ और न केवल केन्द्र बल्कि सभी राजनीतिक दलों, जिनका इस सभा में प्रतिनिधित्व है के पूर्ण समर्थन से कम से कम अब तो दृढ़ता से और तेजी से कार्यवाही करने का है। नहीं तो इस संभावित विपदा को टाला नहीं जा सकेगा। मुझे याद है पहले दिनों में जब देश के विभाजन की मांग की जा रही थी तो हम सोचा करते थे अंततः यह बात किसी प्रकार टल जाएगी और विभाजन नहीं होगा। परन्तु आखिरकार इसे टाला नहीं जा सका। आज कोई गांधी नहीं है उस समय गांधी जी जिन्दा थे······

एक माननीय सदस्य : अब भी हमारे पास एक गांधी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं गांधी जी की बात कर रहा हूं।

इसलिए, महोदय, अब मैं एक बात कहूंगा। समझौते के कार्यान्वयन के बारे में इतने समय से जो यह सब चर्चा चल रही है, चाहे यह समझौता लागू हो अथवा नहीं, इसका आतंकवादी गतिविधियों से कोई सीधा संबंध नहीं है। यह कहने का कोई लाभ नहीं है। यदि, आप में क्षमता है तो इसे बेरहमी और निर्दयता से समाप्त करना होगा। परन्तु यह सच्चाई है कि जितने भी वक्ताओं ने कहा है कि आतंकवादियों को ऐसे बहुत से लोगों से एक प्रकार का सकारात्मक समर्थन अथवा सहानुभूति प्राप्त है, जो स्वयं आतंकवादी नहीं हैं क्योंकि उन सभी को कुछ शिकायत है, वह चाहे सही हो या गलत, और यह सरकार का कार्य है कि वह इन वास्तविक अथवा काल्पनिक शिकायतों को दूर करे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आतंकवादियों को समर्थन प्रदान किया जाता रहेगा। इस सम्बन्ध में मेरे विचार से प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है, प्राथमिक जिम्मेदारी केन्द्र की है, प्रधान मंत्री की है जिन्होंने स्वयं इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मेरे विचार से समझौते के आधार पर पंजाब की सम्पूर्ण जनता को एक करने की जो सम्भावना पैदा हो गई है, उसे गंवा नहीं देना चाहिए। यह अपने आप में एक सम्पूर्ण दस्तावेज नहीं है। इसमें लिखा प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक पैरा शत प्रतिशत सही नहीं है परन्तु हमने उस समय इस समझौते का स्वागत किया था क्योंकि उन परिस्थितियों में राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए वह सर्वश्रेष्ठ संभव कदम था। परन्तु अब प्रश्न इसके क्रियान्वयन का है। इसमें हम असफल रहे हैं क्योंकि इसमें कहा गया है कि हमें इसे अक्षरशः लागू करना है। इसकी एक जो सबसे बड़ी कमजोरी रही, जो एक भारी चूक हुई वह यह कि समझौता करते समय हरियाणा से कभी भी परामर्श नहीं किया गया यद्यपि यह समझौता······

प्रधानमन्त्री (राजीव गांधी) : महोदय, क्या मैं बीच में हस्तक्षेप कर सकता हूं। समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले से ही हरियाणा से बराबर परमर्श किया गया था। यह हरियाणा को दिखाया गया था। समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व काफी देर तक मैं हरियाणा के मुख्य मंत्री के साथ था। मैं इस बात पर पुनः बल देता हूं कि हम इस समझौते को अक्षरशः लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं।

एक बात और। दुर्भाग्यवश सभी का यह विचार प्रतीत होता है कि चण्डीगढ़ वाले मुद्दे के बारे में कुछ कारणों से केन्द्रीय सरकार से चूक हो गई। परन्तु यदि आप इस समझौते के शब्दों पर और इसकी भावना पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमने लेशमात्र भी चूक नहीं की है।

हां, इसमें कुछ देरी हुई है। हम इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। विलम्ब होने का एक कारण रहा है। मैं उसे सदन में बताना नहीं चाहूंगा। मेरा न बताना अच्छा है। कुछ दिनों बाद मैं इस बारे में बता सकता हूं। परन्तु उस समझौते की कुछ अन्य धारायें भी हैं। जिन्हें हमारे द्वारा कार्यान्वित किए जाने की आवश्यता नहीं है और यह समझौता पूर्णतौर पर एक समझौता है। इसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता और यह नहीं कहा जा सकता कि हम इसकी 11 मदों में से 9 मदों को अभी लागू करेंगे 2 मदों को 1989 में देखेंगे। हमें इन सभी को एक मानना चाहिए। यद्यपि मदें एक दूसरे से सम्बन्धित नहीं हैं परन्तु यह एक समझौता है।

प्रो० मधु दंडवते : कुछ धाराएं समयबद्ध हैं। उनके बारे में कठिनाई पैदा हुई है।

श्री राजीव गांधी : जिन धाराओं की मैं बात कर रहा हूं वे भी समयबद्ध हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे यह जानकर खुशी है कि हर बार हरियाणा के मुख्य मन्त्री से परामर्श किया गया था। मेरे विचार से ऐसा कहने से आपका तात्पर्य यह है कि मुख्य मन्त्री ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी। यदि यह बात है तो अब आपको उनके गैर जिम्मेदार वक्तव्यों और हरकतों के लिए उनकी खिचाई करनी चाहिए। आप दोहरी नीति नहीं अपना सकते।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : उन्होंने कोई गैर जिम्मेदारना वक्तव्य नहीं दिया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है लोग स्वयं इस बात का निर्णय कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय सच्चाई यह है कि हरियाणा में बड़ा आंदोलन चल रहा है और कम से कम मैं यह नहीं चाहता······न तो मैं पंजाबी हूं और न ही मैं हरियाणा का हूं इस लिए मुझे किसी के प्रति द्वेष अथवा पक्षपात की भावना नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि हमें एक वर्ष अथवा दो वर्ष बाद हरियाणा में भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़े। यह एकमुश्त समझौता है। यह पंजाब से संबंधित है परन्तु यह हरियाणा और राजस्थान से भी संबंधित है और इसलिए उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि अब क्या हो रहा है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि केन्द्र ने चण्डीगढ़ के मामले में चूक की है। मैंने यह नहीं कहा। परन्तु तथ्य यह है कि समझौते में एक समयबद्ध धारा है जिसमें कहा गया है कि दो बातें की जानी हैं।

श्री राजीव गांधी : यदि आप धारा को पढ़ें तो उसमें कहा गया है कि दो बातें एक साथ की जानी हैं और आयोग हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। अब आयोग ने हमें बताया है, यदि आपको रिपोर्ट की याद है तो, मुझे उसके शब्द याद नहीं है परन्तु यदि आपको रिपोर्ट में कही गई बातें याद हैं तो आप देखेंगे कि आयोग ने पहला सुझाव यह दिया है कि दोनों पक्षों के बीच कोई द्विपक्षीय हल ढूंढा जाना चाहिए और दूसरा सुझाव था कि इस पर विचार करने के लिए एक अन्य आयोग गठित किया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या द्विपक्षीय हल ढूंढा गया ?

श्री राजीव गांधी : जी हां, निश्चित रूप से द्विपक्षीय हल ढूंढा गया। इस दिशा में प्रयास करने और दोनों पक्षों को साथ लाने में कुछ समय लगा तथा दोनों मुख्य मंत्रियों के बीच आपसी समझौता कराने के लिए कई प्रयास करने पड़े।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका तात्पर्य है कि कुछ समय के लिए तो आपसी समझौते की सम्भावनाएं क्षीण हैं। इसलिए अब हम मैथ्यू आयोग पर निर्भर करते हैं जोकि पहला आयोग है और मेरे विचार से यह आयोग कोई भी निष्कर्ष निकालने में असफल रहा है। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : इसने देर से कार्य आरम्भ किया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, इसने देर से कार्य आरम्भ किया। अब हमें कुछ नहीं मालूम कि क्या होना है। मैथ्यू आयोग ने कहा है कि एक अन्य आयोग बैठाया जाना चाहिए।

श्री राजीव गांधी : शायद हम बिठाएंगे।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने हमें कुछ नहीं बताया है, आपने देश को कुछ नहीं बताया है। समय नष्ट होता जा रहा है। आप इस प्रकार आत्मसंतुष्ट नहीं रह सकते। अब आपका क्या करने का विचार है। यदि आप कुछ विचारार्थ विषयों के साथ कोई दूसरा आयोग बैठाना चाहते हैं तो आपको यह कार्य कर देना चाहिए और इसमें समय नहीं गंवाना चाहिए।

श्री राजीव गांधी : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि नए आयोग के विचारार्थ विषय बिल्कुल वही नहीं हो सकते जो पहले आयोग के थे क्योंकि यदि वही विचारार्थ विषय रहे तो हम फिर वहीं आ खड़े होंगे जहां से शुरू किया था। नए विचारार्थ विषय निर्धारित करते समय हरियाणा और पंजाब से भी इस बारे में बात करनी होगी और इसके बारे में हमें दोनों की सहमति प्राप्त करनी है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस विलम्ब के कारण और हरियाणा में बड़े पैमाने पर की जा रही आंदोलन की तैयारी के कारण दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता कराना अब और भी कठिन होगा। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं तो यह बता रहा हूं कि विलम्ब के कारण स्थिति किस प्रकार जटिल बनती जा रही है।

प्रो० मधु दंडवते : परन्तु वह कहते हैं कि मुझे दोष दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह आपके ऊपर निर्भर है। आप देश को बताइए, आप पंजाब और हरियाणा को बताइए कि आपका अब क्या विचार है और आप क्षेत्रों के हस्तांतरण के प्रश्न को किस प्रकार निपटाना चाहते हैं।

श्री राजीव गांधी : यदि आप हमें बताने दें तो हम आपको भी बता सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आवश्यक होगा तो हम यहां सारी रात रुकने के लिए तैयार हैं।

फिर पानी का प्रश्न लीजिए। पहले तो आठ महीनों तक किसी न्यायाधिकरण का गठन ही नहीं किया गया। अभी कल हमने एक विधेयक अर्थात् रावी-ब्यास जल न्यायाधिकरण विधेयक पारित किया था। मैं और हम सभी यह आशा करते हैं कि नदियों का यह पानी जीवनदायिनी होगा न कि खून से रंगा हुआ। यह जीवन देने वाला पानी होना चाहिए मौत देने वाला नहीं। कुछ प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण आठ महीनों तक कोई न्यायाधिकरण गठित नहीं किया गया। यहां वाद-विवाद में यही स्पष्टीकरण दिया है।

अध्यक्ष महोदय, इस समझौते में एक स्पष्ट तिथि निर्धारित की गई है अर्थात् 1-7-1 85 और कहा गया है कि उस तारीख को तीनों राज्यों को उतने पानी से कम पानी नहीं मिलेगा

जितना वे 1-7-1985 को प्राप्त कर रहे थे। मुझे यह तारीख निर्धारित करने का तर्क समझ में नहीं आता। उस समय मैंने यह प्रश्न पूछा था, मैंने यह जानने का प्रयास किया था कि वास्तव में किस आधार पर यह विशेष तारीख निर्धारित की गई परन्तु कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है, सिवाए इसके कि इसका बरसात के मौसम से कुछ सम्बन्ध है।

मुद्दा यह है कि सही अथवा गलत ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि यह वह तारीख है जिसको पंजाब जितना सामान्यतः पानी प्राप्त करता है उससे कहीं अधिक पानी प्राप्त कर रहा था।

श्री राजीव गांधी : महोदय, इस बारे में मैं स्थिति स्पष्ट कर सकता हूं क्योंकि समझौते पर मैंने भी हस्ताक्षर किए हैं। यह बात संत लोंगोवाल जी ने उठाई थी कि पानी की मात्रा कम नहीं की जानी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि जिस राज्य में भी किसान इतना पानी प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें इससे कम पानी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि पानी में कटौती की बात किसी भी किसान को स्वीकार्य नहीं होगी और हमने सोचा कि यह तर्क संगत बात है। इसलिए, यह जुलाई के मध्य की बात है। हमने निर्णय किया कि जिस अन्तिम तारीख के आंकड़े उपलब्ध थे वह पहली जुलाई थी इसलिए हमने पहली जुलाई निर्धारित कर दी। इसके अलावा और कोई तर्क नहीं था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह तदर्थ आधार पर किया गया था ?

श्री राजीव गांधी : यह बात देखनी थी कि किसानों को जितना पानी अब प्राप्त हो रहा है उससे कम प्राप्त न हो। उस तारीख को मिल रहे पानी की मात्रा के बारे में हो सकता है आपकी जानकारी सही न हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसको मानते हुए 1-7-1985 को जितना पानी उपलब्ध था, उससे अतिरिक्त शेष पानी के बंटवारे का निर्धारण इस न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना है। जब तक सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर बन कर तैयार नहीं हो जाती—यह कार्य भी समयबद्ध है—इसके लिए एक निर्धारित तिथि है, तो ये सारे प्रयास असंगत और निरर्थक हो जाएंगे।

ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक शेष पानी के बंटवारे का निर्णय नहीं हो जाता, जब तक यह पता नहीं चलता कि हरियाणा को वास्तव में कितनी पानी मिलेगा, नहर खोदने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि हमें यह पता ही नहीं है कि इस नहर में कितनी मात्रा में पानी होगा।

अपेक्षाकृत पानी की आवश्यकता है, इसलिए बड़ी और चौड़ी नहर की आवश्यकता है जिसमें अधिक मात्रा में ले जाया जा सके। यदि हरियाणा को कम मात्रा में पानी दिया जाता है तो उसके लिए यह नहर भी पर्याप्त होनी चाहिए क्या किया जा रहा है ? हरियाणा के किसान भी आन्दोलन कर रहे हैं। उन्हें पानी की आवश्यकता है।

अब कुछ लोग इस पर आपत्ति उठा रहे हैं। उस दिन मैंने अकाली दल के सदस्य द्वारा की गई इस आपत्ति का विरोध किया था कि हरियाणा नदी तटीय राज्य नहीं है क्योंकि ब्यास-रावी नदियां हरियाणा से होकर नहीं बहती हैं। यह अजीब तर्क है। जब तक हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था तब तक वह, नदी तटीय राज्य था। जैसे ही हरियाणा एक अलग राज्य बन गया तो वह नदी तटीय राज्य नहीं रहा। इस प्रकार के तर्क को स्वीकार नहीं किया

जा सकता। आप इस प्रकार किसी व्यक्ति को अपनी बात नहीं समझा सकते। इसलिए इसमें किलम्ब हो रहा है। यह अच्छा होगा कि आप इस बारे में स्पष्ट रूप से कह दें कि दुर्भाग्यवश अमुक कारणों से समझौते के कर्यान्वयन में विलम्ब होता जा रहा है परन्तु जितना शीघ्र हम कर सकेंगे हम इसे कार्यान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे इस बात की आशंका है कि इस बीच आतंकवादी पंजाब के लोगों में आकर कुछ आधार बनाएंगे जिन्हें अन्यथा ऐसा करने का मौका नहीं मिल पाता। इसलिए, मेरे विचार से यह राजनैतिक नीति आवश्यक है, जिस पर हम सब एक मत हैं, कि इन लोगों को अलग-थलग किया जाए। हम उन्हें कैसे अलग-थलग कर सकते हैं? श्री अरुण नेहरू की आधुनिक अस्त्र-शस्त्र तथा संचार व्यवस्था से इतर हम उन्हें कैसे पृथक कर सकते हैं? महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन लोगों को राजनैतिक दृष्टि से कैसे अलग कर सकते हैं? निश्चय ही एक उपाय यह है कि प्रचार माध्यमों द्वारा लोगों को सारी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। लोगों को यह अवश्य समझना चाहिए कि वास्तम में क्या किया जा रहा है। अब हमें यहां यह बताया जा रहा है कि क्षतिपूर्ति के प्रशन, सेना के लोगों की बहाली सम्बन्धी प्रश्नों आदि पर समग्र रूप से पहले ही अनेक बातों का क्रियान्वयन कर दिया गया है। परन्तु मैं नहीं समझता कि देश के अधिकतर लोगों को इस बात बात की जानकारी है। इसका प्रचार नहीं किया गया। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या किया जा रहा है।

दूसरा, मुझे डर है कि पंजाब में पुलिस की निष्क्रियता है तो बाहर पुलिस ने ज्यादतियां की हैं। इसे ध्यान में रखना होगा। पंजाब से बाहर सिख होने के कारण लोगों को—युवकों को अपराधी समझा जाता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जिससे केवल भावनाएं और अधिक उभर सकती हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए श्री वेद मरवाह की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई। अकतूबर, 1984 के उन भयानक दिनों में पुलिस ने क्या किया और क्या नहीं किया, यह दर्शाने वाली श्री वेद मरवाह की रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया। निश्चय ही, रंगानाथन आयोग स्पष्ट रूप से बहुत धीमी गति से कार्य कर रहा है। यह दस्तावेज उनके पास है जिसके कार तमाम सामान्य लोगों के मन में शिकायतें और असन्तोष व्याप्त है। अतः लोगों के मन से यह असन्तोष दूर करने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाए जाने चाहिएं। यदि लोगों के मन से यह असन्तोष दूर नहीं किया जाता तो आतकवादियों को सामान्य जनता से अत्यधिक सहयोग मिलता रहेगा।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि हमें अपनी कार्यवाही करनी होगी। हम इस प्रकार से बातचीत (बैठकें) जारी नहीं रख सकते। पिछले महीने की 24 तारीख को केवल एक सप्ताह पहले चंडीगढ़ में बैठक हुई थी जो राज्य स्तर पर सर्वदलीय बैठक थी। वह बैठक हमारे दल के सचिव द्वारा आयोजित की गई थी परन्तु मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि सभी दलों ने इस बैठक में भाग लिया और इस बैठक में उन्होंने निर्णय लिया कि वह सब लोग सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों, सभी दृढ़ शक्तियों तथा सभी शान्ति प्रिय शक्तियों को अवश्य ही व्यापक स्तर पर संयुक्त जन आन्दोलन शुरू करना चाहिए और हमें अपने संयुक्त अभियान के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए उनके पास जाना चाहिए हम अपने स्तर पर यह कैसे कर सकते हैं? हमें शीघ्र ही

कुछ कार्यक्रम बनाना चाहिए हमें एक साथ आम लोगों के पास जाना चाहिए और निचले स्तर तक अभियान को ले जाना चाहिए। मुख्य रूप से यह राज्य स्तर पर किया जाएगा परन्तु हम केन्द्र सरकार कीं ओर से उनकी सहायता कर सकते हैं और हमें अपना पूर्ण सहयोग उन्हें देना चाहिए। इन दिनों, इस माह जब जालियांवाले बाग के शहीदों को भी याद करना होगा, शहीद भगत सिंह शहीदी दिवस अभी बीता है। अब लाला लाजपत राय का शहीदी दिवस भी बहुत दूर नहीं है। इन अवसरों का अवश्य लाभ उठाना चाहिए सभी शक्तियां जो सभी प्रकार की साम्प्रदाकिता और साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करना चाहती हैं क्योंकि इस साम्प्रदायिक धृवीकरण से इस बात का खतरा है कि ब्यास नदी के दक्षिणी क्षेत्र के अमृतसर तथा गुरदासपुर के सीमावर्ती जिलों से फैलने वाले आतंकवादी कार्यकलापों का एक ढंग है। इस पागलपन के पीछे कोई पद्धति है और यह साम्प्रदायिक फूट जानबूझ कर पंजाब के बाहर अशांति उत्पन्न करके के उद्देश्य से पैदा की गई है। यदि आप इसे समाप्त नहीं कर सकते तो इससे तबाही की स्थिति उत्पन्न होगी और इसलिए महोदय मैं केवल यह कहूंगा कि यहां उच्च विचार व्यक्त करने वाले सभी दलों, को आपस में मिलजुल कर राज्य में लोगों के बीच एक बड़ा अभियान शुरू करना चाहिए ताकि हम वास्तव में उग्रवादियों और आतंकवादियों को अलग-थलग कर सकें।

संचार मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): अध्यक्ष महोदय, सभा में आतंकवाद के बढ़ते हुए खतरे पर चर्चा की जा रही है और यह स्वाभाविक है कि पंजाब में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वह इस विचार विमर्श में भाग ले रहे माननीय सदस्यों के मन में प्रमुख रूप हों। मैंने इसमें की गई टिप्पणियों को समझा है। यह विचार-विमर्श बहुत उच्च स्तर का रहा है। इस चर्चा को जितना सम्भव हो सके रचनात्मक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में इस सभा में जो कुछ भी कहा जाएगा वह पंजाब की स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ प्रभावी अवश्य होगा और इस पर अवश्य चिंता भी जाहिर होगी और राष्ट्र यह महसूस करता है कि इस गंभीर समस्या को सुलझाना है और यह सभी दलों और व्यक्तियों के सहयोग से सुलझायी जाएगी। महोदय समझौते के कार्यान्वयन के बारे में बहुत सी शकाएं उठाई गई हैं। हमारे प्रधानमंत्री के कहने के बाद, मैं समझता हूं कि इस सभा में और इसके बाहर किसी भी व्यक्ति के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि सरकार समझौते को लागू करने के बारे में गम्भीर नहीं है और समझौते को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए जो सम्भव हो, वह सब सरकार द्वारा नहीं किया गया। श्री अर्जुन सिंह सहित अन्य सदस्यों, ने जिनकी इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, समझौते को लागू करने संबधी कुछ विवरण दिए गए हैं। मैं उन सभी मुद्दों का उल्लेख करूंगा जिनके बारे में कुछ शंकाएं की गई हैं। एक संदेह सेना से बरख़ास्त किए गए लोगों के पुनर्वास के बारे में है और यह कहा गया है कि इसका कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

महोदय, मैं नम्रतापूर्वक यह कहूंगा, जैसा कि श्री अरुण नेहरू ने अभी हाल ही में उल्लेख किया है, कि इस पर विचार किया जा रहा है, और यह मैं कहना चाहूंगा कि यह समझौता उन लोगों के पुनर्वास के संबंध में है, जिन्हें सेना से बरखास्त किया गया है। परन्तु महोदय, केवल 237 लोगों को बरखास्त किया गया है, और जिसमें से 209 लोगों को पहले ही रक्षा

सुरक्षा कोर में भर्ती कर लिया गया है। महोदय, अब नहीं पहले ही भर्ती कर लिया गया है। मैं रक्षा मंत्रालय की 17 अगस्त, 1985 की प्रेस विज्ञप्ति से मैं यह उद्धृत कर रहा हूं और कुछ थोड़े लोगों के मामले में, जिन्हें विभिन्न कारणों से वापस नहीं लिया गया इनमें कुछ लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य थे। अत: 237 लोगों, जिन्हें बरखास्त किया गया, में से 209 लोगों ने रक्षा सुरक्षा कोर में पहले ही कार्य प्रारम्भ कर दिया है, जो कि रक्षा मंत्रालय का ही एक भाग है। अत: उन्हें पूर्ण रूप से बहाल कर लिया गया है और जितना शीघ्र सम्भव हो सका हमने यह कार्य पूरा कर दिया है।

महोदय, इस सम्बन्ध में दूसरा सम्बन्धित प्रश्न सेना में भर्ती के बारे में है। देश के सभी नागरिकों को सेना में भर्ती के लिए नाम दर्ज कराने का अधिकार है और उसमें चयन के लिए योग्यता का मानदण्ड होगा। कुछ समय के लिए 'ब्लू स्टार आपरेशन' के बाद केवल सिख रेजिमेंट में सिखों की भर्ती बन्द कर दी गई थी। उस समय भी, सेना के अन्य रेजिमेंटों में सिखों की भर्ती बन्द नहीं की गई। परन्तु समझौते पर हस्ताक्षर करने से काफी समय पूर्व दिसम्बर 84 में सिख रेजिमेंट में सिखों की भर्ती की रोक का आदेश रद्द कर दिया गया। आप मामले विशेष में सरकार की ईमानदारी और निष्ठा देख सकते हैं और सम्पूर्ण सिख समुदाय के प्रति अविश्वास की भावना और कलंक लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह प्रतिबन्ध बहुत कम समय के लिए लगाया गया था। बहुत जल्दी ही यह छोटा सा प्रतिबन्ध भी हटा दिया गया था। अन्य सेनाओं में सिखों की भर्ती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समझौते में यह बात नहीं थी। क्या यह समझौते में शामिल था?

अध्यक्ष महोदय : यह समझौते से पहले की बात है।

श्री राम निवास मिर्धा : यह आम धारणा है, देश के सभी नागरिकों को सेना में नाम दर्ज कराने का अधिकार है। हो सकता है कि कुछ संदेहों को दूर करने अथवा कुछ सिद्धांतों पर दृढ़ रहने के लिए ऐसा किया गया हो। यह एक सामान्य बात है। इसमें सिखों का भी उल्लेख नहीं किया गया।

श्री चरणजीत सिंह अठवाल (रोपड़) : एक यूनिट विशेष में नहीं अपितु सामान्यत: सेना में आम भर्ती की क्या स्थिति है?

श्री रामनिवास मिर्धा : समझौते में यह बहुत सामान्य प्रस्ताव है, इसमें सिखों का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया। मैंने यही कहा है। परन्तु जहां तक सिखों का सम्बन्ध है, सरकार ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि सरकार को सेना में सिखों की भर्ती नहीं करनी चाहिए और हमने ऐसा कभी नहीं किया।

श्री चरणजीत सिंह अठवाल : शायद आप इसमें भ्रमित हो रहे हैं। यह कोई यूनिट विशेष अथवा रेजिमेंट विशेष अथवा सिख रेजिमेंट के लिए नहीं है। आपने कुछ सीमाएं लागू की हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

[अनुवाद]

श्री रामनिवास मिर्धा : मैंने कहा है कि सिखों की भर्ती कभी नहीं रोकी गई चाहे आपरेशन ब्ल्यूस्टार हो अथवा न हो। उनका कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया था। इसके

बावजूद सिखों का प्रतिशत उनकी जनसंख्या की तुलना में बहुत अधिक है और यह आगे भी इसी प्रकार बना रहेगा।

श्री चरणजीत सिंह अटवाल : समझौते में इसके बारे में कोई खंड रखने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री रामनिवास मिर्धा : जैसाकि बताया जा चुका है, यह सिखों के बारे में नहीं है। यह सेना में भर्ती के संबंध में एक आम स्थिति है ।

प्रो० मधु दंडवते : यह पूरी सावधानी के साथ रखा गया था।

श्री रामनिवास मिर्धा : जी हां, यह पूरी सावधानी के साथ रखा गया था और एक भावी मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में रखा गया था कि इस संबंध में भविष्य में हम क्या कर सकते हैं। किन्तु इसमें ऐसा कोई सन्देह नहीं रहना चाहिए जो इस मुद्दे में उठ सकता हो। महोदय, मुझे विश्वास है कि सभा इससे सहमत होगी और आप भी सहमत होंगे कि हमने समझौता लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किया।

इस बारे में की गई ढील और सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही के बारे में कुछ शंकाएं उठी थीं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इसका उल्लेख किया और श्री दिनेश गोस्वामी ने भी इसका उल्लेख किया मैं बताना चाहूंगा कि जब घृणित हत्याओं की खबर मिल रही थी उस दिन प्रधानमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों और अपने सहयोगियों के साथ एक सम्मेलन में थे। उनके दिमाग में सबसे प्रमुख बात यह थी कि इन हालातों में देश में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए, मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में मैं कोई गुप्त बात प्रकट नहीं कर रहा हूं यदि मैं यह कहूं कि उन्होंने मुझे तत्काल ही टेलीफोन किया और कहा कि जब वे इसके दूसरे पक्ष की ओर निगरानी कर रहे हों तो इस कार्य को मैं देखूं और हर कीमत पर शांति बनाये रखने के लिए सभी राज्य प्रशासनों और मुख्य मंत्रियों से सम्पर्क करूं। उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी इतनी अधिक थी कि वे हर समय इसी के बारे में सोचते रहते थे। हमने कार्यवाही की है और इसकी जांच की है तथा मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों और प्रशासनों द्वारा की गई कार्यवाही बहुत ही संतोषजनक है। उन्होंने किसी तरह की ढील नहीं की है और हम सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि हमारी यह कोशिश रहेगी कि इस प्रकार की कोई घटना न हो और राज्यों को हमारा पूरा सहयोग वैसा ही मिलता रहे जैसाकि इस समय मिल रहा है।

इस तरह से कार्य करने का मतलब यह हुआ कि हम आतंकवादियों के हाथों में खेल रहे हैं। यही वे चाहते हैं। उनका एक उद्देश्य यह है कि अन्य राज्यों के सिख वहां पहुंच जाएं और हिन्दुओं को भयभीत किया जाए ताकि वे पंजाब छोड़कर भाग जाएं; वहां जनसंख्या की अदला-बदली हो और किसी न किसी प्रकार वे पंजाब छोड़ने को तैयार हो जायें, किन्तु सरकार और सभा को इस गंभीर स्थिति की पूरी जानकारी है। मैं एक बार आपको फिर आश्वासन दे सकता हूं कि हम अपना वह पूरा प्रयास जारी रखेंगे जो इस संबंध में आवश्यक है।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि स्थिति वहां अभी भी गंभीर बनी हुई है। किन्तु कुछ बहुत ही स्पष्ट और आशाजनक संकेत दिख रहे हैं। हम भली भांति यह कह सकते हैं कि अब समय बदल रहा है। आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए पंजाब सरकार स्वयं

ही तैयार हो रही है । केन्द्र सरकार उसकी हर संभव तरीके से सहायता कर रही है, जिसका ब्योरा अभी दिया गया था । आनन्दपुर साहिब में आतंकवादियों ने अपनी धमकी वापस ले ली थी । पुलिस तथा सुरक्षा बलों ने घृणित हत्याओं में लिप्त तीन व्यक्तियों को पकड़ लिया है । उन की । आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें आतंकवादियों को जान गंवानी पड़ी है । तैयारियां की जा रही हैं और इन सभी उपायों से स्थिति बदल रही है तथा अकाली दल आशावान होकर श्री बरनाला जी के नेतृत्व का समर्थन भी कर रहा है, मैं आशा करता हूं कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी ।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने भी रुख बदला है ।

श्री रामनिवास मिर्धा : जी हां, अवश्य । मैं इन कार्यों का बातों को और इसे बहुत ही सकारात्मक विकास मानता हूं जो स्थिति में सुधार करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं । इस प्रक्रिया को जारी रखना होगा, जिसमें पंजाब और पंजाब से बाहर की जनता का सहयोग लेना होगा । जब तक इस बिशाल कार्य में सभी वर्गों के लोग सहयोग नहीं देंगे तब तक आतंकवाद के वास्तविक खतरे को समाप्त नहीं किया जा सकेगा । लेकिन सकारात्मक विकास कार्यों को देखते हुए और इस सभा के सभी वर्गों के सदस्यों की ऐसी सर्वसम्मत भावनाओं को देखते हुए कि इस खतरे को समाप्त किया जाए, हम कुछ कर सकने में समर्थ हो सकेंगे । प्रधानमंत्री जी ने स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय मतैक्य स्थापित करने को कहा है और मुझे आशा है कि उन्हें और उनकी सरकार को इस सभा के सभी वर्गों के सदस्यों का समर्थन और सहयोग निरन्तर रूप से मिलता रहेगा ताकि विनाश का वह दौर, जिससे पंजाब गुजर रहा है और सम्पूर्ण राष्ट्र गुजर रहा है, समाप्त किया जा सके ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : गृह राज्य मंत्री ने इस सभा को अभी पुनः आश्वासन दिया है कि समय तेजी से बदल रहा है । उनके ये शब्द सुनकर हमें प्रसन्नता हुई है । लेकिन हमें जघन्य घटनाओं के बारे में रोज समाचार पत्रों में छपी खबरों और पंजाब से आने वाले लोगों से मिली खबरों से पता चलता है कि वहां स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है ।

महोदय, मुझे कहना ही पड़ेगा कि यद्यपि राज्य में इस समय जो समस्या है वह कानून व्यवस्था की समस्या दिखाई देती है, मैं समझता हूं कि इस समस्या का अन्तिम हल इसे राजनीतिक तरीके से सुलझाने पर निर्भर करता है ।

अनेक सदस्यों ने इस समस्या के सम्बन्ध में विस्तार से विचार व्यक्त किए हैं और उन्होंने इसकी पृष्ठभूमि भी बताई है । जो बातें पहले कहीं जा चुकी है उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता । किन्तु मैं यह भी कहना चाहूंगा कि निश्चत रूप से मेरा विचार उन लोगों के विचार से मेल नहीं खाता जो यह सोचते हैं कि केवल समझौता लागू करने से ही आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सकेगा । महोदय, आतंकवादी जिस दिशा में और जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उससे स्पष्ट पता लगता है कि वे क्या प्राप्त करना चाहते हैं और उनका इरादा क्या है, यह हमें अच्छी तरह मालूम है । वे न केवल हिन्दुओं को मार रहे हैं बल्कि सिखों को भी मार रहे हैं । एक सप्ताह पहले, मुझे बताया गया कि नकोदर के पास एक गांव में आतंकवादियों द्वारा छह सिखों की हत्या कर दी गई ।

8.57 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अतः यह बात नहीं है कि आतंकवादियों के क्रोध का सामना अकेले हिन्दू ही कर रहे हैं। डाकुओं और लुटेरों के इन समूहों द्वारा, जो पंजाब में घबराहट और आतंक की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, सिखों पर भी हमला किया जा रहा है।

महोदय, इस संबंध में चर्चा करते हुए, मुझे जल्दबाजी और आवेशपूर्ण तरीके के बारे में मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, जिसके अन्तर्गत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते का हम सभी स्वागत करते हैं। समझौता करना आवश्यक हो गया था। किन्तु जब समझौता किया गया था, तो संत लोगोंवाल ने उस पर यह मानकर हस्ताक्षर किए थे कि वे समस्त पंजाब की जनता के पूर्ण प्रतिनिधि हैं। सबसे पहले, मुझे यह पक्का विश्वास नहीं है कि लोगोंवाल को पूरे अकाली दल का विश्वास प्राप्त हुआ हो। इसके अतिरिक्त, पजाब में गैर सिख भी हैं और ऐसे सिख भी हैं जो अकाली नहीं हैं। मेरी स्पष्ट राय है कि इस प्रकार की स्थिति में यदि हरियाणा और पंजाब के मुख्य मंत्रियों के साथ-साथ इन सभी विभिन्न वर्गों से, जो पंजाब में अल्प संख्या में हैं, सलाह मशविरा किया गया होता और इस समझौते के लिए उन्हें एक पार्टी के रूप में रखा गया होता तो यह उपयुक्त होता।

इसके अतिरिक्त, जिन स्थितियों को हम नाजुक समझते हैं और जिनके लम्बी अवधि तक बने रहने की संभावना है उनके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की समय सीमा निर्धारित करना एक विवेकपूर्ण निर्णय है।

अब हमें इन तथ्यों को उजागर करना है क्योंकि समझौते का लागू न होना उन तर्कों में से हैं जिन्हें आतंकवादी पंजाब में जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए दे रहे हैं।

महोदय, जब हम इस राजनीतिक समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस सभा में भिन्न-भिन्न वर्गों के सभी सदस्यों को एक मत होकर कहना होगा कि हमें अकाली सरकार और मुख्य मंत्री श्री बरनाला के हाथ मजबूत करने ही चाहिए। मेरी यह भी राय है कि यह किया जाना चाहिए। किन्तु यह सिर्फ सभा में ही नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप में भी किया जाना चाहिए। आज यहां कांग्रेस (इ) पार्टी सत्ता में है। वह समझौता करने वाली पार्टी है। कांग्रेस (इ) पार्टी की पंजाब इकाई एक बात कहती है और हरियाणा के मुख्यमंत्री दूसरी बात कहते हैं और यहां केन्द्र सरकार कुछ और बात कहती है।

9.00 म० प०

यह बात पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए कि सत्तारूढ़ कांग्रेस (इ) की जो कि समझौता करने वाली पार्टी है, क्या विचारधारा है और केन्द्रीय नेतृत्व को, जो स्वयं प्रधान मंत्री हो सकते हैं, इसे स्पष्ट कर देना चाहिए; वह न केवल स्पष्ट ही करे बल्कि उन लोगों की ताड़ना भी करे जो इस प्रकार के वक्तव्य देकर असामंजस्य लाए हैं और पंजाब की जनता तथा सिखों के दिमागों में संदेह पैदा किया है।

इस समय दो मुख्य समस्याएं हैं जिनके संबंध में कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। एक समस्या सेना से भागे हुए सैनिकों के बारे में है; दूसरी समस्या उन लोगों के बारे में

है जो जोधपुर जेल में हैं । मुझे बताया गया है कि जोधपुर जेल में जो लोग बन्द हैं उनमें से कई पूजापाठ करने वाले व्यक्ति थे । उनमें से कुछ स्वर्णमंदिर के कर्मचारी थे । उनमें से कुछ आतंकवादी भी हो सकते हैं ।

फिर भी जहां तक भगोड़े सैनिकों का सम्बन्ध है, उस समय वह भावनात्मक सुखाभास था । इस अवस्था में किसी व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार यह सिखों की, पंजाब की जनता की मनोवैज्ञानिक तुष्टि है; न कि केवल समझौतों अथवा वक्तव्यों के जरिए किया जाने वाला कोई समाधान है ।

माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे किसी जांच अथवा छानबीन के जरिए यह पता लगाएं कि जेलों में ठूंसे गए लोगों में से अथवा सेना से भागे हुए सैनिकों में से यदि वास्तव में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उग्रवादी नहीं हैं और उनका ऐसा रवैया नहीं है, तो उनका पुनर्वास किया जा सकता है अथवा किसी न किसी तरीके उन्हें नौकरी में बहाल किया जा सकता है । यह ऐसा कार्य है जिससे इस कोटि के ऐसे अनेक व्यक्तियों का निश्चित रूप से विश्वास प्राप्त होगा जो वास्तविक रूप से इसका मतलब समझे बिना अनेक कार्यों में संलग्न हो गए हैं ।

मैं आपके माध्यम से पंजाब की अकाली सरकार से अपील करता हूं कि वह अपने विवाद निपटाए । श्री प्रकाश सिंह बादल हैं, जो मुख्य मंत्री रहे हैं । मैं श्री टोहरा के विचारों का समर्थन नहीं करता । मधु जी ने भी यहां इसका उल्लेख किया है किन्तु जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उसे फिर कहना चाहूंगा । पहली बात तो यह है, मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार तथा यहां के अधिकारीगण अकली दल में पड़ी फूट को दूर कर सकते हैं जिससे मैं समझता हूं कि पंजाब में स्थिति सुधारने में बहुत मदद मिलेगी ।

आज, अभी श्री सुरजीत सिंह बरनाला न केवल सिखों के प्रतिनिधि हैं बल्कि हिन्दुओं के भी प्रतिनिधि हैं । किन्तु मुझे यह बताया गया है कि उनके मंत्रिमण्डल में हिन्दुओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यह हो सकता है कि अकाली दल से कई हिन्दू उम्मीदवार चुनकर न आए हों किन्तु मुझे हैरानी है कि इस तरह कि परिस्थितियों में क्या कोई पंजाब में दूसरे सदन, विधान परिषद को फिर से गठित करने अथवा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उसमें शामिल करने की बात सोची जा सकती है ताकि उन लोगों की भी सरकारी तंत्र तथा प्रशासन में भागीदारी हो । इससे लोगों में विश्वास की भावना पैदा होगी । यह केवल सुझाव मात्र है । मैं नहीं जानता कि क्या ऐसा सम्भव है । मुझे इस बारे में जो तकनीकी कठिनाइयां आपके सामने आएंगी इनके बारे में भी पता नहीं । लेकिन मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा प्रयास है जिसके करने के लिये पंजाब के मुख्यमंत्री को राजी किया जा सकता है, क्योंकि वे न केवल सिखों का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि पजाब में रहने वाले सभी अन्य लोगों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं ।

अधिकांश अन्य बातें बता दी गई हैं । मैं ऐसी बातें कहने के लिए सदन का समय नहीं लेना चाहता जो असंगत हैं । बहुत से मित्रों ने सीमा पार के खतरे के बारे में कहा है । हमने पाकिस्तान में चल रहे प्रशिक्षण केंद्रों के बारे में भी सुना है । इन केंद्रों में उग्रवादी आते-जाते रहते हैं उन्हें कार्य सौंपा जाता है और उसके बाद वे पाकिस्तान वापस चले जाते हैं आदि-आदि । मेरे

विचार से जब हम इन पड़ोसी देशों जिन पर हमें शक है की बात करते हैं, जहां के सम्बन्ध में हमें यह जानकारी मिली है कि वे देश अपने आतंकवादियों से ऐसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, हमें उनके साथ शर्त रखनी चाहिए कि जब तक वे ऐसे कार्यों पर रोक नहीं लगाते हम उनके साथ बेहतर सम्बन्धों के बारे में और आगे बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि जो कार्य वे कर रहे हैं उससे अप्रत्यक्ष रूप से स्थिति बिगड़ रही है अथवा उससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तथा एकता को खतरा हो रहा है.। इन शब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे यह अवसर दिया। मैं गृहमंत्री जी को एक बार फिर यह बता देना चाहता हूं कि उनको इस समस्या पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और सिखों तथा राज्य के प्रभावित लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट करना चाहिये।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में जो बढ़ता हुआ आतंकवाद है, यह इस गांधी, गौतम और बुद्ध के देश में हम यह कहें कि हमारे देश के भाल के ऊपर एक कलंक है तो कोई अतिशियोक्ति नहीं होगी। यह आतंकवाद हमारे देश की एकता और अखण्डता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और खासतौर से जो हमारे सीमावर्ती प्रान्त हैं, पंजाब और जम्मू-काश्मीर में, वहां पर यह बढ़ता हुआ आतंकवाद हमारे सामने एक प्रश्न-चिन्ह खड़ा करता है। मान्यवर, आज वहां कई निरपराध लोगों की हत्यायें हो रही हैं और खास तौर से जालंधर और लुधियाना में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, वे हर नागरिक के रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न पैदा होता है कि आखिर इस देश में आतंकवाद क्यों है। इस आतंकवाद के पीछे कुछ षडयंत्र हैं और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे देश के ताने-बाने को विघटित करना चाहती हैं। जब हमारी भूतपूर्व नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जिन्दा थीं वे बराबर हमको उनके प्रति सचेत करती रहती थीं कि कुछ विदेशी ताकतें हमारी बढ़ती हुई ताकत को सहन नहीं कर पा रही हैं और वे हमारी व्यवस्था को समाप्त करना चाहती हैं, परन्तु उनकी बात पर कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज उसी का परिणाम है कि इस अंधी साम्प्रदायिकता ने हमारी उसमहान नेता और देश की मां को हमसे छीन लिया। मान्यवर, वही ताकतें आज फिर इस देश में गृह-युद्ध की स्थिति पैदा कर देना चाहती हैं। उनके इरादे नापाक हैं और वे इस देश में साम्प्रदायिक दंगे भड़का कर कुछ स्वप्न देख रहे हैं परन्तु इस देश का आम नागरिक, देशप्रेमी नागरिक उनके स्वप्न को कभी भी साकार नहीं होने देगा। बहुत आश्चर्य की बात है कि एक ओर पाकिस्तान हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरी ओर आतंकवादियों को प्रोत्साहन देता है। हमारे यहां कई स्थानों पर हुए दंगों में पाकिस्तानी शस्त्र मिलना इस बात का द्योतक है। अहमदाबाद और वीरावल में जो झगड़े हुए, उनमें भी इसी प्रकार के अस्त्र पाये गए। मैं आपको राजस्थान का एक उदाहरण देना चाहती हूं।

अभी कुछ समय पहले अजमेर शरीफ में उर्स के अवसर पर जहां कुछ यात्री पाकिस्तान से आये हुए थे, उन्होंने वहां पाकिस्तानी झंडा फहराकर नारेबाजी की। हमारी सरकार को ऐसी हरकतों के प्रति गंभीरता से पेश आना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति किसी दूसरे प्रांत मे और खासतौर से राजस्थान में न होने पाये।

पंजाब की ज्वलंत समस्या के समाधान का जहां तक ताल्लुक है, हमारे सामने दो शांति के दूत उभर कर सामने आए हैं—एक तो राजीव जी और दूसरे लौंगोवाल जी। उन दोनों के बीच जो समझौता हुआ, उसको न सिर्फ पंजाब के लोगों ने बल्कि सारे देश के लोगों ने पसन्द किया और उसी का परिणाम है कि आतंकवादियों के बहुत ज्यादा भड़काने के बावजूद भी 75 परसेंट लोगों ने वोट दिए और उस प्रान्त में एक पोपुलर गवर्नमेंट की स्थापना हुई। राजीव जी और लौंगोवाल जी के मध्य हुए समझौते की 11 क्लौजेज में से 9 क्लौजेज अब तक पूरी हो चुकी हैं और मैं तो कहना चाहती हूं कि बरनाला जी भी इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। सारे देश के शांतिप्रिय व्यक्ति उनके साथ हैं इसलिए उनको निडर होकर इस दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए। भारत सरकार की ओर से भी उन्हें आश्वासन दिया गया है कि वे हर काम में उनकी मदद करेंगे परन्तु मुझे यह समझ में नहीं आता कि उन्हीं की पार्टी के कुछ व्यक्ति, श्री बादल और श्री टोहरा, उनकी खिलाफत क्यों कर रहे हैं, उनकी क्यों आलोचना करते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आतंकवादियों के साथ नर्म रुख अख्त्यार करना भी ठीक नहीं है। जब से श्री बरनाला ने पंजाब के मुख्यमंत्री का पदभार सम्भाला तब से ही उन्होंने सोचा कि इस समस्या का शान्ति से समाधान खोजा जा सकता है और इसीलिए उन्होंने 2162 केसेज विदड्रा किए। और साथ ही उन्नीस सौ व्यक्तियों को जिनमें आतंकवादी भी थे, उन्होंने छोड़ा। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि यह उनकी भूल थी। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कोई भी जिम्मेदार सरकार फौज से भागे हुए भगोड़ों को अपनी पुलिस में शामिल नहीं कर सकती है, लेकिन उन्होंने वहां पर ऐसा किया। मैं समझती हूं कि उनकी यह भूल थी। आज पंजाब में जो स्थिति हुई है उसके संकेत पहले से ही मिल रहे थे क्योंकि दकदमी टकसाल और अखिल भारतीय सिक्ख छात्र संघ के उन लोगों ने जो अकाल तख्त बना हुआ था उसको तोड़कर फिर से बनाने की बात कही। इस प्रकार की गतिविधियों से इस स्थिति के संकेत पहले से ही मिल रहे थे।

मैं अकाली दल से एक प्रश्न करना चाहती हूं कि आज गुरुद्वारों में जो आतंकवादी छिपे हुए हैं उनको क्यों निकालने की हिम्मत नहीं की जाती है। सुखदेव सिंह सखीरा जैसा खूंखार व्यक्ति उनके मंत्रिमण्डल के एक मंत्री के साथ घूमता हुआ देखा गया, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इन पर रोक नहीं लगाई जा सकती है? मान्यवर आज राष्ट्र कठोर परिस्थिति में से गुजर रहा है। मैं एक बात सोचती हूं कि इस देश में विघटनकारी प्रवृत्तियों से निपटने के लिए सारा देश एक साथ श्री बरनाला जी को सहयोग करने के लिए तैयार है, इसलिए उन्हें इस ओर अपना रुख मजबूत करना चाहिए।

मान्यवर, अभी विरोधी दल के नेता श्री इन्द्रजीत जी गुप्त इस आतंकवाद का कारण बता रहे थे कि चण्डीगढ़ को पंजाब को सौंपने का जो प्रोमेस था वह पूरा नहीं हुआ। इसलिए यह भी एक कारण है। हो सकता है यह भी एक कारण हो, परन्तु मैं उनसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि श्री राजीव और श्री लोंगोवाल के बीच जो समझौता था, उसकी 11 धाराओं में से 9 धाराएं पूरी कर दी गई हैं और चण्डीगढ़ को पंजाब सौंपने में कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन उसके साथ जो यह शर्त है कि पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा को सौंपे जाएंगे, जब तक

यह कार्य पूरा नहीं होता है, तब तक 26 जनवरी को चंडीगढ़ कैसे सौंपा जा सकता था। इसमें कोई शक नहीं है कि चण्डीगढ़ पंजाब को सौंपा जाएगा, अभी नहीं, तो आगे-पीछे यह जरूर सौंपा जाएगा। अगर आतंकवादी इसी को बहाना बनाते हैं, तो उन्हें चंडीगढ़ सौंप भी दिया जाएगा, तो कोई गारंटी इस बात की नहीं है कि आतंकवादी कोई नया बहाना नहीं बनायेंगे और वे अपनी आतंकवादी गतिविधियां नहीं चलायेंगे।

मान्यवर, पंजाब का प्रश्न बहुत गंभीर और देश की अखंडता का प्रश्न है, जिसको सुलझाने का कार्य केवल सरकार का नही, बल्कि हर नागरिक का, हर दल का कर्तव्य है। मैं यह पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगी कि आपने जो अर्ध सैनिक बल वहां पर भेजा है, वह एक सराहनीय कदम है क्योंकि साम्प्रदायिकता का जहर, साम्प्रदायिकता का बुखार वहां की पुलिस नहीं उतार सकती थी। पुलिस का वहां पर मनोबल गिरा हुआ था और उसके ऊपर अकर्मण्यता का भी आरोप लगाया जा रहा था। इसलिए हमारी सरकार ने अर्ध सैनिक बल वहां पर बरनाला जी की सहायता के लिए भेजा है, उसका मैं हृदय से स्वागत करती हूं।

मान्यवर, वहां पर 2 जुलाई तक विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाने का जो निर्णय लिया है, वह भी एक सराहनीय कदम है। मैं समझती हूं कि विदेशियों द्वारा वहां पर आतंकवादियों को जो हवा दी जाती है उससे राहत मिलेगी। मेरा इस सम्बन्ध में एक अनुरोध अपनी सरकार से यह है कि वहां पर सीमा प्रान्तों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए "पहचान-पत्र" जारी किए जाने चाहिएं, ताकि विदेशी घुसपैठ को वहां पर रोका जा सके।

सरकार के अलावा, हम सब नागरिकों का यह कर्तव्य है कि जो विदेशी साजिशें हैं, जो उनके नापाक इरादे हैं, उनको बेनकाब करके विश्व को यह दिखा दें कि भारत देश अखण्ड देश है। इस देश में किसी भी जगह पर कोई भी आतंकवादी प्रवृत्ति होती है, तो उसको इस देश का कोई भी नागरिक और बच्चा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस देश का कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं

9.15 म. प.

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

करेगा, चाहे उसको अपना खून ही क्यों न देना पड़े। अपनी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खून की कसम देकर हम लोग कहते हैं कि अगर इस देश पर कोई आंच आयेगी तो देश का एक-एक बच्चा अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा। इस आतंकवाद की खूनी प्रवृत्ति को दबाना चाहिये। मैं सोचती हू कि यह अकाली सरकार का काम ही नहीं, हम सबको मिलकर, देश-प्रेमी नागरिकों को एक साथ मिलकर उन्हें सहयोग देना चाहिये। भारत सरकार तो इस प्रकार का कदम उठा रही है, उसकी चारों तरफ तारीफ हुई है और मैं भी इसकी तारीफ करते हुए यह शुभ कामनाएं करती हूं कि आने वाला समय पंजाब और जम्मू-कश्मीर के लिये सुनहरा होगा जब वहां की आतंकवादी प्रवृत्तियों को वहां के नागरिक और सरकार दोनों मिलकर हमेशा-हमेशा के लिये समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहली बात यह अर्ज करना चाहूंगा कि सरकार ने जो फैसला किया है, जो अब श्री बरनाला की सरकार को पूरा सहयोग

दिया है, यह बहुत अच्छी बात है जिसका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि इससे कब्ल ऐसा लग रहा था कि हमारी मरकजी सरकार भी बरनाला जी से मायूस हो चुकी है और ऐसा समझता था कि मरकजी सरकार जो उस सरकार की सहायता कर रही थी वह उसको वापस लेगी। लेकिन अब मरकजी सरकार ने जो खुलकर उसकी मदद की है, वह बहुत अच्छी बात है और हम समझते हैं कि यह पूरे देश के हित में है। हम सब, सारी जमातें, सारी पार्टियां उसकी मदद में आयें और पंजाब जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, उसका हल निकालें।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जम्मू-काश्मीर की जो रियासत है, हमारी यह बदकिस्मती है चूंकि पंजाब में जिस किस्म के हालात पैदा हो गये, उनका असर जम्मू-काश्मीर पर भी पड़ा और खासतौर से जम्मू का जो इलाका पंजाब से मिलता है, वहां पर कुछ सिख नौजवान जोश में आ गये, कुछ हथियार बन्दी हुई, और कुछ उनके मुकाबले में शिव सेना एक पार्टी बनी और जम्मू में टकराव की फिजा पैदा हो गई। जम्मू में भी कर्फ्यू लगा और वहां पर माली व जानी नुकसान हुआ।

बदकिस्मती से ये हालात वहीं तक महदूद नहीं रहे, बल्कि काश्मीर घाटी तक भी पहुंच गये और वादिए-काश्मीर में जो हाल हुआ, खासतौर से अनन्तनाग डिस्ट्रिक्ट में हुआ, उससे हमें भी दुःख हुआ क्योंकि काश्मीर हमेशा से सैकुलरिज्म का बहुत बड़ा किला रहा है, लेकिन आग के शोले वहां तक पहुंचे। हमारी जमाते नेशनल कान्फ्रेंस, जो जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी जमात है, हम इस फिरकापरस्ती को बढ़ने नहीं देंगे।

मरकजी सरकार और पूरे अपोजिशन की जितनी भी जमाते हैं, एक होकर इस वक्त पंजाब में जो कुछ हो रहा है, उसको खत्म करना चाहती हैं और आतंकवाद की जितनी भी कोशिशें हैं, उनको कमजोर करना चाहती हैं। उसमें हमारा पूरा सहयोग है।

मैं कहना चाहता हूं कि यह क्रिमिनलिज्म सिर्फ पंजाब तक ही नहीं रहा, इसका काश्मीर तक भी असर पड़ा, लेकिन काश्मीर में वह-कारगर नहीं हुआ। हालांकि मुझे दुःख है कि हमारे प्रेस ने भी इसे ज्यादा तूल दिया, इतना हुआ कुछ नहीं। यह बड़ी हौसला अफजाही की बात है कि काश्मीर में एक आदमी भी नहीं मरा। कुछ गांवों में थोड़ा नुकसान हुआ, कुछ माली नुकसान हुआ, कुछ धार्मिक स्थानों को नुकसान हुआ। लेकिन यह हौसला अफजाही की बात है कि कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम पूरे मुल्क में देख रहे हैं कि यह हालात बढ़ रहे हैं और इसका मुकाबला करना मरकजी सरकार का काम है। अभी पिछले दिनों बाबरी मस्जिद और राम जन्म-भूमि के नाम से जो एक तनाजा अदालत में चल रहा था और जब एक जूनियर कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उससे दोनों के बीच में एक दरार पैदा हो गई। इस दरार का यह असर हुआ कि मध्य प्रदेश में, यू० पी० में और गुजरात—अहमदाबाद में जहां पहले ही हालात खराब थे वहां आग भड़क उठी और बहुत जान व माल का नुकसान हुआ। मैं समझता हूं कि यह न सिर्फ केन्द्र सरकार का फर्ज है बल्कि सारे अपोजीशन की भी बराबर की उसमें जिम्मेदारी है कि ये जो इस वक्त हालात बिगड़ रहे हैं, 47 जैसे हालात इस मुल्क में पैदा हो रहे हैं उसको रोकें। चाहे कोई भी ताकतें यह चाहती हैं कि हमारे लोगों के बीच में तकसीम हो जाय लेकिन अन्दर के हालात के

बारे में हम खुद जिम्मेदार हैं और हमें खुद इसका मुकाबिला करना है। हमें इसका मुकाबिला करने के लिए पूरी होशियारी के साथ पूरे साधन इस्तेमाल करने हैं।

अभी यहां पर अरुण नेहरू जी ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ कोशिशें जारी हैं और आतंकवादियों को उनकी तरफ से मदद मिल रही है। सरकार को यह ज्यादा इल्म है। मगर मैं तो चाहूंगा कि अगर ऐसी बात है तो बहुत अफसोस की बात है। जबकि हम पाकिस्तान के साथ इस वक्त हालात ठीक करने जा रहे हैं तो मरकजी सरकार का यह फर्ज बनता है कि मामला पाकिस्तान के साथ बड़ी जुर्रत और बड़ी हौसलामन्दी के साथ उभारे और साफगोई से उन तक यह बात पहुंचा दे। कितनी बार उनके साथ हमारी डायलाग हुई है, कितनी बार बातचीत हुई है, तो क्या हमारी केन्द्र सरकार ने साफ-साफ शब्दों में सारे ये हालात और जितनी यह कांसपिरेसी चल रही है जैसा कि मरकजी सरकार कह रही है, क्या उस ने पाकिस्तान के सामने रख दी है? मैं यह केन्द्र सरकार से जानना चाहूंगा और मैं यह भी कहूंगा कि अगरचे पाकिस्तान या कोई और मुल्क हिन्दुस्तान को कुछ नुकसान करना चाहे लेकिन हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं; हमारी जो पैरा-मिलिट्री फोर्सेज हैं आखिरकार बोर्डर पर तो हमारी मुहाफिज हैं और मैं समझता हूं कि हमारी कमजोरी है, यह बात केन्द्र सरकार को माननी चाहिए कि अगर पंजाब में घुसपैठिए आ रहे हैं, अगर वाकई आतंकवादी कुछ जवान जो भटक गए हैं पाकिस्तान में जा कर ट्रेनिंग हासिल करके फिर वापस आ कर मुल्क के अन्दर इन्तिसार फैला रहे हैं, सैबोटेज कर रहे हैं तो उस का किसी हद तक दोष हम पर भी है। मैं चाहूंगा सरकार से कि आप का यह फर्ज बनता है कि सारे बोर्डर को सील करें और इस किस्म की जहां भी शिकायतें आ रही हैं कि घुसपैठिए यहां आ कर हमारे मुल्क के अन्दर नुकसान कर रहे हैं तो वह हमारी डिफेंस फोर्सेज की जिम्मेदारी मानी जाएगी, वह हमारी सुरक्षा करने वाली, हिफाजत करने वाली जो फौज है उनकी जिम्मेदारी है और मैं समझता हूं कि उस हद तक डिफेंस मंत्रालय के ऊपर यह फर्ज आयद होता और जिम्मेदारी में वह बराबर के शरीक हैं। होम डिपार्टमेंट भी इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेज, बी एस एफ और सी आर पी एफ हमारे बोर्डर पर है तो उनकी यह जिम्मेदारी है और उनको यह देखना है।

अगर पिछले दो चार दिनों में थोड़ी सी कामयाबी हमें हासिल हुई है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह पूरी जिम्मेदारी हमारी सरकार, होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों यह जिम्मेदारी क्यों न कबूल करें? ऐसे वक्त में अगर वाकई हम अपने बोर्डर की हिफाज़त करेंगे तो पाकिस्तान या और किसी मुल्क की यह ताकत नहीं होगी कि वह हमें नुकसान पहुंचाए। यह तो हमारा काम है कि उनको अन्दर न आने दें।

तीसरी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जहां तक एकार्ड का ताल्लुक है, एकार्ड के मामले में हर तरफ से हिमायत हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने और प्राइम मिनिस्टर ने यह एकार्ड किया है और उसके लिए बड़ी कुर्बानी लोंगोवाल जी ने दी, उनकी मौत इस वाकये पर आतंकवादियों के हाथों से हो गई। लेकिन उसके बाद पंजाब एकार्ड के मामले में दो तीन गलतियां हुई हैं केन्द्र सरकार से। एक गलती यह हुई है कि एकार्ड के फौरन बाद एक उम्मीद दिलाई गई, सारे अखबा-

रात और सारी पत्रिकाओं में, न सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में यह तास्सुर दिया गया कि चंडीगढ़ पंजाब को जा रहा है, 26 जनवरी को चण्डीगढ़ उनके हवाले किया जा रहा है। और जहां तक फाजिलका और अबोहर के गांवों का ताल्लुक है, उसको इतनी अहमियत नहीं मिली। सबसे ज्यादा अहमियत जो दी है वह चण्डीगढ़ को दी है कि 26 जनवरी को चण्डीगढ़, पंजाब को दिया जाएगा। लेकिन जब 26 जनवरी को चण्डीगढ़ पंजाब को नहीं मिला तो मैं समझता हूं उससे हमने बरनाला सरकार की क्रेडिबिलिटी कमजोर कर दी। या तो इन दोनों चीजों को उसमें जोड़ना चाहिए था और हमें बताना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

दूसरी बात यह है कि जो आपने अबोहर फाजिल्का के इलाके में सेन्सस करवाया, मैं आपसे बहुत ही नम्रता से अर्ज करूंगा कि यह पालिसी गलत है। 1947 में मुसलमान और हिंदू के नाम से पंजाब के टुकड़े हो गए, मुसलमान हिन्दू और सिख के नाम से टुकड़े हो गए और जो पिछले दिनों हमने वहां पर सेन्सिस करवाया, मैं समझता हूं हमें यह बात इमानदारी से तस्लीम करनी चाहिए कि वह पंजाबी और हिन्दी के नाम से नहीं हुआ बल्कि वह डिवीजन सिख और हिन्दू के नाम से किया गया और उस चीज ने पंजाब और हरियाणा दोनों को इसमें जोड़ दिया। पंजाब एक तरफ से सिख मेजारिटी का प्राविंस है और हरियाणा हिन्दू मेजारिटी का प्राविन्स है। दोनों ही जगह लोगों के जजबात उभाड़े गए। दोनों के आपस के टकराव के नतीजे में लोगों के जजबात भड़क उठे। और उस मैथ्यु कमीशन ने, जिसको मर्कजी सरकार का पूरा सहयोग हासिल था, उसने हालात को बनाया नहीं। न सिर्फ यह कि मैथ्यू कमीशन ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, न सिर्फ यह कि फाजिल्का और अबोहर के मामले में वे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे बल्कि उन्होंने नुकसान किया है। जो एक किस्म का तनाव, फिरकापरस्ती पंजाब में भड़क रही थी उसकी आग में घी डाल दिया। उन्होंने उससे नुकसान ज्यादा कर दिया। इसलिए मैं कहूंगा कि उससे बेहतर सेन्सस तो पहले पंजाब में हुई थी। अगर वाकई हम चाहते थे कि फाजिलका और अबोहर के मामले में कुछ तय करें तो उसके लिए यह मौजूं रास्ता नहीं था कि हम सेन्सस करवायें। उससे मौजू रास्ता तो यही था कि पंजाब, हरियाणा और केन्द्र की सरकार मिल बैठ कर इस मसले का हल ढूंढ निकालें जो कि आज हम करने जा रहे हैं। आज आपकी सरकार पंजाब और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर बाहमी बात-चीत से अबोहर फाजिलका के गांवों का फैसला करने जा रही है। लेकिन इस कदम को उठाने में आपने देर कर दी और इससे पहले जो आपने वहां सेन्सस करवा दी उससे क्या फायदा हुआ? उससे टेन्शन और बढ़ा। उससे हालात और बिगड़ गए।

दूसरी बात मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, इस वक्त के हालात में वहां पर आतंकवादियों की जो फोर्स है, जो कि हमारे खिलाफ लड़ रही है वह न सिखों

का लिहाज कर रही है और न हिन्दुओं का लिहाज कर रही है। हमारे कितने ही सिख इंटेलेक्चुअल्स, कितने ही ईमानदार देशभक्त सिख मारे गए हैं और मारे जा रहे हैं। मैं तो समझता हूं इस वक्त जो खुंखार फिजा पैदा हुई है उसमें ज्यादातर सिख ही निशाना बन रहे हैं। उसमें हमारे बरनाला साहब और उनकी पार्टी टार्गेट बनाई जा रही है। पजाब के हालात को ठीक करने का ताल्लुक है, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि आप पूरी तरह से बरनाला सरकार की मदद कर रहे हैं लेकिन मैं यह भी आपसे अर्ज करूंगा कि पंजाब की जो पापुलेशन है, हिन्दुओं या सिखों की, वह आपसे बिछड़ी नहीं है। हिन्दुओं का कुछ दिल जख्मी हुआ है और सिखों को जरर पहुंचा हैलेकिन अब उनको मनाने, उनका दिल लुभाने और उनको सही रास्ते पर लाने के लिए जितनी आप कोशिश करेंगे उसमें बरनाला सरकार बहुत अहम रोल अदा कर सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बंगलादेश के मामले में क्या हुआ था। बंगलादेश में सन 1971 में जो हमारी जंग हुई उस वक्त पाकिस्तान की उस इलाके में नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि बंगलादेश में वहां के अवाम और जो वहां के लोग थे उनकी मुक्ति-वाहिनी को पूरी हिमायत हासिल हो चुकी थी। इसलिए पाकिस्तान वहां टिक नहीं सका। पाकिस्तान को वहां से निकलना पड़ा। पाकिस्तान को जंग में मार खानी पड़ी। इसलिए बहुत बड़ी बात यह होगी कि डैमोक्रेसी में लोगों का एतमाद हासिल करें। मैं चाहूंगा कि आप अहम रोल अदा करें। पंजाब में हिन्दू और सिक्ख दोनों मारे जा रहे हैं। दोनों परेशान हैं, दोनों पोलिटिकली अनसरटेंटी के शिकार हैं। मैं मैं चाहूंगा कि आप इस मामले में अहतियात से काम करें।

जहां तक फाजिल्का और अबोहर का मामला है, इसमें राउण्ड-टेबिल कांफ्रेंस होनी चाहिए यह काम आप जितनी जल्दी कर सकें, उतना ही अच्छा है, देश के लिए भी, पंजाब के लिए भी हरियाणा के लिए भी। मैं समझता हूं कि गिव-एण्ड-टेक होना चाहिए। कुछ ले-दे की बात होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर्स से बात करके, आप इस मसले को हल कर दीजिए। मुझे इस बात का गिला है कि जहां बरनाला सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, वहीं हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के बोलने का ढंग जारिहाना है। बार-क्राइस सी लग रही है। उससे उन्होंने अपना नुकसान किया है और एकार्ड का नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि पंजाब के जितने लोग हैं, जिनको तकलीफ पहुंची है, इन्दिरा जी के कत्ल के बाद, जो दिल्ली में हालात हुए, पूरे मुल्क में हालात हुए, मंत्री जी उनको रिहैबिलिटेट करें। उनको कम्पेंसेशन देने में तारवीर न करें। दिल जीतिए, तभी आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। तभी सारे सिलसिले को खत्म कर सकते हैं।

आखिर में, मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर भी इसमें बराबर मुताअसिर हो रहा है। मैं खास तौर से अरुण जी से कह रहा हूं, मंत्री जी आपको मालूम है कि जम्मू काश्मीर की लाइफ-लाइन पंजाब है। हम लोग चार साल से तबाह हो रहे हैं। चार साल से हमारा टूरिज्म तबाह हो चुका है। पंजाब के मसले को हल करें। यदि यह हल हो जाएगा तो इसका सबसे ज्यादा फायदा जम्मू-काश्मीर को मिलेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जो भी कदम उठायेंगे, उसमें हमारी नेशनल कान्फ्रेंस पार्टी की तरफ से आपको पूरा-पूरा सहयोग रहेगा।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) : اپادھیکش مہودے میں پہلی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار نے جو فیصلہ کیا ہے جو اب شری برنالا کی سرکار کو پورا سہیوگ دیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے جس کا ہم سواگت کرتے ہیں۔ چونکہ اس سے قبل ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری مرکزی سرکار بھی برنالہ جی سے مایوس ہو چکی ہے۔ اور وہ ایسا لگتا تھا کہ مرکزی سرکار جو اس سرکار کی سہایتا کر رہی تھی وہ اس کو واپس لے گی۔ لیکن اب مرکزی سرکار نے جو کھل کر اس کی مدد کی ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے دیش کے ہت میں ہے۔ ہم سب ساری جماعتیں ساری پارٹیاں اُن کی مدد میں آئیں اور پنجاب جن مشکل حالات سے گذر رہا ہے اس کا حل نکالیں۔

میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کی جو ریاست ہے ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ پنجاب میں جس قسم کے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اس کا اثر جموں کشمیر پر بھی پڑا۔ اور خاص طور سے جموں کا جو علاقہ پنجاب سے ملتا ہے وہاں پر کچھ نوجوان جوش میں آ گئے۔ کچھ ہتھیار بندی ہوئی اور کچھ اس کے مقابلے میں شیو سینا ایک پارٹی بنی اور جموں میں ٹکراؤ کی فضا پیدا ہو گئی۔ جموں میں بھی کرفیو لگا اور وہاں پر مالی و جانی نقصان ہوا۔

بدقسمتی سے یہ حالات وہیں تک محدود نہیں رہے بلکہ کشمیر گھاٹی تک بھی پہنچ گئے۔ اور وادئ کشمیر میں جو حال ہوا۔ خاص طور سے اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں ہوا۔ اس سے ہمیں بھی دکھ ہوا کیونکہ کشمیر ہمیشہ سے سیکولرزم کا بہت بڑا قلعہ رہا ہے لیکن آگ کے شعلے وہاں تک پہنچے۔ ظاہر ہے کہ ہماری جماعت نیشنل کانفرنس جو جموں کشمیر کی سب سے بڑی جماعت ہے ہم اس فرقہ پرستی کو بڑھنے نہیں دیں گے۔

مرکزی سرکار اور پورے اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ایک ہو کر اس وقت پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ اور آتنکواد کی جتنی بھی کوششیں ہیں۔ ان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ اس میں ہمارا پورا سہیوگ ہے۔

میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کریمنلزم صرف پنجاب تک ہی نہیں رہا۔ اس کا کشمیر تک بھی اثر پڑا لیکن کشمیر میں وہ کارگر نہیں ہوا۔ حالانکہ مجھے دکھ ہے کہ ہمارے پریس نے بھی اسے زیادہ طول دیا۔ اتنا ہوا کچھ نہیں۔ یہ بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ کشمیر میں ایک آدمی بھی نہیں مرا۔ کچھ گاؤوں میں تھوڑا نقصان ہوا، کچھ مالی نقصان ہوا کچھ دھارمک استھانوں کو نقصان ہوا لیکن ہم پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کا مقابلہ کرنا مرکزی سرکار کا کام ہے۔

ابھی پچھلے دنوں بابری مسجد اور رام جنم بھومی کے نام سے جو ایک تنازعہ عدالت میں چل رہا تھا۔ اور جب ایک جونیئر کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو اس سے دونوں کے بیچ میں ایک دراڑ پیدا ہو گئی۔ اس دراڑ کا یہ اثر ہوا کہ مدھیہ پردیش، گجرات، احمد آباد میں جہاں پہلے ہی حالات خراب تھے وہاں آگ بھڑک اٹھی اور بہت جان و مال کا نقصان ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف کیندر سرکار کا فرض ہے بلکہ سارے اپوزیشن کی بھی برابر کی اس میں ذمہ داری ہے۔ کہ یہ جو اس وقت حالات بگڑ رہے ہیں جیسے حالات اس مدت میں پیدا ہو رہے ہیں اس کو روکیں چاہے کوئی بھی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے لوگوں کے بیچ میں تقسیم ہو جائیں لیکن اندر کے حالات کے بارے میں ہم خود ذمہ دار ہیں اور ہمیں خود اس کا مقابلہ کرنا ہے۔

ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لئے پوری ہوشیاری کے ساتھ پورے سادن استعمال کرنے ہیں۔

ابھی یہاں پر ارون نہرو جی نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے کچھ کوششیں جاری ہیں۔ اور آتنک وادیوں کو ان کی طرف سے مدد مل رہی ہے۔ سرکار کو یہ زیادہ علم ہے مگر میں تو چاہوں گا کہ اگر ایسی بات ہے تو بہت افسوس کی بات ہے۔ جب کہ ہم پاکستان کے ساتھ اس وقت حالات ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ تو مرکزی سرکار کا یہ فرض بنتا ہے کہ معاملہ پاکستان کے ساتھ بڑی جرأت اور بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ ابھارے اور صاف گوئی سے اُن تک یہ بات پہنچا دے۔ کتنی بار ان کے ساتھ ہماری ڈائلاگ ہوئی ہے کتنی بار بات چیت ہوئی ہے تو کیا ہماری کیندر سرکار نے صاف صاف شبدوں میں سارے یہ حالات اور جتنی یہ کانسپیریسی چل رہی ہے جیسا کہ مرکزی سرکار کہہ رہی ہے کیا اس نے پاکستان کے سامنے رکھ دی ہے۔ میں یہ کیندر سرکار سے جاننا چاہوں گا اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگرچہ پاکستان یا کوئی اور ملک ہندوستان کو کچھ نقصان کرنا چاہے لیکن ہماری جو ڈیفنس فورسز ہیں ہماری جو پیرا ملٹری فورسز ہیں۔ آخرکار بارڈر پر تو ہماری محافظ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کمزوری ہے۔ یہ بات کیندر سرکار کو ماننی چاہئے۔ کہ اگر پنجاب میں گھس پیٹھیئے آ رہے ہیں اگر واقعی آتنک وادی کچھ جوان جو بھٹک گئے ہیں۔ پاکستان میں جاکر ٹریننگ حاصل کر کے پھر واپس آکر ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں سبوتاژ کر رہے ہیں۔ تو اس کا کسی حد تک دوش ہم پر بھی ہے۔ میں چاہوں گا سرکار سے کہ آپ کا یہ

فرض بنتا ہے کہ سارے بارڈر کو سیل کریں اور اس قسم کی جہاں بھی شکایتیں آرہی ہیں۔
کہ گھس پیٹھیئے یہاں آکر ہمارے ملک کے اندر نقصان کر رہے ہیں تو وہ ہماری ڈیفنس
فورسز کی ذمہ داری مانی جائے گی۔ یہ ہماری سرکشا کرنے والی حفاظت کرنے والی جو فوج
ہے ان کی ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک ڈیفنس منترالیہ کے اوپر یہ فرض
عائد ہوتا ہے اور اس ذمہ داری میں وہ برابر کی شریک ہیں۔ ہوم ڈیپارٹمنٹ بھی اس کے
لئے ذمہ دار ہے کیوں کہ ہماری پیرا ملٹری فورسز بی ایس ایف اور سی۔ آر۔ پی ایف ہمارے
بارڈر پر ہے تو اُن کی یہ ذمہ داری ہے اور اُن کو یہ دیکھنا ہے۔

اگر پچھلے دو چار دنوں میں تھوڑی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ تو میری سمجھ میں نہیں
آرہا ہے کہ یہ پوری ذمہ داری ہماری سرکار ہوم منسٹری اور ڈیفنس منسٹری دونوں یہ ذمہ داری
کیوں نہ قبول کریں۔ ایسے وقت میں اگر واقعی ہم اپنے بارڈر کی حفاظت کریں گے تو پاکستان
یا اور کسی ملک کی یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ یہ تو ہمارا کام ہے کہ
ہم اُن کو اندر نہ آنے دیں۔

تیسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک ایکارڈ کا تعلق ہے۔ ایکارڈ کے معاملے
میں ہر طرف سے حمایت ہو رہی ہے۔ کانگرس پارٹی نے اور پرائم منسٹر نے یہ ایکارڈ کیا ہے۔
اور اس کے لئے بڑی قربانی لونگووال جی نے دی۔ اُن کی موت اس واقعے پر آتنک وادیوں
کے ہاتھوں سے ہوئی۔ لیکن اس کے بعد پنجاب ایکارڈ کے معاملہ میں دو تین غلطیاں ہوئی
ہیں کیندر سرکار سے۔ ایک غلطی یہ ہوئی ہے کہ ایکارڈ کے فوراً بعد ایک امید دلائی گئی سارے
اخبارات اور ساری پتریکاؤں میں نہ صرف پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں یہ تاثر دیا گیا کہ

چنڈی گڑھ پنجاب کو جا رہا ہے اور جہاں تک فاضلکا اور ابوہر کے گاؤں کا تعلق ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں ملی۔ سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ چنڈی گڑھ کو دی ہے کہ ۲۶ جنوری کو چنڈی گڑھ پنجاب کو دیا جائے گا لیکن جب ۲۶ جنوری کو چنڈی گڑھ پنجاب کو نہیں ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم نے برنالا سرکار کی کریڈیبلیٹی کمزور کر دی یا تو اِن دونوں چیزوں کو جوڑنا چاہئے تھا اور ہمیں بتانا چاہئے تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔

دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابوہر فاضلکا کے علاقے میں سینسس کروایا میں آپ سے بہت ہی نمرتا سے عرض کروں گا کہ یہ پالیسی غلط ہے۔ ۱۹۴۷ء میں مسلمان اور ہندو کے نام سے پنجاب کے ٹکڑے ہو گئے۔ مسلمان، ہندو اور سکھ کے نام سے ٹکڑے ہو گئے۔ اور جو پچھلے دنوں ہم نے وہاں پر سینسس کروایا میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ بات ایمانداری سے تسلیم کرنی چاہئے کہ وہ پنجابی اور ہندوؤں کے نام سے نہیں ہوا بلکہ وہ ڈویژن سکھ اور ہندو کے نام سے کیا گیا۔ اور اس چیز نے پنجاب اور ہریانہ دونوں کو اس میں جوڑ دیا۔ پنجاب ایک طرح سے سکھ میجارٹی کا پراونس ہے اور ہریانہ ہندو میجارٹی کا پراونس ہے۔ دونوں جگہ لوگوں کے جذبات اُبھارے گئے۔ دونوں کے آپس کے ٹکراؤ کے نتیجہ میں لوگوں کے جذبات بھڑک اُٹھے اور اس میتھیو کمیشن نے جس کو مرکزی سرکار کا پورا سہیوگ حاصل تھا اس نے حالات کو بنایا نہیں نہ صرف یہ کہ میتھیو کمیشن نے کوئی رپورٹ نہیں دی۔ نہ صرف یہ کہ فاضلکا اور ابوہر کے معاملے میں وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے بلکہ انہوں نے نقصان کیا ہے جو ایک قسم کا تناؤ، فرقہ پرستی پنجاب میں بڑھ رہی تھی اس کی آگ میں گھی ڈال دیا انہوں نے اس سے نقصان زیادہ کر دیا۔ اس لئے میں کہوں گا کہ اس سے بہتر سینسس تو پہلے

پنجاب میں ہوئی تھی اگر واقعی ہم چاہتے تھے کہ فاضلکا اور ابوہر کے معاملے میں کچھ طے کریں تو اس کے لئے یہ موزوں راستہ تو یہی تھا کہ پنجاب اور ہریانہ اور کیندر کی سرکار مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈھ نکالیں جوکہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آج آپ کی سرکار پنجاب اور ہریانہ کے چیف منسٹرس کے ساتھ مل کر باہمی بات چیت سے ابوہر، فاضلکا کے گاؤں کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے لیکن اس قدم کو اٹھانے میں آپ نے دیر کر دی اور اس سے پہلے جو آپ نے وہاں سینسس کروا دی تھی۔ اس سے کیا فائدہ ہوا۔ اس سے ٹینشن اور بڑھا۔ اس سے حالات اور بگڑ گئے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے اس وقت کے حالات میں وہاں پر آتنکوادیوں کی جو فورس ہے جو کہ ہمارے خلاف لڑ رہی ہے۔ وہ نہ سکھوں کا لحاظ کر رہی ہے اور نہ ہندوؤں کا لحاظ کر رہی ہے۔ ہمارے کتنے ہی سکھ انٹیلیکچوئل کتنے ہی ایماندار دیش بھگت سکھ مارے گئے ہیں اور مارے جا رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو خونخوار فضا پیدا ہوئی ہے۔ اس میں زیادہ تر سکھ ہی نشانہ بن رہے ہیں۔ اس میں برنالہ صاحب اور ان کی پارٹی ٹارگیٹ بنائی جا رہی ہے۔ پنجاب کے حالات کو ٹھیک کرنے کا جہاں تک تعلق ہے آپ نے بہت اچھا قدم اُٹھایا ہے کہ آپ پوری طرح سے برنالہ سرکار کی مدد کر رہے ہیں لیکن میں یہ بھی آپ سے عرض کروں گا کہ پنجاب کی جو پاپولیشن ہے ہندوؤں یا سکھوں کی وہ آپ ہی سے بچھڑی نہیں ہے۔ ہندوؤں کا کچھ دل زخمی ہوا ہے اور سکھوں کو ضرر پہنچا ہے۔ لیکن جب ان کو منانے ان کا دل لبھانے اور اُن کو صحیح پر لانے

کے لئے جتنی بھی آپ کوشش کریں گے اس میں برنالہ سرکار بہت اہم رول ادا کرسکتی ہے۔میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے معاملے میں کیا ہوا تھا۔بنگلہ دیش میں سنہ ۱۹۷۱ء میں جو ہماری جنگ ہوئی اس وقت پاکستان کے اس علاقہ میں ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ بنگلہ دیش میں وہاں کے عوام اور جو وہاں کے لوگ تھے ان کی مکتی واہنی کو پوری حمایت حاصل ہوچکی تھی۔اس لئے پاکستان وہاں ٹک نہیں سکا۔پاکستان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔پاکستان کو جنگ میں مار کھانی پڑی۔اس لئے بہت بڑی بات یہ ہوگئی کہ ڈیموکریسی میں لوگوں کا اعتماد حاصل کریں۔میں چاہوں گا کہ آپ اہم رول ادا کریں پنجاب میں ہندو، سکھ دونوں مارے جا رہے ہیں۔دونوں پریشان ہیں۔دونوں پولیٹیکل انسرٹینٹی کے شکار ہیں۔میں چاہوں گا کہ آپ اس معاملہ میں احتیاط سے کام لیں جہاں تک فاضلکا اور ابوہر کا معاملہ ہے۔اس میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہونی چاہئے یہ کام آپ جتنی جلدی کرسکیں اتنا ہی اچھا ہے دیش کی لئے بھی، پنجاب کے لئے بھی اور ہریانہ کے لئے بھی۔میں سمجھتا ہوں کہ گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہئے۔کچھ لے دے کی بات ہونی چاہئے۔چیف منسٹرس سے بات کرکے آپ اس مسئلے کو حل کردیجئے۔مجھے اس بات کا گلہ ہے کہ جہاں برنالا سرکار کی طرف سے پورا سہیوگ مل رہا ہے۔وہیں ہمارے ہریانہ کے چیف منسٹر کے بولنے کا ڈھنگ جارحانہ ہے۔وار کرائسس لگ رہی ہے۔اس سے انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے اور ایکارڈ کا نقصان ہو رہا ہے۔اس لئے میں چاہوں گا کہ پنجاب کے

جتنے لوگ ہیں جن کو تکلیف پہنچی ہے - اندرا جی کے قتل کے بعد جو دلی میں حالات ہوئے پورے ملک میں حالات ہوئے منتری جی ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں۔ ان کو کمپنسیشن دینے میں تاخیر نہ کریں۔ دل جیتئے۔ تبھی آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تبھی سارے سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں۔

آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر بھی اس میں برابر متاثر ہو رہا ہے میں خاص طور سے اردن جی سے کہہ رہا ہوں۔ منتری جی آپ کو معلوم ہے کہ جموں کشمیر کی لائف لائن پنجاب ہے۔ ہم لوگ چار سال سے تباہ ہو رہے ہیں۔ چار سال سے ہمار ٹورازم تباہ ہو چکا ہے۔ پنجاب کے مسئلے کو حل کریں۔ یدی یہ حل ہو جائے گا تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ جموں کشمیر کو ملے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے اس میں ہماری نیشنل کانفرنس پارٹی کی طرف سے آپ کو پورا پورا سہیوگ رہے گا۔

[हिन्दी]

श्री सी० जंगारेड्डी (हनमकोंडा) : अध्यक्ष जी, उग्रवादियों या आतंकवादियों को किस रूप में मिटाया जा सकता है, इस बारे में एक राय होकर सभी पार्टियों के सदस्य इस सदन में बातचीत कर रहे हैं। यह मूलभूत रूप से भाषा के आधार पर राज्य बनाने के कारण, पानी का मसला, चंडीगढ़ का मसला या अन्य राज्यों में ये समस्यायें पैदा हो रही हैं। इस पर सोचने के लिए एक बार फिर मौका आज आया है। मैं तीन दिन पहले आन्ध्रप्रदेश से होकर आया हूं, वहां पर भी यहां से हथियार आ रहे हैं।···(**व्यवधान**)···

एक माननीय सदस्य : कहां से ?

श्री सी० जंगारेड्डी : पंजाब से आन्ध्र प्रदेश में।···(**व्यवधान**)···माधव रेड्डी जी को मालूम नहीं होना चाहिए, मगर मालूम होता है। वहां पर भी यहां से आए हुए हथियार मिले हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बार्डर पर काफी हलचल मच रही है। हम लोगों को मारने से आतंकवादियों और उग्रवादियों का कार्यक्रम चल रहा है। नहीं तो यह नहीं हो सकता है। उनकी अन्दरूनी आर्गेनिजेशन चल रही है। कभी न कभी यह विद्रोह के रूप में बाहर आएगी। आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा के बार्डर और मध्य प्रदेश के जंगलों में इस तरह की स्थिति हो रही है। बड़े-बड़े पत्रकारों ने उसकी चर्चा की है। वहां पर पैरा मिलिटरी फोर्स की ट्रेनिंग चल रही है। कल या परसों दिल्ली में एक वक्तव्य में पी.यू. सी एल वालों ने बताया कि आतंकवादियों के मारने का ढंग ठीक नहीं है। जान सबको प्यारी होती है। आतंकवादियों को मारने से अगर पीयूसी एल आड़े आता है, तो दूसरे इन्नोसेन्ट पर्सन को मारते वक्त पीयूसी एल क्या कर रहा था।

मैं तारकुन्डे जी इस लोक सभा के माध्यम से पूछना चाहता हूं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : तारकुन्डे जी को बीच में क्यों लाते हो।

श्री सी जंगा रेड्डी : आन्ध्र प्रदेश में भी कभी कभी ऐसी हत्याओं के बारे में खबरें मिलती हैं। जब अपने मन को लगता है, तो मालूम होता है और जब मन को न लगे, तो कैसे मालूम होगा। अभी हमारे मित्रजी के पिताजी मर गये, तो कितना रोना लोक सभा में रोया। हम जानते हैं कि आन्ध्र प्रदेश में भी आतंकवाद से लोग मारे जा रहे हैं। वे यहां से आ रहे हैं। और यह आतंकवाद पंजाब तक ही सीमित नहीं है बल्कि मैं ऐसा समझता हूं कि यह पूरे राज्यों में फैल जाएगा। हम बरनाला जी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वह सीमा प्रान्त है। अगर सीमा प्रान्त न होता और अगर आन्ध्र का प्रान्त होता, तो कभी का वहां की सरकार को सस्पेंड करके राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया होता। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बरनालाजी ने विधान सभा में जो केनाल के बारे में बात की, क्या वह एकोर्ड के खिलाफ नहीं है। चंडीगढ़ नहीं दिया गया या चंडीगढ़ देने में देरी हो गई, तो उसके लिए वे ऐसी बातें कहते हैं मगर पानी की एक बूंद राजस्थान और हरियाणा को नहीं मिल सकती। क्या यह दोनों राज्यों के बीच में झगड़ा कराने की नीयत नहीं है और फायदा उठाने की नीयत नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि बरनालाजी की सरकार को ईमानदारी से लोंगोवाल ने जो एकोर्ड पर सिगनेचर किये हैं, उसका पूरी तरह से पालन करना होगा।

एक बात और कहना चाहता हूं। जैसा अभी श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा कि चार आदमी मारे जाने के बाद घंटों तक पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। तो क्या यह पुलिस है, आप

बताइए। लोग तो डरते हैं कि हमको आतंकवादी मारेंगे लेकिन पुलिस भी डरती है। तो इसका क्या कारण है। पुलिस के लोग अगर इस तरह से डरते हैं, तो पुलिस की नौकरी छोड़ कर बाहर चले जाएं।···(व्यवधान)···यह कहा जाता है कि पुलिस उनके साथ मिली हुई है। फिर भी सरकार की मदद केन्द्रीय सरकार कर रही है क्योंकि वह एक सीमा प्रान्त है। अगर सीमा प्रान्त न होता, तो केन्द्रीय सरकार और विरोधी दल पूरे एक साथ बोल देते कि जल्दी इस सरकार को निकालो और राष्ट्रपति का शासन लागू करो। सीमा प्रान्त का प्रभाव देश में पड़ता है और इसीलिए सीमा प्रान्त होने के कारण और वहां पर गैर-कांग्रेसी सरकार होने के कारण, उनके पीछे पूरे लोग हैं। इतनी मदद करने पर भी अगर बरनालाजी इससे नहीं निपट सकते हैं, तो दूसरे ढंग से सोचना होगा। कांग्रेस वालों ने अपील की है कि अकाली दल में गुटबन्दी है और इसको खत्म करके इनको एक जगह पर लाओ। हम यह चाहते हैं कि भजन लाल पर भी लगाम लगाओ। ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री चिरंजीलाल शर्मा : आप भजनलाल को कैसे धमका रहे हैं ?

उन्होंने कोई अपराध नहीं किया।

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं। वह खुश कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अपनी पार्टी में जो गुटबन्दी है, उसको भी खत्म करो। श्री राजीव गांधी ने अगर एकोर्ड पर हस्ताक्षर किये हैं, तो उसका पालन करने के लिए भजनलाल को आगे आना चाहिए। इसी तरह से लोंगोवाल ने जो एग्रीमेंट किया है, उसका चाहे बरनाला हो, चाहे बादल हो और चाहे टोहरा हो, तीनों को मिलकर उसका पालन करना होगा। अगर ये तीनों अलग-अलग बात करते हैं, तो लोगों के मन में दूसरे ख्यालात आते हैं और जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, यह चीज उग्रवादियों को भड़का सकती है अपना मकसद पूरा करने के लिए। इसलिए इन तीनों को मिलकर अपनी पार्टी को संभालना चाहिए। अगर तीनों नहीं संभाल सकते और सरकार के ऊपर इस बात की रेस्पोंसीबिलिटी लगाते हैं, तो यह वीकनैस हो जाएगी। इसलिए अपनी पार्टी में, जो अकाल तख्त है, उसको इससे निपटना होगा। रक्षा की दृष्टि से और सीमा प्रान्त होने के कारण पैरा-मिलिट्री फौसज को चेतावनी देनी चाहिए। लोग यह बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से ये लोग ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। काश्मीर से भी ट्रेनिंग पाकर वे यहां पर आ रहे हैं।

भारतीय सरकार को इसको बन्द करना चाहिए। (व्यवधान)

9.40 म. प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरा जिक्र कर रहे थे या किसी और का ?

(व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : उग्रवादियों को निपटाने के लिए सरकार को हमारी तरफ से पूरी मदद मिलेगी। (व्यवधान) केन्द्र सरकार उग्रवादियों को निबटाने के लिए जो मदद लेना चाहती है वह हम देने को तैयार हैं।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : हम इस सदन में इस आशा से आये हैं कि हम अपने सामने आई आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी कपड़ा श्रमिकों की समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकें तथा उनका समाधान कर सकें। लेकिन यह वास्तव में हैरानी तथा दु:ख की बात है कि हमें गत 1½ वर्ष से ऐसे साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा प्रान्तीय समस्याओं पर विचार करना पड़ रहा है। सेवक होने के नाते हमारा किसी जाति, सम्प्रदाय या राज्य से सम्बद्ध नहीं है और इसलिये हमें इसकी ज्यादा चिंता नहीं है। किन्तु जहां तक राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता का सम्बन्ध है, हम निश्चित रूप से चिन्तित हैं, मैं श्रमिकों की तरफ से, इस प्रकार के सामान्य समाधान, जिसे वे तलाश रहे हैं, का समर्थन करता हूं।

पिछले तीन महीनों से क्या हो रहा है। 82 लोग मारे गये हैं। इससे लगभग दुगनेघायल हुये हैं। वहां अन्धाधुन्ध हत्याएं हुई हैं। न केवल कांग्रेस (इ) के लोग बल्कि सी.पी.आई.के नेता तथा विधायक, प्रवासी मजदूर तथा पुलिस अधिकारियों की भी हत्या की गई हैं। मैंने कुछ घटनाओं के बारे में सुनाहै। मैं वहां गया तो नहीं हूं। कपूरथला में लगभग 9-10 लोगों की हत्या की गई तथा इससे दुगने लोग घायल हुये और यह सब कुछ 22 मिनट में हुआ। वे डी०एस०पी० के घर के सामने वाले इलाके में अन्धाधुन्ध गोलियां चला रहे थे। पता नहीं उस इलाके में नाम मात्र की भी पुलिस थी या नहीं।

मुख्यमंत्री श्री बरनाला जी का मैं आदर करता हूं। वे एक अच्छे धार्मिक तथा सभी का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने इस घटना को इतनी गम्भीरता से नहीं लिया और उन्होंने सोचा कि वे अपनी शुभ कामनाओं, दयालुता तथा समझा-बुझाकर उग्रवादियों को सही रास्ते पर ले आएंगे। मैं समझता हूं कि सरकार जो कदम उठा रही है ये कदम तीन महीने पहले उठाये जाने चाहिए थे। उन्होंने ये कदम उठाये होते तो ये सब घटनाएं न होतीं।

महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे बताया गया है कि पंजाब के लोग भय से ग्रस्त हैं और जब दरवाजे की घंटी बजती है तो कोई दरवाजा नहीं खोलता 6 बजे शाम को दुकानदार अपनी-अपनी दुकानें बन्द कर देते हैं। बिना माता-पिता के बच्चों को कोई स्कूल नहीं भेजता। स्वर्ण मन्दिर के बाहर अर्ध-सैनिक बल तैनात हैं। इस प्रकार यह अच्छी बात है कि अब केन्द्र सरकार यह सब कर रही है

मैंने फ्रैंक कंपर के कुछ लेख पढ़े हैं। ये लेख पेंट-हाउस में प्रकाशित हुये हैं। उसने उन राज्यों तथा सिखों के नाम दिये हैं जिन्होंने प्रशिक्षण के लिये उससे सम्पर्क किया है। उसका कहना है कि इन लोगों को पाकिस्तान तथा चीन प्रशिक्षण तथा धन दे रहा है। ऐसा बयान आया है। मैं उनके नाम बताता हूं। वे हैं सुखदेव सिंह, बलराज सिंह आदि-आदि। उसका आगे यह कहना है कि ये लोग उसके पास आये थे। "मैं उसके कुछ वाक्यांश उधृत करता हूं:—"वे कहते हैं कि वे भारत के तीनों परमाणु संयंत्रों को उड़ा देना चाहते हैं यह बहुत अच्छा होगा यदि हम एक और भोपाल बना दें।" तब उसने उनसे पूछा कि "क्या आपने भोपाल में ऐसा कुछ किया है ? उसने कहा—नहीं हमने यह कार्य नहीं किया। इसलिये ही तो हम प्रशिक्षण लेने आये हैं।' उसने एक बड़ा लेख प्रकाशित किया है। यदि सरकार के पास यह लेख नहीं है तो मैं उसे यह लेख दे

सकता हूं। हो सकता है कि यह सतर्कता का दृष्टिकोण हो ताकि अमेरीका को ऐसी घटनाओं से दूर रखा जा सके कि वे चीन तथा पाकिस्तान का नाम दे रहे हों। खैर यह सच है कि ये तीनों देश इसमें संलिप्त हैं और यह सब सरकार पर है और हम इतने नादान हैं कि हमें इस बात का पता नहीं चल पा रहा कि वे बाहरी ताकतें कौन-सी हैं और वे कि तरह हस्तक्षेप कर रही हैं············

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिये ।

डा० दत्ता सामंत : केवल दो मिनट और लूंगा । मैं अधिक समय नहीं लूंगा । यह सिखों का काम नहीं है। वे कोई और हैं। केवल बम्बई में पांच लाख सिख हैं। वे अच्छी तरह से हैं तथा वहां अच्छे व्यवसायों में लगे हैं और प्रतिष्ठित हैं। उनको केन्द्र सरकार से सहायता मिली है। वे बड़े आदमी हैं, परिवहन और बड़े होटल उनके नियंत्रण में हैं। मैंने बम्बई में उनसे पूछा था कि वे पृथक पंजाब या खालिस्तान क्यों चाहते हैं जबकि आप इतनी अच्छी स्थिति में हैं ? पचास प्रतिशत पंजाबी पूरे भारत में फैले हुए हैं । मेरे समझ में नहीं आता कि उन पर पागलपन क्यों सवार हो गया है । मैं नहीं जानता कि वे विभाजन पर क्यों जोर दे रहे हैं । वास्तव में यह एक बहुत बड़ा मजाक है । मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता मैंने अपने बम्बई के मित्रों से कहा था कि आप सब पंजाब चलें जाएं और आपको सब बातों का पता चल जाएगा। वास्तव में, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था। परन्तु महोदय, लोग इस प्रकार की बातें कह रहे हैं । महोदय, मैं परम्पराओं से सहमत हू। (व्यवधान) यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंजाब में इस प्रकार के दबाव के कारण अन्य लोग धार्मिकता और प्रांतीयता के बहाने प्रभुत्व जमा रहे हैं और इसका दोष हमें दिया जा रहा है । मैंने आर्थिक समस्याओं पर बोलना है परन्तु मैं यहां उल्लेख नहीं करना चाहता, विपक्षी दलों सहित सभी राजनैतिक दल इसका लाभ उठा रहे हैं और बम्बई में या अन्यत्र रैलियों का आयोजन कर रहे हैं और उलटा दबाव डाल रहे हैं ।

महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देश में जो इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं आखिर में उनका दोष राजनैतिकों को दिया जाना है। परंतु मैं एक बात पर और बता देना चाहता हूं और इसका आपने सुझाव दिया है··· (व्यवधान) । मैं धार्मिक प्रशिक्षण के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु धार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त लोग अब राजनैतिक लाभ के लिए धर्मान्ध बनते जा रहे हैं और मैंने देखा है कि 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के बच्चों को प्रशिक्षित किया गया है । अब मैं यह नहीं बताना चाहता कि धर्मों के जरिए क्या हो रहा है, महोदय आप अच्छी तरह जानते हैं और वे युवकों का प्रयोग कर रहे हैं । तीन या चार वर्ष से राजनैतिक लाभ के लिए बच्चों को धर्मान्ध बनाया जा रहा है । और उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है : सरकार को धर्मान्धता के इस प्रशिक्षण पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए । 12 या 13 वर्ष की आयु के बाद धार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है परन्तु कम आयु के बच्चों को धार्मिक प्रशिक्षण देकर धर्मान्धता और राजनीति फैलाई जा रही है । इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए । इस प्रकार का कोई विधेयक लाया जाना चाहिए । धन्यवाद ।

मानव संसाधन विकास तथा गृहमंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, हमने एक बार फिर एक बहुत ही संवेदशील स्थिति पर उच्च स्तरीय और बहुत ही नियन्त्रित

चर्चा की है। जिन सदस्यों ने इसमें भाग लिया है और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनके लिए मैं आभारी हूं।

महोदय, मैं बहुत लम्बा भाषण नहीं दूंगा, इसकी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि जब पूरा सदन एक मुद्दे एक निष्कर्ष के लिए एकमत है तो अधिक ब्यौरा देने, जिसके बारे में पूरा देश जानता है, की गुंजाइश नहीं है अथवा यह युक्तिसंगत नहीं है। इस प्रतिष्ठित सदन से दिया जाने वाला संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बात यह है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए किएं गए उपायों का भारत की पूरी संसद समर्थन करती है और इसका मतलब है कि पूरा भारत वर्ष इन उपायों का समर्थन करता है। इसे पूरा और स्पष्ट समर्थन मिला है, राजनैतिक दलों की ओर से बड़े पैमाने पर संयुक्त प्रयास, चाहे वे किसी भी ढंग से किए जाएं, समय-समय पर करना आवश्यक है परामर्श जारी है और हमने आपस में गहराई से परामर्श करना शुरू कर दिया है ताकि हम कार्यवाही योजना बना सकें। हमने यह एक और निष्कर्ष निकाला है। हमने यह दिखाया है कि इस मुद्दे पर पूरा देश एक है और सीमा पार से किसी को भी इसमें संदेह नहीं होना चाहिए।

महोदय, कोई यह नहीं कह सकता कि यह आसान कार्य है और यह रातों रात किया जा सकता है। परन्तु हमारे जैसे देश में ऐसा नहीं हो सकता और न ही किसी को ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि इसके इतिहास में कभी भी किसी समय सभी मामलों में आराम से कार्य चलेगा। जैसी भी परिस्थितियां होंगी उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। एक विकसित राष्ट्र होने के नाते, हमें कैसी भी स्थितियां सामने आयें उनका मुकाबला करना होगा और इस एकता से जो इस समय यहां दिखाई गई है, मेरे मन में इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि अन्ततोगत्वा हमारी विजयहोगी। मैं समझता हूं, अस्थिरता, आतंकवाद की ताकते हताश हैं और वे लोगों के बीच कोई खास भूमिका नहीं निभा सकते। वे जानते हैं कि ऐसी ताकतें अन्ततोगत्वा आतंकवाद का सहारा लेती हैं। वे अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे और वे टूटकर बिखर जायेंगे। लेकिन, संभवत: इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें देखना होगा कि इसके लिए कम से कम कीमत चुकानी पड़े और इसके लिए हम यह कर सकते हैं कि हम सब मिलकर चलें, समूचे राष्ट्र को साथ लेकर चलें।

महोदय, समझौते के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। समझौते के मुद्दे पर हम सभी एक हैं। समझौता हम सबके लिए एक परम पावन दस्तावेज है और हम सब इसे पूरी तरह और निष्ठा के साथ लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं।

समझौते में सिर्फ एक ही बात नहीं है, इसमें कई मुद्दे हैं। अधिकांश मुद्दों पर जो कार्यवाही की जा रही है उसके बारे में मेरे सहयोगियों ने सभा को बता दिया है। समझौते की एक मद से उभरकर सामने आने वाले मुद्दे के बारे में मैं सभा को बताना चाहता हूं कि उस विशिष्ट मद अर्थात् न्यायमूर्ति मैथ्यू की रिपोर्ट के निष्कर्ष के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने सभा को बताया है कि पारस्परिक सलाह-मशविरा द्वारा निर्णय के प्रयास किए गए हैं। चूंकि उक्त प्रयास निष्फल रहे हैं। इसलिए मैं अब सभा को इस मामले में आगे लिए गए निर्णय से अवगत कराऊंगा।

महोदय, सभा को पता है कि पंजाब समझौते के ज्ञापन के पैरा 7.2 के अनुसार सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री के० के० मैथ्यू, की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया है। आयोग को पंजाब के उन हिन्दी भाषी क्षेत्रों का निर्धारण करना था जो चंडीगढ़ के बदले में हरियाणा को दिए जाने थे।

आयोग ने पाया कि उसने पंजाब के फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में जिन हिन्दी भाषी गांवों और कस्बों का पता लगाया है वे हरियाणा के सामीप्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं। अतः आयोग इनमें से किसी भी क्षेत्र के पंजाब से हरियाणा को हस्तांतरण करने की सिफारिश नहीं कर सका। इस सन्दर्भ में आयोग ने अपना निर्णय देते हुए टिप्पणी की कि यह भारत सरकार पर निर्भर करता है कि वह आयोग की नियुक्ति सहित ऐसे उपयुक्त कदम उठाये जिन्हें वह ठीक समझे।

भारत सरकार ने न्यायमूर्ति श्री के० के० मैथ्यू की सिफारिशों और टिप्पणियों तथा समझौता ज्ञापन के पैरा 7.2 तथा 7.3 को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ई० एस० वेंकट रमैया, की अध्यक्षता में एक दूसरे आयोग की नियुक्ति करने का निर्णय किया है। आयोग के गठन का संकल्प आज जारी किया जा रहा है। मुझे आशा है कि व जारी हो चुका है।

यह आयोग न्यायमूर्ति श्री के० के० मैथ्यू की रिपोर्ट को ध्यान में रखेगा और पंजाब के उन दूसरे हिन्दी भाषी क्षेत्रों का निर्धारण करेगा और विनिर्दिष्ट करेगा जो चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को दिए जायेंगे। यह समझौते के ज्ञापन के पैरा 7.2 में निर्धारित सिद्धान्तों का पालन करेगा। आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार के समक्ष 31 मई, 1986 तक हर हालत में प्रस्तुत करनी हैं।

यह भी व्यवस्था की जाएगी कि समझौता ज्ञापन के पैरा 7.3 के उपबंधों के अनुसार पंजाब को चण्डीगढ़ तथा हरियाणा को उसके बदले में दिए जाने क्षेत्रों का हस्तांतरण यथा शीघ्र साथ-साथ ही किया जाए और किसी भी स्थिति में इसके लिए आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के बाद तीन सप्ताह से अधिक समय नहीं लिया जाना चाहिए।

समझौते को पूरी तरह लागू करने के संबंध में यह सकारात्मक कदम उठाते समय सभा से मेरा अनुरोध है कि वह उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखे जिसमें पिछले वर्ष 24 जुलाई को पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अकाली दल ने अनेक प्रश्न उठाए, पंजाब में शांति लाने और जनता के भिन्न भिन्न वर्गों तथा पंजाब और हरियाणा के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए सम्पूर्ण समझौता किया गया था। उठाए गए प्रश्नों के संबंध में समेकित उपाए अपनाने हेतु निष्ठापूर्वक प्रयास किए गए थे। महोदय, इस पहलू का अभी प्रधान मंत्री ने जिक्र किया है। इस प्रकार यह समझौता पूर्णरूप से व्यापक है। इस समझौते को एक साथ लागू करना होगा न कि अलग अलग खण्डों में। यह बात समझौते की पृष्ठभूमि में कही गई है। बार-बार दोहराया गया है कि समझौते को पूर्ण निष्ठा के साथ लागू किया जाएगा।

मुझे आशा है कि सदस्यों के मन में जो संदेह अथवा प्रश्न थे उनका उत्तर मैंने दे दिया है। मैंने सभा में पहले ही एक स्वतः स्पष्ट वक्तव्य देने की इच्छा प्रकट की थी लेकिन कुछ सदस्यों

की सम्मति को मानना पड़ा। इसलिए मैं अब सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से सभा को अवगत कराना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इस निर्णय के अनुपालन में क्या कार्यवाही की जा रही है।

अन्त में मैं सदस्यों का और विशेषकर चर्चा आरंभ करने के संबंध में आपने जो आवश्यक मार्गनिर्देश दिए हैं, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस एकता से, सोद्देश्यपूर्ण कार्य से, दृढ़ निश्चय और सद्भावना से, जो हमने सभा में दिखाई है, और जो हम देश में सर्वत्र दिखाने जा रहे हैं उससे आतंकवाद की समस्या शीघ्र ही हल हो जाएगी, फिर भी मैं यह नहीं कह सकता कि यह किसी निर्धारित समय के भीतर हल हो जाएगी किन्तु हम इसे यथाशीघ्र हल करने का प्रयास करेंगे। आज रावी-व्यास न्यायाधिकरण की नियुक्ति की अधिसूचना भी जारी हो गई है। इस संबंध में दी जाने वाली जानकारी का यह दूसरा भाग है जिसे मैं सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सभा कल 11 बजे म० पू० पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

9.57 म० प०

***तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 3 अप्रैल, 1986/13 चैत्र, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।**

मुद्रक : ए० जे० प्रिंटर्स, प्रताप भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-2